



पूर्ण परिवर्तन  
श्रेष्ठ परिणाम

Transform to  
Outperform

वार्षिक रिपोर्ट 2014-15  
Annual Report 2014-15



## निदेशकगण यथा 31 मार्च, 2015 Directors as on 31st March 2015

श्रीमती वी. आर. अय्यर **Mrs. V. R. Iyer**  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
Chairperson and Managing Director

बि. पी. शर्मा **B.P. Sharma**  
कार्यपालक निदेशक Executive Director

अरुण श्रीवास्तव **Arun Shrivastava**  
कार्यपालक निदेशक Executive Director

आर. पी. मराठे **R. P. Marathe**  
कार्यपालक निदेशक Executive Director

### निदेशक Directors

अनूप वधावन **Anup Wadhawan**

एस. एस. बारिक **S. S. Barik**

हरविंदर सिंह **Harvider Singh**

ए. एम. परेरा **A. M. Pereira**

आर. एल. बिश्नोई **R. L. Bishnoi**

नीरज भाटिया **Neeraj Bhatia**

डी. हरीश **D. Harish**

संजीव कुमार अरोरा **Sanjiv Kumar Arora**

## महत्वपूर्ण सूचनाएँ Important Information

प्रस्तावित लाभांश ₹ 5/- प्रति शेयर (50%)  
ई वोटिंग तिथि 17 जुलाई, 2015, प्रातः 10 बजे से,  
19 जुलाई, 2015 सायं 5 बजे तक

Proposed Dividend  
E-Voting dates

₹ 5/- per Share (50%)  
17th July, 2015 10 am to  
19th July, 2015 till 5 pm

लेखा बंदी 14 जुलाई, 2015 से  
वार्षिक आम 20 जुलाई, 2015  
बैठक की सोमवार 20 जुलाई 2015  
तिथि व समय सुबह 11 बजे

Book Closure  
Date & Time of Annual  
General Meeting

14th July, 2015 to  
20th July, 2015  
Monday, 20th July, 2015  
at 11 am

वार्षिक आम बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम,  
बैठक का स्थान स्टार हाउस, सी-5,  
जी ब्लॉक बांद्रा-कुर्ला, काम्प्लेक्स,  
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

AGM Venue

Bank of India Auditorium,  
Star House, C-5,  
G Block, Bandra-Kurla Complex  
Bandra (East) Mumbai - 400 051

## विषयसूची

## Contents

अवलोकन  
Overview

- 2 लेखा परीक्षक
- 2 महाप्रबंधक,
- 3 10 वर्ष की उपलब्धियों पर एक नजर
- 4 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संबोधन

- 2 Auditors
- 2 General Managers
- 3 10 Year Progress at a Glance
- 4 Managing Director's & CEO Statement

सांविधिक रिपोर्ट  
Statutory Reports

- 8 निदेशक रिपोर्ट
- 12 प्रबंध चर्चा और विश्लेषण
- 50 कोर्पोरेट सामाजिक दायित्व रिपोर्ट
- 55 कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट
- 64 कोर्पोरेट शासन रिपोर्ट
- 81 सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण
- 81 मुख्य कार्यपालक अधिकारी की घोषणा
- 174 बासेल - III (स्तंभ 3) - प्रकटन
- 223 आम बैठक की सूचना

- 10 Directors Report
- 31 Management Discussion & Analysis
- 52 Corporate Social Responsibility Report
- 55 Business Responsibility Report
- 64 Corporate Governance Report
- 81 CEO/CFO Certificate
- 81 Declaration by CEO
- 200 Basel - III (Pillar 3) - Disclosures
- 223 Notice of Annual General Meeting

वित्तीय विवरण  
Financial Statements

- 84 तुलनपत्र
- 85 लाभ एवं हानि खाता
- 88 नकदी प्रवाह विवरण
- 95 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
- 105 लेखे पर टिप्पणियां
- 137 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
- 139 समेकित वित्तीय विवरण

- 84 Balance Sheet
- 85 Profit & Loss Account
- 86 Cash Flow Statement
- 95 Significant Accounting Policies
- 105 Notes Forming Part of Accounts
- 137 Independent Auditor's Report
- 139 Consolidated Financial Statements

सांविधिक लेखा परीक्षक  
Statutory Auditors

मेसर्स इसाक एंड सुरेश  
मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कं.  
मेसर्स डी. सिंह एंड कं.  
मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय  
मेसर्स ग्रोवर, लल्ला एंड मेहता  
मेसर्स बी रतन एंड एसोशिट्स

M/s. Isaac & Suresh  
M/s. M. M. Nissim and Co.  
M/s. D. Singh & Co.  
M/s. J. P. Kapur & Uberai  
M/s. Grover, Lalla & Mehta  
M/s. B. Rattan & Associates

महाप्रबंधक  
General Managers


मनोज जैन (सीवीओ)	Manoj Jain (CVO)	आर. ए. शंकर नारायणन (बैंक ऑफ़ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में 15 मई 2015 से पदोन्नत )	R A Sankara Narayanan (Elevated as Executive Director, Bank of India, w.e.f. 15th May 2015 )
राज कमल वर्मा	Raj Kamal Verma	राजीव सक्सेना	Rajive Saxena
प्रमोद कुमार पट्टनायक	Pramoda Kumar Pattanaik	राधा नाथ कर	Radha Nath Kar
रमेश चन्द्र बलिआरसिंह	Ramesh C. Baliarsingh	गजानन बालकृष्ण काकडे	Gajanan B. Kakade
अनिल कुमार भल्ला	Anil Kumar Bhalla	गोपाल मुरली भगत	Gopal Murli Bhagat
दीन बंधु महापात्र	Dina Bandhu Mohapatra	तरलोचन सिंह	Tarlochan Singh
भालचन्द्र वासुदेव उपाध्ये	Bhalchandra V. Upadhye	संजय पवार	Sanjay Pawar
नगीन शंकरलाल सूरती	Nagin S. Surti	शंकरदास गुप्ता	Shankardas Gupta
जैन भूषण	Jain Bhushan	कुलदीप कुमार अरोड़ा	Kuldeep Kumar Arora
शिओजी राम मीणा	Sheoji Ram Meena	कुल भूषण जैन	Kul Bhushan Jain
अनंत उपाध्याय	Anant Upadhyay	सुधाकर तन्निरू	Sudhakar Tanniru
वि विश्वनाथन	V Vishwanathan	सुशील कुमार कासलीवाल	Sushil Kumar Kasliwal
सुभाष चंद्र मोदी	Subhash Chandra Modi	निखलेश भार्गव	Nikhlesh Bhagava
कृष्ण लाल शर्मा	Krushan Lal Sharama	वाराणसी नागेश्वर राव	Varanasi Nageswara Rao
सेंगोड गौंडर पलनिवेल	Sengoda Gounder Palanivel	कुमार वरदाचारी	Kumar Varadachari

## 10 वर्ष की उपलब्धियों पर नजर

## 10 Year Progress at a Glance


### मिश्रित कारोबार (₹ करोड़ में)

#### BUSINESS MIX (₹ In Crore)




### निवल मालियत (₹ करोड़ में)

#### NET WORTH (₹ In Crore)




### परिचालन लाभ (₹ करोड़ में)

#### OPERATING PROFIT (₹ In Crore)




### निवल लाभ (₹ करोड़ में)

#### NET PROFIT (₹ In Crore)




### बही मूल्य प्रति शेयर (₹ में)

#### BOOK VALUE PER SHARE (In ₹)



### बाज़ार पूंजीकरण (₹ करोड़ में)

#### MARKET CAPITALISATION (₹ In Crore)



## प्रबंध निदेशक व सीईओ का संबोधन Managing Director & CEO's statement



प्रिय शेयरधारकों,  
हार्दिक शुभकामनाएं

आपके बैंक की 19 वीं आम सभा में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे असीम प्रसन्नता हो रही है। मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए आपके बैंक ने वित्तीय परिणाम घोषित कर दिया है, यह मेरा सौभाग्यपूर्ण गौरव है कि आपके बैंक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

### आर्थिक दृष्टिकोण

आप अवगत हैं कि अर्थव्यवस्था अभी भी मंदी के दौर से पूर्ण रूप से बाहर नहीं आई है तथा बैंकिंग उद्योग कई चुनौतियों का सामना कर रहा है।

देशी स्तर पर, सख्त विनियामक तथा विवेकसम्मत दायित्वों, कठोर वैश्विक परिवेश के अध्यधीन बैंकिंग क्षेत्र है, बैंक के लिए राह कठिन तथा चुनौतीपूर्ण है। इसके बावजूद, निर्णायक जनादेश के साथ नई सरकार आशा की विशाल किरण प्रतीत हो रही है।

2014-15 के दौरान अधिकतर समय वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में रही। इस दौर में विकसित तथा विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुईं। प्रमुख विचार मंचों जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी सम्मिलित है, इनके अनुमान के अनुसार वैश्विक वृद्धि अभी भी मंथर गति में है तथा 2014-15 में 3% मंदी से 2015-16 के दौरान 2.8% तक मंदी हो गई। जब कभी भी वसूली आरम्भ होगी वह ऊभरते बाजार अर्थव्यवस्था (इएमईएस) से प्रभावित होगी। इसके बावजूद, हाल ही में, बुनियादी संरचना में संरचनागत मार्गावरोध तथा निवेश मंदी ने कई ऊभरती बाजार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में गिरावट लाई।

वर्ष 2014-15 के दौरान, यू.एस. अर्थव्यवस्था में क्रमशः सुधार आना आरम्भ हुआ। मूल संकेतकों में विकास हुआ। उदाहरण के तौर पर पिछले वर्ष के 7% की तुलना में बेरोजगारी कम हो कर 5.5% की दर पर आ गई। वसूली के प्रत्युत में इसके मात्रात्मक सुलभता (क्यूई) कार्यक्रम को करने के लिए फेडरेशन ने निर्णय लिया तथा अब यह उपयुक्त समय है कि निम्नतम ब्याज दर को विपरीत करने पर विचार किया जाए।

जापान में, नए पॉलिसी पैकेज - एबेनॉमिक्स के अन्तर्गत राजकोषीय प्रोत्साहन तथा मौद्रिक मुक्ति उन्मुक्ति ने गतिविधि में सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद जगाई है। किन्तु अपेक्षित राजकोषीय प्रोत्साहन मोचन तथा व्यय पुनर्संरचना और उपभोग कर वृद्धि ने मिलकर इसमें वृद्धि की। 2% मुद्रास्फिति लक्ष्य की उगाही अभी भी दूर है।

Dear Shareholders,  
Heartiest Greetings

It gives me immense pleasure to welcome all of you in the 19th Annual General Meeting of your Bank. Now that the financial results of your Bank for the year ended March 2015 has been declared, it is my privilege and honour to present the Annual Report for the year ended March 31, 2015 of your bank.

### Economic Outlook

As you are aware the economy is yet to come out from the slowdown phase completely and the banking industry is still beset with challenges.

On the domestic front, banking sector is subject to stringent regulatory and prudential obligations. Coupled with a tough global environment, Banks have to perform a tight rope act. However, the new government with a decisive mandate is a huge ray of hope.

The global economy passed through a sluggish phase during most of 2014-15. Both developed and emerging economies were not immune to this phase. According to estimates by major think tanks including the International Monetary Fund, global growth is still in low gear and is set to slow down from 3% during 2014-15 to 2.8% during 2015-16. As and when recovery commences it will be led by Emerging Market Economies (EMEs). However, recently, structural bottlenecks in infrastructure and investment slowdown have led to decline in growth rates of many emerging market economies.

During 2014-15, the U.S economy was seen gradually recovering. There were improvements in key indicators. For instance, unemployment rate declined below 5.5% from previous highs of 7%. In response to recovery, the Fed decided to taper its Quantitative Easing (QE) programme and is now contemplating the most opportune moment to reverse the rock bottom interest rates.

In Japan, fiscal stimulus and monetary easing unleashed under the new policy package - Abenomics - had led to hopes of a rebound in activity. But the expected unwinding of fiscal stimulus and reconstruction spending together with a consumption tax hike took its toll on growth. Realization of 2% inflation target is still elusive.

चीन में, 2014-15 के दौरान 7 प्रतिशत से अधिक प्रदर्शित वृद्धि धीमी होकर 2015-16 में 6.9 प्रतिशत हुई।

यूरो क्षेत्र में, अनेकों नीतिगत कार्रवाईयों ने प्रमुख जोखिम को कम किया तथा वित्तीय स्थिति में स्थिरता आई, यद्यपि बाह्य सतह में वृद्धि अभी भी कृत्रिम है। राजकोषीय सुदृढीकरण तथा संरचनागत सुधार यूरोप में धीमी गति का आधार रहा। यह उम्मीद की जा रही है कि मंदी क्रमशः समाप्त होगी जिससे 2014 में 0.2 प्रतिशत वृद्धि 2015 में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर सकेगी।

जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था का संबंध है केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने पिछले वर्ष के 6.9% की तुलना में वर्ष 2014-15 के लिए 7.3% वृद्धि दर्शायी है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों ने इस वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया और उनके द्वारा क्रमशः 7.1% और 10% की वृद्धि दर दर्ज की गई। लेकिन फार्म आउटपुट में 0.2% की मंद वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि बैंकिंग प्रणाली में हम रूकी हुई परियोजनाएं, भूमि अधिग्रहण समस्या, क्षमता का कम उपयोग, कमजोर निवेश और उच्च अर्नजक आस्तियों से मजबूर हैं। तथापि प्रमुख विशेषज्ञ समूहों का अनुमान है कि चालू वित्तीय वर्ष में भारत की वृद्धि दर चीन से अधिक होगी। एक सकारात्मक बात है चालू खाता घाटा (सीएडी) में कमी जो 2 प्रतिशत से नीचे है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई डाटा से देखी गई मुद्रास्फीति भी कम हो रही है।

#### वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए दृष्टिकोण

चीन में आई मंदी के कारण वित्तीय वर्ष 2015 के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था थोड़ी धीमी होने की संभावना है और वृद्धि 3% से 2.8% तक गिरने की संभावना है। यह अपेक्षा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब 7.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी जो सामान्य वर्षा होने पर विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में प्रगति के अधीन है। औद्योगिक गतिविधि के लिए दृष्टिकोण कारोबार मानसिकता और रूकी हुई परियोजनाओं के त्वरित क्लियरन्स के जरिए हुए आवश्यक निवेश पर निर्भरशील है। खुदरा और थोक दोनों कीमत सूचकांक मुद्रास्फीति ने कमी दर्शायी है और आरबीआई ने जनवरी, 2016 में खुदरा मुद्रास्फीति को 6% के करीब अनुमानित किया है। इस बीच कार्पोरेट निष्पादन और औद्योगिक दृष्टिकोण जैसे सूचकांक कीमत निर्धारण क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि नहीं दिखा रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र भी दबाव के अंतर्गत है क्योंकि यह आस्ति गुणवत्ता की समस्या से घिरा हुआ है। क्रेडिट ऑफ टेक भी मंद है जैसा कि नवीनतम डाटा वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 9.8% दर्शा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए उद्योग के लिए क्रेडिट वृद्धि 12-13% के करीब होने की अपेक्षा है जबकि जमाराशियों में भी उसी रेंज में वृद्धि होने की संभावना है।

तथापि, अब जहां निर्णायक मैण्डेट के साथ सरकार बनी है और कुछ साहसी पहल किए जा रहे हैं अर्थव्यवस्था को अपनी खोई हुई गति को पुनः प्राप्त करना चाहिए और बैंकों में भी आस्ति गुणवत्ता फ्रंट में सुधार दिखने चाहिए।

इस परिप्रेक्ष्य में मैं वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बैंक के कार्यनिष्पादन को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ।

#### बैंक का कार्यनिष्पादन

- ★ आपके बैंक ने समग्र वैश्विक कारोबार में 10.60% वृद्धि दर्ज की जो वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹853,202 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹943,633 हो गया।
- ★ आपके बैंक ने कम लागत जमाराशि (कासा) में समग्र 8.46% वृद्धि दर्ज की जो वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹105,467 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹114,386 करोड़ हो गई।
- ★ आपके बैंक का परिचालन लाभ और निवल लाभ वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹7,488 और ₹1709 करोड़ रहा।
- ★ बैंक की निवल ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹10,831 करोड़ थी जो बढ़कर वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹11,344 करोड़ हो गई, इस प्रकार 4.74% की वृद्धि हुई।

In China, growth is projected to decelerate from above 7 per cent during 2014-15 to 6.9 per cent in 2015-16.

In the Euro area, several policy actions resulted in major risk reductions and also stabilized financial conditions, although growth in the periphery is still constrained. The fiscal consolidation and structural reforms undertaken in Europe was the basis for slow recovery. The region is expected to gradually pull out of recession, with growth expected to touch 0.3 percent in 2015 from 0.2 per cent in 2014.

As far as Indian economy is concerned, the Central Statistical Organization (CSO) has shown growth to be 7.3% for 2014-15 compared to 6.9% for the previous year. The major contributors to growth were manufacturing and service sectors which registered growth rates of 7.1% and 10% respectively. Farm output, however, grew by a subdued 0.2%. However, we remain constrained by stalled projects, land acquisition issues, low capacity utilization, weak investment and high non-performing assets in the banking system. However, major think tanks have estimated India's growth rate to outpace that of China in the current financial year. Another positive is the reduction in current account deficit (CAD) to below 2 per cent. Inflation, as seen from CPI and WPI data, is also on a sliding path.

#### Outlook for FY 2015-16

The global economy is expected to decelerate slightly and growth is likely to fall to 2.8% from 3% for FY 2015 due to slowdown in China. Indian economy is expected to show growth rate of around 7.5 per cent, with pick-up in manufacturing and service sectors subject to normal monsoons. The outlook for industrial activity is contingent upon a change in business sentiment and a necessary push for investments through speedy clearance of stalled projects. Both retail and wholesale price index inflation has slowed down and RBI has projected retail inflation at close to 6% by January 2016. Meanwhile, Indicators such as corporate performance and industrial outlook do not indicate a significant increase in pricing power. Banking sector is also under stress since it is beset by asset quality troubles. Credit off take is also muted with the latest data showing y-o-y growth in bank credit at 9.8%. For FY 2015-16, credit growth is expected to be around 12-13% for the industry while growth in deposits is also expected to be in that range.

However, now that a government with a decisive mandate is in place and certain bold initiatives are underway, economy should regain some lost momentum and banks should see improvement on the asset quality front.

With this background, I now share with you the Bank's performance for the Financial year 2014-15.

#### Bank's performance

- ★ Your Bank posted an overall Global business growth of 10.60% during FY 2014-15 to ₹ 943,633 Crore from ₹ 853,202 Crore during FY 2013-14.
- ★ Your Banks Low Cost Deposits(CASA) posted an overall growth of 8.46% during FY 2014-15 to ₹ 114,386 Crore from ₹ 105,467 Crore during FY 2013-14.
- ★ Your Bank Operating Profit and Net Profit stood at ₹ 7,488 and ₹ 1709 Crore during FY 2014-15.
- ★ Net Interest Income of the Bank for FY 2014-15 rose by 4.74% to ₹ 11,344 Crore during FY2014-15 from ₹ 10,831 Crore during FY 2013-14.

- ★ गैर-ब्याज आय में वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 1.38% की सामान्य कमी आई और यह ₹4233 करोड़ पर रही।
- ★ आपके बैंक ने समग्र कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 9.76% वृद्धि दर्ज की जो वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹86,161 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹94,572 करोड़ हो गया।
- ★ आपके बैंक का कृषि ऋण वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹40,211 करोड़ था, जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 7.39% बढ़कर ₹43,183 करोड़ हो गया।
- ★ आपके बैंक का समग्र रिटेल कारोबार वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹29,600 करोड़ था, जो वित्तीय वर्ष में बढ़कर ₹34,153 करोड़ हो गया। इस प्रकार 11.20% की समग्र रिटेल वृद्धि दर्ज की गई।
- ★ आपके बैंक का समग्र एमएसएमई कारोबार वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹45,081 करोड़ था, जो बढ़कर वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹54,406 करोड़ हो गया। इस प्रकार 20.68% की समग्र एमएसएमई वृद्धि दर्ज की गई।
- ★ आपके बैंक ने कुल एमएसएमई वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित 20% लक्ष्य को सफलतापूर्वक पार कर लिया है।
- ★ वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु बैंक की प्रति शेयर आय (ईपीएस) ₹26.57 रही।
- ★ प्रति शेयर बही मूल्य जो 31 मार्च 2014 को ₹381.69 थी, बढ़कर 31 मार्च 2015 को ₹398.02 हो गई।
- ★ लागत आय अनुपात जो वित्तीय वर्ष 2013-14 में 44.30% था बढ़कर वित्तीय वर्ष 2014-15 में 51.93% हो गया।
- ★ आपके बैंक की निवल मालियत जो 31 मार्च 2014 को ₹24,543 करोड़ थी बढ़कर 31 मार्च 2015 को ₹26,494 करोड़ हो गई।
- ★ पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 31 मार्च 2015 को बेसल III के अनुरूप 10.73% था और बेसल II के अनुरूप 11.42% था।
- ★ बैंक के अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों का कार्य निष्पादन बहुत बढ़िया रहा और उसने कुल कारोबार में वर्ष-दर-वर्ष 13.70% वृद्धि दर्ज करते हुए ₹256,118 करोड़ पर पहुंच गया।
- ★ आपके बैंक के निदेशक मंडल ने इस वर्ष के लिए ₹5/- प्रति शेयर (50%) के दर से अंतिम लाभांश की घोषणा की है।
- ★ आस्ति गुणवत्ता में तनाव होने के कारण लाभप्रदता प्रभावित है। बैंक ने इसका सामना करने के लिए उचित कार्यनीति अपनाई है।

#### वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान की गई पहलें

आपके बैंक ने कारोबार वृद्धि में तीव्रता लाने और ग्राहक सेवा को उत्कृष्ट बनाने हेतु अनेक पहलें की हैं। इसकी मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :-

- ★ वर्ष 2014-15 के दौरान 246 नई शाखाएं और 400 ई-गैलरी खोली गई। 1.65 मिलियन नए ग्राहक जोड़े गए, इसके साथ कुल ग्राहक आधार 78.65 मिलियन हो गया।
- ★ 306 "भविष्य की शाखाएं" विशिष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करते हुए परिचालन में हैं।
- ★ 49 रिटेल कारोबार केन्द्र (आरबीसी) हैं जिनकी सहायता से रिटेल ऋणों में तेज़ी से वृद्धि हुई है।
- ★ बैंक ने चिप आधारित डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं।

- ★ Non-Interest Income during the year 2014-15 marginally declined by 1.38% and stood at ₹ 4233 crores.
- ★ Your Bank posted an overall Total Priority Sector growth of 9.76% during FY 2014-15 to ₹ 94,572 Crore from ₹ 86,161 Crore during FY 2013-14.
- ★ Your Bank posted Total Agriculture Credit growth of 7.39% during FY 2014-15 to ₹ 43,183 Crore from ₹ 40,211 Crore during FY 2013-14.
- ★ Your Bank posted an overall Retail growth of 11.20% during FY 2014-15 to ₹ 34,153 Crore from ₹ 29,600 Crore during FY 2013-14.
- ★ Your Bank posted an overall MSME growth of 20.68% during FY 2014-15 to ₹ 54,406 Crore from ₹ 45,081 Crore during FY 2013-14.
- ★ Your Bank has successfully surpassed the Total MSME Y-o-Y growth target of 20% stipulated by Government of India.
- ★ The Earning per Share (EPS) of the Bank for FY 2014-15 stood at ₹ 26.57.
- ★ The Book value per share improved from ₹ 381.69 as on 31st March, 2014 to ₹ 398.02 as on 31st March 2015.
- ★ The Cost to Income Ratio rose during the year from 44.30 % in FY 2013-14 to 51.93% for FY 2014-15.
- ★ Your Bank's Net Worth increased to ₹ 26,494 crore as on 31st March, 2015 from ₹ 24,543 crore as on 31st March, 2014.
- ★ Capital Adequacy Ratio (CRAR) stood at 10.73% as on 31st March, 2014 as per Basel III and at 11.42% as per Basel II.
- ★ The International Operations of the Bank showed robust performance with Y-o-Y growth of 13.70% in Total Business and reached at ₹ 256,118 Crore.
- ★ Board of Directors of your Bank have declared final Dividend at the rate of ₹ 5/- per share (50%) for the year.
- ★ There is strain in asset quality and consequent profitability. The Bank has drawn suitable strategy to address it.

#### Initiatives during FY 2014-2015

Your Bank undertook several initiatives to foster business growth and customer services. The major highlights are:


- ★ 246 new Branches and 400 e-Galleries was opened during 2014-15. adding 1.65 mn new customers taking the total customer base to 78.65 mn.
- ★ 306 'Branches of Future' providing specialised customer service are operationalised
- ★ 49 Retail Business Centers (RBCs) have helped grow much faster in Retail credit
- ★ Bank has launched chip based Debit & Credit cards



आपका बैंक समाज के प्रति भी प्रतिबद्ध है और इस संबंध में विभिन्न पहलें आरंभ की गई हैं। आपका बैंक वित्तीय समावेशन पहलों के कार्यान्वयन एवं प्रतिबद्धता में हमेशा से अग्रसर रहा है। प्रधान मंत्री जन-धन योजना के कार्यान्वयन में भी बैंक अग्रसर है और वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने ₹443 करोड़ की राशि संग्रहित की है। चालू वित्तीय वर्ष में आपके बैंक ने दुबई स्थित अपने प्रतिनिधि कार्यालय को शाखा में परिवर्तित किया है।

मैं, बोर्ड के उन सभी निदेशकों जैसे श्री आर. कोटिस्वरन, श्री के. के. नायर, श्री पी. एम. सिराजुद्दीन, श्री प्रमोद भसीन और श्री उमेश खैतान द्वारा दिए गए मूल्यवान योगदान को भी कलमबंद करना चाहूंगा जो इस वर्ष क दौरान पद से निवृत्त हो गए हैं। बैंक को भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और बोर्ड से उत्तम सहयोग और बहुमूल्य मार्गदर्शन मिलता रहा है जिसके लिए बैंक उनके प्रति आभारी है। मैं अपने कारोबारी सहयोगियों, ग्राहकों और शेयरधारकों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ जिनके विश्वास और भरोसे के बिना बैंक वहाँ नहीं पहुँच पाता, जहाँ आज वह है। मैं अपने प्रतिबद्ध स्टाफ सदस्यों की भी प्रशंसा करता हूँ जिनके अथक प्रयासों के बिना इन उपलब्धियों को हासिल करना मुमकिन नहीं था। मैं बैंक की ओर से और साथ ही अपनी ओर से भी सभी शेयरधारकों को धन्यवाद देता हूँ और यह प्रत्याशा रखता हूँ कि उनका सतत संरक्षण, मार्गदर्शन और सहयोग हमें मिलता रहेगा।

सादर एवं साभार,



**बिमल प्रसाद शर्मा**  
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Your bank is also socially committed and has undertaken various initiatives in this regard. Your Bank remains one of the front runners in the commitment and implementation of Financial Inclusion Initiatives. The bank has been in the forefront in the implementation of Prime Minister's Jan Dhan Yojna and has mobilized amount worth ₹ 443 Cr during 2014-15. Your Bank also converted its representative office in Dubai to a branch during the current financial year.

I wish to place on record the valuable contributions made by the directors of the Board who demitted office during the year viz. Shri R. Koteeswaran, Shri K. K. Nair, Shri P. M. Sirajuddin, Shri Pramod Bhasin, and Shri Umesh Kumar Khaitan. The Bank thanks the Government of India, the Reserve Bank of India, the SEBI, Other Regulatory authority and the Board from whom it has been receiving excellent support and valuable guidance. I thank our Business Associates, customers and shareholders without whose faith and trust, the Bank would not have reached where it has reached today. These accomplishments would not have been possible but for the tireless efforts of our committed staff members. On behalf of the Bank and on my personal behalf, I would like to thank all the stakeholders and look forward to their continued patronage, guidance and support.

With warm regards,




**B.P. Sharma**  
Managing Director & CEO.

## निदेशक रिपोर्ट

निदेशक मण्डल 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की लेखापरीक्षित लेखा विवरण के साथ वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है।

### कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें- वित्तीय मानदण्ड

- ★ कुल कारोबार (जमा+ अग्रिम) 10.60 % (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर ₹ 9,43,633 करोड़ पर जा पहुँची।
- ★ परिचालन लाभ और निवल लाभ क्रमानुसार ₹ 7,488 करोड़ और ₹ 1,709 करोड़ रही।
- ★ क्रेडिट जमा अनुपात पिछले वर्ष की 78.88 % की तुलना में 77.41% रहा।
- ★ खुदरा ऋण यथा 31 मार्च 2015 को ₹ 34,153 करोड़ रहा जिसमें 15.38 % वृद्धि दर्ज की गई जो वित्तीय वर्ष 15 में बैंक के सकल घरेलू ऋण का 11.80% है।
- ★ एमएसएमई ऋण यथा 31 मार्च 2015 को ₹ 54,406 करोड़ रहा जिसमें 20.68 % वृद्धि दर्ज की गई जो वित्तीय वर्ष 15 में बैंक के सकल घरेलू ऋण का 18.79 % है।



- ★ निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वित्तीय वर्ष 15 के दौरान वैश्विक परिचालन के लिए 2.11 % और घरेलू परिचालन के लिए 2.49 % रहा।
- ★ निवल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए पिछले वर्ष 2.00 % की तुलना में इस वर्ष 3.36% रहा।
- ★ पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) बासेल III के अनुसार 10.73 % रहा।
- ★ निवल मालियत सुधरकर ₹ 26,494 करोड़ हुई और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 7.95 % वृद्धि दर्ज की गई।
- ★ बही मूल्य पिछले वर्ष ₹ 381.69 करोड़ से सुधरकर ₹ 398.02 हो गई।
- ★ प्रति कर्मचारी कारोबार पिछले वर्ष के दौरान ₹ 19.63 करोड़ से बढ़कर ₹ 20.69 करोड़ हो गई।

### प्रमुख वित्तीय डाटा

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	वृद्धि (%)
निवल ब्याज आय	10,831	11,344	4.74
गैर-ब्याज आय	4,292	4,233	-1.37
परिचालन व्यय	6,700	8,089	20.73
परिचालन लाभ	8,423	7,488	-11.10
प्रावधान / आकस्मिकताएं	5,694	5,779	1.49
निवल लाभ	2,729	1,709	-37.38
प्रति शेयर आय (₹)	44.74	26.57	-40.61
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	381.69	398.02	4.28

कुछ वित्तीय अनुपात नीचे प्रस्तुत किए गए हैं :

(% में)


मानदण्ड	2013-14	2014-15
अग्रिम पर आय	8.45	8.36
निवेश पर आय	8.12	8.08
निधियों पर आय	7.19	7.13
जमा राशियों की लागत	5.62	5.70
निधियों की लागत	5.14	5.27
निवल ब्याज मार्जिन	2.34	2.11
परिचालन व्ययों के प्रति गैर ब्याज आय	64.06	52.33
औसत कार्यशील निधि के प्रति अन्य आय	0.81	0.66
औसत कार्यशील निधि के प्रति परिचालन व्यय	1.27	1.33
औसत कार्यशील निधि के प्रति स्टाफ व्यय	0.76	0.82
औसत कार्यशील निधि की तुलना में अन्य परिचालन व्यय	0.51	0.51
आस्ति उपयोग अनुपात	1.60	1.23
कुल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय	10.17	8.88
निवल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय	28.38	27.17
लागत- आय अनुपात	44.30	51.93
इकट्टी पर प्रतिफल (%)	11.82	6.70
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.51	0.27

### खण्डवार कार्यनिष्पादन

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने ₹ 7,488 करोड़ का परिचालन लाभ अर्जित किया। निवल लाभ में ट्रेजरी विभाग का योगदान ₹ 1,510 करोड़ था, थोक बैंकिंग का ₹ 750 करोड़ और रिटेल बैंकिंग का ₹ 132 करोड़ रहा। आपके बैंक ने अनाबंटित व्यय का ₹ 597 करोड़ और कर के प्रावधान हेतु ₹ 86 करोड़ घटाने के बाद ₹ 1709 करोड़ का कर पश्चात लाभ अर्जित किया।

### लाभांश

पूँजी संग्रहण के उद्देश्य से, निवेशक मंडल ने ₹ 5/- प्रति शेयर (₹ 10/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर) (भारत सरकार के मंजूरी के पश्चात) के लाभांश की अनुशंसा की है। समग्र देय लाभांश की राशि ₹ 399.72 करोड़ (लाभांश वितरण कर सहित) होगी।



### पूँजी

आपके बैंक की निवल मालियत वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 24,543 से बढ़कर ₹ 26,494/- हो गई। वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 10/- प्रत्येक के ₹ 283.50 की कीमत से 2,26,45,502 इकट्टी शेयर जारी किए जिनकी सकल राशि ₹ 642 करोड़ है (2,00,00,000

इकटि शेयर एलआईसी को और 26,45,502 इकटि शेयर दि न्यू इंडिया एनश्योरेंस कंपनी लि. को)।

वर्ष के दौरान, बैंक ने कॉल विकल्प के साथ ₹ 2500 करोड़ के बासेल-III के अनुरूप स्थायी अतिरिक्त टियर-I बॉन्ड भी जारी किए हैं।

**पूँजी पर्याप्तता**

बासेल-III की रूपरेखा के अनुसार, बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 10.73% था जो 9% की विनियामक आवश्यकता से अधिक था। पूँजी पर्याप्तता (बासेल II एवं III) का ब्योरा निम्नानुसार है।

(₹ करोड़ में)

विवरण (बासेल II के तहत)	31.03.2014		31.03.2015	
	राशि	सीआरएआर (%)	राशि	सीआरएआर (%)
टियर I पूँजी	26,248	7.56	29,864	8.23%
टियर II पूँजी	11,103	3.20	11,554	3.19%
कुल पूँजी	37,351	10.76	41,418	11.42%
जोखिम भारित आस्तियाँ	347,014	---	362,726	---

(₹ करोड़ में)

विवरण (बासेल III के तहत)	31.03.2014		31.03.2015	
	राशि	सीआरएआर (%)	राशि	सीआरएआर (%)
साधारण इकटि टियर-I पूँजी (सीईटी 1)	23,771	6.84%	26,091	7.18%
अतिरिक्त टियर I	1,389	0.41%	3,618	1.00%
टियर I पूँजी	25,160	7.25%	29,709	8.17%
टियर II पूँजी	9,499	2.73%	9,289	2.56%
समस्त पूँजी	34,659	9.98%	38,998	10.73%
जोखिम भारित आस्तियाँ	3,47,702	---	363,523	---

**पुरस्कार एवं सम्मान**

- ★ बैंक को 'श्रेष्ठ एमएसएमई बैंक' और 'परिचालनगत कार्यनिष्पादन के लिए श्रेष्ठ बैंक' के पुरस्कार प्राप्त हुए।
- ★ रनर अप श्रेणी के तहत 'श्रेष्ठ आवास ऋण प्रदाता' के लिए बैंक को 'आउटलुक मनी पुरस्कार' प्राप्त हुआ।
- ★ इलेट्स की ओर से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जी के करकमलों से नई दिल्ली में आयोजित समारोह में बैंक को 'वित्तीय समावेशन और भुगतान प्रणाली पुरस्कार' प्राप्त हुआ।
- ★ केंद्रीय मंत्री जी से बैंक को 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना श्रेष्ठता पुरस्कार' प्राप्त हुआ।
- ★ आईआरबीटी की ओर से बैंक को 'श्रेष्ठ वित्तीय समावेशन तकनीकी पहल' के लिए आईबीए पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- ★ बैंक को स्कॉच ग्रुप की ओर से 'वित्तीय समावेशन सघनीकरण पुरस्कार' प्राप्त हुआ।
- ★ बैंक में पारदर्शिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बैंक को ईटीना एवं वीएमवेयर की ओर से 'आईटी श्रेष्ठता पुरस्कार' प्राप्त हुआ।
- ★ 'स्टारटोकन एनजी उत्पाद' के लिए बैंक को सीआईओ100 2014 पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- ★ मुंबई में बैंकिंग फ्रंटियर्स की ओर से बैंक को 'श्रेष्ठ मानव संसाधन तकनीकी पुरस्कार, 2014' प्राप्त हुआ।

**तकनीकी समर्थित सेवाओं के साथ बैंकिंग का नवीकरण:**

- ★ एटीएम - राष्ट्रीय वित्तीय स्वीच (एनएफएस) का सदस्य, बैंक के ग्राहक देशभर के 1,40,000 से अधिक एटीएम का उपयोग कर सकते हैं।
- ★ भारिबं के अनुसार मर्चेंट संस्थापनों पर मैट्रिक स्ट्राइप कार्ड का उपयोग करते समय अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में खरीद संव्यवहार के लिए पिन दर्ज करना आवश्यक होगा।
- ★ बैंक ने चीप आधारित डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करना शुरू किया है।
- ★ बैंक ने रुपये प्लैटफॉर्म के लिए ई-कॉमर्स संव्यवहार एनेबल किए हैं।
- ★ अपने ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग में आकर्षक रूप-रंग के साथ टू-फैक्टर सत्यापन भी लागू किया गया है।

- ★ ऑनलाइन नामांकन सुविधा के साथ ऑनलाइन सावधि जमाराशि
- ★ यूटिलिटी बिल, बीमा प्रिमियम, कुछ बैंकों के क्रेडिट कार्ड के बिल, कुछ म्यूनििसीपोअल कॉर्पोरेशन के संपदा कर, इत्यादि के भुगतान के लिए बीओआई ई-पे
- ★ शाखाओं में डिजिटल सूचना पटल
- ★ एटीएम वित्तीय संव्यवहारों एवं इंटरनेट बैंकिंग निधि अंतरण के लिए बीओआई स्टार-संदेश एसएमएस आधारित अलर्ट
- ★ वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों एवं अनुसंशाओं के अनुसार हमारी कॉर्पोरेट वेबसाइट (अंग्रेजी) को विकलांग व्यक्तियों के लिए समर्थित किया गया है।
- ★ इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड के उपयोग से डेबिट-सह-एटीएम कार्ड को हॉटलिस्ट करना / पिन रिसेट अथवा अनब्लॉक अथवा बदलना
- ★ स्वयं सेवा किओस्क - बारकोड समर्थित पासबुक प्रिंटर
- ★ एसबी/सीडी/ओडी खातों में शेषराशि जानने हेतु मिसकॉल सुविधा
- ★ इंटरनेट बैंकिंग से पीपीएफ खाता में ऑनलाईन राशि जमा करने की सुविधा
- ★ आईएमटी का आरंभ - इंस्टैंट मनी ट्रांसफर
- ★ बीओआई स्टार इज़िपे - व्यक्ति से व्यक्ति भुगतान समाधान का आरंभ
- ★ पेमेंट गेटवे समाधान
- ★ एमविसा - यह व्यक्ति से व्यापारी को मोबाइल से मोबाइल पर किया गया भुगतान समाधान है।
- ★ पेवेव - टैप एंड गो (संपर्क रहित भुगतान प्रणालि)
- ★ इंफोसिस के साथ विशेष रूप से युवा बैंकिंग समाधान का आरंभ
- ★ रुपये प्लैटिनम डेबिट कार्ड
- ★ अग्रणी अस्पतालों के लिए क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सीयूजी) कार्ड - एआईआईएमएस पटना और भुवनेश्वर
- ★ शाखाओं से आईएमपीएस सुविधा
- ★ मोबाइल बैंकिंग में बिल भुगतान सुविधा
- ★ ई-वॉलेट (आईसीआईसीआई - पॉकेट और एचडीएफसी - चिह्न के समान)
- ★ ई-कॉमर्स के लिए वर्चुअल कार्ड

**निदेशक उत्तरदायित्व विवरण**


- निदेशक पुष्टि करते हैं कि मार्च 31, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों को तैयार करने में;
- क) लागू लेखाप्रणाली मानकों का पालन किया गया और महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई, के लिए उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।
  - ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई लेखाप्रणाली नीति सतत लागू की गई। उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्यकलापों के संबंध में तथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ हाँइ खाते के बारे में सच्चा एवं न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।;
  - ग) बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं उन्हें रोकने के लिए भारत में कार्यरत बैंकों को लागू कानून के अनुरूप पर्याप्त लेखाप्रणाली रिकार्डों के रखरखाव के लिए उचित एवं उपयुक्त सावधानी;
  - घ) वार्षिक लेखे कार्यशील संस्था आधार पर तैयार किए गए हैं;
  - ड) बैंक द्वारा अनुसरण की जानेवाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया गया है और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से परिचालनमें हैं;
  - च) समस्त लागू कानून के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित सिस्टम बनाया गया है और यह कि ऐसे सिस्टम पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से परिचालन में हैं।

**DIRECTORS' REPORT**

The Board of Directors have pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with audited statement of accounts for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2015.

**PERFORMANCE HIGHLIGHTS - FINANCIAL PARAMETERS**

- ★ Total Business (Deposit + Advances) increased to ₹ 9,43,633 crores reflecting a growth of 10.60% (y-o-y).
- ★ Operating Profit and Net Profit were at ₹ 7,488 crores and ₹ 1,709 crores respectively.
- ★ Credit Deposit Ratio stood at 77.41% as against 78.88% during last year.



- ★ Retail Credit as on 31<sup>st</sup> March 2015 stood at ₹ 34,153 crores, posted a growth of 15.38% constituting 11.80% of your Bank's Gross Domestic Credit in FY 15.
- ★ MSME Credit as on 31<sup>st</sup> March 2015 stood at ₹ 54,406 crores posted a growth of 20.68% constituting 18.79% of your Bank's Gross Domestic Credit in FY 15.
- ★ Net Interest Margin (NIM) for Global Operations was 2.11 % and for domestic Operations was 2.49 % during FY 15.
- ★ Net NPA to Net Advances stood at 3.36% as against 2.00% during last year.
- ★ Capital Adequacy Ratio (CRAR) as per Basel III stood at 10.73%.
- ★ Net Worth improved to ₹ 26,494 crores and registered a rise of 7.95% over last year.
- ★ Book Value improved to ₹ 398.02 from ₹ 381.69 during last year.
- ★ Business Per Employee moved up to ₹ 20.69 crores from ₹ 19.63 crores during last year.

**KEY FINANCIAL DATA**

(₹ In crore)

Particulars	2013-14	2014-15	Growth (%)
Net Interest Income	10,831	11,344	4.74
Non-Interest Income	4,292	4,233	-1.37
Operating Expenses	6,700	8,089	20.73
Operating Profit	8,423	7,488	-11.10
Provisions / Contingencies	5,694	5,779	1.49
Net Profit	2,729	1,709	-37.38
Earnings per share (₹)	44.74	26.57	-40.61
Book value per share (₹)	381.69	398.02	4.28

**SOME OF THE KEY FINANCIAL RATIOS ARE PRESENTED BELOW:**

(In %)


Parameters	2013-14	2014-15
Yield on Advances	8.45	8.36
Yield on Investment	8.12	8.08
Yield on Funds	7.19	7.13
Cost of Deposits	5.62	5.70
Cost of Funds	5.14	5.27
Net Interest Margin	2.34	2.11
Non Interest Income to Operating Expenses	64.06	52.33
Other Income to Average Working Fund	0.81	0.66
Operating Expenses to Average Working Fund	1.27	1.33
Staff Expenses to Average Working Fund	0.76	0.82
Other operating Exp. to Average Working Fund	0.51	0.51
Asset Utilisation Ratio	1.60	1.23
Non-Interest Income to Total Income	10.17	8.88
Non-Interest Income to Net Income	28.38	27.17
Cost to Income Ratio	44.30	51.93
Return on Equity	11.82	6.70
Return on Average Assets	0.51	0.27

**SEGMENT- WISE PERFORMANCE**

The Bank earned an Operating Profit of ₹ 7,488 crores during the financial year 2014-15. The contribution made to Net Profit by Treasury operations was ₹ 1,510 crores, wholesale Banking was ₹ 750 crores and Retail Banking was ₹ 132 crores. Your Bank earned a profit after Tax (PAT) of ₹ 1,709 crores, after deducting ₹ 597 crores of un allocated expenditure and ₹ 86 crores towards provision for tax.

**DIVIDEND**

Your Bank's Directors have recommend dividend of ₹ 5 /- per share (on the face value of ₹ 10/- per share) subject to GOI approval. The Total dividend payment will amount to ₹ 399.72 crore (including dividend distribution tax).



**CAPITAL**

Net worth of your Bank has increased to ₹ 26,494 crores from ₹ 24,543 crores during the financial year 2014-15. During the year, the Bank has issued 2,26,45,502 Equity Shares of ₹10/- each at a price of ₹ 283.50 per share total amounting to ₹ 642 crores ( 2,00,00,000 equity shares to LIC and 26,45,502 equity shares to The New India Assurance Co. Ltd.).

During the year, the Bank has also issued Basel-III Compliant perpetual Additional Tier-I bonds of ₹ 2,500 crores with call option.

**CAPITAL ADEQUACY**

As per Basel III framework, Bank's Capital Adequacy Ratio was 10.73% which was higher than the regulatory requirement of 9%. Details of Capital Adequacy (BASEL II & III) are shown as under:

(₹ In crore)

Particulars (Under BASEL – II)	31.03.2014		31.03.2015	
	Amount	CRAR (%)	Amount	CRAR (%)
Tier I Capital	26,248	7.56	29,864	8.23%
Tier II Capital	11,103	3.20	11,554	3.19%
Total Capital	37,351	10.76	41,418	11.42%
Risk Weighted Assets	347,014	-----	362,726	-----

(₹ In crore)

Particulars (Under BASEL – III)	31.03.2014		31.03.2015	
	Amount	CRAR (%)	Amount	CRAR (%)
Common Equity Tier-I Capital (CET 1)	23,771	6.84%	26,091	7.18%
Additional Tier-1	1,389	0.41%	3,618	1.00%
Tier I Capital	25,160	7.25%	29,709	8.17%
Tier II Capital	9,499	2.73%	9,289	2.56%
Total Capital	34,659	9.98%	38,998	10.73%
Risk weighted Assets	347,702	-----	363,523	-----

**AWARDS & ACCOLADES**

- ★ Bank received “**Best MSME Bank**” and “**Best Bank for Operational Performance**” awards.
- ★ Bank received “**Outlook Money Award**” for “**Best Home Loan Provider**” under Runner up category.
- ★ “**Financial Inclusion & Payment System Award**” by Elets Media at New Delhi at the hands of Minister of Rural Development.
- ★ Bank received “**PMJDY Excellence Award**” from Honorable Union Minister.
- ★ Bank received IBA Award for “**Best Financial Inclusion Technology Initiative**” from IDRBT.
- ★ Bank received Skoch Group “**Financial Inclusion Deepening Award**”.
- ★ Bank won “**IT excellence award**” by ETNOW and VMWare for effectively implementing Virtualization in the Bank.
- ★ Bank received the Award CIO100 2014 for the “**Product Startoken NG**”.
- ★ Bank received “**Best HR Technology award, 2014**” from Banking Frontiers at Mumbai.

**Redefining banking standard with Techno Enabled Services**

- ★ ATM – Member of National Financial Switch (NFS), Banks Customer can access more than 1,40,000 ATMs across the country.
- ★ All the Magnetic stripe cards which will be used at Merchant Establishment would require pin for purchase transaction as an additional security measure as per RBI.
- ★ Bank has launched chip based Debit and Credit cards.

- ★ BOI has enabled E-commerce transactions of Rupay platform.
- ★ Look and Feel of Internet Banking with two Factor Authentication Implemented for its clientele.
- ★ Online Term Deposit Facility with online nomination facility.
- ★ BOI e-Pay Payment of Utility Bills, Insurance Premia, Credit Card payments of Specified Banks Property Tax of Specified Municipal Corporations etc.
- ★ Digital Signage at branches
- ★ BOI ★ Sandesh – on – Line SMS based alerts for ATM Financial Transactions & Internet Banking Funds Transfer.
- ★ As per Finance Ministry Guidelines and recommendations our corporate web-site (English) has been enabled for persons with disabilities.
- ★ Hot listing / reset / unblock / change of Debit-cum-ATM Card pin using Internet Banking Password.
- ★ Self Service Kiosks – Bar-coded passbook printers.
- ★ Missed call facility to know the balance in SB/CD/OD accounts.
- ★ Online Deposit in PPF A/c using internet banking.
- ★ Introduction of IMT – Instant Money Transfer.
- ★ BOI ★ EazyPay – Person to Person Payment Solution launched.
- ★ Payment Gateway Solution.
- ★ mVisa - this is mobile to mobile payment solution from Person to Merchant.
- ★ PayWave – Tap and go (contactless payment system)
- ★ Introducing exclusive Youth Banking Solution with Infosys.
- ★ RuPay Platinum Debit Cards.
- ★ Closed User Group (CUG) Cards for leading hospitals – AIIMS Patna and Bhubaneswar.
- ★ IMPS facility through Branches.
- ★ Bill payment facility in Mobile Banking.
- ★ e-Wallet (similar to ICICI – Pocket and HDFC – Chillr).
- ★ Virtual Cards for e-commerce.

**DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT**

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2015:

- a) The applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied. Reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for the year ended March 31, 2015;
- c) Proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d) Annual accounts have been prepared on a going concern basis;
- e) Internal financial controls system to be followed by the Bank were laid down and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively;
- f) Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

## प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

### स्वदेशी आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2014-15 भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि उसने प्रमुख आर्थिक विधि को आगे ले जाने के लिए स्थायी राजनैतिक व्यवस्था का आविर्भाव होते देखा। केन्द्रीय सांख्यिकी संघटन द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2014-15 में 7.4% से वृद्धि होने का अनुमान है, जो वर्ष 2013-14 के लिए 6.9% की तुलना में अधिक है। वृद्धि की कहानी में प्रमुख अंशदान सेवा क्षेत्र का है जिसके साथ खनन एवं विनिर्माणी क्षेत्र द्वारा भी क्रमशः 3.50% और 5.40% की वृद्धि दर दर्ज की गई है।

ये उच्च वृद्धि दरें संशोधित कार्य-प्रणाली और आधार वर्ष को 2011-12 में परिवर्तन करने के कारण हैं। इससे हमारी राष्ट्रीय आय लेखांकन पद्धतियों को अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ पद्धतियों के बराबर ला दिया गया है। तथापि, जमीनी स्तर पर कोई दृष्टिगोचर बदलाव नहीं है। बैंक साख वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 10.5% पर मन्द पड़ी रहना जारी है। परियोजनाएं समय एवं बढ़ती लागतों के कारण प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा, अन्य प्रभावित करने वाले घटक जैसे निर्यात वृद्धि, आयात वृद्धि और औद्योगिक उत्पादन की सूचियां केन्द्रीय सांख्यिकी संघटन अंकों द्वारा चित्रित स्वस्थ चित्र को झूठलाती हैं। बैंकों के लिए आस्ति गुणवत्ता का दबाव बढ़ा है। अधिक से अधिक इन आँकड़ों को इस रूप में देखा जा सकता है कि उत्पादन अधिक सक्षमता से किया जा रहा है क्योंकि नए जीडीपी उपायों का सकल मूल्य वर्धित के रूप में नामकरण किया गया है। तथापि, यह संदेह से परे है कि 'कारोबार करने की सहजता' में सुधार के लिए तथा जीडीपी में विनिर्माण के हिस्से को बढ़ाने के लिए विशिष्ट प्रयासों की पहल की गई है। सभी वृद्धि मानक समय के अनुसार नियंत्रण में आना अपेक्षित है।

विदेशी संकेतकों के अनुसार अप्रैल 2015 के माह में व्यापार घाटा 11 बिलियन था, जो मार्च 2015 के 11.8 बिलियन की तुलना में कम था। वर्ष 2014-15 के लिए पूर्ण वर्ष का व्यापार घाटा 137 बिलियन था जो 2013-14 की तुलना में कुछ ही अधिक था। तथापि, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्यात में 15% की गिरावट थी, जबकि आयात में भी उसी परिणाम में गिरावट थी। आयातों में कमी वैश्विक क्रूड आईल मूल्यों में आयी तेज गिरावट के कारण थी। कम व्यापार घाटा कम चालू खाता घाटे की ओर ले जाता है। वस्तुतः यदि यह दौर जारी रहता है तो हम अल्पावधि के लिए अल्प चालू खाता अधिशेष का भी अनुभव कर सकते हैं। तथापि, हमारे व्यापार घाटे की गुणवत्ता से कुछ चिंता होनी चाहिए। कम निर्यात वैश्विक वृद्धि में मंदी के कारण हैं। तथापि, कम आयात का मतलब है कच्चे माल के लिए कम मांग का होना जो कमजोर वृद्धि का संकेत हो सकता है। निर्यात विदेशी मुद्रा संचयों का स्रोत हैं और जैसे ही निर्यात बढ़ता है, संचय कोष के संवर्धन के लिए विदेशी वित्तीय संस्थाओं के प्रवाह पर हमारी निर्भरता अनुपातिक रूप से कम होगी। इससे विदेशी जोखिम कम होगी। तथापि, भारतीय रूपया संभवतः स्थिर रहेगा जिससे आयातित मुद्रास्फीति कम होगी। निर्यात पर निर्भर टैक्सटाईल और तैयार कपड़े जैसे क्षेत्र सुदृढ़ रूपया और कमजोर वैश्विक मांग के सामूहिक प्रभाव के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं। क्रूड मूल्यों में कमी से पेट्रोलियम निर्यातों में कमी आएगी जिसमें कुल निर्यात अर्जन का 21% हिस्सा होता है। अन्य घाटा, राजकोषिय घाटा भी नियंत्रण के अधीन है क्योंकि इसे 4% पर रोक लिया गया है। अप्रैल 2015 के लिए प्रत्यक्ष करों पर अद्यतन डाटा आशावादी है जो सरकार के उधार कार्यक्रमों एवं प्रतिफलों के लिए शुभ संकेत है। यदि विनिवेश लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जाता है तो, निजी निवेश का 'हासकारी प्रभाव' होना संभवनीय नहीं है।

उद्योग में वृद्धि के मोर्चे पर, औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक माह मार्च 15 (अद्यतन डाटा) के दौरान, फरवरी 2015 के दौरान देखे गये 5% की तुलना में, 2.1% था। पूंजीगत वस्तुओं के प्रखंड में 7% वृद्धि हुई है लेकिन उपभोक्ता वस्तुओं के प्रखंड में आशाभंग जारी है। इससे यह दिखता कि मांग में अभी भी उत्थान नहीं है। निर्माण द्वारा भी जिसमें भार 75% है, 2.1% की मंद वृद्धि दर्शायी गई है। तथापि, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अत्यंत अस्थिर डाटा सीरीज है जो उसकी समझ को काफ़ी कठिन बना देता है। तथापि, महत्वपूर्ण यह है कि विनिर्माण क्षेत्र में जिसमें भार 75% है, वृद्धि कम है और उपभोक्ता वस्तुओं की वृद्धि निराशाजनक है। इससे यह दिखाई देता है

कि पूर्ण रूप से उत्थान अभी हुआ नहीं है। पूंजीगत वस्तुओं के प्रखंड में 7% वृद्धि है। तथापि, 2015 की चतुर्थ तिमाही के लिए कार्पोरेट आय इसके बिलकुल विरुद्ध है जो हमें यह अर्थ लगाने का निर्देशन करती है कि यद्यपि कार्पोरेट निवेश हो तो रहा है, लेकिन इससे अप्रयुक्त क्षमता बढ़ी है। बैंकिंग क्षेत्र के लिए इसका अर्थ स्वाभाविक है। ऋण वृद्धि में कमी करें और या आस्ति गुणवत्ता के और संकटों के लिए तैयार रहें।

थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फिति मार्च 15 में - 2.33% की तुलना में अप्रैल 15 में - 2.6% थी जबकि अप्रैल 2015 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (खुदरा) मुद्रास्फिति, 2012 के संशोधित आधार वर्ष के अनुसार, 4.87% थी। फरवरी 2015 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, पूर्व के 2.6% से संशोधित कर -2.17% किया गया। थोक मूल्य सूचकांक निरंतर रूप के पांचवें माह के लिए भी नकारात्मक प्रक्षेत्र में प्रविष्ट रहा जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी आरबीआई द्वारा निर्धारित 6% से कम रहा। दोनों सूचकांकों में से किसी में भी खाद्यान्न मुद्रास्फिति बहुत विशिष्ट रूप से कम नहीं हुई है। तथापि क्रूड में गिरावट का आधार प्रभाव सहित विशिष्ट प्रभाव पड़ा है। मूल मुद्रास्फिति या गैर खाद्यान्न उत्पादन मुद्रास्फिति भी नकारात्मक थी। तथापि, इसका तात्पर्य यह है कि कम औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को इंगित करते हुए, इसके कारण उत्पादिकों की मूल्य शक्ति का हास हुआ है। भारतीय रिज़र्व बैंक वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर दर में कटौती की अपेक्षाओं का संचालन करता है लेकिन खाद्यान्न मुद्रास्फिति पर मानसून के प्रभाव की उस आशय का निर्णय लेने से पूर्व व्यनग्रता से निगरानी की जाएगी। बॉड के प्रतिफल संकुचित सीमा में रहना अपेक्षित हैं। नये 10 वर्ष के बेंचमार्क का इस बीच में, मई 22, 2015 की एक नीलामी में 7.72% पर श्रीगणेशा हुआ है।

इस बीच, विदेशी मुद्रा संचय रिकार्ड 354 बिलियन हुआ है। भारत ने वर्ष 2014-15 के दौरान विदेशी मुद्रा संचय में 30 बिलियन से अधिक की विदेशी मुद्रा जूटाई है। 30 बिलियन मूल्य की आरक्षित वृद्धि एफसीएनआर स्वैप योजना के कारण और शेष स्पॉट एवं फारवर्ड डॉलर की सुनियोजित खरीद के माध्यम से आयी है। इससे निश्चित रूप से रुपये की तरलता को मुक्त करने से रुपये का अवमूल्यन हुआ है। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार 36 मुद्रा व्यापार भारत वास्तविक प्रभावी विनिमय दर 110.4 है, जो रुपये का अधिमूल्यन दर्शाता है और इसके नाममात्र मूल्य में अवमूल्यन का और मौका देता है।

उच्चतम विदेशी मुद्रा के संचय को बढ़ावा जब यू.एस. फेडरल रिज़र्व नीतिगत दरें बढ़ाएगा तो निधि के संभाव्य बाहर जाने के बदले सुरक्षा को ध्यान में रख कर दिया जा रहा है। दूसरा कारण है हमारी आयात सुरक्षा को बेहतर करना जो 1.5 वर्ष से गिरकर 7-8 माह हुई है। तथापि, यह जारी रहा हो तो भारतीय रुपये का, जब तक कि इन्हें अक्षम न किया जाए, रुपये की तरलता को जारी करने के कारण अवमूल्यन हो सकता है।

हाल ही में, भारत सरकार ने, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से, 'गोल्ड नकदीकरण योजना' का प्रारूप जारी किया है। पूर्व सीमा 500 ग्राम की तुलना में गोल्ड जमा 30 ग्राम से आरंभ होकर स्वीकार की जाएगी और पूर्व की गोल्ड जमा योजना का अधिक्रमण करेगी। स्वर्ण नकदीकरण योजना का आरंभ निष्क्रिय स्वर्ण बचत को प्राप्त करने हेतु किया गया है जिसके परिणामस्वरूप स्वर्ण आयात कम होना और चालू खाते का घाटा घटना अपेक्षित है। व्यक्तियों/मंदीरों न्यासों के पास निष्क्रिय पड़ा सोना लगभग 20000 टन होने का अनुमान है। बैंकों को इस सोने को आभूषण के लिए या पण्य एक्सचेंजों को ग्राहकों को बेहतर दरों को प्रस्तावित करने हेतु प्रोत्साहन के रूप में उधार देने के लिए भी अनुमत किया गया है। दी जानेवाली ब्याज दर की सोने में कीमत आंकना प्रस्तावित है। तथापि, इस योजना की सफलता ब्याज दर और क्या ग्राहक धारित सोना देने के लिए इच्छुक है, इस पर निर्भर रहेगी। वित्तीय समावेशन प्रयासों को और बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू जन-धन आधार मोबाइल (जेएम) त्रिमूर्ति 2014-15 के दौरान मुख्य आकर्षण का केन्द्र था।

### 2015-16 के लिए घरेलू अर्थव्यवस्था पर दृष्टिकोण

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा विनिर्धारित नई पद्धति के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2015-16 के लिए 7.5% की वृद्धि दर दर्शाना अपेक्षित है। प्रमुख विचारमंचों ने इसी प्रकार के अनुमान दिये हैं। तथापि, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रयुक्त पद्धति

ने उसकी अचूकता के संबंध में भिन्न-भिन्न राय प्रकट की गई है क्योंकि आईआईपी, आयात वृद्धि, निर्यात आदि जैसे संकेतक चलन के विपरीत रहे हैं। 'डिजिटल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' पहल का प्रारंभ किया गया। तथापि, स्थगित परियोजनाएं, भूमि अधिग्रहण और इंधन की सहलग्नता अभी भी चिंता का विषय है। वस्तु एवं सेवा कर, जिससे जीडीपी में 1% की वृद्धि की संभावना है, अभी भी कुछ दूरी पर है। निर्यात में कमी के चलते जीडीपी से 40 बीपीएस कम होना अपेक्षित है और सदोष आस्तियों में वृद्धि को ध्यान में रखते कुछ बैंक जोखिम उठाने के प्रति अनिच्छुक रहने की संभावना है जिससे वित्तीय वर्ष 2015-16 में कर्ज लेने में कमी आएगी।

राज्यसभा में पूर्ण बहुमत के अभाव में प्रमुख सुधारों जैसे भूमि अधिग्रहण, जीएसटी आदि का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ है जो वृद्धि पर असर डाल रहा है। तथापि, कार्यान्वयन में आनेवाली समस्याओं का समाधान होते ही, उसका वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा, अपितु कुछ समय बाद वित्तीय वर्ष 2016-17 के द्वितीय अर्धवर्ष में प्रभावकारी वृद्धि अपेक्षित है।

### बैंकिंग उद्योग

बैंकिंग क्षेत्र अभी तक आस्ति गुणवत्ता के संकट और परिणामस्वरूप लाभकारिता में कमी से बाहर नहीं आ पाया है। चतुर्थ तिमाही के लिए कार्पोरेट की कमजोर आय आस्ति की गुणवत्ता के दबावों की चिंताओं का समर्थन करती है। बैंकों के सकल एनपीए अनुपात वर्ष 2015-16 के लिए औसत 4.5% रहने की अपेक्षा है। पुनर्गठित आस्तियों के लिए की जाने वाली छूट को हटाने से, जो 1.4.2015 से प्रभावी है, बैंक की लाभकारिता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं कम लागत वाले आवास के लिए दीर्घकालिन परियोजना ऋणों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का सकारात्मक प्रभाव हुआ है। वित्तीय वर्ष 2015 की चतुर्थ तिमाही के दौरान कुछ कार्पोरेट ने इस सुविधा के तहत और अधिक कैश फ्लो का लाभ लिया है और ऋणों को अनर्जक आस्ति होने से बचाया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार पर नये दिशानिर्देश भी बैंकिंग क्षेत्र के लिए सकारात्मक हैं क्योंकि उनसे लक्ष्यों को सहजतापूर्वक प्राप्त होने में सहायता मिलती है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की उधार के विषयक्षेत्र को भी, अक्षय उर्जा परियोजनाओं को जिसके अंतर्गत शामिल करने के लिए व्यापक किया गया है। बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2014-15 में संसाधन संग्रहण की गति कुछ धीमी पड़ गई है। उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 15 के दौरान बैंक जमा वृद्धि औसत 12% रही है, जो बैंकिंग प्रणाली में सुविधाजनक तरलता और वैकल्पिक योजनाएं जैसे डाक घर जमारारिशियां एवं ईक्रीटी मार्केट की तुलना में अच्छे प्रतिफल के कारण रही है। विगत 51 वर्षों में जमावृद्धि की गति सर्वाधिक धीमी थी।

इस बीच साख की वृद्धि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर औसत 11% रही है। गैर खाद्यान्न बैंक ऋण वृद्धि इससे भी कम 9.5% थी। कम साख वृद्धि सामान्यतः मंदी के कारण निधि के लिए कम मांग का संकेत देती है। यह इस कारण से भी है कि कंपनियों ने सस्ते विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) का लाभ लिया है, जबकि कार्यशील पूंजी वित्तीय वर्ष के लिए वाणिज्यिक पेपर (सीपी) पंसदीदा मार्ग है। यह आँकड़े अन्य संकेतकों जैसे आईआईपी वृद्धि के अनुरूप ही है जो आम तौर पर कम वृद्धि, कम आयात एवं कमजोर उत्पादन वृद्धि की ओर संकेत करता है।

वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान बैंकिंग जगत में कई पहलों की गई हैं। एक प्रमुख पहल थी, पी.जे. नायक समिति द्वारा बैंक बोर्ड के नियंत्रण की समीक्षा के लिए की गई सिफारिश। इन सिफारिशों में, अन्य बातों के अलावा, शामिल था बैंक अध्यक्षों के लिए न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि और कार्यपालक निदेशकों के लिए न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि सुनिश्चित करना, मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक पद का विभाजन करना, प्रतिभाशाली लोगों की शिनाख्त करने के लिए पूर्व अभिकल्पित कार्मिक नीतियां बनाना, गैर-पूर्णकालिक निदेशक की अवधि को अधिकतम सात वर्षों के लिए प्रतिबंधित करना, बोर्ड के लिए संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया को अनुरूप करा कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों के कौशल एवं क्षमता का उन्नयन करना आदि। एक नयी तरीके की सिफारिश थी, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना करना। समिति ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तम पद्धतियों को भी अपनाया। सिंगापुर, यूके और बेल्जियम सहित कई देशों ने बैंकों में इक्रीटी को धारण करने हेतु मध्यवर्ती निवेश कंपनियों स्थापित की हैं।

परिचालनात्मक रूप से सरकार बैंकों से दूर है, जिससे सीधे हस्तक्षेप तथा उसका

होतोत्साहित होता है तथा इससे सरकार की भूमिका को बनाए रखने में सहायता मिलती है जिससे बैंकों के प्रधान शेरधारक प्रतिलाभ पर केन्द्रित रहते हैं। यद्यपि जब हम सबप्राइम पश्चात संकट की घटनाओं को देखते हैं जहाँ शासक हस्तक्षेप कर कई बैंकों को उभारते है जबकि उनमें से अधिकांश के पास शेर पूंजी नहीं होती है।

छोटे वित्त बैंकों तथा भुगतान बैंकों को न्यूनतम इक्रीटी पूंजी रु.100 करोड़ प्रत्येक के लिए दिशानिर्देश भी जारी हो चुका है। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ाना तथा अधिकतम बैंक ग्राह्यता को सुनिश्चित करना था। इन बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 75% उधार सुनिश्चित करना चाहिए तथा निर्धारित अवधि के लिए न्यूनतम 40% इक्रीटी अंशदान प्रवर्तक निवेश करें।

अन्य उपायों को भी अपनाया गया जिसका उद्देश्य भारत में बैंकिंग क्षेत्र के पुनर्निर्माण का लक्ष्य था। इस प्रबंध के अंतर्गत बैंकों के अशोध्य कर्ज को आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को बेचने की अनुमति दी गई। नकदी में 15% प्रारम्भिक भुगतान की व्यवस्था एआरसी के लिए भारी हो गए तथा बैंकों को बाध्य होकर अशोध्य कर्ज को अधिक छूट दर पर बेचना पड़ा। शेष राशि के बदले में जारी प्रतिभूति प्रामियों को अनिवार्यतः बाजार में उपयोग किया गया।

अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का दिशानिर्देश भारिबैं की एक मौलिक पहल थी जिसने अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को अपने कार्पोरेट ग्राहकों को प्रदान करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित किया। यू.एस. फेडरल रिज़र्व द्वारा दरों में वृद्धि की संभावना में एफआईआई निधि के अचानक बहिर्गमन की संभावना से करेन्सी मूल्य में अस्थिरता प्रमुख चिंता थी। इसमें कठिनाई थी कि अरक्षित विदेशी एक्सपोजर की मात्रा को कैसे सुनिश्चित किया जाए। अरक्षित एक्सपोजर उन कार्पोरेट के लिए सचमुच जोखिम भरा है जो बिना स्वाभाविक हेज के हैं। भारिबैं का अध्ययन कहता है कि औसत तौर पर कार्पोरेट हेज उनके एक्सपोजर का केवल 20% हैं, जो इस विषयक सावधानी का संकेत देता है। निवल मालियत के प्रतिशत के रूप में एकल/समूह कंपनी को दी जा सकनेवाली राशि पर प्रतिबंध लगाकर भारिबैं ने बृहद एक्सपोजर के लिए फ्रेमवर्क की घोषणा किया है। यह सकेन्द्रण जोखिम से बचने के लिए किया गया था।

दबावग्रस्त खातों के मामले से निपटने के लिए ज्वाइंट लेंडर्स फोरम (जेएलएफ) का गठन करने का बैंकों को अनुदेश एक प्रमुख कार्य है। बैंकों को अनुदेश दिया गया है कि दबावग्रस्त खातों को स्पेशल मेन्शन एकाउन्ट्स (एसएमए) में वर्गीकृत करें जैसे एसएमए -1 तथा एसएमए - 2 प्रवर्ग जिससे सुधारात्मक कार्य योजनाओं (कैप्स) को लिया जा सके तथा खातों का सुधार भी किया जा सके। यद्यपि, कभी-कभी यह अनुभव किया जाता है कि सुधारात्मक कार्य योजना के लिए समय बहुत कम है। इसके बावजूद भी, यह एक उल्लेखनीय कार्य है जो दबावग्रस्त खातों के अंतर्गत प्रगति की निगरानी प्रणाली को व्यवस्थित करने में बैंकों के सहायक हैं।

जानबूझकर चूककर्ताओं के संबंध में अलग से दिशानिर्देश जारी किए गए थे और प्रवर्तकों को और निवेश करने तथा दबाव होने की स्थिति में परियोजना में इक्रीटी और अधिक लाने को कहा गया।

अन्य नीतिगत मामलों में संचयी रूप से रेपो रेट में 50 बीपीएस की कटौती की गई और एसएसआर को घटाकर उसे एनडीसीएल के 21.5% तक लाया गया तथा सीआरआर अपरिवर्तित रहा। उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के अनुरूप निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा हटा दी गई। चलनिधि जोखिम से बैंक का बचाव सुनिश्चित करने हेतु चलनिधि कवरेज अनुपात पर नए मानक बनाए गए।

### 2015-16 हेतु बैंकिंग क्षेत्र की संभावनाएं

बैंकिंग क्षेत्र के कार्यनिष्पादन का सामान्यतः अर्थव्यवस्था के कार्यनिष्पादन से घनिष्ठ संबंध है। हालांकि अनुभव पर आधारित नियम यह कहता है कि 7.5-8% की जीडीपी वृद्धि, 18-20% क्रेडिट वृद्धि में परिलक्षित होनी चाहिए, परन्तु अब यह नियम सही नहीं है क्योंकि अनुमानित वृद्धि के आंकड़ों के अनुरूप वास्तविक वृद्धि नहीं हो पाई है। इसके अतिरिक्त, कार्पोरेटों को ईसीबी और वाणिज्यिक पत्र जैसे सस्ते स्रोतों की वजह से बैंक ऋणों की मांग भी कम होती है। इस परिदृश्य में 2015-16 हेतु ऋण वृद्धि 11-12% के बीच होने की संभावना है। जबकि जमा-वृद्धि 12-13% के बीच होने की संभावना है। आस्ति गुणवत्ता का दबाव बना रहेगा और मार्च

2016 के अंत तक सकल एनपीए 4.5% होने की संभावना है। 2015-16 की दूसरी छ:माही से वृद्धि में इजाफ़ा होगा जिससे वसूली बढ़ेगी और एनपीए कम होंगे, परन्तु तब तक आस्ति गुणवत्ता की चिंताएं बनी रहेंगी और ऋण-वृद्धि एवं जमा-वृद्धि में मंदी की प्रवृत्ति अपेक्षित है।

**वैश्विक परिदृश्य**

लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं मंदी से गुजर रही हैं। जबकि यू.एस ने क्वान्टिटेटिव ईसिंग बंद कर दिया है और फेडरल दर 0.25% रखा है, बैंक ऑफ़ जापान और यूरोपियन सेन्ट्रल बैंक ने और भी निधियों का निवेश किया है और क्वान्टिटेटिव ईसिंग का अपना वर्ज़न प्रवर्तित किया है। इससे भारत में भी निधि-प्रवाह बढ़ेगी जिससे भारत यहां के वर्द्धित ब्याज-दर के केरी ट्रेड प्रभाव का लाभ उठा पाएगा। चीन ने भी मॉनीटरी ईसिंग शुरू किया है और ब्याज दर को निम्नतम स्तर पर रखा है।

प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं द्वारा प्राप्त वृद्धि निम्नानुसार है।

देश/ज़ोन	जीडीपी वृद्धि दर						संबंधित केन्द्रीय बैंकों द्वारा पालिसि दरें
	क्यू3 2013	क्यू 4 2013	क्यू 1 2014	क्यू 2 2014	क्यू 3 2014	क्यू 4 2014	
यू.एस.ए.	4.1	3.5	-2.1	4.6	5.0	2.2	0.00-0.25
यू.के.	2.4	2.3	3.0	3.1	3.5	3.0	0.50
यूरो ज़ोन	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.9	0.05
जापान	1.0	0.5	6.7	-7.1	-1.6	2.2	0.0-0.10
चीन	7.5	7.4	7.3	7.5	7.3	7.0	5.10

स्रोत : द इकॉनॉमिस्ट मैगज़ीन

यू.एस. मंदी की दौर में है जबकि यूरो ज़ोन की हालत धीरे-धीरे सुधार रही है। वर्ष 2015 की चौथी तिमाही में यू.एस. अर्थनीति में 2.2% की दर से वृद्धि हुई जो पूर्ववर्ती तिमाहियों की तुलना में गिरावट दर्शा रही है। यद्यपि बेरोजगारी दर में 5.4% की कमी आई है डॉलर के अधिमूल्यन और निर्यात में कमी के कारण वृद्धि धीमी रही। यूरो ज़ोन में औद्योगिक और सेवा गतिविधियों में धीरे-धीरे गति पकड़ने के कारण 0.9% वृद्धि दर्शायी है। इन क्षेत्रों में धीमी वृद्धि के कारण ही भारतीय निर्यात में भी मंदी का दौर रहा। यद्यपि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर डाटा में आईएनआर (रुपया) का मूल्य अधिक मूल्य दर्शा रहा है और इसे सुस्त पड़े निर्यात का संभाव्य कारण माना जा रहा है, तथापि निर्यात में कमी के लिए वैश्विक मांग का कम होना एक महत्वपूर्ण कारण है। यदि मांग में सुधार नहीं होता है तो निर्यात की धीमी गति कायम रहेगी।

घटे हुए मुद्रास्फीति की प्रतिक्रिया में यूरोपीयन सेन्ट्रल बैंक ने 50 बीपीएस की दर से बेंचमार्क घटाकर 0.05% किया है और ज़माराशि पर ब्याज दर को ईसीबी के नेगेटिव टेरीटॉरी में -0.20% पर पार्क किया है। इसका उद्देश्य उधार देने को प्रोत्साहित करना था। 60 बिलियन यूरो मूल्य का क्वान्टिटेटिव ईसिंग भी छोड़ा गया। इसका लक्ष्य था मुद्रास्फीति दर को 2% में रखना। नवीनतम डाटा में दर्शाया गया है कि यूरो ज़ोन का मुद्रास्फीति दर मार्च 2015 के लिए -0.6% से बढ़कर अप्रैल के लिए 0% है।

मई 2015 में यूएस फेडरल रिज़र्व द्वारा जारी कार्यवृत्त में दर्शाया गया है कि दर को बढ़ाने के समय के बारे में वे सजग हैं। यह डर है कि दर बढ़ाने से वृद्धि की गति धीमी हो जाएगी। 2% के आधिकारिक लक्ष्य से कम मुद्रास्फीति एक और कारण है जिसके लिए दर बढ़ाने के समय को लेकर सज़ग हैं। तथापि एक पृथक टिप्पणी में फेडरल के अध्यक्ष जेनट येलन ने कहा है कि वे कैलण्डर वर्ष के अंत तक रेट बढ़ाने के लिए तैयार हैं।

ग्रीस की वित्तीय परिस्थिति का संकटपूर्ण रहना जारी है जिसके कारण यूरो ज़ोन से निकास ('Grexit') पर विचार चल रहा है। जर्मन बांड के प्रतिफल में वृद्धि का प्रवाह है जो पिछले सप्ताह के दौरान 50 बीपीएस बढ़कर 0.74% पर पहुँचा। यूरो ज़ोन में मुद्रास्फीति निम्नतम बिन्दु में होने की आशा, जर्मन बांड के प्रतिफल में वृद्धि का मुख्य कारण है। इसके कारण यू.एस. ट्रेज़री प्रतिफल में भी वृद्धि हुई है।

यदि यू.एस. फेड द्वारा दर को बढ़ाया भी जाता है इसका प्रभाव भारत पर अधिक नहीं होगा क्योंकि हमारे फॉरेक्स रिज़र्व में 354 बिलियन है। वस्तुतः ऋण का खण्ड दर के बढ़ाये जाने पर संवेदनशील है और ऋण में मिश्रित एफआईआई (जी-सेक्टर और कार्पोरेट बांड) की धारिता करीब 68 बिलियन है जबकि इक्विटी खण्ड के तहत बकाया बहुत अधिक 330 बिलियन है। इसके अलावा आउटफ्लो होने पर भी विदेशी मुद्रा की निधि कुशन का काम करेगी। अतः दर को बढ़ाने का समाचार हमारे बाज़ार को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करेगा।

यू.एस. फेड द्वारा पिछले दर की बढ़ोत्तरी के समकालीन हमारे इक्विटी बाज़ार के कार्यनिष्पादन के संबंध में अनुभवजन्य बात यह है कि दर बढ़ने से बहुत अधिक आउटफ्लो नहीं होता है।

तथापि, इन क्षेत्रों में धीमी गति का हमारे निर्यातों पर विपरित प्रभाव डालने की संभाव्यता है। यू.एस.के विकास में मंदी हमारे सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर भी विपरित प्रभाव डाल सकती है।

**वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए दृष्टिकोण**


सभी प्रमुख केन्द्रीय बैंकों ने क्वान्टिटेटिव ईसिंग को छोड़ा है और वर्ष 2015-16 में इन उपायों के परिणाम दिखेंगे। तथापि यह अपेक्षित है कि वैश्विक वृद्धि 3% के आसपास होगी क्योंकि चीन, एशिया का प्रमुख पाँवर हाउस, निर्यात में मंदी के कारण गति धीमी होगी। एक नज़र रखने वाली घटना यह है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के प्रतिस्पर्धी के रूप में ऊभरे समरूप संस्था बीआरआईसी बैंक और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की स्थापना। यह दोनों प्रतिस्पर्धी न होकर सहवर्ती होकर रहें यह भी दिलचस्पी वाली बात होगी। भारत का भी बीआरआईसीएस बैंक में प्रमुख हिस्सा है और इसका पहला अध्यक्ष भारतीय है। एशिया में आधारभूत संरचना में निधियन को इन दो संस्थाओं से काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा और जब तक ब्रेटन वूड्स ट्रिन्स अपने आप को रीवैम्प नहीं करते हैं, वैश्विक स्तर पर उनका औचित्य घटने वाला है।

वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था के संबंध में बताए गए उपर्युक्त परिदृश्य वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान हमारे बैंकिंग क्षेत्र का रुख तय करेगा।

**कारोबार समीक्षा**

**जमाराशियाँ**

वर्ष के दौरान 11.52% के विकास दर को दर्ज करते हुए बैंक की कुल जमाराशियाँ ₹ 54,933 करोड़ बढ़कर ₹ 5,31,907 करोड़ हुईं। पिछले वर्ष के मुकाबले घरेलू जमाराशियों में विकास दर ₹ 34,410 करोड़ अथवा दर 9.46 % रहा।




बचत बैंक जमाराशियाँ 10.62% बढ़ी और चालू जमाराशियों में 1.82% की कमी दर्ज की गई। बचत एवं चालू जमाराशियों की मिली जुली कम लागत जमाराशियों का हिस्सा कुल घरेलू जमाराशियों के 29.48% रहा। बैंक की जमाराशियाँ आधार सुसंतुलित रहा जिसमें 13% जमाराशियाँ ग्रामीण विस्तारों से, 14% अर्ध शहरी क्षेत्रों



से, 20% शहरी क्षेत्रों से एवं 53% महानगर क्षेत्रों से प्राप्त हुई। 31 मार्च 2015 को बैंक का कुल ग्राहक आधार 78.65 मिलियन रहा जिसमें 72.76 मिलियन जमाकर्ता एवं 5.89 मिलियन उधारकर्ता हैं।

#### अग्रिम

वर्ष के दौरान 9.26% की बढ़ती के साथ बैंक का सकल अग्रिम ₹ 3,76,228 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,11,727 करोड़ हो गया। पिछले वित्तीय वर्ष 2013-14 में 29.52% वृद्धि दर की तुलना में बैंक का सकल घरेलू ऋण 9.56% की वृद्धि दर्ज किया जो 31.03.2014 को ₹ 2,64,260 करोड़ से 31.03.2015 को ₹ 2,89,515 करोड़ रही।



बृहद कार्पोरेट, मध्य कार्पोरेट, रिटेल, एसएमई तथा कृषि क्षेत्र में समयानुसार मंजूरी तथा तत्काल संचितरण ऋण वृद्धि में सहायक रहे। वित्तीय वर्ष के दौरान कार्पोरेट क्षेत्र की क्रेडिट आवश्यकताओं में कमी आई है तथा क्रेडिट सीमा का उपयोग भी कम किया गया है। चालू वर्ष के दौरान बैंक ने भी रिटेल और एसएमई पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जहां प्रतिफल अधिक था और जोखिम का विविधीकरण था।

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने 101 नए कार्पोरेट ग्राहकों को जोड़ा। बैंक ने 10 बृहद कार्पोरेट बैंकिंग शाखाओं, 41 मध्य कार्पोरेट शाखाओं के द्वारा कार्पोरेट/मिड कार्पोरेट की विशेषीकृत आवश्यकताओं की पूर्ति की। रिटेल, एसएमई तथा कृषि के अन्य ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति 4891 घरेलू शाखाओं से की जा रही है। 5 महाद्विपों में बैंक के 56 विदेशी केन्द्र हैं जो निर्यातकों तथा विदेशी ग्राहकों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

#### मूलभूत सुविधाएं वित्तपोषण

वर्ष के दौरान, नए तथा वर्तमान खाते में अतिरिक्त मंजूरी द्वारा मूलभूत सुविधा परियोजना के अंतर्गत उर्जा, दूरसंचार, रोड, बंदरगाह तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं को कवर करते हुए बैंक ने पूंजी आधारित सीमा का ₹ 12,169 करोड़ तथा गैर पूंजी आधारित सीमा का ₹ 2,358 करोड़ स्वीकृत किया। इस क्षेत्र में बैंक का सहयोग जारी रहा तथा अतिरिक्त ₹ 6,658 करोड़ का संचितरण हुआ जिसमें ₹ 6,539 बिजली क्षेत्र को और ₹ 1,065 सड़क और बंदरगाह परियोजनाओं को दिया गया। टेलीकॉम तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं ने नकारात्मक क्रेडिट वृद्धि दर्शाया है।

#### कार्पोरेट ऋण

कार्पोरेट ग्राहकों को बैंक की विशेषीकृत शाखाओं के द्वारा ऋण प्रदान किया जा रहा है जो सकल घरेलू ऋण का 54% योगदान देते हैं। प्रमुख शहरों में 10 बृहद कार्पोरेट शाखाएं स्थित हैं जो देश के प्रमुख कार्पोरेट - मुंबई, नई दिल्ली 4, कोलकाता, चेन्नै, बंगलूरु, हैदराबाद, अहमदाबाद तथा पुणे को सेवाएं प्रदान करती हैं। उक्त- सहित शेष प्रमुख कारोबार को 41 मिड कार्पोरेट शाखाएं पूरा कर रही हैं।

अन्य केन्द्रों में कोर्पोरेटों की सेवा के लिए 30 एसएमई सिति सेंटर हैं जो क्रेडिट प्रोसेसिंग सेल से सज्जित हैं।

#### बृहद कार्पोरेट

कुल घरेलू अग्रिम में बृहद कार्पोरेट शाखाओं के जरिए यथा 31.03.2015 को अग्रिम का शेयर 41% है। एलसीबी के द्वारा कार्पोरेट क्षेत्र में अग्रिम 31.03.2014 को

₹ 1,10,651 करोड़ से बढ़कर 31.03.2015 को ₹ 1,19,675 करोड़ हो गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.16% वृद्धि है। बृहद कार्पोरेट शाखाएं उन बृहद कार्पोरेटों को सेवाएं प्रदान करती हैं जिसकी कुल बिक्री कारोबार ₹ 500 करोड़ से अधिक है, 100 करोड़ से अधिक परियोजना लागत तथा मूलभूत सुविधाएं, एनबीएफसी तथा पीएसयू है। इसपर विशेष ध्यान देने के लिए तथा प्रतिवर्तन काल कम करने के लिए प्रत्येक एलसीबी में क्रेडिट प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किया गया है जो सीधे प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट करता है।

कार्पोरेट की अन्य आवश्यकताओं जैसे नकदी प्रबंधन, फॉरेक्स, कोषागार उत्पाद, ट्रेड वित्तपोषण, जमाराशियां, खुदरा बैंकिंग तथा तृतीय पक्ष उत्पाद जैसे बीमा तथा म्यूचुअल फंड में निवेश की पूर्ति के लिए एक संपर्क बिन्दु के रूप में संपर्क प्रबंधक की सुविधा प्रदान की गई है। जोखिम की कमी को सुनिश्चित करने के लिए ऋण प्रसंस्करण तथा संपर्क प्रबंधक की भूमिका को पृथक करके उनकी रिपोर्टिंग क्रेडिट टीम लीडर तथा शाखा प्रबंधक को की गई है।

बृहद कार्पोरेट शाखाओं में प्रसंस्कृत ऋण प्रस्ताव सीधे महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय, बृहद कार्पोरेट को भेजा जाता है। इससे प्रतिवर्तन काल में कमी आई है। प्रधान कार्यालय स्तर पर तथा साथ ही साथ बृहद कार्पोरेट शाखाओं के लम्बित प्रस्तावों/संदर्भों के निगरानी के लिए बैंक ने सिस्टम निर्मित किया है। प्रमुख उद्योग/सेवा क्षेत्रों जैसे मूलभूत संरचनाएं, स्टील, वस्त्र, एनबीएफसी, पीएसयू आदि के कार्पोरेटों को इन बृहद कार्पोरेट शाखाओं द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।

#### मिड कार्पोरेट

संपूर्ण औद्योगिक विकास में मिड कार्पोरेट की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए बैंक ने अलग वर्टिकल बनाने का निर्णय लिया तथा बैंक में 7 डिविजनल कार्यालय तथा 41 मिड कार्पोरेट शाखाएं हैं। केवल प्रस्तावों के प्रसंस्करण के लिए 12 ऋण प्रसंस्करण केन्द्रों (सीपीसी) की स्थापना की गई। इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए मिड कार्पोरेट वर्टिकल की स्थापना की गई जो कम जोखिम में उच्चलाभ प्रदान करता है। मिड कार्पोरेट शाखाएं ₹ 100 करोड़ से ₹ 500 करोड़ के मध्य कुल बिक्री कारोबार तथा ₹ 10 करोड़ से ₹ 100 करोड़ के बीच परियोजना लागत वाले मिड कार्पोरेट को सेवाएं प्रदान करती हैं जो बुलियन तथा डायमंड क्षेत्र के ग्राहकों के अतिरिक्त है। कुल घरेलू ऋण पोर्टफोलियो में 13% का योगदान मिड कार्पोरेट वर्टिकल का होता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान मिड कार्पोरेट शाखाओं के अंतर्गत कुल ऋण ₹ 34,923 से बढ़कर ₹ 38,345 करोड़ हो गया तथा 9.80% की वृद्धि दर्ज किया।

#### परियोजना वित्तपोषण तथा सिंडिकेशन

बैंक में परियोजना वित्तपोषण तथा सिंडिकेशन समूह में उच्च अनुभवी तथा शिक्षित प्रोफेशनल कार्यरत हैं। यह मूलभूत संरचनाओं तथा औद्योगिक परियोजनाओं के प्रस्तावों पर कार्य करते हैं। यह तकनीकी अप्रेजल, अन्डरराइटिंग तथा ऋण सिंडिकेशन का कार्य करता है। वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 6,600 करोड़ के परियोजना लागत और ₹ 4000 करोड़ के सिंडिकेशन ऋण का वित्तीय क्लोजर किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेशन ऋण के लिए बैंक मैनेडेटेड लीड अरेन्ज (एमएलए) तथा ज्वाइंट बुक रनर (जेबीआर) के रूप में भी कार्य करता है तथा उद्योग के व्यापक रेंज को कवर करते हुए भारतीय कार्पोरेट के विस्तार/अधिग्रहण तथा संयुक्त उद्यमों के लिए ऋण की व्यवस्था करता है। टेक्निकल अप्रेजल विभाग जो सिंडिकेशन टीम को सहयोग प्रदान करती है वह सिंडिकेशन ऋण के अतिरिक्त औद्योगिक ऋण का मूल्यांकन करता है। इस टीम में प्रोफेशनल इंजिनियर रहते हैं जो वर्ष के लिए प्रौद्योगिकी संबंधित जोखिम का मूल्यांकन करते हैं तथा बैंक को औद्योगिक आस्तियों की गुणवत्ता विकास में समर्थ बनाते हैं। इस विभाग के परिचालन ने वर्ष के लिए ₹ 13.13 करोड़ का फीस आधारित आय अर्जित किया।

#### नया कारोबार विभाग

नया कारोबार विभाग की स्थापना जनवरी 2014 में की गई थी और उसका उद्देश्य ऐसे पीएसयू, मिड एवं लार्ज कार्पोरेटों के साथ कारोबारी रिश्ता स्थापित करना था जिनके साथ हमारा कोई कारोबारी रिश्ता न हो और उन्हें अनेकों बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद तैयार करना, आदि था। इस विभाग का नेतृत्व एक महाप्रबंधक करते हैं।

यह विभाग अनेकों सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्यमों के साथ कारोबारी रिश्ता बनाने में सफल रहा है। अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ऋण वितरण में अत्यधिक

वृद्धि हुई है। एक मध्यावधि योजना के रूप में, नया कारोबार विभाग ने एक नई योजना कार्यान्वित की है जिसका उद्देश्य मिड एवं लार्ज कॉर्पोरेट खण्ड के ज़्यादा से ज़्यादा नए ग्राहक अर्जित करना है। विभाग ने लगभग 1200 कॉर्पोरेटों के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया है और उन्हें हमारे सभी मिड एवं लार्ज कॉर्पोरेट तथा आंचलिक कार्यालयों को परिचालित किया है ताकि वे कॉर्पोरेटों की भौगोलिक उपस्थिति के अनुरूप उनसे प्रारंभिक संपर्क स्थापित करें।

#### संव्यवहार बैंकिंग विभाग

##### बैंक की डिपॉजिटरी सेवाएं

सभी शाखाओं द्वारा कोर बैंकिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए बैंक के ग्राहकों को डिपॉजिटरी सेवाएं दी जा रही हैं। बैंकिंग सेवाओं की उपयोगिता बढ़ाने तथा डिपॉजिटरी सेवाओं के विभिन्न फायदों को उपलब्ध करवाने के लिए बैंक दोनों यथा एनएसडीएल तथा सीडीएसएल डिपॉजिटरी सेवाओं को प्रदान कर रहा है। बेहतर सेवा देने के लिए डीपी परिचालन को मुंबई में केन्द्रीयकृत किया गया है।

हमारे डीपीओ में सक्रिय डीमैट खातों की संख्या 31.03.15 में 94225 है। वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने सकल आय ₹ 45 लाख की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान अर्जित सकल आय ₹ 346 लाख है। कुल 2702 नये खाते वर्ष 2014-15 में खोले गए हैं।

##### स्टार शेयर ट्रेड (शेयर की ऑन लाइन ट्रेडिंग)

पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग (ओएलएसटी) स्टॉक मार्केट के निवेशकों के मध्य लोकप्रियता प्राप्त कर रही है और सौदों की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। हमारे ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने और उन्हें मास की क्लिक पर ट्रेडिंग की सहूलियत उपलब्ध करवाने हेतु, फोन पर सौदे करने की सुविधा देने के विचार से बैंक ने तीन स्टॉक ब्रोकरों मेसर्स असित सी. मेहता इनवेस्टमेंट इन्टरमीडियेट्स (एसीएमआईआईएल) लि., मेसर्स अज्कोन ग्लोबल सर्विसेस लि., मेसर्स जीईपीएल कैपिटल के साथ गठजोड़ व्यवस्था कर अपने ग्राहकों के लिए बैंक खाता, डीमैट खाता एवं ट्रेडिंग खाता को एकीकृत कर स्टार शेयर ट्रेड (आनलाइन ट्रेडिंग सुविधा) प्रारंभ की है। ओएलएसटी सुविधा वर्ष 2005 से उपलब्ध करवाई जा रही है। यह सुविधा हमारे एनआरआई ग्राहकों को आईपीओ भरने के लिए भी उपलब्ध है।

##### एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लाकड एमाउंट (एएसबीए)

बैंक सेबी में स्वीय प्रमाणित सिंडिकेट बैंक (एससीएसबी) के रूप में पंजीकृत है और एएसबीए के अंतर्गत प्राप्त आईपीओ आवेदन (प्रत्यक्ष आवेदन) हमारी नामित शाखाओं द्वारा संसाधित किए जाते हैं। सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार हमारी सभी शाखाएँ एएसबीए के तहत आवेदन स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हैं। बैंक की स्टॉक एक्सचेंज शाखा आसबा की नोडल शाखा के रूप में कार्य कर रही है। उपर्युक्त नामित शाखाओं के अतिरिक्त अन्य सभी शाखाओं के ग्राहक जिन्होंने इन्टरनेट बैंकिंग सुविधा ली है वे स्टार कॉनेक्ट रिटेल इंटरनेट बैंकिंग से एएसबीए आईपीओ में ऑनलाइन बिड सह आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

निम्नलिखित निवेशक एएसबीए के माध्यम से आईपीओ हेतु आवेदन करने के लिए पात्र है :

- पब्लिक इश्यू में : सभी निवेशकर्ता सार्वजनिक निर्गम में एएसबीए के माध्यम से आवेदन करने हेतु पात्र है।
- राइट इश्यू में : जारीकर्ता कंपनी के सभी शेयरधारक रिकार्ड तारीख पर जारी करते हैं, बशर्ते कि वह :
  - डिमेंट फॉर्म में शेयर धारण करता हो और पात्रता के लिए आवेदन और/अथवा अतिरिक्त शेयर्स डिमेंट फॉर्म जारी के लिए आवेदन किया हो
  - निर्गम का उसने त्याग न किया हो
  - उसकी पात्रता पूर्ण/आंशिक रूप से त्याग न दी गई हो

##### अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

5 महाद्विपों और 22 देशों में उपस्थिति के साथ, बैंक लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, सिंगापुर और हॉन्गकॉन्ग जैसे सभी प्रमुख वित्तीय केंद्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। यथा 31 मार्च, 2015, बैंक का 56 विदेशी कार्यालयों का नेटवर्क है जिसमें 5 प्रतिनिधि कार्यालय, 5 अनुषंगी और 1 संयुक्त उद्यम शामिल हैं। सभी केंद्रों को फिनेकल प्लैटफॉर्म के साथ जोड़ दिया गया है जिससे प्रबंधन सूचना प्रणाली एवं ग्राहक सेवा में सुधार आया है।

बहु-मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय समूहन ऋण के लिए बैंक मैडेडेड लीड अरेंजर (एमएलए) एवं जॉइंट बुक रनर (जेबीआर) के रूप में कार्यरत है और बैंक ने उद्यमों की विशाल शृंखला को कवर करते हुए भारतीय कॉर्पोरेट के लिए उनके विस्तार/अधिग्रहण और संयुक्त उद्यमों हेतु यूएसडी, जेपीवाई, यूरो और जीबीपी मुद्रा में ऋणों की आपूर्ति की है।

मुंबई में बैंक का एक वैश्विक धनप्रेषण केंद्र (जीआरसी) है। आवक विप्रेषण और अनिवासी भारतीय ग्राहकों के एनआईडएनआरओ खाते खोलना जीआरसी में केंद्रीकृत किया गया है। जमाराशि एवं धनप्रेषण में अनिवासी ग्राहकों की सेवा के लिए, खाड़ी के देशों से किए गए धनप्रेषण के लिए धनप्रेषण एवं लाभार्थी को एसएमएस अलर्ट सुविधा का आरंभ किया गया है। शीघ्र धनप्रेषण के लिए सीधा प्रत्यक्ष प्रसंस्करण (एसटीपी) को भी लागू किया गया है।

31 मार्च 2015 को विदेशी शाखाओं में सकल जमाराशि ₹ 1,33,907 करोड़ रही, जिसमें पिछले वर्ष के मुकाबले ₹ 20,523 करोड़ (18.10%) की वृद्धि दर्ज हुई। कुल अग्रिम ₹122211 करोड़ रहे जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 10,242 करोड़ (9.15%) की वृद्धि दर्ज हुई। निवेश ₹ 4,803 करोड़ रहा। मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए विदेशी शाखाओं का परिचालन लाभ ₹1,995 करोड़ रहा जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 564 करोड़ की वृद्धि दर्शाई है। मार्च 2014 की तुलना में निवल लाभ ₹ 595 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹1,264 करोड़ हुआ।

##### बुलियन बैंकिंग

नवम्बर 1997 में बैंक द्वारा बुलियन बैंकिंग का आरंभ किया गया। प्रारंभ में इस योजना को सीपज़ और अहमदाबाद शाखा में शुरु किया गया था और बाद में अन्य शाखाओं में भी शुरु किया गया। आज की तारीख में, वैसे तो 9 शाखाएं बुलियन कारोबार के लिए प्राधिकृत हैं, परंतु केवल 4 शाखाएं कारोबार कर रही हैं। आभूषणों के निर्यातकों एवं घरेलू जोहरियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परेषण आधार पर सोना प्राप्त किया जाता है। बैंक ने वर्ष 2014-15 में ₹ 4,554.21 करोड़ के टर्नओवर के साथ 17614 किलोग्राम सोने की बिक्री की, जिससे ₹ 34.58 करोड़ की आय अर्जित की। वर्ष के दौरान आय अर्जन में 12.01% की वृद्धि दर्ज हुई।

##### निर्यात क्रेडिट

आयातकों एवं निर्यातकों की घरेलू एवं विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करना हमारे बैंक का एक प्रमुख क्षेत्र है। अब तक देशभर में बैंक की 217 शाखाएं विदेशी विनिमय कारोबार करने एवं आयातकों एवं निर्यातकों के ऋण/विदेशी विनिमय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राधिकृत हैं। यथा 31 मार्च, 2015 को बैंक का निर्यात ऋण मार्च-2014 की तुलना में ₹ 490 करोड़ अर्थात् 4.46% की कमी दर्ज करते हुए ₹ 10,503 करोड़ रहा। इस अवधि के दौरान हमारे देश के निर्यात में भी गिरावट आई है। यथा 31 मार्च, 2015 बैंक के निवल समायोजित ऋण में निर्यात ऋण का हिस्सा 3.58% रहा।

निर्यातकों एवं गैर-निर्यातकों की वित्तीय आवश्यकताओं को बैंक की ओवरसीज़ शाखाओं में ईसीबी एवं घरेलू शाखाओं में विदेशी मुद्रा ऋणों के माध्यम से पूरा किया जाता है। 31 मार्च, 2015 को ऐसे अग्रिमों की कुल राशि यूएसडी 2,345.07 मिलियन (जिसमें यूएसडी 1989.07 मिलियन की ईसीबी और यूएसडी 356 मिलियन का विदेशी मुद्रा ऋण शामिल है) रही जो भारतीय ₹ 12,431.71 करोड़ के समान है। बैंक ने विदेशी मुद्रा में पूर्व-लदान और लदान पश्चात निर्यात ऋण को भी विस्तृत किया है और 31 मार्च, 2015 को बकाया राशि यूएसडी 649 मिलियन (₹ 4,025 करोड़ के समान) थी।

##### फोरेक्स कारोबार

बैंक द्वारा किए गए फोरेक्स कारोबार में अच्छी खासी वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2014-15 के दौरान, मर्चेट और इंटर बैंक टर्नओवर क्रमशः ₹ 1,98,400.06 करोड़ और ₹ 5,47,056.33 करोड़ था। बैंक फोरेक्स कारोबार में अब भी अग्रणी है। वर्ष के दौरान बैंक की कोषागार शाखा का कुल टर्नओवर ₹ 7,45,456.39 करोड़ था।

##### ट्रेजरी निवेश

बेंचमार्क 10 वर्ष सरकारी प्रतिभूति पर आय जो 31 मार्च, 2014 को 8.80% थी यथा दिनांक 31.03.2015 को सुधरकर 7.74 % हो गयी। तथापि वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों की आय अत्यधिक अस्थिर रही तथा यह 9.10% से 7.65% के विस्तृत दायरे में रही। हमारे बैंक ने ब्याज आय तथा बाजार जोखिम के बीच संतुलन कायम रखते हुए निवेश के उच्च स्तर बनाए रखे। हमारे बैंक ने समय-समय पर

विनियामक ज़रूरतों से अधिक एसएलआर बनाए रखा है ताकि अतिरिक्त एसएलआर का उपयोग, रेपो/ सीबीएलओ विंडो से उधार के लिए, किया जा सके। यथा 31.03.2015, एसएलआर आवश्यकता, निवल मांग एवं मियादी देयताओं का 21.50% है। हमारा कुल एसएलआर निवेश ₹ 1,01,917 करोड़ (कुल निवेश का ₹ 87.80%) तथा गैर एसएलआर निवेश ₹ 14,162 करोड़ (कुल निवेश का 12.20%) रहा। इस संबंध में बोर्डद्वारा अनुमोदित व्यापक नीति के अनुरूप निवेश किए गए हैं। बाजार की गतिविधियों / विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप नीति की आवधिक समीक्षा की जाती है।

**ट्रेजरी परिचालन**

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने बाजार के सभी क्षेत्रों अर्थात निधियों, फॉरेक्स तथा बांड्स में सक्रिय भूमिका निभाई है। सरकारी प्रतिभूतियों की दर गतिविधि से लाभ लेते हुए बैंक ने अपने निवेश संविभाग को सुधारा तथा प्रतिभूतियों की बिक्री एवं व्यवसाय से लाभ अर्जित किए। बैंक ने वर्ष 2013-14 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रतिभूतियों की बिक्री से लाभ में 26.12 % वृद्धि दर्ज की है। बैंक ने विविध बाजार क्षेत्रों के मध्यत अंतरपणन अवसर का लाभ उठाया है जिससे जमा प्रमाण-पत्र (सीडी), विदेशी विनिमय स्वैप की खरीद/बिक्री, मियादी मुद्रा बाजार में अधिक रुपया निधि रख पाया जिससे 0.50% से 1.00 % का स्प्रेड प्राप्त हुआ।

**नैशनल बैंकिंग ग्रुप : ग्रामीण बैंकिंग**

**1. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम:**

प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम बड़ा कारोबारी मौका प्रदान करने के अलावा, व्यापक सामाजिक जिम्मेदारियां भी प्रदान करते हैं। बैंक ग्रामीण एवं अर्धशहरी शाखाओं के अपने व्यापक नेटवर्क एवं समर्पित कार्मिकों के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और कृषि क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने में अग्रणी रहा है। बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ₹ 94,572 करोड़ का उत्कृष्ट स्तर दर्ज किया है जो समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी ) का 35.20% है।

विशेष कृषि ऋण योजना के अंतर्गत बैंक वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 27,556 करोड़ का संवितरण कर सका। विभिन्न खंडों के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों की स्थिति निम्नलिखित है:

(राशि ₹ करोड़ में)

	यथा 31 मार्च		वृद्धि	
	2014	2015	राशि	प्रतिशत
1. कृषि	40,211	43,183	2,972	7.39
2. लघु उद्यम	35,503	39,822	4,319	12.16
3. शिक्षा	2,597	2,872	275	10.59
4. आवास	7,517	8,374	857	11.40
5. अन्य	332	321	-11	-3.31
<b>कुल प्राथमिकता क्षेत्र</b>	<b>86,161</b>	<b>94,572</b>	<b>8,411</b>	<b>9.76</b>

**2. केंद्रित जिलों में केंद्रीय प्रसंस्करण केन्द्र**

कृषि ऋण में वृद्धि और ऋण प्रस्तावों की मंजूरी / संवितरण में टर्नअराउंड समय को कम करने के उद्देश्य से चयनित अंचलों में केंद्रीय प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। अब तक विभिन्न अंचलों/ राज्यों में 43 सीपीसी कार्यरत हैं।

**3. किसान क्रेडिट कार्ड:**

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य कृषकों को उनकी कृषि आवश्यकताओं के साथ-साथ गैर-कृषि गतिविधियों को पूरा करने के साथ यह भी उद्देश्य है कि उन्हें ऋण उपयोग के बारे में लचीला तथा परिचालनात्मक स्वतंत्रता मिल सके। वर्ष के दौरान बैंक ने कुल ₹ 5,720 करोड़ की कुल सीमा वाले 4.43 लाख नए किसान कार्ड जारी किए। बैंक द्वारा अब तक 17.72 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (संचयी) जारी किए जिसमें ₹ 18,863 करोड़ का वित्तीय परिव्यय शामिल है।

**4. ऋण अदला-बदली (स्वैप) :**

बैंक ने 'ऋण अदला-बदली' योजना तैयार की है जिसका उद्देश्य ऋणग्रस्त कृषकों को साहूकारों के बकाया देय से मुक्ति दिलाना है तथा अस्वाभाविक दरों पर गैर-संस्थागत देनदारों से ऋण भार से कृषकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाईयों को कम करना है। इस योजना के प्रभावी कार्यावयन के लिए 51 अग्रणी जिलों के सभी जिला प्रबंधकों को मुख्य भूमिका निभानी होगी।

**5. विभेदक ब्याज दर:**

बैंक द्वारा कार्यान्वित विभेदक ब्याजदर (डीआरआई) नामक योजना के अंतर्गत उत्पादक उद्यमों हेतु चयनित कम आय समूहों को 4% की रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है।

**6. अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम:**


अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण हेतु केन्द्रित ध्यान सहित, बैंक विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों जैसे सिख, मुस्लिम, ईसाई, जोरास्ट्रियन तथा बौद्ध को वित्त प्रदान कर रही है। यथा मार्च, 2015 को बैंक ने ₹ 13,627 करोड़ का बकाया स्तर दर्ज किया है।

**7. स्वर्णजयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना :**

बैंक सक्रिय रूप से स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना (जीजेआरएचएफएस) के कार्यान्वयन में शामिल है तथा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आबंटित 10,500 इकाई के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। वर्ष के दौरान स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के अंतर्गत बैंक ने 21,273 मामलों को मंजूर किया।

**8. सूक्ष्म वित्त/सूक्ष्म ऋण**

सूक्ष्म ऋण की योजना गरीबों को गरीबी के स्तर से ऊपर उठाने के लिए उन्हें बढ़े हुए स्व-नियोजन अवसर प्रदान कर उन्हें ऋण लेने योग्य बनाने के लिए एक प्रभावशाली साधन के रूप में पाई गई है। बैंक महिलाओं को ऋण देने में सक्रियता से सहभागिता कर रहा है और प्राथमिकता क्षेत्र के तहत यथा 31.03.2015 ₹ 8,262 करोड़ का बकाया स्तर दर्ज किया है जिसमें ₹ 92.15 करोड़ सूक्ष्म ऋण के तहत है।



### 9. सौर ऊर्जा आवास प्रकाश प्रणाली

बिजली की समस्या से निपटने के लिए बैंक ने सौर ऊर्जा आवास बिजली प्रणाली की योजना का आरम्भ किया है। सौर ऊर्जा आवास प्रकाश प्रणाली की खरीद तथा संस्था पन के लिए भावी उधारकर्ताओं को बैंक वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। ₹ 15.22 करोड़ के वित्तीय परिव्यय सहित बैंक ने अब तक 3435 इकाई मंजूर किया है।

### 10. नया कृषि उत्पाद :

कृषकों के ऋण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने और कृषि ऋण को बढ़ाने के लिए गोदाम रसीदों (WHRs) पर वित्त पोषण हेतु बुलधाना अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी (बीयूसीसीएसएल) को कोलेट्रल मैनेजर के रूप में अनुमोदित किया गया है।

आरएमएल सूचना सेवा प्रा.लि. के सहयोग से एसएमएस अलर्ट के माध्यम से कृषि सूचना सेवा (कृषिदूत) शुरू की है।

### 11. अग्रणी बैंक दायित्व :

पांच राज्यों यथा झारखण्ड (15), महाराष्ट्र (14), मध्य प्रदेश (13), उत्तर प्रदेश (7) तथा उड़ीसा (2) में फैले 51 जिलों के अग्रणी बैंक दायित्व की जिम्मेदारी बैंक के पास है। इन सभी अग्रणी जिलों में बैंक सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक के लिए ₹ 17,324.56 करोड़ का ऋण व्यय शामिल करते हुए सभी अग्रणी जिला में वर्ष 2014-15 के लिए लिए वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) लागू की गई। बैंक की उपलब्धि ₹ 16,726.92 करोड़ रही जो वार्षिक ऋण योजना उपलब्धि का 96.55% है। झारखण्ड राज्य में हमारा बैंक 'अग्रणी बैंक समन्वयक' है।

### वित्तीय समावेशन

देश के दीर्घकालिक विकास तथा विस्तृत विकास प्रक्रिया का वित्तीय समावेशन एक अनिवार्य पक्ष है। वित्तीय समावेशन को व्यवहार्य कारोबारी प्रस्ताव समझते हुए विपणन अभिमुख पहल को अपनाते हुए वित्तीय समावेशन में कार्यनीति के परिवर्तन हैं। प्रतिमान निःसंदेह "सीएसआर" से आर्थिक व्यवहार्यता में परिवर्तित हुआ। वित्तीय क्षेत्र द्वारा आवश्यक सुरक्षित और प्रभावशाली ढंग से कम लागत लेनदेन आईसीटी आधारित सॉल्यूशन की उपलब्धता से संभव हो सका है। दायित्व के बजाए समपार्श्व अवसर के द्वारा बैंक प्रत्यक्ष बैंकिंग सेवाओं को देख रहा है।

बैंक ने वित्तीय समावेशन को महाप्रबंधक के नेतृत्व में एक नए कारोबारी इकाई के रूप में तैयार किया है जिसमें बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना है। बैंक ने कारोबारी संपर्कियों एवं आईसीटी आधारित हैंड धारित डिवाइसों (माइक्रो एटीएमों)/ किओस्कके माध्यम से देश भर में उप सेवा क्षेत्र एवं वार्ड के तहत सभी आर्बटित गाँवों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है और वित्तीय समावेशन योजना 2015-16 में बैंक ने अन्तर्निहित ओवरड्राफ्ट सुविधाओं वाले नो फ्रिल अकाउन्ट्स के माध्यम से लोगों को जोड़ा है जो उनको तुरंत उपयोग संबंधी जरूरतों और पात्र लोगों को उद्यम क्रेडिट प्रदान करने के लिए किया गया है ताकि वे पर्याप्त जीविका अर्जित कर सकें, प्रवासी मजदूरों/स्वयं नियोजितों को मोबाइल आधारित धनप्रेषण सुविधा भी मुहैया कराया गयी है ताकि वे अपने परिवार के सदस्यों को धनराशि भेज सकें और अन्य सेवाओं के साथ-साथ माइक्रो इश्योरेंस सहित बैंक के थर्ड पार्टी उत्पादों तक अपनी पहुँच रख सकें। बैंक, आवश्यक भुगतान और अन्य आधारभूत संरचना सहायता देते हुए केन्द्र/राज्य सरकारों के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना को प्रभावी ढंग से पूरा कर रहा है।

वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) 2014-15 के अंतर्गत प्रगति निम्ननुसार है :

• खोले गए बेसिक बचत बैंक खातों की संख्या	: 182 लाख
• जारी स्मार्ट कार्डों की संख्या	: 182 लाख
• बीएसबीडी खाते में कुल संग्रहित जमा राशि	: 1821 करोड़
• उक्त में से प्रधान मंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खाते	: 68.53 लाख
• जारी किए गए रूपे कार्ड	: 66.73 लाख
• पीएमडीवाई के तहत खोले गए खातों में संग्रहित शेष राशि	: 408 करोड़
• जारी जीसीसी/केसीसी (ग्राहकों की संख्या)	: 23.44 लाख
• लगाए गए कारोबारी संपर्क	: 7569
• गाँवों की संख्या जहां 100% वित्तीय समावेशन प्राप्त	: 4404

बैंक ने 31.03.2015 तक 2000 से अधिक जनसंख्या 4 वाले समस्त 4404 आर्बटित गाँवों में 100% वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त किया और 31.03.2015 तक कुल 22,824 गाँवों को कवर किया गया है। पर्याप्त जोखिम प्रशासकों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं वाली बेहतरीन परिचालन प्रणालियाँ बनायी गई हैं और अमल में लायी जा रहीं हैं।

### स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (एसएसपीएस)/ग्रामीण स्वल-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटि)

ग्रामीण युवाओं के मध्या बेरोजगारी की समस्या से निपटने के उद्देश्य से बैंक ने वर्ष 2005 में स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (एसएसपीएस) नामक समर्पित ट्रस्ट की स्थापना की पहल की। ट्रस्ट की स्थापना के तुरंत बाद दो एसएसपीएस/आरएसईटीआई (आरडसेटी) की स्थापना भोपाल एवं कोल्हापुर में की गई। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस पहल को मूल्यवान माना तथा इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना देश के प्रत्येक जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण बीपीएल युवाओं को तलाशने हेतु प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव दिया। स्थापना, अभिधान, प्रायोजन, प्रबंधन कार्यक्रम संरचना, स्टाफ एवं प्रशासन, एमआईएस परिभाषित किए गए। बैंक को संस्थाओं की स्थापना हेतु 43 केंद्र आर्बटित किए गए। बैंक ने ऐसी 43 संस्थाएं झारखंड, ओडीशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में स्थापित की है। इन केंद्रों में 38,185 क्रेडिट इंपुट के साथ इस तारीख तक 82,916 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

### वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्शी केंद्र (अभय)

बैंक ने दैनिक आधार पर वैयक्तिक वित्तर से संबंधित मामलों पर वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं के साथ वित्तीय व्यवहार की जटिलताओं के मूल्यांकन हेतु आम आदमी को वित्तीय साक्षरता देने की आवश्यकता को समझा है। आगे, जो अप्रबंधनीय ऋण के कारण वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन्हें भी दिवालियापन एवं चुकौती दायित्व से बाहर निकलने हेतु ऋण परामर्शी की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्या में बैंक ने 5 (पांच) ऋण परामर्शी केंद्र "अभय" नाम से मुंबई, वर्धा, गुमला, कोलकाता और चैन्नई में खोले हैं जिनका कार्य वरिष्ठ एवं अनुभवी बैंकों द्वारा देखा जा रहा है।

अभय की संकल्पना को विस्तार देते हुए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबाई के मार्गदर्शन के अनुसार 57 वित्तीय साक्षरता केन्द्र खोले हैं। व्यथित उधारकर्ताओं के लिए अलग-अलग मामलों हेतु उपचारात्मक परामर्श के अलावा, मिडिया, कार्यशाला एवं सेमिनार के माध्यम से निवारण परामर्श भी दिया जा रहा है। अब तक परामर्श के 5,71,266 मामले लिए गए जिनका निवारण तत्काल करके व्यथित उधारकर्ताओं के चेहरों पर मुस्कान लाई गई।

### क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

बैंक ने 4 (चार) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) झारखंड ग्रामीण बैंक (झारखंड राज्य), आर्यवर्त ग्रामीण बैंक (उत्तर प्रदेश राज्य), नर्मदा झालुआ ग्रामीण बैंक (मध्य प्रदेश) तथा विदर्भ कॉकण ग्रामीण बैंक (महाराष्ट्र राज्य) में प्रायोजित किए हैं। सभी आरआरबी लाभ अर्जित कर रहे हैं। ग्रामीण बैंकों की सभी शाखाएं और प्रशासनिक कार्यालय अब सीबीएस प्लेटफॉर्म पर हैं। यह बैंक आरटीजीएस एनईएफटी और एटीएम सेवाएं देने में समर्थ हैं। समस्त आरआरबी का शाखा विस्तार 1557 है जिन्होंने 35,478 करोड़ का मिश्रित कारोबार किया है।

### कुछ महत्वपूर्ण पहल

- ★ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) परियोजना हेतु बीसी नेटवर्क का उपयोग
- ★ यूआईडी नामांकन - 403 लाख पूरे किए गए
- ★ आधार नंबर प्रमाणीकरण द्वारा ग्राहक नामांकन - ई-केवाईसी नामांकन
- ★ बीसी स्थानों पर इन्टरऑपरेबिलिटी
- पुरस्कार :**
- ★ बैंकऑन अवार्ड
- ★ सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन पहल हेतु आईबीपी से द्वितीय पुरस्कार
- ★ फेडरेशन ऑफ इन्डस्ट्री ट्रेड एण्ड सर्विसिस द्वारा पीएमजेडीवाई श्रेष्ठता पुरस्कार
- ★ एलेटस मीडिया द्वारा ई-गव बीएफएसआई 2015 लीडरशिप

- ★ वित्तीय समावेशन एवं डीपनिंग हेतु स्कॉच अवार्ड
- ★ इंदौर में सक्षम परियोजना हेतु संयुक्त राष्ट्रसंघ से बैंक और उसके एक कॉर्पोरेट बीसी को इंदौर नगर पालिका की परियोजना के कार्यान्वयन हेतु आईटीयू-पुरस्कार

**रिटेल क्रेडिट**

वर्ष 2014-15 के दौरान, बैंक ने मंदी के वर्ष 2013-14 के पश्चात एक स्वस्थ रिटेल क्रेडिट पोर्टफोलियो को बनाने की नीति का अनुसरण किया, क्योंकि पुनरुज्जीवित हो रहे अर्थनीति ने रिटेल क्रेडिट के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए। बैंक का रिटेल पोर्टफोलियो ₹ 29,600 करोड़ से बढ़कर यथा 31 मार्च, 2015 ₹ 34,153 हो गया। इस अवधि के दौरान, रिटेल क्रेडिट की रूपरेखा भी पुनः परिभाषित की गई। रिटेल आवास ऋण/संपत्ति के निमित्त ऋण के प्रसंस्करण और टाई-अप व्यवस्था के अंतर्गत वाहन ऋण और शिक्षा ऋण के प्रस्तावों के प्रसंस्करण को गतिशील बनाने के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान प्रमुख शहरों में रिटेल कारोबार केंद्रों (आरबीसी) की संख्या 23 से बढ़ाकर 49 कर दी गई है।

वर्ष के दौरान, आवास ऋण क्षेत्र में 27% प्रगति दर्ज हुई और कारोबार ₹ 13,081 करोड़ से बढ़कर ₹ 16,664 करोड़ हो गया। बैंक ने बिल्डरों के साथ टाई-अप करने हेतु मूलभूत दिशानिर्देश तैयार किए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि टाई-अप केवल अच्छे ट्रेड रिकार्ड वाले बिल्डरों के साथ किए जाए, आंचलिक प्रबंधकों को स्थानीय प्रतिष्ठित बिल्डरों के साथ टाई-अप करने हेतु सशक्त किया गया है।

वर्ष के दौरान, शिक्षा ऋण पोर्टफोलियो में 10% प्रगति दर्ज हुई और कारोबार ₹ 2,652 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,918 करोड़ हो गया। बैंक ने ब्याज सब्सिडी योजना अपनाई है, जहाँ उधारकर्ता जिन्होंने शिक्षा-वर्ष 2013-14 के दौरान शिक्षा ऋण प्राप्त किए हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं, वे भारत सरकार, मासंवि मंत्रालय से शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र हैं। बैंक ने स्टार शिक्षा ऋण योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण सुविधा विस्तृत करने को अत्यधिक महत्त्व देना जारी रखा है। इस संबंध में, आंचलिक मार्केटिंग टीम स्थानीय संस्थाओं के साथ सतत टाई-अप व्यवस्था कर रही हैं, जिससे विद्यार्थियों की आवश्यकताएं शाखाओं द्वारा शीघ्रता से पूर्ण की जा सके। प्रीमियर (विशिष्ट) शिक्षा संस्थाओं जैसे आईआईटी/आईआईएम/एनआईडी, इत्यादि में प्रवेश पाना चाहते हैं ऐसे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बैंक ने बीओआई स्टार विद्या ऋण को पुनः परिभाषित किया है।

वाहन ऋण क्षेत्र में भी 16% की पर्याप्त प्रगति दर्ज की गई और वर्ष के दौरान कारोबार ₹ 2,351 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,733 हुआ। वाहन ऋण पोर्टफोलियो में स्वस्थ रिटेल लीड प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित ऑटो उत्पादकों जैसे मारुति-सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडाई मोटर्स, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा और आईसीएमएल के साथ टाई-अप व्यवस्था की कार्यनीति जारी है।

वर्ष के दौरान प्रमुख रिटेल ऋण योजनाओं के संबंध में प्रगति निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

योजना	31.03.2014	31.03.2015	वृद्धि	वृद्धि %
स्टार आवास ऋण	13,081	16,664	3,583	27
स्टार संपत्ति के निमित्त ऋण	2,971	4,144	1,173	39
स्टार शिक्षा ऋण	2,652	2,918	266	10
स्टार वाहन ऋण	2,351	2,733	382	16
स्टार व्यक्तिगत ऋण	927	1,085	158	17

**लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई)**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) खंड के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक का कार्यनिष्पादन अपेक्षित स्तर तक था। उद्योग में निम्न ऋण वृद्धि के बीच हम वर्षानुवर्ष 20% से अधिक वृद्धि किए। पिछले वर्षों में लिए गए कुछ निर्णय यथा एसएमई कारोबार के लिए नए वर्टिकल का निर्माण, समर्पित बिक्री दल के साथ विशेषीकृत संसाधन कक्ष की स्थापना की गई आदि ने परिणाम देना आरम्भ कर दिया तथा इस क्षेत्र में ऋण वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान दिया।

**एमएसएमई खंड के अन्तर्गत बैंक का कार्यनिष्पादन:**

- ★ **कारोबार वृद्धि:** एमएसएमई उत्कृष्टता - ₹ 54506 करोड़ दर्ज करते हुए वर्षानुवर्ष 20.68% की वृद्धि।
- ★ **एमएसई के अन्तर्गत कार्यनिष्पादन:** एमएसई उत्कृष्टता - ₹ 46941 करोड़ दर्ज करते हुए वर्षानुवर्ष 21.33% की वृद्धि।
- ★ **एमएसई विनिर्माण क्षेत्र** ने ₹ 20095 करोड़ (मार्च 2014) से ₹ 21938 करोड़ (मार्च 2015) की वृद्धि दर्शाया जो वर्षानुवर्ष 9.17% की वृद्धि है।
- ★ **एमएसई के अन्तर्गत सूक्ष्म क्षेत्र की हिस्सेदारी** मार्च 2014 के 47.69% से बढ़कर मार्च 2015 में 48.92% हो गई।
- ★ **सूक्ष्म खातों की संख्या में वृद्धि:** वर्ष 2014-15 के दौरान सूक्ष्म खंड के अंतर्गत 93582 खातों की स्वीकृति की गई जिसमें ₹ 3416.88 करोड़ का एकसपोज़र कवर किया गया। इस योजना के अन्तर्गत कुल कवरेज के शर्तों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नंबर 1 बना रहा जो मार्च 2015 तक ₹ 12928.54 करोड़ के कुल एकसपोज़र सहित 199673 खातों के स्तर तक पहुंच गया।
- ★ **सीजीटीएमएसई के अन्तर्गत कार्यनिष्पादन:** ₹ 3416.88 करोड़ का एकसपोज़र कवर करते हुए 2014-15 के दौरान सीजीटीएमएसई योजना के अन्तर्गत 49125 नए खाते जोड़े गए। कुल कार्यक्षेत्र के अनुसरण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच हम नम्बर 1 बने रहे जो मार्च 2015 तक ₹ 12928.54 करोड़ के कुल एकसपोज़र सहित 199673 के स्तर तक पहुंच गया।
- ★ **प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** पीएमईजीपी के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 185.20 करोड़ सीमा सहित 4196 खाते स्वीकृत हुए।
- निम्नलिखित प्रवर्ग में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम भारतीय चेम्बर (सीआईएमएसएमई) द्वारा एमएसएमई बैंकिंग एक्सेलेन्स अवार्ड 2014 बैंक ने जीता:**
  - ★ श्रेष्ठ एमएसएमई बैंक अवार्ड 2014, लार्ज बैंक - रनर अप
  - ★ श्रेष्ठ बैंक अवार्ड 2014, ऑपरेशनल परफार्मेंस - रनर अप
- एमएसएमई खंड के अंतर्गत वृद्धि प्राप्त हेतु कार्यनीतियां**
  - ★ वित्तीय वर्ष 2014-15 के आरंभ में 100 एसएमई के शीर्ष उधारकर्ताओं के बधाई पश्चात इंडिया एसएमई फोरम - एक एनजीओ के साथ जिससे बैंक के ब्रांड प्रोन्नति के लिए गठबंधन है उसके साथ हमारे बैंक ने सक्रियतापूर्वक सहभागिता कर एमएसएमई में अपनी पहचान में वृद्धि किया।
  - ★ सीजीटीएमएसई योजना को अनिवार्य नियम के अंतर्गत पात्र सीमा तक लाने से इस योजना के उधार में वृद्धि हुई। इस योजना के संबंध में उधारकर्ताओं में जागरूकता निर्माण करने के लिए व्यापक प्रचार किया गया।
  - ★ एसआरटीओ और उपकरण वित्तपोषण के द्वारा एमएसई खंड में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान 1 नए ओईएम के साथ समझौता ज्ञापन किया गया।
  - ★ 31 मार्च, 2015 तक देश के 30 एसएमई केन्द्रों ने संचयी रूप में ₹ 9744 करोड़ स्वीकृत किया जिसमें से वर्ष के दौरान ₹ 8195 करोड़ वितरित किया गया।
  - ★ विभिन्न एनबीएफसी से आस्तियों के बारे में प्रतिभूतिगत पूल के प्रत्यक्ष समनुदेशन बाजार में जोखिम उठाया तथा इस व्यवस्था के अन्तर्गत 31.03.2015 तक ₹ 1490 करोड़ का कारोबार प्राप्त किया।
  - ★ एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के द्वारा पुनर्निर्मित चैनल वित्तपोषण योजना पहले से ही परिचालित हो गई। चूंकि कार्पोरेट के विक्रेता - आपूर्तिकर्ता तथा डीलर छोटे विनिर्माण इकाईयां तथा सेवा एन्टप्राइजेस हैं, इस प्रकार के ग्राहकों की वृद्धि से एमएसएमई क्षेत्र में ऋण वृद्धि होगी। वर्ष 2015-16 के दौरान हमारा लक्ष्य ₹ 2500 करोड़ वितरण का है।
  - ★ प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 5 करोड़ ऋण सीमा तक सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत खातों के प्रवर्गीकरण के परिणामस्वरूप, व्यापार गतिविधियों के अग्रिम को प्रोत्साहन मिला जहां विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में ऋण वितरण तेज है।
  - ★ वर्तमान लोकप्रिय एसएमई ऋण उत्पादों पर बल दिया गया जैसे :-

- i. बीओआई स्टार व्यापार
  - ii. बीओआई डॉक्टर प्लस
  - iii. स्टार एसएमई कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट लाइन
- ★ देश में 100 विशेषीकृत एसएमई शाखाएँ हैं जो अन्य दैनिक कामकाज के अतिरिक्त प्रमुखतया एमएसएमई वित्तपोषण करती हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान एमएसएमई के अन्तर्गत वित्तपोषण हेतु इन शाखाओं को कुल ₹ 1,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है।
- ★ अब तक 105 विभिन्न समूहों के लिए समूह आधारित योजना अनुमोदित हो गई है। क्षेत्र के अनेकों इकाईयों द्वारा विशिष्ट रूप से लिए गए उत्तरदायित्व पर आधारित अधिक समूहों को सूत्रबद्ध किया गया है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि 2015-16 के दौरान विशिष्ट समूहों पर ध्यान दिया जाए।

#### बैंक का पुनर्गठन

पुनर्गठन के एक भाग के रूप में 1 अप्रैल, 2015 से, दो नए राष्ट्रीय बैंकिंग समूह - पुणे में एनबीजी-पश्चिम II और लखनऊ में एनबीजी-उत्तर II का सृजन अनुमोदित किया गया ताकि उनके संबंधित कारोबारी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। इसी प्रकार 1 अप्रैल, 2015 से उत्तराखण्ड में देहरादून, कर्नाटक में हूबली- धारवाड, राजस्थान में जोधपुर और पश्चिम बंगाल राज्य में बर्धमान नाम से 4 नए अंचल खोलने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा शाखाओं की संख्या और मुख्यालय से दूरी के आधार पर विभिन्न अंचलों में जिलों के पुनराबंटन को अनुमोदित किया गया। इससे अंचलों को कारोबार के बेहतर अवसर और नियंत्रण मिलेगा।

अंचलों में कारोबार विकास प्रबंधकों (बीडीएम) का नाम बदलकर द्वितीय उप आंचलिक प्रबंधक किया गया। 1 अप्रैल, 2015 से विभिन्न बीडीएम क्लस्टरों का पुनराबंटन, समाप्ति, विलयन एवं नए क्लस्टरों का निर्माण अनुमोदित किया गया। इसके साथ ही कुल बीडीएम क्लस्टरों की संख्या 15 हो गई है। इन उप आंचलिक प्रबंधकों (पूर्व में बीडीएम) को पर्याप्त स्टाफ, कार्यालय और कारोबार हेतु वित्तीय प्राधिकार तथा उनके क्लस्टर की अन्य ज़रूरतें उपलब्ध कराई गई हैं।

#### ई-गैलरी परियोजना

विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के लिए ग्राहकों द्वारा स्व चलित किऑस्क की बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए, एटीएम, पास-बुक प्रिंटर और नकद स्वीकार करनेवाली मशीनों/बल्कट नोट एक्सेप्टर्स जैसे स्वचालित किऑस्कन से लैस ई-गैलरी 24x7 आधार पर स्थापित किए गए हैं। शाखाओं में प्रत्यक्ष रूप से जितने ग्राहक कम आएंगे, शाखाओं में ग्राहक सेवा उतनी ही बेहतर होगी। चेक एक्सेप्टेरन्स किऑस्क, इंटरनेट किऑस्क और ग्राहक फीडबैक किऑस्क जैसे अन्य स्वचालित किऑस्क भी 24x7 आधार पर स्थापित किए जाने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत भर में 400 से अधिक ई-गैलरी स्थापित किए गए। इस वित्तीय वर्ष के लिए 750 ई-गैलरियों की स्थापना के लक्ष्य सहित और भी कई जगहों का चयन किया गया है।

#### भावी समय की शाखा परियोजना

ग्राहकोन्मुख पहल जारी रखते हुए, कुछ और शाखाओं को भविष्य की शाखा में परिवर्तित किया गया जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत तक ऐसी शाखाओं की कुल संख्या 306 हो गई। इन अत्याधुनिक शाखाओं में विशाल ग्राहक-क्षेत्र होता है और सेल्फ सर्विस के ग्राहकानुकूल उपकरण होते हैं। 'भविष्य की शाखा के कुछ प्रमुख विशेष तत्व निम्नानुसार हैं :

- इन शाखाओं की आंतरिक साजसज्जा को इस प्रकार सौंदर्यपूर्ण बनाया गया है जिससे कि ग्राहकों के लिए अच्छी खासी जगह मिल जाय और पर्याप्त बैठने की व्यवस्था हो जाए।
- प्रतिक्रिया समय को कम करने के लिए विशिष्ट फ्रंट ऑफिस और इन-ब्रांच बैंक ऑफिस सृजित किए गए हैं।
- स्वयं परिचालित पासबुक प्रिंटिंग किऑस्क के जरिए ग्राहकों को यह कार्य करने के लिए समर्थ बनाया गया है।

- केश डिपॉजिट किऑस्क लगाए गए हैं जिससे ग्राहक को टेलर की सेवाएं लिए बिना स्वयं अपने खाते में राशि जमा करने का विकल्प उपलब्ध हो।
- अधिक व्यवस्थित ढंग से गतिविधियां करने वाले एवं फ्रंट लाइन ग्राहकों को मैनेज करने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का इस्ते माल किया जा रहा है।
- ग्रेटर सेल्स पुश और ग्राहक संतुष्टि हासिल करने के लिए शाखा की टीम के सदस्यों हेतु नई भूमिकाएं और उत्तरदायित्व परिनिश्चित किए गए हैं।
- इन शाखाओं में कार्य कर रहे स्टार को बेहतर ग्राहक प्रबंधन और क्रॉस सेलिंग हेतु प्रशिक्षण दिया गया है।
- इन शाखाओं के ग्राहक इस बदलाव और नई व्यवस्थाओं से बेहद प्रसन्न हैं। इस पहल के फलस्वरूप शाखा परिचालनों की समग्र दक्षता बढ़ी है और इन शाखाओं में ग्राहक अर्जन और कारोबारी लीड में काफी बढ़ोतरी हो रही है।

#### वैकल्पिक प्रस्तुति माध्यम

##### कार्ड उत्पाद :

बैंक ग्राहकों की पसंद के लिए विभिन्न प्रकार के क्रेडिट कार्डों की पेशकश कर रहा है। बैंक से संबद्ध दो बैंक यथा बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि. भी हैं जो ब्रांडनाम "इंडिया कार्ड" के अधीन क्रेडिट कार्ड जारी कर रहे हैं। वर्ष के दौरान कार्ड जारी करने के कुल कारोबार में 10.05% वृद्धि दर्ज की गई जो ₹ 429.28 करोड़ रही एवं टर्नओवर अधिग्रहण में 48.95% की वृद्धि हुई जो ₹ 521.56 करोड़ रही। डेबिट कार्ड के मामलों में टर्नओवर अधिग्रहण में 47.17% की वृद्धि हुई जो ₹ 2,420.07 करोड़ रही।

बैंक के पास विभिन्न प्रकार के डेबिट-सह-एटीएम कार्ड है। 01.04.2014 से 31.03.2015 तक कुल जारी डेबिट कार्ड 102 लाख रहे जिसमें 2.77 लाख स्टारलिक इंटरनेशनल एटीएम-सह-डेबिट कार्ड (वीज़ा इलेक्ट्रान) 26.34 लाख बीओआई ग्लोबल डेबिट-सह-एटीएम कार्ड (मास्टर कार्ड) 0.05 लाख प्लेटियम डेबिट कार्ड (मास्टर) 0.77 लाख बिंगो कार्ड और 72.54 लाख रुपये कार्ड सम्मिलित हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान डेबिट कार्डों ने 60% वृद्धि दर्ज की। यथा 31.03.2015 कुल डेबिट कार्ड 273 लाख है। वर्ष 2014-15 के दौरान हमने 6809 गिफ्ट कार्ड (वीज़ा इलेक्ट्रान) जारी किए हैं।

#### एसएमएस अलर्ट्स -स्टार संदेश

धोखाधड़ी के रोकथाम के रूप में, एसएमएस अलर्ट्स जनरेट किए जाते हैं और उन सभी ग्राहकों को मुहैया कराए जाते हैं जिन्होंने निम्न के लिए बैंक के पास अपने मोबाइल नंबर पंजीकृत करवाए हैं।

- ★ डिलिवरी चैनलों (इंटरनेट बैंकिंग/एटीएम/पीओएस) से सभी नाम संव्यवहार
- ★ ग्राहक द्वारा किए गए सभी रु.10,000/- और अधिक के नामे और जमा संव्यवहार
- ★ रु.10,000/- और अधिक के सभी नामे ईसीएस संव्यवहार
- ★ सभी नामे आरटीजीएस संव्यवहार
- ★ चेक बुक जारी करने के अनुरोध को स्वीकार करने पर अभिस्वीकृति
- ★ स्टार ऑटोफिन और हाउसिंग खातों में देय किस्त के लिए अलर्ट

#### इंटरनेट बैंकिंग:

युटिलिटी बिल के भुगतानों, एयर एवं रेल टिकट बुकिंग, ऑन लाइन शॉपिंग, इंटर बैंक और इन्ट्रा बैंक फंड ट्रांसफर इत्यादि के लिए ग्राहकों को एक तीव्र और सुरक्षित इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है।

भारत में पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ़ इंडिया पहला ऐसा बैंक है जिसने अतिरिक्त सुरक्षा संबंधी उपाय के रूप में रिटेल और कार्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग दोनों के लिए ही टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2एफए) स्टार टोकन क्रियान्वित किया। बैंक

के ग्राहक "सुरक्षित" किसी समय, कहीं से भी और हर प्रकार से झंझट मुक्त बैंकिंग का अपने घर और कार्यालय से अपनी सुविधानुसार माउस पर क्लिक करके लाभ उठा रहे हैं।

उपलब्ध कुछ फीचर्स इस प्रकार हैं:

- ★ आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा का इस्तेमाल करके, हमारी स्टार कनेक्ट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के जरिए बैंकों में ऑन लाइन इंटर बैंक फंड ट्रांसफर
- ★ ऑटो पे हेतु बीओआई स्टार ई-पे अथवा विभिन्न युटिलिटी सर्विसेज/बिलों का ऑनलाइन भुगतान
- ★ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष केन्द्रीय उत्पाद और सेवा करों का ई-पेमेंट
- ★ शेयर में ट्रेड करने के लिए स्टार ई-शेयर ट्रेड
- ★ ई-फ्रेट पेमेंट
- ★ विदेशी व्यापार का महा निदेशालय (डीजीएफटी) लाइसेंस फीस ऑन लाइन ई पेमेंट
- ★ रेलवे और एयरलाइन्स टिकट की ऑनलाइन बुकिंग
- ★ शिक्षा ऋण के लिए ऑन लाइन आवेदनपत्र
- ★ इंटरनेट बैंकिंग से आईपीओज के लिए एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉकड अमाउंट (एसबीए) को देखने और आवेदन करने के लिए उपलब्ध ऑनलाइन सुविधा
- ★ इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को ऑनलाइन फिक्स्ड डिपॉजिट करने में समर्थ बनाना
- ★ इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड इस्तेमाल करके डेबिट-सह-एटीएम कार्ड पिन की हॉट लिस्टिंग/रिसेट/अनब्लॉक/चेंज
- ★ वार्षिक टैक्स विवरण पत्र (फॉर्म २६ एएस) - ऑनलाइन देखने की सुविधा
- ★ हमारा डेबिट-सह-एटीएम कार्ड रखने वाले ग्राहकों को ऑन लाइन ई-पेमेंट की सुविधा प्रदान की गयी। इससे ग्राहक क्रेडिट कार्ड और इन्टरनेट बैंकिंग खाते के अलावा अपने डेबिट-सह-एटीएम कार्डों का इस्तेमाल कर सकेंगे।
- ★ ऑन लाइन टर्म डिपॉजिट रसीद निकालते समय व मौजूदा टर्म डिपॉजिट रसीदों के लिए ऑनलाइन नामांकन सुविधा

#### स्वचलित टेलर मशीन (एटीएम)

बैंक ने नेशनल फाइनेशियल स्विच (एनएफएस) ज्वॉइन किया है जिससे देश भर में 85,000+से भी अधिक एटीएम एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा, बैंक कैश ट्री, बीएनसीएस एवं एसबीआई ग्रुप नेटवर्क का भी हिस्सा है। 31 मार्च, 2015 तक की स्थिति के अनुसार हमारे 6771 एटीएम थे जिसमें से 2277 एमओएफ के तहत थे और शेष 4494 नॉन-एमओएफ परियोजना के अधीन थे।

#### ग्राहक श्रेष्ठता वैकल्पिक प्रस्तुति माध्यम :

बैंक की महत्वाकांक्षी ग्रोथ प्लान की प्रक्रिया में बैंक ने आईटी समर्थित गहन संभाव्यता वाले उत्पादों को तैयार किया और उनका विपणन किया है ताकि हम न केवल पुराने ग्राहकों को बनाए रखें बल्कि नए ग्राहक भी अर्जित करें; विशेषकर टेक सैवी युवा पीढ़ी के ग्राहक अर्जन हेतु प्रधान कार्यालय में एक अलग आईटी समर्थित सेवाएं विभाग (जिसका नाम बदलकर ग्राहक श्रेष्ठता वैकल्पिक प्रस्तुति माध्यम किया गया है) बनाया गया है जिसका कार्य क्षेत्र निम्नानुसार है :

- ★ इंटरनेट बैंकिंग : रिटेल बैंकिंग ग्राहक एवं कार्पोरेट ग्राहक
- ★ मोबाइल बैंकिंग:

- ★ एटीएम
- ★ कार्ड उत्पाद: डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बिंगो कार्ड गिफ्ट कार्ड
- ★ बीओआई स्टार रिवाइड प्रोग्राम
- ★ ई-कॉमर्स सुविधा
- ★ ई-पे सुविधा
- ★ इन्स्टेन्ट मनी ट्रांसफर (आईएमटी)

#### इन्स्टेन्ट मनी ट्रांसफर (आईएमटी) :

बैंक के ग्राहक उन लाभार्थियों को निधि प्रेषित कर सकते हैं जिनके पास बैंक खाता नहीं है और डेबिट कार्ड भी नहीं है-

- ★ कैश आउट सुविधा सहित नवोन्मेषी, सुरक्षित, सरल और झंझट रहित स्वदेशी मनी ट्रांसफर सुविधा
- ★ 247365, सुविधा जिसका लाभ आरंभकर्ता और लाभार्थी/प्राप्तकर्ता दोनों उठा सकते हैं।
- ★ एटीएम या रिटेल इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करते हुए रकम भेजी जा सकती है।
- ★ किसी ऐसे लाभार्थी/प्राप्तकर्ता को रकम भेजी जा सकती है जिसका, बीओआई या किसी भी बैंक का ग्राहक होना ज़रूरी नहीं है।
- ★ लाभार्थी/प्राप्तकर्ता कार्ड का प्रयोग किए बिना किसी भी बीओआई आईएमटी समर्थित एटीएम से रकम आहरित कर सकता है। (बैंक की वेबसाइट पर आईएमटी समर्थित एटीएम की सूची प्रदर्शित की गई है।
- ★ सेल्फ सर्विस - बैंक के ग्राहक रिटेल इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम का प्रयोग करते हुए स्वयं संव्यवहार की पहल कर सकते हैं।
- ★ जब लाभार्थी/प्राप्तकर्ता को तत्काल या आपातकालीन स्थिति में नकद की आवश्यकता हो तो यह सुविधा उपयोगी होगी।
- ★ जब लाभार्थी/प्राप्तकर्ता का कोई बैंक खाता न हो या खाता नंबर मालूम न हो तो यह सुविधा उपयोगी होती है।

#### सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख कारोबार ड्राइवर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह पूरे बैंक के कार्यों की जीवनरेखा है। बैंक अभी सेवा प्रदान करने और मूल्यवर्धन करने हेतु पहले से अधिक सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भरशील है।आईटी डाटा सेंटर को क्रियान्वित रखने के अतिरिक्त बैंक प्रबंधन के दृष्टिकोण को पूरा करने और संभाव्य को पूरा करने में सहायक है।

हाल में कार्यान्वित पहलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

#### उपलब्धियां :-

- ★ **सीआरएम परियोजना** : सीआरएम परियोजना आरंभ की गई है इससे पर्सनलाइज्ड सेवाएं बेहतर होंगी, सेवा-अनुरोध हेतु टर्नराउंड टाइम कम होगा, नए उत्पाजदों की पेशकश सुविज्ञ और व्यावसायिक सलाह, और यह डाटा-निष्कर्ष आधारित आपसी चर्चा उपलब्ध कराएगी और अतः इससे वस्तुपरक मूल्य मिलेगी।
- ★ **नकदी प्रबंधन एवं चैनल फाइनेंसिंग** : प्रभावी नकदी प्रबंधन और चैनल फाइनेंसिंग हेतु वेब आधारित इंटरफेस उपलब्ध कराता है।
- ★ **पेमेंट गेटवे सल्यूशन** : हमने अपना पेमेंट गेटवे कार्यान्वित किया है। इसके कार्यान्वयन से बैंक अन्य- बैंकों एवं थर्ड पार्टियों को पेमेंट सेवाएं बेचकर राजस्व अर्जन करने की स्थिति में है।
- ★ **मोबाइल बैंकिंग** : हमने 'स्टार टोकन एनजी' एक नेक्स्ट जेनरेशन सुरक्षित सर्वव्यापी डिजिटल बैंकिंग एप्लिकेशन शुरू किया है जो हमारे रिटेल बैंकिंग ग्राहकों को लगातार मल्टीचैनल अनुभव के साथ सामरिक ग्रेड की सुरक्षा देता है जो विविध प्लेटफ़ार्म और विभिन्न प्रकार के घटकों जैसे लैपटाप, डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल को सपोर्ट करता है।

- ★ सोशियल मीडिया का अंगीकार : अनुभव, अनुपालन जैसे अनुबोधक कारकों को ध्यान में रखते हुए।
- ★ इंस्टंट मनी ट्रान्सफर सुविधा (आईएमटी) की शुरुआत : इस सुविधा के शुरू किए जाने से लाभार्थी बिना किसी बैंक खाते या एटीएम कार्ड के रकम आहरित कर सकता है।
- ★ ऑनलाइन ऋण आवेदन और ट्रेडिंग प्रणाली: एंड टू एंड इंटीग्रेशन के साथ ऑनलाइन ऋण आवेदन और ट्रेडिंग प्रणाली शुरू की गई है।
- ★ आईएमपीएस : आईएमपीएस अपनी 24x7 व्यवहार्यता और तत्काल अंतर बैंक अंतरण की विशिष्टताओं के कारण ग्राहकों में अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रही है। इन कार्यात्मकताओं को हमारे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग यूजर और शाखाओं से भी उपलब्ध करवाया गया है।
- ★ यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग : यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग सुविधा आरंभ की गई है। यह सुविधा लो एंड मोबाइल उपकरणों में भी उपयोग किया जा सकता है।

**अन्य ग्राहक केन्द्रिक पहलें**

- ★ 444 स्थानों में स्टेट ऑफ आर्ट ई गैलरी स्थापित की गई है।
- ★ 2340 स्थानों में पास-बुक प्रिंटिंग किऑस्क लगाए गए हैं।
- ★ 1060 स्थानों में केश एक्सेप्टर किऑस्क लगाए गए हैं।
- ★ कुल एटीएम की संख्या 7000 की सीमा पार कर चुकी है।

**पुरस्कार**

- ★ आईटी नवोन्मेष के लिए -स्काँच अवार्ड
- ★ आईबीए बैंकिंग टेकनोलॉजी अवार्ड्स 2013-14 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन पहल श्रेणी में प्रथम रनर अप अवार्ड।
- ★ एनपीसीआई से सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की श्रेणी में एनएफएस ऑपरेशनल एक्ससेल्स अवार्ड्स में एटीएम और स्विच कनेक्टेड टू एनएफएस एटीएम नेटवर्क के संबंध में प्रमुख मानदंडों में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए रनर अप अवार्ड।

**थर्ड पार्टी उत्पाद**

**जीवन बीमा हेतु टाई-अप:**

बैंक ने अपने जीवन बीमा उत्पादों की बिक्री हेतु बैंक के संयुक्त उद्यमी लाइफ इश्योरेंस कंपनी स्टार्डर यूनिनन दार्ई-ची लाइफ इश्योरेंस कंपनी लि. के साथ अपनी कॉर्पोरेट एजेन्सी व्यवस्था को जारी रखा। बैंक के लगभग 4400 कर्मचारी ऐसे हैं जो विभिन्न केन्द्रों पर बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए 'स्पेसिफाइड पर्सन' के रूप में कार्य करते हैं।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 520 करोड़ (पॉलिसियों की संख्या 69,000 से अधिक) की प्रीमियम कलेक्ट की और संयुक्त उद्यम कंपनी के कुल नए कारोबार में 53% से अधिक का योगदान दिया।

बैंक ग्रुप पॉलिसी के तहत अपने स्टार होम लोन और स्टार एज्यूकेशन लोन के उधारकर्ताओं को ऑप्शनल लाइफ इश्योरेंस कवर की पेशकश कर रहा है जहां जीवन बीमा के लिए उधारकर्ता को कम प्रीमियम देना होगा।

**नेशनल इश्योरेंस कं. लि. (एनआईसीएल) के साथ जनरल इश्योरेंस (नॉन लाइफ) हेतु टाई-अप:**

बैंक जैसे बैंकएश्योरेंस कारोबार वितरकों को कवर करते हुए आईआरडीए के परिशोधित दिशानिर्देशों के अनुपालन में एनआईसीएल के साथ वर्तमान टाई-अप व्यवस्था को कॉर्पोरेट एजेन्सी डिस्ट्रिब्यूशन मॉडल में परिवर्तित किया गया। बैंक का एक को-ब्रैंडिड उत्पाद है - बीओआई नैशनल स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि एक परिवार फ्लोटर मेडिकलेम बीमा कवर है जो बैंक ऑफ इंडिया खाता धारकों के लिए बहुत ही कम प्रीमियम पर उपलब्ध है। इस में खाता धारक, पति/पत्नी और उनके दो आश्रित बच्चों के लिए कवरेज उपलब्ध है। पूरे परिवार (खाता धारक, पति/पत्नी और उनके दो आश्रित बच्चों) को बीमाकृत कुल राशि तक कवर किया गया है, परिवार के सदस्यों द्वारा अलग-अलग समय में बीमाकृत कुल राशि का भाग लिया जा सकता

है। यह एक लोकप्रिय उत्पाद है और यथा 31.03.2015 को 1.68 लाख से अधिक बीओआई खाताधारकों ने यह पॉलिसी ली ही।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने एनआईसीएल के लिए कुल ₹ 187 करोड़ का प्रीमियम इकट्ठा करते हुए ₹ 17.62 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है।

**म्युचुअल फंड उत्पाद:**

बैंक ग्राहकों की सभी प्रकार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। बैंक ने 10 आस्ति प्रबंधन कंपनियों यानी के बीओआई-एक्सा म्युचुअल फंड बिडला एवं लाइफ म्युचुअल फंड, डीएसपी ब्लैक रॉक म्युचुअल फंड, फ्रेकरलिंग टेंप्लटन निवेश, एचडीएफसी म्युचुअल फंड, आईडीएफसी म्युचुअल फंड, आईएनजी म्युचुअल फंड, कोटक म्युचुअल फंड, रिलायंस म्युचुअल फंड तथा यूटीआई म्युचुअल फंड के अधिकाधिक विविध म्युचुअल फंड उत्पादों की बिक्री कर रहा है।

**आस्ति वसूली एवं एनपीए प्रबंधन**

अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का स्तर किसी भी बैंक की लाभप्रदता का प्रमुख आधार है और तदनुसार जितने बेहतर प्रयास बैंक के एनपीए को घटाने के लिए होंगे, उतना ही बेहतर परिणाम दीर्घावधि में प्राप्त होगा। बैंक ने वर्ष 2014-15 में भी एनपीए प्रबंधन क्षेत्र में अपने कार्य निष्पादन को सुधारने में सतत ध्यान केंद्रित किया है और प्रयास किए हैं। एनपीए में कमी को बैंक में सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है और इसने निरंतर महत्त्व प्राप्त किया है।

(₹ करोड़ में)

मद	31.03.12 वास्तविक	31.03.14 वास्तविक	31.03.2015 वास्तविक
<b>सकल एनपीए (प्रारंभिक)</b>	5,894	8,765	11,869
घटाएं :			
नकद वसूली	1,245	3,066	2,688
अपग्रेडेशन	759	938	2,321
बढ़े खाते	2,415	1,767	801
कृषि ऋण में छूट / ऋण राहत योजना 2008	0	0	0
<b>कुल कमी</b>	4,419	5,771	5,810
<b>जोड़ें :</b>			
स्लिपेज	7,379	8,811	16,591
घटाएं अप्राप्त ब्याज (यूआरआई) (वित्तीय वर्ष 2009-10 से आरंभ)	89	-63	457
<b>सकल एनपीए (समाप्ति में)</b>	8,765	11,869	22,193
बढ़े खाते, यूसीआई/यूआरआई में वसूली	1051	878	248
<b>निवल एनपीए</b>	5,947	7,417	13,518
सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का %	2.99	3.15	5.39
निवल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए का %	2.06	2.00	3.36

वर्ष के दौरान बैंक ने 'नकद' एवं 'एसआर' दोनों के आधार पर कॉर्पोरेट की आस्तियों की बिक्री की। बेची गई आस्तियों का एनबीवी ₹ 1847 करोड़ रहा और ऑफर/बिड की राशि ₹ 1,809 रही। पूर्ण नकद रूप से बेची गई आस्तियां ₹ 26 करोड़ रही। ₹ 1,783 करोड़ ऑफर की शेष राशि के लिए नकदी घटक ₹ 212 और बैंक द्वारा निवेश ₹ 1,572 करोड़ हैं।

**ऋण निगरानी**

चुनौतीपूर्ण परिवेश में तथा आस्ति गुणवत्ता पर निरंतर दबाव से, ऋण आस्तियों की निगरानी तथा उसके सुरक्षा के लिए निवारक/दोषनिवारक कार्रवाई करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बैंक के ऋण निगरानी विभाग ने आरम्भिक स्तर पर व्यवतिक्रम जोखिम की पहचान के लिए विभिन्न निगरानी उपायों को अपनाया है:

नियमित सामाहिक/पाक्षिक आधार पर एमआईएस रिपोर्ट निर्मित की जाती है जो असामान्यता सहित खातों को दर्शाती है।


भारिबैं द्वारा जारी अर्थव्यवस्था में विपत्तिकालीन आस्तियों में नए प्राण भर देने के लिए संरचना के अन्तर्गत विशेष वर्णित प्रवर्ग यथा एसएमए 1 (31 दिनों से 60 दिनों



तक) अथवा एसएमए 2 (61 दिनों से 90 दिनों तक) के विपत्तिकालीन या व्यतिक्रम जोखिम के उधारकर्ताओं की पहचान। संशोधन, नवीनीकरण या वसूली के लिए एसएमए प्रवर्ग की पहचान न्यूनीकरण सोपान को सक्रिय करता है।

ऋण आस्तियों की निगरानी के लिए सभी शाखाओं तथा नियंत्रक कार्यालयों में ऋण निगरानी मॉड्यूल उपलब्ध है।

उच्च मूल्य एसएमए 2 उधारकर्ताओं के निगरानी के लिए प्रधान कार्यालय में दबाव प्रबंधन कक्ष स्थापित किया गया है।



बैंक से राशि प्रदान करने से पहले, ऋण प्रक्रिया लेखापरीक्षा (सीपीए) अन्य अनुबंधों तथा स्वीकृति की सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। इसी तरह, सभी पात्र खातों में सूचीबद्ध सनदी लेखाकारों द्वारा आवधिक स्टॉक तथा प्राप्य राशियों की लेखापरीक्षा कर बैंक को प्रभारित आस्तियों की गुणवत्ता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।

कम कीमती अग्रिमों की निगरानी के लिए आंचलिक केन्द्र पर संग्रह यंत्रावली रखा गया है। इस क्रियावली के अंतर्गत, देय ब्याज/किश्तों की सूचना अग्रिम रूप से ग्राहकों को दी जाती है। देय तिथि से 15 दिनों तक यदि किश्त अदा नहीं की जाती है तो वसूली के लिए नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

ग्राहक रिश्ता प्रबंधन (सीआरएम) का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है जिसमें एक संग्रह प्रबंधन माड्यूल सम्मिलित रहेगा जो अदत्त खातों के दिनों की संख्या पर आधारित दोषियों पर नज़र रखने के लिए है। इससे कॉल तथा एसएमएस के द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई, अनुवर्ती कार्रवाई की अनुसूची तथा आश्वासित वसूली की निगरानी की जाएगी।

**शाखा नेटवर्क एवं विस्तार**

भौगोलिक तौर पर भारत तथा विदेशों में बैंक का काफी विस्तृत शाखा नेटवर्क है। 31 मार्च 2015 के अनुसार भारत में बैंक की 4892 शाखाएं हैं। विश्व के सभी महत्वपूर्ण वित्तीय केन्द्रों तथा सभी टाइम जोनों में 25 शाखाओं और 31 प्रतिनिधि कार्यालयों द्वारा बैंक की उपस्थिति दर्ज कराते हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने 242 नई शाखाएं खोली जिसमें पूर्ण शाखा में परिवर्तित एक विस्तार पटल और एक नया खोला गया विस्तार पटल भी शामिल हैं।

बैंक के शाखा नेटवर्क का ब्योरा निम्नानुसार है:

श्रेणी	31.03.2014		31.03.2015	
	शाखाओं की संख्या	कुल का %	शाखाओं की संख्या	कुल का %
महानगरीय	837	18.00	863	17.64
शहरी	789	16.96	821	16.78
अर्धशहरी	1,258	27.05	1,317	26.92
ग्रामीण	1,766	37.97	1,891	38.65
<b>कुल शाखाएं</b>	<b>4,650</b>	<b>100</b>	<b>4,892</b>	<b>100</b>

भारिबैं की शाखा प्राधिकरण की उदारीकृत नीति के अनुपालन में, कुछ शाखाओं को वैकल्पिक स्थानों पर स्थानांतरित किया गया और अच्छा कार्यनिष्पादन दिखाने वाले एवं स्थानगत लाभ वाले विस्तार काउंटर को पूर्ण परिचालित शाखा में तबदील कर दिया गया। आने वाले वर्ष में भी यह नीति लागू किए जाने का विचार है। भारिबैं ने अपने परिपत्र सं.डीबीओडी.सं.बीएपीडी.बीसी.60/22.01.001/2013-14 दिनांक 21.11.2013 द्वारा अपनी शाखा प्राधिकरण नीति को अधिक उदार करते हुए बैंकों को बिना पूर्व अनुमति के टियर-1 से टियर-6 में शाखा खोलने की अनुमति दी है; बशर्ते की उनकी रिपोर्टिंग की जाए। बैंक ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अंचलों को उपरोक्त श्रेणी में शाखाएं खोलने हेतु प्रस्ताव भेजने को कहा है।

**एक नज़र में स्थिति**

वर्षांत तक	31.03.2014	31.03.2015
शाखाओं की संख्या	4,702	4,948
विदेशी	56	56
भारतीय	4,646	4,892
जिनमें से		
महानगरीय	837	863
शहरी	789	821
अर्धशहरी	1,258	1,317
ग्रामीण	1,766	1,891
कंप्यूटरीकृत शाखाएं	4,650	4,892
संपूर्ण कंप्यूटरीकृत	4,650	4,892
आंशिक कंप्यूटरीकृत	--	--
विशेषीकृत शाखाएं	271	271
विस्तार काउंटर	36	36

घरेलू मार्केट में ग्राहकों की विभिन्न श्रेणियों की विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक ने 271 विशेषीकृत शाखाएं खोली हैं। इन शाखाओं का ब्रेक अप निम्नानुसार है:

क्रम	विशेषीकृत शाखाओं की श्रेणी	31.03.2014	31.03.2015
1	एसएमई शाखाएं	100	100
2	ओवरसीज़ शाखाएं	03	03
3	बृहत कॉर्पोरेट बैंकिंग शाखाएं	10	10
4	मिड-कॉर्पोरेट शाखाएं	42	42
5	एन.आर.आई शाखाएं	06	06
6	वसूली शाखाएं	15	15
7	वाणिज्यिक एवं व्यक्तिगत बैंकिंग शाखाएं	26	26
8	ट्रेज़री शाखाएं	01	01
9	आवास एवं व्यक्तिगत वित्तपोषण शाखाएं	24	24
10	सरकारी कारोबार शाखाएं	01	01
11	बुलियन बैंकिंग शाखाएं	01	01
12	सेवा शाखाएं	41	41
13	केंद्रीकृत पेंशन प्रॉसेसिंग शाखाएं	01	01
	<b>कुल</b>	<b>271</b>	<b>271</b>

रिटेल कारोबार केंद्र (आरबीसी) शामिल

## विपणन

विपणन बैंक का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो वर्तमान ग्राहकों की सेवा करता हुआ नए ग्राहकों का अभिग्रहण करता है और मूल्यवर्धन के लिए ग्राहक केन्द्रिक प्रक्रियाओं का निर्माण करता है।

बैंक ने हाल ही में विपणन स्थापना को पुनर्गठित किया गया है। नया विपणन स्थापना जमाराशि संग्रहण (सरकारी जमाराशि तथा ट्रस्ट, एसोसिएशन, क्लब एवं सोसायटी टीएएससी), रिटेल तथा एसएमई अग्रिम, वैकल्पिक सुपुर्दगी चैनल (एडीसी), उत्पाद, तृतीय पक्ष उत्पादों की बिक्री आदि पर केन्द्रित है। विपणन स्टाफ शाखाओं में रिटेल कारोबार केन्द्र सहित नियुक्त/सहबद्ध किए गए हैं तथा आंचलिक कार्यालय के विपणन प्रमुख (उप आंचलिक प्रबंधक) के अंतर्गत कार्य करते हैं।

विपणन टीम को सशक्त बनाने के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2015 तक के दौरान 162 विपणन एक्ज्यूक्यूटिव की नियुक्ति बैंक ने की है, केन्द्रीकृत विपणन प्रयासों के लिए 534 से अधिक विपणन एक्ज्यूक्यूटिव हैं।

### वर्ष 2014-15 के दौरान प्रमुख पहल :

- ★ **प्रशिक्षण :** सभी अंचलों के विपणन प्रमुख के लिए प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई), बेलापुर में कार्यशाला आयोजित की गई।
- ★ **कौशल विकास/उत्पाद वृद्धि :** बैंक के नवीनतम विकासों के बारे में विपणन टीम को अद्यतन रखने के लिए तथा उत्पाद ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, सामाहिक ऑनलाइन उत्पाद ज्ञान का टेस्ट लिया जाता है।
- ★ **ब्रांड गतिविधियां :** छवि निर्माण/ब्रांड निर्माण के लिए जनवरी 2015 माह के दौरान स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मरेथान में बैंक ने भाग लिया। फरवरी 2015 माह के दौरान बैंक आईएल एंड एफएस दौड़ का एक सह-प्रयोजक था तथा लवासा बुमेन ड्राइव में सहभागी रहा।
- ★ **कारोबार विकास गतिविधियां :** विपणन टीम कारोबार विकास गतिविधियों पर केन्द्रित रहती है जिसमें कासा सहित रिटेल आस्तियां तथा रिटेल देयताएं के क्षेत्र में विशेष है। डायमंड तथा प्लेटिनम खाताधारकों के साथ वर्तमान रिश्ते को बढ़ाना तथा नए खाते जोड़ने का दबाव रहता है।
- ★ **लीड मैनेजमेंट सिस्टम :** बैंक के सभी विपणन स्टाफ के लिए एलएमएस सॉफ्टवेयर अनिवार्य कर दिया गया है। यह सिस्टम प्रभावशाली ढंग से अनुवर्ती कार्रवाई, ट्रेक्स, क्लासेस को ग्रहण करता है तथा विभिन्न स्तरों पर जनरेट हुए लीड्स का विश्लेषण करता है। अंचल के प्रमुख अधिकारियों के लिए कार्यशाला आयोजित की जाती है।
- ★ **अभियान/पहल :** बैंक के लिए कारोबार एकत्र करने के लिए कासा, रिटेल मियादी जमा तथा रिटेल ऋण के लिए विभिन्न अभियान/पहल आरम्भ किया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न तृतीय पक्ष उत्पादों के लिए पुरस्कार तथा पहचान कार्यक्रम आयोजित किया गया।

### प्रचार एवं जनसंपर्क

शीर्ष प्रबंधन के सक्षम दिशानिर्देश के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर हमारे बैंक की छवि तथा बैंक के विभिन्न उत्पादों की दृश्यता में वृद्धि के लिए बैंक के प्रचार तथा जनसंपर्क विभाग ने विभिन्न मल्टी-मिडिया कार्पोरेट अभियान आरम्भ किया। मिडिया योजना को निष्पादित करने के लिए, हमारे अनुमोदित थीम का आधार रिश्तों की जमापूजी जारी रहेगी। कार्पोरेट टीवीसी यथा पिगि बैंक, युगल, मित्र, बस आदि के अतिरिक्त नया टीवीसी गृह ऋण, वाहन ऋण तथा ई-उत्पाद (तत्काल राशि अंतरण (आईएमटी), मोबाइल बैंकिंग) को विभिन्न समाचारों तथा जीईसी टीवी चैनल पर प्रसारित किया गया। मल्टीप्लेक्स सिनेमा में स्क्रीन गतिविधियों, रेडियो चैनल तथा डिजिटल विज्ञापन के द्वारा विभिन्न वेबसाइट जैसे मनीकन्ट्रोल डॉट कॉम, बिजनेस सैंडर्ड डॉट कॉम, इंडिया इन्फो लाईन आदि को सक्रिय किया गया। प्रिंट मिडिया जैसे इन विज्ञापनों को प्रमुख राष्ट्रीय/क्षेत्रीय दैनिकों तथा शीर्ष पत्रिकाएं जैसे इंडिया टूडे, बिजनेस टूडे, आउटलुक, गृहशोभा आदि में प्रकाशित कर हमारे बैंक के उत्पादों के प्रसार अभियान को संचालित किया गया। महत्वपूर्ण स्थानों जैसे रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट तथा महानगरों तथा अन्य केन्द्रों के उच्च पथों पर ओओएच गतिविधियों का होर्डिंग/बिलबोर्ड/गैट्रिज आदि द्वारा विज्ञापनों के लिए भी यही कार्यनीति दर्शाई

गई। इस प्रसार के पहल को अच्छी सफलता मिली तथा कार्पोरेट छवि के साथ-साथ बैंक के उत्पादों के प्रचार तथा उसे स्थापित करने में वृद्धि हुई। इस अभियान के अतिरिक्त विभाग हमारे खुदरा गतिविधियों का प्रचार करता है जैसे रियल इस्टेट में निवेश, कार खरीदना, उपभोक्ता वस्तुएं तथा ई-उत्पादों का प्रचार ब्रांड तथा उत्पाद की दृश्यता में वृद्धि के लिए बैंक ने विभिन्न गतिविधियों को प्रयोजित किया जैसे बड़े बहु शृंखला स्टोर में कुछ गतिविधियों में विज्ञापन, विभिन्न खेलों की सुपर सिरिज में विज्ञापन, तीर्थयात्रियों के लिए शेड का विकास तथा निर्माण, कारोबारी तथा संस्थाओं के अन्तर्राष्ट्रीय सभा आदि। राज्य सरकारों के वृहद सांस्कृतिक गतिविधियों में विभिन्न धार्मिक/महाविद्यालय/विद्यालय को आयोजनों में, रियल इस्टेट तथा आवास वित्तपोषण एक्सपो, आईएल एंड एफएस मेरेथॉन, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ड्रीम रन, मेडिकल एसोसिएशन एंड कैसर केयर फाउन्डेशन के डॉक्टरों द्वारा मुंबई में स्वास्थ्य की सावधानियां थीम पर केन्द्रित कान्फ्रेंस में बैंक की सहभागिता। विभिन्न प्रकाशनों द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय निवेशक कॉन्क्लेव में बैंक ने सहभागिता की। इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित विभिन्न आयोजनों में विज्ञापन प्रदर्शन, भारतीय बैंक संघ - एफआईसीसीआई, एफआईबीएसी 2014, गांधीनगर (गुजरात) में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस तथा वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन 2015 के प्रमुख प्रयोजक बैंक था तथा एसोचैन आदि में बैंक की सहभागिता रही। हमारी सहभागिता देवोस में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन सेमिनार आईबीए - एसआईबीओएस 2014 में रही तथा बैंक की दृश्यता में वृद्धि के लिए तथा अपने समकक्ष बैंकों के ब्रांड छवि को बढ़ाने के लिए कई अन्य गतिविधियों की गई। विभाग ने सफलतापूर्वक बैंक के स्थापना दिवस उत्सव आयोजन तथा प्रेस तथा विश्लेषक बैठक, वार्षिक आम सभा (एजीएम) तथा असामान्य आम बैठक (ईजीएम) का आयोजन किया।

### परिचालनात्मक श्रेष्ठता

#### ग्राहकों के प्रति वचनबद्धता

बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का 2006 में उसकी शुरुआत से ही, स्वैच्छिक सदस्य रहा है। इसके पीछे बैंक का यह मकसद रहा है कि वह एक पारदर्शी तरीके में उच्च स्तर की सेवा मुहैया कराने की अपनी ग्राहक उन्मुखता और वचनबद्धता पर बल दे और ग्राहकों को सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी मुहैया कराए। भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड ने 2009 और 2014 में कोड को परिशोधित किया था और इसे बैंक द्वारा अंगीकार किया गया है और बैंक कस्टमर कॉपी 2014 को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। परिशोधित कोड की करीब 1 करोड़ प्रतियां ग्राहकों की सूचना के लिए संवितरित की गयी हैं।

बैंक ने आईबीए द्वारा बनायी गयी विभिन्न ग्राहक केन्द्रित नीतियों जैसे - जमाराशि नीति, चेक वसूली नीति, शिकायत निवारण नीति, क्षतिपूर्ति नीति, देयों की वसूली एवं प्रतिभूति पुनः अधिग्रहण नीति, ग्राहक अधिकार नीति, ग्राहक स्वीकार्यता, देखभाल और विच्छेद को अपनाया है। दिवंगत घटकों के मामले में सेफ कस्टडी और एसडीवी लॉकर्स से वस्तुओं की सुपुर्दगी के लिए और दिवंगत जमाराशि खाते में देय के निपटान की प्रक्रिया को सरलीकृत किया है।

बैंक ने वर्ष के दौरान शाखाओं में ग्राहक सेवा को बेहतर करने के लिए निम्नलिखित पहल किए हैं :

- ★ समग्र भारतवर्ष में स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों पर चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के सभी सहभागियों को एक लघु फिल्म दिखाई जा रही है यह फिल्मक वांछित स्टाफ व्यवहार पर है और पूरी फिल्मक बैंक परिसर में ही बनाई गयी है।
- ★ समस्यो वाले क्षेत्रों की पहचान के लिए शिकायतों के मूल कारण का विश्लेषण तिमाही अन्तरालों में किया जा रहा है और विचार और अपग्रेड करने के लिए सुधारात्मक कदम आरंभ किए जा रहे हैं।
- ★ आंचलिक कार्यालयों को अपने स्तर पर कारणों का विश्लेषण करने और शिकायत निवारण समय को कम करने, नाजुक क्षेत्रों की पहचान करने, त्वरित सुधारात्मक कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया गया है और इस प्रकार ये ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने में सहायक होगी।
- ★ संसूचना के इलेक्ट्रॉनिक रूप के प्रयोग पर संवर्द्धित बल देने से शिकायतों के लिए

प्रतिक्रिया समय अधिकांश मामलों में 10 दिनों तक में सीमित किया गया है।

- ★ वेब आधारित ग्राहक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस) को शिकायत निवारण में प्रतिक्रिया समय को कम करने और समय पर निवारक उपाय उठाने में सहायता के लिए विश्लेषणक रिपोर्ट जनरेट करने के लिए रीवेंप किया गया है।
- ★ शाखाओं द्वारा विभिन्न ग्राहक मैत्रीपूर्ण उपायों के अनुपालन का आवधिक मूल्यांकन आंचलिक लेखा परीक्षा कार्यालयों के अधिकारियों के दौरे द्वारा किया जाता है और तत्पश्चात आवश्यक सुधारात्मक कदम तत्काल उठाए जाते हैं।
- ★ आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी नूतन नोट छटाई मशीन/नोट अधिप्रमाणन मशीन के जरिए क्रियान्वित की जा रही है।
- ★ अनिवार्य रूप से अपेक्षित सभी ग्राहक केन्द्रित सूचना ग्राहकों के फायदे के लिए वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है और शाखाओं में भी उपलब्ध करायी जाती है। ग्राहकों को उनकी शिकायतें भेजने के लिए ई-मेल, फोन सहित, विभिन्न चैनल उपलब्ध हैं।
- ★ बैंक सभी शाखाओं में पर्सनलाइज्ड चेक बुक जारी कर रहा है।
- ★ बैंक ने सभी शाखाओं में वेलकम किट उपलब्ध करवा दिया है ताकि बिना किसी प्रतीक्षा अवधि के ग्राहकों को नया खाता खोलते समय ही एटीएम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके।
- ★ बैंक का आधिकारिक फ़ेसबुक पेज है जिसपर ग्राहकों के शिकायतों के समाधान के लिए पोस्ट और प्रकट किए गए विचारों की निगरानी रखी जाती है।
- ★ ग्राहकों के लिए आईवीआर सुविधा सहित कॉल सेंटर उपलब्ध हैं।

#### जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण

बैंक द्वारा की जानेवाली प्रत्येक कारोबार गतिविधि में जोखिम निहित है। बैंकिंग गतिविधियां हमें बड़ी संख्या में जोखिम में रखती है जैसे ऋण, विपणन, नकदी, परिचालनात्मक कार्यनीति, अनुपालन, प्रतिष्ठा का जोखिम आदि। बैंक को इन जोखिमों को संभालना पड़ता है तथा लंबी अवधि के परिणामों को व्यापकता प्रदान करने के लिए आस्तियों की समग्रता तथा अर्जन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना पड़ता है।

जोखिम के लिए बैंक अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करता है तथा क मजबूत तथा लचीला वित्तीय स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करता है। अपने ग्राहकों, कर्मचारियों तथा शेयरधारकों में अपनी प्रासंगिकता तथा मूल्य को बनाए रखने के लिए बैंक अपना ध्यान केंद्रित करता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यह व्यापक जोखिम प्रबंधन संवर्धन के लिए प्रयासरत रहता है तथा शासन प्रणाली को कार्यान्वित करता है तथा उस संवर्धन को सशक्त करने के लिए नियंत्रण के उपाय करता है। तदनुसार, जोखिम नियंत्रण कार्य का उद्देश्य केवल जोखिम को न्यूनतम करना नहीं है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि संस्था उपायों को उचित ढंग से पहचाने तथा जोखिम को संभाले और इन सभी प्रयासों पर यथोचित रिपोर्टें तैयार करे जिससे कि हुए जोखिम का खतरा परिचालन की क्रमबद्धता को प्रभावित न कर सके।

इसे ध्यान में रखकर बैंक ने ऐसी कार्यप्रणाली स्थापित की है जिससे व्यक्तिगत आधार पर संबंधित जोखिम का अविरत मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके तथा विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए शीर्ष कार्यपालकों की परिचालनात्मक स्तरीय समिति द्वारा समर्थित शीर्ष स्तर पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति सहित बैंक जोखिम प्रबंधन के समग्र जोखिम स्थिति बोर्ड चालित कार्य है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया विभिन्न चरणबद्ध है जैसे पहचान, मापन, निगरानी तथा नियंत्रण जो बृहद उद्यम जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम प्रबंधन, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन, डेरिवेटिव, एएलएम, विदेशी विनिमय तथा डीलिंग रूम परिचालन को कवर करती है। इन चरणों में नियंत्रण चक्र निहित है, जिसमें प्रतिपुष्टि तथा फीड अग्रोषण लूप सन्निहित हैं। परिचालनात्मक स्तरीय जोखिम समिति तथा टास्क फोर्स द्वारा सभी गतिविधियों तथा उत्पादों में पहचान, मापन, निगरानी तथा न्यूनीकरण के सभी संभावित जोखिमों विस्तृत विश्लेषण तथा विविक्षा की जाती है। तिमाही आधार पर बैंक का जोखिम रूपरेखा की जाती है। जोखिम पहचान के निर्धारण/मापन के लिए विभिन्न साधन तथा प्रणाली हैं जैसे विवेकपूर्ण सीमाएं, नया बेसल शिकायत ऋण निर्धारण मॉडल, ऋण लेखा, बाजार जोखिम के लिए वीएआर मॉडल, परिचालनात्मक जोखिम के लिए प्रमुख जोखिम संकेतक का पता लगाने सहित स्वयं-निर्धारण प्रक्रिया।

कार्यान्वित विश्लेषण के लिए व्यापक आंकड़े प्रदान करने के लिए बृहद उद्यम डाटा

वेयरहाउस के लिए बैंक में अपने डाटा वेयरहाउस को उन्नत करना आरम्भ किया। अपने जोखिम प्रबंधन प्रणाली को उन्नत करने के लिए तथा पूर्णता और आंकड़ों की गुणवत्ता को विकसित करने के लिए बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन सॉफ्टवेयर लागू किया। दिनांक 31.03.2008 से भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालन जोखिम के लिए ऋण तथा बाजार जोखिम और मूल संकेतक पहुंच के लिए मानक पहुंच पर आधारित नए पूंजी पर्याप्तता ढांचा (बासेल खख) के अन्तर्गत संगणना को बैंक ने माइग्रेट किया। विभिन्न जोखिमों, इसके जोखिम धारित क्षमता की सीमा तथा जोखिम और जोखिम वहन क्षमता के संबंध में आंतरिक पूंजी के उचित स्तर के निर्धारण/मापन के लिए वार्षिक आधार पर आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (सीएएपी) बैंक ने आरम्भ किया। चरमसीमा परिस्थितियों में संभावित प्रभाव को बैंक को बेहतर समझने के लिए जोखिम निर्धारण वृद्धि के लिए दबाव जांच प्रक्रिया कार्यरत है।

परिचालन जोखिम हेतु मानक पहुंच (टीएसए) तथा ऋण जोखिम के अन्तर्गत पूंजी प्रभार संगणन के लिए फाउन्डेशन इन्टर्नल रेटिंग बेस्ड (एफआईआरबी) को माइग्रेट करने के लिए भारिबैंक से अनुमति बैंक को प्राप्त हो चुकी है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली के प्रभावशीलता तथा मजबूती में वृद्धि करने के लिए आंतरिक मॉडल पहुंच (आईएमए) को माइग्रेट करना अंतिम चरण में है। बैंक का ब्रांड, साख तथा आस्तियों को बनाए रखने के लिए आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करते हुए बैंक कारोबार में गतिवर्धन में धोखाधड़ी जोखिम से बचने के लिए बैंक ने स्पष्ट उद्देश्यों सहित धोखाधड़ी जोखिम से बचने के लिए बैंक ने स्पष्ट उद्देश्यों सहित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित किया है। भारिबैंक के बासेल खख दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक पूंजी पर्याप्तता अनुपात का संगणन भी कर रहा है। बैंक की सूचना सुरक्षा प्रणाली तथा प्रक्रिया सुदृढ़ है। वास्तविक समय सुरक्षा प्रयासों/घटनाओं की 247 आधार पर निगरानी के लिए बैंक ने कई सूचना सुरक्षा परियोजनाओं को बैंक ने लागू किया है। केप्टिव सुरक्षा परिचालन केन्द्र (एसओसी) को बैंक आरम्भ कर रहा है। बैंक आईएसओ 27001, पीसीआई-डीएसएस 2.0 तथा बीएस25999 प्रमाणित है। डाटा केन्द्र तथा कोषागार शाखा के लिए भी बैंक आईएसओ 22301 प्रभावित है।

#### धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन विभाग के मुख्य कार्य हैं:

- ★ धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग और निगरानी
- ★ धोखाधड़ी पर केन्द्रीयकृत डेटा का रखरखाव
- ★ किए गए तथा प्रयास किए गए धोखाधड़ी का विश्लेषण
- ★ धोखाधड़ी में निहित रकम का प्रावधानीकरण और लेखांकन
- ★ धोखाधड़ी निवारक पर प्रशिक्षण के जरिए स्टाफ को सुग्राही बनाना।
- ★ बैंक के लिए एफआरएम नीति तैयार करना और क्रियान्वयन करना।
- ★ प्रधान कार्यालय में धोखाधड़ी के टास्क फोर्स की बैठक आयोजित करना।
- ★ धोखाधड़ी खतों में वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- ★ सिस्टम, कार्यविधियों और प्रथाओं की कमियां जिसके कारण धोखाधड़ी हो रही हैं उन्हें बंद करना।
- ★ परिपत्रों/अनुदेशों के जरिए धोखाधड़ी की कार्य-प्रणाली और घटने के कारणों की जानकारी देना ताकि उस प्रकार के धोखाधड़ी को पुनः घटने से रोका जा सके।
- ★ धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान के बीमा दावा से सभी पक्षों का प्रबंधन।
- ★ आराआईएमएस, एक बाह्य एप्लीकेशन, की सहायता से जेनरेट किए गए अलर्ट की ऑनलाइन निगरानी

#### मानव संसाधन विकास

किसी भी संस्था के विकास में मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव प्रबंधन का सिलसिला नियुक्ति प्रक्रिया से शुरू होता है तथा विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण, स्थापन, कार्यनिष्पादन समीक्षा, पदोन्नति आदि से होकर गुजरती है। स्पंदनशील संगठनात्मक संस्कृति के सृजन में मानव संसाधन विभाग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जिसके जरिए कर्मचारियों को अपने सर्वोत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाता है।

#### नीतियां, भर्ती और पदोन्नति

कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति में मानव संसाधन प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैंकिंग जैसे सेवा आधारित उद्योग में, त्वरित एवं दक्षतापूर्ण सेवा पर ही सफलता निर्भर होती है जिसे सही प्रतिभावान व्यक्तियों की भर्ती, प्रूमिंग और सही प्लेसमेंट से हासिल किया जा सकता है। पूरे बैंकिंग उद्योग में स्टाफ की कमी की समस्या है और बैंक लिपिकीय एवं अधिकारी वर्ग में कर्मचारियों की भर्ती हेतु भरसक, प्रयत्न कर रहे हैं। सेवा निवृत्त हो रहे कर्मचारियों के बदले युवा कर्मचारियों की भर्ती हेतु सक्रिया प्रयास किए जा रहे हैं। युवा अभ्यर्थियों द्वारा ग्रामीण तैनाती स्वीकार न करने, मौद्रिक क्षतिपूर्ति, संबंधित बैंकों में अत्यधिक स्टाफ की कमी के कारण सभी पीएसबी द्वारा एक साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, आदि निहित अवरोधों के बावजूद बैंक इसमें सफल हो सकता है। आने वाले वर्षों में अधिकांश पीएसबी, आईबीपीएस द्वारा आयोजित आम भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती करेंगे जिससे बैंकों में नए भर्ती हुए कर्मचारियों द्वारा बैंक छोड़ने की घटनाओं में गिरावट आएगी।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न वेतनमानों में सामान्य बैंकिंग एवं विशेषज्ञ प्रवर्ग में 1720 अधिकारियों तथा लिपिकीय संवर्ग में 2448 कर्मचारियों की भर्ती की है।

बैंक ने 1993 सामान्य बैंकिंग अधिकारियों और 3995 लिपिकीय स्टाफ की भर्ती हेतु, कदम उठाए हैं। यह आशा की जाती है कि शाखा विस्तार/कारोबार विस्तार के साथ-साथ सेवानिवृत्ति /वीआरएस के कारण उत्पन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए नए भर्ती हुए लिपिक और अधिकारी वित्तीय वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में रिपोर्ट करेंगे।

**एचआर के क्षेत्र में किए जाने वाले अन्ये पहल निम्नानुसार हैं :-**

- ★ बैंक की मैनपावर अपेक्षाओं का वैज्ञानिक आकलन जैसे मानव संसाधनों की मर्दों में पूर्ण समाधान उपलब्ध कराने हेतु और अधिक एचआरएमएस मोड्यूलस (गतिविधियों) को शामिल और समेकन किये गये हैं;
- ★ वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रणाली का सरलीकरण;
- पदोन्नति नीति को और वस्तुनिष्ठ बनाने और वर्तमान अपेक्षाओं के अनुरूप उसे सुयोग्य बनाने हेतु उसकी समीक्षा;
- ★ महाप्रबंधक (मा.सं.) द्वारा एचआर पहल संबंधित सुझावों के विनिमय, एचआर नीतियों को तात्कालिक बनाने के लिए नियमित रूप से स्टारडस्क देखा जा रहा है;
- ★ ऋण, फ़ारैक्स, विपणन, वसूली जैसे क्षेत्रों में विशेष कुशलता प्राप्त अधिकारियों की पहचान के द्वारा 'टैलेन्ट बैंक' की शुरुआत।
- ★ अधिकारियों के लिए पात्रता शर्तों में ढील देते हुए त्वरित पदोन्नक्ति प्रक्रिया की शुरुआत;
- ★ कर्मचारियों के लिए, ग्रुप सेविंग्स लिंकड इन्स्योरेन्स, डेथ रिलीफ स्कीम, कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा व्यय प्रतिपूर्ति योजना, नकदरहित उपचार हेतु विभिन्न अस्पतालों के साथ गठबंधन व्यवस्था, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सहायता, जैसे विभिन्न कल्याण उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

### अध्ययन एवं विकास प्रभाग

कर्मचारियों के कौशल विकास द्वारा विजेता टीम तैयार करना संस्थागन के कार्य का महत्वपूर्ण अंग है। उपयोक्त के अनुरूप और हमारे बड़े मानव संसाधन पूल के सही सामर्थ्य का पूरा लाभ उठाने की आवश्यकता को पहचानते हुए, 17.01.2015 को एक अलग प्रभाग अध्ययन एवं विकास का गठन किया गया है।

अध्ययन एवं विकास प्रभाग अपने लगातार शिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों तथा मॉड्यूलस के जरिये कर्मचारियों को अपने सर्वोत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहन देता है और प्रेरित करता है। कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि और विभिन्न खण्डों में ग्राहकों की बदलने वाली कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें सही कौशल और ज्ञान से सज्जित करने में उत्प्रेरक का कार्य करता है।

प्रशिक्षण नीति की व्यापक समीक्षा की गई और संशोधित नई नीति को बोर्ड द्वारा 12.3.2015 को अनुमोदन प्रदान किया गया।

पूरे देश में बैंक के छः प्रशिक्षण महाविद्यालय है। प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई),

सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई, चार प्रशिक्षण महाविद्यालय (एसटीसी) रणनीतिक स्थान भोपाल, चेन्नै , नोएडा और कोलकाता में है और एक सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्र (आईटीटीसी) पुणे में है।

वर्ष 2014-15 के दौरान अध्ययन एवं विकास प्रभाग द्वारा निष्पौदित की गई गतिविधियां :-

- ★ वर्ष के दौरान हमारे बैंक के 23,980 स्टाफ सदस्यों और अन्य संस्थानों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 1165 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।
- ★ वर्ष के दौरान सभी 2845 नये भर्ती लिपिकों के लिए 15 दिनों का इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे सभी प्रशिक्षण केन्द्रों पर आयोजित किया गया। नये सिधे भर्ती अधिकारियों के लिए 1 महीने का इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम बैंक कोशन्टक-कोयम्बतनूर और नोएडा कैम्पस में आयोजित किया गया। बैंक कोयशन्टा में कुल 1579 डीआरओ को प्रशिक्षण दिया गया।
- ★ पहली बार शाखा प्रबंधकों (FTBM) के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित कार्यक्रम NIBM पुणे और बैंक कोओशन्टल - कोयम्बतनूर और नई दिल्ली कैम्पस में आयोजित किया गया। जिसमें विभिन्न अंचलों के 250 नव तैनात शाखा प्रबंधकों को प्रशिक्षण दिया गया।
- ★ अनुशासनिक प्राधिकारियों हेतु "सतर्कता प्रशासन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और सार्वजनिक प्रोक्वोर्मेंट" में निवारक सतर्कता कार्यक्रम का आयोजन भारतीय रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व महाप्रबंधक श्री आर.राधाकृष्णेन, प्रसिद्ध वक्ता के सहयोग से किया गया, जिसमें 76 अधिकारियों ने भाग लिया।
- ★ एलसीबी और एमसीबी में कार्यरत 50 क्रेडिट अधिकारियों के लिए मेसर्स : CRISIL रिसर्च के सहयोग से ऋण मूल्यांकन और समय पूर्व चेतावनी सिग्नल पर कार्यकारी (इग्जेक्यूटिव) प्रशिक्षण आयोजित किया गया ।
- ★ आईटीईएस और एडीसी पर विशेष कार्यक्रम प्रत्येक अंचल से एक आईटी अधिकारी को नामित करते हुए किया गया, जो संबंधित अंचल के इन मुद्दों से संबंधित मामलों में प्रभारी था।
- ★ सभी नये पदोन्नत सहायक महाप्रबंधकों और उप महाप्रबंधकों (जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम में पहले भाग नहीं लिया हो) हेतु नेतृत्व और परिवर्तन प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन एससीआई हैदराबाद में आयोजित किया गया जिसमें 88 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- ★ वर्ष के दौरान कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले स्केल IV और V के शाखा प्रमुखों हेतु प्रसिद्ध वक्ता संजय सहाय के माध्यम से प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 108 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- ★ संगठन मेसर्स, स्किल एडज के माध्यम से मुंबई उत्तर, मुंबई दक्षिण, गोवा के स्टाफ सदस्यों के लिए विपणन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- ★ हैदराबाद अंचल में बीओएफ में तैनात सभी स्टाफ सदस्यों को आईबीएस हैदराबाद में प्रशिक्षित किया गया और मुंबई उत्तर, दक्षिण और नवी मुंबई अंचलों को मुंबई के वेलिंगकर इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रशिक्षित किया गया।
- ★ आईआईबीएफ मुंबई से किए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों के लिए कोर्स की फीस की प्रतिपूर्ति हेतु परिपत्र जारी किया गया है।
- ★ बैंक की वेबसाइट पर सभी सेवानिवृत्ति कार्यपालकों की डेटा शीट मंगवायी गयी ताकि स्टाफ सदस्यों को स्थानीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अंचलवार सेवानिवृत्त कार्यपालकों का पैलन तैयार किया जाए।
- ★ "तत्वलोक" - "दी स्पलेन्डर ऑफ टूथ" एक उच्च गुणवत्ता पत्रिका बैंक के 1000 मूल्यवान ग्राहकों के लिए सब्सक्राइब की गयी।
- ★ प्रबंधन पाठ्यक्रम करने वाले 431 छात्रों को हमारे बैंक में गर्मियों में इंटरशिप करने की अनुमति दी गई।
- ★ ई-लर्निंग को लोकप्रिय बनाने के लिए ज्ञान को व्यापक स्र पर फैलाया गया। आज तक ई-लर्निंग के 75 मॉड्यूल को HRMS-ELM पैकेज में अपलोड किया गया।

### आरक्षण नीति का अनुपालन

बैंक, भारत सरकार की आरक्षण नीति का पूर्णतः अनुपालन कर रहा है। प्रधान कार्यालय/आंचलिक कार्यालयों में विशेष भर्ती एवं एससी/एसटी कक्ष आरक्षण नीति के

कार्यान्वयन और एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों के निवारण की निगरानी के लिए कार्यशील हैं।

#### आंतरिक प्रकाशन (गृहपत्रिका तारांगण एवं बीओआई गाइडिंग स्टार)

पिछले 50 वर्षों से हमारी गृहपत्रिका तारांगण बैंक के आंतरिक संसूचना हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह बैंक के कर्मचारियों की वचनबद्धता बढ़ाने का एक माध्यम है। यह एक ऐसा मंच है जिसमें लेखों कविताओं, अनुभवों कार्टूनों इत्यादि के माध्यम से कर्मचारी अपनी सृजनशीलता को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा, हमारी गृहपत्रिका में ग्राहकों की सफलता की कहानियां, ग्राहकों की सामाजिक उपलब्धियों के साथ देश और विदेश में स्थित अंचलों/शाखाओं/ कार्यालयों की सामाजिक, प्रचार-प्रसार और अन्य गतिविधियों को भी प्रकाशित किया जाता है। साथ ही स्टाफ सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों की उपलब्धियों भी सम्मिलित की जाती हैं। प्रत्येक अंचल में तारांगण से संबंधित कार्यों को देखने के लिए आंचलिक प्रतिनिधियों को नामित किया गया है। हालांकि, हमारी गृहपत्रिका का मूल उद्देश्य स्टाफ सदस्यों के बीच आंतरिक संसूचना हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है।

#### गृहपत्रिका तारांगण को प्राप्त पुरस्कार एवं सम्मान

वर्ष 2013 के दौरान बैंक गृहपत्रिका को विभिन्न प्रसिद्ध संस्थाओं से पुरस्कार प्राप्त हुए जिसमें गृहपत्रिका में 'ब्रांड उत्कृष्टता का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार' भी शामिल है। गृहपत्रिका को प्राप्त पुरस्कारों को विवरण निम्नानुसार है।

- ★ सिंगापुर में 31 जुलाई 2014 को संपन्न 5वें सीएमओ एशिया पुरस्कार सम्मेलन में सीएमओ एशिया द्वारा 'ब्रांड उत्कृष्टता का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार'।
- ★ 19 दिसंबर 2014 को उत्कृष्ट गृहपत्रिका श्रेणी के अंतर्गत पब्लिक रिलेशन सोसायटी आफ इंडिया (पीआरएसआई) द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार (द्वितीय)
- ★ 13 नवंबर 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्कृष्ट गृहपत्रिका श्रेणी के अंतर्गत 'तृतीय पुरस्कार'
- ★ 27 फरवरी 2015 को मुंबई में एसोसियेशन आफ बिजनेस कंप्यूनिकेटस आफ इंडिया द्वारा विभिन्न श्रेणी में 'फीचर्स लेंग्वेज - कांस्य और विशेष कॉलम- स्वर्ण पुरस्कार'

#### कार्पोरेट जानकारी की पत्रिका 'बीओआई गाइडिंग स्टार' का आरंभ

मजबूत आंतरिक संसूचना का होना बहुत महत्वपूर्ण है। यह महसूस किया गया कि अन्य कार्पोरेट नेतृत्व के विचारों को सुनने और शेर करने के लिए बाह्य संसूचना होनी चाहिए।

इस परिप्रेक्ष्य में एक नया कार्पोरेट नॉलेज मैगज़ीन 'बीओआई गाइडिंग स्टार' बैनकॉन 2013 के दौरान नवंबर, 2013 में आरंभ की गई जो बैंक और हाई प्रोफाइल के बीच अनन्य कार्पोरेट संसूचना है जिसमें भारत के प्रतिष्ठित विज्ञान लीडर, संघ सरकार और आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों, कार्पोरेट कंपनियों के फ्रान्टलाइन सीईओ, सीएमडी, ईडी तथा वित्तीय क्षेत्र के एक्सपर्ट, प्रोद्योगिकी नेतृत्व, प्रबंधन गुरु, शिक्षक, आईआईएम, आईआईटी तथा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों, आर्थिक पत्राकार तथा मीडिया शख्सियत, विज्ञापन तथा विपणन विशेषज्ञ और कला के शख्सियत शामिल है। इसके दो संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और उद्योग जगत के नेताओं से अच्छी फीडबैक मिली है।

हाल ही में पत्रिका का पहला वर्षगांठ अंक प्रकाशित किया गया। कार्पोरेट स्तर पर इस पत्रिका को प्रशंसा प्राप्त हुई है और यह अल्प समय में विभिन्न स्थानों पर अपनी पहचान बनाने में सफल हुई है। 19 दिसंबर 2014 को उत्कृष्ट गृहपत्रिका श्रेणी के अंतर्गत पब्लिक रिलेशन सोसायटी आफ इंडिया (पीआरएसआई) द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार (द्वितीय) प्रदान किया गया तथा 27 फरवरी 2015 को मुंबई में एसोसियेशन आफ बिजनेस कंप्यूनिकेटस आफ इंडिया द्वारा 'नए प्रकाशन' श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान किया गया।

#### कुल स्टाफ संख्या (भारतीय) में एससी/एसटी/ओबीसी का प्रतिनिधित्व (भारतीय)

बैंक ने प्रधान कार्यालय में क्रमशः ओबीसी तथा एससी/एसटी के लिए मुख्य सम्पर्क अधिकारियों के रूप में महाप्रबंधक को नियुक्त किया है। एससी/एसटी/ओबीसी प्रवर्गों से संबंधित अधिकारी सम्पर्क अधिकारी/कक्ष अधिकारी के रूप में आंचलिक कार्यालयों में नियुक्त/ किए हैं।

मार्च 2015	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ स्टाफ
अनुसूचित जाति	3386	2897	2812
भारतीय कार्यालयों में कुल स्टाफ का %	17.58	16.28	34.09
अनुसूचित जनजाति	1560	1807	872
भारतीय कार्यालयों में कुल स्टाफ का %	8.10	10.16	10.57
अन्य4 पिछड़ी जातियां	3168	2980	1553
भारतीय कार्यालयों में कुल स्टाफ का %	16.45	16.75	18.83
<b>कुल</b>	<b>19262</b>	<b>17790</b>	<b>8248</b>

#### विधि

बैंक का विधि विभाग एक मददकर्ता के रूप में कार्य करता है तथा प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों से उभरे विभिन्न मामलों में सलाह, प्रलेखीकरण, मुकदमेबाजी आदि कार्यों को करता है, इसके अतिरिक्त विभिन्न एनबीजी/अंचलों, भारतीय शाखाओं/विदेशी शाखाओं तथा बैंक के अनुषंगियों के विभिन्न निर्दिष्ट मामलों के कार्य करता है। विशेषीकृत विभागों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी/अन्तरराष्ट्रीय/कोषागार/कार्ड उत्पाद आदि के विशिष्ट कार्यों जैसे मसौदा/विभिन्न संविदा के प्रलेखों की विविक्षा (वेटिंग)/सेवा स्तर समझौता (एसएलए), (सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर अधिप्राप्ति, विभिन्न प्रकार की तालमेल व्यवस्था/नए उत्पाद आदि) सूचना का अधिकार अधिनियम समाज में प्रमुख भूमिका निभा रहा है तथा विभिन्न स्तरों से बैंक को अनेकों आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। बैंक ने विभिन्न अंचलों/एनबीजी में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा अपील प्राधिकारी का चयन किया है। विधि विभाग के महाप्रबंधक अपील प्राधिकारी हैं जिसमें सभी विभागों से वांछित सूचना प्राप्त की जाती है तथा निर्धारित समय-सीमा 30 दिनों के अन्दर आवेदक को प्रदान किया जाता है तथा विशिष्ट बिंदुओं पर अन्य अंचलों/एनबीजी को दिशानिर्देश प्रदान किया जाता है। स्टाफ के बीच जागरूकता निर्मित करने के दृष्टिकोण से स्टाफ में 'लीगल न्यूज़ लेटर' नियमित जारी किया जाता है तथा विधि विभाग द्वारा परिचालित किया जाता है इसके साथ समय-समय पर नवीनतम विधिक विकासों के बारे में परिपत्र जारी किया जाता है।

- बैंक द्वारा दायर मुकदमा के संबंध में वादपत्र का अनुमोदन।
- प्रसारण मामलों को साझा करना।
- बैंक के विरुद्ध फाइल याचिका, मामलों, अपील, दावों आदि को सूचित करना, जहां कहीं भी आवश्यक हो आवेदनों/हलफनामा की वेटिंग/विभिन्न अधिनियमों के विचाराधीन नए कानून/संशोधनों सहित विभिन्न मामलों पर मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय बैंक संघ के विभिन्न प्रश्नों को देखना।
- सूचना अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों द्वारा किए गए अनुरोधों को देखना। इसमें अनुरोधों का संसाधन, संबंधित विभाग को उसे अग्रेषित करना तथा समयानुसार (30 दिनों में) उत्तर देना सम्मिलित है। यदि इन आदेशों के विरुद्ध अपील की गई तो अपील का प्रसंस्करण करना तथा समयानुसार उसका निपटारा करना। इसके अतिरिक्त, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अंचलों तथा शाखाओं को विधि विभाग द्वारा दिशानिर्देश दिया जाता है। जहां कहीं भी आवश्यक है, पक्षों द्वारा दायर अपील की सुनवाई के लिए विधि विभाग सीआईसी के समक्ष उपस्थित होता है।

#### अनुपालन

बढ़ता हुआ ग्राहक आधार, कहीं भी और कभी भी महफुज और सुरक्षित मोड में बैंकिंग हेतु ग्राहकों की बढ़ती उम्मीदें, बढ़ती उत्पाद प्रोफाइल, बढ़ते प्रौद्योगिकी और उभरते नियामक सुधारों हेतु अनुपालन जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक में एक मजबूत अनुपालन कार्य नीति का होना ज़रूरी है।

विनियामक के संदर्भ में अनुपालन काफ़ी महत्वपूर्ण है न सिर्फ़ ऊपर सूचीबद्ध मुद्दों के लिए बल्कि इसलिए भी कि विनियमों की संख्या बढ़ रही है और एक संस्था में अनुपालन की आवश्यकता के संबंध में बड़े पैमाने पर समझ की कमी है। इस प्रकार अनुपालन तेजी से कार्पोरेट प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक की अनुपालन कार्यनीति बैंक के बोर्ड द्वारा अपनाई गई है। बैंक में महाप्रबंधक की श्रेणी के मुख्य अनुपालन अधिकारी के नेतृत्व में स्वतंत्र अनुपालन विभाग कार्य कर रहा है। बैंक की सांविधिक, विनियामक एवं आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, बैंक के अनुपालन कार्य का परिचालन कार्य क्षेत्र है।

विभाग ने शाखा बैंकिंग के निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए अनुपालन नियम तैयार किया है-

विवरण	आवृत्ति	नियमों की सं.
अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध	मासिक	53
जमाराशियाँ व सेवाएँ	तिमाही	61
अग्रिम	तिमाही	63
एफडीएमए	तिमाही	157

प्रत्येक अंचल निर्धारित आवृत्ति पर उपरोक्त नियमों के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है। नियमों के आधार पर, विभाग द्वारा पूरे भारत में चयनित शाखाओं में अर्द्ध वार्षिक अनुपालन परीक्षण का आयोजन होता है। इस तरह के अनुपालन परीक्षण के निष्कर्षों पर एक रिपोर्ट शीर्ष प्रबंधन को प्रस्तुत की जाती है।

प्रत्येक अंचल कार्यालय में, एक अनुपालन अधिकारी संबंधित क्षेत्र के अनुपालन कार्य/विधि की निगरानी के लिए निर्धारित किया गया है। विभाग विदेशी अनुपालन के लिए भी जिम्मेदार है। विदेशी शाखाओं के संबंध में, निगरानी क्लस्टर स्तर पर भी की जाती है।

अनुपालन विभाग, अन्य बातों के साथ बोर्ड/बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति/शीर्ष प्रबंधन/प्रधान कार्यालय के विभागों की निम्नलिखित प्रस्तुत करता है:-

- ★ बोर्ड को विदेशों में विनियामकों के उल्लंघन, यदि कोई हो, पर मासिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है;
- ★ बोर्ड को डेरिवेटिव के संबंध में मासिक प्रमाण-पत्र;
- ★ बैंक के समक्ष अनुपालन जोखिम पर उच्च प्रबंधन को मासिक नोट;
- ★ केवाईसी/एमएल/सीएफटी में लिए गए प्रमुख पहलों पर बोर्ड को मासिक नोट;
- ★ बोर्ड को मासिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्रों का सारांश और उसका अनुपालन;
- ★ विदेशी केन्द्रों से प्राप्त घोषणाओं के आधार पर, विदेशी केन्द्रों में विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं का पालन किया जा रहा है, इस संबंध में उच्च प्रबंधन को मासिक प्रमाण-पत्र;
- ★ बोर्ड को बैंक के अनुपालन कार्य पर तिमाही रिपोर्ट;
- ★ बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को तिमाही आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों/अनुदेशों पर बैंक का अनुपालन;
- ★ बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को केवाईसी/एमएल/सीएफटी के कार्यान्वयन की समीक्षा की तिमाही रिपोर्ट;
- ★ वार्षिक वित्तीय निरीक्षण/जोखिम आधारित पर्यवेक्षण में पायी गयी अनियमितताओं पर बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को तिमाही रिपोर्ट;
- ★ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट कैलेंडर ऑफ़ रिस्क की निगरानी और बोर्ड को इस पर तिमाही आधार पर रिपोर्ट;
- ★ कम्प्लायंस फंक्शन पॉलिसी के पैरा 12(ii) के अनुसार विभाग, बोर्ड को अपनी कार्यात्मकता पर एक वार्षिक रिपोर्ट;

xiii) लगाए गए दंड/सुधारत्मक उपायों के लिए उठाए गए विभिन्न कानूनों और कार्रवाई के तहत बैंक के खिलाफ की गयी दंडात्मक कार्रवाई पर बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट

विभाग को बैंक में अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)/धनशोधन निवारण (एमएल)/आतंकवाद के वित्त पोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) दिशानिर्देशों को लागू करने/निगरानी रखने की जिम्मेदारी भी दी गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार विभाग ने सभी वर्तमान खातों में केवाईसी मानदण्ड के अनुपालन को सुनिश्चित करने का काम गंभीरता से लिया है। फिनेकल सिस्टम में प्रत्येक खाते में केवाईसी स्थिति को नोट करने के लिए अलग अनिवार्य फील्ड डाली गयी है। सभी शाखाओं में केवाईसी अनुपालन न किए गए खातों को पहचानने, केवाईसी दस्तावेज प्राप्त करने तथा फिनेकल सिस्टम को उचित रूप से अद्यतन करने की प्रक्रिया चल रही है।

धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएल अधिनियम) के उपबंधों के अनुसार और इसके अतिरिक्त संशोधनों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और केवाईसी के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार शाखाएं ग्राहकों के सही पहचान के लिए नवीनतम फोटोग्राफ, पहचान का प्रमाण तथा वर्तमान पते का प्रमाण प्राप्त कर रही है। कम आय समूह के व्यक्तियों के खाते खोलते समय सरलीकृत केवाईसी मानदंड शुरू किए गए हैं। सभी ग्राहकों को जोखिम धारणा के आधार पर उच्च, मध्यम व न्यून जोखिम प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा प्रत्येक छह महीने में की जानी चाहिए। खातों की जोखिम प्रवर्गीकरण की समीक्षा को प्रधान कार्यालय में केन्द्रीयकृत कर लिया गया है।

बैंक ने धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों और उसके संशोधनों को कार्यान्वित किया है।

धनशोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत संदिग्ध संव्यवहारों को अभिनिर्धारित करने के लिए बैंक ने एन्टी मनी लॉन्ड्रिंग सॉफ्टवेयर प्राप्त किया है। बैंक ने आईबीए द्वारा नियत सिनेरीओ कार्यान्वित किया है। आईबीए द्वारा हमें ऑफ-लाइन और ऑन-लाइन अलर्ट सिनेरीओ की संशोधित सूची भेजी गयी है जो बैंकों द्वारा आवश्यक है। संशोधित सूची में 22 ऑफ-लाइन और 22 ऑन-लाइन अलर्ट सिनेरीओ हैं। हमने सभी अंचलों और शाखाओं को ऑफ-लाइन अलर्ट सिनेरीओ परिचालित किया है। जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रधान कार्यालय के विभागों के साथ समन्वय करते हुए विभाग संभाला जाता है। आरबीएस रिपोर्टों की छानबीन कर अनुपालन भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाती है। नवंबर 2014 से जनवरी 2015 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए आरबीएस के तहत ऑन-साईट पर्यवेक्षण किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पायी गयी विसंगतियों को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को अनुपालन की स्थिति के साथ रिपोर्ट की जाती है।

सभी विनियामक एजेंसियों के लिए अनुपालन विभाग ही एक संपर्क बिंदु है जिसके माध्यम से बैंक द्वारा बातचीत की जाती है।

#### सतर्कता

बैंक की सतर्कता प्रणाली के शीर्ष में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जिन्हें वित्त मंत्रालय एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहमति से नियुक्त किया जाता है। सभी सतर्कता मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारियों को सूचना प्रदान करने में सीवीओ की सहायता के लिए ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जिनके पास जाँच एवं अनुशासनिक कार्रवाई के मामलों में ज्ञान/पृष्ठभूमि होने के साथ साथ बैंकिंग की भी जानकारी है। सुरक्षात्मक सतर्कता उपायों की पहल करने में एवं उनका प्रचार-प्रसार करने में भी सतर्कता विभाग ध्यान केंद्रित करता है। इस संबंध में, सतर्कता मामलों पर कार्रवाई करने के लिए बैंक में 5 पृथक "सतर्कता इकाई" हैं। बैंक द्वारा प्रायोजित चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा भेजे गए सतर्कता मामलों में भी सतर्कता विभाग सीवीओ द्वारा दी गई सूचना प्रदान करता है।

#### राजभाषा विभाग

बैंक के प्रधान कार्यालय में एक सुस्थापित राजभाषा विभाग है जिसने वर्ष के दौरान राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की। राजभाषा हिन्दी पर अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया जिसमें सुश्री नीता चौधरी, सचिव (राजभाषा), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग मुख्य

अतिथि थीं और जिसमें सभी बैंकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। बैंक द्वारा लखनऊ में दिनांक 10.01.2015 को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के तत्वावधान में 'विश्व हिन्दी दिवस' समारोह का भी आयोजन किया गया था जिसमें सभी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। हमारी कुछ विदेशी शाखाओं, जैसे कौलून (हॉन्ग कॉन्ग), जोहान्सबर्ग (दक्षिण आफ्रिका) और बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना) में भी कारोबार को भाषा से जोड़ने के उद्देश्य के साथ भारतीय समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं अनिवासी भारतीयों के साथ मिलकर 'विश्व हिन्दी दिवस' मनाया गया।

बैंक में दिनांक 15 अगस्त, 2014 से 14 सितंबर, 2014 के दौरान मनाएं गए हिन्दी माह में वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ समस्त स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं जैसे हिन्दी अनुवाद, हिन्दी टंकण, नोटिंग, ड्राफ्टिंग का आयोजन किया गया। हिन्दी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का मंचन भी प्रधान कार्यालय में किया गया था और मुंबई के प्रसिद्ध कवियों को आमंत्रित कर कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था।

बैंक ने विभिन्न अंचलों एवं प्रशिक्षण केंद्रों पर कुल 156 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जिनमें 1885 अधिकारियों एवं 1614 लिपिकों को अपने हिन्दी भाषा-कौशल को विकसित करने हेतु प्रशिक्षित किया गया।

वर्ष के दौरान, सूचना प्रौद्योगिकी में पहल के रूप में, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) में राजभाषा को लागू किया गया और पासबुक, ड्राफ्ट, इत्यादि को हिन्दी में मुद्रण करने हेतु बनाए गए यूनिप्रिंटर के परिशोधित वर्जन को बैंक की सभी शाखाओं में प्रेषित किया गया। राजभाषा नियम, 1976 के नियम-11 के अनुपालन हेतु महत्वपूर्ण विभागीय प्रक्रिया साहित्य जैसे वैकल्पिक प्रस्तुति माध्यम अनुदेश, सुरक्षा मैनुअल, एनपीए, कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली, संपूर्ण वित्तीय समावेशन (एसवीएस), इत्यादि का हिन्दी में अनुवाद किया गया एवं संदर्भ हेतु उन्हें उपलब्ध कराया गया।

हमारे नागपुर-1 आंचलिक कार्यालय के संयोजन में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नागपुर को वर्ष 2012-13 के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ एवं वर्ष 2013-14 के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ जिन्हें भारत के राष्ट्रपति महोदय श्री प्रणव मुखर्जी के करकमलों से नई दिल्ली में प्रदान किया गया इसी प्रकार राजभाषा हिन्दी में उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए ख क्षेत्र में वर्ष 2013-14 के लिए हमारे प्रधान कार्यालय को इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ जो भारत के राष्ट्रपति महोदय के करकमलों से प्रदान किया गया। हमारी तत्कालीन हिन्दी तिमाही गृह पत्रिका 'संकल्पना' को भी राजभाषा गवर्नर शीलड प्रतियोगिता में प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ।

वर्ष 2013-14 के लिए, राजभाषा हिन्दी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व), कोलकाता की ओर से 'क' क्षेत्र में हमारे मुजफ्फरपुर अंचल को तृतीय पुरस्कार एवं 'ग' क्षेत्र में हमारे हावड़ा अंचल को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

### इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार

हमारे बैंक को वर्ष 2013-14 के लिए 'ख' क्षेत्र में राजभाषा कार्यान्वयन के सराहनीय कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राजभाषा शीलड के द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार, हमारे नागपुर आंचलिक कार्यालय द्वारा संचालित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) नागपुर को वर्ष 2013-14 के लिए 'ख' क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 'इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार' के द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया। मुंबई में हमारे बैंक द्वारा 9 मई, 2014 को 'अखिल भारतीय राजभाषा सेमिनार' का आयोजन किया गया जिसमें भारत सरकार, गृह मंत्रालय व वित्त मंत्रालय के उच्च कार्यपालकों सहित सभी राष्ट्रीयकृत बैंक के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैंक द्वारा 10 जनवरी, 2015 को लखनऊ में 'विश्व हिन्दी दिवस' वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया जिसमें सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, वित्तीय संस्थानों और बिमा कंपनियों ने अपनी सहभागिता दर्ज करायी। हमारी जोन्हासबर्ग, बोत्सवाना और कौलून (हांगकांग) शाखाओं द्वारा भी 10 जनवरी, 2015 को भारतीय मूल के नागरिकों और स्थानीय निवासी स्टाफ सदस्यों के साथ 'विश्व हिन्दी दिवस' मनाया गया।

### बैंक की अनुषंगियां/सहायक कंपनियां

#### इंडो ज़ाम्बिया बैंक लि. (आईजेडबी)

आईजेडबी तीन भारतीय बैंकों, यथा बैंक आफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया और जाम्बिया सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। प्रत्येक भारतीय बैंक के पास 20% शेयर पूंजीधारिता है, जबकि जाम्बिया सरकार की शेयर पूंजीधारिता 40% है। इंडो-जाम्बिया बैंक लि. सफल संयुक्त उद्यम का एक बढ़िया उदाहरण है। इसे दो भिन्न मित्रवत गणराज्यों जाम्बिया गणराज्य सरकार और भारत सरकार का संरक्षण प्राप्त है।

#### पीटी. बैंक ऑफ इंडिया (इंडोनेशिया) टीबीके

बैंकने पीटी. बैंक स्वदेशी टीबीके में 76% का स्टोक अर्जित किया है जो अब बदल कर पीटी. बैंक ऑफ इंडिया (इंडोनेशिया) टीबीके हुआ है। इसके इक्विटी में बैंक का मौजूदा निवेश ₹ 278.96 करोड़ है। वर्ष 2014-15 के लिए निवल लाभ ₹ 99.18 करोड़ (अलेखापरीक्षित) है।

#### बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लिमिटेड

बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लिमिटेड पूर्ण रूपसे बैंक की अपनी अनुषंगी है और जिसने दिनांक 16 जून, 2008 सेदार-उ-सलाम में पहली शाखा के साथ परिचालन आरंभ किया है। वर्ष 2014-15 के लिए निवल लाभ (अलेखापरीक्षित) ₹ 7.87 करोड़ है।

बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैण्ड) लि. बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैण्ड) लि. पूर्ण रूप से बैंक की अपनी अनुषंगी है। यथा 31.03.2015 में बैंक का नेट वर्थ ₹ 233.80 करोड़ है। वर्ष 2014-15 के लिए निवल लाभ (अलेखापरीक्षित) ₹ 7.87 करोड़ है।

बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना) लि. वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने अपनी अनुषंगी 'बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना) लि.' के नाम से स्थापित की, जिसने दिनांक 09.08.2013 से उसकी प्रथम शाखा गॅबोरॉन बोत्सवाना से परिचालन शुरू किया था।

बैंक ऑफ इंडिया (यूगांडा) लि. बैंक ऑफ इंडिया (यूगांडा) लि. पूर्ण रूप से बैंक की अपनी अनुषंगी है। यथा 31.03.2015 में बैंक का नेट वर्थ ₹ 63.21 करोड़ है और वर्ष 2014-15 के लिए निवल लाभ (अलेखापरीक्षित) ₹ 1.36 करोड़ है।

#### बीओआई शेयर होल्डिंग लि. (बीओआईएसएल)

बैंक का केपिटल मार्केट के साथ नौ दशकोंसे अधिक पुराना संबंध है। वर्ष 1921 से बैंकद्वारा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का समाशोधन एवं निपटान कार्य किया जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन गृह की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए बैंक ने वर्ष 1989 में बीएसईके साथ 'बीओआई शेयर होल्डिंग लि. (बीओआईएसएल)' नामक संयुक्त उपक्रम स्थापित किया। बैंक के पास ₹ 2 करोड़ की अपनी प्रदत्त पूंजी का 51% धारिता है।

सेबी के दिशानिर्देशानुसार बीएसई की अनुषंगी आईसीसीएल बीएसई के व्यवसाय के लिए सेंट्रल काउंटर पार्टी के रूप में कार्य करेगी और सेबी के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए दिनांक 01.04.2014 से समाशोधन तथा निपटान का कार्य आरंभ किया है।

बीओआईएसएल नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लि.(एनएसडीएल) एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) दोनों डिपॉजिटरीयों का डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) भी है और यह समाशोधन सदस्यों एवं निवेशकों को डिपॉजिटरी सेवाएँ उपलब्ध कराता है। बीओआईएसएल देश का ऐसा पहला प्रतिभूत समाशोधनगृह है, जिसे आईएसओ 9001-2000 आईएसओ प्रमाणन से पुरस्कृत किया गया है। बीओआईएसएलने वर्ष 2013-14 में ₹ 5.89 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया था जिसकी तुलना में वर्ष 2014-15 (अलेखापरीक्षित) में ₹ 1.39 करोड़ अर्जित किया है।

#### बीओआई एक्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लि. व बीओआई एक्स ट्रस्टी सर्विसेस प्राइवेट लि.

यह कंपनियां म्यूचुअल फंड व पोर्टफोलियो प्रबंधन के कारोबार में हैं। बैंक ऑफ इंडिया की इन कंपनियों में 51% की शेयरधारिता है।

#### बीओआई मर्चेन्ट बैंकर्स लि. (बीओआईएमबी)

दिनांक 31.10.14 में बीओआईएमबी को निगमित किया गया और 21.01.2015 से मर्चेन्ट बैंकिंग के कारोबार में परिचालन आरंभ करने के लिए आरबीआई से अनुमति

प्राप्त हुई खासकर इक्विटी/बॉन्ड और डिबैंचर इशू के प्रबंधन और हामीदारी अंकन करने के लिए।

यह ₹ 10 करोड़ की चुकता पूंजी वाला पूर्ण स्वामित्व वाला अनुषंगी है। कंपनी ने अपने परिचालन के पहले वर्ष में अर्थात् 2014-15 में ₹ 12.77 लाख का निवल लाभ (लेखापरीक्षित) अर्जित किया है।

#### एसटीसीआई फिनेंस लि.

एसटीसीआई लि. देश का एक प्रमुख प्रायमरी डीलर है। इसे सक्रिय सेकेंडरी मार्केट के विकास के माध्यम से ग्लोबल एवं अन्य ऋण प्रतिभूति बाजार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से 1994 में प्रवर्तित किया गया था। एसटीसीआई जिसकी चुकता पूंजी ₹ 380 करोड़ है, बैंक ऑफ इंडिया 29.96% धारिता के साथ सबसे बड़ा एकल शेयरधारक है। यह कंपनी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 21 (एस-21) के अनुसार बैंक की सहयोगी कंपनी है। इस बढ़ती धारणा के परिप्रेक्ष्य में कि प्राइमरी डीलरशिप अपने आप में कोई आकर्षक व्यवसाय नहीं रहा, एसटीसीआई ने प्राइमरी डीलरशिप कारोबार अपनी नई अनुषंगी एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लि. को देने का निर्णय किया है, जिसने अपना परिचालन 25 जून, 2007 से शुरू किया है। इस अनुषंगी ने अपना कार्य सावधानी पूर्वक शुरू किया है और सबसे नियमित प्रगति की है। अनुषंगी के निर्माण के पश्चात् एसटीसीआई ने आईपीओ निधियन, मार्जिन निधियन, पण्यस्वरूप भावी कारोबार, आस्तिप्रबंधन, लघु अवधि कापॉरिटेड ऋण/सीपी में निवेश, इक्विटी ट्रेडिंग आदि गतिविधियां प्रारंभ की। वित्तीय वर्ष 2013-14 में अर्जित ₹ 91.44 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी ने ₹ 153.76 करोड़ निवल लाभ अर्जित किया है।

#### स्टार यूनिन्यन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. (एसयूडी लाइफ)

बैंक ऑफ इंडिया, यूनिन्यन बैंक ऑफ इंडिया एवं दाई-इची म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जापानने वृद्धिशील बीमा बाजार का लाभ लेने तथा देश में चारों ओर फैले अपने ग्राहकों को विश्वसनीय गुणवत्ता बीमा उपलब्ध करने के लिए 'स्टार यूनिन्यन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी' गठित की है। कंपनीने फरवरी, 2009 से बीमा कारोबार प्रारंभ किया है। कंपनी जिसकी चुकता पूंजी ₹ 250 करोड़ है उसमें बीओआई का 48% अंश है। बैंक की धारिता के अतिरिक्त यूनिन्यन बैंक का हिस्सा 26% तथा दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जापान की धारिता 26% है।

इंश्योरेंस कारोबार में विदेशी निवेश पर हाल ही में बदले हुए दिशानिर्देश के अनुसार जो अब उध्वगामी परिशोधन से 49% हो गया है और संयुक्त उद्यम करार की शर्तों के अनुसार हमारे बैंक के बोर्ड ने दाई-इची म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जापानको 18% स्टैक निर्निहित / हस्तांतरण करने हेतु अनुमोदन दिया है। इसके बाद बीओआई का स्टैक 30% होगा।

#### महत्वपूर्ण निवेश/गठजोड़

##### सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल)

यह कंपनी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और बैंक ऑफ इंडिया व अन्य बैंकों के साथ वर्ष 1997 में प्रवर्तित की गई थी। सीडीएसएल को प्रवर्तित करने का मुख्य उद्देश्य स्क्रिप्स के डिमेटीकरण की गति में वृद्धि, पूंजी बाजार में निवेशकों की सहभागिता बढ़ाने और देश की द्वितीय डिपॉजिटरी के रूप में एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्मित करना था। सीडीएसएल की ₹ 104.58 करोड़ की चुकता पूंजी में बैंक का 5.57% स्टैक की धारिता है। सीडीएसएल ने वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2011-12 में 10% लाभांश तथा 2012-13 के लिए 15% व वर्ष 2013-14 के लिए 20% लाभांश का भुगतान किया है।

##### एसएसआरईसी (इंडिया) लि.

कंपनी को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के विनिर्दिष्ट उपक्रम के रूप में प्रतिभूतिकरण और आस्ति पुनर्रचना कार्यकलाप करने के लिए प्रवर्तित किया गया था। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2004-05 के उत्तरार्ध में सरफेसी एक्ट, 2002 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकरण का प्रमाणपत्र दिया गया था और सबसे कंपनीने पूर्ण रूपेण कार्य करना शुरू किया। वर्तमान कंपनी की 98 करोड़ इक्विटी पूंजी में बैंक की 26.02% की धारिता है।

#### ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लि. (सीआईबीआईएल)

ऋण आसूचना ब्यूरो देश का पहला ऋण आसूचना ब्यूरो है, जिसे बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्रको ऋणसूचना और जोखिम विश्लेषण सेवाएं देने के लिए अगस्त 2000 में निगमित किया गया। कंपनीने अपना उपभोक्ता ब्यूरो परिचालन वित्तीय वर्ष 2004-05 में एवं वाणिज्यिक ब्यूरो परिचालन 2006-07 के दौरान प्रारंभ किए। कंपनी की इक्विटी शेयरपूंजी में बैंक की 5% की धारिता है।

#### नेशनल को लेटरल मैनेजमेंट सर्विसेस लि. (एनसीएमएसएल)

नेशनल को लेटरल मैनेजमेंट सर्विसेस लि. को नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि. (एनसीडीईएक्स) द्वारा प्रवर्तित किया गया है। इसको दिनांक 28.09.2004 को प्रतिभूतियों एवं कमोडिटीज हेतु सुरक्षा, प्रबंधन तथा नियंत्रण के लिए कोलेटरल प्रबंधन सेवाएं प्रोन्नत करने तथा प्रदान करने हेतु निगमित किया गया था। यह कमोडिटी एक्सचेंज पर ट्रेड के विकास हेतु विभिन्न सेवाएं तथा सिक्यूरिटीज एवं कमोडिटीज इत्यादि का मूल्यांकन, प्रेडिग, इन्शुरिंग, सेक्यूरिंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रिब्यूटिंग, क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग का कार्य करता है। बैंक की कंपनी इक्विटी पूंजी में 10.17% हिस्सेदारी (₹ 3 करोड़) है। इस तरह यह बैंक को एनसीएमएसएल के साथ अपने संबंधों के चलते उनके सदस्यों और ग्राहकों को क्रेडिट देने का अवसर प्राप्त होता है।

#### स्वीफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेस प्रा. लि.

यह नया उद्यम स्वीफ्ट और बैंक ऑफ इंडिया सहित 8 प्रमुख बैंकों द्वारा प्रोन्नत किया गया है। स्वीफ्ट के पास इक्विटी की 5.5% धारिता है और शेष 45% की धारिता 8 प्रमुख बैंकों के पास है। कंपनी में बैंक ऑफ इंडिया की इक्विटी स्टैक 5.63% है। कंपनी का परिचालन वर्ष 2015 में आरंभ हुआ है।

#### एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लि. (एसएमईआरए)

एक प्रमुख ऋण स्तरांकन एजेंसी डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के सहयोग से सिडबी द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान एसएमईआरए की स्थापना की गई। एसएमईआरए का प्रमुख उद्देश्य एक व्यापक, पारदर्शी और विश्वसनीय स्तरांकन प्रदान करना है जिससे एसएमई क्षेत्र को बड़ी मात्रा में और आसानीसे ऋण उपलब्धता होगी। बैंक की कंपनीकी इक्विटी पूंजी में नाममात्र 4% धारिता है।

अन्य महत्वपूर्ण निवेश उपर्युक्त सूचीबद्ध प्रमुख महत्वपूर्ण निवेश के अलावा युनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज लि. (₹ 7.50 करोड़), इक्वी फैक्स क्रेडिट इन्फोर्मेशन सर्विसेस लि. (₹ 4.73 करोड़), यूवी एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कं. लि. (₹ 15 करोड़), क्लियरिंग कापॉरिशन ऑफ इंडिया (₹ 50 करोड़), एपीकलचलर फायनेंस कापॉरिशन लि. (₹ 1.26 करोड़), सिडबी (₹ 45.30 करोड़), टूरिजम फायनेंस कापॉरिशन लि. (₹ 8.59 करोड़), सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कापॉरिशन लि. (₹ 1.11 करोड़), लॉस डाटा कॉन्सोर्टियम सीओआरडीईएक्स 4 (₹ 1 करोड़), एसबीआई डीएफएच (₹ 6.34 करोड़) में भी बैंक का महत्वपूर्ण निवेश है।

#### आभार

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के प्रति उनके यथोचित मार्गदर्शन तथा सहायता के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थाओं एवं संपर्ककर्ता बैंकों के प्रति भी उनके सहयोग एवं सहायता के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। बोर्ड ग्राहकों एवं शेयरधारकों की असीमित सहायता हेतु आभार तथा बैंक के समग्र निष्पातदन के लिए स्टॉक सदस्यों के प्रति भी उनकी समर्पित सेवाओं और सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

बोर्ड के निदेशकों के लिए एवं उनकी ओर से

ह-

(श्रीमती वी. आर. अय्यर)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक: 28 मई, 2015



## MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

### DOMESTIC ECONOMIC SCENARIO

Year 2014-15 was crucial for India since she saw the emergence of a stable political dispensation with a mandate to carry forward key economic legislation. According to the advance estimates released by Central Statistical Organization, Indian economy is estimated to grow by 7.4% for 2014-15, higher than 6.9% for 2013-14. The main contributor to the growth story is services sector with mining and manufacturing also registering growth rates of 3.50% and 5.40% respectively.

These higher growth rates are due to revised methodology and base year change to 2011-12. This has brought our national income accounting practices at par with international best practices. However, there is no visible turnaround at the ground level. Bank credit growth continues to be muted at 10.5% on a y-o-y basis. Projects are stuck due to time and cost overruns. Moreover, other variables such as export growth, import growth and indices of industrial production defy the robust picture portrayed by CSO numbers. Asset quality pressures increased for banks. At best these figures may be viewed as output being produced more efficiently since the new GDP measure is christened Gross Value Added. However, it is beyond doubt that significant efforts have been initiated to improve 'ease of doing business' and to augment the share of manufacturing in GDP. All growth parameters are expected to fall in place with a time lag.

On the external indicators, trade deficit for the month of April 2015 was \$ 11 billion, lower than \$ 11.8 billion for March 2015. Full year trade deficit for FY 2014-15 was \$ 137 billion, marginally higher than 2013-14. However, exports declined 15% while imports also declined by a similar magnitude on a y-o-y basis. The decline in imports was due to the sharp fall in global crude oil prices. Lower trade deficit must lead to lower current account deficit. In fact, we may even experience a small current account surplus for a short period if this trend continues. However, the quality of our trade deficit should raise some concern. Lower exports are attributable to sluggish global growth. However, lower imports also imply lower demand for raw materials which may be a sign of weak growth. Exports are a source of forex reserves and as exports increase, our dependence on FII flows to augment reserve pie will decline proportionately. This reduces external vulnerability. However, INR is likely to remain stable which reduces imported inflation. Sectors like textiles and garments dependent on exports might be adversely impacted due to the combined impact of a strong Rupee and weak global demand. Lower crude prices will reduce petroleum exports which forms 21% of total export earnings. The other deficit, the fiscal deficit is also under check since it has been contained at 4%. Latest data on direct taxes for April 2015 are optimistic which augurs well for Government borrowing programs and yields. If disinvestment targets are also met, the 'crowding out' of private investment is not likely to happen.

On industry growth front, the Index of Industrial Production during the month of March'15 (latest data) was 2.1% compared to 5% seen during February 2015. Capital goods segment showed a growth of 7% but consumer goods continued to disappoint. This shows demand is yet to revive. Manufacturing with a weight of 75% also showed muted growth of 2.1%. However, IIP is a highly volatile data series which renders its comprehension quite difficult. However, what is pertinent is the low growth in manufacturing segment which has a 75% weight and disappointing consumer goods growth. This shows a full-fledged revival is yet to happen. Capital goods segment shows 7% growth. However, corporate earnings for the fourth quarter of 2015 is at variance with this which leads us to interpret that though corporate investments are indeed happening, it leads to idle capacities. The implication for the banking sector is obvious. Reduce credit growth or else brace for more asset quality troubles.

Inflation based on Wholesale Price Index was -2.6% in Apr'15 compared to -2.33% in March'15 while Consumer Price Index (retail) inflation for April 2015 was 4.87% on the revised base year of 2012. February

2015 CPI inflation was revised to -2.17% from -2.06% earlier. WPI has entered negative territory for the fifth month in a row while CPI is also below the 6% target set by RBI. Food inflation has not come down too significantly either under both the indices. However, decline in crude has had a significant impact along with the base effect. Core inflation or non-food manufacturing inflation is also negative. However, this also implies loss of pricing power for manufacturers, reinforcing the low IIP manufacturing numbers. RBI presently anchors rate cut expectations to CPI but the impact of monsoons on food inflation will be keenly watched before taking a decision to that effect. Bond yields are expected to hold on to a tight range. The new 10 yr benchmark meanwhile debuted at 7.72% at an auction of May 22, 2015

FX reserves meanwhile surged to a record \$ 354 billion. India added more than \$ 30 billion worth of FX reserves during FY 2014-15. Reserve accretion worth \$ 30 billion came in due to the FCNR (B) swap scheme and the rest through systematic purchase of spot and forward Dollars. This has surely led to rupee depreciation due to release of rupee liquidity. However, according to RBI, the 36 currency trade weighted real effective exchange rate is 110.4, which shows overvaluation of the Rupee and further chance of depreciation in its nominal value.

Higher FX reserves are being bolstered to guard against possible outflow of funds when the U.S Federal Reserve hikes policy rates. Another reason is to improve our import cover which has declined from 1.5 years to 7-8 months. However, if this continues, INR might depreciate due to release of Rupee liquidity unless they are sterilized.

Recently, Government of India, in consultation with RBI, unveiled a Draft Gold Monetization Scheme'. Gold deposits starting from 30 gms would be accepted from the earlier limit of 500 gms and this will supersede the earlier Gold deposit Scheme. The gold monetization scheme is introduced to tap into idle gold savings which is in turn expected to lower gold imports and reduce current account deficit. Estimated gold lying idle with individuals/temple trusts is 20,000 tonnes. Banks are also permitted to lend this gold to jewellery or to commodity exchanges as an incentive to offer better rates to customers. The interest rate offered is proposed to be valued in gold. However, the success of this scheme depends on the rate of interest and whether customers will be willing to part with gold holdings. The Jan Dhan Aadhar Mobile (JAM) trinity unleashed by the Government to further financial inclusion efforts was a major focal point during 2014-15.

### OUTLOOK ON DOMESTIC ECONOMY FOR 2015-16

Indian economy is expected to show a growth rate of 7.5% for 2015-16 according to the new methodology devised by the Central Statistical Organization. Major think tanks have given similar estimates. However, the methodology used by CSO has led to divergent opinions regarding its accuracy since indicators such as IIP, import growth, exports etc defy the trend. 'Digital India' and 'Make In India' initiatives have been unveiled. However, stalled projects, land acquisition and fuel linkages still remain a concern. Goods and Services Tax, which has the potential to add 1% to GDP, is still some distance away. Export slowdown is expected to shave off 40 bps from GDP and in view of rising delinquent assets banks are likely to be risk averse which will slow credit off take during FY 2015-16.

Lack of absolute majority in the Upper House is hampering the implementation of major reforms such as land acquisition, GST etc. which impinges on growth. However, once the implementation bottlenecks are sorted out, it will have an impact on growth, though with a time lag. A major uptick is expected from the second half of FY 2016-17.

### BANKING INDUSTRY:

Banking sector is yet to come out of asset quality troubles and consequent decline in profitability. Weak corporate earnings for the fourth quarter reinforce concerns of asset quality pressures. Gross NPA ratios of banks are expected to average 4.5% for FY 2015-16. The

removal of forbearance for restructured assets with effect from 1.4.2015 will further adversely impact bank profitability. RBI guideline on long term project loans for infrastructure and affordable housing has also had a positive impact. During the fourth quarter of FY 2015, quite a few corporates took recourse to this facility to avail further cash flows and to prevent loans being classified as non-performing assets. The new guidelines on priority sector lending are also positive for the banking sector since it helps in achieving the targets quite easily. The scope of priority sector lending has also been widened to include renewable energy projects within its ambit.

The pace of resource mobilization in the banking sector has slowed down a bit during FY 2014-15. For instance, bank deposit growth averaged 12% during FY 15 due to comfortable banking system liquidity and better returns from alternative schemes such as post office deposits and equity markets. The pace of deposit growth was the slowest in the last 51 years.

Credit growth, meanwhile, averaged 11% y-o-y for FY 2014-15. Non food bank credit growth was even lower at 9.5%. Low credit growth shows lower demand for funds due to general slowdown. This is also due to corporates resorting to cheaper ECBs while commercial papers are the preferred route for working capital finances. This data is in sync with other indicators such as IIP growth, lower imports and weak manufacturing growth which point towards lower growth in general.

A slew of initiatives were ushered in the banking space during FY 2015. One of the major initiatives was the recommendations given by P.J. Nayak Committee to review the governance of Bank Boards. The recommendations include, inter alia, recommendations to ensure minimum five-year tenure for bank Chairmen and a minimum three year tenure for Executive Directors, separation of CEO and MD post, well-designed personnel policies to identify talented people, restricting the maximum term for a non-whole time director to seven years, upgrading the skills and competencies of boards of public sector banks by reconfiguring the entire appointments process for boards etc. A novel recommendation was to set up Bank Board Bureaus. The committee has also borrowed from international best practices Several countries, including Singapore, UK and Belgium etc. have set up intermediate investment companies to hold equity in banks. This has operationally distanced governments from the banks, thereby discouraging direct intervention and suasion, and has helped align the governments' role as that of the principal shareholder in the banks, focused on financial returns. However, we may have a contrarian view when we look at the events post-subprime crisis where the Sovereign had to intervene and bail out many banks even though it was not having any holding in most of them.

Guidelines were also issued for small finance banks and payment banks with a minimum equity capital of Rs.100 Cr each. This was aimed at promoting financial inclusion and to ensure maximum bank ability. These banks however, should ensure 75% lending to priority sector and promoter must stay invested with a minimum 40% equity contribution for a specific period.

There were a host of other measures as well which were aimed at revamping the banking sector in India. The dispensation where banks were allowed to sell bad loans to asset reconstruction companies was introduced. However, the stipulation of 15% up front payment in cash turned out to be burdensome for ARCs and banks were forced to sell bad loans at a much discounted rate. Security receipts issued in lieu of rest of the amount has to be necessarily marked to market.

Guidelines on unhedged foreign currency exposure was an innovative from RBI which exhorted banks to provide for unhedged forex exposures of their corporate clients. The major concern was volatility in the value of currency due to possibility of sudden outflow of FII funds in the eventuality of a hike in rates by the U.S Federal Reserve. However, there are difficulties as to how to ascertain the quantum of unhedged forex exposures. Unhedged exposures are indeed risky for those corporates

without a natural hedge. An RBI study says corporates hedge only 20% of their exposures on an average, prompting caution on this front. RBI also announced a framework for large exposures putting restrictions on the amount that can be lent to a single/group entity as a percentage of net worth. This was to avoid concentration risks.

A major development was the instruction to banks to form a Joint Lenders Forum (JLF) to deal with cases of stressed accounts. Banks were instructed to classify stressed accounts into Special Mention Accounts (SMA) such as SMA-1 and SMA-2 categories so that they could take Corrective Action Plans (CAPs) and also do rectification of accounts. However, sometimes it was felt that the time period was too low to put in place a Corrective Action Plan. Anyhow, this was a significant development which helps banks to put in place systems to monitor the progress under stressed accounts. Separate guidelines were also announced with regard to willful defaulters and non-cooperative borrowers and promoters were asked to put more skin and bring more equity in the projects in the eventuality of stresses.

On other policy fronts, the repo rate was cut by a cumulative 50 bps and SLR was brought down to 21.5% of NDTL. CRR, however, remained unchanged. Export Credit refinance facility was removed in tune with the recommendations of Urjit Patel Committee. New norms on Liquidity Coverage Ratio were also instituted to ensure banks guard against liquidity risks.

**BANKING SECTOR OUTLOOK FOR 2015-16**

Banking sector performance is intricately intertwined with the performance of economy in general and sectoral performance in particular. Though the thumb rule says GDP growth of 7.5-8% should lead to credit growth of 18-20%, it does not hold good any more since the growth figures projected has not translated into ground reality in an equal measure. Moreover, cheaper sources such as ECBs and commercial papers are available to corporates which dampens demand for bank credit. In this scenario, credit growth for 2015-16 is expected to be in the range of 11-12% while deposit growth is expected to be 12-13%. Asset quality pressures will continue to remain and Gross NPAs are likely to touch 4.5% by the end of March 2016. Growth uptick from the second half of 2015-17 will ensure higher recoveries and decline in NPAs but till then, asset quality worries are likely to remain and credit growth and deposit growth is expected to be sluggish.

**GLOBAL SCENARIO**

Almost all major economies are going through a sluggish phase. While the U.S has ended Quantitative Easing while keeping the fed rate at 0.25%, Bank of Japan and the European Central Bank has pumped in more money and unleashed their own version of quantitative easing. This will lead to some fund flows to India to take advantage of the 'carry trade' effect of higher interest rates here. China has also unleashed monetary easing and kept interest rates at a low level.

Growth registered by major global economies are shown below

Country/ Zone	GDP Growth Rate						Policy Rates by respective Central Banks
	Q3 2013	Q4 2013	Q1 2014	Q 2014	Q3 2014	Q4 2014	
USA	4.1	3.5	-2.1	4.6	5.0	2.2	0.00-0.25
UK	2.4	2.3	3.0	3.1	3.5	3.0	0.50
Euro Zone	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.9	0.05
Japan	1.0	0.5	6.7	-7.1	-1.6	2.2	0.0-0.10
China	7.5	7.4	7.3	7.5	7.3	7.0	5.10

Source: The Economist magazine

U.S is on a sluggish phase while Euro zone shows slow recovery. For the fourth quarter of 2015, U.S economy grew at the rate of 2.2% which shows a decline over the previous quarters. Though unemployment rate

has come down to 5.4%, the appreciating Dollar and decline in exports has led to slower growth. Euro zone showed a growth of 0.9% due to slow pick up in industrial and service activity. Slow growth in these areas are a prime reason for Indian exports being in a subdued phase. Though the real effective exchange rate data shows INR being overvalued and is cited as a possible reason for export slowdown, low global demand is a more important reason for lower exports. If demand does not improve, export slowdown will persist.

In response to reduced inflation, European Central Bank reduced benchmark rate by 50 bps to 0.05% and kept the rate of interest on deposit parked with ECB in the negative territory at -0.20%. The objective was to encourage more lending. Quantitative easing worth Euro 60 billion was also unleashed. The target is to keep inflation rate at 2%. Recent data showed Euro Zone inflation rate for April at 0%, rising from -0.6% for March 2015.

The minutes released by US Federal Reserve on May 2015 showed they are cautious about the timing of a rate hike. It is feared that a rate hike will lead to slowdown in growth. Inflation below the 2% official target is yet another reason why they are cautious about the timing of a rate hike. However, in a separate comment, Fed chair Janet Yellen has stated that they are poised to hike rate by the end of the calendar year.

Greece continues to be in a precarious financial state leading to speculation of its exit ('Grexit') from Euro Zone. German bond yields show a rising trend, going up by 50 bps during the past week and reaching 0.74%. Optimism that inflation in Euro Zone has bottomed out is the major reason for rise in German Bund yields. This also follows rise in U.S Treasury yields.

Even if a rate hike by the U.S Fed happens, it may not impact India much since we have \$ 354 billion in forex reserves. In fact, it is the debt segments which are sensitive to hike in rates and the combined FII holding in debt (G-Sec and corporate bonds) is around \$ 68 billion while the outstanding under equity segment is much higher at \$ 330 billion. Moreover, even if there are outflows, the forex kitty will act as a good cushion. Hence, any rate hike news will not impact our markets significantly. Empirical evidence regarding performance of our equity markets coincident with past rate hikes by the U.S Fed do not lead us to infer that a major outflow is in the cards post a rate hike.

However, slow growth in these areas has the potential to adversely impact our exports. Sluggish U.S growth will also adversely impact sectors such as software and Information Technology.

**OUTLOOK FOR 2015-16**

All major central banks have unleashed quantitative easing and 2015-16 will see the results of those measures. Global growth, however, is expected to be around 3% since China, the major Asian powerhouse, is set to slow down due to export sluggishness. A major development to watch out for would be the twin institutions which have emerged as a rival to the IMF and World Bank, viz, the BRICs Bank and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). It would also be interesting to see how these two would coexist without being rivals. India too has a major stake in the BRICS Bank with the first President being an Indian national. Infrastructure funding in Asia is set to receive a major fillip through these two institutions and unless the Bretton woods twins revamp themselves, their relevance is set to diminish in the global sphere.


The above scenarios outlined with respect to global and domestic economy would set the tone for our banking sector during the current financial year.

**BUSINESS REVIEW**

**DEPOSITS**

Bank's total Deposits increased by ₹ 54933 crores to ₹ 531,907 crores during the year and record a growth of 11.52%. The growth in domestic deposits was to the tune of ₹ 34410 crores i.e. 9.46% over previous year.


Savings Bank deposits grew by 10.62%, whereas Current deposits marginally declined by of 1.82% over previous year. The share of Low cost deposits (CASA) comprising Savings and Current deposits to total domestic deposits is 29.48%. The Bank has a well-diversified deposit base with 13% of domestic deposits coming from rural areas, 14% from semi urban, 20% from urban and 53% from metro areas. The bank's total clientele base of 78.65 million consisted of 72.76 million depositors and 5.89 million borrowers as on 31st of March, 2015.



**ADVANCES**

Bank's gross advances increased from ₹ 3,76,228 crores to ₹ 4,11,726 crores during the year with a growth of 9.44%. Gross Domestic Credit registered a growth of 9.56% from ₹ 2,89,515 crores on 31.03.2015 as against the growth rate of 29.52% in the last financial year 2013-14.

Timely sanctions and prompt disbursements in Large Corporate, Mid Corporate, Retail, SME and Agriculture segments have been instrumental in credit growth. During the financial year, the credit requirement from corporate sector has come down and utilisation of limits was also at lower level. Bank has also focused more on Retail and SME advances during current year which are giving more yield and diversifying the risk.



Bank added 101 New Corporate customers during the financial year. Bank caters to specialised needs of Corporates/Mid corporates through 10 Large Corporate Bank Branches and 41 Mid Corporate Branches. The needs of other clients from Retail, SME and Agriculture are met through the Network of 4892 Domestic branches. Bank's 56 Overseas Centres across 5 continents also cater to credit requirement of exporters and overseas clients.

## INFRASTRUCTURE FINANCE

During the year, Bank sanctioned Fund Based Limits of ₹ 12,169 crores and Non Fund Based Limit of ₹ 2,358 crores under infrastructure projects in New accounts and Additional sanctions in Existing accounts covering Power, Telecommunication, Roads, Ports and other infrastructure. Bank continued to provide support to this segment with incremental credit of ₹ 6,658 crores of which ₹ 6,539 has been to Power sector and ₹ 1,065 has been to Road and Port Projects. Infrastructure sectors such as Telecom and other infrastructure have shown negative credit growth.

## CORPORATE CREDIT

Bank is extending credit to Corporate Customers through specialized branches which contribute 54% of gross domestic credit. 10 Large Corporate Branches Located at Major Cities are catering to all the major corporates across country - Mumbai, New Delhi, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad and Pune. 41 Mid Corporate Branches covers the rest of major business centers including the above.

For serving corporates at other centres, 30 SME City Centres are equipped with Credit Processing Cells.

## LARGE CORPORATE

The advances through Large Corporate Branches constituted 41% share in total domestic advances as on 31.03.2015. Advances to Corporate segment through LCBs has increased from ₹ 1,10,651 crores as on 31.03.2014 to ₹ 1,19,675 crores as on 31.03.2015, showing a growth of 8.16% over last year. Large Corporate Branches are catering to large corporates having sales turnover above ₹ 500 crores, Project Cost of above ₹ 100 crores and Infrastructure Sector, NBFCs and PSUs. In order to have more focused attention and to reduce turnaround time, Credit processing Centre have been set up at each LCBs with direct reporting to Head Office.

The one point contact of Relationship Managers ensured catering to other Corporate needs i.e. Cash Management, Forex, Treasury products, Trade Finance, Deposits, Retail Banking and Third party products like insurance and investments in Mutual Funds Mitigation of Risk is ensured by segregating the role of Credit processing and Relationship Managers reporting to Credit Team Leader and Branch Managers respectively. Credit proposals processed at Large Corporate Branches are sent directly to General Manager, Head Office, Large Corporate. This has resulted in reduction of turnaround time. Bank has put systems in place to monitor pending Proposals /references at Large Corporate branches as well as at Head Office level. Corporates from major industry/service sectors such as Infrastructure, Steel, Textile, NBFCs, PSUs etc. are being serviced through these Large Corporate Branches.

## MID CORPORATE

Considering the contribution of Mid corporate to overall Industrial growth bank decided to provide separate vertical and has 7 Divisional Offices and 41 Mid Corporate branches. There are 12 Credit Processing Centres (CPC) established exclusively for processing of the proposals. Mid Corporate vertical has been set up to harness the large potential in this segment which offers higher yields with wider risk spread. Mid Corporate Branches are catering to Mid corporates having sales turnover between ₹ 100 crores to ₹ 500 crores and Project Cost of between ₹ 10 crores to ₹ 100 crores apart from Bullion and Diamond sector Customers. Mid Corporate vertical contributes 13% of the total domestic Credit portfolio. During the FY 2014-15, total Credit under Mid Corporate Branches grew from ₹ 34,923 crores to ₹ 38,345 crores registering a growth of 9.80%.

## PROJECT FINANCE AND SYNDICATIONS

Project Finance and Syndications Group of the bank is manned by highly experienced and qualified professionals. It undertakes appraisals of infrastructure and industrial projects. It takes up assignments of

technical appraisal, underwriting and syndication of loans. During the Year 2014-15 financial closures were done with a project cost of ₹ 6,600 crores and syndicated debt of ₹ 4,000 crores.

Bank is also acting as Mandated Lead Arranger (MLA) and Joint Book Runner (JBR) for International Syndication loans and arranged loans for Indian Corporate for their expansion / acquisition and Joint Ventures, covering a wide range of industries. The technical appraisal department, which supports the syndication team, appraises industrial credit apart from that for syndicated loans. The team comprising of professional engineers, evaluated technology related risks for the year, enabling the bank to improve quality of industrial assets. The operations of the department, translated into a fee based income of ₹ 13.13 crores for the year.

## NEW BUSINESS DEPARTMENT

New Business Department was set up in January' 2014 with the objective of establishing New Business relationships with PSUs, Mid and Large Corporates, where we do not have banking relationships and offer a bouquet of Banking services, structuring the products as per the requirements of the clients. The department is being headed by a General Manager.

The department has been successful in establishing relationships with large number of Public and Private sector enterprises. There has been a quantum jump in disbursements to leading Public Sector companies. As a Medium Term plan, New Business Department has embarked upon a plan to acquire substantial number of new clients in Mid and Large corporate segment. Department has shortlisted around 1200 corporates after analyzing their financials and circulated the list to all the Mid and Large Corporate branches and to Zonal Offices for establishing initial contact, depending upon the geographical presence of the corporates. As a follow-up of this initiative, the department provided logistical support to branches/zones by meeting the prospective clients at various geographical locations, understanding their needs and structuring the products as per their requirements. Going forward, the department also proposes to target identified potential LCBs and MCBs for more focused approach in sourcing of new business learning from the experience hither to and plan to have dedicated RSMs for more synergy at ground level to facilitate faster generation of leads and its conversion into business.

## TRANSACTION BANKING

### Bank's Depository Services

Bank has been offering Depository Services to its customers from all the Branches by leveraging Core Banking Solutions. With a view to adding value to the banking services and making available the numerous benefits of depository services, the Bank is offering the services of both the depositories i.e. NSDL and CDSL. In order to offer better services the DP operations are centralised at Mumbai.

The number of active Demat Accounts with the DPOs was 94225 as on 31.03.2015. During the year 2014-15 the Bank earned a gross Income of ₹ 346 lakhs as against 45 lakhs earned during 2013-14. Total 2702 new Accounts were opened in 2014-15.

### Star Share Trade (Online Share Trading)

During the recent years Online Share Trading (OLST) has been gaining popularity among Investors in the Stock Markets and the volumes traded has been on an increase. With a view to meet the growing needs of Bank's customers and in order to provide them the comfort of trading securities on a mouse click, the Bank had launched Star Share Trade (Online Share Trading) over phone facility by integrating Bank Account, Demat Account and Trading Account of the customers under Tie-up arrangement with three leading Stock Brokers M/s. Asit C Mehta Investment Intermediates Limited (ACMIL), M/s Ajcon Global services Ltd (AGSL), M/s GEPL Capital, the OLST facility is being

offered since 2005. The facility has also been made available to the NRI clients for filling of IPOs.

#### Application supported by Blocked Amount (ASBA)

Bank has been registered with SEBI as a Self-Certified Syndicate Bank (SCSB) and IPO applications received under ASBA (physical application) are processed through these designated Branches. As per SEBI guidelines, all our Branches are authorized Branches to accept the applications under ASBA. Bank's Stock Exchange Branch is the nodal Branch for ASBA. In addition to the above designated Branches. Customers of all other branches who have availed Internet Banking facility can enjoy the facility of Online Bid cum Application for ASBAIPO through Star connect Retail Internet Banking facility.

The following Investors are eligible to apply for IPOs through ASBA:

- i) In Public Issues: All Investors are eligible to apply through ASBA in Public Issues
- ii) In Rights Issues: All shareholders of the Issuer company who, as on date :
  - a) Are holding shares in Demat form and have applied for entitlements and/or additional shares in the Issue in Demat form.
  - b) Are not a renouncee to the Issue
  - c) Have not renounced entitlements in full or in part.

#### INTERNATIONAL BANKING

With a presence across 5 continents and 22 countries, Bank provides services in all the major financial centers such as London, New York, Paris, Tokyo, Singapore and Hong Kong. As on 31.03.2015, bank has a network of 56 foreign offices which includes 5 Representative Offices, 5 Subsidiaries and 1 Joint Venture. All centers have been migrated to Finacle platform thereby improving the Management Information system and the customer service.

Straight Through Processing (STP) for Speed Remittances has been put up in place for Multi currency International Syndication loans the Bank is acting as Mandated Lead Arranger (MLA) & Joint Book Runner (JBR) and has arranged loans in USD, JPY, EURO and GBP currencies for Indian Corporates for their expansion / acquisition and Joint Ventures, covering a wide range of industries.

Bank has a Global Remittance Centre (GRC) in Mumbai. The inward remittances and NRE/NRO Account opening of NRI customers have been centralized at GRC. SMS alerts for remitter as well as beneficiary for remittance from Gulf Countries have also been introduced.

As at 31st March, 2015, total deposits at foreign branches stood at ₹ 1,33,907 Crore, registering a rise of ₹ 20,523 Crore (18.10%) over previous year. Total advances stood at ₹ 1,22,211 Crore recording rise of ₹ 10,242 Crore (9.15%) over previous year. Investments were at ₹ 4,803 Crore. Operating profit of foreign branches for the year ended March 2015 at ₹ 1,995 Crore has shown a rise of ₹ 564 Crore over previous year. Net profit at ₹1264 Crore has increased by ₹ 595 Crore over March 2014.

#### BULLION BANKING

Bullion banking was introduced by the Bank in November 1997. Initially the scheme was introduced at SEEPZ and Ahmedabad branches and was subsequently introduced at other branches. As on date, although 9 branches are authorized to undertake bullion business presently only 4 branches are undertaking the business. Gold is procured on consignment basis for catering to the needs Jewellery exporters and domestic jewelers. The Bank sold 17614 kg of gold in the year 2014-15, with a turnover of ₹ 4554.21 Crore, thereby earning an income of ₹ 34.58 Crore. The increase in the earning during the year was 12.01%.

#### EXPORT CREDIT

Meeting the domestic and foreign currency needs of importers and exporter clients is one of the bank's key priority areas. Towards this

end Bank's 217 branches across the country are authorized to handle foreign exchange business and cater to the credit / foreign exchange needs of importers and exporters. Bank's export credit was to the tune of ₹ 10,503 crores as on 31<sup>st</sup> March, 2015 registering a decline of ₹ 490 crores i.e. 4.46 % decrease over March 2014. Our country's exports have also gone down during the period. The share of export credit to net adjusted bank credit as at 31st March 2015 was 3.58%.

Financial requirements of both exporters and non-exporters are met through ECB at the Bank's overseas branches and Foreign Currency loans at domestic branches. The total amount of such advances as at 31.03.2015 was USD 2345.07 million (Comprising of ECBs USD 1,989.07 Mn and Foreign Currency Loan of USD 356 Mn) equivalent to ₹ 12,431.71 crores. The bank also extended pre-shipment and post-shipment export credit in foreign currency and the amount outstanding as at 31.03.2015 was USD 649 Mn. (equivalent to ₹ 4,025 crores).

#### FOREX BUSINESS

The forex business handled by the Bank has shown good growth. During the year 2014-15, Merchant and interbank turnover was ₹ 1,98,400 crores and ₹ 5,47,056 crores respectively. The Bank continues to be leading player in the forex market. The aggregate turnover of Banks Forex Business during the year was ₹ 745456 crores.

#### TREASURY INVESTMENTS

The yield on benchmark 10 year G sec which was 8.80% as on 31st March 2014 has improved to 7.74% as on 31st March 2015. However, movement of G Sec yields was highly volatile and the same moved with in a wide range from 9.10% to 7.65% during the year. The Bank has maintained a higher level of investments keeping a balance between interest income and market risk. The Bank has maintained SLR investments in excess of the regulatory requirement from time to time so that excess SLR can be utilized for borrowing from Repo /CBLO windows. As on 31.03.2015, SLR requirement is 21.50% of Net Demand and Time Liabilities. The gross SLR investments were ₹ 1,01,917 crores (87.80% of total investments) and Non SLR stood at ₹ 14,162 crores (12.20% of total investments). The investments are made in accordance with the comprehensive policy in this regard approved by the Board. The policy is reviewed periodically to respond to market developments/regulatory requirements.

#### TREASURY OPERATIONS

The Bank continued to play an active role in all segments of the market-Funds, Forex and Bonds during 2014-15. Taking advantage of the G sec rate movements, Bank has churned its investments portfolio and earned profit from trading and sale of securities. Bank has registered 26.12 % growth in profit from sale of securities in the FY 2014-15 as compared to FY 2013-14. Bank has taken advantage of arbitrage opportunity within various market segments and could place the excess rupee funds in Certificate of deposits (CD), buy /sell foreign currency swaps, term money markets thereof earning a spread of 0.50% to 1.00% .

#### NATIONAL BANKING GROUP : RURAL BANKING

##### 1. PRIORITY SECTOR ADVANCES:

Priority sector advances have wide social ramifications apart from presenting a big business opportunity. With its vast network of rural and semi-urban branches and committed personnel, the Bank has always been one of the leaders in servicing to the priority and agriculture sectors.

Bank has registered an outstanding level of ₹ 94572 crores under Priority Sector which is 35.20% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC). Under Special Agricultural Credit Plan, Bank could disburse ₹ 27556 crores during the financial year 2014-15. The outstanding position of priority sector advances under various segments is as under:

(₹ In Crores)

	As on 31 <sup>st</sup> March		Growth	
	2014	2015	Amount	% age
1. Agriculture	40,211	43,183	2,972	7.39
2. Small Enterprise	35,503	39,822	4,319	12.16
3. Education	2,597	2,872	275	10.59
4. Housing	7,517	8,374	857	11.40
5. Others	332	321	-11	-3.31
<b>Total Priority Sector</b>	<b>86,161</b>	<b>94,572</b>	<b>8,411</b>	<b>9.76</b>

**2. CENTRALIZED PROCESSING CENTRES IN FOCUSED DISTRICTS**

Centralized Processing Centres have been established in zones with the objective of augmenting agriculture credit and reducing turnaround time in sanctioning/ disbursing credit proposal. So far, 43 CPCs are operational in various Zones/ States.

**7. GOLDEN JUBILEE RURAL HOUSING FINANCE SCHEME :**


Bank has been actively involved in implementation of the Golden Jubilee Rural Housing Finance Scheme (GJRHFS) and has achieved the target of 10500 units allocated by National Housing Bank for the year. During the year, Bank has sanctioned 21273 cases under GJRHFS.

**8. MICRO FINANCE / MICRO CREDIT :**

The Scheme of Micro Credit has been found to be an effective instrument for lifting the poor above poverty line by providing them increased self-employment opportunities and making them credit worthy. Bank is actively participating in extending credit to women and registered an outstanding level of ₹ 8262 crores as on 31.03.2015 under Priority Sector of which ₹ 92.15 crores is under Micro Credit.

**9. SOLAR ENERGY HOME LIGHTING SYSTEM :**

To address the issues of electricity paucity, Bank has prepared and launched a scheme on Solar Energy Home Lighting System. Bank extends financial assistance to the prospective borrowers for purchase and installation of Solar Energy Home Lighting System.



**3. KISAN CREDIT CARDS**

The aim of Kisan Credit Card Scheme is to meet timely credit needs of the farmers for cultivation as well as non-farm activities and thereby bring about flexible and operational freedom in credit utilization. During the year Bank has issued around 4.43 lakhs new Kisan Credit Cards with aggregate limit of ₹ 5,720 Crores. The Bank has so far issued 17.72 lakhs Kisan Credit Cards (cumulative) involving financial outlay of ₹18,863 Crores.

**4. DEBT SWAP**

Bank has designed 'Debt Swap' Scheme with an objective to help the indebted farmers to redeem their outstanding dues to money lenders and to mitigate acute distress faced by the farmers due to heavy burden of debt from non-institutional lenders at unrealistic interest rates. All district managers in 51 lead districts have to play a major role for implementation of scheme effectively.

**5. DIFFERENTIAL RATE OF INTEREST**

A scheme for extending financial assistance at concessional rate of 4 % to select low income groups for productive endeavors under the name Differential Rate of Interest (DRI) Scheme is being implemented by the Bank.

**6. PRIME MINISTER'S NEW 15 POINT PROGRAMME FOR THE WELFARE OF MINORITY COMMUNITIES :**

With the focused attention for the welfare of minority communities, Bank has been extending finance to the minority communities of Sikhs, Muslims, Christians, Zoroastrians and Buddhists. Bank has registered an outstanding level of ₹ 13627 crores as on March 2015.

Bank has so far sanctioned 3435 units with financial outlay of ₹ 15.22 crores.

**10. NEW AGRICULTURE PRODUCTS:**

In order to meet the credit requirement of farmers and also to augment agriculture credit, Buldhana Urban Co-operative Credit Society (BUCCSL) has been approved as Collateral Manager for financing against WHRs.

Agri. information service (KRISHIDOOT) launched in collaboration with RML Information Service Pvt. Ltd. for the benefit of farmer customers through SMS alerts.

**11. LEAD BANK RESPONSIBILITY:**

Bank has been assigned Lead Bank responsibility in 51 districts spread over five states of Jharkhand (15), Maharashtra (14), Madhya Pradesh (13), Uttar Pradesh (7) and Orissa (2). Bank has been successfully discharging its duties of Lead Bank in all these districts. The Annual Credit Plan (ACP) for the year 2014-15 was launched in all the Lead Districts involving credit outlay of ₹ 17324.56 Crores for the Bank. Bank has achieved ₹ 16726.92 Crores under ACP which is 96.55%.our Bank is "Lead Bank Convener" in the state of Jharkhand.

**FINANCIAL INCLUSION**

Financial Inclusion is integral to the inclusive growth process and sustainable development of the country. There has been a strategic shift in sustainable financial inclusion to the adoption of market oriented approach viewing financial inclusion as a viable business proposition.

The paradigm has decidedly shifted from “CSR” to “economic viability”. It has been made possible with the availability of ICT based solution to support secure and sufficiently low cost transactions required by the financial sector. Bank is viewing these prospective banking service users through a prism of opportunity rather than obligation.

Bank has carved out Financial Inclusion as a new Business Unit headed by a General Manager to drive implementation of Board approved Financial Inclusion Plan. Bank is committed to provide banking services through Business Correspondents and ICT based hand held devices (micro ATMs) / KIOSKS in all the allotted villages under Sub service Area & Wards across the country and road map provided in FI Plan 2013-16 by way of opening of Basic savings Bank Deposit Account with in built overdraft facilities to take care of their urgent consumption needs, extend entrepreneurship credit to eligible people to earn their livelihood, offer mobile based remittance facility to help mainly the migrant labour/ self-employed to remit money to their family members and facilitate access to Bank’s third party products including Micro Insurance amongst other services. Bank has effectively pursued the Direct Benefit Transfer scheme of the Central / State Governments for transfer of benefits directly to the account of beneficiary by providing the requisite payment and other infrastructural supports.

#### Progress under Financial Inclusion Plan (FIP) during FY 2014-15:-

- No. of Basic Savings Bank Deposit Accounts Opened: 182 lakhs
- No. of Smart Cards issued: 182 lakhs
- Total Deposit mobilized in BSBD Account: 1,730 Crore
- Out of above no. of Accounts opened under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY): 68.53 Lakhs
- No of Rupay Card Issued : 66.73 Lakhs
- Balance mobilized in accounts opened under PMJDY: 408 Crore
- GCC/KCC issued (No of Customer): 23.44 lakhs
- Business Correspondents engaged: 7,569
- No. of Villages where 100% FI achieved: 4,404

Bank has achieved 100 % Financial Inclusion in all 4,404 allotted villages with population above 2000 and in total 22,824 villages has been covered as on 31.03.2015. Robust operational systems with adequate risk mitigants and best practices have been built up and are being pursued.

#### Star Swarojgar Prashikshan Sansthan(SSPS)/ Rural Self-employment Training Institute (RSETIs)

With the aim of mitigating the unemployment problem among the rural youth, the Bank took initiative to form a dedicated trust named “STARSWAROJGAR PRASHIKSHAN SANSTHAN (SSPS)” in 2005. Two SSPS / RSETIs were established at Bhopal and Kolhapur immediately after formation of the trust. Ministry of Rural Development, Government of India found value in the initiative and proposed to support establishment of such Institute in each district of the country to tap the rural BPL youth. The formation, nomenclature, sponsorship, management, programme structure, staffing and administration, MIS etc. were defined. Bank was allotted 43 centres to establish institutes. Bank has established 43 such institutes in the state of Jharkhand, Orissa, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and West Bengal. 82,916 participants have been trained, of which 38,185 have been provided with credit inputs from banks.

#### Financial literacy and Credit Counseling Centres (ABHAY)

Bank has recognized the need for financial education to appreciate the complexities of financial dealings with various intermediaries on matters relating to personal finances on a day to day basis. Further, those who

Suffer from financial problems due to unmanageable debts also need credit counseling to come out of their repayment obligations. It is in this background that Bank has opened 5 (five) Credit counseling centres

named ABHAY at Mumbai, Wardha, Gumla, Kolkata and Chennai and they are manned by senior and experienced bankers.

Extending the concept of ABHAY further, Bank has now opened 57 Financial Literacy Centres as per the guidelines of Reserve Bank of India and NABARD. In addition to remedial counseling on case to case basis for the distressed borrowers, preventive counseling through media, workshops and seminars are also given. So far 5,71,266 cases of counseling were taken up and disposed of quickly bringing smile on the faces of the distressed people.

#### Regional Rural Banks

Bank has sponsored 4 (four) Regional Rural Banks (RRBs) namely Jharkhand Gramin Bank (Jharkhand State), Gramin Bank of Aryavart (Uttar Pradesh State), Narmada Jhabua Gramin Bank (Madhya Pradesh State) and Vidarbha Konkan Gramin Bank (Maharashtra State). All RRBs are profit making. All Branches and administrative offices of the Gramin Banks are now on CBS platform. These banks are enabled on RTGS and NEFT and ATM platforms. All RRBs taken together have a branch network of 1557 outlets and have garnered a business mix of ₹ 35,478 Crores.

#### Some Important Initiatives:

- ★ Use of BC network for National Skill Development Corporation (NSDC) project.
- ★ UID enrolments - 403 lakh completed.
- ★ Customer enrollment through Aadhaar number authentication - e-KYC enrollment
- ★ Interoperability at BC location

#### AWARDS:

- ★ BANCON Award
- ★ IBA Award as runner up for Best Financial Inclusion Initiative.
- ★ PMJDY Excellence Award by Federation of Industry Trade & services
- ★ e-Gov BFSI 2015 Leadership by Elets media
- ★ Skoch Award for Financial Inclusion & Deepening Award
- ★ ITU - Award for project Saksham in Indore by United Nation jointly to Bank and one of its Corporate BC for implementing are the project of Municipal Corporation, Indore.

#### RETAIL CREDIT

Bank during the year 2014-15, pursued the policy of building up a healthy retail credit portfolio, in the post recessionary period of FY 2013-14, as reviving economy gave ample opportunity for retail credit. The retail credit portfolio of Bank increased from ₹ 29,600 Crore to ₹ 34,153 Crore as on 31st March, 2015. During this period the contours of retail credit were also redefined. Bank has increased its Retail Business Centres (RBCs) from 23 to 49 in major cities during 2014-15 to expedite the processing of Retail Home Loans/ Loan Against Property and also processing of Vehicle Loan and Education Loan proposals, in case of tie-up arrangement.

The Home Loan segment recorded a growth of 27% from ₹ 13,081 Crore to ₹ 16,664 Crore during the year. Bank has formulated basic guidelines for entering into tie-up with builders. In order to ensure that the tie-ups are encouraged only with builders with proven track record, the Zonal Managers have been empowered to enter into tie-ups with builders of repute locally.

Education loan portfolio recorded a growth of 10 % from ₹ 2,652 crores to ₹ 2,918 Crore during the year. Bank has embraced the Interest subsidy scheme, wherein borrowers who have availed education loans during academic year 2013-14 and hailing from economically weaker sections, are eligible for education loan interest subsidy from Government of India, Ministry of HRD. Bank continues to give top

priority for extending credit for pursuing higher education under the Star Education Loan scheme. Towards this end, the Zonal marketing teams are constantly entering into tie-up arrangements with local Institutions so that students' requirements are speedily attended to by the branches. Bank has also redefined BOI Star Vidya Loan aimed to cater to students seeking admission to Premier Educational Institutions in the country, such as IITs/ IIMs/NIDs etc.

The Vehicle Loan segment also recorded reasonable growth of 16 % from ₹ 2,351 Crore to ₹ 2,733 Crore during the year. The strategy of tie-up arrangement with diverse reputed auto manufacturers like Maruti Suzuki, Tata Motors, Hyundai Motors, Mahindra and Mahindra and ICML continues to provide healthy retail leads to augment Vehicle Loan portfolio.

The growth in respect of major Retail loan schemes during the year is as under:

(₹ in crores)

Item	O/s 31.03.2014	O/s 31.03.2015	Growth	% Growth
Star Home Loan	13,081	16,664	3,583	27
Star Loan Against Property	2,971	4,144	1,173	39
Star Education Loan	2,652	2,918	266	10
Star Vehicle loan	2,351	2,733	382	16
Star Personal Loan	927	1085	158	17

**SME**

During the year 2014-15 Banks' performance under MSME segment was on expected lines. Amidst low credit growth in Industry we have grown Y-O-Y by more than 20%. Some decisions taken in earlier years viz creation of new vertical for SME Business, setting up specialized processing cells with dedicated sales forces etc have started yielding results and have significantly contributed to extending credit to the sector.

**Performance of the Bank under MSME Segment:**

- ★ **Business growth:** MSME Outstanding – ₹ 54,406 crores registering Y-O-Y growth of 20.68%.
- ★ **Performance under MSE:** MSE Outstanding – ₹ 46,941 crores registering Y-O-Y growth of 21.33%.
- ★ **MSE manufacturing sector** has grown from ₹ 20095 crores (March 2014 ) to ₹ 21,938 crores ( March 2015), witnessed Y-O-Y growth of 9.17%.
- ★ **Share of Micro sector within MSE has increased to 48.92%** as at March 2015 from 47.69% as at March 2014.
- ★ **Growth in number of Micro accounts:** 93582 accounts have been sanctioned under Micro segment during 2014-15 registering growth of 19.05% over accounts as at 31.03.2014 against the mandatory target of 10%.
- ★ **Performance under CGTMSE -** 49125 new accounts added under CGTMSE scheme during 2014-15 covering exposure of ₹ 3416.88 crores. We continue to remain No.1 amongst PSU banks in terms of total coverage under the scheme which has reached the level of 199673 accounts with total exposure of ₹ 12928.54 crores as on March 2015.
- ★ **Performance under PMEGP:** 4196 accounts with limit of ₹ 185.20 crores has been sanctioned during the year 2014-15 under PMEGP.

**Bank won the MSME Banking Excellence Awards 2014 by CIMSME (Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises) in following categories:**

- ★ **Best MSME Bank Award 2014, Large Bank- Runner Up**
- ★ **Best Bank Awards 2014, Operational Performance- Runner Up.**

**Strategies for achieving growth under MSME Segment**

- ★ Post felicitation of top 100 SME borrowers at the very beginning of FY 2014-15 our Bank has increased its visibility in MSME space by actively participating in the event organised by "India SME Forum" – a NGO with whom we had tied up for Banks' brand promotion.
- ★ Lending under CGTMSE scheme has been encouraged by bringing the scheme under mandatory rule up to the eligible limit. Wide publicity was given for creating awareness among the borrowers regarding the scheme.
- ★ MOUs with 1 new OEMs have been signed during the year to ensure credit flow to MSE sector through SRTOs and equipment finance. As on 31st March 2015 the number of such OEMs stood at 15.
- ★ 30 SME City Centres across the country have cumulatively sanctioned ₹ 9744 crores as on 31st March 2015 out of which ₹ 8195 crores were disbursed during this year only.
- ★ Ventured into direct assignment market of securitised pool of assets pertaining to different NBFCs and grabbed business of ₹1490 crores as on 31.03.2015 under this arrangement.
- ★ Revamped Channel Finance Scheme through an electronic platform has already become operational. Since the vendors-suppliers and dealers of the corporate are small manufacturing units and service enterprises, the increase in number of such clients would result in credit growth to MSME sector. We are aiming at disbursement of ₹ 2500 Crore during 2015-16.
- ★ Consequent upon classification of accounts under Service sector upto credit limit of ₹ 5 Crore under priority sector, advances to trading activities is being encouraged where delivery of credit is faster as compared to manufacturing sector.
- ★ Thrust on existing popular SME Loan products viz:
  - i. BOI Star Vyapar
  - ii. BOI Doctor Plus
  - iii. Star SME Contractor Credit Line.
- ★ There are 100 specialised SME branches across the country to deal mainly in financing to MSME besides other routine works. It has been decided to set total target of ₹ 1000 crores to these branches for financing under MSME during 2015-16.
- ★ Cluster based schemes have been approved for 105 different clusters so far. More clusters are to be formulated depending upon specific undertaken by many units in the area. To achieve the targeted goal, it has been decided to focus/concentrate on specific clusters during 2015-16.

**RE-ORGANISATION OF THE BANK**

As part of re-organization, two new National Banking Groups, NBG-West II at Pune and NBG-North II at Lucknow have been created from 1st April, 2015, to pay more focused attention to their respective business areas. Similarly, four new Zones have also been opened from 1st April, 2015, namely Dehradun in Uttarakhand, Hubli Dharwad in Karnataka, Jodhpur in Rajasthan and Burdhan in West Bengal state. Further based on the number of branches and distance from headquarter, re-distribution of districts in various Zones were also approved. This will facilitate the Zones to have better business prospective and control.

The Business Development Managers were rechristened as 2nd Deputy Zonal Manager in the Zones. Various BDM cluster have been realigned, abolish, merged and new identified from 1st April, 2015 making the total BDM cluster as 15. These DZMs (erstwhile BDMs) are also strengthened by providing sufficient staff, office space and delegation to cater the business and other needs of their cluster.

**e-Gallery Project**

Considering increasing acceptance of automated kiosks by the customers for various banking services, e-Galleries equipped with self-



operated kiosks such as ATM, passbook printers and cash accepting machines/Bulk Note Acceptors have been placed on 24x7 basis. Reduced customer footfalls will further improve customer service in branches. Other automated kiosks such as Cheque Acceptance Kiosk, Internet Kiosk and Customer Feedback Kiosk have been planned to extend more services on 24x7 basis. More than 400 e-galleries were established throughout the India in the FY 2014-15. More and more locations have been identified for this financial year with the target of 750. The project have received wide acceptance from all stake holders.

#### Branch of the Future Project

Continuing customer centric initiatives, more branches were converted into Branches of the Future taking the total to 306 at the end of FY14-15. These futuristic branches have large customer area and self-service customer friendly equipment. Some of the key differentiating elements of 'Branches of the Future' are the following:

- The interiors of these branches have been aesthetically laid out creating large customer area with sufficient seating arrangement.
- Distinct front office and in-branch back office have been created for quick turnaround time.
- Customer empowerment has been attempted through self-operated passbook printing kiosks.
- Cash deposit kiosks have been installed giving option to the customer to deposit directly into account without using the services of the teller.
- Queue Management System (QMS) is being used for managing front line customer facing activities in a more organized manner.
- New roles and responsibilities have been defined for members of the branch team to achieve greater sales push and customer satisfaction.
- Training for better customer management and cross selling has been provided to staff working at these branches.

The Feedback from the customers is very heartening. The overall efficiency of branch operations has improved as a result of this initiative. Customer acquisitions and business leads are also picking up significantly at these branches.

#### ALTERNATE DELIVERY CHANNEL

##### Card Products

Bank is offering various types of Credit Cards to cater to the needs of our customers. The Bank also has two affiliate banks viz. Bank of Maharashtra and Tamilnadu Mercantile Bank Ltd issuing Credit Cards under the brand name "India Card". During the year Issuing turnover witnessed a growth of 10.05 % and stood at about ₹ 469 crore and acquiring turnover witnessed an increase of 48.95% and stood at ₹ 522 crore. Acquiring turnover on debit cards witnessed a growth of 47.17 % and stood at ₹ 2,420 crore.

Bank is also offering various types of Debit cum ATM cards. Total Debit Cards issued during 01.04.2014 to 31.03.2015 stood at 102 lakh comprising of 2.77 lakh Starlinks International ATM cum Debit Cards (Visa Electron), 26.34 lakh BOI Global Debit cum ATM cards (MasterCard), 0.05 lakh Platinum Debit Cards (MasterCard), and 0.77 lakh Bingo Cards and Rupay cards 72.54 lacs Debit cards registered a growth 60% during the year 2014-15. Total Debit cards as on 31.03.2015 has reached to 273 lacs. During the year 2014-15 we have issued 6,809 gift cards (VISA Electron).

##### SMS Alerts - Star Sandesh

As a fraud prevention measure, SMS alerts are generated and provided to all customers who have registered their mobile number with the Bank for:

- ★ All Debit transactions from delivery channels (Internet banking/ ATM/ POS).

- ★ All customer induced debit & credit transactions of ₹ 10,000/- and above.
- ★ All Debit ECS transactions of ₹ 10,000/- and above.
- ★ All Debit RTGS transactions.
- ★ Acknowledgment on accepting the cheque book issue request.
- ★ Alerts for installment due in Star Autofin & Housing Loan Accounts.

#### Internet Banking

A fast and secure internet banking facility is available to customers for utility bill payments, air & rail ticket booking, on-line shopping, inter-bank and intra bank fund transfers, etc.

Bank of India is the first PSU Bank in India to implement Two-factor Authentication (2FA) – Star Token for both Retail and Corporate internet banking customers as an additional security measure. Bank's customers enjoy the convenience of "secured" Anytime, Anywhere, Anyhow hassle free Banking from the comfort of their homes and offices with a click of a mouse.

Some of the features available are:

- ★ Online Interbank Fund Transfer across banks, through our StarConnect Internet Banking Services, using RTGS/ NEFT facility
- ★ BOI Star e-Pay for Auto-pay or on-line payment of various utility services / bills
- ★ e-Payment of Direct & Indirect, Central Excise & Service Tax
- ★ Star e-Share Trade to trade in shares.
- ★ e-Freight Payment
- ★ Directorate General of Foreign Trade (DGFT) license fee Online Payment
- ★ Online Booking of Railway & Airlines Ticket
- ★ Online Application for Education loan
- ★ On Line facility available to View and Apply Application Supported by Blocked Amount (ASBA) for IPOs from Internet Banking
- ★ Enabling internet banking customers to make online Fixed Deposit.
- ★ Hot Listing/Reset/Unblock/Change of Debit Cum ATM card PIN using Internet Banking password.
- ★ Viewing of Annual Tax Statement (Form 26AS).
- ★ Extended the facility of online e-Payment to the customers holding our Debit-cum-ATM card. This will enable the customers to use their Debit-cum-ATM cards for e-payments in addition to credit card & Internet banking account.
- ★ Online Nomination facility while creating online Term Deposit Receipt as well as for existing Term Deposit Receipts.

#### Automated Teller Machines (ATMs)

Bank has joined National Financial Switch (NFS) which enables Customers to access more than 85,000+ ATMs across the country. Bank is also part of Cash Tree, BANCS & SBI Group networks. As on 31st March 2015 we had 6771 ATMs out of which 2277 were under MOF and 4494 under Non-MoF project.

#### Customer Excellence Alternate Delivery Channel

In the process of ambitious growth plan of the Bank, various initiatives intensively taken with the immense potential of IT enabled products and market them effectively so as not only to retain the old customers, but also to acquire new ones, especially the tech savvy young generation, a separate IT enabled services – ITES -department at HO was carved out including the following areas of work (Renamed as Customer Excellence Alternate Delivery Channel)

- ★ Internet Banking: Retail Customers and Corporate Customers
- ★ Mobile Banking
- ★ ATMs
- ★ Card Products: Debit Cards, Credit Cards, Bingo Cards, Gift Cards
- ★ BOI Star Reward Program
- ★ E-Commerce Facility
- ★ E-Pay Facility
- ★ Instant Money Transfer

#### Instant Money Transfer (IMT)

Bank's customer can remit funds to the beneficiary who does not have Bank's account and the Debit Cards –

- ★ Innovative, safe, simple and hassle free domestic money transfer with cash out facility.
- ★ 24x7x365 facility availed both by initiator and beneficiary/ receiver.
- ★ Money can be remitted by using ATM or Retail Internet Banking
- ★ Money can be sent to any beneficiary/ receiver who need not necessarily be the customer of BOI or any Bank.
- ★ Beneficiary/ receiver can withdraw money from any BOI IMT enabled ATM without using a card. (List of IMT enabled ATMs is displayed on Bank's website)
- ★ Self Service – Bank's customer can initiate the transaction from his/her own through Retail Internet Banking or ATM.
- ★ Useful when beneficiary/ receiver require cash instantly or in emergency.
- ★ Useful when beneficiary/ receiver do not have a Bank Account or bank account details are not known.

#### INFORMATION TECHNOLOGY

Bank's Information Technology is playing a vital role as a Key Business Driver of the Bank. It is the lifeline for functioning of the entire Bank. The Bank now, more than ever, relies on information technology to provide services and to maximize value. In addition to keeping data centers up and running the IT must help the Bank Management drive their vision and see what is possible.

Details of the initiatives implemented recently are:

#### Achievements

- ★ **CRM Project:** Initiated CRM Project, this will enable Personalized Service, better Turnaround- time(TAT) for service requests, Informed and professional advice regarding new financial product offerings, and will provide Data inference-based interaction and hence has an objective value.
- ★ **Cash Management & Channel financing:** Providing Web based interface for effective Cash Management and channel financing.
- ★ **Payment Gateway Solution:** We have implemented our own payment gateway. By implementing this Bank will be in a position to generate revenue by selling Payment Services to other Banks and third Parties.
- ★ **Mobile Banking:** Introduced STARTOKEN NG a next generation SECURE UBIQUITOUS digital banking application which provides military grade security along with a consistent multichannel experience to our retail banking customers which supports varied platforms and different form factors like Laptop, Desktop, Tablets and Mobiles
- ★ **Adoption of Social Media:** Keeping in perspective factors such as perception, compliance

- ★ **Introduced Instant Money Transfer Facility (IMT).** With this facility, the beneficiary is able to withdraw money from ATM without having any Bank Account or ATM Card.
- ★ **Online Loan Application and Tracking System:** Introduced Online Loan Application and Tracking System with end to end integration.
- ★ **IMPS:** IMPS are becoming more and more popular among the customers due to its 24X7 operability and immediate interbank transfer features. This functionalities made available for our Mobile Banking, Internet Banking users and also from the branches.
- ★ **USSD Based Mobile Banking:** Introduced USSD based Mobile Banking facility. This facility can be used for low end Mobile Instruments.

#### Other Customer Centric Initiatives

- ★ State of Art e-Gallery implemented at 444 Locations.
- ★ Pass Book Printing Kiosk installed at 2340 locations.
- ★ Cash Acceptor Kiosk installed at 1060 Locations.
- ★ Total Number of ATMs has crossed 7000 Mark.

#### Awards

- ★ Skoch Award – For IT Innovation
- ★ First Runner up award in the category of “Best Financial Inclusion Initiative among Public Sector Banks” in IBA Banking Technology Awards 2013-14.
- ★ Runners up award from NPCI in “NFS Operational Excellence Awards” in Public Sector Banks category for excellent performance in key parameters in respect of ATMs and switch connected to NFS ATM Network.

#### THIRD PARTY PRODUCTS

##### Tie-up for Life Insurance

Bank continued its Corporate Agency arrangement with Bank's Joint Venture Life Insurance Company Star Union Dai-ichi Life Insurance Co Ltd. for sale of their life insurance products. Bank has around 4,400 employees to act as 'Specified Person' for sale of insurance products in various centres.

During the current financial year, bank collected premium of ₹ 520 crores (Number of Policies 69,000 over ) and contributed to more than 59 % of the total new business of the Joint Venture company .

Bank continues to offer optional life insurance cover to our Retail Loan Borrowers including Star Home Loan and Star Education Loan borrower under Group Policy wherein the borrowers pay reduced premium for life cover.

##### Tie-up for General Insurance ( Non-life) with National Insurance Co Ltd. (NICTL)

The existing tie-up arrangement with NICTL was converted into Corporate Agency Distribution Model in compliance with IRDA revised guidelines covering Bancassurance Business with Distributors like Banks. Bank has a co-branded health insurance product - BOI National Swasthya Bima, which is a Family Floater Mediciam Insurance Cover available only for Bank of India account holders, for a very low premium. The coverage is for the Account Holder, Spouse and Maximum of 2 Dependent Children. Entire family (Account holder, his/her spouse and their two dependent children ) is covered to the extent of sum insured in as much as part of the sum insured can be availed at different times by family members. It has been a popular product and as on 31.03.2015 over 1.68 lakhs Bank of India Account holders have taken this policy.

The total premium collected by the Bank for NICTL during financial year 2014-15 has been ₹ 187 crores which earned a commission of ₹ 17.62 crores.

**Mutual Funds Products**

Our Bank continues to be a shop for all financial needs to the customers in as much as distributes various Mutual Fund products of the following 10 Asset Management Companies, viz., BOI-AXA Mutual Fund, Birla Sun Life Mutual Fund, DSP Black Rock Mutual Fund, Franklin Templeton Investments, HDFC Mutual Fund, IDFC Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Reliance Mutual Fund, SBI Mutual Fund, and UTI Mutual Fund.


**ASSET RECOVERY & NPA MANAGEMENT**

The level of Non-Performing Assets (NPA) is key to any bank's profitability and consequently larger the efforts of a bank to minimize NPAs, the better it is in the long-term. The Bank continued its drive and focus in improving its performance in the area of NPA management in the year 2014-15 as well. NPA reduction has been given utmost priority in the Bank and this function has steadily grown in importance. Substantial measures were initiated to augment recovery and contain NPAs. Efforts were also made to maximize recovery in written off accounts and uncharged / unrealized interest in NPA accounts which contributes to the Bank's profits significantly. The following table shows management of NPAs during last 3 years:

(₹ in crores)

Item	31.03.12 (Actual)	31.03.14 (Actual)	31.03.2015 (Actual)
<b>GROSS NPA (Opening)</b>	5,894	8,765	11,869
Less:			
Cash-Recovery	1,245	3,066	2,688
Upgradations	759	938	2,321
Write-off	2,415	1,767	801
Agr. Debt Waiver/Debt Relief Scheme 2008	0	0	0
<b>Total Reduction</b>	4,419	5,771	5,810
<b>Add:</b>			
Slippages	7,379	8,811	16,591
Less Unrealized Interest (URI) (introduced from F.Y 2009-10)	89	-63	457
<b>GROSS NPA (Closing)</b>	8,765	11,869	22,193
Recovery in W/Off A/cs, UCI/URI	1051	878	248
<b>Net NPA</b>	5,947	7,417	13,518
% of Gross NPA to Gross Advances	2.99	3.15	5.39
% of Net NPA to Net Advances	2.06	2.00	3.36

During the year, Bank sold assets (Corporate) on both "cash" & "SR" basis. The Net Book Value (NBV) of the sold assets amounted to ₹ 1847 crore against which the offer / bid amount was ₹ 1809 crore. Offer on assets sold on absolute cash basis was ₹ 26 crore. For the remaining amount of offer of ₹ 1783 crore, the cash component is ₹ 212 and investment by Bank is ₹ 1572 crore.



Earlier (prior to Q4 of FY 2014-15), Bank was making 50% provision on D1 category of assets as against RBI stipulation of provision of 25%, for such accounts. During the year (pertaining to Q4 of FY 2014-15), Bank adopted 25% provision - a change in the provision norms - for assets under D1 (Doubtful 1 year) to be in line with RBI requirement at 25%. This resulted in a release in provision of nearly Rs.1100 crore.

The short fall on account of sale of assets to Asset Reconstruction Companies amounting to ₹ 595 crore is being amortized over the period of two years, in terms of RBI guidelines. Consequently, ₹ 113 crore has been charged to Profit & Loss Account for the current year. The amount amortized at 31st March, 2015, ₹ 482 crore.

**CREDIT MONITORING**

Given the challenging environment and the unabated pressure on asset quality, monitoring and taking preventive/corrective action to safeguard credit assets is of critical importance.

The Credit Monitoring Department of the Bank adopts various monitoring tools to identify risk of default at a nascent stage.

- ★ MIS Reports generated regularly on weekly/fortnightly basis reflect accounts with aberrations which warrant attention.
- ★ Identification of Borrowers at risk of distress or default to the Special Mention Category i.e. SMA1 (31 days to 60 days) or SMA2 (61 days to 90 days) under the framework for Revitalizing Distressed Assets in the Economy issued by RBI. Identification to the SMA category triggers mitigating steps for rectification, restructuring or recovery.
- ★ Credit Monitoring Module is available at all Branches and controlling offices for monitoring their credit assets.
- ★ Stress Management Cell has been set up at Head Office for monitoring of high value SMA2 Borrowers.
- ★ Credit Process Audit (CPA), prior to release of funds by Bank, ensures compliance of all terms of sanction and other covenants. Similarly, periodic Stock & Receivable Audit by empanelled Chartered Accountants in all eligible accounts is ensured to safeguard quality of assets charged to the Bank.
- ★ Collection mechanism is put in place at Zonal Centres for monitoring small ticket advances. Under the mechanism, advance intimation of instalments/interest due is sent to the borrowers. Regular follow up for recovery is made in case the instalment is not paid on the 15th day from the due date.
- ★ Implementation of CRM (Customer Relationship Management) solution is under process which includes a Collection Management module for tracking delinquencies based on the number of days the account has been delinquent, follow-up for collection through calls and SMS, scheduling a follow-up action and monitoring of recoveries as assured.

**BRANCH NETWORK & EXPANSION**

Bank has a geographically well spread branch network in India and abroad. Bank had 4,892 branches in India as on 31.03.2015. In the foreign countries, 25 branches and 31 representative offices keep Bank's presence felt in all time zones and important financial centers of the globe.

During the year 2014-15, Bank then opened 242 new branches including 1 Extension Counters converted into full-fledged branches & also 1 new extension counter was opened.

Composition of Bank's Branch Network is as follows :

Category	31.03.2014		31.03.2015	
	No. of Brs.	% to Total	No. of Brs.	% to Total
Metropolitan	837	18.00	863	17.64
Urban	789	16.96	821	16.78
Semi-Urban	1,258	27.05	1,317	26.92
Rural	1,766	37.97	1,891	38.65
<b>Total Branches</b>	<b>4,650</b>	<b>100</b>	<b>4,892</b>	<b>100</b>

Falling in line with RBI liberalized policy of branch authorization, some branches were shifted to alternate sites and Extension Counters showing good performance and those with locational advantage, were converted into full-fledged branches. It is intended to continue this policy for the coming year as well. RBI vide their circular No. DBOD. No.BAPD.BC.60/22.01.001/2013-14 dated 21.11.2013 has further liberalized its branch authorization policy allowing Banks to open branches in Tier I to Tier 6 centers without obtaining prior approval from them subject to reporting. Bank availed the opportunity and advised zones to send proposals to open branches under this category.

**Position at a Glance**

At the year end	31.03.2014	31.03.2015
<b>Number of branches</b>	<b>4,702</b>	<b>4,948</b>
Foreign	56	56
Indian	4,646	4,892
<b>Of which :</b>		
Metropolitan	837	863
Urban	789	821
Semi-Urban	1,258	1,317
Rural	1,766	1,891
<b>Computerised Branches</b>	<b>4,650</b>	<b>4,892</b>
Fully computerised	4,650	4,892
Partially computerised	-	-
<b>Specialised Branches</b>	<b>271</b>	<b>271</b>
<b>Extension counters</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

Bank has 271 Specialised branches catering to the specific financial requirements of various categories of customers in the domestic market. Break-up of such branches is given in the following table:

	Categories of Specialised Branches	31.03.2014	31.03.2015
1.	SME Branches	100	100
2.	Overseas Branches	03	03
3.	Large Corporate Banking Branches	10	10
4.	Mid-Corporate Branches	42	42
5.	N.R.I. Branches	06	06
6.	Recovery Branches	15	15
7.	Commercial & Personal Banking Brs.	26	26
8.	Treasury Branch	01	01
9.	Housing & Personal Finance Brs.®	24	24
10.	Government Business Branch	01	01
11.	Bullion Banking Branch	01	01
12.	Service Branches	41	41
13.	Centralised Pension Processing Branch	01	01
	<b>TOTAL</b>	<b>271</b>	<b>271</b>

@ - Including Retail Business Centers (RBC's)

**MARKETING**

Marketing has been one of the thrust areas of the Bank for acquisition of new customers servicing the existing customers and creation of customer centric processes for enhancing value.

Bank has recently reorganized its Marketing Set-up. The new Marketing Set-up focuses on mobilizing Deposits (including Govt. Deposits and Trust, Association, Clubs & Societies [TASC]), Retail home advances, Alternate Delivery Channel (ADC) Products, sale of Third Party Products etc. The marketing staff are placed / attached to

the branches including Retail Business Centres and are working under the Head Marketing (Deputy Zonal Manager) at Zonal Office.

To strengthen the marketing Team, Bank has recruited over 162 Marketing Executives during the last financial year. As on 31<sup>st</sup> March, 2015, Bank has over 534 marketing executives for focused marketing efforts.

**Major Initiatives during 2014-15:**

- ★ **Training:** Arranged workshop at Management Development Institute (MDI), Belapur for the Heads of Marketing from all the Zones.
- ★ **Skill Development/ Product Enhancement:** To keep the marketing team updated on the latest developments in the Bank and enhancing product knowledge, Weekly Online Product knowledge tests are conducted.
- ★ **Branding Activities:** For image building/ brand building Bank had participated in Standard Chartered Mumbai Marathon during the month of January, 2015. During the month of February, 2015 Bank was a Co-Sponsor for IL&FS Fun Run and participated in the Lavasa Women Drive.
- ★ **Business Development Activities:** The marketing team focuses on business development activities mainly in the area of Retail Assets and Retail Liabilities including CASA. The stress is on adding new and enhancing the existing relationship with the Diamond and Platinum account holders.
- ★ **Lead Management System:** The LMS software package has been made mandatory for all marketing staff of the bank. The system effectively captures, monitors, tracks, closes and analyses the leads generated at various levels. Workshops have been conducted for key officials from Zones.
- ★ **Campaign/ Initiatives:** Various campaigns/ initiatives have been launched for CASA, Retail Term Deposits and Retail Loans to garner business for the bank. Rewards & Recognition programs have also been launched for various Third Party Products during the financial year.

**PUBLICITY ACTIVITIES**

Bank's Publicity & PR Department executes various multi-media Corporate Campaigns to enhance the visibility of our Bank's Image and Promote bank's various products down the line Pan India under the able guidance of Top management. In order to execute the media plan, the foundation of our approved theme "Relationships beyond banking" has been continued. Apart from the famous Corporate TVC i.e. Piggy Bank, Couple, Friends, Bus etc. new TVCs on Home Loan, Vehicle Loan and e-products (Instant Money Transfer (IMT), Mobile banking) have been aired through various News & GEC TV channels. Bank's presence through On screening activity in Multiplex Cinema, Radio channels and digital advertisement through various websites such as Moneycontrol.com, Business standard.com, India Info line, etc have been activated. The campaigns have propelled the promotion of our Bank's product through Print media i.e. publishing these ads in major National/Regional dailies and various top magazines like India Today, business today, outlook, Grihshobha etc. The same theme was further carried forward for OOH activities on hoarding/bill boards/Gantries etc by placing ads at Strategic locations of Railways stations, Air ports & High ways in metro and other centers. These campaign initiatives have reportedly garnered good mileage and enhanced the corporate image besides promoting & establishing the Bank's Products. Apart from the campaign, the department is involved in giving due publicity to our retail activities such as to investment in real estate, buying cars, consumer durables and promoting the e-products. Bank has sponsored various events to increase the visibility of the Brand and Product i.e. advertisement in some events in big multi chain stores, various sports Super Series, development & reconstruction of shed for pilgrims; International Convention of business & technical institutes

etc. Participation in Mega Cultural activities of state governments, various religious /college/school functions, Real Estate & Housing Finance Expo, IL& FS Marathon at Bandra Kurla Complex, Dream run of standard chartered Bank, Conferences centered around the theme of health care at Mumbai by Doctors, Medical associations & Cancer Care Foundation. The Bank also participated in International Investors' conclaves organized by various publications; placed advertisements in various events held at Indian Chamber of Commerce, Indian Banks' Association – FICCI, FIBAC 2014, Bank was a Principal Sponsor of Pravashi Bhartiya Divas & Vibrant Gujarat Event 2015 held at Gandhi Nagar (Gujarat) and some events of Assocham etc. We have also participated in an International Banking Operations Seminar IBA - SIBOS 2014 at Davos, and many other activities have been executed by us to increase visibility of the Bank and place our brand Image higher than our peer banks. Department has successfully organized the Bank's Annual Foundation day Celebration event and Press & Analyst meet, Annual General Meeting (AGM) and Extraordinary General Meetings (EGM) of the Bank.

### CUSTOMER EXCELLENCE:

#### Commitment towards Customers

The Bank has been a voluntary member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) since its inception in 2006, to emphasize its customer orientation and commitment to provide service of a high order in a transparent manner, supplying the customer with necessary information to take an informed decision. BCSBI revised the Code in 2009 & 2014 and same were also adopted by the Bank Customer copy 2014 displayed on website. Around 1 Crore Copies of the revised code has been distributed among customers for their information.

The Bank has adopted various customer centric policies formulated by IBA – like Deposit Policy, Cheque Collection Policy, Grievance Redressal Policy, Compensation Policy, Recovery of Dues and Security Repossession Policy, Customer right policy, Customer Acceptance, Care & Severance, Simplified Procedure for Settlement of Dues in Deceased Depositors Accounts and Delivery of Contents from Safe Custody and SDV Lockers in case of Deceased Constituents.

The Bank took the following initiatives during the year to enhance customer service at branches :

- A short film on desired staff behaviour shot entirely within the Bank premises is being shown to the participants attending training courses conducted at Staff Training Centres all over India.
- Root cause analysis of complaints is being done at quarterly intervals to identify problem areas and initiate corrective steps are suggested for deliberation & up gradation.
- Zonal Offices have been authorized to carry out root cause analysis and to reduce the grievance redressal time, identify critical areas, take prompt corrective steps and thus help enhance customer satisfaction.
- With the increased emphasis on use of electronic mode of communication, the turn - around time for complaints is being compressed to 10 days in majority of the cases.
- Web based Customer Complaint Management System(CCMS) is revamped to generate analytical reports to help reduce turn around time in grievance redressal and initiate remedial steps in time.
- Compliance with various customer friendly measures by branches is being periodically assessed through the visits of officers from Zonal Audit Offices and necessary corrective steps are being taken promptly thereafter.
- Clean note policy of RBI is being implemented through introduction of latest note sorting machines/note authentication machines.
- All customer centric information mandatorily required, is displayed on the website for the benefit of customers and is made available at the branches.

- Various channels are offered to customers for airing their grievances, including e-mail, phone.
- Bank is issuing personalized Cheque books in all branches.)
- Bank has covered all branches where WELCOME Kits are provided to Bank customers for making available ATM cards and Internet Facility at the time of opening of the accounts without any wait period.
- Bank has an official Facebook Page on which posts and interactions have regularly monitored to solve the customer grievances.
- Call Centre with IVR menu facilities are available for customers.

### RISK MANAGEMENT AND CONTROL

Risk is inherent in any substantive business activity that a Bank undertakes. Banking activities expose us to myriad of risks like- credit, market, liquidity, operational strategic, compliance, reputational risks, etc. A Bank must manage these risks to maximize its long-term results by ensuring the integrity of the assets and the quality of earnings.

Bank evaluates its capacity for risk and seeks to maintain a strong and flexible financial position. Bank also focuses on maintaining its relevance and value to customers, employees and shareholders. To achieve these objectives, it continues to build a comprehensive risk management culture and to implement governance and control measures to strengthen that culture. Accordingly, the purpose of the risk control function is not only to minimize risks but also to ensure that the institution properly identifies measures and handles risks and prepares adequate reports on all these efforts so that the extent of risks, which have occurred, should not endanger the continuity of operations.

With this in mind the bank has established mechanisms which ensure the ongoing assessment of relevant risks on an individual basis and also of the overall risk position of the bank Risk Management is a Board driven function in the Bank with the Risk Management Committee of the Board at the apex level supported by operational level committees of top executives for managing various risks. The process of risk management consisting of various stages i.e. identification, measurement, monitoring and control, is covered in the policies for Enterprise Wide Risk Management, Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market Risk Management, Derivatives, ALM, Foreign Exchange and Dealing room operations. These stages constitute a control cycle, which also involves feedback and feed forward loops. The identification, measuring, monitoring & mitigation of all potential risks, in all activities and products is done through detailed analysis and vetting the same by the operational level risk committees and task forces. Risk profiling of the bank is also done on a quarterly basis. Various tools and systems like prudential limits, new Basel Compliant credit Rating Models, Credit Audit, VaR models for market risks, Self-assessment exercise coupled with tracking of Key Risk Indicators for operational risk have been introduced for assessing/measuring the identified risks.

Bank has started upgrading its Data warehousing to Enterprise wide Data warehouse for providing comprehensive data for analysis has been implemented. The Bank has been implementing Credit Risk Management Software to help the bank in improving the data quality and completeness and upgrading its Risk Management systems. Bank has migrated to computation of capital adequacy under New Capital Adequacy Framework (Basel II) based on Standardised Approach for Credit and Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk as per RBI guidelines effective 31.03.2008. The Bank undertakes Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) on a yearly basis for assessment/measurement of various risks, the limits of its risk-bearing capacity and appropriate level of internal capital in relation to the risks and the Risk Appetite. Stress Testing Process is in place for enhancing risk assessment by providing the bank a better understanding of the likely impact even in extreme circumstances.

Bank has received permission from RBI for migration to Foundation Internal Rating Based (FIRB) approach for Capital charge computation

under Credit Risks and The Standardised Approach (TSA) for Operation Risk. It is also in the very advanced stage for migrating to Internal Models Approach (IMA) for Market Risk for enhancing the effectiveness and robustness of risk management systems. Bank has well established Fraud Risk Management System with clear objectives to obviate fraud risk in the face of acceleration in Bank's business by strengthening internal controls to protect brand, reputation and assets of the Bank. Bank is also computing Capital Adequacy Ratio as per BASEL III guidelines of the RBI. Bank has robust Information Security systems and processes. Bank has implemented various information security projects for monitoring of real time information security attempts/incidents/events on 24x7 basis. Bank has put in place Captive Security Operation Centre (SOC). The Bank is ISO 27001, PCI-DSS 2.0 and BS25999 certified. Bank is ISO 22301 Certified for the Data Centre and Treasury Branch too.

### FRAUD RISK MANAGEMENT

The main functions of the Fraud Risk Management department are:

- ★ Reporting and Monitoring of Frauds.
- ★ Maintenance of Centralized data on frauds.
- ★ Analysis of Perpetrated and Attempted Frauds.
- ★ Provisioning and accounting of amounts involved in frauds.
- ★ Sensitizing staff through training on Fraud prevention.
- ★ Devising and Administration of FRM Policy for the Bank.
- ★ Convening meeting of Task Force of Frauds at Head Office.
- ★ Follow-up action for recovery in respect of all frauds.
- ★ Plugging the loopholes in the systems, procedures & practices leading to perpetration of fraud.
- ★ Dissemination of modus operandi & reasons for occurrence of fraud revealed by way of Circulars/instructions to avoid the risk of recurrence of frauds of similar nature
- ★ Managing all aspects of Insurance Claim for losses due to frauds
  - On line monitoring of alerts generated with the assistance of RIMS, an external application

### HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Human Resources play an important role in the growth of an organization. Management of people begins with recruitment process and passes through various movements, such as, training, placement, performance reviews, promotions etc. Human resources department is instrumental in creating a vibrant organizational culture in which employees are encouraged and motivated to perform their best.

#### Policies, Recruitment & Promotion

Human Resource Management plays a vital role in accomplishment of corporate goals. In a service-oriented industry like Banking, success depends on prompt and efficient customer service, which can be achieved by recruiting right talent, grooming and right placement. Banking industry as a whole is facing shortage of staff and all Banks are making all out efforts to recruit employees both in Clerical and Officer Cadre. Conscious attempts are being made to improve / infuse young employees to replace the superannuating employees. Bank could largely succeed in spite of various inherent constraints such as reluctance of young candidates to accept rural posting, monetary compensation, simultaneous recruitment of staff by all PSBs due to acute shortage in their respective Banks, etc. In years to come most of the PSB's will recruit through common recruitment process conducted by IBPS which will reduce the attrition of new recruits in Bank.

Bank has recruited 1691 officers in General Banking & Specialist cadre in various scales and 2876 in clerical cadre in financial year 2014-15.

The newly recruited Clerks and Officers are expected to report for duties in the first quarter of financial year 2015-16 to take care of requirements

due to branch expansion / business expansion as well as retirements/ VRS.

#### The other initiatives being taken on the HR front include:

- ★ Inclusion and integration of more HRMS modules (activities) to provide full-fledged solution to all HR issues like scientific assessment of Manpower requirements of the Bank;
- ★ Simplification of the Annual Performance Assessment system;
- ★ Review the Promotion Policy to make it more objective and suitable as per the present requirements
- ★ Star Desk is being regularly visited by the General Manager (HR) for exchange of suggestions related to HR initiatives, improvising HR policies;
- ★ Introduced 'Talent Bank' by identifying Officers having special skills in areas like Credit, Forex, Marketing, Recovery,
- ★ Introduction of fast promotion process relaxing eligibility criteria for Officers;
- ★ Various welfare measures being implemented for employees such as Group Savings Linked Insurance, Death Relief Scheme, Reimbursement of Education Expenses of wards of employees, Tie-up arrangement with various hospitals for cashless treatment, Medical Assistance for Retired Employees.

### Learning and Development

Building winning teams by developing skill of the employees is a key strategy of the Bank. Recognizing the need to harness the true potential of large human resource pool, a separate Division of Learning and Development has been carved out on 17.01.2015.

Learning & Development Division through its continuous training and development programmes acts as a catalyst in augmenting the competencies of employees and equipping them with right skills and knowledge for meeting ever changing business needs of customers in different segments.

The Training Policy was reviewed thoroughly and revised policy was approved by Board on 12.03.2015.

Bank has six training colleges spread across the country. The Management Development Institute (MDI), CBD Belapur, Navi Mumbai, four Staff Training Colleges (STCs) at strategic locations at Bhopal, Chennai, Noida and Kolkata besides one Information Technology Training Centre (ITTC) at Pune.

The activities performed by L&DD during the year 2014-15 are:

- ★ During the year 23980 staff members of our bank and 1165 staff members of other institutes and RRBs were trained.
- ★ Induction Trainings of 15 days of all 2845 newly recruited clerks during the year were organized at our training centres. Whereas Induction Programmes of 1 month for newly recruited DROs were organized at Banker' Quotient-Coimbatore and Noida Campus. Total 1579 DROs were trained at Banker's Quotient.
- ★ Customised programmes for First Time Branch Manager (FTBM) were organized at NIBM Pune and Banker's Quotient –Coimbatore & New Delhi Campus imparting training to 250 newly posted Branch Managers of various zones.
- ★ Programmes "Positive Approach to Vigilance Administration" for Disciplinary Authorities and "Preventive Vigilance in Public Procurement" was organized in collaboration of renowned speaker and EX G.M of RBI, Shri R Radhakrishnan attended by 76 officers.
- ★ Executive Training on "Credit Appraisal and Early Warning Signal" for 50 credit officers posted in LCB and MCB was organized in collaboration of M/s CRISIL REASERCH.
- ★ Specialised programme on ITES & ADC was organized by nominating one I.T officer of each zone, who would be in charge of all matters pertaining to these issues of respective zone.

- ★ Leadership and Change Management Development programme for newly promoted AGMs and DGMs (who had not attended similar programme earlier) was organized at ASCI Hyderabad imparting trainings to 88 officers.
- ★ Motivational Programme was organized for Branch Heads in scale IV & V, who had underperformed during the year through renowned speaker Sanjay Sahay imparting training to 108 officers.
- ★ Programme on Marketing was organized for staff members of Mumbai North, Mumbai South, Goa through organization M/s Skill Edge.
- ★ All the Staff members posted in BoF, in Hyderabad zone were trained at IBS-Hyderabad and in Mumbai North, South & Navi Mumbai zones were trained at Welingkar Institute of Management Studies -Mumbai.
- ★ Circular was issued for reimbursement of course fees for All the Courses offered by IIBF-Mumbai.
- ★ Data sheet of all the retired Executives was called for, on the web site of Bank to create zone wise panel of retired executives who are willing to impart locational trainings to our staff members.
- ★ "Tattvaloka-the Splendour of Truth" a high quality Magazine was subscribed on behalf of 1000 valued customers of Bank.
- ★ 431 students pursuing Management courses were granted permission to do Summer Internship in our Bank.
- ★ To percolate the knowledge to a wider cross section of employees, attempts are made to popularize E-Learning. Till date 75 Module of E-Learning are uploaded in HRMS-ELM package.

**IN-HOUSE PUBLICATIONS (TAARANGAN & BOI GUIDING STAR)**

Since last 50 years, Bank's In-house Journal 'Taarangan' has been playing a significant role of internal communication in the Bank. It is one of the mediums of promoting employee engagement in the bank. It is a platform where our employees express their creativity through articles, poems, experiences, information, cartoons & other informative material etc. In addition, our house journal also contains success stories of our customers and their special achievements including details of social, promotional and other activities undertaken by Zones/Branches/offices in India & abroad along with achievements of our staff members and their family members. Zonal representative have been nominated for 'Taarangan' to look after the related work. However, the main objective of this In-house Journal is to play a major role as an internal communication tool amongst our staff members.

**Awards and Accolades to Taarangan.**

Banks In-House Journal has won various awards and accolades from reputed organizations during 2013 including one International Award for Brand Excellence in House Magazine. The details of awards won are as under:

- INTERNATIONAL AWARD For Brand Excellence In House Journal By CMO Asia during 5th CMO Asia Awards held at Singapore on 31st July, 2014
- Public Relations Society of India (PRSI) NATIONAL AWARDS 2014 (2nd Prize) under Best In-House Magazine category on 19th December, 2014
- BEST IN-HOUSE MAGAZINE (3rd Prize) by Reserve Bank of India on 13th Nov, 2014.
- TWO AWARDS from Association of Business Communicators of India (ABCI) on 27th February 2015 at Mumbai in categories i.e. Features (Language)-Bronze & Special Column (Language)-Gold

**CORPORATE KNOWLEDGE MAGAZINE 'BOI GUIDING STAR'**

New Corporate Knowledge Magazine 'BOI GUIDING STAR' was launched in Nov, 2013 during BANCON 2013 exclusively as corporate communication vehicle of the bank with a high profile reach including

India's prominent vision leaders, senior officials in the Union Government and RBI, Frontline CEOs of Corporate companies, CMDs, EDs and Experts in the Financial sector, Technology leaders, Management Gurus, Academicians, prestigious libraries of IIMs, IITs & reputed Universities, Economic journalists and media personalities, advertising & Marketing experts and Arts Personalities. The anniversary issue of the magazine was recently published and received The magazine was well received by the Corporate world and was able to mark its presence in various platforms. Public Relations Society of India (PRSI) conferred our magazine with NATIONAL AWARDS 2014 (2<sup>nd</sup> Prize) under Best In-House Magazine category on 19th December, 2014 and Association of Business Communicators of India (ABCI) awarded prize under Best New Publications Category on 27<sup>th</sup> February 2015 at Mumbai.

**COMPLIANCE WITH RESERVATION POLICY (INDIAN)**

The Bank is complying fully with the reservation policy of the Government of India. Special Recruitment and SC/ST Cells at Head Office / Zonal Offices are functioning to monitor the implementation of the reservation policy and redressal of grievances relating to SC/ST/OBC employees.

**Representation Of SC/ST/OBC In Total Staff Strength:**

March-15	Officers	Clerks	Sub-staff
SC	3,386	2,897	2,812
% to total staff in respective cadre	17.58	16.28	34.09
ST	1,560	1,807	872
% to total staff in respective cadre	8.10	10.16	10.57
OBC	3,168	2,980	1,553
% to total staff in respective cadre	16.45	16.75	18.83
<b>Total staff</b>	<b>19,262</b>	<b>17,790</b>	<b>8,248</b>

**LEGAL**

Legal Department of the Bank acts as facilitator and attends to various matters of Opinion, Documentation, Litigation etc. emanating from various functional departments at Head Office, besides attending to referral matters of various NBGs/Zones, Indian Branches/Foreign Branches and Bank's subsidiaries. It is also catering to the specific need of specialized Departments like Information Technology / International/ Treasury / Card Products etc. by Drafting / Vetting of documents of various contracts/Service Level Agreements (SLAs), (Software/Hardware procurement, Service Level Agreements, various types of tie-up arrangements /new products etc.)The Right to Information Act has taken a pivotal role in the Society and lot many applications are received by the Bank at various levels. Bank has identified Central Public Information Officer and Appellate Authority at various Zones / NBGs. The Deputy General Manager / Asstt. General Manager (Law) of Legal Department is also designated CPIO of the Bank, and the General Manager, Legal Department is Appellate Authority which involves collecting the desired information from various Departments and supplying the same to the applicant within the fixed time frame of 30 days and also to guide the other Zones / NBG on specific points. With a view to create awareness among the staff 'Legal News Letter'is regularly issued and circulated by the Legal Department, besides, issuing circulars from time to time on latest legal developments.

- ★ Approval of Plaints in respect of suits filed by Bank.
- ★ Share transmission matters.
- ★ Advising on writs, cases, appeals, claims etc. filed against the Bank, vetting of the applications/affidavits etc. wherever required.
- ★ Attending to the various queries of Ministry, Reserve Bank of India and IBA on different matters including new Legislation/amendments under consideration on various Acts.
- ★ Attending to requests from citizens made under the Right to Information Act. This includes processing the requests, forwarding

the same to the concerned departments, follow up, collecting the information from concerned Departments and giving timely replies (within 30 days). In case appeal is made against such Orders, further processing the Appeals and disposing of the same in time bound manner. In addition, the Legal Department is guiding the Zones and Branches for replying to queries under the Right to Information Act. Wherever required, Legal Department appears before the CIC for the hearing of the appeals filed by the parties.

**COMPLIANCE**

The increasing customer base, the rising expectations of customers to have anywhere and anytime banking in safe and secure mode, the growing product profiles, the advancing technology and the emerging regulatory reforms call for a robust compliance function policy in the bank for management of compliance risk.

Compliance in a regulatory context is thus of prime importance, not only because of the above listed issues but also due to an ever-increasing number of regulations and a fairly widespread lack of understanding about what is required for an organisation to be compliant. Compliance has, thus, increasingly become a concern of corporate governance.

A Compliance Function Policy for the Bank was adopted by the Board as per Reserve Bank of India guidelines. An independent Compliance department, headed by a Chief Compliance Officer of the rank of General Manager, is functioning at Head office. Compliance of statutory, regulatory and internal guidelines of the Bank is the scope of operation of the compliance function of the Bank.

The department has prepared Compliance Rules in the following areas of branch banking:

Return	Frequency	No. of Rules
Know Your Customer/Anti-Money Laundering/Combating of Financing of Terrorism	Monthly	53
Deposits & Services	Quarterly	61
Advances	Quarterly	63
FEMA	Quarterly	157

Every zone submits the certification to the above rules at the prescribed frequency. Based on the rules, the department is conducting half-yearly compliance testing at selected branches all over India. A report on the findings of such compliance testing is submitted to the Top Management.

At each Zonal Office, a Compliance Officer has been identified for monitoring the compliance function of the respective Zone. The department is also responsible for the Overseas Compliance. In respect of foreign Branches, monitoring is done at cluster level.

Compliance department, inter-alia, submits the following to the Board/Audit Committee of the Board/Top Management/Head Office departments:

- ★ Monthly Certificate in respect of Overseas Regulatory violations, if any, to the Board;
- ★ Monthly Certificate in respect of Derivatives to the Board;
- ★ A monthly note to Top Management, on the compliance risk faced by the bank;
- ★ A monthly note to the Board on major initiatives taken in KYC/AML/CFT;
- ★ A gist of the circulars issued by RBI, along with the Compliance to the same, to the Board on a monthly basis;
- ★ Monthly Certificate to Top Management that various regulatory requirements at overseas centres have been adhered to, on the basis of declarations received from overseas centres;
- ★ A quarterly report on the compliance function of the bank to the Board;

- ★ Compliance of the bank to the various circulars/instructions issued by RBI, is put up to the Audit Committee of the Board on a quarterly basis;
- ★ A quarterly report to the Audit Committee of the Board on review of implementation of KYC/AML/CFT;
- ★ A quarterly report to the Audit Committee of the Board on the persisting irregularities in the Annual Financial Inspection / Risk Based Supervision;
- ★ A quarterly report to the Board on the Calendar of Reviews stipulated by RBI and the action taken by various departments in respect of the same;
- ★ In terms of Para 12 (xii) of the Compliance Function Policy, the department is to put up to the Board an Annual Report on its functioning;
- ★ Annual report to the Board on Penalties Imposed/penal action taken against the Bank under various laws and action taken for corrective measures.

The department is also vested with the responsibility of implementation/monitoring Know Your Customer (KYC)/Anti Money Laundering (AML) Measures/ Combating Financing of Terrorism (CFT) Guidelines in the Bank. The department has taken up earnestly the task of ensuring compliance with KYC norms in all the existing accounts, as directed by RBI. A separate mandatory field is provided in the Finacle system to facilitate noting of KYC status in each account. Branches are in the process of identifying KYC non-compliant accounts, obtaining KYC documents and suitably updating the Finacle system.

As per the provisions of Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PML Act) and Amendments thereto and the Rules made thereunder as well as the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) on KYC, branches are properly identifying every customer by obtaining recent photograph, proof of identity and proof of current address for KYC compliance. Opening of accounts of persons of low income group with simplified KYC norms has been introduced. All the customers have been classified into High, Medium or Low Risk category based on the Risk perception. As per extant RBI guidelines, the review of the Risk categorisation is to be done once every six months. The review of the Risk categorisation of accounts has been centralised at Head Office.

The Bank has implemented the provisions of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 and Amendments.

The bank is using an Anti-Money Laundering Software for identifying suspicious transactions under the Prevention of Money Laundering Act. The Bank has implemented IBA stipulated scenarios. IBA has sent us a revised list of off-line and online alert scenarios that banks are required to have in place; the revised list consists of 22 off-line alert scenarios and 22 online alert scenarios; we have circulated the off-line alert scenarios to all the Zones and Branches;

The department handles the Risk Based Supervision (RBS) by the RBI by co-ordinating with Head Office departments. The RBS reports are scrutinised and compliance is submitted to the RBI. The on-site supervision under RBS for the year 2013-14 was done by RBI during November 2014 to January 2015. The discrepancies observed by RBI are reported to Audit Committee of the Board along with compliance status.

The Compliance department is also the single point of contact for all the regulatory agencies when they want to communicate with the bank.

**VIGILANCE**

Vigilance machinery of the Bank is headed by the Chief Vigilance Officer (CVO) appointed with concurrence of the Ministry of Finance and the Central Vigilance Commission. The CVO is assisted by officers having knowledge / background of investigation and disciplinary action matters as well as banking, for tendering advice to Disciplinary Authorities / Controlling Authorities in all Vigilance cases. Vigilance



Department also focuses on initiation and dissemination of preventive vigilance measures. In this regard, Bank has five separate "Vigilance Units" to deal with vigilance matters. The Vigilance Department also tenders advice of the CVO in Vigilance cases referred by the Bank's sponsored four Regional Rural Banks (RRB).

#### INSPECTION & AUDIT

During the year 2014-15, the Department carried out Risk Based Internal Audit, Information System Audit & Revenue Audit at domestic as well as all foreign branches, Currency Chests, Depository Participant Offices and Risk Based Management Audit at HO Departments, Zonal Offices, Zonal Audit Offices, Staff Training Centres, MDI, LDM Offices and RRBs. Concurrent Audit is being conducted in 723 Branches, Treasury Branch, Data Centre, Card Products Dept., HO and Estate Dept., HO by FCAs and 25 Foreign Branches, Estate Dept., HO and Finance Dept., HO by In-house officers. The coverage of Concurrent Audit in our Bank is 77.60% of Global Deposits and 88.54% of Global Advances as on 31.03.2015. This coverage is against the RBI guidelines of 70% of total deposits and 70% of total credit and risk exposure of the Bank. During conduct of various audits at branches, the Department detected revenue leakage to the extent of ₹ 86.05 crore of which ₹ 75.86 crore has already been recovered.

Under the project STARBOOST, Audit Exception Reports (AERs) of 3447 branches were generated and sent to the branches that are subject to RBIA. These reports are sent to the concerned branches 2 months in advance so as to enable the branches to initiate necessary corrective measures before commencement of audit which would facilitate for a good audit rating.

Policy of Risk Based Internal Audit, Risk Based Management Audit (Domestic), Concurrent Audit, Information System Audit and Audit of Foreign Branches, were reviewed/revised suitably as per Draft Guidelines issued by the Department of Financial Services, MOF, GOI and covers/elaborates the areas that were pointed out in the previous AFI by RBI and also as per the directions of Audit Committee of the Board. Long Form Audit Report of the Bank for the year 2013-14 was attended in time and compliance was reported to ACB & Board. Compliance of Action Points emanated at the meetings of ACB/Board was submitted to ACB/Board in time.

Apart from the routine audit exercise conducted the following special assignments were undertaken to meet the special requirements of the Bank under the instructions/guidance of the Top Management.

- ★ Discretionary Audit was conducted at branches that were rated under 'High Risk and above' to ensure conclusive compliance of observations/ exceptions.
- ★ Revenue Audit of non-concurrent audit branches was conducted (yearly in case of small/medium branches and half-yearly in case of large and above branches) and a revenue leakage of ₹ 7.24 Crore was detected.
- ★ Assessment of impact of preventive vigilance measures was undertaken at branches that were audited (this is being carried out on an ongoing basis).
- ★ Credit Audit & Loan Review Mechanism was conducted in 4158 accounts.
- ★ Long Form Audit Report of the Bank for the year 2013-14 was received on 28.06.2014 and the compliance was submitted to RBI on 28.08.2014.
- ★ The Migration Audit of all Foreign Centres is assigned to M/s Ernst & Young. They have completed the migration audit of all centres. The compliance is received from the centres and all the reports are closed in the Audit Committee of Executive meeting.
- ★ For improving the skills of field level auditors as well as Officer-in-charge of Follow-up Audit Cell at Zonal Offices, training was organized in RBIA, Forex Operations & IT related issues etc.

- ★ IS Audit of Data Centre & Disaster Recovery site is carried out by our internal Information System Auditors and the report was forwarded to Data Centre for conclusive compliance.
- ★ Application audit of FINACLE is initiated and the job is assigned to M/s. Ernst & Young LLP. This is a onetime exercise. We have received the compliance and M/s. Ernst & Young has done the compliance verification audit and submitted the report. The reports were forwarded to the Data Centre for conclusive compliance.
- ★ As a proactive measure, at our office, we are doing cleansing operations of the Finacle data centrally and have observed the following which we have been brought to the notice of the Top Management:
  - a) We have identified a portfolio of Loan & Overdraft against our Banks' own TDRs where there is a shortfall in security to the tune of ₹ 35 Crore and the same has been advised to the concerned NBGs/Zones for regularisation.
  - b) We have identified various office accounts with huge balances and advised the branch, Zones to reconcile the accounts on top priority.
  - c) We have identified TDR accounts having debit balances and provided the same to Data Centre for immediate action.
  - d) We have identified various Loan & OD against TDR accounts with wrong interest rates entered in the system which leads to huge revenue leakage.
- ★ For better communication, interaction with Concurrent Auditors at Foreign Centres is done through V/C / tele conferencing.
- ★ The General Manager and Dy. General Manager attended 16 Zonal Audit Committee of Executives meetings and Meetings with Chief Incumbent of High risk Rated Branches and rendered suitable guidance in the matter of ensuring timely compliance/closure of audit reports and improving audit rating.
- ★ All the Zones have conducted minimum 6 Zonal Audit Committee of Executives during the f.y. 2014-15.
- ★ Meeting of concurrent auditors/internal auditors at various Zones were conducted wherein GM & DGM emphasized the need for quality and timely reporting of audit findings and also timely submission of reports.
- ★ Full time in-house concurrent auditor was appointed for Data Centre and was assigned, among other duties, the job of verification of interest parameters, application of interest process and checking of interest in sample accounts. The observations of the concurrent auditor are forwarded to IT Department, for compliance. The compliance received from them is put up to Audit Committee of Executives for their noting and further direction, if any.
- ★ Joint Target Examination of San Francisco Agency was conducted by Federal Reserve Bank (FRB) and California Department of Business Oversight (CDBO) at San Francisco Agency during 21st April 2014 to 2nd May 2014 (for the period ended 30th June, 2013) & Audit rating 4 - Marginal was awarded. The Regulators have now upgraded the Audit rating of San Francisco Agency by one Notch from Marginal (4) to Fair (3) in the recently concluded examination during the period 27th October 2014 to 06th November, 2014 for the period ended 30th June, 2014.
- ★ Regular reporting on all important Audit findings are being made to Top Management, Audit Committee of Executives and Audit Committee of the Board as prescribed and the directions thereof are being complied.

#### OFFICIAL LANGUAGE

Bank has a well established Official Language Department at Head Office which has initiated various measures for implementation of

Official Language Hindi during the year. All India Seminar on Official Language Hindi was organised at Mumbai where Ms Neeta Chaudhary Secretary (Official Language) Govt. of India, Ministry of Home Affairs, Official Language Department was Chief Guest and was attended by the representative from all Banks. Vishwa Hindi Diwas was also organised by the Bank at Lucknow on 10.01.2015 under the aegis of GOI, Ministry of Finance, Financial Services Department and the same was also attended by representative from all the Banks. Some of our foreign branches, namely Kowloon (Hongkong), Johannesburg (South Africa) and Bank of India (Botswana) Ltd. also celebrated Visva Hindi Diwas along with eminent persons from the Indian Community and NRIs with a view to connect the business with Language concept.

Hindi competitions of various types such as Hindi translation, typing, noting and drafting for senior level officers, as also for all the staff and officers were conducted in the Hindi Month celebrated by the bank during the 15th August 2014 to 14th Sept 2014. One act play on the stories of eminent Hindi Author Premchand was also staged at Head Office and a Kavi Sammelan was also held participated by famous poets of Mumbai.

Bank has conducted 156 Hindi Workshops in different zones and training centres of Bank and imparted training to 1885 officers and 1614 clerks to hone their Hindi Language skill.

During the year, as an IT initiative, Official Language was introduced in HRMS and revised version of Uniprinter for printing of pass book, drafts etc. in Hindi was also sent to all the branches in Banks. To comply with the rule No.11 of Official Language Rules, 1976 important departmental procedure literature such as Alternative Delivery Channels instructions, Security Manual, NPA, Business Continuity Management System, Comprehensive Financial Inclusion (SVS) etc. were translated into Hindi and made available for reference.

Our Nagpur-I Zonal Office, Convenor of Town Official Language Implementation Committee of Nagpur, received first prize of Indira Gandhi Rajbhasha Puruskar for the year 2012-13 and second prize for the year 2013-14 from Government of India presented by Hon'able President of India, Shri Pranab Mukherjee at New Delhi. Our Head Office, Mumbai also received the second prize of Indira Gandhi Rajbhasha Puruskar for the year 2013-14 at the hands of Hon'able President of India in Region B for doing commendable work in Official Language Hindi. Our erstwhile Hindi House Magazine Sankalpana also got consolation prize in the Rajbhasha Governor shield competition.

Our Muzaffarpur Zonal Office got Third Prize in Region A and Howrah Zonal Office got second prize in Region C for doing excellent work in Official Language Hindi from Govt. of India, Ministry of Home Affairs, Official Language Department, Eastern Regional Implementation Office, Kolkatta for the year 2013-14.

Government of India has awarded 2nd prize of Indira Gandhi Rajbhasha Puruskar to our Bank for the year 2013-14 for doing commendable implementation of Official Language Hindi in B region. Similarly, Town Official Language Implementation Committee (Bank), Nagpur coordinated by our Nagpur Zonal Office has also received 2nd prize of Indira Gandhi Rajbhasha Puruskar from Government of India in B region for the year 2013-14. Our Bank has organized an All India Official Language Conference on 09th May, 2014 at Mumbai in which the top Executives of Government of India, Ministry of Home Affairs, Finance Ministry and all Nationalized Banks were present. Bank has also organized World Hindi Day on 10th January, 2015 at Lucknow under the guidance of Ministry of Finance, Department of Financial Services, in which the representatives of all Nationalized Banks, Financial Institutions and Insurance Companies were present. Our Johannesburg, Botswana and Kowloon (Hong Kong) branches have also celebrated World Hindi Day on 10th January, 2015 with citizens of Indian origin and local resident staff members.

## BANK'S SUBSIDIARY / ASSOCIATES

### Indo Zambia Bank Ltd. (IZB)

IZB is a joint venture of three Indian Banks viz. Bank of India, Bank of Baroda, Central Bank of India and Government of Zambia. Each of the Indian Banks holds 20% of the share capital, whereas Government of Zambia holds 40% of the share capital. Indo-Zambia Bank Ltd. is a fine example of a successful joint venture. It enjoys the patronage of two friendly republics, the Government of Republic of Zambia and Government of India.

### PT. Bank of India (Indonesia) Tbk

Bank acquired a stake of 76 % in PT Bank Swadeshi Tbk which now stands changed to PT. Bank of India (Indonesia) Tbk. Bank's present investment in its Equity is ₹ 278.96 crores. Net profit for 2014-15 (unaudited) ₹ 99.18 crore.

### Bank of India (Tanzania) Ltd.

Bank of India (Tanzania) Ltd. is wholly owned subsidiary of the Bank and commenced operations on 16th June 2008 with first branch at Dar-Es-Saleam. Net profit (un audited for 2014-15) is ₹ 8.59 crore.

### Bank of India (New Zealand) Ltd.

Bank of India (New-Zealand) Ltd. is wholly owned subsidiary of the Bank. It has a Net Worth of ₹ 233.80 crores as on 31.03.2015. Net profit for 2014-15 (unaudited) is ₹ 7.87 crore.

### Bank of India (Botswana) Ltd.

During 2013-14, Bank has established a subsidiary in the name of "Bank of India (Botswana) Ltd., which had commenced operations w.e.f. 09.08.2013 with its first branch at Gaborone, Botswana.

### Bank of India (Uganda) Ltd.

Bank of India (Uganda) Ltd. is a wholly owned subsidiary of the Bank. It has a Net Worth of ₹ 63.21 crores as on 31.03.2015, & net profit for 2014-15 (unaudited) is ₹ 1.36 crore.

### BOI Shareholding Ltd. (BOISL)

Bank's association with the Capital Market spans a period of nine decades. The clearing and settlement function of Bombay Stock Exchange (BSE) was being handled by the Bank since 1921. In 1989, Bank set-up "BOI Shareholding Ltd. (BOISL)", joint venture with BSE, to manage the clearing house activities of the Stock Exchange. Bank has holding of 51 % of its paid up capital of ₹ 2 crores.

BSE's subsidiary ICCL now acts as a Central Counter party for trades of BSE, as per SEBI guidelines and has taken up Clearing and settlement work w.e.f. 01.04.14 to comply with SEBI guidelines.

BOISL is also a Depository Participant (DP) of both the Depositories viz. the National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) and provides depository services to the clearing members and investors. BOISL is the first Securities Clearing House in the country to have been awarded the ISO 9001-2000 ISO Certification. BOISL earned a net profit for 2014-15 (audited) ₹ 1.39 crore as against ₹ 5.89 crore earned during 2013-14.

### BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd. and BOI AXA Trustee Services Pvt. Ltd.

These Companies are in the Business of Mutual Fund and Portfolio Management. Bank of India is holding 51% Stake in both the Companies.

### BOI Merchant Bankers Ltd. (BOIMB)

BOIMB was incorporated on 31.10.14 and received RBI permission to begin its operations on 21.01.15.

To conduct merchant banking business mainly managing and underwriting of Equity/Bonds & Debenture issues.

It is a wholly owned subsidiary with paid up capital of ₹ 10 crore. The Co. has made net profit (audited) of ₹ 12.77 Lacs in first year of its operation i.e. 2014-15.

**STCI Finance Limited**

STCI Ltd. is one of the leading Primary Dealers in the country. It was established in 1994 with the objectives of widening the gilt and other debt security market through development of a vibrant secondary market. Bank of India with 29.96% holding is the single largest stakeholder in STCI having Paid up Capital of ₹ 380 crores. The Company is an associate company of Bank in terms of Accounting Standards 21 (AS-21) of the Institute of Chartered Accountants of India. With growing perception that Primary Dealership by itself is no longer an attractive business, STCI decided to hive off the Primary Dealership business to its new subsidiary namely STCI Primary Dealer Ltd. which commenced its operations from 25th June 2007. The Subsidiary which started on a cautious note has made steady progress since then. After formation of subsidiary, STCI took up activities of IPO funding, margin funding, commodity future trading, Asset Management, investments in short term corporate loans / CP, equity trading etc. During FY 2014-15 Co. earned net profit of ₹ 153.76 crores against ₹ 91.44 crores in 2013-14.

**Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd. (SUDLife)**

Bank of India, Union Bank of India and Dai-ichi Mutual Life Insurance Company, Japan have formed "Star Union Dai-ichi Life Insurance Company" to take advantage of the growing insurance market and to provide quality assured insurance to its clients spread across the length and breadth of the country. The company has commenced insurance business since February 2009. BOI holds 48 % in the Company's paid up Capital of ₹ 250 crores. Union Bank holds 26% stake and Dai-ichi Mutual Life Insurance Company, Japan holds 26% in addition to the Bank's stake.

Following recent change in guidelines on foreign investment in Insurance business which is now revised upwards to 49%, and in terms of the joint venture agreement, our Bank's Board has given approval in principle to divest/ transfer 18% stake to Dai-ichi Life Insurance Ltd., Japan. BOI's stake will be 30% thereafter.

**STRATEGIC INVESTMENT / ALLIANCES****Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)**

The Company was promoted in 1997 by the Bombay Stock Exchange and Bank of India along with other Banks. The main objective of promoting CDSL, was to accelerate the pace of dematerialization of scrips, bring wide participation of investors in the capital market and to create a competitive environment as country's second depository. Banknow holds 5.57 % stake in the paid up capital of ₹ 104.58 crores of CDSL. CDSL has paid 10% dividend in FY 2007-08, 2008-09 and 2011-12; 15% dividend for 2012-13 and 20% in 2013-14.

**ASREC (India) Ltd.**

The Company was floated by the Specified Undertaking of the Unit Trust of India to undertake securitization and asset reconstruction activities. The company was granted Certificate of Registration by RBI under the SARFAESI Act, 2002 in the second half of FY 2004-05 and has since commenced full-fledged operation. Currently the Bank holds 26.02% stake, in the equity capital of the company which is ₹ 98 crores.

**Credit Information Bureau (India) Ltd. (CIBIL)**

CIBIL is the first credit information bureau in the country, incorporated in August, 2000 for providing credit information and risk analysis services to the Banking and Financial services sectors. The company launched its consumer bureau operations in FY 2004-05 and commercial bureau operations during 2006-07. Bank holds a stake of 5% in the equity share capital of the company.

**National Collateral Management Services Ltd. (NCMSL)**

National Collateral Management Services Ltd. is promoted by the National Commodity and Derivatives Exchange Ltd. (NCDEX). It was incorporated on 28.09.2004 to promote and provide collateral management services for securing, managing and controlling securities and commodities. It offers various services for the development of trades on commodity exchange such as valuation, grading, insuring, securing, storing, distributing, clearing and forwarding of securities and commodities etc. Bank holds a stake of 10.17% (₹ 3 crores) in the equity capital of the company, thus providing opportunities to the bank to harness its association with NCMSL for credit lines to its members and clients.

**SWIFT India Domestic Service Pvt. Ltd.**

The new joint venture company is promoted by SWIFT and 8 major Banks including Bank of India. SWIFT is holding 55 % equity and remaining 45% is held by 8 major Banks. Bank of India has an equity stake of 5.63% in the company. The company has begun its operations in 2015.

**SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA)**

SMERA was set up during FY 2005-06 by SIDBI in association with Dun & Bradstreet, one of the leading credit rating agencies. SMERA's primary objective is to provide comprehensive, transparent and reliable ratings which would facilitate greater and easier flow of credit to SME sector. Bank has a nominal stake of 4% in the equity capital of the company.

**Other Strategic Investments**

Apart from the above listed major Strategic Investments Bank also has strategic investments in United Stock Exchange Ltd. (₹ 7.50 crores), Equifax Credit Information Services Ltd. (₹ 4.73 crores), U.V. Asset Reconstruction Co. Ltd. (₹ 15 lakhs), Clearing Corporation of India (₹ 0.50 crores), Agricultural Finance Corporation Ltd. (₹ 1.26 crores), SIDBI (₹ 45.30 crores), Tourism Finance Corporation Limited (₹ 8.59 crores), Central Ware Housing Corporation Ltd. (₹ 1.11 crores), Loss Data Consortium CORDEX (₹ 1 crores), SBIDFHI (₹ 6.34 crores).

United Stock Exchange's merger with Bombay Stock Exchange (BSE) is in process. Bank will get equity share of Bombay Stock Exchange (BSE) at an agreed ratio in due course.

**ACKNOWLEDGEMENT**

The Board expresses its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities and Exchanges Board of India for the valuable guidance and support received from them. The Board also thanks financial Institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers and shareholders and also wishes to place on record its appreciation of staff members for their dedicated services and contribution for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

sd/-

(Mrs. V R Iyer)  
Chairperson & Managing Director

Place : Mumbai

Date : 28th May, 2015

## कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

बैंक ऑफ इंडिया का विश्वास है कि अपने परिचालनों के सभी पक्षों के द्वारा विभिन्न साझेदार जैसे ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदायों तथा परिवेश के जीवन में सकारात्मक ढंग से योगदान देना सर्वप्रमुख सेवा है, इस प्रकार व्यापक तौर से समाज के हितों की सेवा की जा सकती है। राष्ट्र निर्माण के बृहद कैमवास की ओर, बैंकिंग परिचालनों द्वारा, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव तथा परिवेशगत प्रभाव में संयुक्त वृद्धि के कार्य के आधार पर कार्यनिष्पादन मापन का नया विचार है।

बैंक ऑफ इंडिया, देश का एक प्रमुख वित्तीय संस्था होने के कारण हमारे प्रतिष्ठित राजनितिज्ञों के स्वप्नों का सहभागी है कि कोई भी भारतीय भूखा न रहे, कुपोषण न रहे तथा बुनियादी आवश्यकताएं उपलब्ध हों तथा वहन करने योग्य शिक्षा हो, स्वास्थ्य सुविधाएं रहे, परिवेश को सशक्त बनाते हुए बराबर अवसर हो जिससे सामाजिक तथा आर्थिक असमानता में कमी आए। बैंक ऑफ इंडिया का विश्वास है कि जिस समाज ने बैंक को कालान्तर में एक विशाल आकार में वृद्धि के लिए सहायता प्रदान किया वह समाज अपने विकास के लिए बदले में कुछ प्राप्त करने का अधिकार रखता है। कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में पिछले कुछ वर्षों में संपूर्ण देश में बैंक ने उदारतापूर्वक योगदान दिया है।

कंपनी अधिनियम के अंतर्गत गठित कंपनियों के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में सीएसआर के अंतर्गत व्यय का आदेश नया प्रावधान है। यद्यपि बैंक ऑफ इंडिया इस प्रवर्ग के अंतर्गत नहीं आता है तथापि एक जिम्मेदार कार्पोरेट नागरिक होने के कारण नेक कारणों के लिए स्वेच्छा से सीएसआर गतिविधियों में सहभागी हो रहा है।

वर्ष 2014-15 के दौरान अनेकों सीएसआर परियोजनाओं को बैंक ऑफ इंडिया ने अनुमोदित किया है जिनका या तो उपयोग किया गया है या उपयोग के प्रक्रिया में है। निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत सीएसआर परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर अनुमोदित किया गया है:-

### स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सहभागिता :

- परिवेश की स्वच्छता विशेषकर बालिकाओं हेतु स्वच्छता के विकास पर भारत सरकार के अह्वान के प्रत्युत्तर में झारखण्ड राज्य के अविक्सित 85 बालिका विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण हेतु बैंक ने ₹4.00 करोड़ सीएसआर व्यय को अनुमोदित किया है। यह परियोजना अपनी प्रक्रिया में है तथा दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में बालिका विद्यार्थियों के लिए स्वच्छता सुविधा को विकसित करेगा।
- राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जयपुर, राजस्थान में बालिका विद्यार्थियों हेतु स्नानगृह के निर्माण के लिए सीएसआर के अन्तर्गत ₹0.60 लाख बैंक ऑफ इंडिया ने अनुमोदित किया है।
- वाडा जिले में 7 जिला परिषद विद्यालयों में शौचालय ब्लॉक के निर्माण हेतु अक्षय शक्ति वेलफेयर एसोसिएशन को ₹5.60 लाख की निधि प्रदान की गई है।

### वित्तीय साक्षरता/वित्तीय समावेशन पर जागरूकता निर्माण

प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा पर वित्तीय समावेशन/वित्तीय साक्षरता के महत्व पर देशभर में जागरूकता प्रसारण के लिए बैंक ने एनिमेशन फिल्म बनाने के लिए तथा मिडिया प्रसार के लिए ₹278.35 लाख का एक संग्रह निर्मित किया है।

### प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पीड़ित व्यक्तियों को सहायता

पिछले कुछ समय में हुए कई प्राकृतिक घटनाओं के पीड़ितों के प्रति बैंक अत्यधिक सहानुभूतिशील रहा है तथा सामान्यतया अपने सीएसआर बजट से सहयोग प्रदान किया है। सीएसआर निधि से निम्नलिखित राशियां प्रदान की गई:-

- हड-हड तूफान के पीड़ितों को सहायता - हड-हड तूफान ने विशाखापट्टनम तथा करीबी जिलों में अक्टूबर 2014 में विनाश की निशानी छोड़ गया। पीड़ितों की सहायता के लिए बैंक ने मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹2 करोड़ प्रदान किया।
- हड-हड पीड़ितों को तत्काल राहत के लिए आवश्यक मदों को प्रदान करने के लिए ₹2.18 लाख की राशि बैंक ने व्यय की।
- जम्मू तथा कश्मीर में सितंबर, 2014 को आए भयानक बाढ़ के पीड़ितों के लिए बैंक ने ₹6 लाख लागत के कंबलों का वितरण किया।

### पर्यावरण सुरक्षा की पहल

प्रदूषण तथा विश्रवव्यापी तापक्रम वृद्धि से पर्यावरण को बचाना समाज के लिए सचमुच एक बड़ी चुनौती है। इस समस्या पर बैंक ने चिंता जाहिर की तथा सेसआर की निम्नलिखित परियोजनाओं सहित पर्यावरण के विकास/संरक्षण के लिए सहायता किया :

- विल्लूपुरम (तामिलनाडु) में बायो विलेज के स्थापना के लिए एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउन्डेशन (एमएसआरएफ) को ₹49.81 लाख की सीएसआर राशि अनुमोदित की गई।
- पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए मथुरा में वृक्षारोपण के लिए ₹10.29 लाख वृक्ष वंदना कार्यक्रम के लिए मेसर्स सेवायोग को दिया गया।
- शहर को स्वच्छ एवं रहित रखने के लिए टिपर ट्रक की खरीद के लिए ₹10 लाख की स्वीकृति पणजी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया गया।

### सभी को शिक्षा प्रदान करने/विस्तृत करने की पहल

सभी को शिक्षा प्रदान करना नेक सामाजिक कार्य है जिसमें प्रत्येक का प्रयास चाहिए। एक जिम्मेदार कार्पोरेट संस्था होने के कारण बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न समाज/एनजीओ/विद्यालयों आदि को सहायता प्रदान किया है। सेसआर व्यय के द्वारा वर्ष 2014-15 में बैंक द्वारा सहायता की गई निम्नलिखित परियोजनाएं हैं:-

- जरूरतमंद विद्यार्थी बच्चों को पाठ्यक्रम किट्स तथा विद्यालयों को लेबोरेटरी उपकरण तथा शिक्षा सहायता प्रदान करने के लिए मेसर्स सेवा सहयोग फाउन्डेशन, दादर (प), मुंबई के लिए ₹5 लाख अनुमोदित किया।
- सरकारी सहायता प्राप्त विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन परियोजना के लिए मेसर्स इस्कॉन फूड रिलिफ फाउन्डेशन, ताड़देव को ₹5 लाख की राशि दी गई।
- एकल विद्यालय प्राइमरी स्कूल को प्रायोजित अवधि में बैंक के नाम से चलाने के लिए मेसर्स फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसायटी, चेन्नई को ₹20 लाख की राशि दी गई।
- दूर निवास करनेवाले बीपीएल/एससी/एसटी परिवारों के गरीब विद्यार्थियों तथा बालिका विद्यार्थियों को ले आने, ले जाने के लिए स्कूल बस खरीदने के लिए मेसर्स श्री विवेकानन्द एजुकेशन इंस्टिट्यूट, बेलारी (कर्नाटक) को ₹10.36 लाख की राशि दी गई।
- चंडीगढ़ अंचल के जिंद के पांच ग्रामीण विद्यालयों में कम्प्यूटर तथा आई.टी. सहायक सामग्री के लिए ₹2.50 लाख स्वीकृत किया गया।

### प्रशिक्षण तथा कौशल विकास पर पहल

युवाओं की बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए बैंक ने प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं का सहायता प्रदान किया है:

- विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा अभिभावकों के वित्तीय साक्षरता में वृद्धि करने के लिए तथा शिक्षा विकास के लिए वर्तमान शिक्षकों में क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए मेसर्स इण्डियन एकेडेमी फॉर ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को ₹3.90 लाख प्रदान किया गया।
- देवरिया (उ.प्र.) में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए मेसर्स सेतु चेरिटेबल ट्रस्ट को ₹5 लाख प्रदान किया गया।
- महिलाओं के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई, ब्यूटीशियन पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए मेसर्स अक्षयशक्ति वेलफेयर एसोसिएशन, थाने को ₹0.80 लाख प्रदान किया गया।
- मलिन बस्तियों के लोगों को प्रशिक्षण तथा बाद में वस्त्र विनिर्माण कार्य करने के ले मेसर्स आरम्भ चेरिटेबल ट्रस्ट, वाशी, नवी मुंबई को ₹0.30 लाख प्रदान किया गया।
- गृह नर्सिंग में एससी/एसटी/ओबीसी की महिलाओं तथा समाज के सुविधाहीन महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु मेसर्स "सुश्रुषा", भुवनेश्वर को ₹1 लाख प्रदान किया गया।

vi) बीपीएल, एससी/एसटी प्रवर्ग के के युवाओं के कौशल विकास के लिए मेसर्स सेन्दूरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलाजी एंड मैनेजमेंट को ₹10 लाख प्रदान किया गया।

#### गरीबों/सुविधा से वंचितों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना

बढ़ती जनसंख्या में चिकित्सा सुविधाओं में अधिक व्यय, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के बीच गरीबों तथा सुविधा से वंचितों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना अत्यधिक आवश्यक है। इस विषय में गरीबों तथा सुविधाओं से वंचितों को सहायता करने के लिए निम्नलिखित सीएसआर परियोजनाओं को बैंक ने अनुमोदित किया है:

- जिला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए डिजिटल एक्स-रे मशीन की खरीद तथा संस्थापना के लिए आगरा मालवा जिलाधीश को ₹14 लाख प्रदान किया।
- बनासकांठा क्षेत्र के दूरस्थ अत्यधिक गरीब आदिवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एम्बुलेन्स की खरीद हेतु मेसर्स संवेदना ट्रस्ट (अहमदाबाद) को ₹10.44 लाख की निधि प्रदान की गई।
- समाज के सुविधा से वंचित समाज को अस्पताल के खान-पान के उन्नयन और नवीकरण तथा सुधार के लिए रामकृष्ण मिशन हास्पिटल तथा धर्मार्थ डिस्पेन्सरी, खार (मुंबई) को ₹10 लाख प्रदान किया।
- चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए वरदान सेवा संस्थान, गाजियाबाद को ₹10 लाख प्रदान किया गया जिससे निम्न आय समूह को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधा मिले। ग्रामीणों को मोतियाबिंदु ऑपरेशन निःशुल्क होगा।
- मराठवाड़ा क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिये डेन्टल चेयर तथा एक्स-रे आरवी ग्रैंड डेन्टल उपकरणों के खरीद हेतु श्री वेंकटराव दावल मेडिकल फाउन्डेशन, लातूर के लिए ₹6 लाख प्रदान किया गया।
- गरीब मरीजों की सेवा के लिए मारुति सुजुकी ईईसीओ एम्बुलेन्स के खरीद के लिए मेसर्स एम्स - रायपुर को ₹4 लाख दिया गया।
- सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना के अन्तर्गत परामर्श/प्रार्थना कक्ष के निर्माण हेतु मेसर्स आईएमए पौंडा चेरिटेबल ट्रस्ट को ₹4 लाख प्रदान किया गया।
- गरीब तथा जरूरतमंद ग्रामीणों की सेवा करनेवाले श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल को एक्स-रे मशीन की खरीद के लिए श्री वटवृक्ष महाराज देवस्थान ट्रस्ट को ₹3.82 लाख दिया गया।
- गरीब लोगों की सेवा के लिए एक वेपोराइजर सहित एक एनेस्थेसिया मशीन की खरीद के लिए स्वामी विवेकानन्द मेडिकल मिशन, नागपुर को ₹5.50 लाख प्रदान किया गया।
- गरीब तथा जरूरतमंद ग्रामीण लोगों की सेवा के लिए श्री एन.ए. ईस्वरप्पा प्रतिष्ठान, तुमकुर (कर्नाटक) को एम्बुलेन्स/मोबाईल दवाखाना के लिए ₹5 लाख प्रदान किया गया।
- निरोधक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन प्रणाली को व्यवस्थित रखने के लिए मेसर्स मिशन लाइफ एण्ड रिसर्च फाउन्डेशन, अहमदाबाद को ₹4 लाख दिया गया।
- दूरस्थ गांव के गरीब तबके के लोगों को चिकित्सा सुविधा हेतु परिवहन के लिए ईचर के स्टारलाईन बस की खरीद हेतु मेसर्स बी.के.एल वलावलकर हास्पिटल डाइग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेन्टर तलचीपुलन, जिला- रत्नागिरी को ₹12.98 लाख प्रदान किया गया।

#### कैंसर रोगियों को सहायता

अत्यधिक महंगी चिकित्सा सहित कैंसर एक खतरनाक/घातक बीमारी है। चिकित्सा हेतु गरीब मरीजों की सहायता करने तथा जीवित बचे मरीजों का बाद की देखभाल के लिए बैंक ने निम्नलिखित ढंग से सहायता की:

- हमारी कोषागार शाखा ने एचडीएफसी ऋण निधि में निवेश से प्राप्त 50% के लाभांश ₹17.18 लाख को इंडियन कैंसर सासायटी को जरूरतमंद तथा गरीब के कैंसर उपचार के लिए प्रदान किया।
- गरीब तथा सुविधा से वंचित कैंसर रोगियों की सेवा के लिए एम्बुलेन्स खरीदने के लिए मेसर्स महावीर कैंसर संस्थान (पटना में 1998 को स्थापित) को ₹3.26 लाख प्रदान किया।
- कैंसर रोगियों को चिकित्सा/परामर्श/पुनर्वास/सेवा सुश्रुषा की स्वैच्छिक सेवा प्रदान करनेवाली एनजीओ मेसर्स संजीवनी को ₹1.00 लाख की सहायता प्रदान की गई।

#### निःशक्तजन व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना

- निःशक्तजन व्यक्तियों को निःशुल्क कृत्रिम अंग तथा अन्य सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए मेसर्स आर्टिफिशियल लिम्ब्स मेन्यूफैक्चरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को ₹25 लाख अनुमोदित किया।
- शारीरिक रूप से अक्षम/छिन्नांग के लिए निःशुल्क जयपुर फूट/जयपुर घुटना/केलिपर्स/ट्राइसिकल प्रदान करने के लिए मेसर्स भगवान महावीर विकलांग समिति, जयपुर, राजस्थान को ₹15 लाख दिया गया।
- शारीरिक रूप से विकलांग विशेषकर संगीतकारों के लिए 25 व्हिलचेयर वितरित करने के लिए मेसर्स रफी फाउन्डेशन, बोरीवली, मुंबई को ₹ 1.25 लाख दिया गया।

#### मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए सहायता

विशेष विद्यालय के मानसिक रूप से मंद बच्चों के स्कूल यूनिफार्म, प्रशिक्षण सामग्री, उपकरण तथा फर्नीचर के लिए मेसर्स जीवोदय एजुकेशन सोसायटी, नागपुर को ₹9.5 लाख दिए गए।

#### नेत्रहीन व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजना

- नेत्रहीन व्यक्तियों की सहायता के लिए मेसर्स ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन (बीपीए) का प्रिन्टर/फैक्स/स्केन खरीदने के लिए ₹0.46 लाख दिए गए।
- विद्यालय/महाविद्यालय विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम की दीर्घकालिक आवश्यकता के आधार पर मेसर्स ब्लाइंड ऑर्गनाइजेशन को ₹2.65 लाख प्रदान किया गया।

#### निःशक्तजन बच्चों को शिक्षा में सहायता

निःशक्तजन बच्चों को बुनियादी शिक्षा तथा अन्य सहायता प्रणाली प्रदान करने के लिए मेसर्स इसो मर टिमोथेओस मेमोरियल वेलफेयर सेन्टर को ₹2.20 लाख दिया गया।

#### लड़कियों/महिलाओं की देखभाल

निराश्रित बालिका हेतु आवास निर्माण के लिए मेसर्स समुधाया फाउन्डेशन, चेन्नई को ₹10 लाख दिया गया।

#### गरीब/सुविधाओं से वंचित को नियोजन प्रदान करना

हावड़ा जिले के अल्प आय समूह, पिछड़े वर्ग के, ग्रामीण गरीब विद्यार्थियों को, नियोजन तैयार करने के लिए वेल्डिंग मशीन खरीद करने के उद्देश्य के लिए रामकृष्ण मिशन शिल्पयत्न, बेह्लूर, हावड़ा को ₹10 लाख प्रदान किया गया।

## Corporate Social Responsibility Report

Bank of India believes that it is its foremost duty to contribute towards impacting the lives of various stakeholders like customers, employees, shareholders, communities and environment in a positive manner through all aspects of its operations, thereby serving the interest of the society on the whole. The Bank intends being in tune with the new thought of measuring performance on the basis of economic impact, social impact, and environmental impact in the task of inclusive growth, through Banking operations, towards the larger canvas of Nation building.

Bank of India being a premier financial institution of the country shares the dream of our eminent Statesmen that every individual Indian should be free from hunger, malnutrition, and should have basic necessities and be entitled to affordable education, healthcare facilities, equal opportunities in an enabling environment thereby resulting in reduction of social and economic disparity. Bank of India believes that the society which has helped the Bank to grow to such an enormous size over the years deserve to get back something in return for its development. The Bank has generously contributed to CSR activities over the last few years throughout the length and breadth of the country.

The new provision in Companies Act 2013 has mandated spending under CSR for the companies formed under Companies Act. Even though Bank of India does not come under this category the Bank, as a responsible corporate citizen has been participating in CSR activities for worthy cause.

Bank of India approved a number of CSR projects during the year 2014-15 which have either been utilised or are in process of utilisation. The CSR projects approved have been broadly under the following heads:

### Participation under Swachha Bharat Mission

- i) Responding to the call of the Government of India on improvement in cleanliness of environment, sanitation particularly for girl children the Bank has approved CSR spending of ₹ 4.00 crores for construction of toilets in 85 secondary Girls schools in the underdeveloped state of Jharkhand. The project is in process and it will improve the sanitation facility for girl students in remote rural places.
- ii) Bank of India also approved ₹ 0.60 lakh under CSR for construction of bath rooms for girl students in Rajkiya Madhyamik Vidyalaya, Jaipur, Rajasthan.
- iii) ₹ 5.60 lakh was funded to Akshay Shakti Welfare Association for construction of toilet blocks in 7 Zila Parishad Schools in Wada District.

### Welfare of SC/ST/OBC etc.

- i) Funds to the extent of ₹ 20 lakh was provided to M/s Friends of Tribals Society, Chennai for running 20 EKAL Vidyalaya Primary schools in bank's Name during the sponsorship

period.

- ii) Funds of ₹ 10.36 lakh was provided to M/s Shri Vivekananda Education Institute, Bellary (Karnataka) for purchase of a school bus for to ferry poor student belonging to BPL/SC/ST/OBC families and girl student others residing in far off places.
- iii) Funds of ₹ 1 lakh was provided to M/s. "SHUSHRUSA", Bhubaneswar for training women from the SC/ST/OBC and disadvantaged section of society in home nursing.
- iv) Funds to the tune of ₹ 10 lakh was provided to M/s Centurion University of Technology and Management, Bhubaneswar for skill development of youth from SC/ST/BPL category.

### Creating awareness on Financial literacy / Financial inclusion

To create/ spread awareness throughout the country on the importance of financial inclusion / financial literacy on declaration of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana the Bank spent an amount of ₹ 278.35 lakh by way of making an animation film and creating a corpus for media campaign.

### Relief to people suffering during Natural calamities

The Bank has been very sympathetic to the victims of many natural calamities that took place in recent past and generously contributed from its CSR budget. Details are as under

Relief to victims of Hud-Hud cyclone – The cyclone Hud-Hud left trails of devastation in Visakhapatnam and adjoining districts in October 2014. To provide relief to the victims the Bank donated ₹ 2 crores to the Chief Minister's Relief Fund.

Besides the above, the Bank also spent an amount of ₹ 2.18 lakh for providing essential items as an immediate relief measure to Hud-Hud victims.

Blankets costing ₹ 6 lakh were distributed to victims of the unprecedented flood that took place in Jammu & Kashmir in September 2014.

### Initiatives to protect environment

Protecting the environment from the pollution and global warming is indeed a big challenge for the society. The Bank has shown concern on the problem and has assisted for improvement / protection of the environment with the following CSR projects :

- i) Approved CSR fund of ₹ 49.81 lakh to M. S. Swaminathan Research Foundation (MSSRF) for establishment of Bio village in Villupuram (Tamilnadu)
- ii) M/s SEWAYOG for Vriksha Vandana Programme was approved ₹ 10.29 lakh for plantation of Trees in Mathura for maintaining Ecological balance
- iii) Panaji Municipal Corporation was sanctioned ₹ 10 lakh for purchase of a Tipper Truck for keeping the Panaji city clean & green.

**Initiatives in providing / Extending education to all**

Extending education to all has been a noble social cause which needs everybody's efforts. Being a responsible corporate entity Bank of India has provided assistance to various societies / NGOs / Schools etc. who have been working for the mission. The following were the projects assisted by the Bank in the year 2014-15 through CSR spending:

- i) ₹ 5 lakh was approved for M/s. Seva Sahyog Foundation, Dadar(W), Mumbai for providing needy School kids with curriculum kits and providing education aide and laboratory equipments to schools.
- ii) ₹ 5 lakh was funded to M/s. ISKON Food Relief Foundation, Tardeo, Mumbai for Mid-Day meal project to Govt. Aided school children.
- iii) ₹ 2.50 lakh was sanctioned for providing Computers and IT accessories in Five village schools of Jind, Chandigarh Zone.

**Initiatives on Training and Skill development**

The bank assisted the following projects for training and skill development keeping pace with the requirement of the growing population of youth:

- i) ₹ 3.90 lakh was funded to M/s 'AGES' Academy for Global Education Services Pvt. Ltd., Mulund for conducting training on Capacity Building in existing teachers for improving education and promoting Financial Literacy Student, Teachers and Parents.
- ii) ₹ 5 lakh was funded to M/s Setu Charitable Trust for establishing its Industrial Training Center in Deoria (U.P).
- iii) ₹ 0.80 lakh was funded to M/s Akshayshakti Welfare Association, Thane for Capital expenditure on setting up training centre on courses on Computer education, Tailoring, Beautician courses for women.
- iv) ₹ 0.30 lakh funded to M/s Aarambh Charitable Trust, Vashi, Navi Mumbai for training and then engaging people from slums in manufacturing of garments.

**Extending Healthcare to poor/ Under-privileged**

Providing Health care to the poor and under-privileged sections of people in the face of growing population, high cost of medical facilities, insufficient medicare facilities is of grave concern and addressing the problem is of utmost importance. The Bank has approved following CSR projects to assist the poor and under privileged class in this regard:

- i) ₹ 14 lakh funded to District Collector Agra Malwa for purchase and Installation of Digital X-ray machine for District Primary Health Centre,
- ii) ₹ 10.44 lakh was funded to M/s Samvedana Trust (Ahmedabad) for purchase of Ambulance for providing health services to the poorest of the poor living in the remote tribal areas of Banaskantha.

- iii) ₹ 10 lakh was funded to Ramakrishna Mission Hospital & Charitable Dispensary, Khar (Mumbai) for repair and renovation and upgrade the hospital catering to under privileged sections of society.
- iv) ₹ 10 lakh was funded to Vardan Sewa Sansthan, Ghaziabad for purchase of medical equipment for providing medical facilities, high quality health care to low income group. Free cataract surgery to villagers.
- v) ₹ 6 lakh was funded to Shri Venkatrao Davle Medical Foundation, Latur for purchase Equipment for Dental Chair and X-ray RV Grand Dental Instruments to serve the poor and needy people of Marathwada region.
- vi) ₹ 4 lakh was funded to M/s. AIIMS-Raipur for purchasing a Maruti Suzuki EECO Ambulance to serve poor patients.
- vii) ₹ 4 lakh was funded to M/s IMA Ponda Charitable Trust for Construction of Counseling/prayer room at Community Health Project.
- viii) ₹ 3.82 lakh was funded to Shri Vatruksha Maharaj Devsthan Trust for purchase of a X-ray machine to Sri Swami Samarth Hospital catering to the poor and the needy villagers.
- ix) ₹ 5.50 lakh was funded to Swami Vivekananda Medical Mission Hospital, Nagpur for purchase of an Anaesthesia Machine with one vaporizer for serving the poor people.
- x) ₹ 5 lakh was funded to Shri N.A. Easwarappa Pratistan, Tumkur (Karnataka) for maintaining Ambulance / Mobile Dispensary to serve the poor and needy rural population.
- xi) ₹ 4 lakh was funded to M/s Mission Life and Research Foundation, Ahmedabad for putting in place a Preventive Health Care Management System.
- xii) ₹ 12.98 lakh was funded to M/s B.K.L. Walwalkar Hospital Diagnostic & Research Centre Talchiplun, Dist- Ratnagiri for purchase of Starline Bus of Eicher for Transport of people of lower strata of society from remote village for medical treatment.

**Assistance to Cancer patients**

Cancer has been one of the most dreaded / fatal disease with very high cost of treatment. To help poor patients for treatment and after-care of the survived patients the Bank has assisted in following way:

- i) ₹ 17.18 lakh being 50% of dividend received from Investment in HDFC Debt Fund was donated by us to Indian Cancer Society towards Cancer Cure of needy and poor.
- ii) ₹ 3.26 lakh was funded to M/s Mahavir Cancer Sansthan (Estt.1998 at Patna) for purchase of an Ambulance to serve the poor and under privileged patients cancer patients.
- iii) Assistance of ₹ 1.00 lakh was provided to M/s Sanjivni, Mumbai an NGO which has been extending voluntary service to Cancer patients for treatment / counselling/rehabilitation/post-care.

#### Extending assistance to Differently able persons

- i) ₹ 25 lakh was approved to M/s Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) for distributing artificial limbs and other support aids free to differently able persons.
- ii) ₹ 15 lakh - was paid to M/s Bhagwan Mahaveer Viklang Samiti, Jaipur Rajasthan for providing free Jaipur foot/ Jaipur Knee/Calipers/Tricycle for physically handicapped/ Amputees
- iii) ₹ 1.25 lakh was paid to M/s Rafi Foundation ,Borivli ,Mumbai for distributing 25 Wheelchairs for physically handicapped persons especially musicians.

#### Assistance to Mentally retarded children

₹ 9.5 lakh was paid to M/s Jeevoday Education Society, Nagpur Special school for Mentally Retarded towards children's uniforms and Teaching materials and Aids and furniture for the school.

#### Assistance for welfare of Blind People

- i) ₹ 0.46 lakh was paid to M/s Blind Persons Association (BPA) purchase of Printer / Fax / Scan for Blind Persons' Association.

- ii) ₹ 2.65 lakh was paid to M/s. Blind Organisation of India school/ college students curriculum requirements on sustainable basis.

#### Assistance to Differently able Children in education

₹ 2.20 lakh.-M/s Easow Mar Timotheos Memorial Welfare Centre, providing basic education and other support system to differently abled children.

#### Care for Girls / Women

₹ 10 lakh was funded to M/s Samudhaaya Foundation,Chennai for constructing a home for destitute girl children.

#### Providing employment to poor / under-privileged

₹ 10 lakh was funded to Ramkrishna Mission Shilpayatana, Belur, Howrah for the purpose of purchasing a Welding Machine for making employment-ready , the students from low income group and those belonging to backward classes, poor rural folk from district of Howrah



## कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2014-15 (सूचीबद्ध करार का क्लॉज 55)

## Business Responsibility Report 2014-15 (Clause 55 of Listing Agreement)

बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अग्रणी बैंक है जो मुख्य बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा समाज के विभिन्न भागों – एकल रिटेल ग्राहक, कार्पोरेट, कृषि तथा सेवा क्षेत्र और आर्थिक रूप से पिछड़े / सुविधाहीन लेकिन सामाजिक रूप से मुख्य ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं। बैंक का विगत दशकों में वृद्धि, लाभप्रदता और आय वितरण का निरन्तर ट्रैक रिकार्ड है। बैंक की कोर बैंकिंग तथा सम्बद्ध सेवाएं पूरे देश में 4,892 शाखाओं, 5 महाद्विपों में फैले 56 विदेशी केन्द्रों और पूरे देश के 6,771 एटीएमों के जरिए दी जा रही हैं।

बैंक की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति बहुत मजबूत है और सभी प्रमुख वित्तीय केन्द्रों जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो, सिंगापुर और हांगकांग में सेवाएं दे रहा है। यथा 31 मार्च 2015 को बैंक के 5 प्रतिनिधि कार्यालयों, 5 अनुषंगियों, 1 संयुक्त उद्यम सहित 56 विदेशी केन्द्रों का नेटवर्क है। बैंक ग्रामीण क्षेत्र में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत है और इस संबंध में 4 (चार) ग्रामीण क्षेत्रीय बैंको (आरआरबी) को प्रायोजित कर रहा है। सभी आरआरबी का 1557 आउटलेट का शाखा नेटवर्क है जिसका ₹ 35,478 करोड़ का कारोबार मिश्र है और सभी लाभ अर्जित कर रहे हैं।

बैंक मुख्य रूप से ग्राहकों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं दे रहा है और बैंक के अधिकतर उत्पाद और सेवाएं जमा, अग्रिम, तृतीय पक्ष उत्पाद, फॉरेक्स और कोषागार से संबंधित हैं। प्रौद्योगिकी को अपनाना और समयानुसार व्यय करना सकारात्मक मद है जिसने सभी क्षेत्र में वृद्धि और दक्षता को बढ़ाया है। बैंक की सभी शाखाएं कम्प्यूटरीकृत हैं और बैंक का 100% कारोबार कोर बैंकिंग सोल्यूशन के तहत है।

### भाग ए : कंपनी के संबंध में सामान्य जानकारी

1. कंपनी की कार्पोरेट आइडेंटिटी : लागू नहीं
2. कंपनी का नाम : बैंक ऑफ इंडिया
3. पंजीकृत पता : स्टार हाउस, सी-5, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051
4. वेबसाइट : www.bankofindia.co.in
5. ई मेल आईडी : Headoffice.god@bankofindia.co.in
6. रिपोर्ट की गई वित्तीय वर्ष : 2014-15
7. कंपनी जिन क्षेत्र(त्रों) में कार्यरत है : बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं (कोडवार औद्योगिक गतिविधि)
8. कंपनी द्वारा निर्मित/मुहैया करवाए : बैंक अपने ग्राहकों को कई प्रकार के उत्पाद और सेवाएं मुहैया करवा रहा है, इस प्रकार उनकी विभिन्न आवश्यकताओं और उम्मीदों को पूरा कर रहा है। बैंक द्वारा दिए जा रहे कुछ मुख्य उत्पाद हैं: जमा राशि, अग्रिम, तृतीय पक्ष उत्पाद, फॉरेक्स, कोषागार
9. कुल स्थानों की संख्या जहाँ कंपनी द्वारा कारोबार गतिविधि की जाती है :
  - i) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या : बैंक सभी प्रमुख वित्तीय केन्द्रों जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो, सिंगापुर तथा हांगकांग में सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। यथा 31.03.2015, 5 महाद्विपों और 22 देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए बैंक की 56 विदेशी कार्यालयों का नेटवर्क है जिसमें 5 प्रतिनिधि कार्यालय, 5 अनुषंगियां तथा 1 संयुक्त उद्यम शामिल हैं।

Bank of India (BOI), is one of the premier public sector bank in India, fulfilling a vital, banking need, catering to various sections of the society – individual retail customers, corporates, agriculture & services sectors, and the economically backward/under-privileged but socially relevant customers across the country. The Bank has an uninterrupted track record of growth, profitability and income distributions spanning over several decades. The Bank's Core Banking and allied services are provided through a network of 4,892 branches, 56 overseas centres across five continents and 6,771 ATMs across the country.

The Bank has a strong international presence and provides services in all the major financial centres such as London, New York, Paris, Tokyo, Singapore and Hong Kong. It has a network of 56 foreign offices which includes 5 Representative Offices, 5 Subsidiaries 1 Joint Venture as on March 31, 2015. BOI is fully conscious of its responsibility to the rural sector and in this regard has sponsored 4 (four) Regional Rural Banks (RRBs). All RRBs taken together have a branch network of 1,557 outlets, have garnered a business mix of ₹ 35,478 crores and are profit making.

The Bank is primarily engaged in providing Banking and Financial services to its customers and majority of the Bank's products and services fall under Deposits, Advances, Third Party Products, Forex and Treasury. Technology adoption and spending in a timely manner is one of the plus points and has enabled growth & efficiency across regions. All the Bank's branches are computerized and 100 per cent of the business of the Bank is under Core Banking Solution.

Other useful information about the Bank is:

### Section A: General Information about the Company

1. Number (CIN) of the Company : Not Applicable
2. Name of the Company : BANK OF INDIA
3. Registered address : Star House, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400 051
4. Website : www.bankofindia.co.in
5. E-mail id : Headoffice.god@bankofindia.co.in
6. Financial Year reported : 2014-15
7. Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise) : Banking & Financial Services
8. List three key products/services that : The company manufactures / provides (as in balance sheet) : The Bank provides a wide range of products and services to its customers, thereby serving various needs and aspirations. Some of the key products offered are Deposits, Advances, Third Party Products, Forex, Treasury.
9. Total number of locations where business activity is undertaken by the Company :
  - i. Number of International Locations : The Bank provides services in all the major financial centres such as London, New York, Paris, Tokyo, Singapore and Hong Kong. With a presence across 5 continents and 22 countries as on 31.03.2015, Bank has a network of 56 foreign offices which includes 5 Representative Offices, 5 Subsidiaries and 1 Joint Venture.

ii) देशीय स्थानों की संख्या यथा 31.03.2015 भारत में बैंक की 4892 शाखाएं हैं और भौगोलिक रूप से काफी फैली हुई हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने 246 नई शाखाएं खोली गईं।

10. बाज़ार जहाँ कंपनी सेवाएँ : राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदान कर रही है।

भाग बी : कंपनी का वित्तीय ब्यौरा

1. प्रदत्त पूंजी (भारतीय रुपए) : ₹ 666 करोड़
2. कुल टर्नओवर (भारतीय रुपए) : ₹ 47663 करोड़
3. कर पश्चात कुल लाभ (भारतीय रुपए) : ₹ 1709 करोड़
4. कर पश्चात लाभ के प्रतिशत (%) के रूप में कापोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पर कुल व्यय

जैसे जैसे किसी संस्था की वृद्धि और उन्नति होती है वह जिस समाज में कार्यरत है उसके प्रति भूमिका बढ़ती जाती है। संस्थाओं का नैतिक दायित्व है कि वे समाज को बेहतर बनाने और उसके कल्याण के लिए कुछ करे। आज की दुनिया में जो कापोरेट इसे अच्छी तरह से समझते हैं उन्हें शेयरधारक और आम जनता द्वारा उच्च श्रेणी का माना जाता है। यहां तक की निवेशक और शेयर मार्केट भी कंपनी द्वारा किए जा रहे कापोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के कार्यों को मान्यता देते हैं।

इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बैंक अपने सीएसआर के प्रति जागरूक है। बैंक ऐसी विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहा है जिसका आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है और हमारे इस महान देश के सीमांत समुदाय के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। सेबी की आवश्यकताओं के अनुसार कारोबार उत्तरदायित्व नीति को निरूपित करने के बाद यह रिपोर्टिंग का दूसरा वर्ष है। यह अपेक्षा की जाती है कि कापोरेट, विकास के लाभ को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे और केन्द्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर के निकायों के सरकारी तंत्र द्वारा किए जा रहे प्रयास और लगाए गए संसाधनों को समर्थित एवं पूरा करेंगे। वित्तीय वर्ष 15 के दौरान सीएसआर गतिविधियों में ₹ 11.85 करोड़ खर्च किए गए जिसमें कुल ₹ 13.85 करोड़ की मंजूरी के समक्ष स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम के तहत झारखण्ड राज्य में ₹ 4 करोड़ का व्यय शामिल है। यह कर पश्चात लाभ का 0.69% है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में सीएसआर परियोजनाओं और गतिविधियों को पूरा करने के लिए बीओआई फाउन्डेशन/ट्रस्ट बनाया जाएगा। बीओआई अपनी बजट में इसके लिए निधि उपलब्ध करवाएगा। सीएसआर कार्यों को करने के लिए बीओआई फाउन्डेशन/ट्रस्ट की स्थापना हेतु औपचारिकताएं पूरी की जा रही है।

ii. Number of National The Bank had 4892 branches in India as on 31.03.2015 and is geographically well spread. During the year 2014-15, Bank opened 246 new branches.

10. Markets served by the Company : National and International

### Section B: Financial Details of the Company

1. Paid up Capital (INR) : ₹ 666 Crore
2. Total Turnover (INR) : ₹ 47663 Crore
3. Total profit after taxes (INR) : ₹ 1709 Crore
4. Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage (%) of Net Profit) of profit after tax (%) : As organizations' grow and prosper, their role toward the society in which they exist and function enlarges. Organizations are ethically and morally responsible to give back something to the society at large and think of their welfare and betterment. In today's world, corporates that understand this well are rated highly by the stakeholders and general publics. Even the investors and the share market recognize the role played by companies in discharging its Corporate Social Responsibility (CSR) function.

Being a responsible citizen of this country, the Bank is aware of its CSR. It has been undertaking various activities that has had economic social and environmental impact, having a positive bearing on lives of marginalized communities of our great country. This is the second year of reporting after enunciated our Business Responsibility policy as per requirements of SEBI. It is expected that the corporates shall endeavor to percolate the benefits of development to the last citizen, complimenting and supplementing the efforts taken and resources deployed by the Governmental Machinery at Central, State and Local body level. During FY'15 the total spending on CSR activities was ₹ 11.85 Crores including ₹ 4 Crores for spending in Jharkhand State under 'Swachha Vidyalaya Programme' as against total sanction of ₹ 13.85 Crores. This constituted 0.69% of Profit After Tax.

Financial Year 2015-16 will see the emergence of a BOI Foundation/Trust for undertaking CSR projects and activities. BOI will provide funds for the same out of its Budget. Formalities are being completed for setting up of a Foundation/Trust of BOI for carrying on the CSR.

5. गतिविधियों की सूची जिनमें उपर्युक्त 4 के अनुसार व्यय किए गए।
- ए. वैकल्पिक/नवीकरणीय उर्जा
  - बी. पेय जल
  - सी. स्वास्थ्य सेवा
  - डी. चिकित्सा सुविधाएँ
  - ई. शारीरिक रूप से अक्षम की सहायता
  - एफ. वरिष्ठ नागरिकों/अभावग्रस्तों की सहायता
  - जी. शिक्षा
  - एच. खाद्य तथा पोषण
  - आई. महिलाओं की सुरक्षा
  - जे. भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों की सहायता
  - के. पर्यावरण
  - एल. प्रशिक्षण और कौशल विकास
  - एफ. हरित पहल

**भाग सी : अन्य विवरण**

- क्या कंपनी का कोई अनुषंगी कंपनी/ कंपनियां है? बैंक की कई अनुषंगियां और कंपनियां है जो निम्नानुसार है:
  - ए. इंडो ज़ाम्बिया बैंक लि. (आईजेडबी)
  - बी. पी टी बैंक ऑफ इंडिया (इंडोनेशिया) टीबीके
  - सी. बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि.
  - डी. बैंक ऑफ इंडिया (न्यूज़ीलैण्ड) लि.
  - ई. बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.
  - एफ. बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि.
  - जी. बीओआई शेयरहोल्डिंग लि. (बीओआईएसएल)
  - एच. बीओआई अक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि. और बीओआई अक्सा ट्रस्टीशिप सर्विसेज प्रा. लि.
  - आई. बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि. (बीओआईएमबी)
- क्या अनुषंगी कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी के कारोबार जिम्मेदारी : नहीं (बीआर) पहलों में सहभागिता करती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी अनुषंगी कंपनियों की संख्या स्पष्ट करें।
- कंपनी जिन संस्था/संस्थाओं (आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) के साथ कारोबार करता है, वे कंपनी की कारोबार जिम्मेदारी (बीआर) की पहलों में सहभागिता करते हैं? यदि हाँ, तो ऐसी संस्था/संस्थाओं का प्रतिशत स्पष्ट करें? (30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक)

**भाग डी : कारोबार जिम्मेदारी की जानकारी**

- कारोबार जिम्मेदारी (बीआर) के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा**
  - क) कारोबार जिम्मेदारी (बीआर) नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा
    - डीआईएन नम्बर :
    - नाम : लागू नहीं
    - पदनाम :
  - ख) कारोबार जिम्मेदारी (बीआर) प्रमुख का ब्यौरा

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	डीआईएन नम्बर (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2.	नाम	सुरेश सी. षडंगी
3.	पदनाम	महाप्रबंधक
4.	टेलीफोन नम्बर	022-66684444
5.	ई-मेल आईडी	headoffice.god@bankofindia.co.in

5. List of activities in which expenditure in **4 above** has been incurred:-
- a Alternate/Renewable Energy
  - b Potable Water
  - c Healthcare
  - d Medical Facilities
  - e Helping Physically Handicapped
  - f Helping Senior Citizens / Destitutes
  - g Education
  - h Food & Nourishment
  - i Women Safety
  - j Supporting Families of Ex-Servicemen
  - k Environment
  - l Training & Skills Development
  - m Green Initiatives

**Section C: Other Details**

- Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?
 

The Bank has many subsidiaries and Companies as under

  - a. Indo Zambia Bank Ltd. (IZB)
  - b. PT. Bank of India (Indonesia) Tbk
  - c. Bank of India (Tanzania) Ltd.
  - d. Bank of India (New Zealand) Ltd.
  - e. Bank of India (Botswana) Ltd.
  - f. Bank of India (Uganda) Ltd.
  - g. BOI Shareholding Ltd. (BOISL)
  - h. BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd. and BOI AXA Trusteeship Services Pvt. Ltd.
  - i. BOI Merchant Bankers Ltd. (BOIMB)
- Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s) : No
- Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%] : No

**Section D: BR Information**

- Details of Director/Directors responsible for BR**
  - a) Details of the Director/Director responsible for implementation of the BR policy/policies
    - DIN Number :
    - Name : N.A
    - Designation :
  - b) Details of the BR head

S. No.	Particulars	Details
1.	DIN Number (if applicable)	N.A
2.	Name	Suresh C. Sarangi
3.	Designation	General Manager
4.	Telephone number	022-66684444
5.	e-mail id	headoffice.god@bankofindia.co.in

2 सिद्धांत वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (हाँ/नहीं में उत्तर दें)

क्र. सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1.	क्या आपके पास सिद्धांतों के लिए नीति/नीतियां हैं	हाँ								
2.	क्या संबंधित शेयरधारक के साथ विचार-विमर्श करके नीति बनाई गई है?	हाँ								
3.	क्या नीति राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हाँ, स्पष्ट करें?(50 शब्दों में)	हाँ बैंक के स्थायी विकास और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की नीति कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कारोबार के सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक जिम्मेदारियों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों पर आधारित है।								
4.	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है? यदि हाँ, क्या यह एमडी/मालिक/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड के निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	हाँ								
5.	क्या नीति के कार्यान्वयन की देखभाल करने के लिए कंपनी में बोर्ड/निदेशक/अधिकारियों की विशिष्ट समिति है?	हाँ								
6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बताएं?	www.bankofindia.co.in								
7.	सभी संबंधित आंतरिक तथा बाहरी शेयरधारकों को नीति के संबंध में औपचारिक सूचना दी गई है?	हाँ								
8.	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए आंतरिक ढांचा है?	हाँ								
9.	क्या कंपनी में शेयरधारकों की नीति/नीतियों से संबंधित शिकायतों की देखभाल करने हेतु संबंधित नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हाँ								
10.	क्या कंपनी द्वारा इस नीति के कार्य का आंतरिक अथवा बाहरी एजेन्सी द्वारा स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन करवाया गया है?	हाँ								

2क. यदि क्र. सं 1 के किसी सिद्धांत का उत्तर नहीं है तो कृपया स्पष्ट करें, क्यों? (2 विकल्प तक सही का निशान लगाएं)

क्र. सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1.	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है	नहीं								
2.	कंपनी उस स्तर पर नहीं है जहाँ वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने तथा क्रियान्वित करने की स्थिति में हो	नहीं								

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N)

S. No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1.	Do you have a policy/policies for principle/s	Yes								
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Yes								
3.	Does the policy conform to any national /international standards? If yes, specify? (50 words)	Yes The Bank's Sustainable Development and Corporate Social Responsibility policy is based on National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business as released by Ministry of Corporate Affairs, Government of India.								
4.	Has the policy being approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/owner/CEO/appropriate Board Director?	Yes								
5.	Does the company have a specified committee of the Board/Director/Official to oversee the implementation of the policy?	Yes								
6.	Indicate the link for the policy to be viewed online?	www.bankofindia.co.in								
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal internal and external stakeholders?	Yes								
8.	Does the company have in-house structure to implement the policy/policies.	Yes								
9.	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	Yes								
10.	Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	Yes								

2a. If answer to S. No. 1 against any principle, is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

S. No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1.	The company has not understood the Principles	No								
2.	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles	No								

3.	कंपनी के पास कार्य हेतु वित्तीय अथवा श्रम शक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं है	लागू नहीं
4.	अगले छह महीने के अंदर यह करने की योजना है	लागू नहीं
5.	अगले एक वर्ष के अंदर यह करने की योजना है	
6.	अन्य कोई कारण (कृपया स्पष्ट करें)	

3.	The company does not have financial or manpower resources available for the task	N.A.
4.	It is planned to be done within next 6 months	N.A.
5.	It is planned to be done within the next 1 year	
6.	Any other reason (please specify)	

**3. कारोबार जिम्मेदारी (बीआर) से संबंधित शासन प्रणाली**

बैंक की शासन प्रणाली का सिद्धांत, शेरधारक के मूल्य को बढ़ाते हुए उनके कारोबार को करने में नैतिकता का पालन करने के लिए संपूर्ण प्रतिबद्धता पर बना हुआ है। बोर्ड, कार्यपालकों तथा अन्य पदाधिकारियों के बीच अंतःसंपर्क इस तरह से बनाया गया है ताकि उनकी भूमिका स्पष्टतः पृथक हो और कारपोरेट कार्यनिष्पादन में सुधार आए। बैंक उच्च प्रकटन मानकों के पालन और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के अनुसार बैंक ने बोर्ड की विभिन्न समितियां गठित की है ताकि कारोबार के सभी पक्षों की निगरानी की जा सके।

- निदेशक मण्डल, बोर्ड की समिति अथवा सीईओ : वर्ष के दौरान समिति द्वारा कंपनी के बीआर निष्पादन का मूल्यांकन कितने अंतराल पर किया जाता है। 3 महीने के अंदर, 3-6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक
- क्या कंपनी बीआर अथवा एक निरंतरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हायपरलिंक क्या है? कितने अंतराल में यह प्रकाशित की जाती है? : बैंक बीआर अथवा निरंतरता रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करती है।

**भाग ई: सिद्धांतवार निष्पादन**

**सिद्धांत 1**

- क्या नैतिकता, घूसखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? : कापोरेट शासन प्रणाली बैंक का आधारभूत हिस्सा है और अच्छे प्रबंधन में इसकी भूमिका को पूर्णतः समझता है। बैंक की उत्तरदायित्व नीति नैतिकता, घूसखोरी, भ्रष्टाचार और संबंधित मद्दों को कवर करता है। समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/एनजीओ और अन्य पर भी इसका विस्तार है।
- विगत वित्तीय वर्ष में शेरधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से निवारण का प्रतिशत क्या है? यदि :
  - क) वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या : 64
  - ख) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या : 9757
  - ग) वर्ष के दौरान कितनी शिकायतों का निवारण किया गया : 9711
  - घ) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या : 110
  - निपटाई गयी शिकायतों का % : 98.87%

**सिद्धांत 2**

- आप के 3 ऐसे उत्पादों अथवा सेवाओं की सूची बनाएं जिनमें सामाजिक अथवा पर्यावरण चिंताओं, जोखिमों अथवा अवसरों को शामिल किया गया है।
  - i **स्वयंसहायता समूह** : बैंक कई स्वयंसहायता समूहों को कौशल प्रशिक्षण, व्यावसायिक मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता के जरिए स्व-रोजगार सृजन में सहायता दे रहा है।

**3. Governance related to BR**

The Bank's governance philosophy is woven around its total commitment to ethical practices in the conduct of its business, while striving to enhance shareholders' value. The interrelation between the Board, the executives and other functionaries is so configured as to have distinctly demarcated roles and improved corporate performance. The Bank is also committed to following high disclosure standards and transparency. In line with the best practices, the Bank has formed various committees of the Board to monitor every aspect of business.

- Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3, months, 3-6 months, Annually, More than 1 year
- Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published? : The Committee met More than 1 times during the year. The Bank does not publish a BR or a Sustainability Report

**Section E: Principle-wise performance**

**Principle 1**

- Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only : Corporate Governance is an integral part of the Bank and it fully understands its role in good management. The Bank's accountability policy covers ethics, bribery, corruption and related issues. It extends to Group/ Joint Ventures/Suppliers/Contractors/ NGOs/Others? :
  - a) No. of complaints pending at the beginning of the year : 64
  - b) No. of complaints received during the year : 9757
  - c) No. of complaints redressed during the year : 9711
  - d) No. of complaints pending at the end of the year : 110
  - % of complaints resolved. : 98.87%
- How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If

**Principle 2**

- List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.
  - i **Self-help groups** : The Bank supports several self-help groups in generating self-employment through skills training, vocational guidance and financial support.

- ii **स्वरोजगार विकास संस्थान (आरसेटि) : बीओआई ने स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (एसएसपीएस) – आरसेटी आरंभ किया है।** ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे बैंक द्वारा आरसेटि की स्थापना की गई है और इसका उद्देश्य ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देना है ताकि व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद बैंक की सहायता से अच्छे उद्यमी बन सकें और आर्थिक गतिविधियां आरंभ कर सकें। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बीओआई ने अपने अग्रणी जिलों में 43 आरसेटियां खोली है। आरंभिक समय के दौरान हमारे अग्रणी जिलों में सात जगहों में अन्य बैंकों द्वारा खोली गई थी। उसी प्रकार हमारे बैंक ने 43 आरसेटियों में से एक आरसेटि बारासात (पश्चिम बंगाल) में खोली है जो हमारा अग्रणी बैंक का जिला नहीं है।
- iii **वित्तीय साक्षरता और क्रेडिट परामर्श केन्द्र (अभय) :** पीएसबी में से हमारा बैंक प्रथम है जिसने सामाजिक पहल करते हुए समाज के सुविधा से वंचित और अनपढ़ श्रेणी के लोगों को निःशुल्क क्रेडिट परामर्श सेवाएं देने के लिए अभय नामक ट्रस्ट आरंभ किया है। अभय का पहला केन्द्र 7 सितंबर, 2006 में उस समय के आरबीआई गवर्नर डा. वाई.वी.रेड्डी के हाथों से मुंबई में उद्घाटन करवाया गया। बीओआई के अब 6 अभय केन्द्र और 54 वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) हैं जो अग्रणी बैंक के उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।
2. प्रत्येक ऐसे उत्पाद के संबंध में उत्पाद की प्रति इकाई के लिए (वैकल्पिक) उपयोग किए गए संसाधन (ऊर्जा, पानी, कच्चे माल आदि) के बारे में निम्नलिखित ब्यौरा दें:
- वैल्यू चैन के शुरु से अंत तक विगत वर्ष से सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के दौरान हुई कमी? : लागू नहीं
  - विगत वर्ष की तुलना में ग्राहकों द्वारा उपयोग (ऊर्जा, पानी) के दौरान हुई कमी? : लागू नहीं
3. स्थायी सोर्सिंग के लिए कंपनी के पास कार्यविधि है (ढुलाई सहित)
- यदि हाँ तो, आपके इनपुट का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से सोर्स किया गया? : लागू नहीं
- शाखाओं द्वारा प्रयोग की लगभग सभी वस्तुएं स्थानीय रूप से ली जाती हैं। सभी सेवा शाखाओं के बीच वितरण के लिए पारदर्शी बोली प्रक्रिया के जरिए से थोक में खरीदी जाती है।**
4. क्या कंपनी उनके कार्यक्षेत्र के आसपास के समूह सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से सामान और सेवाएं लेने हेतु कोई कदम उठाते हैं?
- यदि हाँ तो, स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
- हाँ, जहाँ तक संभव है लागत को घटाने के लिए सबसे नजदीकी बिन्दु से सोर्सिंग की जाती है।**
5. क्या कंपनी के पास उत्पाद और अवशिष्ट को रीसाइकल करने की प्रक्रिया है? यदि हाँ तो उत्पाद और अवशिष्ट का कितना प्रतिशत रीसाइकल किया जाता है (पृथक रूप में <5%, 5-10%, 10% से अधिक). करीब 50 शब्दों में इसका ब्यौरा दें।
- ≤ 5%
- ii **Swarojgar Vikas Sansthan (RSETI) : BOI has launched Star Swarojgar Prashikshan Sansthan(SSPS )-RSETI : Rural Self Employment Training Institute.** RSETIs have been set up by our Bank in terms of guidelines issued by Ministry of Rural Development (MoRD) aimed at imparting training to rural youths, such that they emerge as a good entrepreneur and commence economic activities with Bank's handholding support, upon successful completion of the vocational training. In terms of GOI guidelines, BOI has opened 43 RSETIs in its Lead Districts. During initial stage, RSETIs at seven Locations were opened by other Banks, in our Lead Bank Districts. Likewise, our Bank also opened One RSETI out of 43 RSETIs at Barasat (West Bengal), which is outside our Lead Bank District.
- iii **Financial Literacy & Credit counseling centre (Abhay):** BOI is first among PSBs to introduce a social initiative by establishing a trust named ABHAY-for offering free credit counseling services to the underprivileged and illiterate sections of the society. The first centre under ABHAY was opened at Mumbai at the hands of Dr Y.V. Reddy, the then Governor, RBI on 7th September,2006. BOI now has 6 ABHAY Centers and 54 Financial Literacy Centers (FLC) discharging its lead bank responsibility.
2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product(optional):
- Reduction during sourcing/production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? : N.A
  - Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year? : N.A
3. Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?
- If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? : N.A
- Almost all items of use are sourced locally by branches. Bulk Purchase for distribution among all service branches are sourced through bidding transparent process**
4. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?
- Yes, as far as possible, sourcing done from nearest point to reduce costs.**
5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.
- ≤ 5%

### सिद्धांत 3

- कुल कर्मचारियों की संख्या : 31-03-2015 के अनुसार बैंक में कुल सूचित करें 45613 कर्मचारी हैं।
- अस्थायी/ठेके पर/आकस्मिक आधार पर लिए गए कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं : यह अंदाजन 1% है।
- कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं : बैंक में 10228 महिला कर्मचारी हैं।

### Principle 3

- Please indicate the Total number of employees. : **The Bank had a total of 45613 employees as on 31.03.2015.**
- Please indicate the Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis. : **This were approximately 1%**
- Please indicate the Number of permanent women employees. : **Bank has 10228 women employees.**

4. कृपया विकलांगता सहित स्थायी : बैंक में 785 विकलांग कर्मचारी हैं।  
कर्मचारियों की संख्या बताएं
5. क्या आपके यहाँ कर्मचारी संघ : हाँ  
है जिसे प्रबंधन की मान्यता प्राप्त है
6. कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारी : लगभग 100%  
इन मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं
7. विगत वित्तीय वर्ष के दौरान बाल-श्रम, बेगारी, अनिच्छुक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या बताएं

4. Please indicate the : **Bank has 785 employees with disabilities.**  
Number of permanent employees with disabilities
5. Do you have an : **Yes**  
employee association that is recognized by management
6. What percentage : **Almost 100%**  
of your permanent employees is members of this recognized employee association?
7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.

क्र. सं.	वर्ग	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल श्रम/बेगारी/ अनिच्छुक श्रम	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	यौन उत्पीड़न	कोई नहीं	कोई नहीं
3.	पक्षपाती नियोजन	कोई नहीं	कोई नहीं

S. No.	Category	No of complaints filed during the financial year	No of complaints pending as on end of the financial year
1.	Child labour/forced labour/involuntary labour	None	None
2.	Sexual harassment	None	None
3.	Discriminatory employment	None	None

8. विगत वर्ष में निम्नलिखित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया?
- स्थायी कर्मचारी : 25145 (56%)
  - स्थायी महिला कर्मचारी : 6295 (62%)
  - आकस्मिक/अस्थायी/ठेके के कर्मचारी : 0 (0%)
  - अपंगता वाले कर्मचारी : 386 (49%)

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?
- Permanent Employees : 25145 (56%)
  - Permanent Women Employees : 6295 (62%)
  - Casual/Temporary/Contractual Employees : 0 (0%)
  - Employees with Disabilities : 386 (49%)

#### Principle 4

#### सिद्धांत 4

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य शेयरधारकों के लिए स्पष्ट योजना बनाई है? बैंक ने अपने आंतरिक और बाह्य शेयरधारकों की श्रेणी में सरकारी, विदेशी संस्थागत निवेशक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड, बैंक तथा रिटेल (व्यक्तिगत) शामिल है। ग्राहकों को बृहत कार्पोरेट, मिड कार्पोरेट, लघु तथा मध्यम उद्यमों तथा रिटेल ग्राहकों में इस समूह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शाखाएं बनाई है। - इसके अतिरिक्त सीएसआर गतिविधियां विभिन्न समूहों तक पहुंच रही हैं जहां बैंक की उपस्थिति है। आंतरिक शेयरधारक, बैंक के कर्मचारियों की देखभाल मानव संसाधन विभाग द्वारा की जाती है।
2. उपर्युक्त में से क्या कंपनी ने सुविधाहीन, संवेदनशील और सीमांत पणधारकों को चिन्हित किया है? जी हां, बैंक अल्प सुविधा प्राप्त ग्राहकों, छोटे किसानों, और उद्योगपतियों, महिला समूहों, आदिवासी जनसंख्या आदि को माइक्रो फिनेन्स, छोटे ऋण, विशेष ऋण योजनाओं के तहत ऋण जैसे किसान क्रेडिट कार्ड आदि देता है।
3. क्या सुविधाहीन, संवेदनशील और अधिकारहीन पणधारकों को शामिल करने के लिए कंपनी द्वारा विशेष पहल की गई है? इस क्षेत्र के आंतरिक शेयरधारकों के लिए विभिन्न पहलों के जरिए, बेहतर समझ के लिए उन्हें आर्थिक लाभ देने के साथ-साथ पक्ष का समर्थन करना।

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? The Bank has clearly mapped its internal and external stakeholders. Categories of shareholders include Government, Foreign Institutional Investors, Financial Institutions, Insurance Companies, Mutual Funds, Banks and Retail (Individuals). As for Customers, they are grouped as large corporate, mid-corporate, small and medium enterprises and retail customers. The Bank has focussed branches to cater to these groups. Further the CSR activities reach out to various groups wherever the Bank has a presence. The internal stakeholders, the employees of the Bank are looked after by the Human Resources Department.
2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders? Yes. The Bank caters to the economically and socially underprivileged customers, small farmers and businessmaen, women groups, tribal populations etc, by providing micro-finance, small loans, credit under special credit schemes such as Kisan Credit Card etc.
3. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders? Yes it is done through various initiatives for internal stakeholders to this section, To give them economic benefits as well as support causes for better understanding.

**सिद्धांत 5**

1. क्या मानव अधिकार पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्यों के लिए भी विस्तारित की गई है? : सभी के लिए, पारदर्शी प्रणाली के जरिए
2. विगत वित्तीय वर्ष के दौरान पणधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक ढंग से निवारण किया गया? : बैंक ने 99% शिकायतों का निपटारा कर दिया है।

**सिद्धांत 6**

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य के लिए भी विस्तारित की गई है। : कंपनी और कंपनी के साथ लेन-देन करने वाले सभी को कवर करती है।
2. क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों जैसे बदलता मौसम, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि को पता लगाने के लिए रणनीतियाँ/पहले हैं? हाँ/नहीं, यदि हाँ तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपर लिंक दें। : यह सेवा उद्योग होने के कारण कोई विशिष्ट पहल नहीं है।
3. क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरण जोखिमों की पहचान और आकलन करती है? : हाँ। इस संबंध में बैंक की कुछ गतिविधियाँ सीएसआर रिपोर्ट में देखी जा सकती हैं।
4. क्या कंपनी के पास क्लिन डेवलपमेंट मेकेनिज्म से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ तो करीब 50 शब्दों में ब्योरा दें। साथ ही यदि हाँ तो क्या पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट फाइल की जाती है? : नहीं
5. क्या कंपनी ने क्लिन टेक्नोलाजी, ऊर्जा दक्षता, अक्षय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है। हाँ/ नहीं। यदि हाँ तो वेबपेज आदि का हाइपरलिंक दें। : जी हाँ, ऊर्जा दक्षता की अवधारणा को क्रियान्वित किया जा रहा है।
6. क्या रिपोर्ट किए जा रहे वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा जेनरेट किए जा रहे एमिशन/अवशिष्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा के अंदर है? : लागू नहीं, क्यों कि यह सेवा उद्योग है।
7. वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या, जो लंबित (अर्थात संतोषपूर्ण निवारण नहीं हुआ) है। : कोई नहीं

**सिद्धांत 7**

1. क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चेम्बर अथवा संघ की सदस्य है? केवल उन प्रमुख का नाम दें जिसके साथ आपका कारोबार संबंधी लेनदेन होता है: हाँ
  - क. भारतीय बैंक संघ (आईबीए)
  - ख. भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)
  - ग. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)
  - घ. राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एनआईबीएम)
2. क्या आपने उपर्युक्त संघ के जरिए जनता की भलाई की उन्नति और सुधार हेतु वकालत/प्रचार किया है? : हाँ, बैंक ने कुछ नीतियां सुझाई है जिससे समाज को लाभ होगा।

**Principle 5**

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/ Contractors/NGOs/Others? : It covers everybody through transparent system.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management? : The Bank resolved Approx 99 % of the complaints.

**Principle 6**

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors /NGOs/others. : It covers the company and all those dealing with the company.
2. Does the company have strategies/initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? : No specific initiative as it is a Service Industry.  
Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.
3. Does the company identify and assess potential environmental risks? : Yes. Some of the activities of the Bank in this regard can be found in the CSR Report.
4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed? : No
5. Has the company undertaken any other initiatives on - clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc. : Yes, concept of energy efficiency is being implemented.
6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported? : N.A, as the Bank is engaged in Service Industry
7. Number of show cause/ legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year. : There were None.

**Principle 7**

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? Name only those major ones that your business deals with: Yes
  - a. Indian Banks Association (IBA)
  - b. Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)
  - c. Institute of Banking personal Selection (IBPS)
  - d. National Institute of Bank Management (NIBM)
2. Have you advocated/lobbied for the advancement or improvement of public good? : Yes, the Bank has suggested policies that mutually benefits the society.



**सिद्धांत 8**

1. क्या कंपनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के लिए निर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजना है। यदि हाँ तो उसके ब्यौरे दें। : वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। बैंक सुविधा से वंचितों को उनके घर तक बैंकिंग की सुविधा पहुंचा रहा है। बैंक ग्रामीण क्षेत्र में अपने पहलों के जरिए बैंकिंग और समाज से सम्बद्ध सेवाओं के प्रावधान के जरिए ग्रामीण जनता के जीवन को सुधारने में अहम भूमिका निभा रहा है। बैंक द्वारा प्रशिक्षण तथा परामर्श केन्द्र स्थापित किए गए हैं जो कृषि क्षेत्र, शिक्षित युवक तथा अन्य स्व-नियोजित समूह को मदद करता है। बैंक सक्रियता से वित्तीय साक्षरता फैला रहा है।
2. क्या इन-हाउस टीम/अपना आधार/बाह्य एनजीओ/सरकारी संरचना/अन्य किसी संगठन द्वारा कार्यक्रम/परियोजना शुरू की गई है? : इन-हाउस के साथ-साथ बाह्य एजेंसियां द्वारा ऐसी परियोजनाएं / पहलें जारी हैं।
3. आपने अपनी पहल के प्रभाव का कोई आकलन किया है? : नहीं
4. समुदाय विकास परियोजना में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष अंशदान क्या है? भारतीय रुपए में रकम और शुरू की गई परियोजना का ब्यौरा : बैंक ने विभिन्न प्रकार तथा आकार की कई परियोजनाएं शुरू की हैं जो सीएसआर रिपोर्ट में दी गई हैं।
5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस समुदाय विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया जाए? कृपया करीब 50 शब्दों में स्पष्ट करें। : बैंक ने जरूरतमंद व्यक्तियों और समाज के दलित वर्गों के लिए ऋण सलाहकार सेवाएं जैसे अभय आरंभ की हैं।

**सिद्धांत 9**

1. वित्तीय वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लंबित हैं। : 1.80% लंबित थे।
2. क्या कंपनी स्थानीय कानून की अनिवार्यता के अतिरिक्त उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है? हाँ/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी) : लागू नहीं
3. विगत पांच वर्षों के दौरान कंपनी के विरुद्ध किसी भी पणधारक द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/अथवा विरोधी प्रतिस्पर्धी व्यवहार से संबंधित कोई भी मामला दायर किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है। यदि हाँ, करीब 50 शब्दों में ब्यौरा दें। : कोई नहीं
4. क्या आपकी कंपनी द्वारा उपभोक्ता संतुष्टि की प्रवृत्ति /उपभोक्ता सर्वेक्षण किया गया है? : हां, बैंक ग्राहक केन्द्रित संस्था है और हमेशा फीडबैक का स्वागत करता है। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी ग्राहकों के अभियोग और शिकायतों को कुशलता और प्रभावी ढंग से निपटाया जाए।

**Principle 8**

1. Does the company have specified programmes / initiatives/ projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof. : The Bank has taken an pro-active role to promote Financial Inclusion. The Bank goes out of the way to provide banking experience to the underprivileged at their doorstep. Through its initiatives in the rural sector, the Bank plays a key role to improve the lives of the rural publics through provision of banking and allied services that the socially relevant. There are training and counselling centres set-up by the Bank to help agrisector, the educated youth and other self-employed groups. The Bank is also active in spreading financial literacy.
2. Are the programmes/ projects undertaken through in-house team/own foundation/ external NGO/government structures/ any other organization? : These projects/ initiatives are undertaken through In house as well as outside agencies.
3. Have you done any impact assessment of your initiative? : No
4. What is your company's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken. : The Bank undertook several projects of varying nature and sizes, detail of which can be found in the CSR Report.
5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so : The Bank has set up development initiative is successfully adopted by the Credit Advisory service viz 'Abhay' for needy persons and the down trodden Section of the society.

**Principle 9**

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year. : 1.13 per cent were pending.
2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A. / Remarks(additional information) : This is Not Applicable
3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so : There are None.
4. Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends? : Yes, The Bank is a customer centric organization and always welcome feedback. The Bank ensures that all customer grievances and complaints are handled as efficiently and effectively as possible

## कार्पोरेट शासन प्रणाली

### शासन प्रणाली कूट पर बैंक का दर्शन :

अपने कारोबार संचालन में नैतिक परिपाटी के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता पर बैंक की कार्पोरेट शासन प्रणाली दर्शन संरचित है जबकि शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि प्रयास है। बोर्ड, कार्यपालकों तथा अन्य पदाधिकारियों का पारस्परिक संबंध इस तरह गठित है कि जिसमें स्पष्टतया उनकी विशिष्ट भूमिकाएं चिन्हित हैं तथा विकसित कार्पोरेट कार्यनिष्पादन है। बैंक उच्च प्रकटन मानकों तथा पारदर्शिता के अनुसरण में भी प्रतिबद्ध है। बेहतर परिपाटी के अनुसरण में बैंक ने कारोबार के प्रत्येक पक्ष की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

### बोर्ड के निदेशक :

समय-समय पर संशोधित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत बैंक का गठन किया गया है। सामान्य पर्यवेक्षण, बैंक का कारोबार तथा कामकाज का प्रबंधन तथा निदेशन बोर्ड के निदेशक मंडल के पास है जिसके अध्यक्ष बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं।

अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। समीक्षागत वर्ष के अंतर्गत बोर्ड का संयोजन निम्नलिखित था :

श्रीमती वी.आर.अय्यर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री बि.पी.शर्मा	कार्यपालक निदेशक
श्री अरुण श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक
श्री आर.कोटीस्वरन (31.12.2014 तक)	कार्यपालक निदेशक
श्री आर.पी.मराठे (10.03.2015 से)	कार्यपालक निदेशक
श्री अनूप वधावन	केन्द्रीय सरकार के नामिती
श्री एस.एस.बारिक	भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती
श्री हरविंदर सिंह (18.09.2014 से)	गैर कामगार कर्मचारी निदेशक
श्री ए.एम.पेरेरा	कामगार कर्मचारी निदेशक
श्री के.के.नायर (03.05.2014 तक)	अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक
डॉ. आर.एल.बिश्नोई	अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक
श्री नीरज भाटिया (16.10.2014 तक)	अंशकालिक गैर-शासकीय सी.ए.निदेशक
श्री पी. एम. सिराजुद्दीन (24.10.2014 तक)	शेयरधारक निदेशक
श्री उमेश कुमार खेतान (24.10.2014 तक)	शेयरधारक निदेशक
श्री प्रमोद भसीन (24.10.2014 तक)	शेयरधारक निदेशक
श्री नीरज भाटिया (25.10.2014 से)	शेयरधारक निदेशक
श्री डी.हरीश (25.10.2014 से)	शेयरधारक निदेशक
श्री संजीव कुमार अरोड़ा (25.10.2014 से)	शेयरधारक निदेशक

## CORPORATE GOVERNANCE

### Bank's Philosophy on code of Governance :

The Bank's corporate governance philosophy is woven around its total commitment to ethical practices in the conduct of its business, while striving to enhance shareholders' value. The interrelation between the Board, the executives and other functionaries is so configured as to have distinctly demarcated roles and improved corporate performance. The Bank is also committed to following high disclosure standards and transparency. In line with the best practices, the Bank has formed various committees of the Board to monitor every aspect of business.

### Board of Directors :

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended from time to time. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairperson and Managing Director.

The Chairperson & Managing Director and the Executive Directors are appointed by the Central Government. During the year under review the Composition of the Board was as under:-

Smt. V. R. Iyer	Chairperson and Managing Director
Shri B.P. Sharma	Executive Director
Shri Arun Shrivastava	Executive Director
Shri R. Koteeswaran (upto 31.12.2014)	Executive Director
Shri R. P. Marathe (from 10.03.2015)	Executive Director
Shri Anup Wadhawan	Nominee of the Central Government
Shri S. S. Barik	Nominee of Reserve Bank of India
Shri Harvinder Singh (from 18.09.2014)	Non-Workmen Employee Director
Shri A.M. Pereira	Workmen Employee Director
Shri K.K.Nair (upto 03.05.2014)	Part-Time Non-Official Director
Dr. R. L. Bishnoi	Part-Time Non-Official Director
Shri Neeraj Bhatia (upto 16.10.2014)	Part-Time Non-Official CA Director
Shri P.M.Sirajuddin (upto 24.10.2014)	Shareholder Director
Shri Umesh Kumar Khaitan (upto 24.10.2014)	Shareholder Director
Shri Pramod Bhasin (upto 24.10.2014)	Shareholder Director
Shri Neeraj Bhatia (from 25.10.2014)	Shareholder Director
Shri D. Harish (from 25.10.2014)	Shareholder Director
Shri Sanjiv Kumar Arora (from 25.10.2014)	Shareholder Director

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशकों को छोड़कर मंडल में शेष सभी निदेशक बोर्ड के गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अंशकालिक अशासकीय निदेशकों के अलावा केंद्रीय सरकार और शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक व रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि निदेशक सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अर्थ के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक हैं। कोई भी निदेशक अन्य किसी निदेशक का संबंधी नहीं है।

## वर्ष के दौरान बैंक में कार्यग्रहण करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

### श्री रविन्द्र प्रभाकर मराठे, कार्यपालक निदेशक

श्री रविन्द्र प्रभाकर मराठे, आयु 56 वर्ष, ने 10.03.2015 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया। इन्होंने वर्ष 1980 में बड़ौदा के एम एस विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नाकोत्तर डिग्री स्वर्ण पदक सहित प्राप्त की है। इन्होंने आयोजना अधिकारी के रूप में वर्ष 1982 में बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यग्रहण किया। इन्होंने सीएआईआईबी और कोषागार में डिप्लोमा, निवेश और जोखिम प्रबंधन (आईआईबीएफ) की अर्हताएँ प्राप्त करने के अतिरिक्त इन्होंने सर्टिफिकेट इन कम्प्युटर एप्लिकेशन की अर्हता प्राप्त की है। इनको बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कार्यनीति आयोजना, कार्यनिष्पादन बजटिंग, आर्थिक अनुसंधान, कार्पोरेट क्रेडिट, एमआईएस, परिवेशी स्कैनिंग और डाटा वेयरहाउस कार्यों में 33 वर्षों का व्यापक अनुभव प्राप्त है। इन्होंने वर्ष 2002 से 2008 तक छः वर्षों से अधिक समय तक कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर कार्य किया है।

### श्री हरविंदर सिंह

श्री हरविंदर सिंह, उम्र 58 वर्ष, को केन्द्र सरकार द्वारा बैंक का गैर-कामगार कर्मचारी निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने एम.कॉम, एलएलबी के साथ-साथ सीएआईआईबी की व्यावसायिक अर्हता भी प्राप्त की है।

### श्री नीरज भाटिया

श्री नीरज भाटिया, उम्र 45 वर्ष, 25.10.2014 से आपके बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चुने गए हैं। वे विज्ञान के स्नातक हैं और व्यवसाय से सनदी लेखाकार हैं। वे पहले बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में अंशकालिक गैर-शासकीय सीए निदेशक थे।

### श्री डी.हरीश

श्री डी.हरीश, उम्र 53 वर्ष, 25.10.2014 से आपके बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चुने गए हैं। वे वाणिज्य के स्नातक हैं और उन्होंने पीजीडीपीएम एवं आईआर की व्यावसायिक अर्हता प्राप्त की है। नेतृत्व कोच की भूमिका अदा करने में उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त है।

### श्री संजीव कुमार अरोडा

श्री संजीव कुमार अरोडा, उम्र 53 वर्ष, 25.10.2014 से आपके बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चुने गए हैं। वे वाणिज्य के स्नातक हैं और व्यवसाय से सनदी लेखाकार हैं। इससे पहले उन्हें डीएफएस, वित्त मंत्रालय द्वारा अन्य राष्ट्रीय बैंक का निदेशक नियुक्त किया गया था।

All directors, other than the Chairperson & Managing Director and the Executive Directors, are non-executive Directors on the Board. The Directors representing shareholders of the Bank (other than the Central Government) are independent directors within the meaning of Clause 49 of the Listing Agreement. None of the Director is a relative of other Director.

## Brief Profile of the Directors who joined the Bank during the year

### Shri R. P. Marathe, Executive Director

Shri Ravindra Prabhakar Marathe, aged 56 years, joined your Bank as an Executive Director on 10.03.2015. He holds Masters Degree in Economics (Gold Medal) from M S University of Baroda (1980). He joined Bank of Baroda as Planning Officer in 1982 and acquired CAIIB and Diploma in Treasury, Investment & Risk Management (IIBF) qualifications besides a certificate in Computer Applications. He has 33 years of experience in various areas of Banking including Strategic Planning, Performance Budgeting, Economic Research, Corporate Credit, Trade Finance, MIS, Environmental Scanning and Data Warehouse functions. He has also worked for over six years on Core Banking platform from 2002 to 2008.

### Shri Harvinder Singh

Shri Harvinder Singh, aged 58 years, has been appointed by the Central Government as Non-Workmen Employee Director of the Bank. He is a M.Com., LLB, coupled with professional qualification of CAIIB.

### Shri Neeraj Bhatia

Shri Neeraj Bhatia, aged 45 year, has been elected as Shareholder Director of your bank w.e.f. 25.10.2014. He is a Science Graduate and a Chartered Accountant by profession. He was earlier on Board of the Bank as Part-Time Non-Official CA Director.

### Shri D. Harish

Shri D. Harish, aged 53 year, has been elected as Shareholder Director of your bank w.e.f. 25.10.2014. He is a Commerce Graduate along with other professional qualification of PGDPM & IR. His expertise is to act as leadership coach.

### Shri Sanjiv Kumar Arora

Shri Sanjiv Kumar Arora, aged 53 year, has been elected as Shareholder Director of your bank w.e.f. 25.10.2014. He is a Commerce Graduate and Chartered Accountant by profession. He was earlier appointed by DFS, Ministry of Finance as Director on another Public Sector Bank.

निदेशकों के अन्य विवरण Other Details of Directors

क्र. सं. SR. No.	निदेशकों के नाम Name of Directors	बैंक के इक्विटी शेयरों की धारिता Holding of Bank's Equity shares	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of Appointment as Director	विशेषज्ञता का क्षेत्र Area of Expertise	अन्य कंपनियों में निदेशक पद Directorships of other Companies	बोर्ड समितियों के सदस्य Member of Board Committees	
						सदस्य Member	अध्यक्ष Chairman
1.	श्रीमती वी.आर. अय्यर Smt.V.R.Iyer	-	05.11.2012	बैंकिंग Banking	1) बीओआई शेयरहोल्डिंग लि. 2) बीओआई अक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि. 3) एसटीसीआई फायनान्स लि. 4) न्यू इंडिया एन्श्योरेंस कं.लि. 5) भारतीय आयात निर्यात बैंक 6) एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लि. 7) इंडो ज़ांबिया बैंक लि. 8) स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ़ इन्श्योरेंस कं.लि. 9) बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि. 1. BOI Shareholding Limited. 2. BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd. 3. STCI Finance Ltd 4. New India Assurance Co. Ltd. 5. Export Import Bank of India 6. STCI Primary Dealer Ltd 7. Indo Zambia Bank Ltd. 8. Star Union Daichi Life Insurance Co Ltd 9. BOI Merchant Bankers Ltd	3	-
2.	श्री बि.पी. शर्मा Shri B.P. Sharma	-	18.06.2012	बैंकिंग Banking	1) एग्रीकल्चर फाइनेन्स कापोरेशन लि. 2) बीओआई अक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि. 3) बीओआई शेयरहोल्डिंग लि. 4) बैंक ऑफ़ इंडिया युगांडा लि. 5) नेशनल पेमेंट कापोरेशन ऑफ़ इंडिया लि. 6) बीओआई (बोत्सवाना) लि. 1. Agriculture Finance Corporation Limited. 2. BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd. 3. BOI Shareholding Ltd. 4. Bank of India Uganda Ltd. 5. National Payment Corporation of India Ltd. 6. BOI (Botswana) Ltd.	3	-
3.	श्री अरुण श्रीवास्तव Shri Arun Shrivastava	200	05.08.2013	बैंकिंग Banking	1) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंज़ानिया) लि. 2) बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि. 1. Bank of India (Tanzania) Ltd. 2. BOI Merchant Bankers Ltd	2	-
4.	श्री आर.पी.मराठे Shri R. P. Marathe	725	10.03.2015	बैंकिंग Banking	-	2	-
5.	श्री अनूप वधावन Shri Anup Wadhawan	-	26.07.2013	प्रशासन Administration	एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कापोरेशन ऑफ़ इंडिया लि. Agriculture Insurance Corporation of India	1	-
6.	श्री एस.एस.बारिक Shri S. S. Barik	-	13.03.2014	बैंकिंग Banking	-	1	-
7.	श्री हरविंदर सिंह Shri Harvinder Singh	-	18.09.2014	बैंकिंग Banking	-	-	-
8.	श्री ए.एम.पेरेरा Shri A. M. Pereira	600	18.07.2012	बैंकिंग Banking	-	-	-

क्र. सं. SR. No.	निदेशकों के नाम Name of Directors	बैंक के इक्विटी शेयरों की धारिता Holding of Bank's Equity shares	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of Appointment as Director	विशेषज्ञता का क्षेत्र Area of Expertise	अन्य कंपनियों में निदेशक पद Directorships of other Companies	बोर्ड समितियों के सदस्य Member of Board Committees	
						सदस्य Member	अध्यक्ष Chairman
9.	श्री आर.एल.बिश्नोई Shri R. L. Bishnoi	-	18.10.2013	लेखा Accounting	-	1	1
10.	श्री नीरज भाटिया Shri Neeraj Bhatia	100	25.10.2014	लेखा Accounting	-	2	1
11.	श्री डी.हरीश Shri D. Harish	100	25.10.2014	नेतृत्व Leadership	-	1	-
12.	श्री संजीव कुमार अरोड़ा Shri Sanjiv Kumar Arora	150	25.10.2014	लेखा Accounting	1) नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कॉर्प. लि. 2) रैडो टायर्स लि. 1. National Jute Manufacturers Corp Ltd. 2. Rado Tyres Ltd	-	-

सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अनुपालन में, बैंक ने केवल लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारक/ निवेशक शिकायत निवारण समिति की अध्यक्षता/सदस्यता पर विचार किया है।

**बोर्ड की बैठकों का संचालन :**

वर्ष के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को बोर्ड की कुल 15 बैठकें आयोजित की गईं:

11.04.2014	29.04.2014	15.05.2014	29.05.2014	26.06.2014	25.07.2014
30.07.2014	05.09.2014	11.10.2014	03.11.2014	04.12.2014	12.01.2015
24.01.2015	12.02.2015	12.03.2015			

बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

In compliance of Clause 49 of the Listing Agreement the Bank has considered the Chairmanship/Membership of the Audit Committee and the Investor's/Shareholder's Grievance committee alone.

**Conduct of Board Meetings :**

During the year, 15 Board Meetings were held on the following dates:

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are as follows:

निदेशकों के नाम Name of Directors	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Recorded	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	अवधि (से - तक) Period (From - To)
श्रीमती वी. आर. अय्यर Smt. V. R. Iyer	15	15	01.04.2014 to 31.03.2015
श्री बि.पी. शर्मा Shri B.P. Sharma	12	15	01.04.2014 to 31.03.2015
श्री अरूण श्रीवास्तव Shri Arun Shrivastava	14	15	01.04.2014 to 31.03.2015
श्री आर.कोटीस्वरन Shri R. Koteeswaran	12	12	01.04.2014 to 31.12.2014
श्री आर.पी.मराठे Shri R. P. Marathe	1	1	10.03.2015 to 31.03.2015
श्री अनूप वधावन Shri Anup Wadhawan	11	15	01.04.2014 to 31.03.2015
श्री एस.एस.बारिक Shri S. S. Barik	13	15	01.04.2014 to 31.03.2015
श्री हरविंदर सिंह Shri Harvinder Singh	6	7	18.09.2014 to 31.03.2015
श्री ए. एम. परेरा Shri A. M. Pereira	12	15	01.04.2014 to 31.03.2015
श्री के.के. नायर Shri K. K. Nair	2	2	01.04.2014 to 03.05.2014
श्री नीरज भाटिया Shri Neeraj Bhatia	15	15	01.04.2014 to 16.10.2014 25.10.2014 to 31.03.2015
श्री पी. एम. सिराजुद्दीन Shri P. M. Sirajuddin	9	9	01.04.2014 to 21.09.2014
श्री प्रमोद भसीन Shri Pramod Bhasin	4	9	01.04.2014 to 24.10.2014
श्री उमेश कुमार खेतान Shri Umesh Kumar Khaitan	8	9	01.04.2014 to 24.10.2014
डॉ आर.एल.बिश्नोई Dr. R. L. Bishnoi	14	15	01.04.2014 to 31.03.2015
श्री डी.हरीश Shri D. Harish	4	6	25.10.2014 to 31.03.2015
श्री संजीव कुमार अरोड़ा Shri Sanjiv Kumar Arora	6	6	25.10.2014 to 31.03.2015

**निदेशकों/कार्यपालकों की समिति/उप समिति**

कॉर्पोरेट शासन और जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यनीतिक महत्व वाले विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देने हेतु बैंक के निदेशक मंडल ने निदेशकों एवं/या कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। ये महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं :-

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति
2. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति
3. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
4. स्टैकहोल्डर संबंध समिति
5. शेयर अंतरण समिति
6. जोखिम प्रबंधन हेतु निदेशकों की समिति
7. ग्राहक सेवाओं हेतु निदेशकों की समिति
8. निदेशकों की पारिश्रमिक समिति
9. निदेशकों की नामांकन समिति
10. कारोबार समीक्षा समिति
11. निवेश अनुमोदन समिति
12. बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी
13. आईटी कार्यनीति समिति
14. निदेशकों की पदोन्नति समिति

**बोर्ड की प्रबंधन समिति :**

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है और वह वित्तीय स्वीकृतियों, समझौतों/बट्टा प्रस्तावों, वाद/अपील दायर करने आदि के संबंध में बोर्ड को प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करती है। यथा दिनांक 31.03.2015 को इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 3 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती और 3 अंशकालिक अशासकीय निदेशक शामिल हैं।

वर्ष के दौरान बोर्ड प्रबंधन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 26 बैठकें हुईं :

11.04.2014	29.04.2014	14.05.2014	29.05.2014	16.06.2014	26.06.2014	10.07.2014
25.07.2014	12.08.2014	27.08.2014	05.09.2014	20.09.2014	27.09.2014	11.10.2014
02.11.2014	19.11.2014	04.12.2014	18.12.2014	29.12.2014	12.01.2015	24.01.2015
11.02.2015	28.02.2015	12.03.2015	26.03.2015	29.03.2015		

प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का अभिलेख निम्नलिखित अनुसार है:

Attendance record of the members is shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	अवधि (से-तक) Period (From – To)
श्रीमती वी. आर. अय्यर	Smt. V. R. Iyer	25	26	01.04.2014 to 31.03.2015
श्री बि.पी. शर्मा	Shri B.P. Sharma	18	26	01.04.2014 to 31.03.2015
श्री अरूण श्रीवास्तव	Shri Arun Shrivastava	25	26	01.04.2014 to 31.03.2015
श्री आर.कोटीस्वरन	Shri R. Koteeswaran	16	19	01.04.2014 to 31.12.2014
श्री आर.पी.मराठे	Shri R. P. Marathe	2	3	10.03.2015 to 31.03.2015
श्री एस.एस.बारिक	Shri S. S. Barik	19	26	01.04.2014 to 31.03.2015
श्री हरविंदर सिंह	Shri Harvinder Singh	8	8	27.12.2014 to 31.03.2015
श्री ए. एम. पेरेरा	Shri A. M. Pereira	10	12	27.06.2014 to 26.12.2014
श्री के.के. नायर	Shri K. K. Nair	2	2	01.04.2014 to 03.05.2014
श्री आर.एल.बिश्नोई	Dr. R. L. Bishnoi	6	6	01.04.2014 to 26.06.2014
श्री नीरज भाटिया	Shri Neeraj Bhatia	26	26	01.04.2014 to 16.10.2014 25.10.2014 to 31.03.2015
श्री पी. एम. सिराजुद्दीन	Shri P. M. Sirajuddin	12	12	01.04.2014 to 21.09.2014
श्री उमेश कुमार खेतान	Shri Umesh Kumar Khaitan	12	14	04.05.2014 to 24.10.2014
श्री डी.हरीश	Shri D. Harish	9	12	25.10.2014 to 31.03.2015

**बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति:**

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नयी दिल्ली की संसूचना संदर्भ सं.13/1/2006-बीओ.1 दिनांकित 31 जनवरी, 2012, द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बैंक ने बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया है। यह ऋण अनुमोदन समिति हमारे बैंक के मामले में ₹ 400 करोड़ तक के किसी एकल ऋण प्रस्ताव के बारे में बोर्ड के अधिकारों का इस्तेमाल करेगी और ऐसी सीमाओं से अधिक के प्रस्तावों पर प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण, क्रेडिट के प्रभारी महाप्रबंधक, वित्त के प्रभारी महाप्रबंधक और जोखिम प्रबंधन के प्रभारी महाप्रबंधक इस समिति के सदस्य हैं। इस समिति की बैठकों की अध्यक्षता बैंक की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करती हैं। वर्ष के दौरान ऋण अनुमोदन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 37 बैठकें हुई :

05.04.2014	16.04.2014	26.04.2014	05.05.2014	21.05.2014	30.05.2014	05.06.2014
11.06.2014	21.06.2014	26.06.2014	30.06.2014	05.07.2014	10.07.2014	23.07.2014
06.08.2014	21.08.2014	01.09.2014	11.09.2014	22.09.2014	25.09.2014	29.09.2014
14.10.2014	01.11.2014	11.11.2014	25.11.2014	09.12.2014	19.12.2014	24.12.2014
30.12.2014	14.01.2015	27.01.2015	06.02.2015	18.02.2015	03.03.2015	16.03.2015
25.03.2015	30.03.2015					

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	अवधि Period
श्रीमती वी. आर. अय्यर	Smt. V R Iyer	37	37	01.04.2014 to 31.03.2015
श्री बि. पी. शर्मा	Shri B P Sharma	22	37	01.04.2014 to 31.03.2015
श्री अरुण श्रीवास्तव	Shri Arun Shrivastava	36	37	01.04.2014 to 31.03.2015
श्री आर. कोटीस्वरन	Shri R. Koteeswaran	19	29	01.04.2014 to 31.12.2014
श्री आर.पी.मराठे	Shri R. P. Marathe	2	3	10.03.2015 to 31.03.2015

**बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति :**

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। यह एसीबी निदेश देती है तथा बैंक के संपूर्ण लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन का पर्यवेक्षण भी करती है।

लेखा परीक्षा समिति में 7 सदस्य हैं, अर्थात कार्यपालक निदेशकगण, सरकार नामिती निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक और 2 अंशकालिक अशासकीय निदेशक दिनांक 11.04.2015 तक डॉ आर.एल.बिश्नोई बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष थे। वर्तमान में श्री नीरज भाटिया बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों को लेखा परीक्षा समिति की 9 बैठकें हुई :

14.05.2014	29.05.2014	16.06.2014	30.07.2014	20.08.2014	03.11.2014
18.12.2014	11.02.2015	26.03.2015			

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	अवधि Period
श्री बि. पी. शर्मा	Shri B. P. Sharma	7	9	01.04.2014 to 31.03.2015
श्री अरुण श्रीवास्तव	Shri Arun Shrivastava	9	9	01.04.2014 to 31.03.2015
श्री आर. कोटीस्वरन	Shri R. Koteeswaran	6	7	01.04.2014 to 31.12.2014
श्री आर.पी.मराठे	Shri R. P. Marathe	1	1	10.03.2015 to 31.03.2015
श्री अनूप वधावन	Shri Anup Wadhawan	5	9	01.04.2014 to 31.03.2015
श्री एस.एस.बारिक	Shri S. S. Barik	8	9	01.04.2014 to 31.03.2015
डॉ आर.एल.बिश्नोई	Dr. R. L. Bishnoi	9	9	01.04.2014 to 31.03.2015
श्री नीरज भाटिया	Shri Neeraj Bhatia	7	7	01.04.2014 to 26.06.2014 03.11.2014 to 31.03.2015
श्री उमेश कुमार खेतान	Shri Umesh Kumar Khaitan	1	2	27.06.2014 to 24.10.2014

**Audit Committee of the Board :**

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction and also oversees the operation of the total audit function of the Bank.

The Audit Committee comprises of 7 members viz. Executive Directors, Government Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and 2 non official part time directors. Dr. R.L.Bishnoi was the Chairman of the Committee till 11.04.2015. Shri Neeraj Bhatia, is the present Chairman of the Audit Committee of the Board. During the year, the Audit Committee met 9 times on the following dates:

The attendance record of the members is shown below:

बैंक के गैर-लेखा परीक्षित तिमाही परिणामों और वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों की बोर्ड द्वारा स्वीकार किए जाने हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत करने के पहले बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई।

**स्टेकहोल्डर संबंध समिति :**

सूचीकरण करार के खण्ड 49 के प्रावधान के अनुरूप कॉर्पोरेट शासन पर सेबी के दिशानिर्देशों के अनुपालन में शेयरों के अंतरण, तुलन पत्र प्राप्त न होने, लाभांश प्राप्त न होने इत्यादि के संबंध में शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण हेतु स्टेकहोल्डर संबंध समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान निवेशकों से अब तक प्राप्त सभी शिकायतों/सद्वर्षों का उत्तर दिया गया/निपटारा गया। संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद प्रायःसात दिनों के अंदर निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है। इस समिति में कार्यपालक निदेशकगण और दो शेयरधारक निदेशक हैं। श्री नीरज भाटिया इस समिति के अध्यक्ष हैं।

सुश्री नियति गाडित, कंपनी सचिव, इस उद्देश्य के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं। वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं:

16.06.2014	12.08.2014	04.12.2014	11.02.2015
------------	------------	------------	------------

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नलिखित है:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	अवधि Period
श्री बि. पी. शर्मा	Shri B. P. Sharma	2	4	01.04.2014 to 31.03.2015
श्री अरुण श्रीवास्तव	Shri Arun Shrivastava	4	4	01.04.2014 to 31.03.2015
श्री आर. कोटीस्वरन	Shri R. Koteeswaran	2	3	01.04.2014 to 31.12.2014
श्री आर.पी. मराठे	Shri R. P. Marathe	-	-	10.03.2015 to 31.03.2015
श्री पी. एम. सिराजुद्दीन	Shri P.M. Sirajuddin	2	2	01.04.2014 to 24.10.2014
श्री उमेश कुमार खेतान	Shri Umesh Kumar Khaitan	2	2	01.04.2014 to 24.10.2014
श्री नीरज भाटिया	Shri Neeraj Bhatia	2	2	25.10.2014 to 31.03.2015
श्री डी. हरीश	Shri D. Harish	1	2	25.10.2014 to 31.03.2015

**शेयर अंतरण समिति**

इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण और दो अन्य निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 4 बैठकें हुईं :

29.04.2014	16.06.2014	12.08.2014	18.12.2014
------------	------------	------------	------------

**जोखिम प्रबंधन के लिए निदेशकों की समिति**

इस समिति का गठन बैंक द्वारा लिए गए समस्त जोखिमों की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण और तीन अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक हैं। वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 4 बैठकें हुईं :

29.05.2014	20.08.2014	03.12.2014	12.03.2015
------------	------------	------------	------------

**ग्राहक सेवा के लिए निदेशकों की समिति**

बैंक द्वारा लिए गए कुल जोखिम की समीक्षा तथा मूल्यांकन करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण और तीन अन्य अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक हैं। कार्य के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 4 बैठकें हुईं।

16.06.2014	27.09.2014	18.12.2014	26.03.2015
------------	------------	------------	------------

**निदेशकों की पारिश्रमिक समिति**

भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। यह प्रोत्साहन विगत वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों पर आधारित स्टेटमेंट ऑफ इन्टेन्ट ऑन गोल्स एण्ड बेंचमार्क के आधार पर कार्यनिष्पादन मूल्यांकन मेट्रिक्स के लिए कतिपय गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक मानदंडों पर आधारित है। उक्त निदेश के अनुपालन के लिए वर्ष के दौरान

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board prior to the placing before the Board of Directors for adoption.

**Stake Holders Relationship Committee :**

In compliance of SEBI guidelines on Corporate Governance as provided in clause 49 of the Listing Agreement, Stake Holders Relationship Committee has been constituted, for redressal of the grievances of the shareholders/ investors with regard to the transfer of shares, non-receipt of Balance sheet, non-receipt of dividends etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied / redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Executive Directors and two Shareholder Directors. Shri Neeraj Bhatia is Chairman of the Committee.

Ms Niyati Gadit, Company Secretary, is the Compliance officer of the Bank for this purpose.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

The attendance record of the members is shown below:

**Share Transfer Committee**

It comprises of Chairperson and Managing Director, Executive Directors and two other Directors. The Committee met 4 times during the financial year on the following dates:

**Committee of Directors for Risk Management**

This committee was formed to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank. It comprises of Chairperson & Managing Director, Executives Directors and three part time non official directors. The committee met 4 times during the financial year on the following dates:

**Committee of Directors for Customer Services**

This committee was formed to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank. It comprises of Chairperson and Managing Director, Executives Directors and three part time non official directors. The committee met 4 times during the financial year on the following dates:

**Remuneration Committee of Directors**

Government of India announced Performance Linked Incentive Scheme for Whole Time Directors of Public Sector Banks. The incentive is based on certain qualitative as well as quantitative parameters for Performance Evaluation Matrix on the basis of the Statement of intent on goals and benchmarks based on various compliance reports during the previous financial year. In compliance of the said directive, a remuneration



कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन और दी जाने / भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन रकम के लिए बोर्ड की पारिश्रमिक समिति गठित की गई।

इस समिति में सरकारी नामिति निदेशक, आरबीआई नामिति निदेशक और तीन अन्य अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक हैं। 31.03.2014 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए समिति ने 29.05.2014 को बैठक की और निम्नलिखित पूर्णकालिक निदेशकों को दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्रोत्साहन भुगतान करने का निर्णय लिया:

नाम	पदनाम	2014-15 के दौरान सेवा के दिनों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (₹)
श्रीमती वी आर अय्यर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	12 महीने	6,00,000/-
श्री एन शेषाद्री	कार्यपालक निदेशक	1 महीना	33,333/-
श्री एम एस राघवन	कार्यपालक निदेशक	3 महीने 5 दिन	1,05,554/-
श्री बि पी शर्मा	कार्यपालक निदेशक	12 महीने	4,00,000/-
श्री अरुण श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	7 महीने 27 दिन	2,63,333/-
श्री आर. कोटीस्वरन	कार्यपालक निदेशक	7 महीने 27 दिन	2,63,333/-

#### निदेशकों की नामांकन समिति

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के चयन के लिए व्यक्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रखे गए 'फिट एवं प्रोपर' मानदंड को पूरा करना होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के शर्तों के अनुसार नामांकन समिति में तीन निदेशक ( सभी स्वतंत्र / गैर कार्यपालक निदेशक ) हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान समिति ने शेरधारक निदेशकों के 'फिट एवं प्रोपर' स्थिति का पता लगाने के लिए दो बार 29.04.2014 तथा 04.10.2014 को बैठक की।

#### कारोबार समीक्षा समिति

नियामक कैलेण्डर मद्दों की आवधिक समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया। इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण और तीन अन्य अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों में बैठकें हुईं।

16.06.2014	27.09.2014	04.12.2014	12.01.2015	11.02.2015	26.03.2015
------------	------------	------------	------------	------------	------------

#### निवेश अनुमोदन समिति

निवेश संबंधित निर्णय लेने के लिए निवेश अनुमोदन समिति का गठन किया गया। इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण, महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन) और महाप्रबंधक (वित्त) हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठक हुई।

21.05.2014	22.09.2014	30.01.2015	14.02.2015	03.03.2015
------------	------------	------------	------------	------------

#### बड़े मूल्य वाले धोखाधड़ियों की निगरानी

इस समिति का गठन बड़े मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए किया गया था। इस समिति में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण और तीन अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक हैं। यह तिमाही के अंतराल में मिलती है। वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों में बैठकें हुईं :

26.06.2014	20.08.2014	18.12.2014	12.03.2015
------------	------------	------------	------------

#### आईटी कार्यनीति समिति

आई.टी. कार्यनीतियों पर निर्णय लेने के लिए तथा आई.टी. परियोजनाओं के क्षेत्र में हुए विकास की निगरानी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रेषित दिशानिर्देशों के अनुपालन में यह समिति गठित की गई। इसमें कार्यपालक निदेशकगण तथा तीन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक शामिल हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों में बैठकें हुईं ।

29.05.2014	20.08.2014	29.12.2014	11.02.2015
------------	------------	------------	------------

Committee of the Board was constituted for evaluation of the performance and incentive amount to be awarded / paid during the year.

It comprises of Govt. Nominee Director, RBI Nominee Director and three other part time non official directors. For last year ended 31.03.2014, the committee met on 29.05.2014 and decided to pay incentive to the following whole-time directors as per details given below:

Name	Designation	Number of days served during 2014-15	Performance Linked Incentive for the year 2014-15 (₹)
Smt. V R Iyer	Chairperson & Managing Director	12 months	6,00,000/-
Shri N Seshadri	Executive Director	1 month	33,333/-
Shri M S Raghavan	Executive Director	3 months 5 days	1,05,554/-
Shri B P Sharma	Executive Director	12 months	4,00,000/-
Shri Arun Shrivastava	Executive Director	7 months 27 days	2,63,333/-
Shri R. Koteeswaran	Executive Director	7 months 27 days	2,63,333/-

#### Nomination Committee of Directors

Under the provisions of Section 9 (3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/80, the Reserve Bank of India has laid down 'Fit and Proper' criteria to be fulfilled by the persons to be elected as directors on the boards of the Nationalised Banks. In terms of the said guidelines, a Nomination Committee consists of three directors (all independent / non-executive directors). During the Financial Year 2014-15 the committee met 2 times i.e. 29.04.2014 and 04.10.2014 to ascertain the "Fit & Proper" status of Shareholders Directors.

#### Business Review Committee

The Committee was formed to review the regulatory calendar items periodically. This committee consist of The Chairperson and Managing Director, Executive Directors and three other Part time non official Directors. During the year under review, it met on following dates.

#### Investment Approval Committee

The Investment Approval Committee was formed to take investments decisions. It consists of The Chairperson and Managing Director, Executive Directors, General Manager (Risk Management) and General Manager (Finance). During the financial year it met on the following dates:

#### Monitoring on Large Value Frauds

This Committee was formed to monitor large value frauds. It consists of The Chairperson and Managing Director, Executive Directors and three part time non official directors of the Bank. It meets on quarterly interval. During the financial year it met on the following dates.

#### IT Strategy Committee

The committee was formed in compliance of guidelines issued by Reserve Bank of India to take Decision on IT Strategies and to monitor the development in the area of IT Projects. It consists of Executive Directors and three part time non official directors. During the financial year it met on the following dates.

**निदेशकों की पदोन्नति समिति**

इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सरकारी नामिति निदेशक और आरबीआई नामिति निदेशक सदस्य हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान समिति निम्नलिखित तिथियों को मिली।

29.05.2014	17.02.2015	26.03.2015
------------	------------	------------

**विगत वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति**

श्रीमती वी.आर.अय्यर, श्री बि.पी.शर्मा, श्री ए.एम.परेरा, श्री आर.एल. बिश्नोई, श्री पी.एम. सिराजुद्दीन, दिनांक 10.07.2014 को हुई बैंक की पिछली अर्थात् अठारहवीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

**शेयर अंतरण और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण :**

शेयर अंतरण, लाभांश/ ब्याज का भुगतान और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी कार्यकलापों पर कार्रवाई हमारे पंजीयक एवं अंतरण एजेंट के कार्यालय में की जाती है। इनमें से किसी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पृच्छताछ/शिकायत/कठिनाइयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्नलिखित पते पर संपर्क करने का अनुरोध है :

**इक्विटी शेयरों के लिए**

शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा.लि. यूनिट : बैंक ऑफ इंडिया, 13, ए बी, संहिता वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज के पास, अंधेरी कुर्ला रोड, साकीनाका, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400072. फोन 022-67720300, फैक्स 022-28591568, ई मेल : sharepro@shareproservices.com

**अथवा इस पर**

शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा.लि., निवेशक संपर्क केन्द्र, 912, रहेजा सेंटर, फ्री प्रेस जर्नल हाउस, नरिमान पॉइंट मुंबई-400021.

**बॉन्ड / डिबेंचर के लिए**

बिगशेयर सर्विसेस प्रा.लि ई-2, अनसा इंडस्ट्रियल एस्टेट, साकीनाका, अंधेरी (पूर्व) मुंबई- 400072 फोन -022-4043200, फैक्स 022-28475207 ई मेल : info@bigshareonline.com

उपर्युक्त के अलावा, निवेशक निम्नलिखित पते पर बैंक के शेयर विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं:

स्टार हाउस, 8 वीं मंजिल, पूर्वी खण्ड, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, फोन 022-66684444, फैक्स - 022-66684491, ई-मेल : headoffice.share@bankofindia.co.in

बेहतर निवेशक सेवाएं मुहैया कराने के लिए और शेयर अंतरण प्रणाली को तीव्र बनाने के लिए बैंक शेयरों के अंतरण/प्रेषण का प्रोसेस साप्ताहिक आधार पर करता है और शेयर अंतरण समिति को मासिक आधार पर मामले की रिपोर्ट करता है। बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बंध) विनियमन 2007 के प्रावधानों के अनुसार शेयर अंतरण समिति, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक और दो अन्य निदेशकों से गठित की गई है। वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं। 31.03.2015 तक अंतरण के लिए प्राप्त सभी प्रमाण-पत्रों को प्रोसेस किया गया और प्रेषित किया गया।

**आम सभा की बैठकें :**

बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	स्थान	पारित विशेष संकल्प
1 असाधारण आम बैठक	07.03.2015 पूर्वाह्न 11.00 बजे	बैंक ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा	इक्विटी शेयरों का अधिमानी निर्गम
2 असाधारण आम बैठक	17.10.2014 पूर्वाह्न 10.30 बजे	कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051,	शेयरधारकों का चुनाव
3 अठारहवीं वार्षिक आम बैठक	10.07.2014 अपराह्न 3.00 बजे		इक्विटी शेयर के मुद्दे/ टियर I या टियर II पूंजी की बढ़ोत्तरी

**Directors Promotion Committee**

The Members of this committee are the Chairperson and Managing Director, Government Nominee Director and RBI Nominee Director. During the financial year it met on the following dates.

**Attendance of the Directors at the last Annual General Meeting**

Smt. V. R. Iyer, Shri B. P. Sharma, Shri Arun Shrivastava, Shri R. Koteeswaran, Shri A. M. Pereira, Shri R. L. Bishnoi and Shri P. M. Sirajuddin attended the last i.e., Eighteen Annual General Meeting of the Bank held on 10.07.2014.

**Share Transfers and Redressal of Shareholders` Grievances:**

Share Transfers, Dividend / interest payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgement of any of these documents and for queries/ complaints /grievances, shareholders and investors are requested to contact

**For Equity Shares**

Sharepro Services (India) Pvt. Ltd. , Unit-Bank of India, 13AB, Samhita Warehousing Complex 2<sup>nd</sup> Floor, Near Sakinaka Telephone Exchange, Off. Andheri Kurla Road, Sakinaka, Andheri (East), Mumbai - 400 072 Phone 022-67720300, Fax- 022-28591568, E-mail : sharepro@shareproservices.com

**OR at**

Sharepro Services (India) Pvt. Ltd., Investor Relation Centre, 912, Raheja Centre, Free Press Journal House, Nariman Point, Mumbai 400 021.

**For Bonds/ Debentures**

Bigshare Services Pvt. Ltd. E-2, Ansa Industrial Estate, Sakinaka, Andheri (E) Mumbai-400 072 Phone-022-4043200, Fax-022-28475207 Email: info@bigshareonline.com

Apart from the above, investors may also contact the Bank at its Investor Relations Department at

Star House, 8<sup>th</sup> Floor, East Wing, C-5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051, Phone 022-66684444, Fax- 022-66684491, E-mail: headoffice.share@bankofindia.co.in

With a view to speed up the share transfer system for the better investor's services, Bank is processing the transfer / transmission of shares on weekly basis and reports the matter to Share Transfer Committee on monthly basis. The Share Transfer committee is comprising of the Chairperson & Managing Director and in her absence Executive Director of the Bank and two other directors in terms of the provisions of Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2007. The committee met 4 times in the year. All the share certificates received for transfer upto 31.03.2015 have been processed and dispatched.

**General Body Meetings:**

Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Special Resolution passed
1 Extra ordinary General Meeting	07.03.2015 11.00 A.M.	Bank of India Auditorium, Star House,	Preferential Issue of Equity Shares
2 Extra ordinary General Meeting	17.10.2014 10.30 A.M.	Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.	Election of Shareholder Directors
3 Eighteenth Annual General Meeting	10.07.2014 3.00 P.M.		Issue of Equity Shares/Raising of Tier I or Tier II capital

बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	स्थान	पारित विशेष संकल्प
4 असाधारण आम बैठक	03.12.2013 पूर्वाह्न 11.00 बजे	बैंक ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा	इक्विटी शेयरों का अधिमानी निर्गम
5 सत्रहवीं वार्षिक आम बैठक	29.06.2013 पूर्वाह्न 11.00 बजे	कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051	
6 असाधारण आम बैठक	01.03.2013 अपराह्न 3.00 बजे		इक्विटी शेयरों का अधिमानी निर्गम
7 सोलहवीं वार्षिक आम बैठक	29.06.2012 अपराह्न 3.00 बजे		-

Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Special Resolution passed
4 Extra ordinary General Meeting	03.12.2013 11.00 A.M.	Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	Preferential Issue of Equity Shares
5 Seventeenth Annual General Meeting	29.06.2013 11.00 A.M.		-
6 Extra ordinary General Meeting	01.03.2013 3.00 P.M.		Preferential Issue of Equity Shares
7 Sixteenth Annual General Meeting	29.06.2012 3.00 P.M.		-

**प्रकटन :**

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अंतर्गत बैंक शासित है। सेबी ने यह स्पष्ट किया है जो कंपनियों सूचीबद्ध नहीं है किंतु कार्पोरेट निकाय हैं (जैसे निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां आदि) उन्हें अन्य संविधि के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, इनपर सूचीकरण करार का खंड 49 उस सीमा तक लागू है जहां उनके नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा संबंधित संविधि का उल्लंघन न हो सके।

**i) निदेशकों का पारिश्रमिक:**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंक स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क, जो कि निम्नलिखित है, के अलावा अन्य किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता है:

बोर्ड बैठकों के लिए : ₹ 10,000/- प्रति बैठक  
समिति बैठकों के लिए : ₹ 5,000/- प्रति बैठक

**ii) महत्वपूर्ण संव्यवहारों और आर्थिक संबंधों का प्रकटन**

बैंक कारोबार की सामान्य प्रकृति के अलावा बैंक ने कोई महत्वपूर्ण भौतिक संव्यवहार (मियादी जमा रसीद धारक कंपनियों से संबंधित बंधक/ग्रहणाधिकार के विरुद्ध सीमा को छोड़कर) इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों अथवा संबंधियों आदि से नहीं किया है जिसका बैंक के हितों से कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास हो सकता हो। बैंक और इसके गैर-कार्यपालक निदेशक के बीच वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुए हैं।

बैंकिंग में यह सुस्थापित प्रथा है कि निदेशक, मंडल और मंडल की उप समितियों की उन चर्चाओं में भाग नहीं लेते हैं जब उनसे संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता हो।

**iii) सार्वजनिक निर्गमों, अधिकार निर्गमों, अधिमान्य निर्गमों आदि की आगम राशियाँ समीक्षाधीन वर्ष के दौरान टियर - I , टियर - II पूंजी को बढ़ाने के लिए बैंक ने निम्न लिखित जारी किए हैं :-**

लिखित का नाम	बॉन्ड/शेयरों की संख्या	अभिदाता का नाम	जारी करने की तिथि	प्रति बॉन्ड/शेयर निर्गम मूल्य	अर्जित की गयी राशि (₹ करोड़ में)
अतिरिक्त टियर I बांड	25000	विभिन्न	08.08.2014	10 लाख	2500.00
प्रत्येक ₹.10/- के इक्विटी शेयर*	2,00,00,000	एलआईसी और योजनाएं	19.03.2015	283.50	567.00
	26,45,502	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कं.लि.			75.00

\* अंकित मूल्य ₹10/- प्रति शेयर, प्रिमियम प्रति शेयर ₹ 273.50

**Disclosures :**

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. SEBI has clarified that for listed entities which are not companies, but body corporate (e.g. private and public sector banks, financial institutions, insurance companies etc.) incorporated under other statutes, clause 49 of the listing agreement will apply only to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines issued by the relevant regulatory authorities.

**i) Remuneration of Directors:**

The remuneration of the Chairman & Managing Director and the Executive Director is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the independent directors excepting sitting fees which is as under:

For Board Meeting : ₹ 10,000/- per meeting  
For Committee Meeting : ₹ 5,000/- per meeting

**ii) Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship**

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction (except limits against pledge/lien of related companies own term deposit receipt) own with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-a-vis the bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.

**iii) Proceeds From Public issues, Right issues, Preferential issues etc.**

During the year under review, the. Bank has issued the following instruments to raise the Tier-I / Tier-II capital:-

Name of the Instrument	Number of Bonds/ Shares	Name of Subscribers	Date of Issue	Issue Price, per bond / share	Amount Raised (₹ In Crores)
Additional Tier I Bond	25000	Various	08.08.2014	10 lakhs	2500.00
Equity Share of ₹ 10/-*	2,00,00,000	LIC & Schemes	19.03.2015	283.50	567.00
	26,45,502	The New India Assurance Co Ltd			75.00

\*Face Value of ₹10/- per share, Premium per share ₹ 273.50.

पूँजी पर्याप्तता अनुपात को सशक्त करने के लिए तथा बैंक की लंबी अवधि के खाँतो को विकसित करने के लिए संवर्धित टियर I तथा II के प्राथमिक उद्देश्य सहित निधि बढ़ाई गई तथा इस उद्देश्य हेतु उसका उपयोग किया गया।

- iv. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक पर पूँजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया।
- v. स्टॉक एक्सचेंज के साथ बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सूचीकरण करार की धारा 47 (सी) के अंतर्गत किए गए करार के द्वारा अंतरण करने, प्रेषण, उप विभाजन, समेकन, नवीनीकरण एवं प्रस्तुतीकरण के एक माह के भीतर इक्विटी शेयर्स के विनिमय के संबंध में जानकारी के साथ-साथ व्यावसायिक कंपनी सचिव से प्रत्येक छः माह में एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। यह प्रमाण पत्र बीएसई और एनएसई को 30 दिनों के भीतर जहां इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है, प्रेषित किए जाते हैं तथा निदेशक मंडल के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।
- vi. सेबी के परिपत्र सं. डी एवं सीसी/एफआईटीटीसी/सीआइआर- 16 दिनांक 31 दिसंबर, 2002 की शर्तों के अनुसार विशेषागारों के साथ कुल प्रविष्ट इक्विटी शेयर पूँजी के समाधान एवं बैंक ऑफ इंडिया की कुल जारी/प्रदत्त इक्विटी पूँजी सहित प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किए जाने के प्रयोजन के साथ-साथ प्रैक्टिस करने वाले कंपनी सचिव की फर्म द्वारा तिमाही आधार पर एक सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट की जाती है। इस संबंध में जारी प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं एवं बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाते हैं जहां बैंक ऑफ इंडिया के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध रहते हैं।
- vi. वर्तमान में बैंक के पास कोई भौतिक अनुषंगी नहीं है।
- vii. निष्पक्ष निदेशकों की बैठक - वर्ष में कम से कम एक बार बैंक को निष्पक्ष निदेशकों की बैठक आयोजित करनी चाहिए।
- ix. निष्पक्ष निदेशकों का प्रशिक्षण :- वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक के कारोबारी मॉडल तथा उद्योग की प्रकृति से परिचय कराने के लिए निदेशकों को निम्नलिखित प्रशिक्षण प्रदान किया गया -

The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier-I&II Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long- term resources of the Bank and the same were utilised for the said purpose.

- iv. No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the last three years.
- v. As required under clause 47[c] of the listing agreements entered into by Bank of India with stock exchanges a certificate is obtained every six months from a practising Company Secretary, with regard to, inter alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares in the within one month of the lodgement. The certificates are forwarded to BSE and NSE, where the equity shares are listed, within 30 days of issuance and also placed before the Board of Directors.
- vi. In terms of SEBI's circular No.D&CC/FITTC/CIR-16 dated December 31, 2002 a Reconciliation of capital Report is conducted on a quarterly basis by a firm of practising company secretaries, for the purpose of, inter alia, reconciliation of the total admitted equity share capital with the depositaries and in the physical form with the total issued/paid up equity capital Bank of India. Certificate issued in this regard is placed before the Board of Directors and forwarded to BSE and NSE, where the equity shares of Bank of India are listed.
- vii. At present the Bank does not have any material subsidiary.
- viii. Independent Directors Meeting- The Bank will hold atleast once in a year separate meeting of Independent Directors.
- ix. Training of Independent Directors- During the year 2014-15 the Bank has provided the following training to Directors to familiarize them with the nature of industry and business model of the Bank -

तारीख	निदेशकों के नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम
17.11.2014	1. डॉ आर.एल. बिश्नोई 2. श्री संजीव कुमार अरोड़ा	सीएफआरएएल	गैर-कार्यपालक निदेशकों के लिए कार्यक्रम
08.01.2015 से 09.01.2015	श्री नीरज भाटिया	आईआईसीए	बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के गैर-कार्यपालक निदेशकों के लिए अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम
30.01.2015 से 31.01.2015	श्री नीरज भाटिया	केपीएमजी	बोर्ड की प्रभावशीलता में वृद्धि
12.02.2015 से 13.02.2015	डॉ आर.एल. बिश्नोई	आईआईसीए	बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के गैर-कार्यपालक निदेशकों के लिए अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम
30.03.2015	1. श्री आर. पी. मराठे 2. श्री संजीव कुमार अरोड़ा	एनएसई	एनएसई में बोर्ड मूल्यांकन पर कार्यशाला

Date	Name of Directors	Name of Institute	Name of Course
17.11.2014	1. Dr. R. L. Bishnoi 2. Shri Sanjiv Kumar Arora	CAFRAL	Programme for Non-Executive Directors
08.01.2015 to 09.01.2015	Shri Neeraj Bhatia	IICA	Orientation Training Programme for Non-Executive Directors of Banks and Financial Institutions
30.01.2015 to 31.01.2015	Shri Neeraj Bhatia	KPMG	Improving Board Effectiveness
12.02.2015 to 13.02.2015	Dr. R. L. Bishnoi	IICA	Orientation Training Programme for Non-Executive Directors of Banks and Financial Institutions.
30.03.2015	1. Shri R. P. Marathe 2. Shri Sanjiv Kumar Arora	NSE	Workshop on Board Evaluation at NSE.

- x. निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण संहिता बैंक के वेबसाइट [www.bankofindia.co.in/aboutus](http://www.bankofindia.co.in/aboutus) पर पोस्ट किए गए।
- xi. सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसरण में पर्दाफाश करनेवाली नीति को सूत्रित किया गया। इसे बैंक के वेबसाइट [www.bankofindia.co.in/customercorner](http://www.bankofindia.co.in/customercorner) पर पोस्ट किया गया।
- xii. संबंधित पक्ष का लेनदेन : संबंधित पक्ष लेनदेन को लेखा समिति को रिपोर्ट किया जाता है। संबंधित पक्ष के लेनदेन पर बैंक की नीति को बैंक के वेबसाइट [www.bankofindia.co.in/customercorner](http://www.bankofindia.co.in/customercorner) पर पोस्ट किया गया। संबंधित पक्ष के लेनदेन का विस्तृत वर्णन एएस-18 के अंतर्गत है।
- xiii. पारिश्रमिक नीति - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों की पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। अन्य स्टाफ सदस्यों के वेतन का निर्धारण भारतीय बैंक संघ के साथ त्रिपक्षीय समझौता अनुसार होता है।

**संचार – साधन :**

तिमाही तथा अर्धवार्षिक परिणाम (अलेखापरीक्षित किंतु सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अध्यक्षीन) तथा लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम अंग्रेजी के इकानामिक टाइम्स/बिज़नेस स्टैंडर्ड/फाइनेन्शियल एक्सप्रेस/बिज़नेस लाइन में, मराठी में सकाल/नवशक्ति/लोकसत्ता/आपला महानगर में तथा हिन्दी में नवभारत टाइम्स/नवभारत में प्रकाशित हुआ। परिणाम को बैंक के वेबसाइट [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) पर भी प्रदर्शित किया गया है। संस्थागत निवेशकों को की गई प्रस्तुतियां भी बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सेबी तथा सूचीबद्ध करारनामा द्वारा आवश्यकतानुसार स्टॉक एक्सचेंज को भौतिक प्रेषण के साथ बैंक वित्तीय तथा अन्य सूचनाएं ऑनलाइन भी फाइल करती हैं।

**1 अप्रैल, 2015 से वित्तीय कलेंडर :**

बैंक के वित्तीय परिणामों पर विचार करने और लाभांश की सिफारिश करने के लिए बोर्ड की बैठक.	28 मई, 2015
19वीं वार्षिक आम-सभा का दिनांक, समय, स्थान	20 जुलाई, 2015 सुबह 11.00 बजे बैंक ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051.
वार्षिक रिपोर्ट के डाक प्रेषण की तारीख	24 जून, 2015
बही बंद करने की तारीखें	14 जुलाई से 20 जुलाई, 2015 तक
परोक्षी फॉर्म प्राप्त होने की अंतिम तारीख	13 जुलाई, 2015
लाभांश भुगतान की तारीख (यदि घोषित)	24 जुलाई, 2015
प्रथम 3 तिमाहियों के लिए गैर लेखा परीक्षित परिणामों पर विचार करने के लिए बोर्ड की बैठक	संबंधित तिमाही के 45 दिनों के अंतर्गत

**स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण :**

बैंक के शेयरों का बीएसई लि., नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. में सूचीकरण किया गया है। स्टॉक स्क्रिप कोड निम्नानुसार है:

बीएसई लि.	BSE Ltd.	532149
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई)	National Stock Exchange of India Limited (NSE)	BANKINDIA EQ
आईएसआईएन क्रमांक	ISIN Number	INE084A01016

उक्त दोनों स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

बैंक ने घरेलू बाजार में समय-समय पर ऋणपत्र के रूप में अपरिवर्तनीय बांड (टियर I एवं II पूंजी) जारी किये हैं उनसे संबंधित ब्योरा निम्नानुसार है

- x. Code of Conduct for Directors and Senior Management is posted on Bank's website- [www.bankofindia.co.in/aboutus](http://www.bankofindia.co.in/aboutus).
- xi. Whistle Blower Policy in terms of CVC guidelines has been formulated. The same is posted Bank's website- [www.bankofindia.co.in/customercorner](http://www.bankofindia.co.in/customercorner).
- xii. Related Party transaction- The Related party transactions are reported to Audit Committee. The Bank's policy on Related Party transaction is posted Bank's website- [www.bankofindia.co.in/customercorner](http://www.bankofindia.co.in/customercorner). The details of related party transactions are as detailed under AS-18.
- xiii. Remuneration Policy- The remuneration of the Chairperson and Managing Director and Executive Directors is fixed by the Government of India. Salary of the other staff members is as per the tripartite agreement of the IBA.

**Means of Communication:**

The quarterly and half-yearly financial results (unaudited but subject to limited review by the Statutory Auditors) and audited Annual results were published in the Economic Times/Business Standard/ Financial Express /Business Line in English, Sakal /Navshakti/Lokmat/ Apla Mahanagar in Marathi (Regional language) and Navbharat Times/Navbharat in Hindi. The results were also displayed on the Bank's website at [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in). The presentations made to institutional investors are also available on Bank's website

As required by SEBI and in the Listing Agreements, Bank of India, files its financial and other information online in addition to the physical submission to the Stock Exchange.

**Financial Calendar: From 1<sup>st</sup> April, 2015:**

Board Meeting for considering Annual Audited Accounts of Bank of India and recommendation of dividend	28 <sup>th</sup> May, 2015
Date, Time, Venue of 19 <sup>th</sup> AGM	20 <sup>th</sup> July, 2015 11 a.m. Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051.
Posting of Annual Report	24 <sup>th</sup> June, 2015
Book Closure dates	July 14 <sup>th</sup> to July 20 <sup>th</sup> , 2015
Last Date for receipt of proxy forms	July 13 <sup>th</sup> , 2015
Date of payment of dividend (if Declared)	24 <sup>th</sup> July, 2015
Board Meeting for considering Un-audited result for first 3 quarters	Within 45 days of the relevant quarter.

**Listing on Stock Exchanges**

The shares of the Bank are listed on BSE Ltd. and The National Stock Exchange of India Limited. The stock scrip codes are as follows:

Annual listing fee for 2015-16 has been paid to both of the stock exchanges.

The Bank has issued Non Convertible Bonds in the nature of Debentures (Tier I & II capital) from time to time in domestic market. The relevant details thereof are as under:

बैंक ऑफ इंडिया बांड टियर I एवं टियर II पूंजी स्थिति यथा 31.03.2015

Bank of India Bond – Tier I and Tier II Capital Position as on 31.03.2015

क्र. सं. Sr. No	निर्गम का विवरण	PARTICULARS OF THE ISSUE	कुल मूल्य (₹ करोड़ में) TOTAL VALUE (₹ in Crores)	आईएसआईएन नं. ISIN NO.
1	7.50% बीओआई श्रृंखला-VIII-2015*	7.50% BOI SERIES – VIII – 2015*	750.00	आईएनई/INE084A09084
2	8.00% बीओआई श्रृंखला-IX-2016	8.00% BOI SERIES – IX – 2016	200.00	आईएनई/INE084A09100
3	9.80% बीओआई श्रृंखला-X-2023	9.80% BOI SERIES – X – 2023	1000.00	आईएनई/INE084A08037
4	9.80% बीओआई श्रृंखला-XI-2023	9.80% BOI SERIES – XI – 2023	500.00	आईएनई/INE084A08045
5	9.35% अप्पर टियर II श्रृंखला-I-2021	9.35% UPPER TIER II SERIES – I – 2021	732.00	आईएनई/INE084A09118
6	11.15% अप्पर टियर II श्रृंखला-II-2023	11.15% UPPER TIER II SERIES – II – 2023	500.00	आईएनई/INE084A09159
7	8.45% अप्पर टियर II श्रृंखला-III-2024	8.45% UPPER TIER II SERIES – III – 2024	500.00	आईएनई/INE084A09175
8	8.50% अप्पर टियर II श्रृंखला-IV-2024	8.50% UPPER TIER II SERIES – IV – 2024	500.00	आईएनई/INE084A09183
9	8.54% अप्पर टियर II श्रृंखला-V-2025	8.54% UPPER TIER II SERIES – V – 2025	1000.00	आईएनई/INE084A09209
10	8.48% अप्पर टियर II श्रृंखला-VI-2025	8.48% UPPER TIER II SERIES – VI – 2025	1000.00	आईएनई/INE084A09217
11	10.55% आईपीडीआई बांड-श्रृंखला I	10.55% IPDI Bonds-Series I	400.00	आईएनई/INE084A09126
12	10.45% आईपीडीआई बांड-श्रृंखला II	10.45% IPDI Bonds-Series II	100.00	आईएनई/INE084A09134
13	10.40% आईपीडीआई बांड-श्रृंखला III	10.40% IPDI Bonds-Series III	155.00	आईएनई/INE084A09142
14	8.90% आईपीडीआई बांड-श्रृंखला IV	8.90% IPDI Bonds-Series IV	400.00	आईएनई/INE084A09167
15	9.00% आईपीडीआई बांड-श्रृंखला V	9.00% IPDI Bonds-Series V	325.00	आईएनई/INE084A09191
16	9.05% आईपीडीआई बांड-श्रृंखला VI	9.05% IPDI Bonds-Series VI	300.00	आईएनई/INE084A09225
17	11.00% अतिरिक्त टियर I श्रृंखला I	11.00% Additional Tier I Series I	2500.00	आईएनई/INE084A08052
	<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10862.00</b>	

\*16 अप्रैल, 2015 को भुगतान किया गया।

इन सभी बांडों का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लि. में सूचीकरण किया गया है तथा बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2015-16 का वार्षिक शुल्क अदा किया है।

**ऋण श्रेणी निर्धारण :**

एजेंसी	दी गई रेटिंग
मूडीस इन्वेस्टर सर्विस ( मूडीस)	Baa3 / P-3/Ba2
स्टैंडर्ड एवं पूअर (एस एवं पी)	BBB (-)
क्रेडिट एनालिसिस एवं रिसर्च लि. ( सीएआरआई)	CARE AAA
सावधि जमा कार्यक्रम हेतु आईसीआरए	MAAA
बांड हेतु आईसीआरए	AA+
कॉर्पोरेट शासन प्रणाली हेतु आईसीआरए	CGR2
सीआरआईएसआईएल (क्रिसिल) लि. - बांड्स हेतु	AAA
सीआरआईएसआईएल (क्रिसिल) लि. - जमाराशियों के प्रमाण पत्र हेतु	A1+
ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्रा. लि. - बांड्स हेतु	BWR AAA

**शेयरों का अमूर्तीकरण**

बैंक के शेयरों का लेन-देन अनिवार्य रूप से केवल अमूर्त (डिमाट) रूप में किया जाता है। बैंक ने शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए दोनों निक्षेपागारों यथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल) एवं केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया है।

\*Redeemed on 16.04.2015

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd and the Bank has paid the Annual listing fee for 2015-2016 to the Stock Exchange.

**Credit Ratings**

Agency	Rating Assigned
Moody's Investor Service (Moody's)	Baa3 / P-3/Ba2
Standard & Poor's (S&P)	BBB (-)
Credit Analysis & Research Limited (CARE)	CARE AAA
ICRA for Term Deposit Programme	MAAA
ICRA for Bonds	AA+
ICRA for Corporate Governance	CGR2
CRISIL Limited – For Bonds	AAA
CRISIL Limited – For Certificate of Deposits	A1+
Brickwork Ratings India Pvt Limited-For Bonds	BWR AAA

**Dematerialisation of Shares**

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

31/03/2015 को शेयरधारकों द्वारा प्रत्यक्ष एवं अमूर्त रूप से धारित शेयरों का ब्योरा निम्नानुसार है :

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31/03/2015 are as under:

		शेयरधारकों की संख्या No. of share holders	शेयरों की संख्या No. of shares	शेयरधारण का % shareholding%
सीडीएसएल	CDSL	52891	439288384	66.07
एनएसडीएल	NSDL	102223	209787444	31.55
प्रत्यक्ष	Physical	104155	15832687	2.38
कुल	Total	259269	664908515	100.00

शेयरधारण पैटर्न यथा 31.03.2015

Shareholding Pattern as on 31.03.2015

शेयरधारकों का प्रवर्ग	Category of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या Number of Shareholders	शेयरों की संख्या Number of Shares	शेयरधारिता % % of Holding
केन्द्रीय सरकार (प्रवर्तक)	Central Government (Promoters)	1	428367513	64.43
म्यूचुअल फंड/यूटीआई	Mutual Funds / UTI	60	6332677	0.95
वित्तीय संस्थाएं/बैंक	Financial Institutions / Banks	30	1989130	0.30
बीमा कंपनियां	Insurance Companies	37	114039792	17.15
कार्पोरेट निकाय	Bodies Corporate	2020	13510151	2.03
एकल व्यक्ति	Individuals	254851	42559593	6.40
अनिवासी भारतीय/ओसीबी	Non Resident Indians/ OCB	2117	2806023	0.42
विदेशी संस्थागत निवेशक	Foreign Institutional Investors	153	55303636	8.32
कुल	Total	259269	664908515	100.00

पब्लिक शेयरधारक का विवरण जिनकी शेयरधारिता 1% से अधिक है

Shareholding of persons (Public) holding more than 1% of the total number of shares

शेयरधारक का नाम	Name of the Shareholder	शेयरों की संख्या Number of Shares	शेयरधारिता % % of Holding
भारतीय जीवन बीमा निगम	Life Insurance Corporation of India	99281603	14.93
द न्यू इंडिया एश्योरेन्स कं. लि.	The New India Assurance Co. Ltd	7171643	1.08

लॉक्ड-इन शेयर दर्शाने वाला विवरण

Statement Showing locked in Shares

शेयरधारक का नाम	Name of the Shareholder	लॉक्ड-इन शेयरों की संख्या Number of locked in Shares	कुल शेयरों के % के रूप में लॉक्ड-इन शेयर Locked in shares as a % of total number of shares
भारत के राष्ट्रपति	President of India	68482643	10.30
भारतीय जीवन बीमा निगम	Life Insurance Corporation of India and Schemes	20000000	3.01
द न्यू इंडिया एश्योरेन्स कं. लि.	The New India Assurance Co. Ltd	2645502	0.40

शेयरधारिता का संवितरण यथा दिनांक 31 मार्च, 2015 :-

Distribution of Shareholdings as on 31<sup>st</sup> March, 2015

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या No of Equity Shares held		फोलियो Folio		शेयर Shares	
		संख्या Nos.	प्रतिशत %age	संख्या Nos.	प्रतिशत %age
500 तक	Upto 500	248496	95.84	29473082	4.43
501 से 1000	501 to 1000	6998	2.70	5181426	0.78
1001 से 5000	1001 to 5000	3011	1.16	6247926	0.94
5001 से 10000	5001 to 10000	274	0.11	2019342	0.30
10001 एवं इससे अधिक	10001 & above	490	0.19	621986739	93.55
कुल	Total	259269	100.00	664908515	100.00

**शेयर मूल्य/मात्रा :**

एनएसई में मासिक रूप से उच्च एवं निम्न भाव (कोटेशन) एवं शेयरों के लेन-देन की मात्रा निम्नानुसार है :-


**Share Price/Volume:**

The monthly high and low quotation and the volume of Shares traded on NSE are as under:-


अवधि	Period	अधिकतम रु. Highest ₹	न्यूनतम रु. Lowest ₹	शेयरों के लेन-देन की मात्रा Volume of shares traded
अप्रैल, 2014	April, 2014	247.00	210.75	84476668
मई, 2014	May, 2014	357.00	230.10	131925496
जून, 2014	June, 2014	332.70	275.50	114422592
जुलाई, 2014	July, 2014	309.80	256.25	95752786
अगस्त, 2014	August, 2014	297.50	262.25	58410434
सितंबर, 2014	September, 2014	301.40	230.05	68492916
अक्टूबर, 2014	October, 2014	287.30	224.60	54050302
नवंबर, 2014	November, 2014	296.70	269.00	62089345
दिसंबर, 2014	December, 2014	305.50	271.45	80327641
जनवरी, 2015	January, 2015	311.95	261.55	64983596
फरवरी, 2015	February, 2015	276.90	221.20	79889954
मार्च, 2015	March, 2015	250.00	191.50	58295631
यथा 31.03.2015 का अंतिम मूल्य	Closing Price as on 31.03.2015			₹ 195.85 (NSE)
बाजार पूंजीकरण (कुल शेयरों पर आधारित)	Market Capitalisation (based on total shares)			₹ 13022.23 Crore

**व्यापकता आधारवाले संकेतकों की तुलना में कार्य-निष्पादन  
Performance in comparison to Broad Based Indices**

**एनएसई पर बैंक ऑफ इंडिया शेयर मूल्य  
Bank of India Share Price on NSE**



**बीएसई पर बैंक ऑफ इंडिया शेयर मूल्य  
Bank of India Share Price on BSE**



**कॉर्पोरेट शासन के अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन का प्रमाणपत्र**

स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेट शासन प्रणाली के अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है।

**अनिवार्य, गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन**

बैंक ने सूचीबद्धता करार के खण्ड 49 की अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और कथित खण्ड की गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं के संबंध में बैंक ने उसे अपनाया नहीं है। इसके कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है :-

**Certificate of compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance**

The certificate issued by the statutory auditors of the Bank, regarding compliance of mandatory stipulations of corporate governance in terms of the listing agreement with the Stock Exchange is attached.

**Compliance of Mandatory / Non Mandatory Requirements.**

The Bank has complied with the mandatory requirements of clause 49 of the Listing Agreement in respect of non mandatory requirements of the said clause, the Bank has not adopted the same. The status of its implementation is as under:

क्र. सं. Sr No.	गैर अनिवार्य अपेक्षाएं Non Mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of implementation
1	<b>बोर्ड</b> – एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय रखने के लिए हकदार <b>The Board</b> - A non executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the Company's expense	लागू नहीं, क्योंकि अध्यक्ष का पद कार्यपालक का है। Not applicable, since the Chairman's Position is Executive



क्र. सं. Sr No.	गैर अनिवार्य अपेक्षाएं Non Mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of implementation
2	<p><b>शेयरधारकों का अधिकार</b>— विगत छः महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा शेयरधारकों को भेजी जा सकती है।</p> <p><b>Shareholder's Rights</b> - A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to shareholders.</p>	<p>तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरण एवं प्रमुख विशेषताएं एनएसई और बीएसई को भेजी जाती है और अखबारों में प्रकाशित की जाती है तथा बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है। अतः शेयरधारकों को वार्षिक सूचना व्यक्तिशः भेजी जाती है।</p> <p>The quarterly/year to date/ Annual Financial Results are sent to NSE &amp; BSE &amp; published in Newspapers and placed on Bank's website including highlights. As such annual information to Shareholders is being sent individually.</p>
3	<p><b>लेखा परीक्षा अर्हता</b>— बैंक अनकालिफाइड फैनैन्शियल स्टेटमेंट की प्रथा की ओर अग्रसर हो सकता है।</p> <p><b>Audit Qualification</b> - Bank may move towards a regime of unqualified financial statements.</p>	<p>बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरण अनकालिफाइड हैं। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और खातों पर टिप्पणियां अनुसूचियों में उपलब्ध हैं जो कि वर्णनात्मक प्रकृति के हैं।</p> <p>The bank's Annual Financial Statements are unqualified. Significant Accounting Policies and Notes to Accounts are contained in schedules, which are explanatory in nature.</p>
4	<p><b>अध्यक्ष एवं सीईओ के पृथक पद</b> – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /सीईओ के पद के लिए बैंक अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।</p> <p><b>Separate posts of Chairman and CEO</b> - The Bank may appoint separate persons to the post of Chairman and Managing Director/ CEO.</p>	<p>लागू नहीं, क्योंकि अध्यक्ष का पद कार्यपालक का है।</p> <p>Not applicable, since the Chairman's Position is Executive.</p>
5	<p><b>आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टिंग</b> – आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।</p> <p><b>Reporting of Internal Auditor</b> - The Internal auditor may report directly to the Audit Committee.</p>	<p>बैंक का निरीक्षण और लेखा परीक्षा विभाग नियमित रूप से विभिन्न लेखा निष्कर्षों को लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत करता है।</p> <p>Inspection and Audit Department of the Bank regularly submits the details of various audit findings to the audit committee</p>

बोर्ड के निदेशकों के लिए एवं उनकी ओर से

For and on behalf of the Board of Directors

स्थान : मुंबई  
दिनांक: 28 मई, 2015

ह/  
(श्रीमती वी आर अय्यर)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Place : Mumbai  
Date : 28th May, 2015

Sd/-  
(Mrs. V. R. Iyer)  
Chairperson & Managing Director

## काॉर्पोरेट नियंत्रण पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य  
स्टार हाऊस, सी-5, जी ब्लॉक,  
बान्द्रा-कुर्ला संकुल,  
बांद्रा (पूर्व),  
मुंबई - 400 051

हमने उक्त बैंक का स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 में दी गई शर्त के अनुसार 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ऑफ इंडिया द्वारा काॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

काॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जांच काॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली तथा उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह बैंक के वित्तीय विवरणों की न तो लेखा परीक्षा है और न ही मत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर उल्लेख किए गए सूचिकरण करार के अनुसार बैंक ने काॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों को पूरा किया है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी गाइडेंस नोट की आवश्यकताओं के अनुसार हम अभिव्यक्त करते हैं कि शेयरहोल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स ग्रीवन्स समिति द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार बैंक के विरुद्ध ऐसी कोई निवेशक शिकायत लंबित नहीं है जो एक महीने से अधिक हो।

हम यह भी अभिव्यक्त करते हैं कि यह अनुपालन न तो भविष्य में बैंक की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक की दक्षता या प्रभावशीलता से संचालन से संबन्धित है।

**The Members of Bank of India,  
Star House, C-5, 'G' Block,  
Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (East),  
Mumbai - 400 051.**

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of India for the year ended 31st March, 2015 as stipulated in Clause 49 of the listing agreement of the said Bank with Stock Exchanges.

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the bank for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

As required by the Guidance Note issued by the Institute of Chartered Accountants of India, we have to state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the bank as per the records maintained by the Shareholders' and Investors' Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

मेसर्स इसाक एंड सुरेश  
M/s. Isaac & Suresh  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 001150एस) (FRN 001150S)

के विजय मोहन वालियथन K.Vijaya Mohan Valiathan  
भागीदार Partner  
सदस्यता सं. 028648 M. No. 028648

मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय M/s. J. P. Kapur & Uberai  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 000593एन) (FRN 000593N)

दीपक मेनन Deepak Menon  
भागीदार Partner  
सदस्यता सं. 084225 M. No. 084225

मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कं.  
M/s. M. M. Nissim and Co.  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 107122डब्ल्यू) (FRN 107122W)

संजय खेमानी Sanjay Khemani  
भागीदार Partner  
सदस्यता सं. 044577 M. No. 044577

मेसर्स ग्रोवर लल्ला एंड मेहता M/s Grover, Lalla & Mehta  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 002830एन) (FRN 002830N)

अशोक ग्रोवर Ashok Grover  
भागीदार Partner  
सदस्यता सं. 081784 M.No. 081784

मेसर्स डी सिंह एंड कं.  
M/s. D. Singh & Co.  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 001351एन) (FRN 001351N)

सिमरन सिंह Simran Singh  
भागीदार Partner  
सदस्यता सं. 098641 M. No. 098641

मेसर्स बी रत्न एंड एसोशिएट्स M/s. B.Rattan & Associates  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 011798एन) (FRN 011798 N )

राकेश कुमार Rakesh Kumar  
भागीदार Partner  
सदस्यता सं. 095399 M.No.095399

## सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

## CEO / CFO Certification

निदेशक मंडल  
बैंक ऑफ इंडिया  
मुंबई  
महोदय,

Board of Directors,  
Bank of India,  
Mumbai  
Dear Sir,

## विषय: वर्ष 2014-15 के लिए सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

## Re: CEO/CFO Certification for the year 2014-15

बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ सूचीकरण करार के खंड 41 एवं 49 के आधार पर हम, एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि :

Pursuant to clause 41 and 49 of the Listing Agreement with BSE Limited and National Stock Exchange Limited, we hereby certify that:

क) वर्ष 2014-15 हेतु हमने वित्तीय विवरण और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

a. We have reviewed financial statement and the cash flow statement for the year 2014-15 and that to the best of our knowledge and belief:

1) इन विवरणों में कोई तात्त्विक रूप से गलत विवरण नहीं है अथवा इनमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य छोड़ा नहीं गया है अथवा इसमें कोई ऐसे कथन नहीं है जो भ्रम की स्थिति पैदा करते हों।

i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading:

2) ये सभी विवरण मिलकर बैंक की गतिविधियों का सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ये वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।

ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है जो धोखाधड़ी पूर्ण हो, अवैध हो अथवा जो कि बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रकों की स्थापना एवं रखरखाव की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन अथवा डिज़ाइन में कमियों का खुलासा लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति के समक्ष किया है। अगर ऐसी कमी की जानकारी हमें है तो उन कमियों को दूर करने हेतु हमने कदम उठाए हैं या कदम उठाया जाना प्रस्तावित है।

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

घ) हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समितियों को यह सूचित किया है:-

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन

i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year.

2) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका प्रकट वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में किया गया है और

ii. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and

3) अगर किसी ऐसी बड़ी धोखाधड़ी की हमें जानकारी मिली हो और जिसमें प्रबंधन अथवा वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला कोई कर्मचारी शामिल हो।

iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

कृते बैंक ऑफ इंडिया

For Bank of India

ह/  
(अनंत उपाध्याय)  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
स्थान : मुंबई

(श्रीमती वी आर अय्यर)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
दिनांक : 28 मई, 2015

Sd/-  
(Anant Upadhyay)  
Chief Financial Officer  
Place: Mumbai

Sd/-  
(Mrs. V. R. Iyer)  
Chairperson & Managing Director  
Date: 28<sup>th</sup> May, 2015

## मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा घोषणा

## DECLARATION BY CEO

बैंक ने सभी निदेशकों और कोर प्रबंधन के लिए आचरण संहिता निर्धारित की है, जिसका सार बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। निदेशकों तथा कोर प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2015 की समाप्ति के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the directors and Core Management of the Bank, the text of which is posted on the Bank's website. The Directors and Core Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2015.


ह/  
स्थान : मुंबई  
दिनांक : 28 मई, 2015

(श्रीमती वी आर अय्यर)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Sd/-  
Place: Mumbai  
Date: 28<sup>th</sup> May, 2015

(Mrs. V. R. Iyer)  
Chairperson & Managing Director

यह पृष्ठ खाली छोड़ा गया है  
THIS PAGE HAS BEEN LEFT BLANK



**बैंक ऑफ इंडिया**

**तुलन पत्र**

यथा 31 मार्च, 2015

और

**लाभ व हानि खाता**

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

**BANK OF INDIA**

**BALANCE SHEET**

As at 31<sup>st</sup> March, 2015

&

**PROFIT AND LOSS ACCOUNT**

For the Year Ended 31<sup>st</sup> March, 2015

तुलन-पत्र यथा 31 मार्च, 2015

**BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH, 2015**

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	अनुसूची संख्या Schedule No	यथा As at 31-03-2015 ₹	यथा As at 31-03-2014 ₹
<b>I. पूँजी एवं देयताएं</b>	<b>CAPITAL AND LIABILITIES</b>		
पूँजी	Capital	6,656,476	6,430,021
आरक्षित एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	307,810,912	292,800,820
जमाराशियां	Deposits	5,319,066,346	4,769,740,518
उधार	Borrowings	400,571,379	484,275,103
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	152,872,459	178,655,527
<b>जोड़</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6,186,977,572</b>	<b>5,731,901,989</b>
<b>II. आस्तियां</b>	<b>ASSETS</b>		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियां	Cash and balances with Reserve Bank of India	271,700,328	190,734,437
बैंक में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	Balances with Banks and money at call and short notice	492,336,628	423,088,501
निवेश	Investments	1,197,920,482	1,141,524,370
अग्रिम	Advances	4,020,255,465	3,707,335,364
अचल आस्तियां	Fixed Assets	58,855,350	57,860,574
अन्य आस्तियां	Other Assets	145,909,319	211,358,743
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6,186,977,572</b>	<b>5,731,901,989</b>
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	1,745,014,617	2,524,692,968
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection	264,123,884	214,829,799
महत्वपूर्ण लेखा नितियां	Significant Accounting Policies		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes to Accounts		

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म ए के अनुसार तुलन-पत्र तैयार किया गया है।

The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form 'A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

श्रीमती वी. आर. अच्यर  
**Mrs. V.R. Iyer**  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
Chairperson and  
Managing Director

बि. पी. शर्मा  
**B.P. Sharma**  
कार्यपालक निदेशक  
Executive Director

आर. पी. मराठे  
**R. P. Marathe**  
कार्यपालक निदेशक  
Executive Director

आर. ए. शंकर नारायणन  
**R. A. Sankara Narayanan**  
कार्यपालक निदेशक  
Executive Director

अनंत उपाध्याय  
**Anant Upadhyay**  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Chief Financial Officer

**निदेशकगण DIRECTORS**

अनूप वधावन Anup Wadhawan  
आर. एल. बिश्नोई R. L. Bishnoi

एस. एस. बारिक S. S. Barik  
नीरज भाटिया Neeraj Bhatia

हरविंदर सिंह Harvinder Singh  
डी हरिश D Harish

ए. एम. पेरेरा A. M. Pereira  
संजीव कुमार अरोरा Sanjiv Kumar Arora

**सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached**

मेसर्स इसाक एंड सुरेश  
M/s. Isaac & Suresh  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 001150एस) (FRN 001150S)

के विजय मोहन वलियथन K. Vijaya Mohan Valiathan  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 028648 M. No. 028648

मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय M/s. J. P. Kapur & Uberai  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 000593एन) (FRN 000593N)

दीपक मेनन Deepak Menon  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 084225 M. No. 084225

मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कं.  
M/s. M. M. Nissim and Co.  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 107122डब्ल्यू) (FRN 107122W)

संजय खेमानी Sanjay Khemani  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 044577 M. No. 044577

मेसर्स ग्रोवर लल्ला एंड मेहता M/s. Grover, Lalla & Mehta  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 002830एन) (FRN 002830N)

अशोक ग्रोवर Ashok Grover  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 081784 M. No. 081784

मेसर्स डी. सिंह एंड कं.  
M/s. D. Singh & Co.  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 001351एन) (FRN 001351N)

सिमरन सिंह Simran Singh  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 098641 M. No. 098641

मेसर्स बी रतन एंड एसोशिएट्स M/s. B. Rattan & Associates  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 011798एन) (FRN 011798N)

राकेश कुमार Rakesh Kumar  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 095399 M. No. 095399

दिनांक : 28 मई, 2015 / Date : 28<sup>th</sup> May, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि खाता

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2015

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	अनुसूची संख्या Schedule No	को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31-03-2015 ₹	को समाप्त वर्ष For the Year Ended 31-03-2014 ₹
<b>I. आय</b>	<b>INCOME</b>		
अर्जित ब्याज	Interest earned	13	434,299,113
अन्य आय	Other income	14	42,326,956
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>		<b>476,626,069</b>
<b>II. खर्च</b>	<b>EXPENDITURE</b>		
खर्च किया गया ब्याज	Interest expended	15	320,862,461
परिचालन खर्च	Operating expenses	16	80,885,870
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions and Contingencies		57,788,514
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>		<b>459,536,845</b>
<b>III. लाभ</b>	<b>PROFIT</b>		
वर्ष का निवल लाभ	Net Profit for the year		17,089,224
जोड़ें: आगे लाया गया लाभ	Add: Profit brought forward		0
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>		<b>17,089,224</b>
<b>IV. विनियोग</b>	<b>APPROPRIATIONS</b>		
कानूनी आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		4,300,000
राजस्व आरक्षित को अंतरण	Transfer to Revenue Reserve		2,404,214
पूँजी आरक्षित को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		887,822
विशेष आरक्षित (से)/को अंतरण - करेंसी स्वैप	Transfer (from)/to Special Reserve - Currency Swap		0
अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Final Dividend ( including dividend tax )		3,997,188
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित	Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961		5,500,000
<b>जोड़</b>	<b>TOTAL</b>		<b>17,089,224</b>
प्रति शेयर अर्जन (₹)	Significant Accounting Policies	17	
महत्वपूर्ण लेखा नितियां	Notes forming part of accounts	18	
लेखों पर टिप्पणियां	Earnings Per Share	₹	26.57
			44.74

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म बी के अनुसार यह लाभ-हानि खाता तैयार किया गया है।

The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form 'B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

श्रीमती वी. आर. अय्यर  
Mrs. V.R. Iyer  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
Chairperson and  
Managing Director

बि. पी. शर्मा  
B.P. Sharma  
कार्यपालक निदेशक  
Executive Director

आर. पी. मराठे  
R. P. Marathe  
कार्यपालक निदेशक  
Executive Director

आर. ए. शंकर नारायणन  
R.A.Sankara Narayanan  
कार्यपालक निदेशक  
Executive Director

अनंत उपाध्याय  
Anant Upadhyay  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Chief Financial Officer

**निदेशकगण DIRECTORS**

अनूप वधावन Anup Wadhawan  
आर. एन. बिश्नोई R. L. Bishnoi

एस. एस. बारिक S. S. Barik  
नीरज भाटिया Neeraj Bhatia

हरविंदर सिंह Harvinder Singh  
डी हरिश D Harish

ए. एम. पेरेरा A. M. Pereira  
संजीव कुमार अरोरा Sanjiv Kumar Arora

**सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached**

मेसर्स इसाक एंड सुरेश  
M/s. Isaac & Suresh  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 001150एस) (FRN 001150S)  
के विजय मोहन वलियतन K. Vijaya Mohan Valiathan  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 028648 M. No. 028648  
मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय M/s. J. P. Kapur & Uberai  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 000593एन) (FRN 000593N)  
दीपक मेनन Deepak Menon  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 084225 M. No. 084225

मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कं.  
M/s. M. M. Nissim and Co.  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 107122डब्ल्यू) (FRN 107122W)  
संजय खेमानी Sanjay Khemani  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 044577 M. No. 044577  
मेसर्स ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता M/s. Grover, Lalla & Mehta  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 002830एन) (FRN 002830N)  
अशोक ग्रोवर Ashok Grover  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 081784 M. No. 081784

मेसर्स डी. सिंह एंड कं.  
M/s. D. Singh & Co.  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 001351एन) (FRN 001351N)  
सिमरन सिंह Simran Singh  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 098641 M. No. 098641  
मेसर्स बी रतन एण्ड एसोशिएट्स M/s. B. Rattan & Associates  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 011798एन) (FRN 011798N)  
राकेश कुमार Rakesh Kumar  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 095399 M. No. 095399

दिनांक : 28 मई, 2015 / Date : 28<sup>th</sup> May, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण  
Statement of Cash Flow for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2015

(₹ in '000)

विवरण	Particulars	को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015	को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014
<b>क. परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>	<b>A. Cash Flow from Operating Activities:</b>		
कर के पहले निवल लाभ	<b>Net Profit before taxes</b>	<b>17,950,561</b>	<b>35,450,535</b>
<b>निम्नलिखित के लिए समायोजन:</b>	<b>Adjustments for:</b>		
निवेशों पर आमूर्तिकरण/मूल्यहास	Amortisation/Depreciation on Investments	1,637,884	2,770,396
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	Depreciation on Fixed Assets	2,854,180	2,278,713
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि)	Profit/(Loss) on sale of Fixed Asset	1,792	3,642
एनपीए के लिए प्रावधान	Provision for NPA	52,274,288	39,958,683
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	4,085,997	4,226,662
अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Other Assets	1,070,851	3,867,630
गौण बांड्स/आईपीडीआई, अपर टियर II, बांड्स पर भुगतान/ब्याज हेतु प्रावधान	Payment / Provision for Interest on Subordinated Bonds, IPDI, Upper Tier II Bonds	10,749,167	9,203,054
प्राप्त लाभांश	Dividend received	(472,174)	(459,038)
<b>निम्नलिखित के लिए समायोजन:</b>	<b>Adjustments for:</b>		
जमाराशियों में बढ़ / (घट)	Increase /(Decrease) in Deposits	549,325,828	951,344,659
उधार में बढ़ / (घट)	Increase /(Decrease) in Borrowings	(100,983,595)	113,215,601
अन्य देयताओं और प्रावधानों में बढ़ / (घट)	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(28,337,798)	49,543,107
निवेशों में बढ़ / (घट)	(Increase) / Decrease in Investments	(55,214,173)	(197,307,551)
अग्रिमों में बढ़ / (घट)	(Increase) / Decrease in Advances	(365,194,390)	(853,619,075)
अन्य आस्तियों में (बढ़) / घट	(Increase) / Decrease in Other Assets	66,718,691	(93,731,682)
प्रत्यक्ष कर (भगतान) / वापसी	Direct Taxes (Paid)/Refund	(11,135,046)	(2,500,301)
<b>परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)</b>	<b>Net Cash Flow from Operating Activities (A)</b>	<b>145,332,063</b>	<b>64,245,035</b>
<b>ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:</b>	<b>B. Cash Flow from Investing Activities:</b>		
अचल आस्तियों की खरीद	Purchase of Fixed Assets	(17,168,449)	(6,183,945)
अचल आस्तियों की बिक्री	Sale of Fixed Assets	11,447,349	342,751
सहायक कंपनियों/जॉइंट वेंचर्स/एसोसिएट्स में अतिरिक्त निवेश	Additional investment in Subsidiaries/Joint Ventures/ Associates.	(2,819,823)	(852,896)
प्राप्त लाभांश	Dividend received	472,174	459,038
<b>निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)</b>	<b>Net Cash Flow from Investing Activities (B)</b>	<b>(8,068,749)</b>	<b>(6,235,052)</b>
<b>ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>	<b>C. Cash Flow from Financing Activities:</b>		
शेयर पूंजी	Share Capital	226,455	463,607
शेयर प्रीमियम	Share Premium	6,193,545	9,536,393
आईपीडीआई, गौण बांड तथा अपर टियर II बांड (निवल) प्रदत्त लाभांश (अंतरिम एवं अंतिम)	IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds (Net)	17,279,871	17,383,654
आईपीडीआई, गौण बांड तथा अपर टियर II बांड पर प्रदत्त ब्याज	Dividend (Interim & Final) paid	-	(10,726,238)
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	Interest Paid on IPDI, Subordinated Bonds, Upper Tier II Bonds	(10,749,167)	(9,203,055)
<b>नकद और नकदी समतुल्य में निवल बढ़त (क)+(ख)+(ग)</b>	<b>Net Cash Flow from Financing Activities (C)</b>	<b>1,295,704</b>	<b>7,454,361</b>
<b>वर्ष के आरम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य</b>	<b>Net Increase in Cash &amp; Cash Equivalents (A)+(B)+(C)</b>	<b>150,214,018</b>	<b>65,464,344</b>
<b>वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य</b>	<b>Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year</b>	<b>613,822,938</b>	<b>548,358,594</b>
	<b>Cash and Cash Equivalents as at the end of the year</b>	<b>764,036,956</b>	<b>613,822,938</b>

श्रीमती वी. आर. अय्यर  
Mrs. V.R. Iyer  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
Chairperson and  
Managing Director

बि. पी. शर्मा  
B.P. Sharma  
कार्यपालक निदेशक  
Executive Director

आर. पी. मराठे  
R. P. Marathe  
कार्यपालक निदेशक  
Executive Director

आर. ए. शंकर नारायणन  
R.A.Sankara Narayanan  
कार्यपालक निदेशक  
Executive Director

अनंत उपाध्याय  
Anant Upadhyay  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Chief Financial Officer

**निदेशकगण DIRECTORS**

अनूप वधावन Anup Wadhawan  
आर. एल. बिश्नोई R. L. Bishnoi

एस. एस. बारिक S. S. Barik  
नीरज भाटिया Neeraj Bhatia

हरविंदर सिंह Harvinder Singh  
डी हरिश D Harish

ए. एम. पेरा A. M. Pereira  
संजीव कुमार अरोरा Sanjiv Kumar Arora

**सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached**

मेसर्स इसाक एंड सुरेश  
M/s. Isaac & Suresh  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 001150एस) (FRN 001150S)

मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कंपनी  
M/s. M. M. Nissim and Co.  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 107122डब्ल्यू) (FRN 107122W)

मेसर्स डी. सिंह एंड कंपनी  
M/s. D. Singh & Co.  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 001351एन) (FRN 001351N)

के विजय मोहन वलियतन K. Vijaya Mohan Valiathan  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 028648 M. No. 028648

संजय खेमानी Sanjay Khemani  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 044577 M. No. 044577

सिमरन सिंह Simran Singh  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 098641 M. No. 098641

मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय M/s. J. P. Kapur & Uberai  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 000593एन) (FRN 000593N)

मेसर्स ग्रोवर लल्ला एंड मेहता M/s. Grover, Lalla & Mehta  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 002830एन) (FRN 002830N)

मेसर्स बी रतन एंड एसोसिएट्स M/s. B. Rattan & Associates  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 011798एन) (FRN 011798N)

दीपक मेनन Deepak Menon  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 084225 M. No. 084225

अशोक ग्रोवर Ashok Grover  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 081784 M. No. 081784

रकेश कुमार Rakesh Kumar  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 095399 M. No. 095399

दिनांक : 28 मई, 2015 / Date : 28<sup>th</sup> May, 2015



**तुलनपत्र की अनुसूची**  
**SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET**

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2015 ₹	यथा As at 31-03-2014 ₹
<b>अनुसूची - 1 : पूँजी</b>	<b>SCHEDULE - 1 : CAPITAL</b>		
<b>प्राधिकृत</b>	<b>AUTHORISED</b>		
300,00,00,000 (पिछले वर्ष 300,00,00,000) ₹10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	300,00,00,000 (Previous year ended 300,00,00,000) Equity Shares of ₹10 each	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>
<b>जारी और अभिदत्त</b>	<b>ISSUED AND SUBSCRIBED</b>		
66,60,85,615 (पिछले वर्ष 64,34,40,113) शेष ₹10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर 42,83,67,513 इक्विटी शेयर शामिल (पिछले वर्ष 42,83,67,513) ₹10 प्रत्येक के, पूर्ण प्रदत्त कुल ₹428.37 करोड़ (पिछले वर्ष ₹428.37 करोड़) केन्द्र सरकार द्वारा धारित.	66,60,85,615 Equity Shares (Previous year ended 64,34,40,113) of ₹10 each including 42,83,67,513 Equity Shares (Previous year ended 42,83,67,513) of ₹10 each fully paid up amounting to ₹ 428.37 crores (Previous year ended ₹ 428.37 crores ) held by Central Government;	<b>6,660,856</b>	<b>6,434,401</b>
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6,660,856</b>	<b>6,434,401</b>
<b>प्रदत्त पूँजी</b>	<b>PAID-UP CAPITAL</b>		
पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹10 के 66,49,08,515 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 64,22,63,013)	66,49,08,515 Equity Shares (Previous year ended 64,22,63,013) of ₹10 each fully paid-up.	<b>6,649,085</b>	<b>6,422,630</b>
जोड़ें : जब्त शेयरों की राशि	Add: Amount of shares forfeited	<b>7,391</b>	<b>7,391</b>
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6,656,476</b>	<b>6,430,021</b>
<b>अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष</b>	<b>SCHEDULE - 2 : RESERVES &amp; SURPLUS</b>		
<b>I. कानूनी आरक्षितियां :</b>	<b>I. Statutory Reserve :</b>		
आरंभिक शेष	Opening Balance	<b>66,568,842</b>	<b>59,568,842</b>
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	<b>4,300,000</b>	<b>7,000,000</b>
कुल (I)	TOTAL (I)	<b>70,868,842</b>	<b>66,568,842</b>
<b>II. पूँजी आरक्षितियां :</b>	<b>II. Capital Reserves :</b>		
<b>ए) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति :</b>	<b>A) Revaluation Reserve :</b>		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	<b>37,421,818</b>	<b>11,821,336</b>
जोड़ें : संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन	Add: Revaluation of Property		<b>27,599,034</b>
घटाएं : पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यहास/समायोजन	Less: Depreciation/adjustments on account of revaluation.	<b>1,870,353</b>	<b>1,998,552</b>
जोड़ (ए)	Total of (A)	<b>35,551,465</b>	<b>37,421,818</b>
<b>बी) अन्य</b>	<b>B) Others</b>		
<b>i) निवेश की बिक्री पर लाभ परिपक्वता तक धारित</b>	<b>i) Profit on sale of Investments - "Held to Maturity"</b>		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	<b>8,801,663</b>	<b>8,750,600</b>
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	<b>887,822</b>	<b>51,063</b>
(i) का उप-जोड़	Sub-total of (i)	<b>9,689,485</b>	<b>8,801,663</b>
<b>ii) विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन आरक्षिति</b>	<b>ii) Foreign Currency Translation Reserve</b>		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	<b>16,381,758</b>	<b>11,153,627</b>
जोड़ें : वर्ष के दौरान समायोजन (निवल)	Add/ (Less) : Adjustments during the year (Net)	<b>(2,405,136)</b>	<b>5,228,131</b>
(ii) का उप-जोड़	Sub-total of (ii)	<b>13,976,622</b>	<b>16,381,758</b>
<b>iii) विशेष आरक्षिति - मुद्रा स्वैप प्रारंभिक शेष</b>	<b>iii) Special Reserves - Currency Swaps Opening Balance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
वर्ष के दौरान कटौतियां	Deductions during the year	<b>0</b>	<b>0</b>
(iii) का उप-जोड़	Sub-total of (iii)	<b>0</b>	<b>0</b>
जोड़ (बी)	Total of (B)	<b>23,666,107</b>	<b>25,183,421</b>
जोड़ (II)	TOTAL (II)	<b>59,217,572</b>	<b>62,605,239</b>

**तुलनपत्र की अनुसूची**  
**SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET**

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2015 ₹	यथा As at 31-03-2014 ₹
<b>अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष (जारी)</b>	<b>SCHEDULE - 2 : RESERVES &amp; SURPLUS (contd.)</b>		
<b>III. शेयर प्रीमियम :</b>	<b>III. Share Premium :</b>		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	55,849,466	46,313,073
परिवर्धन (इक्विटी का अधिमानी निर्गम)	Additions (Preferential Issue of Equity shares)	6,193,545	9,536,393
जोड़ें : विलोपित जब्त शेयर	Add: On forfeited shares annulled	0	0
जोड़ (III)	TOTAL (III)	62,043,011	55,849,466
<b>IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां :</b>	<b>IV. Revenue and Other Reserves :</b>		
i) राजस्व आरक्षितियां:	i) Revenue Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	91,577,273	82,907,670
वर्ष के दौरान कटौतियां	Deductions during the year		4,316,700
जोड़ें/(घटाएं): वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year	2,404,214	12,986,303
(iv) का उप-जोड़	Sub-total of IV(i)	93,981,487	91,577,273
ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियां	ii) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	16,200,000	12,700,000
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	5,500,000	3,500,000
IV(ii) का उप जोड़	Sub-total of IV(ii)	21,700,000	16,200,000
जोड़ (IV)	TOTAL (IV)	115,681,487	107,777,273
<b>V. समेकित लाभ-हानि खाते में शेष</b>	<b>V. Balance in Profit and Loss Account :</b>	0	0
जोड़ ( I से V)	TOTAL ( I TO V)	307,810,912	292,800,820
<b>अनुसूची - 3 : जमाराशियां</b>	<b>SCHEDULE - 3 : DEPOSITS</b>		
<b>ए I. माँग जमाराशियाँ :</b>	<b>A. I. Demand Deposits :</b>		
i) बैंकों से	i) From Banks	4,844,189	3,864,302
ii) अन्य से	ii) From Others	209,912,303	212,031,779
जोड़ (I)	TOTAL (I)	214,756,492	215,896,081
<b>II. बचत बैंक जमाराशियाँ</b>	<b>II. Savings Bank Deposits</b>	971,336,707	878,489,165
<b>III. मिथादी जमाराशियाँ:</b>	<b>III. Term Deposits :</b>		
i) बैंकों से	i) From Banks	613,716,189	526,193,189
ii) अन्य से	ii) From Others	3,519,256,958	3,149,162,083
जोड़ (III)	TOTAL (III)	4,132,973,147	3,675,355,272
कुल ए (I से III)	TOTAL A(I, II, III)	5,319,066,346	4,769,740,518
<b>बी i) भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ</b>	<b>B. i) Deposits of branches in India</b>	3,979,998,997	3,635,902,216
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियाँ	ii) Deposits of branches outside India	1,339,067,349	1,133,838,302
जोड़ (बी)	TOTAL (B)	5,319,066,346	4,769,740,518

**तुलनपत्र की अनुसूची**  
**SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET**

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2015 ₹	यथा As at 31-03-2014 ₹
<b>अनुसूची - 4 : उधार</b>	<b>SCHEDULE - 4 : BORROWINGS</b>		
<b>I. भारत में उधार:</b>	<b>I. Borrowings in India :</b>		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i) Reserve Bank of India	20,816,844	46,865,583
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks		
ए. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital ( I.P.D.I.)	6,821,000	5,262,000
बी. अपर टियर II पूँजी	b. Upper Tier II Capital	680,000	695,000
सी. प्रतिभूतिरहित गैर-परिवर्तनीय मोचनीय बंधपत्र (टियर II पूँजी के लिए गौण ऋण)	c. Unsecured Non-convertible Redeemable Bonds (Subordinated for Tier-II Capital)	510,000	1,153,000
डी. अन्य	d. Others	19,750,762	17,676,334
जोड (ii)	Total ( ii )	27,761,762	24,786,334
iii) अन्य संस्थाएं और अधिकरण	iii) Other Institutions and Agencies		
ए. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital ( I.P.D.I.)	34,979,000	11,538,000
बी. अपर टियर II पूँजी	b. Upper Tier II Capital	41,640,000	41,625,000
सी. प्रतिभूतिरहित गैर-परिवर्तनीय मोचनीय बंधपत्र (टियर II पूँजी के लिए गौण ऋण)	c. Unsecured Non-convertible Redeemable Bonds (Subordinated for Tier-II Capital)	23,990,000	31,847,000
डी. अन्य	d. Others	53,822,916	69,773,146
जोड (ii)	Total ( iii )	154,431,916	154,783,146
जोड (I)	Total (I)	203,010,522	226,435,063
<b>II. भारत के बाहर से उधार</b>	<b>II. Borrowings outside India</b>		
ए. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital ( I.P.D.I.)	5,323,366	5,097,701
बी. अपर टियर II पूँजी	b. Upper Tier II Capital	14,929,566	14,375,360
सी. अन्य	c. Others	177,307,925	238,366,979
जोड (II)	Total (II)	197,560,857	257,840,040
जोड (I एवं II)	Total ( I, II )	400,571,379	484,275,103
ऊपर सम्मिलित प्रतिभूति उधार	<b>Secured borrowings included in above</b>	40,306,953	49,860,839
<b>अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान</b>	<b>SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS</b>		
<b>I. देय बिल</b>	<b>I. Bills Payable</b>	11,124,084	10,981,843
<b>II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)</b>	<b>II. Inter-office adjustments (net)</b>	0	0
<b>III. उपार्जित आय</b>	<b>III. Interest accrued</b>	26,683,953	18,415,642
<b>IV. आस्थगित कर देयता</b>	<b>IV. Deferred Tax Liabilities</b>	6,689,896	15,865,734
<b>V. अन्य (प्रावधान सहित)</b>	<b>V. Others (Including Provisions)</b>	108,374,526	133,392,308
जोड	<b>TOTAL</b>	152,872,459	178,655,527

**तुलनपत्र की अनुसूची**  
**SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET**

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2015 ₹	यथा As at 31-03-2014 ₹
<b>अनुसूची - 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष</b>	<b>SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA</b>		
<b>I. हाथ में नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित)</b>	<b>I. Cash in hand</b> (including foreign currency notes and gold)	22,711,915	20,100,256
<b>II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष:</b>	<b>II. Balances with Reserve Bank of India:*</b>		
i) चालू खातों में	i) In Current Account	248,988,413	170,634,181
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	0	0
जोड़ (II)	TOTAL (II)	248,988,413	170,634,181
जोड़ (I एवं II)	TOTAL (I, II)	271,700,328	190,734,437
* भारत बाहर के केंद्रीय बैंको में शेषराशि सहित	* Including balances with Central Banks outside India		
<b>अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि</b>	<b>SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS &amp; MONEY AT CALL &amp; SHORT NOTICE</b>		
<b>I. अल्प सूचना पर धनराशि</b>	<b>I. In India :</b>		
i) बैंकों में शेष	i) Balances with Banks		
ए) चालू खातों में	a) in Current Accounts	3,883,687	4,816,255
बी) अन्य जमाराशि खातों में	b) in Other Deposit Accounts	90,389,458	97,525,408
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	ii) Money at call and short notice		
ए) बैंकों में	a) With Banks	0	0
बी) अन्य संस्थाओं में	b) With Other Institutions	0	0
जोड़ (ख)	TOTAL (I)	94,273,145	102,341,663
<b>II. भारत के बाहर :</b>	<b>II. Outside India :</b>		
i) चालू खातों में	i) In Current Accounts	7,679,530	9,884,084
ii) अन्य जमाराशि खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	253,681,100	309,053,093
iii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	iii) Money at call and short notice	136,702,853	1,809,661
जोड़ (II)	TOTAL (II)	398,063,483	320,746,838
जोड़ (I एवं II)	TOTAL (I, II)	492,336,628	423,088,501
<b>अनुसूची - 8 : निवेश</b>	<b>SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS</b>		
<b>I. भारत में निवेश:</b>	<b>I. Investments in India :</b>		
i) सरकारी प्रतिभूति	i) Government Securities	1,019,949,212	966,802,623
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other approved Securities	11,647	11,647
iii) शेयर	iii) Shares	12,188,410	8,969,758
iv) डिबेंचर एवं बंधपत्र	iv) Debentures and Bonds	77,181,988	83,862,831
v) सहायक कंपनियों में निवेश	v) Subsidiaries and Associates	4,863,834	4,456,814
vi) अन्य (वाणिज्यिक दस्तावेज, म्यूचुअल फण्ड की इकाइयां, पास थ्रू सर्टिफिकेट, सुरक्षा रसीदें, वेंचर फण्ड आदि)	vi) Others (Commercial Papers, Units of Mutual Funds, Pass Through Certificates, Security Receipts, Venture Fund etc.)	34,522,181	21,006,353
जोड़ (I)	TOTAL (I)	1,148,717,272	1,085,110,026

**तुलनपत्र की अनुसूची**  
**SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET**

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2015 ₹	यथा As at 31-03-2014 ₹
<b>अनुसूची - 8 : निवेश (जारी)</b>	<b>SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS (contd.)</b>		
सकल ₹115,35,42,504 (विगत वर्षात ₹109,12,80,429)	Gross ₹115,35,42,504 (Previous year ended ₹109,12,80,429)		
घटाएँ मूल्यहास ₹ 48,25,232 (विगत वर्षात ₹ 61,70,403)	Less: Depreciation ₹48,25,232 (Previous year ended ₹ 61,70,403)		
<b>भारत के बाहर निवेश:</b>	<b>II. Investments outside India :</b>		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (including local authorities)	30,837,307	36,015,903
ii) विदेशों में अनुषंगियों और/या संयुक्त उद्यमों में	ii) In Subsidiaries and/or joint ventures abroad	7,013,247	4,600,444
iii) अन्य निवेश (डिबेंचर, बॉण्ड आदि)	iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	11,352,656	15,797,997
कुल ( II )	TOTAL ( II )	49,203,210	56,414,344
सकल ₹5,50,62,061 (विगत वर्षात ₹6,12,29,712)	Gross ₹5,50,62,061 (Previous year ended ₹6,12,29,712) less depreciation and amortisation ₹58,58,851 (Previous year ended ₹48,15,368)		
घटाएं मूल्य हास और संक्रामण ₹58,58,851 (विगत वर्षात ₹48,15,368)			
जोड ( I, II)	TOTAL ( I, II)	1,197,920,482	1,141,524,370
<b>अनुसूची - 9 : अग्रिम</b>	<b>SCHEDULE - 9 : ADVANCES</b>		
<b>ए.</b> i) क्रीत बिल और बड़ाकृत बिल	<b>A.</b> i) Bills Purchased and Discounted	591,519,311	590,883,783
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	1,650,651,887	1,620,580,154
iii) मियादी ऋण	iii) Term Loans	1,778,084,267	1,495,871,427
कुल (ए)	TOTAL (A)	4,020,255,465	3,707,335,364
<b>बी. अग्रिमों का वितरण</b>	<b>B. Particulars of Advances :</b>		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों के निमित्त अग्रिम शामिल है)	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	2,840,995,407	2,494,724,889
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	576,630,755	549,217,036
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	602,629,303	663,393,439
जोड (बी)	TOTAL (B)	4,020,255,465	3,707,335,364
<b>सी. अग्रिमों का क्षेत्रववार वर्गीकरण :</b>	<b>C. Sectoral Classification of Advances :</b>		
<b>I. भारत में अग्रिम</b>	<b>I. Advances in India</b>		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	850,784,313	773,955,592
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	498,881,325	472,909,900
iii) बैंक	iii) Banks	6,588,802	934,951
iv) अन्य	iv) Others	1,452,545,005	1,348,348,482
जोड (सी-I)	TOTAL (C-I)	2,808,799,445	2,596,148,925
<b>II. भारत के बाहर अग्रिम :</b>	<b>II. Advances outside India :</b>		
i) बैंकों से देय	i) Due from Banks	289,330,084	341,257,630
ii) अन्यो से देय	ii) Due from others		
क) क्रीत बिल और बड़ाकृत बिल	a) Bills Purchased and Discounted	206,785,904	186,242,008
ख) समूहनकृत ऋण	b) Syndicated Loans	97,961,129	186,925,377
ग) अन्य	c) Others	617,378,903	396,761,424
जोड (सी-II)	TOTAL (C-II)	1,211,456,020	1,111,186,439
जोड (सी-I एवं सी-II)	TOTAL ( C - I, C - II )	4,020,255,465	3,707,335,364

**तुलनपत्र की अनुसूची**  
**SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET**

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2015 ₹	यथा As at 31-03-2014 ₹
<b>अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां</b>	<b>SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS</b>		
<b>I. परिसर :</b>	<b>I. PREMISES :</b>		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	13,529,516	11,631,340
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions / Adjustments during the year	1,263,998	1,902,558
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	Less:Deductions / Adjustments during the year	47,508	4,382
उप-जोड	Sub-total	14,746,006	13,529,516
पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किए गए पुनर्मूल्यन के कारण इस तारीख तक जोड	Addition to date on account of revaluation credited to revaluation reserve	47,212,385	47,212,385
घटाएं : इस तारीख को मूल्यहास (पुनर्मूल्यांकन के कारण ₹ 1,16,60,921 सहित पिछले वर्ष में ₹97,90,568)	Less : Depreciation to date (including ₹ 1,16,60,921 on account of revaluation - Previous year end ₹ 97,90,568)	15,424,892	13,099,523
जोड ( I )	TOTAL -( I )	46,533,499	47,642,378
<b>II. अन्य अचल आस्तियां : (फर्निचर एवं फिक्स्चर सम्मिलित हैं)</b>	<b>II. OTHER FIXED ASSETS : (including Furniture and Fixtures)</b>		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	21,072,665	17,936,034
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions / Adjustments during the year	16,203,832	3,767,783
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	Less:Deductions / Adjustments during the year	11,582,119	631,151
उप-जोड	Sub-total	25,694,378	21,072,665
घटाएं: इस तारीख को मूल्यहास	Less: Depreciation to date	14,498,728	12,280,048
जोड ( II )	TOTAL ( II )	11,195,650	8,792,617
<b>III. निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य</b>	<b>III. CAPITAL WORK IN PROGRESS</b>		
जोड ( I से III )	TOTAL ( I, II, III )	1,126,201	1,425,581
		58,855,350	57,860,576
<b>अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां</b>	<b>SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS</b>		
<b>I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)</b>	<b>I. Inter-office adjustments (net)</b>	3,005,556	18,914,782
<b>II. उपचित ब्याज</b>	<b>II. Interest accrued</b>	25,083,056	26,020,581
<b>III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटे गए कर (निवल)</b>	<b>III. Tax paid in advance/tax deducted at source (net)</b>	53,289,119	52,052,219
<b>IV. लेखन सामग्री और स्टैम्प</b>	<b>IV. Stationery and Stamps</b>	30,683	27,720
<b>V. आस्थगित कर आस्तियां</b>	<b>V. Deferred Tax Assets</b>	1,299,204	1,266,837
<b>VI. अन्य</b>	<b>VI. Others</b>	63,201,701	113,076,604
जोड	TOTAL	145,909,319	211,358,743

**तुलनपत्र की अनुसूची**  
**SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET**

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2015 ₹	यथा As at 31-03-2014 ₹
<b>अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं</b>	<b>SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES</b>		
I. बैंक के विरुद्ध दावें जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	11,593,142	10,449,068
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	II. Liability for partly paid Investments	1,451,123	1,951,442
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	710,351,441	1,431,828,363
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां:	IV. Guarantees given on behalf of Constituents :		
ए) भारत में	a) In India	199,918,670	183,647,460
बी) भारत के बाहर	b) Outside India	109,859,429	229,377,025
V. स्वीकार, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व	V. Acceptances, endorsements and other obligations	390,102,564	305,960,175
VI. ब्याज दर स्वैप	VI. Interest Rate Swaps	288,018,476	294,505,775
VII. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप में देनदार है	VII. Other items for which the Bank is contingently liable	33,719,772	66,973,660
जोड़	TOTAL	<u>1,745,014,617</u>	<u>2,524,692,968</u>
<b>लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियाँ</b>	<b>SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT</b>		
		For the Year ended 31-03-2015 को समाप्त वर्ष हेतु ₹	For the Year ended 31-03-2014 को समाप्त वर्ष हेतु ₹
<b>अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज एवं लाभांश</b>	<b>SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED</b>		
I. अग्रिमों/बिल पर ब्याज/बट्टा	I. Interest/Discount on advances/bills	316,781,622	271,192,766
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments	93,999,065	84,049,660
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के शेषराशियों पर ब्याज	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	21,432,494	20,033,696
IV. अन्य	IV. Others	2,085,932	3,824,894
जोड़	TOTAL	<u>434,299,113</u>	<u>379,101,016</u>
<b>अनुसूची - 14 : अन्य आय</b>	<b>SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME</b>		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	I. Commission, exchange and brokerage	16,100,216	14,260,912
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ	II. Profit on sale of Investments	9,608,025	
घटाएं : निवेश पर नुकसान	Less: Loss on sale of investments	<u>298,577</u>	<u>7,956,294</u>
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	III. Profit on sale of land, buildings and other assets	0	0
घटाएं : अचल आस्तियों के विक्रय पर नुकसान	Less Loss on sale of land, buildings and other assets	0	0
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ	IV. Profit on exchange transactions	6,864,157	
घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर नुकसान	Less Loss on exchange transactions	<u>0</u>	<u>7,111,702</u>

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियाँ	SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	For the Year ended 31-03-2015 को समाप्त वर्ष हेतु ₹	For the Year ended 31-03-2014 को समाप्त वर्ष हेतु ₹
<b>अनुसूची - 14 : अन्य आय (जारी)</b>	<b>SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME (contd.)</b>		
V सहायक कंपनियों/कंपनियों और/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	V Income earned by way of dividends etc., from subsidiaries / cos.and/or JVs	472,174	459,038
VI विविध आय जोड़	VI Miscellaneous Income TOTAL	9,580,961 <u>42,326,956</u>	13,130,450 <u>42,918,396</u>
<b>अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज</b>	<b>SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED</b>		
I. जमाराशियों पर ब्याज	I. Interest on Deposits	289,214,084	237,749,182
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक बैंक उधारों पर ब्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	16,140,749	18,375,103
III. गौण ऋणों, आईआरएस इत्यादि पर ब्याज जोड़	III. Interest on subordinated debts, IRS etc. TOTAL	15,507,628 <u>320,862,461</u>	14,671,409 <u>270,795,694</u>
<b>अनुसूची - 16 : परिचालनगत व्यय</b>	<b>SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES</b>		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees	49,858,217	39,911,459
II. किराया, कर एवं बिजली	II. Rent, Taxes and Lighting	5,983,489	5,348,486
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	III. Printing and Stationery	776,414	711,884
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	IV. Advertisement and Publicity	1,099,289	854,280
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास (पुनर्मूल्यन आरक्षितियों पर निवल मूल्यहास)	V. Depreciation on Bank's property ( Net of Depreciation on Revaluation Reserve )	2,854,180	2,278,713
VI. निदेशकों के भत्ते और व्यय	VI. Directors' fees, allowances and expenses	1,480	1,555
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय)	VII. Auditors' fees and expenses ( Including branch Auditors' fees & expenses )	515,421	531,042
VIII. विधि प्रभार	VIII. Law Charges	282,454	254,994
IX. डाक व्यय, तार, टेलिफोन आदि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	841,354	748,708
X. मरम्मत एवं रखरखाव	X. Repairs and Maintenance	629,512	629,471
XI. बीमा	XI. Insurance	3,594,304	3,169,730
XII. अन्य खर्च** जोड़	XII. Other Expenditure** TOTAL	14,449,756 <u>80,885,870</u>	12,554,358 <u>66,994,680</u>
** इस राशि से अनर्जक आस्तियों की बिक्री से हुई ₹ 99.83 करोड़ की हानि शामिल है।	** The amount includes ₹ 99.83 crores of loss due to sale of Non Performing Assets		



## अनुसूची – 17

## संक्षिप्त वित्तीय विवरणियों के भाग स्वरूप महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

## 1. लेखांकन का आधार

संलग्न समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) प्रचलित विचार धारा का पालन करते हुए, परम्परागत लागत आधार पर तथा भारत में सामान्यतः अपनाए जाने वाले लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) पर तैयार किए गए हैं, जो लागू सांविधिक उपबंधों के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) और निर्णय के अनुरूप हैं। विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबंधों तथा लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन किया है, सिवाय उनके जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट किया गया है।

## 2. प्राकलन का प्रयोग :

वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए यह आवश्यक है कि वित्तीय विवरण की तिथि को रिपोर्ट किए गये आस्ति तथा देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि और रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट किए गये आय और व्ययों के सुविचारित अनुमानों तथा धारणों को प्रबंधन पूरा करे। प्रबंधन यह विश्वासित करता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में उपयोग किए गये अनुमान यथोचित तथा ठीक है। तथापि प्राकलन से मूल परिणाम में अंतर हो सकता है। लेखा प्राकलन में किसी संशोधन को चालू और भविष्य अवधि को ध्यान में रखकर मान्यता दी जाती है।

## 3. राजस्व निर्धारण

- (क) सामान्यतः आय/व्यय का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। विदेशी कार्यालयों के संबंध में उस संबंधित देश के स्थानीय कानून के अनुसार आय निर्धारित की जाएगी।
- (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सिवाय अनुत्पादक आस्तियों पर ब्याज के जिसकी वसूली होने पर निर्धारण किया जाता है, समय अनुपात के आधार पर ब्याज आय का निर्धारण किया जाता है।
- (ग) बैंक गारंटी और साख पत्र जारी करने पर कमीशन का उपचय बीजी/एलसी के कार्यकाल पर होता है।
- (घ) अन्य सभी कमीशन और विनिमय, ब्रोकरेज, शुल्क तथा अन्य प्रभारों के वसूली पर आय के रूप में निर्धारण किया जाता है।
- (ङ) परिपक्वता तक धारित श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अलावा) उसके अंकित मूल्य पर प्राप्त छूट पर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:
  1. ब्याज देने वाले प्रतिभूतियों पर केवल बिक्री/रीडेम्पशन के समय ही इसका निर्धारण किया जाता है।
  2. जीरो-कूपन प्रतिभूतियों पर निरंतर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति के शेष परिपक्वता काल पर इसका लेखांकन किया जाता है।
- (च) निवेशों की बिक्री से हुए लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में मान्यता दी जाती है। तथापि परिपक्वता तक धारित श्रेणी के तहत निवेशों की बिक्री में लाभ की स्थिति में करों के निवल और सांविधिक राजस्व में अंतरण के लिए आवश्यक राशि के समान राशि को पूंजी राजस्व खाते में विनियोजित किया जाता है।
- (छ) लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश का निर्धारण किया जाता है।
- (ज) मूल्यांकन आदेश पास करने के वर्ष में आयकर- रिफंड पर ब्याज का निर्धारण किया जाता है।
- (झ) एनपीए खातों से की गई वसूली का विनियोजन पहले उधारकर्ता के खाते में डेबिट किए गए अप्राप्त) ब्याज/आय, किए गए व्यय/आउट ऑफ पॉकेट व्यय उसके बाद बकाया मूलधन और अंत में अप्रभारित ब्याज में विनियोजित की जाती है।

## SCHEDULE 17:

## SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

## 1) BASIS OF PREPARATION:

The financial statements are prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform, in all material aspects, to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and accounting practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

## 2) USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However actual results can differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

## 3) REVENUE RECOGNITION:

- (a) Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per local laws of host country.
- (b) Interest income is recognised on time proportion basis except (i) interest on Non-performing Assets, which is recognised on realisation, in terms of the RBI guidelines.
- (c) Commission on issue of Bank Guarantee and Letter of Credit is accrued over the tenure of BG/LC.
- (d) All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation.
- (e) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:
  1. On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.
  2. On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.
- (f) Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss account. However, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount, net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves, is appropriated to 'Capital Reserve Account'.
- (g) Dividend is recognised when the right to receive the dividend is established.
- (h) Interest on Income-tax refund is recognised in the year of passing of assessment order.
- (i) The recoveries made from NPA accounts are appropriated first towards unrealised interest/income debited to borrowers accounts, expenditure/out of pocket expenses incurred, then principal dues and lastly towards uncharged interest.

4. अग्रिम

- (क) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसरण में अग्रिम को उत्पादक और अनुत्पादक अग्रिमों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- (ख) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को आगे अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- (ग) घरेलू शाखाओं के संबंध में एनपीए से संबंधित प्रावधान बैंक की नीति के अनुसार विशेषकर एनपीए का त्वरित प्रावधानीकरण के अनुसार किया गया है जिसका दर निम्नानुसार है।

4) ADVANCES:

- (a) Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing Advances" (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.
- (b) NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.
- (c) In respect of domestic branches, Provisions in respect of NPAs is made as per policy of the bank particularly in accelerated provisioning for NPAs which is at the rate given as under:

एनपीए की श्रेणी	Category of NPAs	निवल बकाया अग्रिम का % % of net outstanding advance
अवमानक आस्ति *	Sub Standard:*	
क) एक्सपोजर, जो आरंभ से गैर जमानती है	a) Exposures, which are unsecured ab initio	25%
ख) अन्य	b) Others	15%
संदिग्ध :	Doubtful:	
क) जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में ही रहा)	a) Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category)	
- एक वर्ष तक	- Upto one year	25%
- एक वर्ष से तीन वर्ष तक	- One year to three years	60%
- तीन वर्ष से अधिक	- More than three years	100%
ख) गैर जमानती हिस्सा	b) Unsecured portion	100%
हानि	Loss	100%

\* बकाया अग्रिम पर

- (घ) विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान संबंधित विदेशी देश में लागू विनियामक आवश्यकताओं अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगी जो भी आवश्यक हो।
- (ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार निवल अग्रिम के परिकलन हेतु कुल अग्रिमों में से अनुत्पादक आस्तियां, अवसूलीकृत ब्याज, इसीजिसी दावा निपटान इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाए जाते हैं।
- (च) पुनर्निधारित/पुनःसंरचित खातों के संबंध में विद्यमान मूल्य स्थिति में आकलित ब्याज पुनर्संरचित अग्रिम के मूल्य में हास के परित्याग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। निवल अग्रिम के परिकलन हेतु इस प्रावधान को घटाया जाता है।
- (छ) आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेच देने के मामले में यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो अतिरिक्त राशि को रखा जाता है और एससी/एआरसी को अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री में होनेवाली कमी/हानि की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाता है। यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से नीचे है (अर्थात रखे गए प्रावधान से कम बकाया) तो कमी को लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि अतिरिक्त राशि उपलब्ध है तो ऐसी कमी को उसमें खपाया जाएगा। 26.02.2014 को अथवा उसके बाद एनपीए की बिक्री से उत्पन्न किसी भी कमी को यदि अतिरिक्तराशि में खपाया नहीं जाता है तो उसे दो वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किया जाएगा।  
एनपीए की बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाएगा जब आस्ति का निवल बही मूल्य प्राप्त नकदी (केवल प्रारंभिक प्रतिफल द्वारा/अथवा एसआरएस/पीटीसी का रीडेम्पशन) से अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी के उस हद तक सीमित होगी।
- (ज) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के रूप

\* on the outstanding advance

- (d) In respect of foreign branches, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.
- (e) Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims settled, etc., are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.
- (f) In respect of Rescheduled/Restructured advances, provision is made for the diminution in the fair value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.
- (g) In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any such shortfall arising due to sale of NPA on or after 26/02/2014 will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.  
Excess provision arising out of sale of NPA's are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/ or redemption of SRS/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.
- (h) Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines. In respect of foreign branches provision for Standard

में वर्गीकृत पुनःसंचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों का प्रावधान किया जाता है।

(झ) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल निधिक देश के एक्सेपोज़र के लिए श्रेणीबद्ध स्केल पर प्रावधान किया जाता है।

#### 5. अस्थायी प्रावधान :

बैंक में अस्थायी प्रावधान का सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित की जाने वाली अस्थायी प्रावधान की प्रमात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग नीति में निर्धारित केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है।

#### 6. डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवाइड पॉइंट :

क्रेडिट/डेबिट कार्डों पर रिवाइड पॉइंट के लिए प्रावधान प्रत्येक श्रेणी में संचित बकाया पॉइंट के आधार पर किया जाता है।

#### 7. निवेश :

ए. सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहार निपटान दिनांक पर निर्धारित किए जाते हैं और अन्य सभी निवेश व्यापार तिथि पर निर्धारित किए जाते हैं।

बी. निवेशों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिपक्वता तक धारित कारोबार के लिए धारित और बिक्री हेतु धारित श्रेणियों में किया गया है। भारत में किए गए निवेशों के प्रकटन के उद्देश्य से इन्हें आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार छह वर्गों के तहत वर्गीकृत किया जाता है जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, शेयर, डिबेंचर और बांड, अनुषंगियों और सहायक कंपनियों और अन्य में निवेश। भारत के बाहर निवेशों के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार इन्हें चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों सहित), विदेश में अनुषंगियों/संयुक्त उद्यम और अन्य निवेश।

#### (क) वर्गीकरण का आधार

निवेश का वर्गीकरण उसके अर्जन के समय किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहार का निर्धारण समझौते की तारीख पर और अन्य निवेशों का निर्धारण कारोबार की तारीख को किया जाता है।

##### i. परिपक्वता पर धारित

इसमें ऐसे निवेश हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में किए गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

##### ii. कारोबार के लिए धारित

इसमें ऐसे निवेश है जिन्हें अल्प मियादी मूल्य/ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ लेते हुए कारोबार के इरादे से अर्जन किया जाता है। खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर इसका कारोबार किया जाता है।

##### iii. बिक्री के लिए उपलब्ध

ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण परिपक्वता तक धारित अथवा कारोबार के लिए धारित रूप में नहीं किया है, उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

#### ख) निवेश की अधिग्रहण लागत

- ईक्यूटी निवेश के अर्जन के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूतियों का संव्यवहार कर इत्यादि लागत में शामिल है।
- ब्रोकरेज, कमीशन, ऋण निवेश पर भुगतान/प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को आय/व्यय के रूप में माना गया है और इसे लागत/बिक्री पर विचार करते समय शामिल नहीं किया जाता।
- निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन को लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।
- निवेश की लागत भारत औसत लागत उपाय द्वारा निर्धारित की जाती है।

Assets is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

- Provision for net funded country exposures is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

#### 5) FLOATING PROVISION:

The bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes.

#### 6) Debit/Credit Card Reward Points:

Provision for Reward Points on Debit/Credit cards is made based on the accumulated outstanding points in each category.

#### 7) INVESTMENTS:

A. Transactions in Government Securities are recognised on Settlement Date and all other investments are recognised on trade date.

B. Investments are categorised under 'Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. For the purpose of disclosure of investments in India, these are classified, in accordance with RBI guidelines & Banking Regulation Act 1949, under six classification viz. Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures and Bonds, Investment in Subsidiaries and Associates and Others. In respect of investments outside India, these are classified, in accordance with RBI guidelines, under three categories viz. Government Securities (including local authorities), Subsidiaries/Joint Ventures abroad and Other Investments.

#### (a) Basis of categorisation

Categorisation of an investment is done at the time of its acquisition.

##### i) Held to Maturity

These comprise investments that the Bank intends to hold till maturity. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

##### ii) Held for Trading

This comprise investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. These are intended to be traded within 90 days from the date of purchase.

##### iii) Available for Sale

This comprise investments which do not fall under in "Held to Maturity" or "Held for Trading" classification.

#### (b) Acquisition Cost of Investment

- Brokerage, commission, securities transaction tax etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.
- Brokerage, commission, broken period interest paid/received on debt investments is treated as income/expense and is excluded from cost/sale consideration.
- Brokerage and Commission received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.
- Cost of investments is determined at weighted average cost method.

**ग) मूल्यांकन का तरीका**

भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और विदेशी शाखाओं में धारित निवेशों का संबंधित विदेशी देश में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार मूल्य के कम पर अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

ट्रेजरी बिल और वाणिज्यिक कागजातों का रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

**i. परिपक्वता तक धारित :**

- 1) इस श्रेणी के तहत निवेशों को उनके अर्जन लागत, परिशोधन के निवल, यदि कोई हो, पर लिया गया है। अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत, यदि कोई हो, को सतत अर्जन प्रणाली का उपयोग कर परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है। प्रीमियम का इस प्रकार परिशोधन आय में निवेश पर ब्याज शीर्ष के तहत समायोजित की जाती है।
- 2) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों (भारत और विदेश दोनों में) में निवेश को परंपरागत लागत में मूल्यांकित की जाती है सिवाय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश के जिन्हें रखाव लागत पर (अर्थात् बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया जाता है। अस्थायी को छोड़कर प्रत्येक निवेश के लिए अलग अलग ह्रास (diminutions) के लिए प्रावधान किया जाता है।

**ii. कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध**

1. इस श्रेणी के तहत निवेशों का मूल्यांकन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य अथवा उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में प्रत्येक वर्गीकरण में केवल निवल मूल्यहास लगाया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं लिया जाता है। मूल्यहास के लिए प्रावधान पर मार्किंग टू मार्केट के पश्चात एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।
2. कारोबार के लिए धारित और बिक्री के लिए उपलब्ध प्रवर्ग में कोट किए गए निवेश के मूल्यांकन हेतु बाजार दर/स्टॉक एक्सचेंज भाव/भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई)/निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेश के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं है उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है।

**(c) Method of valuation**

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Treasury Bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

**i) Held to Maturity**

- 1 Investments included in this category are carried at their acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortised over the remaining period to maturity using constant yield method. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".
- 2 Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investments in Regional Rural Banks, which are valued at carrying cost (i.e. book value). A provision is made for diminution, other than temporary, for each investment individually.

**ii) Held for Trading / Available for Sale**

- 1 Investments under these categories are individually valued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines and only the net depreciation in each classification for each category is provided for and net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.
- 2 For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used. Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

सरकारी/प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर्स	अद्यतन तुलन पत्र (18 महीनों से अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार विश्लेषित मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी ₹ 1
अधिमान्य शेयर्स	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
पीएसयू बांड्स	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
म्यूचुअल फंड के यूनिट	अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर
उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ)	18 महीनों से पुरानी नहीं ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी। यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो ₹ 1 प्रति वीसीएफ
प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषणा के अनुसार एनएवी पर

Government Securities	on Yield to Maturity basis
Other Approved Securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	At break up value as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise ₹ 1 per company.
Preference Shares	on Yield to Maturity basis
PSU Bonds	on Yield to Maturity basis
Units of Mutual Funds	at the latest repurchase price/NAV declared by the Fund in respect of each scheme
Venture Capital Funds (VCF)	Declared NAV or break up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at ₹ 1/- per VCF.
Security Receipts	At NAV as declared by Securitisation Companies

### घ) प्रवर्गों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरण

प्रवर्गों के मध्य किसी प्रतिभूति के अंतरण का अंतरण दिवस पर अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य इनमें से जो भी कम है के रूप में लेखा किया जाए। ऐसे अंतरण पर मूल्य-हास, यदि है तो पूर्ण प्रावधान किया गया है।

### ड.) गैर निष्पादित निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन

- निवेशों को निष्पादित और गैर-निष्पादित में वर्गीकृत किया जाता है जो घरेलू कार्यालयों के मामले में आरबीआई और विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामक द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित है।
- गैर-निष्पादित निवेश के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्य-हास हेतु प्रावधान किया जाता है।

### च. रेपो/रिवर्स रेपो

रेपो/रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन संपार्श्विक उधार और उधार लेने के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि सामान्य सीधी बिक्री/खरीद संव्यवहार के मामले में प्रतिभूतियों का अंतरण किया जाता है और ऐसी प्रतिभूतियां रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग से रिफ्लेक्ट होती हैं। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है। लागत तथा राजस्व का लेखांकन जैसा भी मामला हो ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। रेपो खाते में शेष को उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया और रिवर्स रेपो खाते में शेष को बैंक में शेष, मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

### 8) व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

वर्तमान में बैंक ब्याज दर एवं करेंसी व्युत्पन्न का कार्य देखता है। बैंक द्वारा किया जाने वाला ब्याज दर व्युत्पन्न रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, अग्रणी दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर है। बैंक द्वारा किया जा रहा मुद्रा व्युत्पन्न विकल्प, करन्सी स्वैप तथा करन्सी फ्यूचर है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, व्युत्पन्न को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है:

- हैज/नॉन हैज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग से रिकार्ड किए जाते हैं।
- हैजिंग व्युत्पन्न पर आय/व्यय उपचय आधार पर लेखांकित होती है।
- ट्रेडिंग व्युत्पन्न स्थानों को बाजार को चिन्हित (एमटीएम) किया जाता है और परिणामतः हानि, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि में बताया जाता है। लाभ, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
- ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण से लाभ/हानियों को निरस्तीकरण तिथि में आय/व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप के निरस्तीकरण पर किसी भी लाभ/हानि का स्थान स्वैप की शेष अनुबंधित कम अवधि अथवा पदनामित आस्तियां/देयताओं की बकाया अवधि से संबद्ध किया जाता है।
- विकल्प संविदा के परिपक्वता काल पर विकल्प शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

### 9. अचल आस्तियां :

- आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित होने के मामलों के अतिरिक्त जिन्हें पुनर्मूल्यन रकम पर बताया जाता है, अचल आस्तियों को परंपरागत लागत में बताया गया है। पुनर्मूल्यांकन से वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित में जमा किया जाता है।
- लागत में खरीद की लागत तथा आस्ति के उपयोग के पहले जगह की तैयारी, संस्थापना लागत, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसे किए गए सभी व्यय शामिल है। उपयोग किए जा रहे आस्तियों पर किए गए उत्तरवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाएगा जब ऐसे आस्तियों से अथवा उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है।
- परिसर की लागत में स्वयं की एवं पट्टाधारी भूमि की लागत दोनों शामिल हैं।

### 10. अचल आस्तियों पर मूल्यहास :

- आस्तियों पर मूल्यहास (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को मिलाकर) बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर मूल्यहासित बही मूल्य पर प्रभाषित किया गया है, कम्प्यूटरों

### (d) Transfer of Securities between Categories

The transfer of securities between categories is carried out at the least of acquisition cost / book value /market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

### (e) Non performing Investments (NPIs) and valuation thereof

- Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices.
- In respect of non performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

### (f) Repo / Reverse Repo

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice.

### 8) Derivative

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

- The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.
- Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.
- Trading derivative positions are marked to market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss Account. Profit, if any, is ignored.
- Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure. Any gain/ loss on termination of swap is deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.
- Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

### 9) FIXED ASSETS:

- Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued, which is stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.
- Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees etc. incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- Cost of premises includes cost of land, both freehold and leasehold.

### 10) DEPRECIATION ON FIXED ASSETS:

- Depreciation on assets is charged on the Written Down Value at the rates determined by the Bank, except in respect of

को छोड़कर। कम्प्यूटरों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से सीधे रेखा पद्धति से मूल्यहास लगाया जाता है।

- ख. इसमें परिवर्धन का पूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया जाता है तथा इसमें आस्ति के उपयोग करने की तारीख को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जबकि किसी आस्ति की खरीद/निपटान के वर्ष में मूल्यहास हेतु प्रावधान नहीं किया जाता है।
- ग. आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यहास को पुनर्मूल्यन आरक्षित के निमित्त समायोजित किया जाता है।
- घ. जहाँ भूमि और भवन की लागत अलग-अलग नहीं की जा सकती है, संपूर्ण लागत पर मूल्यहास का प्रावधान, भवन पर लागू दर पर किया जाता है।
- ङ. पट्टाधारित भूमि पर प्रदत्त प्रीमियम, पट्टे की अवधि हेतु परिशोधित की जाती है।
- च. घरेलू परिचालन के संबंध में आस्तियों पर मूल्यहास के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

computers where it is calculated on the Straight Line Method, at the rates prescribed by RBI

- b) In respect of additions, depreciation is provided for the full year, irrespective of the date on which the assets were put to use whereas, depreciation is not provided in the year of sale/ disposal of an asset.
- c) Depreciation on the revalued portion of assets is adjusted against the Revaluation Reserve.
- d) Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.
- e) Premium paid on leasehold land is amortised over the period of lease.
- f) Depreciation on assets in respect of domestic operations are provided as under:

क्र.सं.	विवरण	Sr. No.	Particulars	मूल्यहास की दर Rate of Depreciation
1	परिसर	1.	Premises	5.00%
2	अन्य अचल आस्तियां	2.	Other Fixed Assets	
	क) फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण		a) Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipments	10.00%
	ख) एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें		b) Air-conditioning plants, etc. and business machines.	15.00%
	ग) मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें		c) Motor cars, Vans & Motor cycles	20.00%
	घ) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अंगभूत भाग है।		d) Computers and Computer Software forming integral part of hardware.	33.33%
	ङ) कम्प्यूटर साफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अंगभूत भाग नहीं है।		e) Computer Software, not forming integral part of hardware	100.00%

- छ. भारत के बाहर अचल आस्तियों पर मूल्यहास प्रत्येक केंद्र हास निर्धारित अनुमानित उपयुक्त जीवनकाल के आधार पर किया गया है।

- g) Depreciation on fixed assets outside India is provided based on the estimated useful life determined by each centre.

**11. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार :**

विदेशी मुद्रा वाले संव्यवहारों का लेखांकन, लेखामानक (एस)11 “विदेशी विनिमय दरों में प्रभावी परिवर्तन” के अनुरूप किया गया है।

**क) समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण**

भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालन के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

- विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को रिपोर्टिंग मुद्रा में आरंभिक मान्यता पर रिकार्ड किया जाता है जो रॉयटर के पृष्ठ पर प्रदर्शित भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा सूचित साप्ताहिक औसत क्लोजिंग दर पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाया जाता है।
- विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती है।
- विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदें जो परम्परागत लागत के अनुसार की जाती है उसे संव्यवहार की तारीख में विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट की जाती हैं।
- विदेशी मुद्रा में रखे गए आकस्मिक देयताओं को फेडाई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती है।
- बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का निर्धारित परिपक्वता के लिए फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामतः लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।
- बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित की जाएगी।
- मौद्रिक मदों के निपटान में आरंभ में रिकार्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुई।
- मुद्रा वादा बाजार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसी प्राप्ति/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

**ख) समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:**

विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:

- आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर आंका/स्पष्ट किया जाता है।

**11) TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:**

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, “The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates”.

**a) Translation in respect of Integral Foreign operations:**

Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under:

- Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the daily closing rate as displayed on the Reuter’s page.
- Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rates.
- Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.
- Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.
- Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.
- Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate as advised by FEDAI. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.
- Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.
- Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the Profit and Loss account.

**b) Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:**

Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

- Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.

- ii. आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा सूचित तिमाही औसतन क्लोजिंग दर पर स्पष्ट किया जाता है।
- iii. सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग खाते “विदेशी मुद्रा स्पष्टीकरण रिजर्व” में संचित किया जाता है।
- iv. विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में आंका जाता है।

- ii) Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.
- iii) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account ‘Foreign Currency Translation Reserve’ till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign branches.
- iv) The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

## 12. कर्मचारी लाभ :

### i. अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की अनडिस्काउन्टेड रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है इसे कर्मचारी द्वारा दी जा रही सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

### ii. नियोजन के पश्चात लाभ :

#### क. परिनिश्चित लाभ योजना

##### क. उपदान (ग्रेच्युटी)

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दी जाती है, यह राशि प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय 15 दिनों के बेसिक वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम 1972 अथवा बीओआई (कर्मचारी) उपदान विनियम में निर्धारित अधिकतम राशि में जो भी अधिक हो के अधीन है। पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर वेस्टिंग होता है। बैंक निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन ट्रस्ट द्वारा किया जाता है जो वार्षिक रूप में एक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है।

##### ख. पेंशन

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियत के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है। नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई (कर्मचारी) पेंशन विनियमन के अनुसार बैंक पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है जो वार्षिक रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के तहत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

#### ख. परिनिश्चित अंशदान योजना :

##### क. भविष्य निधि

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक के भविष्य निधि योजना के तहत लाभ पाने का हक

## 12) EMPLOYEE BENEFITS:

### i. Short Term Employee Benefit:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

### ii. Post Employment Benefit:

#### A. Defined Benefit Plan

##### a) Gratuity

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act 1972 or BOI (Employee) Gratuity Regulation whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.

##### b) Pension

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of BOI (Employees) Pension regulations. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out annually and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

#### B. Defined Contribution Plan:

##### a) Provident Fund

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible



है। बैंक एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10% के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करती है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभाषित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

#### ख. पेंशन

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में परिनिश्चित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी परिनिश्चित दर पर मासिक अंशदान करता है। ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को अंतरित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे परिनिश्चित अंशदान तक सीमित है।

#### iii. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

- क. छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिनिश्चित लाभ दायित्व है, एएस 15 कर्मचारी लाभ के अनुरूप बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।
- ख. अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन एवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, आकस्मिक लाभ इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व है जो एएस 15 कर्मचारी लाभ के अनुरूप बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

#### 13. प्रति शेयर अर्जन :

एएस 20 “अर्जन प्रति शेयर” के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या द्वारा निवल से भाग कर गणना की जाती है।

प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया तरल संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लेकर गणना की जाती है।

#### 14. आय पर कर :

क. एएस-22 “आय पर करों के लिए लेखांकन” के अनुरूप आयकर में वर्ष के दौरान चालू कर प्रावधान और आस्तियों या देयताओं पर आस्थगित कर में शुद्ध परिवर्तन शामिल है। चालू करों का निर्धारण लेखांकन मानक 22 के प्रावधान और विदेशी कार्यालय के करों का लेखा लेते हुए भारत में लागू कर कानूनों पर किया जाता है जो संबंधित अधिकार क्षेत्र के कर कानूनों पर आधारित है। आस्थगित कर समायोजन में अवधि के दौरान आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन शामिल है।

ख. आय तथा व्यय की मदें जो एक समय आती है और जो परवर्ती एक या अधिक वर्षों में रिवर्सल की जा सकती है के संबंध में आस्थगित कर के लिए विवेकपूर्ण विचार करने के अध्वधीन मान्यता है।

allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

#### b) Pension

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

#### iii. Other Long term Employee Benefit:

- a) Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.
- b) Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefit etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

#### 13) EARNINGS PER SHARE:

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 “Earnings per share”. Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

#### 14) TAXES ON INCOME:

- a) Income Tax comprises the current tax provision and net change in deferred tax assets or liabilities during the year, in accordance with AS 22 “Accounting for Taxes on Income”. Current taxes are determined in accordance with the provisions of Accounting Standard 22 and tax laws prevailing in India after taking into account taxes of foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdiction. Deferred tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the period.
- b) Deferred Tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent years.

- ग. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का मापन तुलनपत्र की तिथि पर या बाद में लागू किए गए कर दरों और कर कानूनों पर किया जाता है।
- घ. आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में मान्यता दी जाती है और पुनर्मूल्यांकन किया जाता है जो वसूली को समुचित रूप से निश्चित माने जाने हेतु प्रबंधन की राय पर आधारित है। आस्थगित कर आस्तियों को आगे लाए गए अनावशेषित मूल्यहास और कर हानियों पर केवल तभी मान्यता दी जाती है जब यह पूर्णतः निश्चित हो कि आस्थगित कर आस्तियों की भविष्य लाभ से वसूली हो सकती है।

#### 15. आस्तियों का हास

स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर हासित हानि यदि कोई हो को एस 28 “आस्तियों का हास” के अनुरूप लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि पुनर्मूल्यित आस्ति पर हासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता उस हद तक है जहां तक एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम हासित हानि से अधिक न हो।

#### 16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां :

एस 29 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां के अनुसार मूल बैंक प्रावधानों को भी मान्यता देता है। जब पिछली घटनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो, यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों का बहिर्गमनों की दायित्वों को निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आय निर्धारण की बात आ सकती है जबकि वह कभी भी वसूल नहीं हो पाती।

#### 17. शेयर जारी करने हेतु व्यय :

जिस वर्ष में शेयर जारी किए जाते हैं, शेयर जारी करने के व्यय को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

- c) Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.
- d) Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon management’s judgement as to whether realisation is considered reasonably certain. Deferred tax assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future profits.

#### 15) IMPAIRMENT OF ASSETS:

“Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 “Impairment of Assets”. However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.”

#### 16) PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per AS 29 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

#### 17) SHARE ISSUE EXPENSES:

Share issue expenses are charged to the Profit and Loss Account in the year of issue of shares.

**अनुसूची - 18**

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो सभी आंकड़े ₹ करोड़ों में हैं कोष्ठक में दिए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं

**SCHEDULE 18:**

All figures are in ₹ Crores unless specifically stated

Figures in brackets relate to previous year

**वित्तीय विवरणियों के भाग स्वरूप टिप्पणियाँ |**

**NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS**

- वर्ष के दौरान बैंक ने अधिमानी आधार पर भारत सरकार को अंकित मूल्य रु.10/- प्रति शेयर के 2,26,45,802 (4,63,60,686) इक्विटी शेयर ₹ 283.50 (रु.215.70) प्रति शेयर के प्रीमियम पर कुल ₹ 642 (1000) करोड़ गया जैसा कि समय-समय पर संशोधित भारतीय प्रतिभूति ओर विनियम बोर्ड (एसईबीआई) विनियम, 2009 के अध्याय VII अधिनियम 76(1) के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारण किया गया है।
  - अनपूरक खाता लेखे का तुलन और विदेशी शाखा और नोस्ट्रो खातों से पुष्टि/लेखा समाधान और उचंत, देय-ड्राफ्ट, समाशोधन भिन्नता आदि में प्रविष्टियों का समायोजन लगातार किया जा रहा है। विदेशी शाखाओं सहित उपरोक्त लंबित अंतिम समाशोधन / समायोजन का प्रबंधन की राय में लेखों पर समग्र प्रभाव नगण्य रहेगा। वर्ष के लिए निवल लाभ (कर का निवल) ₹ 214.78 करोड़ कम होगा
- वर्ष के दौरान बैंक ने एक वर्ष तक अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है और अवमानक (प्रतिभूतिकृत) के रूप में वर्गीकृत एनपीए के संबंध में प्रावधानीकरण 50% (त्वरित प्रावधान) से 25% (न्यूनतम प्रावधान) किया। अगर पहले की लेखांकन नीति का पालन किया गया होता तो, वर्ष के लिए एनपीए हेतु प्रावधान ₹ 811.00 करोड़ अधिक होता और परिणामस्वरूप वर्ष के लिए निवल लाभ (कर का निवल) ₹ 535.34 करोड़ कम होता।
- निम्नलिखित जानकारी का भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन किया गया है:

- During the year, the Bank has issued 2,26,45,502 (4,63,60,686) Equity Shares of ₹ 10/- each, at a price of ₹ 283.50 (215.70) per share, aggregating ₹ 642 (1,000) Crores on preferential basis in accordance with the regulation 76(1) of SEBI (Issue of Capital and disclosure requirements) Regulations, 2009.
  - Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/reconciliation of balances with foreign branches, Inter office accounts, NOSTRO Accounts, Suspense, Drafts Payable, Clearing Difference, etc. is in progress on an on-going basis. Pending final clearance/adjustment of the above, the overall impact, if any, on the Financial Statements, in the opinion of the management, is not likely to be significant.
- During the year, the Bank has changed its accounting policy of provisioning in respect of NPAs classified as doubtful category (Secured Portion) up to one year from 50% (accelerated provision) to 25% (minimum provision). Had the earlier accounting policy been followed, the provision for NPAs for the year would have been higher by ₹ 811.00 crores with consequential decrease in Net Profit for the year (net of tax) by ₹ 535.34 crores.
- The following information is disclosed in terms of guidelines issued by RBI:

**4.1) पूंजी :**

**3.1. Capital:**

विवरण		Particulars		31.03.2015	31.03.2014
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (सीईटी 1) (%)	i)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET1) (%)		
	बासेल-II		Basel-II	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA
	बासेल -III		Basel-III	7.18%	6.84%
ii)	टियर I पूंजी अनुपात (%)	ii)	Tier I Capital ratio (%)		
	बासेल -II		Basel-II	8.23%	7.57%
	बासेल -III		Basel-III	8.17%	7.24%
iii)	टियर II पूंजी अनुपात (%)	iii)	Tier II Capital ratio (%)		
	बासेल -II		Basel-II	3.19%	3.19%
	बासेल -III		Basel-III	2.56%	2.73%
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरआर) (%)	iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)		
	बासेल II		Basel-II	11.42%	10.76%
	बासेल -III		Basel-III	10.73%	9.97%
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	v)	Percentage of the shareholding of the Government of India	64.43%	66.70%
vi)	वर्ष के दौरान प्राप्त इक्विटी पूंजी राशि	vi)	Amount of Equity Capital Raised during the year	642.00	1000.00
vii)	वर्ष के दौरान टियर-I पूंजी के रूप में प्राप्त राशि (आईपीडीआई)	vii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised during the year i.e. IPDI	2500.00	0.00
viii)	वर्ष के दौरान प्राप्त टियर-II राशि अर्थात डेट कैपिटल इंस्ट्रुमेंट	viii)	Amount of Tier-II capital raised i.e. Debt Capital Instruments, during the year	0.00	1500.00

टियर I पूंजी बढ़ाने हेतु लिए गए बकाया नवोन्मेष सतत ऋण लिखत(आईपीडीआई) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

Details of outstanding Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)/ AT-1 raised to augment Tier I capital are as under:

वर्ष	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना
2006-07	आईपीडीआई	532.34 (यूएसडी 85 मिलियन)	372.64
2007-08	आईपीडीआई	655.00	458.50
2008-09	आईपीडीआई	400.00	280.00
2009-10	आईपीडीआई	325.00	227.50
2010-11	आईपीडीआई	300.00	210.00
2014-15	आईपीडीआई	2500.00	2500.00

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2006-07	IPDI	532.34 (USD 85 Million)	372.64
2007-08	IPDI	655.00	458.50
2008-09	IPDI	400.00	280.00
2009-10	IPDI	325.00	227.50
2010-11	IPDI	300.00	210.00
2014-15	AT-1	2500.00	2500.00

टियर II पूंजी बढ़ाने हेतु लिए गए बकाया टियर II लिखतों के ब्यौरे

Details of outstanding Tier II Instruments raised to augment Tier II capital are as under:

वर्ष	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बासल III)
2005-06	लोअर टियर II	950.00	40.00
2006-07	अपर टियर II	1,492.96 (यूएसडी 240 मिलियन)	1,045.07
2006-07	अपर टियर II	732.00	512.40
2008-09	अपर टियर II	500.00	350.00
2009-10	अपर टियर II	2000.00	1400.00
2010-11	अपर टियर II	1000.00	700.00
2013-14	अपर टियर II	1000.00	1000.00
2013-14	अपर टियर II	500.00	500.00

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2005-06	Lower Tier II	950.00	40.00
2006-07	Upper Tier II	1,492.96 (USD 240 Million)	1,045.07
2006-07	Upper Tier II	732.00	512.40
2008-09	Upper Tier II	500.00	350.00
2009-10	Upper Tier II	2000.00	1400.00
2010-11	Upper Tier II	1000.00	700.00
2013-14	Upper Tier II	1000.00	1000.00
2013-14	Upper Tier II	500.00	500.00

### 3.2 निवेश

### 3.2. Investments

क्र. सं.	विवरण	यथा	
		31.03.2015	31.03.2014
1	निवेशों का सकल मूल्य	120860.46	115,251.01
	i) क) भारत में	115354.25	109,128.04
	ख) भारत के बाहर	5506.21	6,122.97
	ii) मूल्यहास हेतु प्रावधान	1065.50	1,095.30
	क) भारत में	482.52	617.04
	ख) भारत के बाहर	582.98	478.26
	iii) परिशोधन	2.91	3.28
	क) भारत में	0.00	0.00
	ख) भारत के बाहर	2.91	3.28
	iv) निवेशों का निवल मूल्य	119792.05	114,152.43
	क) भारत में	114871.73	108,511.00
	ख) भारत के बाहर	4920.32	5,641.43
2	निवेश पर मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधानों की स्थिति		
	i) प्रारंभिक शेष	1095.30	980.10
	ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	84.12	72.55
	iii) घटाएं : बढ़े खाते डालना/वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का राइट-बैक	113.92	(42.65)
	iv) अंतिम शेष	1065.50	1,095.30

\* विनिमय अंतर को मिलाकर

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2015	As at 31.03.2014
1	Gross Value of Investments	120860.46	115,251.01
	i) a) In India	115354.25	109,128.04
	b) Outside India	5506.21	6,122.97
	ii) Provisions for Depreciation	1065.50	1,095.30
	a) In India	482.52	617.04
	b) Outside India	582.98	478.26
	iii) Amortisations	2.91	3.28
	a) In India	0.00	0.00
	b) Outside India	2.91	3.28
	iv) Net Value of Investments	119792.05	114,152.43
	a) In India	114871.73	108,511.00
	b) Outside India	4920.32	5,641.43
2	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	i) Opening balance	1095.30	980.10
	ii) Add: Provisions made during the year	84.12	72.55
	iii) Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year *	113.92	(42.65)
	iv) Closing balance	1065.50	1,095.30

\*Including exchange difference

3.3.1 वर्ष के दौरान किए गए रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य पर)

(₹ करोड़ में)

3.2.1. Repo Transactions (in face value terms) undertaken during the year:

(₹ in Crore)

विवरण	Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average outstanding during the year	बकाया यथा 31 मार्च, 2015 Outstanding as on March 31, 2015
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां	Securities sold under repo				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	0.00 (0.00)	4731.66 (9,178.00)	800.93 (3,153.67)	3131.67 (2,270.00)
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	140.40 (0.00)	0.38 (0.00)	0.00 (0.00)
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां	Securities purchased under reverse repo				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	0.00 (0.00)	4000 (0.00)	241.77 (0.00)	0.00 (0.00)
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) अंतर्गत किए गए संव्यवहार शामिल है (मार्जिन को छोड़कर)।

The above include transactions undertaken under Liquidity Adjustment Facility (LAF) with RBI (net of margin).

3.2.2. गैर-एसएलआर निवेश संविभाग:

3.2.2. Non-SLR Investment Portfolio:

i) गैर-एसएलआर निवेश संविभाग के जारीकर्ताओं की बनावट

i. Issuer Composition of Non-SLR Investments

क्र. सं. S r. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी तौर पर शेयर आबंटन Extent of Private Placement	'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूति आबंटन Extent of 'Below Investment Grade' Securities	अश्रेणीकृत प्रतिभूति आबंटन Extent of 'Unrated' Securities	असूचीबद्ध प्रतिभूति आबंटन Extent of 'Un-listed' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	सार्वजनिक उपक्रम / PSUs	2,946.87 (3,318.47)	1,890.74 (181.87)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
ii.	वित्तीय संस्थाएं / FIs	2,364.98 (2,179.76)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	144.90 (0.00)	144.90 (0.00)
iii.	बैंक / Banks	1035.92 (1,538.35)	100.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	156.25 (0.00)
iv.	निजी कॉर्पोरेट Private Corporates	2,726.07 (3,282.12)	1986.27 (1,025.25)	621.01 (527.68)	133.67 (59.91)	83.57 (2,022.82)
v.	अनुषंगियां/ संयुक्त उद्यम Subsidiaries/Joint Ventures	1,034.60 (907.71)	1034.60 (907.71)	0.00 (0.00)	0.00 (907.71)	0.00 (0.00)
vi.	अन्य. Others	5,419.02 (3,425.39)	4,160.01 (1,455.42)	0.00 (0.00)	142.92 (151.15)	19.38 (1,227.63)
	<b>उप-जोड़ Sub-total</b>	<b>15,527.46 (14,651.80)</b>	<b>9,171.62 (3,570.25)</b>	<b>621.01 (527.68)</b>	<b>421.49 (1,118.77)</b>	<b>404.10 (3,250.45)</b>
vii.	घटाएं: मूल्यहास हेतु किए गए प्रावधान Less: Provision held towards Depreciation	1,054.79 (1,084.67)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	<b>कुल Total</b>	<b>14,472.67 (13,567.13)</b>	<b>9171.62 (3,570.25)</b>	<b>621.01 (527.68)</b>	<b>421.49 (1,118.77)</b>	<b>404.10 (3,250.45)</b>

ii) अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

ii. Non-performing Non-SLR Investments

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
प्रारंभिक शेष	Opening balance	810.20	544.27
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	239.36	365.73
वर्ष के दौरान कटौतियां	Reductions during the year	74.94	99.80
अंतिम शेष*	Closing balance*	974.61	810.20
धारित कुल प्रावधान	Total provisions held	717.49	547.93

\* विनिमय अंतर शामिल

\* Including Exchange Difference

3.3.3 बिक्री तथा एचटीएम श्रेणी को/से हस्तांतरण:

3.2.2.Sale and transfers of securities to/from HTM Category:

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
वर्ष के प्रारंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेश के बही मूल्य/ के 5% से अधिक मूल्य	Value in excess of 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year	शून्य Nil	शून्य Nil

3.3 डेरिवेटिव

3.3 Derivatives

3.3.1 वायदा दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

3.3.1 Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2015	यथा 31.03.2014
i)	स्वैप अनुबंध की कल्पित मूल राशि	17788.62	18,308.67
ii)	संबंधित पक्षों द्वारा करार के अंतर्गत अपने दायित्व पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानियां	552.01	148.06
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने पर बैंक द्वारा अपेक्षित सम्पाथिक प्रतिभूति	स्वैप के लिए संपाथिक प्रतिभूति की जरूरत नहीं है क्योंकि काउन्टर पार्टी या तो बैंक अथवा प्रीमियर कार्पोरेट है	
iv)	स्वैप से आए क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण	वर्ष के दौरान ब्याज दर स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का कोई संकेन्द्रण नहीं है।	
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	557.02	87.98

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2015	As at 31.03.2014
i)	The notional principal of swap agreements	17788.62	18,308.67
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	552.01	148.06
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	No collaterals were required for the swaps as counterparties were either banks or premier Corporate.	
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	There is no concentration of credit risk arising from the interest rate swaps undertaken during the year.	
v)	The fair value of the swap book	557.02	87.98

3.3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव

3.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

क्र. सं.	विवरण	Particulars	यथा As at 31.03.2015	यथा As at 31.03.2014
(i)	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि (लिखत वार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	- (-)	- (-)
(ii)	यथा 31 मार्च को बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि (लिखत वार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March (instrument-wise)	- (-)	- (-)
(iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि और जो "उच्च प्रभावी" नहीं हो (लिखत वार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	- (-)	- (-)
(iv)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य और जो "उच्च प्रभावी" नहीं हो (लिखत वार)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	- (-)	- (-)

### 3.3.3 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटन

#### i. गुणात्मक प्रकटन

बैंक तुलन पत्र की आस्तियों और देयताओं हेज करने के लिए अथवा कारोबारी उद्देश्यों और ग्राहक जरूरतों को पूरा करने के लिए डेरिवेटिव संविदाएं करता है जैसे कि ब्याज-दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली और मुद्रा तथा परस्पर लेन देन की मुद्रा का विकल्प या व्यापार के उद्देश्य हेतु ये उत्पाद जोखिम की प्रतिरक्षा, लागत घटाने तथा ऐसे संव्यवहारों से आय बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बैंक इस प्रकार के संव्यवहार में जिस प्रकार के जोखिमों का सामना करता है, वे हैं ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनगत जोखिम आदि।

जोखिम प्रबंधन बैंक के कारोबार प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जोखिम की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने, समुचित जोखिम सीमाएं निर्धारित करने और उन जोखिमों और सीमाओं की निरंतर आधार पर अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों के जरिए देख-रेख करने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार की हैं। जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई हैं और उनकी नियमित आधार पर देख-रेख तथा समीक्षा की जाती है। बैंक का संगठन जोखिम के प्रबंधन में सहायक रहा है। डेरिवेटिव परिचालन में व्यापार क्रिया कलापों के ऋण जोखिमों की पर्याप्त जानकारी है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में बैंक के निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति है।

हेजिंग स्वैप का लेखांकन उपचय के आधार पर किया जाता है, सिवाय आस्ति तथा देयता के साथ अभिहित अदला-बदली को बाजार मूल्य अथवा लागत/बाजार मूल्य से कम में लिया जाता है। ऐसे मामलों में अदला-बदली की स्थिति बाजार मूल्य पर होती है और उसके परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ अथवा हानि को अभिहित आस्ति और देयता के बाजार मूल्य के साथ समायोजन के रूप में रिकार्ड किया जाएगा। अभिहित आस्ति अथवा देयताओं पर लाभ अथवा हानि में प्रति संतुलन दिखाये जाने पर ब्याज दरों की अदला-बदली के लाभ अथवा हानि को दिखाया जाएगा। इसका अर्थ है ब्याज दरों की अदला-बदली की समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि आस्थगित रखी जाएगी और अदला-बदली के शेष बचे करार-आयु अथवा आस्ति/देयता के शेष आयु पर अल्पकालिक दिखाया जाएगा।

कारोबारी डेरिवेटिव की स्थिति बाजार मूल्य पर होती है और यदि कोई हानि हो, तो उसे लाभ-हानि खाते में दिखाया जाता है। यदि कोई लाभ हो, तो निपटान तिथि से नहीं दिखाया जाता है। स्वैप की समाप्ति पर लाभ और हानि को तत्काल आय और व्यय में रिकार्ड किया जाता है।

बैंक में वरिष्ठ और उच्च प्रबंधन को आवधिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की उचित पद्धति है इसके साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित/या परिचालन आवश्यकतानुसार विनियामक प्राधिकारियों को भी रिपोर्ट भेजी जाती है। बैंक के पास निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न पहलुओं पर स्पष्ट डेरिवेटिव दिशा-निर्देश है। डेरिवेटिव लेन देन समवर्ती आंतरिक, सांविधिक और नियामक लेखा परीक्षा के शर्तों के अध्वधीन है।

### 3.3.3. Disclosures on risk exposure in derivatives

#### i. Qualitative Disclosure

The Bank enters into derivative contracts such as interest rate swaps, currency swaps and currency options to hedge on balance sheet assets and liabilities or to meet client requirements as well as for trading purpose as per policy approved by the Board. These products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield. In such transactions the types of risks to which the bank is exposed to, are credit risk, market risk, operational risk etc.

Risk management is an integral part of bank's business management. Bank has risk management policies designed to identify and analyse risks, to set appropriate risk limits and to monitor these risks and limits on an on-going basis by means of reliable and up to date management information systems. The risk management policies and major control limits are approved by the Board of Directors and they are monitored and reviewed regularly. The organization of the Bank is conducive to managing risks. There is sufficient awareness of the risks and the size of exposure of the trading activities in derivative operations.

The Bank has a Risk Management Committee of Directors presided over by the Chairman and Managing Director.

Hedging swaps are accounted for on an accrual basis except for swap designated with an asset and liability that is carried at market value or lower of cost/market value. In such cases, the swaps are marked to market and the resulting gain or loss is recorded as an adjustment to the market value of the designated asset or liability. Gains or losses on the termination of swaps are recognised when the offsetting gain or loss is recognised on the designated asset or liability. This implies that any gain or loss on the terminated swap would be deferred and recognised over the shorter of the remaining contracting life of the swap or the remaining life of the asset/liability.

Trading derivative positions are marked to market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognised in the profit and loss account. Profit, if any, are not recognised on the settlement date. Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income or expenses.

Bank has a proper system of submitting periodical reports to Senior and Top Management and Board as well as regulatory authorities as required by RBI and/or as per operational requirements. Bank has clearly spelt derivative guidelines on various aspects approved by the Board of Director. The derivative transactions are subject to concurrent, internal, statutory and regulatory audits.

संव्यवहारों के प्रतिपक्ष बैंक प्राथमिक डीलर और प्रीमियर कार्पोरेट्स ईकाइयां हैं। इनमें व्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमा के अंदर किया जाता है। बैंक ने ब्याज दर एवं विदेशी विनिमय डेरिवेटिव लेन-देनों के कारण उत्पन्न ऋण जोखिमों के मापन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वर्तमान ऋण जोखिम विधि अपनाई है। वर्तमान ऋण जोखिम विधि में वर्तमान ऋण जोखिम और इन संविदाओं के संभावी आगामी ऋण जोखिम का जोड़ है।

वर्तमान ऋण एक्सपोज़र इन संविदाओं के सकारात्मक मार्कडू-टू-मार्केट मूल्य का जोड़ है अर्थात जब बैंक को प्रतिपक्ष से राशि प्राप्त करनी होती है।

संभावी आगामी ऋण जोखिम का निर्धारण इन संविदाओं के कल्पित मूल राशि, चाहे संविदा का शून्य, सकारात्मक अथवा नकारात्मक मार्कडू-टू-मार्केट मूल्य हो, के साथ निम्नानुसार संबंधित एड-ऑन तत्वों के अनुसार लिखत के शेष परिपक्वता और स्वाप का गुण करके प्राप्त किया जाएगा।

अवशिष्ट परिपक्वता	कुल अनुमानित मूल राशि पर लागू परिवर्तनकारक तत्व	
	ब्याज दर संविदा	विनिमय दर संविदा
एक वर्ष या उससे कम	0.50%	2.00%
एक वर्ष से अधिक पांच वर्ष तक	1.00%	10.00%
पाँच वर्ष से अधिक	3.00%	15.00%

ऋण जोखिम की गणना करते समय बिक्रीगत विकल्पों को वहाँ छोड़ दिया जाता है जहाँ कहीं प्रीमियम / शुल्क या किसी भी रूप में आय प्राप्त / वसूली होती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशानुसार के अनुसार संविदा के वर्तमान बाजार मूल्य पर ऋण जोखिम की गणना की जाती है। इस पर मानक श्रेणी के ऋण आस्ति पर लागू प्रावधान भी लागू है। वर्तमान में जोखिमवाली आस्तियों पर 0.4% प्रावधान किया जाना है। हमारे खातों में बैंक उपर्युक्त के अनुसार अपेक्षित प्रावधान करते हैं।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

क्र. सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याजदर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
1	डेरिवेटिव (अनुमानित मूल राशि)	Derivatives (Notional Principal Amount)		
	क) हेजिंग हेतु	a) For hedging	18627.06 (6461.74)	17588.61 (17431.58)
	ख) कारोबार हेतु	b) For trading	44312.28 (131059.06)	200.00 (876.87)
2	ब्याज दर पर स्थितियाँ	Marked to Market Positions [1]		
	क) आस्ति (+)	a) Asset (+)	123.19 (0.00)	720.77 (698.07)

The counter parties to the transactions are banks, primary dealers and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The Bank has adopted the Current Exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposures arising on account of interest rate and foreign exchange derivative transactions. Current exposure method is the sum of current credit exposure and potential future exposure of these contracts.

The current credit exposure is the sum of positive mark to market value of these contracts i.e. when the Bank has to receive money from the counter party.

Potential future credit exposure is determined by multiplying the notional principal amount of these contracts irrespective of whether the contract has zero, positive or negative mark to market value by the relevant add-on factors as under according to the nature and residual maturity of the instrument.

Residual Maturity	Conversion factor applied on Notional Principal Amount.	
	Interest Rate Contract	Exchange Rate Contract
One year or less	0.50%	2.00%
Over one year to five years	1.00%	10.00%
Over five years	3.00%	15.00%

While computing the credit exposure, "sold options" are excluded wherever the entire premium/fee or any other form of income is received / realized.

As per the extant RBI guidelines credit exposures computed as per the current Mark to Market value of the contracts, also attracts provisioning requirement as applicable to the loan assets in the "Standard" category, of the concerned counterparty. At present the provision is to be maintained at 0.4% of the risk weighted assets. The Bank makes the requisite provision as aforesaid in the books.

ii. Quantitative Disclosures



क्र. सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives		ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	
	ख) देयता (-)	b) Liability (-)	-51.26 (95.68)		-132.76 (21.20)	
3	क्रेडिट एक्सपोजर [2]	Credit Exposure [2]	1993.82 (6279.92)		275.28 (360.26)	
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से होने वाला संभाव्य प्रभाव (100*पीवी01)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	a) On hedging derivatives	2.37 (1.69)		45.81 (67.43)	
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	b) On trading derivatives	0.02 (0.01)		0.75 (-0.01)	
5	वर्ष के दौरान देखी गई 100*पीवी01 की अधिकतम एवं न्यूनतम	Maximum & Minimum of 100*PV01 observed during the year	अधि. Max.	न्यून. Min.	अधि. Max.	न्यून. Min.
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	a) On hedging	2.43 (4.01)	1.81 (1.69)	79.34 (70.79)	45.81 (67.53)
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	b) On trading	0.02 (0.01)	0.01 (0.01)	0.92 (0.01)	0.75 (0.01)

3.4 आस्ति गुणवत्ता

3.4 Asset Quality

3.4.1 अनर्जक आस्तियां

3.4.1 Non-Performing Assets

(क) अनर्जक अग्रिम

(a) Non performing Advances

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
(i) निवल अग्रिमों में से निवल एनपीए (%)	(i) Net NPAs to Net Advances (%)	3.36%	2.00%
(ii) एनपीए (सकल) का उतार-चढ़ाव	(ii) Movement of NPAs (Gross)		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	11868.60	8,765.25
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	16651.47	8,810.91
ग) वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	6326.83	5,707.56
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	22193.24	11,868.60
(iii) निवल एनपीए का उतार-चढ़ाव	(iii) Movement of Net NPAs		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	7417.23	5,947.31
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	10186.17	3,040.02
ग) वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	4085.83	1,570.11
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	13517.57	7,417.22
(iv) एनपीए के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)	(iv) Movement of provision for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	3564.31	1,958.88
ख) वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	b) Provisions made during the year	6327.37	4,522.15
ग) बड़े खाते में/अतिरिक्त प्रावधान को राइट बैक	c) Write-off/write-back of excess provisions	2457.37	2,916.72
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	7434.31	3,564.31

(ख) अनर्जक निवेश

(b) Non performing Investments

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
(ii) निवल निवेश पर निवल एनपीआई (%)	(i) Net NPIs to Net Investment (%)	0.21%	0.23%
(ii) एनपीआई (सकल) का प्रवाह	(ii) Movement of NPIs (Gross)		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	810.21	544.27
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	239.36	365.73
ग) वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	74.94	99.80
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	974.63	810.21
(iii) निवल एनपीआई का उतार-चढ़ाव	(iii) Movement of Net NPIs		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	262.28	85.33
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	30.13	182.50
ग) वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	35.28	5.55
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	257.13	262.28
(iv) एनपीआई के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव	(iv) Movement of provision for NPIs		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	547.93	458.95
ख) वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	b) Provisions made during the year	209.23	183.23
ग) बड़े खाते में/अतिरिक्त- प्रावधान को राइट बैक	c) Write-off/write-back of excess provisions	39.66	94.25
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	717.50	547.93

3.4.2 Particulars of Accounts Restructured

(क) वर्ष 2014-15 के दौरान पुनर्गठन की शर्त पर ऋण पुनर्गठन के तहत पर ऋण आस्तियों के ब्यौरे (प्रबंधन द्वारा समेकित)

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्र. सं. / Sr. No.	पुनर्गठन खातों के प्रकार / Type of Restructuring	सौझी आर मेकैनिज्म के तहत / Under CDR Mechanism					एस्पेसिफ़ी ऋण पुनर्गठन के तहत / Under SME Debt Restructuring					अन्य / Others					कुल / Total					
		मामक / Standard	अवमानक / Substandard	संदिग्ध / Doubtful	हानि / Loss	कुल / Total	मामक / Standard	अवमानक / Substandard	संदिग्ध / Doubtful	हानि / Loss	कुल / Total	मामक / Standard	अवमानक / Substandard	संदिग्ध / Doubtful	हानि / Loss	कुल / Total	मामक / Standard	अवमानक / Substandard	संदिग्ध / Doubtful	हानि / Loss	कुल / Total	
1	वित्तीय वर्ष के चयन 1 अर्थात् पुनर्गठन खाते (प्रारंभिक आवक) / Restructured Account As on April 1 of FY (Opening Figure)	42 (56)	16 (7)	1 (2)	0 (0)	59 (66)	127 (71)	22 (4)	8 (1)	1 (0)	158 (76)	28689 (15391)	1225 (984)	396 (275)	1 (2)	30311 (16552)	28858 (15518)	1263 (895)	405 (278)	2 (2)	30528 (16693)	
	वकाया राशि / Provision	4810.86 (4951.96)	1377.97 (1073.73)	632.08 (39.16)	0.00 (0.00)	6820.91 (6064.85)	816.16 (385.92)	191.11 (11.71)	51.96 (1.35)	1.72 (0.00)	1060.95 (398.98)	7930.45 (11934.15)	750.97 (437.63)	390.37 (179.17)	190.69 (160.70)	9263.09 (12711.65)	13557.48 (1523.07)	2320.05 (1523.07)	1075.01 (219.68)	192.41 (160.70)	17144.95 (19175.48)	
	उत्पन्न / Provision thereon	424.23 (446.67)	108.84 (46.70)	1.96 (9.96)	0.00 (0.00)	535.03 (505.33)	16.16 (1.17)	6.61 (0.00)	3.68 (0.00)	0.00 (0.00)	26.45 (1.17)	436.56 (250.57)	25.19 (9.10)	15.60 (4.25)	0.00 (0.00)	477.35 (263.92)	876.95 (688.41)	140.64 (57.80)	21.24 (14.21)	0 (0.00)	1038.83 (770.42)	
2	वर्ष के दौरान ताजा पुनर्गठन / Fresh restructuring during the year	10 (15)	5 (5)	9 (0)	0 (0)	24 (20)	43 (86)	8 (9)	1 (2)	0 (0)	52 (97)	17006 (19598)	204 (603)	72 (118)	2 (0)	17284 (20319)	17059 (19699)	217 (617)	82 (120)	2 (0)	17360 (20436)	
	वकाया राशि / Provision	1633.32 (2017.5)	455.62 (457.81)	1213.84 (0.00)	0.00 (0.00)	3302.77 (2475.16)	456.62 (542.01)	64.54 (127.17)	24.12 (35.80)	0.00 (0.00)	545.28 (704.98)	7572.83 (2514.85)	888.61 (268.85)	636.26 (137.58)	11.25 (0.00)	9108.95 (2321.28)	9662.77 (5074.21)	1408.77 (853.63)	1874.22 (173.38)	11.25 (0.00)	12570.01 (6101.42)	
	उत्पन्न / Provision thereon	73.73 (228.55)	19.11 (56.03)	47.31 (0.00)	0.00 (0.00)	140.15 (284.58)	15.21 (14.99)	1.76 (6.61)	-1.71 (3.68)	0.00 (0.00)	15.26 (25.28)	251.97 (103.40)	29.02 (11.52)	12.58 (11.56)	0.24 (0.00)	283.81 (126.48)	340.91 (346.94)	49.89 (74.16)	58.18 (15.24)	0.24 (0.00)	449.22 (436.34)	
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक प्रवर्ग / Upgradations to restructured standard category during the FY	4 (2)	-4 (-2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	-2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	6 (-1)	-4 (-3)	0 (0)	0 (-4)	12 (1)	-10 (-5)	-2 (0)	0 (0)	0 (-4)	0 (0)	
	वकाया राशि / Provision	386.25 (138.69)	-256.93 (-138.69)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	129.32 (0.00)	6.71 (0.00)	-6.51 (0.00)	0.00 (0.00)	0.20 (0.00)	63.92 (1355.81)	-65.77 (-9.24)	-10.58 (0.00)	-12.43 (1346.57)	-329.21 (-147.93)	456.88 (1494.50)	-329.21 (-147.93)	-10.58 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	117.09 (1946.57)	
	उत्पन्न / Provision thereon	32.86 (12.87)	-36.55 (-12.87)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	-3.59 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	2.97 (0.10)	-3.16 (-0.10)	-0.42 (0.00)	-0.61 (0.00)	0.00 (0.00)	35.93 (12.97)	-39.71 (-12.97)	-0.42 (0.00)	0 (0.00)	-4.20 (0.00)	0 (0.00)	
4	ऐसे पुनर्गठित मानक अग्रिम निम पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उन्नत / अथवा अतिरिक्त जोखिम भार लगाना बंद है और वित्तीय वर्ष की प्रारंभ में पुनर्गठित मानक अग्रिमों के रूप में दायित्व की आवश्यक्ता नहीं है / Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	11 (12)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	11 (12)	19 (9)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	19 (9)	9053 (6259)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	9053 (6276)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	9083 (0)
	वकाया राशि / Provision	607.11 (138.40)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	607.11 (138.40)	83.78 (4.30)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	83.78 (4.30)	653.49 (5147.07)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	-12.43 (1346.57)	-329.21 (-147.93)	456.88 (1494.50)	-329.21 (-147.93)	-10.58 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	117.09 (1946.57)	
	उत्पन्न / Provision thereon	47.62 (141.63)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	47.62 (141.63)	0.24 (0.05)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.24 (0.05)	16.24 (14.92)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	16.24 (14.92)	64.10 (156.60)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	64.10 (156.60)		

क्र. सं. / Sr. No	पुनर्निर्दिष्ट खातों के प्रकार / Type of Restructuring	सीडीआर मैकेनिज्म के तहत / Under CDR Mechanism						एस्पार्स कृपा पुनर्निर्दिष्ट के तहत / Under SME Debt Restructuring						अन्य / Others						कुल / Global											
		संश्लेषण / Assets Classification		संश्लेषण / Global		संश्लेषण / Global		संश्लेषण / Global		संश्लेषण / Global		संश्लेषण / Global		संश्लेषण / Global		संश्लेषण / Global		संश्लेषण / Global		संश्लेषण / Global		संश्लेषण / Global									
	विवरण / Details	मानक / Standard	अवमानक / Substandard	संश्लेषण / Doubtful	हानि / Loss	कुल / Total	मानक / Standard	अवमानक / Substandard	संश्लेषण / Doubtful	हानि / Loss	कुल / Total	मानक / Standard	अवमानक / Substandard	संश्लेषण / Doubtful	हानि / Loss	कुल / Total	मानक / Standard	अवमानक / Substandard	संश्लेषण / Doubtful	हानि / Loss	कुल / Total	मानक / Standard	अवमानक / Substandard	संश्लेषण / Doubtful	हानि / Loss	कुल / Total					
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्निर्दिष्ट खातों का डाउनग्रेडेशन / Downgradations of restructured accounts during the FY	-13 (-11)	6 (11)	7 (0)	0 (0)	0 (0)	-39 (-16)	11 (14)	28 (1)	0 (1)	0 (0)	-4780 (-38)	4730 (37)	46 (1)	4 (0)	0 (0)	-4832 (-65)	870.26 (1544.07)	4747 (62)	81 (2)	4 (1)	0 (0)	-3037.93 (-1550.21)	870.26 (1544.07)	2579.04 (4.45)	4747 (62)	81 (2)	4 (1)	0 (0)	446.38 (0.0)	
	उधारकर्ताओं की संख्या / No. of Borrowers																														
	रकम / Amount	-945.51 (-1015.59)	265.17 (1015.59)	804.63 (0.0)	0.0 (0.0)	124.29 (0.0)	-357.28 (-74.17)	98.66 (66.97)	268.39 (3.51)	0 (1.69)	0 (0.0)	-1735.14 (-460.45)	506.43 (459.51)	1506.02 (0.94)	35.01 (0.0)	312.32 (0.0)	-3037.93 (-1550.21)	870.26 (1544.07)	4747 (62)	81 (2)	4 (1)	0 (0)	-3037.93 (-1550.21)	870.26 (1544.07)	2579.04 (4.45)	4747 (62)	81 (2)	4 (1)	0 (0)	446.38 (0.0)	
	उत्पन्न / Provision	-64.15 (-51.17)	-9.41 (51.17)	47.92 (0.0)	0.0 (0.0)	-25.64 (0.0)	-6.73 (-0.04)	-5.44 (0.04)	9.21 (0.0)	0.0 (0.0)	-2.96 (0.0)	-85.80 (-13.37)	14.76 (13.36)	57.33 (0.1)	0.03 (0.0)	-13.68 (0.0)	-156.68 (-64.57)														
	उत्पन्न / Provision thereon																														
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्निर्दिष्ट खातों को बड़े खाते में डालना / Write-offs of restructured accounts during the FY	1132.13 (640.60)	418.66 (245.75)	632.08 (39.16)	0.0 (0.0)	2182.87 (925.51)	80.50 (61.59)	22.72 (0.0)	1.15 (0.0)	0.0 (0.0)	104.37 (61.59)	31.09 (227.17)	241.85 (293.85)	34.22 (35.62)	-13.94 (1.40)	293.21 (658.04)	1243.72 (929.36)	683.23 (539.60)	667.45 (74.78)												
	उधारकर्ताओं की संख्या / No. Of Borrowers																														
	रकम / Amount	82.91 (46.41)	22.06 (27.21)	1.96 (9.96)	0.0 (0.0)	2106.93 (85.56)	0.76 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.76 (0.0)	26.42 (12.25)	8.66 (7.22)	4.35 (0.42)	0 (0.0)	39.43 (19.89)	110.09 (60.66)	30.72 (34.43)	6.31 (10.38)												
	उत्पन्न / Provision																														
	उत्पन्न / Provision thereon																														
7	वित्तीय वर्ष के यथा 31 मार्च को पुनर्निर्दिष्ट खातों (लेखावदी आंकड़े) / Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures)	4125.32 (4810.86)	1423.17 (1377.97)	2018.47 (632.08)	0.0 (0.0)	7566.96 (6820.91)	757.93 (616.16)	325.08 (191.11)	343.32 (51.96)	1.72 (1.72)	1428.05 (1060.95)	12352.48 (7890.45)	1836.39 (750.97)	2423.41 (390.97)	223.01 (190.69)	16837.29 (9263.08)	17235.74 (13557.47)	3586.64 (2320.05)	4785.19 (1075.01)	562 (405)	8 (2)	224.73 (192.41)	25832.30 (17144.94)	4785.19 (1075.01)	4785.19 (1075.01)	224.73 (192.41)	8 (2)	224.73 (192.41)	25832.30 (17144.94)		
	उत्पन्न / Provision																														
	उत्पन्न / Provision thereon																														
	कुल / Total	336.24 (424.23)	59.93 (108.84)	95.23 (1.96)	0.0 (0.0)	491.40 (535.03)	23.64 (16.16)	2.93 (6.61)	11.18 (3.68)	0.0 (0.0)	37.75 (26.45)	563.04 (436.56)	57.15 (25.19)	80.74 (15.60)	0.27 (0.0)	701.20 (477.35)	922.92 (876.95)	120.01 (140.64)	187.15 (21.24)	562 (405)	8 (2)	224.73 (192.41)	12036.83 (1036.83)	187.15 (21.24)	187.15 (21.24)	224.73 (192.41)	0.27 (0.0)	1230.35 (1036.83)			

3.4.3 आस्ति पुनर्गठन के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

3.4.3. Details of financial assets sold to Securitisation/Reconstruction Company for Asset Reconstruction

ए

A

क्र. सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
(i)	खातों की संख्या	Number of accounts	20	217,061
(ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)	Aggregate value (net of provision) of accounts sold to SC/RC	1847.29	2,331.52
(iii)	कुल प्रतिफल	Aggregate consideration	1809.24	2,628.57
(iv)	विगत वर्षों में अंतरित खातों में वसूल किया हुआ अतिरिक्त प्रतिफल	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	0.00
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल आय/(हानि)	Aggregate gain/(loss) over net book value	-38.05	297.05

बी

B

विवरण	Particulars	अंतर्निहित रूप में बैंक द्वारा बिक्री एनपीए द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं एनबीएफसी द्वारा बिक्री एनपीए द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/NBFC		कुल Total	
		2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
प्रतिभूति रसीदों में निवेशों का बहीमूल्य	Book Value of investments in securities receipts	2753.06	882.13	0.00	0.00	2753.06	882.13

सी. एनपीए की बिक्री से लाभ

C. Profit from sale of NPA:

क्र. सं. Sr. No.	विवरण	Particular	2014-15	2013-14
	एनपीए की बिक्री के संबंध में वित्तीय वर्ष 2014-15 में दर्ज लाभ	Profit booked in FY 2014-15 in respect of sale of NPA	15.58 *	0.00

\* वित्तीय वर्ष 2014-15 में एनपीए की बिक्री से प्राप्त ₹ 11.83 करोड़ शामिल।

\* includes ₹ 11.83 crores on account of Sale of NPA during FY 2013-14

3.4.4 खरीदी गई/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा (अन्य बैंकों से/को)

3.4.4. Details of non-performing financial assets purchased/sold (from/to other banks)

क) खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा :

(a) Details of non-performing financial assets purchased:

(₹ करोड़ में)

(₹ करोड़ में)

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
1 (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	1 (a) No. of accounts purchased during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ख) कुल बकाया	(b) Aggregate outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL
2 (क) इनमें से वर्ष के दौरान कितने खातों का पुनर्गठन किया गया	2 (a) Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ख) कुल बकाया	(b) Aggregate outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL

ख) बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा:

(b) Details of non-performing financial assets sold :

(₹ करोड़ में)

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
1. बेचे गए खातों की संख्या	1. No. of accounts sold	शून्य/NIL	शून्य/NIL
2. कुल बकाया	2. Aggregate outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	3. Aggregate consideration received	शून्य/NIL	शून्य/NIL

3.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

3.4.5. Provisions on Standard Assets

(₹ करोड़ में)

विवरण	Particulars	यथा As at 31.03.2015	यथा As at 31.03.2014
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (आरबीआई के मुताबिक)	Provisions towards Standard Assets (held as per RBI Norms)	2373.50	1,984.32

3.5 कारोबार अनुपात

3.5. Business Ratios

Sr. No.	विवरण	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
(i)	औसत कार्यशील निधियों में ब्याज आय का प्रतिशत	Interest Income as a percentage to average Working Funds	6.81%	7.19%
(ii)	औसत कार्यशील निधियों में गैर-ब्याज आय का प्रतिशत	Non-interest income as a percentage to average Working Funds	0.66%	0.81%
(iii)	औसत कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ का प्रतिशत	Operating Profit as a percentage to average Working Funds	1.17%	1.60%
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल	Return on Assets	0.27%	0.51%
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में) (जमाराशि + अग्रिम)	Business per employee (deposits plus advances)	20.69	19.63
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	Profit per employee	0.037	0.0628

3.6 आस्ति देयता प्रबंधन

3.6. Asset Liability Management

आस्तियों एवं देयताओं की कतिपय मदों का परिपक्वता प्रकार 31 मार्च, 2015

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31<sup>st</sup> March 2015

(प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

(राशि ₹ करोड़ में) / (As compiled by the management)

विवरण Particulars	1 दिन Day 1 (01/04/2015)	2 से 7 दिन तक 2 to 7 days (02/04/2015 से To 07/04/2015)	8 से 14 दिन तक 8 to 14 days (08/04/2015 से to 14/04/2015)	15 से 28 दिन तक 15 to 28 days (15/04/2015 से to 28/04/2015)	28 दिन से 3 महीने तक Over 28 days upto 3 months ( 29/04/2015 to से 30/06/2015)	3 महीनों से अधिक एवं 6 महीनों तक Over 3 months & Upto 6 months (01/07/2015 to से 30/09/2015)	6 महीनों से अधिक एवं 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year (01/10/2015 to से 31/03/2016)	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्षों तक Over 1 year & upto 3 years (01/04/2016 to से 31/03/2018)	3 वर्षों से अधिक एवं 5 वर्षों तक Over 3 years & upto 5 years (01/04/2018 to से 31/03/2020)	5 वर्ष से अधिक Over 5 years ( के पश्चात After 31/03/2020)	कुल Total (1 से to 10)
जमाराशियां	18,112.66	13,706.78	9,288.04	36,887.25	79,294.73	72,329.84	56,696.76	70,994.66	55,937.27	118,658.65	531,906.63
Deposits	(18,488.49)	(13,082.64)	(7,116.69)	(21,030.37)	(55,135.84)	(58,032.94)	(64,150.65)	(79,610.55)	(57,074.20)	(103,251.69)	(476,974.07)
अग्रिम	32,281.12	7,626.26	5,952.95	10,646.74	99,215.82	50,016.17	41,391.00	43,839.89	43,112.72	67,942.90	402,025.55
Advances	(30,207.12)	(8,145.03)	(3,790.76)	(11,524.08)	(84,227.56)	(40,658.84)	(32,539.01)	(46,488.93)	(37,348.39)	(75,803.82)	(370,733.53)
निवेश	155.29	295.47	90.82	771.70	2,772.68	1,318.43	1,433.71	20,128.57	24,740.09	68,085.28	119,792.05
Investments	(254.59)	(38.84)	(372.23)	(2,151.76)	(4,737.65)	(2,295.76)	(1,676.28)	(13,510.39)	(22,095.68)	(67,019.26)	(114,152.44)
उधार	458.52	5,110.01	1,379.33	2,119.90	6,705.00	6,717.61	3,221.77	3,965.52	10,379.02	0.46	40,057.13
Borrowings	(3,021.06)	(7,155.43)	(430.84)	(2,525.77)	(2,034.56)	(9,586.29)	(820.42)	(7,985.38)	(3,949.30)	(10,918.47)	(48,427.52)
विदेशी मुद्रा आस्तियां	3,189.74	5,478.63	3,981.09	7,340.12	30,964.76	21,341.57	20,452.88	22,742.64	15,644.83	5,920.10	137,056.37
Foreign Currency Assets	(3,521.57)	(7,687.08)	(2,315.00)	(8,152.94)	(29,619.24)	(18,378.40)	(16,906.47)	(21,839.48)	(8,383.52)	(11,692.36)	(128,496.06)
विदेशी मुद्रा देयताएं	4,802.01	7,532.77	6,063.42	10,596.01	52,001.86	41,213.56	38,223.70	9,800.79	3,124.04	1,166.43	174,524.58
Foreign Currency Liabilities	(6,143.80)	(9,972.74)	(3,524.75)	(10,954.33)	(29,993.76)	(32,583.40)	(32,175.04)	(22,201.03)	(4,634.23)	(4,519.25)	(156,702.53)

3.7 एक्सपोज़र

3.7. Exposures

3.7.1 भू-संपदा क्षेत्र हेतु एक्सपोज़र

3.7.1. Exposure to Real Estate Sector

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रवर्ग	Sr. No.	Category	यथा As at 31.03.2015	यथा As at 31.03.2014
ए)	प्रत्यक्ष एक्सपोज़र	a)	Direct exposure	32,998.32	27,321.63
	i) आवासीय बंधक	i)	Residential Mortgages	24,286.46	19,914.79
	जिसमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के गृह ऋण		Out of which Priority Sector housing loans	12,639.22	10,940.66
	ii) व्यवसायिक रियल इस्टेट	ii)	Commercial Real Estate	8,711.86	7,406.84
	iii) गिरवी रखी गयी प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतित एक्सपोज़र में निवेश	iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised Exposures	0.00	0.00
	क) आवासीय	a)	Residential	0.00	0.00
	ख) व्यवसायिक रियल इस्टेट	b)	Commercial Real Estate	0.00	0.00
बी)	अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र	b)	Indirect Exposure	12501.18	9,866.15
	नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसीज़) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित एक्सपोज़र		Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	12501.18	9,866.15
	रियल इस्टेट सेक्टर हेतु कुल एक्सपोज़र		<b>Total exposure to Real Estate Sector</b>	<b>45499.50</b>	<b>37,187.78</b>

3.7.2 पूंजी बाजार हेतु एक्सपोज़र

3.7.2. Exposure to Capital Market

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं. Sr. No	विवरण	Category	31.03.2015	31.03.2014
i)	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फण्ड में निवेश जिनकी आधारभूत निधि केवल कार्पोरेट ऋण में प्रत्यक्ष निवेश नहीं किया गया;	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	910.47	721.58
ii)	शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों/अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को शेयरों(आईपीओ/ईएसओपीएस सहित) परिवर्तनीय बॉण्ड/ परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए अग्रिम;	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	12.88	23.53
iii)	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	4.96	23.31
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक, अर्थात जहाँ मूलभूत प्रतिभूति शेयरों/ परिवर्तनीय बाण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिटों के अलावा पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती है, किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम;	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	210.80	228.59
v)	स्टॉक ब्रोकर्स को जमानती एवं गैर जमानती अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकर्स तथा बाजार निर्धारकों की ओर से जारी गारंटियाँ;	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	2569.35	2,344.97
vi)	संसाधनों की वृद्धि की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी के लिए प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बाण्डों/ डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर कंपनियों के लिए स्वीकृत ऋण;	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new Companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00

क्र. सं. Sr. No	विवरण	Category	31.03.2015	31.03.2014
vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के समक्ष कंपनियों के लिए पूरक ऋण;	Bridge loans to Companies against expected equity flows/ issues;	0.00	0.00
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
ix)	मार्जिन व्यवसाय हेतु स्टॉक ब्रोकरों के लिए वित्तपोषण;	Financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
x)	उद्यम के लिए पूंजी निधि हेतु सभी निवेशों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)को इक्विटी के बराबर माना जाएगा और इस प्रकार पूंजी बाजार निवेश सीमा(प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों)के अनुसार गणना की जाएगी।	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	592.18	483.21
<b>पूंजी बाजार में कुल एक्सपोज़र</b>			<b>4300.63</b>	<b>3,825.19</b>

3.7.3 जोखिम प्रवर्ग चार देश का एक्सपोज़र

3.7.3. Risk Category wise Country Exposure

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं. Sr. No.	जोखिम प्रवर्ग	Risk Category	यथा दिनांक		यथा दिनांक	
			As at 31.03.2015		As at 31.03.2014	
			एक्सपोज़र (निवल) Exposure (Net)	धारित प्रावधान Provision held	एक्सपोज़र (निवल) Exposure (Net)	धारित प्रावधान Provision held
1	नगण्य	Insignificant	65,483.08	72.96	38,118.03	54.45
2	न्यून	Low	32,375.71	20.81	12,887.37	15.72
3	साधारण	Moderate	3,510.95	0.00	5,285.58	0.00
4	उच्च	High	1,282.68	0.00	285.87	0.00
5	बहुत उच्च	Very High	111.13	0.00	570.92	0.00
6	प्रतिबंधित	Restricted	0.36	0.00	0.00	0.00
7	ऑफ क्रेडिट	Off credit	12.68	0.00	46.01	0.00
	<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>1,02,776.61</b>	<b>93.76</b>	<b>57,193.78</b>	<b>70.17</b>

3.7.4 यथा 31 मार्च, 2015 बैंक द्वारा बढ़ाई गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), सामूहिक उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के व्यौर

3.7.4. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank as on 31<sup>st</sup> March, 2015:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं. Sr. No.	उधारकर्ता का नाम	Name of the Borrower	एक्सपोज़र सीमा Exposure Ceiling	स्वीकृत सीमा Limit Sanctioned	यथा 31.03.2015 को बकाया Outstanding as on 31.03.2015
1.	एकल उधारकर्ता	Single Borrower			
	कुछ नहीं	None	कुछ नहीं NIL	कुछ नहीं NIL	कुछ नहीं NIL
2.	सामूहिक उधारकर्ता	Group Borrower			
	कुछ नहीं	None	कुछ नहीं NIL	कुछ नहीं NIL	कुछ नहीं NIL

एमएसपीजीसी पर एक्सपोज़र, आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए विवेकाधिकार के अंतर्गत है (विवेकपूर्ण सीमाओं के ऊपर, पूंजीगत निधियों का 5%)

Exposure on MSPGC is within the discretion given to Banks by RBI (additional 5% of capital funds, over prudential limits)



यथा 31 मार्च, 2015 बैंक द्वारा बढ़ाई गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), सामूहिक उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के व्यौरे

Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank as on 31<sup>st</sup> March, 2014:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं. Sr. No.	उधारकर्ता का नाम	Name of the Borrower	एक्सपोजर सीमा Exposure Ceiling	स्वीकृत सीमा Limit Sanctioned	यथा 31.03.2014 को बकाया Outstanding as on 31.03.2014
1.	एकल उधारकर्ता	Single Borrower			
	एलआईसी हाउसिंग फायनैन्स लि.	LIC Housing Finance Ltd.	3,093.43	3,718.00	2,099.08
	महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी (एमएसपीजीसी)	Maharashtra State Power Generation Company (MSPGC)	6,186.86	5,000.00	1,806.93
2.	सामूहिक उधारकर्ता	Group Borrower			
	कुछ नहीं	None	कुछ नहीं NIL	कुछ नहीं NIL	कुछ नहीं NIL

नोट: प्रकटन हर माह के अंत में बकाया स्थिति की बैंक द्वारा निगरानी पर आधारित है। प्रत्येक माह के अंत में सभी उधारकर्ता समूह पर बैंक का एक्सपोजर विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत थे।

Note: Disclosure is based on monitoring by the Bank of outstanding at the end of each month. Exposures on all Borrower groups were within the prudential norms at the end of each month.

3.7.5 गैर-जमानती अग्रिम :

3.7.5. Unsecured Advances:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेन्स, प्राधिकार आदि के प्रभार पर बकाया अग्रिम की कुल राशि	Total amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as the rights, licenses, authority, etc.	2,203.04	2,143.74
ऐसी अमूर्त संपाश्चिक प्रतिभूति का अनुमानित मूल्य	Estimated value of such intangible collateral securities	2,154.53	1,721.93

3.7.6. विविध

3.7.6. Miscellaneous

3.7.7 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किए प्रावधान की राशि

3.7.7. Amount of Provisions made for Income-tax during the year

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
आयकर के लिए प्रावधान	Provision for Income Tax	989.48	(27.71)
आस्थागत कर के लिए प्रावधान	Provision for Deferred Tax	(903.35)	843.49
कुल	Total	86.13	815.78

3.8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगायी गई शास्तियों (पेनल्टीज़) का प्रकटन

3.8.2. Disclosures of Penalties imposed by RBI

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के अंतर्गत लगाई गई शास्तियां (पेनल्टी)	Penalty imposed under Section 46(4) of The Banking Regulation Act, 1949	0.18	3.11

4. लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित प्रकटन जहां भारतीय रिज़र्व बैंक ने लेखे पर टिप्पटणियों के प्रकटन मदों के विषय पर दिशानिर्देश जारी किए हैं:

4. Disclosure requirements as per Accounting Standards (AS) where RBI has issued guidelines in respect of disclosure items for Notes to Accounts:

4.1 लेखांकन मानक 9 – राजस्व की पहचान

4.1. Accounting Standard 9 – Revenue recognition

अनुसूची 17: मुख्य लेखांकन नीतियों के लेखांकन नीति सं. 2 के अनुसार आय की कुछ मदों को वसूली के पश्चात स्वीकार किया जाता है। तथापि उक्त आय को मूर्त नहीं माना जाता है।

Certain items of income are recognised on realisation basis as per Accounting Policy no. 2 of Schedule 17: Significant Accounting Policies. However, the said income is not considered to be material.

4.2 लेखांकन मानक 15 – कर्मचारी लाभ

4.2. Accounting Standard 15 – Employee Benefits

(राशि ₹ करोड़ में)

Sr. No. क्र	विवरण	Particulars	2014-2015		2013-2014	
			ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
			Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
(i)	<b>प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक पूर्वानुमान :</b> छूट दर आयोजन आस्तियों पर प्रतिफल दर वर्तमान वेतन वृद्धि वर्तमान हास दर	<b>Principal actuarial assumptions used :</b> Discount Rate Rate of Return on Plan Assets Salary Escalation Current Attrition Rate Current	7.96% 8.38% 5.50% 1.00%	7.95% 8.61% 5.50% 1.00%	9.32% 9.18% 6.00% 1.00%	9.27% 8.42% 6.00% 1.00%
(ii)	<b>लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शानेवाली तालिका</b> अवधि के प्रारंभ में देयता ब्याज लागत वर्तमान सेवा लागत प्रदत्त लाभ दायित्वों% पर बीमांकित (लाभ)/हानि वर्ष के अंत में देयता	<b>Table showing change in benefit obligation :</b> Liability at the beginning of the period Interest Cost Current Service Cost Benefit Paid Actuarial (gain)/loss on Obligation Liability at the end of the year	1402.55 101.37 73.03 (258.17) (7.79) 1311.00	8038.24 610.73 890.30 (712.15) 592.91 9420.03	1505.38 129.47 705.70 (232.45) (705.56) 1402.55	7404.65 658.35 804.95 (605.48) (224.22) 8038.24
(iii)	<b>प्लान एसेट्स के उचित मूल्य की तालिका:</b> अवधि प्रारंभ में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल अंशदान प्रदत्त लाभ प्लान एसेट्स पर बीमांकिक लाभ/(हानि) वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य मानने योग्य कुल बीमांकिक लाभ/(हानि)	<b>Table of Fair value of Plan Assets :</b> Fair Value of Plan Assets at the beginning of the period Expected return on Plan Assets Contributions Benefit Paid Actuarial gain/(loss) on Plan Assets Fair Value of Plan Assets at the end of the year <b>Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised</b>	1316.51 110.32 77.25 (258.17) 19.27 1265.18 (27.05)	7261.20 625.18 1554.61 (712.15) 312.64 9041.48 280.27	1333.79 122.44 110.00 (232.45) (17.27) 1316.51 688.29	6504.83 547.71 743.92 (605.48) 70.22 7261.20 294.44
(iv)	<b>संक्रमणकालीन देयता की मान्यता :</b> प्रारंभ में संक्रमणकालीन देयता वर्ष के दौरान पहचानी गई संक्रमणकालीन देयता अंत में संक्रमणकालीन देयता	<b>Recognition of Transitional Liability :</b> Transitional Liability at start Transition Liability recognised during the year <b>Transition Liability at end</b>	85.79 85.79 0.00	442.42 442.42 0.00	171.59 85.80 85.79	884.86 442.44 442.42
(v)	<b>प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल :</b> प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल प्लान एसेट्स पर बीमांकिक लाभ/(हानि) प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल	<b>Actual return on Plan Assets :</b> Expected Return on Plan Assets Actuarial gain/(loss) on Plan Assets <b>Actual return on Plan Assets</b>	110.32 19.27 129.59	625.18 312.64 937.82	122.44 (17.27) 105.17	547.71 70.22 617.93
(vi)	<b>तुलन पत्र में मान्य राशि :</b> अवधि के अंत में देयता वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य अंतर अमान्य परिवर्तन देयता तुलन पत्र में मान्य राशि	<b>Amount recognised in the Balance Sheet :</b> Liability at the end of the period Fair Value of Plan Assets at the end of the year Difference Unrecognised Transition Liability Amount Recognised in the Balance Sheet	1311.00 1265.18 (45.82) 0.00 (45.82)	9420.03 9041.48 (378.55) 0.00 (378.55)	1402.55 1316.51 (86.04) 85.79 (0.25)	8038.24 7261.19 (777.05) 442.42 (334.63)
(vii)	<b>आय विवरण-पत्र में मान्य व्यय :</b> वर्तमान सेवा लागत ब्याज लागत प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल विगत वर्षों के मान्य व्यय संक्रमणकालीन देयता-मान्य बीमांकिक (लाभ) या हानि लाभ एवं हानि में मान्य व्यय	<b>Expenses recognised in the Income-Statement :</b> Current Service Cost Interest Cost Expected Return on Plan Assets Expenses recognized relating to prior years Recognition of Transition Liability Actuarial (Gain) or Loss Expense Recognised in P & L	73.03 101.37 110.32 0.00 85.79 (27.05) 122.82	890.30 610.73 625.19 0.00 442.42 280.27 1598.53	705.70 129.47 (122.44) 0.00 85.80 (688.29) 110.25	804.95 658.35 (547.71) 0.00 442.44 (294.44) 1063.59

Sr. No. क्र	विवरण	Particulars	2014-2015		2013-2014	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(viii)	<b>तुलन पत्र समाधान :</b> प्रारंभिक निवल देयता: (तुलन पत्र में मान्य की गई विगत अवधि की निवल राशि) उपर्युक्त अनुसार व्यय नियोक्ता का अंशदान तुलन पत्र में मान्य राशि	<b>Balance Sheet Reconciliation :</b> Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet) Expenses as above Employer's Contribution Amount Recognised in Balance Sheet	0.25 122.82 (77.25) 45.82	334.63 1598.53 (1554.61) 378.55	0.00 110.25 (110.00) 0.25	14.96 1063.59 743.92 334.63
(ix)	<b>आस्तियों का प्रवर्ग :</b> भारत सरकार की आस्तियां कार्पोरेट बांड्स राज्य सरकार अन्य कुल	<b>Category of Assets :</b> Government of India Assets Corporate Bonds State Government Other <b>Total</b>	126.48 681.65 415.24 41.81 1265.18	1234.6 4277.90 3180.33 348.64 9041.47	153.55 712.96 413.98 36.02 1316.51	568.12 4091.60 2499.07 102.4 7261.19
(x)	<b>अनुभव समायोजन :</b> प्लान देयता पर (लाभ)/हानि प्लान एसेट पर (हानि)/लाभ	<b>Experience Adjustment :</b> <b>On Plan Liability (Gain)/Loss</b> <b>On Plan Asset (Loss)/Gain</b>	(7.79) 19.27	592.91 312.65	(705.56) (17.27)	(224.22) 70.22

**अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ**

**Other long term employee benefits**

विवरण	Particulars	Liability as on 31.03.2015	Provisions made during the year
अवकाश नकदीकरण	Leave Encashment	577.49	39.45
अवकाश यात्रा छूट	Leave Travel Concession	52.26	3.77
पुनर्वास लाभ	Resettlement Benefits	6.79	0.46
माइलस्टोन अवार्ड	Milestone Awards	2.91	0.87

अन्य दीर्घावधि लाभ के लिए वास्तविक अनुमान ग्रेच्युटी के लिए प्रयुक्त के समान ही है।

\* The actuarial assumptions for other long term benefits are same which are used for Gratuity.

- क) बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान को व्यय के रूप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी निधि जो एक परिनिश्चित अंशदान योजना है, के लिए ₹ 54.23 करोड़ (विगत वर्ष ₹38.23 करोड़) का अंशदान दिया है।
- ख) आरबीआई परित्र न. डीबीओडी.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी 2011 के अनुरूप :
  - उन मौजूदा कर्मचारियों के लिए, जिन्होंने ऐक्चुएरीअल बेसिस पर पहले परिकलित की गयी पेंशन के लिए विकल्प नहीं दिया था, पेंशन विकल्प को फिर से खोलने के कारण ₹2212.15 करोड़ की अतिरिक्त देयता (31.03.2011 से शुरू करके 5 वर्षों में संक्रामित की जानेवाली) के निमित्त समानुपात आधार पर वर्ष के दौरान ₹442.42 करोड़ की राशि लाभ-हानि खाते में प्रभारित की गयी है। अब भविष्य की अवधि में परिशोधित करते हेतु कोई राशि नहीं है।
  - राशि ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के भुगतान में ग्रेच्युटी सीमाओं की वृद्धि के कारण (31.03.2011 से शुरू करके 5 वर्षों में संक्रामित की जानेवाली) ₹428.96 करोड़ की अतिरिक्त देयता के निमित्त समानुपात आधार पर तिमाही के दौरान ₹85.79 करोड़ की लाभ-हानि खाते में प्रभारित की गयी है।अब भविष्य की अवधि में परिशोधित करते हेतु कोई राशि नहीं है।
- ग) ऐक्चुअरी द्वारा बैंक को यह सूचित किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के प्रोफाइल को देखते हुए बैंक कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ के परिकलन हेतु ऐक्चुअरी द्वारा प्रयुक्त वर्तमान मोरटैलिटी टेबल पर्याप्त है।

- a. The bank has recognised contribution to employees' Provident Fund as an expense. During the year, the bank has contributed ₹ 54.96 Crores (previous year ₹ 38.23 Crores) towards such fund which is a defined contribution plan.
- b. In accordance with the RBI circular no. DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11dated 9th February 2011:
  - ₹ 442.42 Crores for the Year has been charged to the Profit & Loss Account on proportionate basis towards additional liability of ₹ 2212.15 Crores (being amortised over 5 years beginning from 31st March, 2011) on account of reopening of pension option for existing employees who had not opted for pension earlier calculated on actuarial basis. There remains no amount to be amortised in future periods.
  - ₹ 85.79 Crores for the Year has been charged to the Profit & Loss Account on proportionate basis towards additional liability of ₹ 428.96 Crores (being amortised over 5 years beginning from 31st March 2011) on account of the enhancement of gratuity limits in Payment of Gratuity Act, 1972. There remains no amount to be amortised in future periods.
- c. The Bank has been advised by the Actuary that the present mortality table being used by the Actuary to determine retirement benefits of Bank's employees' is appropriate considering the profile of employees' of the Public Sector Banks.

4.3 लेखांकन मानक 17 – खण्ड रिपोर्ट करना

4.3. Accounting Standard 17 - Segment Reporting

भाग क: कारोबार खण्ड

Part A: Business Segment

(राशि ₹ करोड़ में)

कारोबार खण्ड Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		(*)अन्य बैंकिंग परिचालन कुल (*)Other Banking Operations		कुल Total	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
राजस्व Revenue	12,921.95	11,726.47	21,934.90	20,015.28	12,789.01	10,118.11	0.00	0.00	47,645.86	41,859.86
गैर-आबंटित राजस्व Unallocated revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	140.50	410.24
अंतर खंड राजस्व Inter segment revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(123.75)	(68.16)
कुल राजस्व Total Revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	47,662.61	42,201.94
परिणाम Results	1,509.96	1,628.42	750.07	1,270.32	131.79	932.01	0.00	0.00	2,391.82	3,830.75
गैर-आबंटित व्यय Unallocated Expenses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(596.76)	(285.70)
परिचालन लाभ Operating Profit	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1,795.05	3,545.05
आयकर Income Tax	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	86.13	815.78
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary profit/loss	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	0.00	0.00
निवल लाभ/हानि Net Profit / Loss	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1,708.92	2,729.27
<b>अन्य जानकारी : Other Information :</b>										
खंड आस्तियां Segment Assets	1,86,936.02	1,70,672.91	3,17,373.16	2,92,639.52	99,965.15	95,416.11	0.00	0.00	6,04,274.33	5,58,728.54
गैरआबंटित आस्तियां Unallocated Assets	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14,423.42	14,461.66
कुल आस्तियां Total Assets	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6,18,697.75	5,73,190.20
खंड देयताएं Segment Liabilities	1,79,582.90	1,63,891.74	3,04,581.81	2,80,858.89	96,273.30	91,732.99	0.00	0.00	5,80,438.01	5,36,483.62
गैर आबंटित देयताएं Unallocated Liabilities	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6,813.01	6,783.49
कुल देयताएं Total Liabilities	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5,87,251.02	5,43,267.11

(\*) बैंक का कोई अर्थपूर्ण अन्यप बैंकिंग परिचालन नहीं है।

(\*) The Bank does not have any significant "Other Banking Operations".

भाग ख : भौगोलिक खण्ड

Part B: Geographical Segment

(राशि ₹ करोड़ में)

भौगोलिक खण्ड	Geographical Segments	स्वदेशी Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
		2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
विवरण	Particulars						
राजस्व	Revenue	42650.53	37,846.29	5012.08	4,355.65	47662.61	42,201.94
आस्तियां	Assets	455336.49	424,993.29	163361.27	148,196.91	618697.76	573,190.20

बैंक ने लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्राथमिक रिपोर्टिंग वाले खंडों और गौण खंड के रूप में भौगोलिक खंडों को मान्यता दी है।

#### प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड

- क) **कोषागार परिचालन :** खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों के साथ पूंजी बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन शामिल हैं।
- ख) **थोक बैंकिंग :** थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।
- ग) **खुदरा बैंकिंग :** खुदरा बैंकिंग में वे एक्सपोज़र सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हैं :
- एक्सपोज़र - अधिकतम कुल एक्सपोज़र ₹5 करोड़ तक।
  - कुल वार्षिक कारोबार ₹50 करोड़ से कम है यथा वर्तमान कंपनियों के मामले में पिछले तीन वर्षों का औसत तथा नई कंपनियों के मामले में अनुमानित कुल कारोबार।

#### अंतर-खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमाशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

#### लागत का विनियोजन

- क) विशेष खण्ड को सीधे प्रदान किए गए व्यय संबंधित खण्ड में आंबटित हैं।
- ख) विशेष खण्ड को सीधे प्रदान किए गए व्ययों को कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में आंबटित है।

#### गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड

- क) स्वदेशी परिचालन
- ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

#### 4.4 लेखांकन मानक 18 संबंधित पक्षकार के संव्यवहार : (प्रबंधन द्वारा समेकित)

##### ख) संबंधित पक्षकारों की सूची :

##### (क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक : श्रीमती वी.आर. अय्यर  
कार्यपालक निदेशक गण : श्री बी.पी. शर्मा  
श्री अरुण श्रीवास्तव  
श्री आर.पी. मराठे (10.03.2015 से)  
श्री आर कोटिस्वरन (31.12.2014 से)

##### (ख) अनुषंगियाँ :

- बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड
- बीओआई अक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रायवेट लि.
- बीओआई अक्सा ट्रस्टी सर्विसेज प्रायवेट लि.
- बीओआई मर्चेन्ट बैंकर्स लिमिटेड
- बैंक ऑफ इंडिया (तन्जानिया) लि.
- पीटी बैंक ऑफ इंडोनेशिया टीबीके.
- बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लिमिटेड
- बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लिमिटेड
- बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लिमिटेड

The Bank has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with Accounting Standard 17.

#### Primary Segment: Business Segments

- a) **Treasury Operations:** 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.
- b) **Wholesale Banking:** Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.
- c) **Retail Banking :** Retail Banking includes exposures which fulfil following two criteria:
- Exposure – The maximum aggregate exposure up to ₹ 5 Crores
  - The total annual turnover is less than ₹ 50 Crores i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

#### Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

#### Allocation of Costs

- a) Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment.
- b) Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees/business managed.

#### Secondary Segment: Geographical Segments

- a) Domestic Operations
- b) International Operations

#### 4.5. Accounting Standard 18 - Related Party Transactions (As compiled by Management)

##### l) List of Related Parties:

##### (a) Key Managerial Personnel :

Chairperson & Managing Director:	Smt. V.R.Iyer
Executive Directors:	Shri B. P. Sharma Shri Arun Shrivastava Shri R.P. Marathe (w.e.f.10.03.2015) Shri R. Koteeswaran (upto 31.12.2014)

##### (b) Subsidiaries :

- BOI Shareholding Limited
- BOI AXA Investment Managers Private Ltd
- BOI AXA Trustee Services Private Limited
- BOI Merchant Bankers Ltd
- Bank of India (Tanzania) Limited
- PT Bank of India Indonesia Tbk
- Bank of India (New Zealand) Limited
- Bank of India (Uganda) Limited
- Bank of India (Botswana) Limited

(ग) सहायक कंपनियां :

- (i) एसटीसीआई फाइनेंस: लिमिटेड
- (ii) एएसआरईसी (इंडिया) लि.
- (iii) इंडो-जाम्बिया बैंक लि.
- (iv) बैंक द्वारा प्रायोजित 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  - (क) आर्यावर्त ग्रामीण बैंक  
(पहले आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में जाना जाता था)
  - (ख) झारखण्ड ग्रामीण बैंक
  - (ग) नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक
  - (घ) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक

(घ) संयुक्त उद्यम

- (i) स्टार यूनियन दार्ई ईची जीवन बीमा कंपनी लि.

(c) Associates :

- (i) STCI Finance Limited
- (ii) ASREC (India) Limited
- (iii) Indo-Zambia Bank Limited
- (iv) 4 Regional Rural Banks sponsored by the Bank
  - (a) Gramin Bank of Aryavart (Formerly known as Aryavart Kshetriya Gramin Bank)
  - (b) Jharkhand Gramin Bank;
  - (c) Narmada Jhabua Gramin Bank
  - (d) Vidharbha Konkan Gramin Bank

(d) Joint Venture:

- (i) Star Union Dai-IchiLife Insurance Co. Ltd.

II) क) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

II) a) Transactions with Related Parties (As compiled by Management) (राशि ₹ करोड़ में)

मदें/ संबंधित पक्ष Items/Related Party	सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम Associates/Joint Ventures		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार Relatives of Key Management Personnel		कुल Total	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
<b>वर्ष 2014-15 के दौरान लेन-देन Transactions during the year 2014-15</b>								
प्राप्त ब्याज Interest received	23.66	11.79	-	-	-	-	23.66	11.79
ब्याज का भुगतान Interest Paid	2.7	3.87	0.03	0.02	0.01	0.01	2.74	3.9
लाभांश /Dividend	9.11	9.11	-	-	-	-	9.11	9.11
अन्य आय / Other Income	73.73	60.48	-	-	-	-	73.73	60.48
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिल की बिक्री Sale of Govt. Securities / Treasury Bills	279.19	572.92	-	-	-	-	279.19	572.92
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिल की खरीद Purchase of Govt. Securities / Treasury Bills	1110.34	1815.12					1110.34	1815.12
कार्पोरेट बॉन्ड तथा अन्य मुद्रा बाजार लिखतों की खरीद Purchase of Corporate bonds and other money market instruments	10.37	23.54	-	-	-	-	10.37	23.54
जमा राशियां Deposits	7.55	20.74	-	-	-	-	7.55	20.74
परिपक्व जमा राशियां Matured Deposits	28.97	17.75	-	-	-	-	28.97	17.75
प्रदान किए गए ऋण Loans Provided	1948.68	2594.25	-	-	-	-	1948.68	2594.25
चुकाए गए ऋण Loans Repaid	1938.07	2232.95	-	-	-	-	1938.07	2232.95
एनपीए की बिक्री Sale of NPA	7.51	-	-	-	-	-	7.51	-
31 मार्च 2015 को बकाया Outstanding as on 31st March 2015	-	-	-	-	-	-	-	-
देय / Payables	-	-	-	-	-	-	-	-
जमा राशियां / Deposits	85.19	54.90	0.41	0.27	0.15	0.18	85.75	55.35
ऋण/ Loans	495.92	485.30	-	-	-	-	495.92	485.30

मदें/ संबंधित पक्ष Items/Related Party	सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यम Associates/Joint Ventures		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार Relatives of Key Management Personnel		कुल Total	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
अन्य देयताएं / Other Liabilities	1.84	0.69	-	-	-	-	1.84	0.69
प्राप्त राशियां / Receivables			-	-	-	-	-	-
अन्य आस्तियां / Other Assets	7.98	5.17	-	-	-	-	7.98	5.17

ख) मुख्य प्रबंधन कार्मिक: प्रदत्त पारिश्रमिक ( ₹ में)

b) Key Management Personnel: Remuneration paid (in ₹)

क्र. सं. Sr. No.	नाम Name	पदनाम Designation	2014-15	2013-14
1	श्रीमती वी.आर. अय्यर Smt. V. R. Iyer	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / Chairperson & Managing Director	26,01,414	21,82,440
2	श्री बि. पी. शर्मा Shri B. P. Sharma	कार्यपालक निदेशक / Executive Director	21,50,109	19,73,716
3	श्री अरुण श्रीवास्तव Shri Arun Shrivastava	कार्यपालक निदेशक / Executive Director	19,55,812	10,02,071
4	श्री रविन्द्र मराठे Shri Ravindra Marathe	कार्यपालक निदेशक / Executive Director	1,13,939	---
5	श्री आर. कोटीस्वरन Shri R. Koteeswaran	पूर्व कार्यपालक निदेशक / Ex Executive Director	15,40,052	9,98,465

सहायक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संव्यवहार राज्य नियंत्रित होने के कारण एस-18 के पैरा 9 की दृष्टि में प्रकटन नहीं किए गए हैं जोकि आईसीएआई द्वारा संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए जारी किए हैं जिसमें इन पार्टियों के दूसरे पक्षकारों के साथ, जो भी राज्य नियंत्रित है, संव्यवहारों को प्रकटन न करने की छूट है।

The transactions with the subsidiaries and regional rural banks, being state controlled, have not been disclosed in view of Para 9 of AS-18 on Related party disclosure issued by the ICAI exempting state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

4.7 लेखांकन मानक 22 आय पर करों के लिए लेखांकन

4.7. Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

The major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31.03.2015	31.03.2014
	<b>आस्थगित कर आस्तियां</b> <b>Deferred Tax Assets</b>		
i)	प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण On account of timing difference towards provisions	1287.70	1,295.93
ii)	अन्य Others	129.92	126.68
	<b>कुल आस्थगित कर आस्तियां</b> <b>Total Deferred Tax Assets</b>	<b>1417.62</b>	<b>1,422.61</b>
	<b>आस्थगित कर देयता</b> <b>Deferred Tax Liabilities</b>		
i)	स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास के कारण On account of Depreciation on fixed assets	81.18	44.47
ii)	निवेश पर मूल्यहास के कारण On account of Depreciation on investment	345.83	1,514.78
iii)	प्रोदभूत ब्याज जो देय नहीं हैं के कारण On account of interest accrued but not due	772.63	765.70
iv)	आयकर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 36(i) (viii) के कटौती के कारण On account of deduction u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act 1961	750.99	550.64 *
	अन्य Others	5.55	6.73
	<b>कुल आस्थगित कर देयताएं</b> <b>Total Deferred Tax Liabilities</b>	<b>1956.18</b>	<b>2,882.32</b>
	<b>निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)</b> <b>Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)</b>	<b>(538.56)</b>	<b>(1,459.71)</b>

\* लाभ के शेष तथा पिछली आरक्षतियों का ₹ 431.67 करोड़

\* ₹ 431.67 crores out of past reserves and balance out of profit

**4.8 लेखांकन मानक 27 – संयुक्त उद्यम में निवेश**

निवेश में ₹120 करोड़ (पिछले वर्ष ₹120 करोड़) शामिल है जो निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में बैंक का ब्याज दर्शा रहा है:

क्र.सं. Sr. No.	कंपनी का नाम Name of the Company	राशि Amount	आवासिय देश Country of Residence	होल्डिंग % Holding %
1	स्टार युनियन दार्ई ईची जीवन बीमा कंपनी लि. Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd.	₹120 Crores	भारत / India	48%

**4.8. Accounting Standard 27 – Investments in Joint Venture**

Investments include ₹120 Crores (Previous year ₹ 120 Crores) representing Bank's interest in the following jointly controlled entity:

**4.9 लेखांकन मानक 19 – पट्टा वित्तपोषण**

(i) पट्टा वित्तपोषण और इसके घटकों में बैंक के निवेश की संविदागत परिपक्वताएं जो अग्रिमों में शामिल की गई हैं का उल्लेख नीचे किया गया है:

**4.9. Accounting Standard 19 - Lease Financing**

(i) The contractual maturities of the Bank's investment in lease financing and its components, which are included in advances, are set out below:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31.03.2015	31.03.2014
क)/a)	सकल निवेश Gross Investments	0.22	0.22
ख)/b)	प्राप्य पट्टा भुगतान Lease payment receivables		
	(i) 1 वर्ष से अधिक नहीं (ii) 1 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से अधिक नहीं (iii) 5 वर्ष से अधिक	0.02 0.00 0.20	0.00 0.00 0.22
	<b>कुल</b> <b>TOTAL</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>
ग)/c)	अनर्जित वित्त आय Unearned finance income	0.00	0.00
घ)/d)	<b>निवल निवेश क - ग</b> <b>Net investments [ a - c ]</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>

(ii) अर्जित ब्याज में रु. शून्य (विगत वर्ष रु. शून्य) का पट्टा आय शामिल है.

(ii) Lease income of ₹Nil (previous year ₹ Nil) is included under Interest Earned.

**4.10 लेखांकन मानक 20 – प्रति शेयर अर्जन (राशि ₹ करोड़ में)**

**4.10. Accounting Standard 20 - Earnings per Share in ₹**

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	2014-15	2013-14
1.	आधारभूत और तनुकृत* Basic & Diluted *	26.57	44.74

आधारभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	2014-15	2013-14
(A)	इक्विटी शेयाधारकों को प्रदान करने योग्य वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders	1,708.92	2,729.27
(B)	इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (रु करोड़) Weighted Average Number of Equity shares (in Crores)	64.31	61.00
(C)	मूलभूत प्रति शेयर आय (ए/बी) (रु.) Basic Earnings per Share (A/B) (₹)	26.57	44.74
(D)	प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु.) Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

\* आधारभूत एवं तनुकृत ई.पी.एस. समान ही है क्योंकि मंदी संभाव्य इक्विटी शेयर नहीं है।

\* Basic & Diluted E.P.S. are same as there are no dilutive potential equity shares.

**4.11 आस्तियों का हास (लेखांकन मानक 28) : रु. शून्य**

**4.11. Impairment of Assets (Accounting Standard 28) ₹ Nil.**

**4.12 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां"**

**4.12. "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets": (Accounting Standard 29)**

(लेखांकन मानक 29)

क. देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार चढ़ाव (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएं	
	2014-15	2013-14
प्रारंभिक शेष	26.95	26.94
वर्ष के दौरान प्रावधान	1.25	0.01
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	0.00	0.00
अंतिम शेष	28.20	26.95
बहिर्गमन का समय/अनिश्चितताएं पर बहिर्गमन	समझौते/ क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन	समझौते/ क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन

**A. Movement of Provisions for contingent liabilities**

Particulars	Legal cases/contingencies	
	2014-15	2013-14
Opening Balance	26.95	26.94
Provided during the year	1.25	0.01
Amounts used during the year	0.00	0.00
Closing Balance	28.20	26.95
Timing of outflow/uncertainties	Outflow on settlement / Crystallization	Outflow on settlement / Crystallization



**ख. आकस्मिक देयताएं**

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता करने/ न्यायालय के बाहर समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग जैसा भी मामला हो पर क्रमशः निर्भर करता है। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

**5. अतिरिक्त देयताएं**

**5.1 प्रावधान और आकस्मिकताएं**

लाभ और हानि खाते में दिखाए गए प्रावधान और आकस्मिकताएं का ब्रेक-अप निम्नानुसार है:

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
निवेश के मूल्यहास पर प्रावधान	Provision for Depreciation on Investment	(50.40)	72.55
एनपीए हेतु प्रावधान	Provision towards NPA	5,227.43	3,970.35
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision towards Standard Assets	408.60	422.67
आयकर के लिए किया गया प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax)	86.13	815.78
<b>अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं</b>	<b>Other Provision &amp; Contingencies</b>		
• पुनर्गठित खातों में त्याग हेतु प्रावधान	• Provision for Sacrifice in Restructured Accounts	107.95	360.75
• देशीय जोखिम हेतु प्रावधान	• Provision for Country Risk	23.59	33.78
• अन्य प्रावधान	• Other Provisions	(24.46)	17.75
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>5,778.85</b>	<b>5,693.63</b>

**5.2 अस्थिर प्रावधान (प्रतिचक्र्रीय प्रावधानीकरण अंतर)**

**5.2. Floating Provisions (Countercyclical provisioning buffer)**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
अस्थिर प्रावधान खाते में प्रारम्भिक शेष मात्रा	Opening Balance in the floating provisions account	364.43	543.92
लेखाकन वर्ष में किए गए अस्थिर प्रावधान की प्रमात्रा	The quantum of floating provisions made in the accounting year	100.00	0.00
लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्र डाउन की राशि (ड्रॉ डाउन प्रयोजन, यदि कोई हो, दिया जाए)	Amount of draw down made during the accounting year (purpose of draw down to be given, if any)	232.21	179.49
अस्थिर प्रावधान खाते में अंतिम शेष	Closing Balance in the floating provisions account	232.22	364.43

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 30 मार्च, 2015 के परिपत्र क्र.डीबीओडी.नं. बीपी.बीसी.79/21.04.048/2014-15 के अनुसरण में, 31 दिसंबर, 2015 को धारित अस्थिर प्रावधान का 50% उपयोग अनर्जक आस्तियों के विशिष्ट प्रावधान करने के लिए 31 दिसंबर, 2015 को धारित ₹.464.43 करोड़ से बैंक ने ₹.232.21 करोड़ का उपयोग किया।

**5.3 रिज़र्व्स से ड्रॉ डाउन**

31.03.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान रिज़र्व्स से ड्रॉप डाउन नहीं किया गया है।

**5.4 शिकायतों का प्रकटन**

i) ग्राहकों की शिकायतें:

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
( क ) वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	(a) No. of complaints pending at the beginning of the year	64	12
( ख ) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	(b) No. of complaints received during the year	9757	3,565
( ग ) वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	(c) No. of complaints redressed during the year	9711	3,513
( घ ) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	(d) No. of complaints pending at the end of the year	110	64

ii) एटीएम शिकायतें (प्रबंधन द्वारा समेकित तथा लेखापरीक्षकों द्वारा मान्य):

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
( क ) वर्षारंभ में एटीएम की लंबित शिकायतों की संख्या	(a) No. of ATMs complaints pending at beginning of the year	2042	2214
( ख ) वर्ष के दौरान एटीएम के प्राप्त शिकायतों की संख्या	(b) No. of ATMs complaints received during the year	151435	166858
( ग ) वर्ष के दौरान एटीएम शिकायतों के समाधान की संख्या	(c) No. of ATMs complaints redressed during the year	149051	167030
( घ ) वर्षान्त में लंबित एटीएम शिकायतों की संख्या	(d) No. of ATMs complaints pending at the end of the year	4426	2042

**B. Contingent Liabilities**

Such liabilities are dependent upon, the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

**5. Additional Disclosures**

**5.1 Provisions and Contingencies**

The break-up of "Provisions and Contingencies" appearing in the Profit and Loss Account is as under:

In terms of RBI Circular No. DBR.No.BP.BC.79/21.04.048/2014-15 dated 30.03.2015, the Bank has utilised ₹ 232.21 Crores of floating provision, being 50% of floating provision of ₹ 464.43 Crores held on 31st March 2015 towards specific provisions for NPAs.

**5.3. Draw Down from Reserves**

There is no drawdown from reserves made during the year ended 31.03.2015.

**5.4. Disclosure of complaints**

i) Customer Complaints :

ii) ATM Complaints (As compiled by the management and relied upon by the Auditors)

iii) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय :

iii) Awards passed by the Banking Ombudsman:

क्र. सं.	विवरण	Sr. No.	Particulars	2014-15	2013-14
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	( a )	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	3	1
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	( b )	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	0	23
(ग)	वर्ष के दौरान लागू किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	( c )	No. of Awards implemented during the year	3	21
(घ)	वर्ष के अंत में लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	( d )	No. of unimplemented Awards at the end of the year	0	3

5.5 बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसीएस) पर प्रकटन (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित तथा लेखापरीक्षकों द्वारा मान्य)

5.5. Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by bank(As compiled by Management)

चालू वर्ष के दौरान बैंक ने कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किए हैं। वर्ष 2011-2012 के दौरान, बैंक ने अपने पूर्णतया स्वामित्व की सहायक संस्था बैंक ऑफ इंडिया (बीटीडब्ल्यू) लि. के लिए गवर्नर, बैंक ऑफ बोतस्वाना को वचनपत्र जारी किया है कि वित्तीय वायदा देय होने पर पूरा किया जाएगा।

During current year, the bank has not issued any letter of comforts. During the year 2011-12 the bank has issued and undertaking to the governor, Bank of Botswana in respect of its wholly owned subsidiary, Bank of India (BTW) Ltd., to meet its financial commitments if they fall due.

वर्ष 2010-11 के दौरान, अपने पूर्णतया स्वामित्व की सहायक संस्था बीओआई (न्यूज़ीलैंड) लि. के लिए न्यूज़ीलैंड के रॉयल बैंक के पक्ष में बैंक ने वित्तीय वायदा यदि देय होने पर पूरा करने के लिए अभिभावकीय गारंटी जारी किया है। तथापि यथा 31.03.2015 में उपर्युक्त वायदों में कोई वित्तीय दायित्व नहीं है।

During the year 2010-11 the bank issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand for its wholly owned subsidiary, BOI(New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

As on 31.03.2015, no financial obligations have arisen on the above commitments.

5.6 प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर)

5.6. Provisioning Coverage Ratio (PCR)

यथा 31 मार्च 2015 को बैंक के सकल अनर्जक आस्तियों पर प्रावधानीकरण 52.40% है (पिछले वर्ष: 58.68%)

The Provisioning to Gross Non-Performing Assets of the Bank as on 31<sup>st</sup> March 2015 is 52.40% (Previous year: 58.68%)

5.8 बैंक एश्योरेंस कारोबार से प्राप्त शुल्क, पारिश्रमिक:

5.7. Fees, remuneration received from Bancassurance business:

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
जीवन बीमा पॉलिसी	Life Insurance Policies	42.22	33.47
गैर-जीवन बीमा पॉलिसी	Non-Life Insurance Policies	17.62	16.61
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>59.84</b>	<b>50.08</b>

5.8 जमाराशि, अग्रिम, एक्सपोज़र तथा एनपीए का संकेंद्रण

5.8. Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

5.8.1 जमाओं का संकेंद्रण

5.8.1. Concentration of Deposits

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियां	Total Deposits of twenty largest depositors	42,011	43,943
बैंक की कुल जमाराशियां में से बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	7.90%	9.21%

5.8.2 अग्रिमों का संकेंद्रण

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	Total Advances to twenty largest borrowers	56,378	54,155
बैंक के का कुल अग्रिमों में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	9.32%	8.42%

5.8.3 एक्सपोज़र का संकेंद्रण:

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	57,734	55,503
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	Percentage of Exposures to twenty largest borrowers customers to Total Exposure of the bank on borrowers customers	7.95%	7.31%

5.8.4 एनपीए संकेन्द्रण (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

5.8.4. Concentration of NPAs (as compiled by management)

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
चार शीर्ष एनपीए खातों का कुल एक्सपोज़र	Total Exposure to top four NPA accounts	1,895	1,311

5.9. क्षेत्रवार अग्रिम (विवेकसम्पत/तकनीकी बट्टे खाते सहित)

5.9. Sector-wise NPAs

क्र. सं. Sr. No.	क्षेत्र Sector	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत O/S total Advances	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत Gross NPAs	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector
A	प्राथमिकता क्षेत्र Priority sector			
A	कृषि तथा अनुषंगी गतिविधियां Agriculture & allied activities	35942.53	1797.23	5.00
2	प्राथमिकता क्षेत्र उधार रूप में उद्योग क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	29955.74	3621.81	12.09
3	सेवाएं Services	13860.35	1048.58	7.57
4	व्यक्तिगत ऋण Personal loans	5591.68	174.23	3.12
	उप-जोड़ (क) Sub-total (A)	85350.28	6641.85	7.78
	गैर प्राथमिकता क्षेत्र Non Priority Sector			
	कृषि तथा संबंधित गतिविधियां Agriculture & allied activities	572.33	64.53	11.28
	उद्योग Industry	189231.40	16468.15	8.70
	सेवाएं Services	72774.51	3533.76	4.86
	व्यक्तिगत ऋण Personal loans	50904.30	432.53	0.85
	उप-जोड़ (ख) Sub-total (B)	313482.54	20498.96	6.54
	कुल (क+ख) Total (A+B)	398832.86	27140.83	

5.9. Movement of NPAs

5.10 एनपीए का उतार-चढ़ाव

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
सकल एनपीए यथा 01.04.2013 को (प्रारंभिक शेष)	Gross NPAs as on 01.04.2014 (Opening Balance)	11868.60	8,765.25
वर्ष के दौरान (नए एनपीए) परिवर्धन	Additions(Fresh NPAs) during the year	16651.47	8,810.91
उप-जोड़ (ए)	Sub-total(A)	28520.07	17,576.16
घटाएं :-	Less:		
(i) अपग्रेडेशन	(i) Up gradations	2380.66	938.10
(ii) वसूलीयाँ (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूली को छोड़कर)	(ii) Recoveries-excluding recoveries made from upgraded accounts	2688.38	3,066.01
(iii) बट्टे खाते लिखाई, उक्त 3 के अंतर्गत छोड़कर	(iii) Write offs other those under 3 above	1257.79	1,703.45
उप-जोड़ (बी)	Sub-total (B)	6326.83	5,707.56
सकल एनपीए यथा 31.03.2014 (अंतिम शेष) (ए-बी)	Gross NPAs as on 31.03.2015 (Closing Balance) (A-B)	22193.24	11,868.60

5.11 तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों का मूवमेंट (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

5.10.Movement of Technical/Prudential written-off accounts

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों में प्रारंभिक शेष	Opening Balance of Technical/prudential written-off accounts	6081.22	6452.48
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते लिखाई	Add: Technical/prudential written-offs during the year	1312.90	2154.34
उप-जोड़ (ए)	Sub-total(A)	7394.12	8606.82

विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
घटाएं :- पूर्व में तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बड़े खाते डाले खातों में की गई बसूली (बी)	Less:-Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year(B)	1188.03	2525.60
अंतिम शेष (ए-बी)	Closing Balance (A-B)	6206.09	6081.22

5.11 विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व

5.11. Overseas Assets, NPAs and Revenue

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
1	कुल आस्तियां	Total Assets	1,63,361.27	1,48,177.67
2	कुल एनपीए	Total NPAs	1,948.28	1,594.38
3	कुल राजस्व	Total Revenue	5,012.08	4,355.65

5.12 एसपीवी प्रायोजित ऑफ बैलेन्स शीट

5.12. Off-Balance Sheet SPVs sponsored

स्पॉन्सर किए गए एसपीवी का नाम / Name of the sponsored SPV	
स्वदेशी / Domestic	विदेशी / Overseas
शून्य/ Nil	शून्य/ Nil

5.13 अपरिशोधित पेन्शन और ग्रेच्युटी देयताएं :

31.03.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने उन कर्मचारियों के लिए पेंशन का विकल्प फिर से खोला जिन्होंने पहले पेंशन का विकल्प नहीं चुना था। कुल 22,338 कर्मचारियों द्वारा यह विकल्प चुनने के परिणामस्वरूप बैंक को कारण रु.2212.15 करोड़ की अतिरिक्त देयता हुई। इसके अलावा, 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन के कारण कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि की गई। परिणामस्वरूप बैंक की ग्रेच्युटी देयता में रु. 428.97 करोड़ की वृद्धि हुई।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों हेतु पेन्शन विकल्प फिर से प्रदान करने और उपदान सीमा बढ़ाने - प्रूडेन्शियल रेगुलेटरी ट्रीटमेंट, पर भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र क्र.डीबीओडी. बीपी.बीसी.80/21.04.018/ 2010-11 दिनांक 9 फरवरी, 2011 के अनुसार बैंक ने रु. 2,641.11 करोड़ की कथित देयता को पाँच वर्षों की अवधि में परिशोधित करने का विकल्प चुना है। तदनुसार, अपरिशोधित राशि शून्य है (विगत वर्ष रु. 528.22 करोड़) भविष्य के वर्षों में लाभ-हानि खाते में प्रभारित किए जाने हेतु आगे ले जाई गई है।

5.14 प्रतिभूतिकरण से सम्बद्ध प्रकटन

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कोई स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) फ्लोट नहीं किया है।

5.16 क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के साथ डीलिंग शुरू नहीं की है।

5.13. Unamortised Pension and Gratuity Liabilities:

During the year ended 31.03.2011, the Bank had re-opened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier. As a result of exercise of the option by 22,338 employees, the bank had incurred additional liability of ₹ 2,212.15 Crores. Further, during the year ended 31.03.2011, the limit of Gratuity payable to the employees was also enhanced pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972. As a result the gratuity liability of the Bank had increased by ₹ 428.96 Crores.

As per the Reserve Bank of India circular no. DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11) on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment, dated 9th February 2011, the Bank had opted to defer the additional liability of ₹ 2,641.11 Crores as mentioned above and amortise it over a period of five years commencing from financial year 2010-11 onwards. Accordingly, unamortised amount of ₹ NIL (Previous year ₹ 528.22 Crores) has been carried forward to be charged to the Profit and Loss account of future year/s.

5.14. Disclosure relating to Securitisation

The Bank has not floated any Special purpose Vehicle (SPV) during the Financial Year 2014-15.

5.16. Credit Default Swaps

The bank has not started dealing with Credit Default swaps up to end of the financial year 2014-15.

5.17 इंट्रा-ग्रुप एक्सपोज़र

5.17 Intra-Group Exposures

Sr No	Name of the Entity	Advances				INVESTMENTS		Total	
		Fund Based		NFB		Limits	O/s	Limits	O/s
		Limits	O/s	Limits	O/s				
1	बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड BOI Shareholding Limited	0	0	0	0	1.02	1.02	1.02	1.02
2	पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके PT Bank of India Indonesia TBK	156.25	156.26	0	0	335.15	335.15	491.40	491.41
3	बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लिमिटेड Bank of India (Tanzania) Limited	55.98	24.87	0	0	50.12	50.12	106.10	74.99
4	बैंक ऑफ इंडिया (न्यूज़िलैंड) लिमिटेड Bank of India (New Zealand) Limited	1	0	0	0	176.91	176.91	177.91	176.91
5	बैंक ऑफ इंडिया (यूगांडा) लिमिटेड Bank of India (Uganda) Limited	31.11	31.11	0	0	57.74	57.74	88.85	88.85
6	बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना) लिमिटेड Bank of India (Botswana) Limited	0	0	0	0	33.82	33.82	33.82	33.82
7	बीओआई अक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड BOI Axa Investment Managers Private Limited	0	0	0	0	42.70	42.70	42.70	42.70
8	बीओआई अक्सा ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड BOI Axa Trustee Services Private Limited	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
9	बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लिमिटेड BOI Merchant Bankers Limited	0	0	0	0	10.00	10.00	10.00	10.00
10	स्टार यूनियन दार् ईची जीवन बीमा कंपनी लि. Star Union Dai-IchiLife Insurance Co. Ltd	0	0	0	0	120.00	120.00	120.00	120.00
11	एसटीसीआई फाइनेन्स लिमिटेड STCI Finance Limited	500.00	495.92	0	0	130.10	130.10	630.10	626.02
12	एसएसआरईसी (इंडिया) लि. ASREC (India) Limited	0	0	0	0	27.60	27.60	27.60	27.60
13	इंडो-ज़ाम्बिया बैंक लि. Indo-Zambia Bank Limited	18.75	0	0	0	47.59	47.59	66.34	47.59
14	आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Gramin Bank of Aryavart	30.45	8.2442	0	0	32.18	32.18	62.63	40.42
15	झारखण्ड ग्रामीण बैंक Jharkhand Gramin Bank	0	0	0	0	39.44	39.44	39.44	39.44
16	नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक Narmada Malva Jhabuva Gramin Bank	428	283.2551	0	0	40.69	40.69	468.69	323.94
17	विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक Vidharbha Konkan Gramin Bank	134.1	91.4611	0	0	42.67	42.67	176.77	134.13
18	अलाईड बैंक ऑफ नायजेरिया लि. Allied Bank of Nigeria Ltd	0	0	0	0	1.87	1.87	1.87	1.87
	<b>कुल Total amount of Intra Group Exposure</b>	<b>1355.64</b>	<b>1091.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1189.58</b>	<b>1189.58</b>	<b>2545.22</b>	<b>2280.70</b>

C.			
	बैंक का कुल एक्सपोज़र	Total Exposure of the Bank	726,634.86
	उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल एक्सपोज़र का इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र का %	% of Intra group Exposure to total exposure on Borrowers/ Customers	0.35%
D.	31.03.2015 तक इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र का कोई उल्लंघन नहीं है	There is no breach of intra group exposure limit as on 31.03.2015.	

5.18. जमाकर्ता शिक्षा तथा जागरूकता (डीईएफ)

5.18 Transfers to Depositors Education and Awareness Fund (DEAF)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	FY 2014-15	FY 2013-14
A	डीईएफ को अन्तरित राशि का अथ शेष	Opening balance of amounts transferred to DEAF	0.00	0.00
B	जोड़े : वर्ष के दौरान डीईएफ को अन्तरित राशि	Add : Amounts transferred to DEAF during year	38.54	0.00
C	घटाएं : डीईएफ के दावों पर प्रतिपूर्ति की गई राशि	Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	0.00	0.00
D	डीईएफ को अन्तरित राशि का इति शेष	Closing balance of amounts transferred to DEAF	38.54	0.00

5.19. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

5.19 Unhedged Foreign Currency Exposure

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	FY 2014-15	FY 2013-14
A	प्रावधान खाता अथ शेष	Opening balance provisions account	0.00	0.00
B	लेखांकन वर्ष में प्रावधान की मात्रा	The quantum of provisions made in the accounting year	83.20	0.00
C	लेखांकन वर्ष के दौरान आरक्षित राशि	Amount Reverse during the accounting year	0.00	0.00
D	प्रावधान खाता इति शेष .....	Closing balance in the provisions account	83.20	0.00

अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (युएफसीई) के साथ संस्थाओं से एक्सपोजर के लिए पूँजी एवं प्रावधानीकरण आवश्यकताओं के संबंध में बैंक ने नीति तयार की है; जो आरबीआई के परिपत्र स. डीबीओडी. सं.बीपी. बीसी.85/21.06.200/2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 और स. डीबीओडी. सं.बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 दिनांक 03.06.2014 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरणों पर आधारित हैं।

तदनुसार यह आग्रह किया जाता है कि बैंक युएफसीई की मासिक आधार पर और प्रावधानीकरण और पूँजी आवश्यकताओं की तिमाही आधार पर निगरानी करे। 31.03.2015 तक उपलब्ध आंकड़ों तथा उधारकर्ताओं के घोषणा फार्म पर आधारित, जहां कहीं प्राप्त हुआ, बैंक ने ₹ 83.20 करोड़ का वृद्धिशील प्रावधान निर्मित किया। इस एक्सपोजर पर अतिरिक्त आरडब्ल्यूए ₹ 1121 करोड़ है जिसके विरुद्ध अतिरिक्त न्यूनतम पूँजी आवश्यकता ₹ 100.89 करोड़ है।

The Bank has a policy with regard to capital and provisioning requirements for exposure to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) which is based on RBI Circular No.DBOD.No.BP. BC.85 / 21.06.200 / 2013-14 dated January 15, 2014 and clarifications received vide RBI Circular No. DBOD.No.BP.BC.116/21.06.200 / 2013-14 dated June 03, 2014.

Accordingly it is envisaged that the Bank monitors UFCE on a monthly interval and provisioning and capital requirements on a quarterly basis. As on 31.03.2015, based on available data and declaration from the borrowers, wherever received in accordance with the policy, the Bank has created incremental provision of ₹ 83.20 Crores. The additional RWA on this exposure is ₹ 1121 Crores, as against this additional minimum capital requirement is ₹ 100.89 Crores.

6. चलनिधि कवरेज अनुपात

6 Liquidity Coverage Ratio

मात्रात्मक प्रकटन

Quantitative Disclosure

नोट - डाटा केवल काले एवं हलके नीले सेल में प्रविष्ट किए जाएं।

Note- Data to be entered only in blank & light grey cells

		कुल अभांरित मूल्य Total Unweighted Value (औसत) (average) <sup>1</sup>	कुल भांरित मूल्य Total Weighted Value (औसत) (average) <sup>2</sup>
<b>उच्च स्तरीय परिसंपत्ति आस्तियां HIGH QUALITY LIQUID ASSETS</b>			
1	कुल उच्च स्तरीय आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Assets(HQLA)		62,230.27
<b>नकदी प्रवाह CASH OUTFLOW</b>			
2	खुदरा जमा राशियां तथा छोटे कारोबारी ग्राहकों की जमा राशियां, जिसमें से : Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	367,886.84	36,485.95
	(i) स्थिर जमा राशियां / Stable deposits	6,054.69	302.73
	(ii) कम स्थिर जमा राशियां / Less stable deposits	361,832.15	36,183.21
3	अरक्षित थोक निधियन, जिसमें से : Unsecured wholesale funding of which:	52,958.81	25,053.05
	(i) परिचालनगत जमा राशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Operational deposits (all counterparties)	10,230.55	908.96
	(ii) गैर-परिचालनगत जमा राशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Non-operational deposits (all counterparties)	42,728.26	24,144.09
	(iii) अरक्षित ऋण / Unsecured debts	-	-
4	जमानती थोक निधियन / Secured wholesale funding		-
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से / Additional requirements, of which	22,322.09	13,403.68
	(i) व्युत्पन्नी एक्सपोजर से संबंधित बहिर्गमन तथा अन्य संपार्श्विक आवश्यकता Outflows related to derivative exposures and other collateral requirement	12,348.10	12,348.10
	(ii) ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित बहिर्गमन Outflows related to loss of funding on debt products	0.19	0.19

(iii)	ऋण तथा चलनिधि सुविधाएं Credit and liquidity facilities	9,973.81	1,055.40
6	अन्य संविदागत निधियन दायित्व / Other contractual funding obligations	3,057.51	2,425.74
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व / Other contingent funding obligations	45,894.18	2,312.97
8	कुल नकदी बहिर्गमन / TOTAL CASH OUTFLOWS		79,681.39
CASH INFLOW CASH INFLOW			
9	जमानती उधार (उदा. रिवर्स रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	1,251.75	123.65
10	पूर्णतया निष्पादक एक्सपोजर से आगमन Inflows from fully performing exposures	27,952.92	18,655.22
11	अन्य नकदी आगमन Other cash inflows	15,930.34	12,871.66
12	कुल निवल नकदी बहिर्गमन TOTAL CASH INFLOWS	45,135.01	31,650.52
			Total Adjusted Value 3
21	कुल एचक्यूएलए TOTAL HQLA		62,230.27
22	कुल निवल नकदी बहिर्गमन TOTAL NET CASH OUTFLOWS		48,030.87
23	चलनिधि कवरेज अनुपात (%) LIQUIDITY COVERAGE RATIO(%)		129.56

इस तिमाही के लिए यथा 31.03.2015, प्रकटन आंकड़ा का परिकलन जनवरी 2015, फरवरी 2015 तथा मार्च 2015 के औसत आधार पर किया गया।

For this quarter i.e. 31.03.2015, Data in the disclosure has been computed by arriving at an average of January, 2015, February, 2015 and March 2015.

#### एलसीआर के संबंध में गुणात्मक प्रकटन

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार प्रभावी तिथि 1ली जनवरी, 2015 तक बैंक ने चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर दिशानिर्देशों को कार्यन्वित किया।

एलसीआर का मानक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित उच्च स्तरीय चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) को यथोचित स्तर पर अनुरक्षित करता है अत्यधिक चलनिधि दबाव परिदृश्य के अन्तर्गत 30 कलेंडर दिन सीमा के लिए चलनिधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए एचक्यूएलए को नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{उच्च स्तरीय चलनिधि आस्तियां}}{\text{अगले 30 कलेंडर दिनों तक कुल निवल नकदी बहिर्गमन}}$$

यहां,

- एचक्यूएलए लेवल 1 तथा लेवल 2 आस्तियां सम्मिलित हैं, दूसरे शब्दों में यह नकदी हैं या नकदी मदों के करीब हैं जिसे आवश्यकता पड़ने पर बाज़ार में आसानी से उपयोग किया जा सकता है/भुनाया जा सकता है।
- भारिबैं/बासेल द्वारा परिभाषा के अनुसार दबाव की स्थिति के अन्तर्गत कुल बहिर्गमन पर कुल आगमन का निवल नकदी बहिर्गमन अधिक रहता है। निवल नकदी बहिर्गमन पर पहुंचने के लिए, आगमन को पूर्व परिभाषित मार्जिन के साथ लेना चाहिए तथा बहिर्गमन को पूर्व परिभाषित निकालना पैक्टर पर लेना चाहिए।
- यदि दबाग्रस्त आगमन दबावग्रस्त बहिर्गमन से अधिक है, तो एलसीआर के निर्धारण के लिए कुल बहिर्गमन का 25% कुल निवल नकदी बहिर्गमन के रूप में किया जाएगा।
- प्रभावी तिथि 01.01.2015 से, अविरत आधार पर 60% एलसीआर को बनाए रखना बैंकों के लिए आवश्यक है। प्रत्येक वर्ष 10% वृद्धि के साथ 01.01.2019 तक यह 100% तक पहुंच जाए।

#### Qualitative disclosures with regard to LCR

W.e.f. 1st January 2015, the Bank has implemented guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) as directed by Reserve bank of India.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. At a minimum, the stock of liquid assets should enable the bank to survive until day 30 under a severe liquidity stress scenario.

$$\text{LCR} = \frac{\text{High Quality Liquid Assets}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}}$$

Here,

- HQLA comprises of level 1 and level 2 assets, in other words these are cash or near to cash items which can be easily used / discounted in the market in case of need.
- Net cash outflows are excess of total inflows over total outflows under stressed situation as defined by Basel / RBI. While arriving at the net cash outflow, the inflows are taken with pre-defined hair-cuts and the outflows are taken at pre-defined run-off factors.
- In case stressed inflows are more than the stressed outflows, 25% of total outflows shall be taken as total net cash outflows to arrive at the LCR.
- With effect from 01.01.2015, Banks are required to maintain minimum 60% LCR on an on-going basis. The same shall reach 100% as on 01.01.2019 with incremental increase of 10% each year.

वर्णन	Details	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019
न्यूनतम एलसीआर	Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

**एलसीआर का मुख्य संचालक :** उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) खुदरा प्राकों से उच्च निधियन स्रोत के न्यून निवल नकदी प्रवाह एलसीआर के मुख्य संचालक हैं। एचक्यूएलए का प्रचुर स्टॉक एलसीआर विकसित करने में बैंक का सहायक होता है क्योंकि अधिक एसएलआर के प्रचुर राशि को बैंक बनाए रखता है।

आंतर अवधि परिवर्तन साथ ही साथ ओवरटाइम परिवर्तन : मार्च, 2015 तिमाही के लिए, जनवरी 2015 (154.35%) तथा फरवरी 2015 (154.51%) महीनों के दौरान एलसीआर एकसमान रहा। यद्यपि मार्च, 2015 महीने में (94.26%) रहा जिसमें स्टॉक एक्सचेंज एसएलआर में कमी के कारण एलसीआर में गिरावट दर्ज की गई जो कि 60% विनियामक आवश्यकताओं के कारण हुआ।

एचक्यूएलए की संरचना : उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) की संरचना में प्रमुखतया नकदी शेष, अधिक एसएलआर, अधिक सीआरआर तथा एफएलएलसीआर (चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि सुविधा प्राप्त करना) प्रमुखतया होता है।

आज की तिथि तक एचक्यूएलए संरचना का प्रकटन निम्नलिखित है :

हाथ में नकदी	Cash in hand	15%
अधिक सीआरआर शेष	Excess CRR balance	6%
न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता की अधिकता में सरकारी प्रतिभूति	Government securities in excess of minimum SLR Requirement	25%
एफएलएलसीआर (एमएसएफ के लिए अनुमत वर्तमान में एनडीटीएल का 7 प्रतिशत तक) सहित एमएसएफ के अन्तर्गत भारिबैं द्वारा अनुमत अनुसार न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता की अधिकता में सरकारी प्रतिभूतियां	Government securities within the mandatory SLR Requirement, to the extent allowed by RBI under MSF including FALLCR (presently to the extent of 7percent of NDTL as allowed for MSF)	51%
बासेल II के मानक दृष्टिकोण के अन्तर्गत 0%, जोखिम के विदेशी सार्वभौम द्वारा जारी या गारंटीकृत प्रतिभूतियां	Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk weight under Basel II standardised approach	3%

**निधियन स्रोत का संकेन्द्रीकरण:** बैंक का अधिकांश निधियन स्रोत खुदरा ग्राहकों से है (लगभग 60%) अतएव बहिर्गमन दबाव तुलनात्मक ढंग से कम है। यद्यपि, मियादी जमाराशियों के लिए किसी अप्रतिदेय विकल्प के अभाव में भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार बहिर्गमन अनुभाग के अन्तर्गत लगभग सभी जमाराशियों को बैंक ने गौर किया। किसी महत्वपूर्ण पक्षकार से निधियन संकेन्द्रण बैंक का नहीं था। बैंक के कुल देयताओं का 1% से अधिक के लिए सकल लेखाप्रणाली हेतु संबंधित समूह या सम्बद्ध प्रतिपक्षकारों अथवा कल प्रतिपक्षकार के रूप में एक उल्लेखनीय प्रतिपक्षकार को परिभाषित किया गया है।

**व्युत्पन्नी एक्सपोजर तथा संभाव्य संपार्श्विक कॉल:** डेरिवेटिव कारोबार में बैंक का घरेलू परिचालन में बहुत कम एक्सपोजर है। यद्यपि, विदेशी परिचालन में व्युत्पन्नी कारोबार कम है तथा अत्यधिक उल्लेखनीय नहीं है।

**एलसीआर में मुद्रा असंतुलन :** भारिबैं दिशानिर्देशों के अनुसरण में क महत्वपूर्ण मुद्रा वह है जिसमें उस मुद्रा में कुल मूल्यवर्गित देयताएं बैंक की कुल देयताएं का 5 प्रतिशत या अधिक हो। हमारे मामले में यूएसडी एकमात्र महत्वपूर्ण मुद्रा है अतएव हम एलसीआर का परिकलन यूएसडी मुद्रा में करते हैं। भारिबैं द्वारा यह विनिर्दिष्ट नहीं है कि हम एलसीआर को एक निश्चित स्तर तक क उल्लेखनीय मुद्रा में ही परिकलित किया जाए। यद्यपि, बैंक यूएसडी मूल्यवर्गित एलसीआर को और विकसित करने का सप्रयास कर रहा है जो वर्तमान में 39.16%।

**चलनिधि प्रबंधन के संकेन्द्रीकरण के डिग्री का वर्णन तथा समूह के इकाईयों में पारस्परिक क्रिया :** उद्यम स्तर पर बैंक का तरलता प्रबंधन, बोर्ड स्तरीय कार्य है तथा बोर्ड (आर. कॉम) की एक अलग उप-समिति इसपर निगाह रखती है। नियमित अंतराल पर एलसीओ के चलनिधि प्रबंधन की नियमित निगरानी की जाती है। संपूर्ण चलनिधि प्रबंधन प्रक्रिया बैंक के लएम नीति से शासित होती है।

**Main Drivers of LCR:** The main drivers of the LCR is adequacy of High Quality Liquid Assets (HQLA) and lower net cash outflow on account of higher funding sources from retail customers. Adequate stock of HQLA helped the Bank to improve LCR as the Bank is maintaining significant amount of excess SLR.

Intra-period changes as well as changes over time: For the March2015 quarter, the LCR during January 2015 (154.35%) and February 2015 (154.51%) months was consistent. However, in the month of March'2015 (94.26%), there was a fall in LCR on account of decrease in stock of excess SLR but the same was above the regulatory requirement of 60%.

**Composition of HQLA:** The composition of High Quality Liquid Assets (HQLA) mainly consists of cash balances, excess SLR, excess CRR and FALLCR (Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio).

The composition of HQLA as on date of disclosure is given below:

**Concentration of funding sources:** Majority of Bank's funding sources are from retail customers (about 60%) therefore the stressed outflows are comparatively lower. However, in absence of any non-callable option for term deposits, the Bank has considered almost all deposits under outflow section as per RBI guidelines. Bank also does not have funding concentration from any significant counterparty. A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counterparties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities.

**Derivative Exposures and potential collateral calls:** Domestic operation of the Bank has very little exposure in derivative business. However, there is small derivative business in overseas operations but the same is not very significant.

**Currency mismatch in the LCR:** In terms of RBI guidelines, a significant currency is one where aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the banks total liabilities. In our case, USD is the only significant currency therefore we also calculate LCR in USD currency. There is no such stipulation given by the RBI to maintain the LCR in significant currency upto a certain level. However, Bank is endeavouring to improve its USD denominated LCR further, which is presently at 39.16%.

**Description of the degree of centralisation of liquidity management and interaction between the group's units:** The liquidity management of the Bank at enterprise level is a Board level function and a separate sub-committee of the Board (R.Com.) keeps close watch on that. The periodical monitoring of the liquidity management is being monitored to the ALCO on regular intervals. The entire liquidity management process of the Bank being governed by ALM Policy of the Bank.



घरेलू परिचालनों के लिए चलनिधि प्रबंधन के केन्द्रीय कार्य है जो प्रधान कार्यालय स्तर पर प्रबंधित किया जाता है। निगरानी तथा नियंत्रण के लिए तथा स्थानीय विनियामक का अनुपालन भी प्रत्येक केन्द्र के क्षेत्राधिकार अनुसार विदेशी चलनिधि प्रबंधन किया जाता है। बैंक का अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाग विदेशी चलनिधि स्थिति पर निगरानी रखता है तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर केन्द्रिक रूप से सम्पूर्ण चलनिधि निगरानी की जाती है।

एलसीआर परिकलन में अन्य आगमन और बहिर्गमन एलसीआर सामान्य टेम्पलेट में अभिगृहीत नहीं होता है किन्तु अपने चलनिधि प्रोफाइल के लिए संस्था इसे उपयुक्त समझती है: हमारे ध्यान में ऐसा नहीं है।

**7. अन्य नोट**

**क) आय कर:**

- I) आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत ऋण के रूप में दावों की अभिस्वीकृति नहीं ली गई है जिसके अंतर्गत रु.961.37 करोड़ (विगत वर्ष 2014-15 में रु.857.58 करोड़) की विवादित आय कर/ ब्याज कर देयताएं सम्मिलित हैं। इन दावों के मामलों में पूर्व में अभिनिर्धारित विभिन्न न्यायिक विवादों के आधार पर आवश्यक कर के प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है। इनको अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के अंतर्गत भुगतान/ समायोजित तथा सम्मिलित कर लिया गया है।
- II) कतिपय विवादित मामलों में विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर उचित विचार किये जाने के बाद वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान किया गया है।
- III) आयकर हेतु ₹ 483.55 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 368.82 करोड़) के प्रावधान को विभिन्न आयकर प्राधिकारियों के अनुकूल आदेशों के आधार पर इस वर्ष के दौरान वापस राइटबैक कर दिया गया है।

**बी) प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग :**

- i) वर्ष के दौरान बैंक ने एचटीएम से एएफएस प्रवर्ग में ₹ 7444.58 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 15,620.18 करोड़) की प्रतिभूतियों को शिफ्ट किया है एवं ऐसे ट्रांसफर पुनर्गठित करने पर ₹ 9.10 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 5.02 करोड़) की हानि हुई है।
- ii) वर्ष के दौरान बैंक ने एएफएस से एचटीएम प्रवर्ग में ₹ 42.04 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 13.61 करोड़) के वेंचर फण्ड पोर्टफोलियो को शिफ्ट किया गया और ऐसे अंतरण पर ₹ 4.25 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 3.65 करोड़) की हानि हुई है।
- iii) वर्ष के दौरान बैंक ने एएफएस से एचटीएम प्रवर्ग में शून्य (विगत वर्ष ₹ 5,463.82 करोड़) की प्रतिभूतियों को शिफ्ट किया है एवं ऐसे ट्रांसफर पर हुई शून्य (विगत वर्ष ₹ 7.66 करोड़) की हानि के लिए वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया है।

**(सी) एसएलआर प्रतिभूतियां**

विवरण	Particulars	यथा/As at 31.03.2015		यथा/As at 31.03.2014	
		बही मूल्य Book Value	बाज़ार मूल्य Market Value	बही मूल्य Book Value	बाज़ार मूल्य Market Value
सरकारी प्रतिभूतियां एसएलआर (सीजी, एसजी, टीबी)	Government Securities SLR (CG,SG,TB)	1,04,845.95	1,05,546.25	95,388.77	91,532.02
अनुमोदित प्रतिभूतियां –एसएलआर	Approved securities –SLR	507.89	526.50	524.42	540.55

(डी) परिपक्वतातक धारित' प्रवर्ग के अंतर्गत धारित निवेश की बिक्री पर रु.179.33 करोड़ (विगत वर्ष रु. 10.08 करोड़) को लाभ को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है और उसके पश्चात करों का निवल रु. 88.78 करोड़ (विगत वर्ष रु.5.11 करोड़) की राशि आरक्षित पूंजी में समायोजित की गई और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 के अंतर्गत सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित किया गया।

The liquidity management for domestic operations is the central function, being managed at Head Office level. The overseas liquidity management is being handled at each centre jurisdiction wise to keep close monitoring and control and also to comply with the local regulatory requirements as well. International Division of the Bank keep watch on the overseas liquidity position and the overall liquidity monitoring is done at Head Office level centrally.

**Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile:** No such as per our notice.

**7. Other Notes**

**a) Income Tax:**

- I. Claims against the Bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax / interest tax liabilities of ₹ 961.37 crores (previous year 2014-15 ₹ 857.58 Crores) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions for past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).
- II. Provision for income tax for the year is arrived at after due consideration of the various judicial decisions on certain disputed issues.
- III. During the year, the Bank has written back Provision for Taxation pertaining to earlier years of ₹ 483.55 crores (previous year 368.82 crores) based on orders of Income Tax Authorities.

**b) Shifting of securities:**

- i) For the year ended 31-03-2015, Bank has shifted securities amounting to ₹ 7,444.58 Crores (previous year ₹ 15,620.18 Crores) from HTM to AFS category and ₹ 9.10 Crores (previous year ₹ 1.53 Crores) has been arisen as loss upon such transfer.
- ii) For the year ended 31-03-2015, Bank has shifted portfolio of venture fund amounting ₹ 42.04 Crores (previous year ₹ 13.61 Crores) from HTM to AFS and booked the depreciation provision of ₹ 4.25 Crores (previous year ₹ 3.65 Crores) due to such transfer.
- iii) For the year ended 31.03.2015, Bank has shifted securities amounting to NIL (previous year ₹ 5463.82 Crores) from AFS to HTM category and loss arisen upon such transfer amounting to NIL (previous year ₹ 7.66 Crores) has been provided for during the year.

**c) SLR Securities**

d) Profit on sale of Investments held under "Held to Maturity" category amounting to ₹ 179.33 Crores (previous year ` 10.08 Crores) has been taken to the Profit & Loss Account and thereafter an amount of ₹ 88.78 Crores(previous year ₹ 5.11 Crores)has been appropriated to the Capital Reserve, net of taxes and transfer to Statutory Reserve under section 17 of the Banking Regulation Act, 1949.

- ई) क्योंकि वेतन का संशोधन जो कि नवम्बर 2012 से लंबित है, बैंक ने ₹ 540.06 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 269.51 करोड़) का प्रावधान किया है। इस प्रकार 31 मार्च 2015 को धारित कुल प्रावधान ₹ 879.57 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 339.51 करोड़) हो गया है।
- एफ) भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र संख्या डीबीएस:सीओ:एसएसएम:(बीओआई) 14657:13.37.001:2014-15 दिनांक 20 मई 2015 के अनुसरण में बैंक ने कतिपय एनपीए के मामले में ₹ 709.31 करोड़ का प्रावधान और कतिपय एनपीए की बिक्री पर ₹ 403.21 करोड़ को आस्थगित कर दिया है जिसे जून 2015 से आरंभ होकर 3 तिमाही की अवधि में परिशोधित किया जायेगा। यदि यह छूट बैंक को नहीं दी गई होती तो वर्ष के लिए एनपीए हेतु प्रावधान ₹ 1112.52 करोड़ अधिक होता जिसके परिणामस्वरूप वर्ष का निवल लाभ (कर का निवल) ₹ 734.37 करोड़ कम हो जाता।
- जी) भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र संख्या डीबीआर:बीपी: 17252:210.04.048: 2014-15 दिनांक 13 मई 2015 के अनुसरण में 26 फरवरी 2014 और 31 मार्च 2015 के बीच एआरसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों से उत्पन्न कमी को जिस तिमाही में आस्ति बिक्री की गई थी उससे 8 तिमाही की अवधि के अंदर बैंक ने परिशोधित किया है। परिणामस्वरूप बैंक ने वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में ₹ 112.66 करोड़ प्रभारित किया है और ₹ 478.91 करोड़ की शेष राशि भविष्य की अवधि में लाभ और हानि खाते में प्रभारित करने हेतु आगे ले जाया गया है।
- e) Pending settlement of the proposed wage revision effective from November 2012, provision of ₹ 540.06 Crores for the year (Previous year ₹ 269.51 Crores) has been made. The aggregate provision held as on 31st March, 2015 is ₹ 879.57 Crores (Previous year ₹ 339.51 Crores).
- f) Pursuant to Reserve Bank of India Letter No. DBS :CO:SSM:(BOI) 14657:13.37.001:2014-15 dated 20th May, 2015, the bank has deferred provision of ₹ 709.31 Crores in respect of certain NPAs and loss of ₹ 403.21 Crores on sale of certain NPAs to be amortized over a period of 3 quarters commencing from June 2015. Had this dispensation been not given to the bank, the provision for NPAs for the year would have been higher by ₹ 1112.52 Crores with consequential decrease in Net Profit for the year (net of tax) by ₹ 734.37 Crores.
- g) Pursuant to Reserve Bank of India Letter No. DBR:BP:17252:21.04.048:2014-15 dated 13th May, 2015, the bank has amortized the shortfall arising out of sale of financial assets to ARCs, sold between 26th February, 2014 and 31st March, 2015, over a period of 8 quarters from the quarter in which the asset was sold. Consequently, the bank has charged ₹ 112.66 Crores to Profit & Loss Account for the year and the balance amount of ₹ 478.91 Crores is being carried forward to be charged to Profit & Loss Account of future periods

**(एच) वर्ष 2014-15 हेतु पुरस्कार (रिवार्ड) पॉइंट का संचलन**

**h) Movement of Reward Points for 2014-15:**

क्र. सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	डेबिट कार्ड पर रिवार्ड प्वाइंट्स Reward points on Debit Card	क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड प्वाइंट्स Reward points on Credit Card	कुल Total
1	प्रारंभिक शेष	Opening Balance	4188,69,952 (2048,58,781)	296,70,338 (256,50,520)	448,54,0291 (2305,09,301)
2	जोड़ें : ग्राहकों द्वारा वर्ष के दौरान उपचित रिवार्ड प्वाइंट्स	Add: Reward points accrued during the Year by Customers	3270,82,730 (2397,56,940)	433,55,080 (260,29,229)	3704,37,810 (2657,86,169)
3	घटाएं : ग्राहक द्वारा लिए गए रिवार्ड प्वाइंट्स	Less: Reward Points availed by customers	1130,11,373 (257,45,769)	395,66,921 (220,09,411)	1525,78,294 (477,55,180)
4	अंतिम शेष	Closing Balance	6329,41,309 (4188,69,952)	334,58,497 (296,70,338)	666399806 (4485,40,290)

8. जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया है विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहित/ पुनःव्यवस्थित किया गया है।
8. Previous year's figures have been regrouped/rearranged, wherever considered necessary.

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

## Independent Auditor's Report

प्रति, भारत के राष्ट्रपति,

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट :-

1. हमने बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) के यथा 31 मार्च, 2015 की वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है जिसके साथ यथा 31 मार्च, 2015 का तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता, उस समय समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना संलग्न थे। इन वित्तीय विवरणियों में निम्नलिखित विवरणियाँ शामिल हैं :-

ए) हमारे द्वारा लेखा परीक्षित प्रधान कार्यालय और 20 शाखाएं (ट्रेजरी शाखा सहित),

बी) अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2100 घरेलू शाखाएं, और

सी) स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 25 विदेशी शाखाएं

बैंक ने हमारे द्वारा लेखा परीक्षित एवं अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया है।

तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाते में उन 2772 घरेलू शाखाओं की विवरणियों का भी समावेश है, जो लेखा परीक्षा के अध्वधीन नहीं हैं। ये गैर-लेखा परीक्षित शाखाएं 5.54 % अग्रिम, 16.33 % जमाशियां, 4.97 % ब्याज आय और 15.00 % ब्याज व्यय का योगदान करती हैं।

## वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी -

2. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है जो भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों सहित मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रथाओं के अनुसरण में तैयार किया जाता है। इन जिम्मेदारियों में धोखाधड़ी या गलती के कारण तात्त्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त वित्तीय विवरणियों की तैयारी हेतु संगत आंतरिक नियंत्रणों की तैयारी, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है।

## लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी :-

3. हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम इन वित्तीय विवरणों पर आधारित हमारी लेखा परीक्षा पर अपनी राय व्यक्त करें। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानकों के अनुरूप हमने अपना लेखा परीक्षा कार्य किया है। इन मानकों की यह अपेक्षा थी कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षा की योजना इस तरह बनाए एवं उसका क्रियान्वयन इस तरह करें कि हम इस संबंध में इस बात का समुचित आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय विवरण तात्त्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त हैं।

4. किसी लेखा परीक्षा में, वित्तीय विवरणियों की राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखापरिीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरिीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं जिसमें वित्तीय विवरणियों में, धोखाधड़ी या गलती की वजह से, तात्त्विक अशुद्ध कथनों के जोखिमों का आकलन शामिल है। इन जोखिम आकलनों को करने में, इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने हेतु बैंक की तैयारी एवं वित्तीय विवरणियों की न्याय संगत प्रस्तुति हेतु संगत आंतरिक नियंत्रणों पर लेखा परीक्षक विचार करता है न कि बैंक की आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए। किसी लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

5. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

## अभिमत

6. हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं बैंक की बहियों में दर्शाए अनुसार :

ए) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और उस पर टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र आवश्यक विवरणों वाला पूर्ण और उचित तुलन-पत्र है और सही तरीके से तैयार किया गया है ताकि यथा 31 मार्च, 2015 को बैंक की गतिविधियों का भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत हो।

To

The President of India

## Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Bank of India ('the Bank') as at March 31, 2015, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2015, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of

a. The Head office and 20 branches (Including Treasury Branch) audited by us;

b. 2100 domestic branches audited by other auditors; and

c. 25 foreign branches audited by local auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 2772 domestic branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 5.54% of advances, 16.33% of deposits, 4.97% of interest income and 15.00% of interest expenses.

## Management's Responsibility for the Financial Statements

2. The Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the requirement of Reserve Bank of India, provisions of the Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, recognised accounting practices including the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

## Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

## Opinion

6. In our opinion, as shown by books of Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

a. The Balance Sheet, read with significant accounting policies and notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March

- बी) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और उसपर टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि खाता, खाते द्वारा कवर किए गए वर्ष के लिए, सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप लाभ का सही तुलन दर्शाता है; और
- सी) नकदी प्रवाह विवरण, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही व उचित दृश्य प्रस्तुत करता है।

इस मामले का प्रभाव -

7. हम निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :
- ए) एक वर्ष तक संदिग्ध श्रेणी (जमानती हिस्सा) के रूप में एनपीए वर्गीकृत के प्रावधानीकरण के लिए लेखांकन नीति में परिवर्तन से संबंधित वित्तीय विवरण के नोट सं 18.2 - जिसके फलस्वरूप एनपीए के लिए प्रावधान में ₹ 811.00 करोड़ की कमी जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए निवल लाभ (कर का निवल) ₹ 535.34 करोड़ बढ़ा है।
- बी) आरबीआई द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार नोट सं 18.5.2 जो वर्ष के दौरान ₹ 232.22 करोड़ के अस्थिर प्रावधान के उपयोग से संबंधित
- सी) कतिपय एनपीए के संबंध में प्रावधान के आस्थगन और कतिपय एनपीए की बिक्री पर हानि से संबंधित नोट सं 18.7(एफ) जिसके परिणामस्वरूप प्रावधान में ₹ 709.31 करोड़ की कमी और परिचालन व्यय में ₹ 403.21 करोड़ की कमी जिसके फलस्वरूप वर्ष के निवल लाभ (कर का निवल) में ₹ 734.37 करोड़ की वृद्धि हुई है।
- डी) एआरसी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर हानि के आस्थगन से संबंधित नोट सं 18.7(जी) जिसके परिणामस्वरूप परिचालन व्यय में ₹ 478.91 करोड़ की कमी आई जिसके फलस्वरूप वर्ष के लिए निवल लाभ (कर का निवल) ₹ 316.13 करोड़ की वृद्धि हुई है।
- इन मामलों पर हमारी राय शर्त-मुक्त नहीं है।

**अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट :-**

8. तुलनपत्र और लाभ और हानि खाता, क्रमशः बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'एफ' एवं 'बी' में तैयार किए गए हैं।
9. उक्त पैरा 1 से 5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की आवश्यकताओं के अनुसार एवं इसमें अपेक्षित प्रकटन सीमाओं के अन्वयधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
- ए) हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;
- बी) बैंक के लेन-देन जो हमारी जानकारी में आए हैं वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं; और
- सी) बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पायी गयी हैं।
10. हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

- 31, 2015 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
- b. the Profit and Loss Account, read with significant accounting policies and notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
- c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

**Emphasis of Matter**

7. We draw attention to:
- a. Note no. 18.2 to the financial statements relating to change in the accounting policy for provisioning in respect of NPAs classified as Doubtful category (Secured portion) – up to one year resulting in decrease in the provision for NPAs for the year by ₹ 811.00 Crores with consequential increase in Net profit for the year (net of tax) by ₹ 535.34 Crores.
- b. Note No. 18.5.2 regarding utilisation of Floating Provision of ₹ 232.22 Crores during the year as permitted by RBI
- c. Note No. 18.7(f) regarding the deferment of provision in respect of certain NPAs and loss on sale of certain NPAs resulting in decrease in the provision by ₹ 709.31 Crores and decrease in operating expenses by ₹ 403.21 Crores with consequential increase in Net Profit for the year (net of tax) by ₹ 734.37 Crores.
- d. Note No. 18.7(g) regarding the deferment of the loss on sale of financial assets to ARCs resulting in decrease in operating expenses by ₹ 478.91 Crores with consequential increase in Net Profit for the year (net of tax) by ₹ 316.13 Crores.
- Our opinion is not qualified in respect of these matters.

**Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
- a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- b. The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank; and
- c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

मेसर्स इसाक एंड सुरेश  
M/s. Isaac & Suresh  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 001150एस) (FRN 001150S)

के विजय मोहन वलियतन K. Vijaya Mohan Valiathan  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 028648 M. No. 028648

मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय M/s. J. P. Kapur & Uberai  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 000593एन) (FRN 000593N)

दीपक मेनन Deepak Menon  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 084225 M. No. 084225

दिनांक : 28 मई, 2015 / Date : 28<sup>th</sup> May, 2015

मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कं.  
M/s. M. M. Nissim and Co.  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 107122डब्ल्यू) (FRN 107122W)

संजय खेमानी Sanjay Khemani  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 044577 M. No. 044577

मेसर्स ग्रोवर लल्ला एंड मेहता M/s. Grover, Lalla & Mehta  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 002830एन) (FRN 002830N)

अशोक ग्रोवर Ashok Grover  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 081784 M. No. 081784

मेसर्स डी. सिंह एंड कं.  
M/s. D. Singh & Co.  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 001351एन) (FRN 001351N)

सिमरन सिंह Simran Singh  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 098641 M. No. 098641

मेसर्स बी रतन एंड एसोशिएट्स M/s. B. Rattan & Associates  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 011798एन) (FRN 011798N)

रकेश कुमार Rakesh Kumar  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 095399 M. No. 095399



बैंक ऑफ इंडिया  
समेकित वित्तीय विवरण  
31 मार्च, 2015

**BANK OF INDIA**

**CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

As at 31<sup>st</sup> March, 2015

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र  
**CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH, 2015**

(000 छोड़े गए हैं/000's Omitted)

	अनुसूची Schedule	यथा As at 31-03-2015 ₹	यथा As at 31-03-2014 ₹
<b>I. पूँजी एवं देयताएं</b>	<b>CAPITAL AND LIABILITIES</b>		
पूँजी	Capital	6,656,476	6,430,021
आरक्षित एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	318,571,975	301,307,229
अल्पसंख्यक हित	Minorities Interest	1,679,342	840,048
जमाराशियां	Deposits	5,344,822,977	4,786,950,772
उधार	Borrowings	400,986,867	484,275,103
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities and provisions	180,129,778	201,742,863
<b>जोड़</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6,252,847,415</b>	<b>5,781,546,036</b>
<b>II. आस्तियां</b>	<b>ASSETS</b>		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	274,983,812	192,878,574
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	Balances with Banks and money at call and short notice	494,405,354	424,724,477
निवेश	Investments	1,231,955,291	1,164,897,433
अग्रिम	Advances	4,043,893,521	3,726,714,604
अचल आस्तियां	Fixed Assets	59,144,856	58,201,870
अन्य आस्तियां	Other Assets	148,464,581	214,129,078
<b>जोड़</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6,252,847,415</b>	<b>5,781,546,036</b>
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	1,748,919,890	2,528,264,448
वसूली के लिए बिल	Bills for collection	264,201,779	218,627,170

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म ए के अनुसार तुलन-पत्र तैयार किया गया है।

The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form 'A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

श्रीमती वी. आर. अय्यर  
**Mrs. V.R. Iyer**  
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
 Chairperson and  
 Managing Director

बि. पी. शर्मा  
**B.P. Sharma**  
 कार्यपालक निदेशक  
 Executive Director

आर. पी. मराठे  
**R. P. Marathe**  
 कार्यपालक निदेशक  
 Executive Director

आर. ए. शंकर नारायणन  
**R.A.Sankara Narayanan**  
 कार्यपालक निदेशक  
 Executive Director

अनंत उपाध्याय  
**Anant Upadhyay**  
 मुख्य वित्तीय अधिकारी  
 Chief Financial Officer

**निदेशकगण DIRECTORS**

अनूप वधावन Anup Wadhawan  
 आर. एल. बिश्नोई R. L. Bishnoi

एस. एस. बारिक S. S. Barik  
 नीरज भाटिया Neeraj Bhatia

हरविंदर सिंह Harvinder Singh  
 डी हरिश D Harish

ए. एम. पेरा A. M. Pereira  
 संजीव कुमार अरोरा Sanjiv Kumar Arora

**सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached**

मेसर्स इसाक एंड सुरेश  
 M/s. Isaac & Suresh  
 सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
 (एफआरएन 001150एस) (FRN 001150S)  
 के विजय मोहन वलियथन K. Vijaya Mohan Valiathan  
 भागीदार Partner  
 एम. क्र. 028648 M. No. 028648  
 मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय M/s. J. P. Kapur & Uberai  
 सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
 (एफआरएन 000593एन) (FRN 000593N)  
 दीपक मेनन Deepak Menon  
 भागीदार Partner  
 एम. क्र. 084225 M. No. 084225

मेसर्स एम एम निस्सिम एंड कं.  
 M/s. M. M. Nissim and Co.  
 सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
 (एफआरएन 107122डब्ल्यू) (FRN 107122W)  
 संजय खेमानी Sanjay Khemani  
 भागीदार Partner  
 एम. क्र. 044577 M. No. 044577  
 मेसर्स ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता M/s. Grover, Lalla & Mehta  
 सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
 (एफआरएन 002830एन) (FRN 002830N)  
 अशोक ग्रोवर Ashok Grover  
 भागीदार Partner  
 एम. क्र. 081784 M. No. 081784

मेसर्स डी. सिंह एंड कं.  
 M/s. D. Singh & Co.  
 सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
 (एफआरएन 001351एन) (FRN 001351N)  
 सिमरन सिंह Simran Singh  
 भागीदार Partner  
 एम. क्र. 098641 M. No. 098641  
 मेसर्स बी रतन एण्ड एसोशिएट्स M/s. B. Rattan & Associates  
 सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
 (एफआरएन 011798एन) (FRN 011798N)  
 राकेश कुमार Rakesh Kumar  
 भागीदार Partner  
 एम. क्र. 095399 M. No. 095399

दिनांक : 28 मई, 2015 / Date : 28<sup>th</sup> May, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता  
**CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup>, MARCH 2015**

(000 छोड़े गए हैं/000's Omitted)

	अनुसूची Schedule	Year ended 31-03-2015 को समाप्त वर्ष ₹	Year ended 31-03-2014 को समाप्त वर्ष ₹
<b>I. आय</b>	<b>INCOME</b>		
अर्जित आय	Interest earned	13	436,848,721
अन्य आय	Other income	14	42,780,755
<b>जोड़</b>	<b>TOTAL</b>		479,629,476
<b>II. व्यय</b>	<b>EXPENDITURE</b>		
व्यय किया गया व्याज	Interest expended	15	322,200,549
परिचालगत व्यय	Operating expenses	16	81,934,037
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions and Contingencies	18[8(b)]	58,011,585
<b>जोड़</b>	<b>TOTAL</b>		462,146,171
सहयोगियों में अर्जन/(हानि) का हिस्सा	<b>Share of earnings/(loss) in Associates</b>	16A	2,664,657
अल्पसंख्यकों के हित की कटौती के पूर्व वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year before deducting Minorities' interest		20,147,962
घटाएं: अल्पसंख्यकों का हित	Less: Minorities' Interest		18,912
वर्ष के लिए समूह के संबंधित समेकित निवल लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year attributable to the group		20,129,050
जोड़ें: समूह के लिए आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि)	Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		0
<b>जोड़</b>	<b>TOTAL</b>		20,129,050
<b>III विनियोग</b>	<b>APPROPRIATIONS</b>		
कानूनी आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		4,300,000
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति में अंतरण	Transfer from Investment Fluctuation Reserve		-
राजस्व आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Revenue Reserve		5,444,040
पूंजी आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		887,822
विशेष आरक्षिति (से)/को अंतरण-करेंसी स्वैप	Transfer (from) / to Special Reserve - Currency Swap		-
आंतरिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Interim Dividend (including dividend tax)		-
अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Final Dividend (including dividend tax)		3,997,188
लाभांश कर - अनुषंगियों के लिए	Dividend Tax - for Subsidiary		-
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961		5,500,000
समेकित तूलन-पत्र में आगे लाया गया शेष	Balance carried over to consolidated Balance sheet		-
<b>जोड़</b>	<b>TOTAL</b>		20,129,050
प्रति शेयर अर्जन	Earnings Per Share (₹)		31.30

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तूलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म बी के अनुसार यह लाभ-हानि खाता तैयार किया गया है।

The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form 'B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

श्रीमती वी. आर. अच्यर Mrs. V.R. Iyer अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairperson and Managing Director	बि. पी. शर्मा B.P. Sharma कार्यपालक निदेशक Executive Director	आर. पी. मराठे R. P. Marathe कार्यपालक निदेशक Executive Director	आर. ए. शंकर नारायणन R.A.Sankara Narayanan कार्यपालक निदेशक Executive Director	अनंत उपाध्याय Anant Upadhyay मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer
अनूप वधावन Anup Wadhawan आर. एल. बिश्नोई R. L. Bishnoi	एस. एस. बारिक S. S. Barik नीरज भाटिया Neeraj Bhatia	हरविंदर सिंह Harvinder Singh डी हरिश D Harish	ए. एम. पेरेरा A. M. Pereira संजीव कुमार अरोरा Sanjiv Kumar Arora	

**निदेशकगण DIRECTORS**

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

मेसर्स इसाक एंड सुरेश M/s. Isaac & Suresh सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 001150एस) (FRN 001150S) के विजय मोहन वलियतन K. Vijaya Mohan Valiathan भागीदार Partner एम. क्र. 028648 M. No. 028648	मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कं. M/s. M. M. Nissim and Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 107122डब्ल्यू) (FRN 107122W) संजय खेमानी Sanjay Khemani भागीदार Partner एम. क्र. 044577 M. No. 044577	मेसर्स डी. सिंह एंड कं. M/s. D. Singh & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 001351एन) (FRN 001351N) सिमरन सिंह Simran Singh भागीदार Partner एम. क्र. 098641 M. No. 098641
मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय M/s. J. P. Kapur & Uberai सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 000593एन) (FRN 000593N) दीपक मेनन Deepak Menon भागीदार Partner एम. क्र. 084225 M. No. 084225	मेसर्स ग्रोवर लल्ला एंड मेहता M/s. Grover, Lalla & Mehta सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 002830एन) (FRN 002830N) अशोक ग्रोवर Ashok Grover भागीदार Partner एम. क्र. 081784 M. No. 081784	मेसर्स बी रतन एंड एसोशिएट्स M/s. B. Rattan & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 011798एन) (FRN 011798N) राकेश कुमार Rakesh Kumar भागीदार Partner एम. क्र. 095399 M. No. 095399

दिनांक : 28 मई, 2015 / Date : 28<sup>th</sup> May, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण  
Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2015

(₹ लाख में/₹ in 000's)

विवरण	Particulars	वर्षान्त / Year ended 31.03.2015	वर्षान्त / Year ended 31.03.2014
<b>क. परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह:</b>	<b>A. Cash Flow from Operating Activities:</b>		
कर के पहले निवल लाभ	<b>Net Profit before taxes</b>	<b>21,163,252</b>	38,212,675
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	<b>Adjustments for:</b>		
निवेशों पर आमूर्तिकरण/मूल्यहास	Amortisation / Depreciation on Investments	<b>1,637,884</b>	2,770,396
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	Depreciation on Fixed Assets	<b>2,910,815</b>	2,339,004
अन्य मदों के लिए प्रावधान	Provision for Other Items	<b>57,481,343</b>	48,101,509
गौण बांड्स/आईपीडीआई, अप्पर टियर II, बांड्स पर भुगतान/ब्याज हेतु प्रावधान	Payment / Provision for Interest on Subordinated Bonds, IPDI, Upper Tier II Bonds	<b>10,749,167</b>	9,203,054
प्राप्त लाभांश	Dividend received	<b>(472,174)</b>	(448,838)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	<b>Adjustments for:</b>		
जमा राशियों में बढ़/(घट)	Increase /( Decrease) in Deposits	<b>557,872,205</b>	955,640,831
उधार में बढ़/(घट)	Increase /( Decrease) in Borrowings	<b>(100,568,108)</b>	113,197,425
अन्य देयताओं और प्रावधानों में बढ़/(घट)	Increase / (Decrease)in Other Liabilities and Provisions	<b>(24,961,117)</b>	53,926,376
निवेश में (बढ़)/ घट	(Increase) / Decrease in Investments	<b>(65,561,818)</b>	(201,030,834)
उधार में (बढ़)/ घट	(Increase) / Decrease in Advances	<b>(369,495,279)</b>	(859,911,018)
अन्य आस्तियों में (बढ़)/घट	(Increase) / Decrease in Other Assets	<b>66,923,273</b>	(94,787,359)
प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी	Direct Taxes (Paid)/Refund	<b>(11,297,420)</b>	(2,696,981)
<b>परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)</b>	<b>Net Cash Flow from Operating Activities (A)</b>	<b>146,382,023</b>	64,516,240
<b>ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :</b>	<b>B. Cash Flow from Investing Activities :</b>		
अचल सम्पत्ति की खरीद	Purchase of Fixed Assets	<b>(17,249,667)</b>	(6,346,844)
अचल सम्पत्ति की बिक्री	Sale of Fixed Assets	<b>11,525,514</b>	412,843
प्राप्त लाभांश	Dividend received	<b>472,174</b>	448,838
अनुषंगियों के समेकन का प्रभाव	Impact of consolidation of subsidiaries	<b>(3,133,924)</b>	(2,759,400)
अल्पसंख्यक हित	Minority Interest	<b>839,294</b>	105,756
<b>निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)</b>	<b>Net Cash Flow from Investing Activities (B)</b>	<b>(7,546,611)</b>	(8,138,807)
<b>ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:</b>	<b>C. Cash Flow from Financing Activities:</b>		
शेयर पूंजी	Share Capital	<b>226,455</b>	463,607
शेयर प्रीमियम	Share Premium	<b>6,193,545</b>	9,536,393
आईपीडीआई, गौण बांड तथा अप्पर टियर II बांड (निवल)	IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds (Net)	<b>17,279,871</b>	17,383,654
लाभांश भुगतान	Dividend paid	<b>-</b>	(10,726,238)
आईपीडीआई, गौण बांड अप्पर टियर II बांड पर ब्याज भुगतान	Interest Paid on IPDI, Subordinated Bonds, Upper Tier II Bonds	<b>(10,749,167)</b>	(9,203,055)
<b>वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)</b>	<b>Net Cash Flow from Financing Activities (C)</b>	<b>12,950,703</b>	7,454,361
<b>नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क)+(ख)+(ग)</b>	<b>Net Increase in Cash &amp; Cash Equivalents (A)+(B)+(C)</b>	<b>151,786,115</b>	63,831,794
<b>1 अप्रैल को नकदी एवं नकदी समतुल्य का आरंभिक शेष</b>	<b>Opening Cash and Cash Equivalents as at April 1</b>	<b>617,603,051</b>	553,771,257
<b>31 मार्च को नकदी एवं नकदी समतुल्य</b>	<b>Cash and Cash Equivalents as at March 31</b>	<b>769,389,166</b>	617,603,051

<b>श्रीमती वी. आर. अय्यर</b> <b>Mrs. V.R. Iyer</b> अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairperson and Managing Director	<b>बि. पी. शर्मा</b> <b>B.P. Sharma</b> कार्यपालक निदेशक Executive Director	<b>आर.पी. मराठे</b> <b>R. P. Marathe</b> कार्यपालक निदेशक Executive Director	<b>आर. ए. शंकर नारायणन</b> <b>R.A.Sankara Narayanan</b> कार्यपालक निदेशक Executive Director	<b>अनंत उपाध्याय</b> <b>Anant Upadhyay</b> मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer
--	--	---	--	---

**निदेशकगण DIRECTORS**

अनूप वधावन Anup Wadhawan आर. एल. बिश्नोई R. L. Bishnoi	एस. एस. बारिक S. S. Barik नीरज भाटिया Neeraj Bhatia	हरविंदर सिंह Harvinder Singh डी हरिश D Harish	ए. एम. पेरेरा A. M. Pereira संजीव कुमार अरोरा Sanjiv Kumar Arora
---	--	--	---

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

मेसर्स इसाक एंड सुरेश M/s. Isaac & Suresh सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 001150एस) (FRN 001150S) के विजय मोहन वलियतन K. Vijaya Mohan Valiathan भागीदार Partner एम. क्र. 028648 M. No. 028648	मेसर्स एम एम निस्सिम एंड कं. M/s. M. M. Nissim and Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 107122डब्ल्यू) (FRN 107122W) संजय खेमानी Sanjay Khemani भागीदार Partner एम. क्र. 044577 M. No. 044577	मेसर्स डी. सिंह एंड कं. M/s. D. Singh & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 001351एन) (FRN 001351N) सिमरन सिंह Simran Singh भागीदार Partner एम. क्र. 098641 M. No. 098641
मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय M/s. J. P. Kapur & Uberai सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 000593एन) (FRN 000593N) दीपक मेनन Deepak Menon भागीदार Partner एम. क्र. 084225 M. No. 084225	मेसर्स ग्रोवर लल्ला एंड मेहता M/s. Grover, Lalla & Mehta सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 002830एन) (FRN 002830N) अशोक ग्रोवर Ashok Grover भागीदार Partner एम. क्र. 081784 M. No. 081784	मेसर्स बी रतन एण्ड एसोशिएट्स M/s. B. Rattan & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 011798एन) (FRN 011798N) राकेश कुमार Rakesh Kumar भागीदार Partner एम. क्र. 095399 M. No. 095399

दिनांक : 28 मई, 2015 / Date : 28<sup>th</sup> May, 2015



**समेकित तुलनपत्र की अनुसूचियां**  
**SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET**

(000 छोड़े गए है 000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2015 ₹	यथा As at 31-03-2014 ₹
<b>अनुसूची - 1 पूंजी</b>	<b>SCHEDULE - 1 : CAPITAL</b>		
<b>प्राधिकृत</b>	<b>AUTHORISED</b>		
300,00,00,000 (पिछले वर्ष 300,00,00,000) ₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	300,00,00,000 ( Previous year 300,00,00,000) Equity Shares of ₹10 each	30,000,000	30,000,000
<b>जारी और अभिदत्त</b>	<b>ISSUED AND SUBSCRIBED</b>		
केन्द्र सरकार द्वारा कुल ₹ 428.37 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 428.37 करोड़) के प्रत्येक ₹ 10 के 66,60,85,615 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 64,34,40,113) ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर धारित हैं, जिसमें प्रत्येक ₹ 10 के 42,83,67,513 (पिछले वर्ष 42,83,67,513) इक्विटी शेयर शामिल हैं।	66,60,85,615 Equity Shares (Previous year 64,34,40,113) of ₹ 10 each including 42,83,67,513 Equity shares (Previous year 42,83,67,513) of ₹10 each, fully paid up amounting to ₹428.37 crore (Previous year ₹428.37 crores) held by Central Government.	6,660,856	6,434,401
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	6,660,856	6,434,401
<b>प्रदत्त पूंजी</b>	<b>PAID-UP CAPITAL</b>		
पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 66,49,08,515 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 64,22,63,013)	66,49,08,515 Equity Shares ( Previous year 64,22,63,013 ) of ₹10 each fully paid-up	6,649,085	6,422,630
जोड़ें : जब्त शेयरों की राशि	Add: Amount of Shares forfeited	7,391	7,391
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	6,656,476	6,430,021
<b>अनुसूची - 2 : आरक्षित निधियां और अधिशेष</b>	<b>SCHEDULE - 2 : RESERVES &amp; SURPLUS</b>		
<b>I. कानूनी आरक्षित निधियां :</b>	<b>I. Statutory Reserve :</b>		
आरंभिक शेष	Opening Balance	66,568,842	59,568,842
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	4,300,000	7,000,000
<b>कुल ( I )</b>	<b>TOTAL ( I )</b>	70,868,842	66,568,842
<b>II. पूंजी आरक्षितियां :</b>	<b>II. Capital Reserves :</b>		
ए) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति :	A) Revaluation Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	37,421,818	11,821,336
जोड़ें : संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन	Add: Revaluation of Property	0	27599034
घटाएं : पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यहास / समायोजन	Less: Depreciation / adjustments on account of revaluation	1,870,353	1,998,552
जोड़ (ए)	Total of (A)	35,551,465	37,421,818
बी) अन्य	B) Others		
i) निवेश की बिक्री पर लाभ परिपक्वता तक धारित	i) Profit on sale of Investments - "Held to Maturity"		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	8,801,663	8,750,600
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year	887,822	51,063
(i) का उप-जोड़	Sub-total of (i)	9,689,485	8,801,663
ii) समेकन पर पूंजी आरक्षिति	ii) Capital Reserve on Consolidation		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	230,849	199,330
जोड़ें : वर्ष के दौरान समायोजन	Add: Adjustment during the year	0	31,519
(ii) का उप-जोड़	Sub-total of (ii)	230,849	230,849
iii) विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति	iii) Foreign Currency Translation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	17,585,896	11,965,741
जोड़ें/ (घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन (निवल)	Add/ (Less) : Adjustments during the year (Net)	(5,003,107)	5,620,156
(iii) का उप-जोड़	Sub-total of (iii)	12,582,789	17,585,897

		(000's छोड़े गए हैं Omitted)	
		यथा As at 31-03-2015 ₹	यथा As at 31-03-2014 ₹
iv)	विशेष आरक्षिती - मुद्रा स्वैप		
	प्रारंभिक शेष	0	0
	जोड़ें/(घटाएं): वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	(iv) का उप-जोड़	0	0
	जोड़ (बी)	<b>22,503,123</b>	26,618,409
	जोड़ (II)	<b>58,054,588</b>	64,040,227
iii)	शेअर प्रीमियम		
	प्रारंभिक शेष	56,665,466	47,129,073
	वर्ष के दौरान परिवर्धन (इक्विटी का अधिमानी निर्गम)	6,193,545	9,536,393
	जोड़े : विलोपित जब्त शेयर	0	0
	कुल (III)	<b>62,859,011</b>	56,665,466
<b>अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष (जारी)</b>		<b>SCHEDULE - 2 : RESERVES &amp; SURPLUS (contd.)</b>	
<b>IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां :</b>		<b>IV. Revenue and Other Reserves :</b>	
i) राजस्व आरक्षिती:		i) Revenue Reserve :	
प्रारंभिक शेष		Opening Balance	97,832,692
जोड़ : वर्ष के दौरान परिवर्धन		Add: Additions during the year	5,444,040
जोड़ें/(घटाएं): समायोजन		Add / (Less): Adjustments	1,812,802
(i) का उप-जोड़		Total of (i)	105,089,534
ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिती		ii) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961	
प्रारंभिक शेष		Opening Balance	16,200,000
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन		Add: Additions during the year	5,500,000
(ii) का जोड़		Total of (ii)	21,700,000
जोड़ (IV)		<b>TOTAL (IV)</b>	<b>126,789,534</b>
<b>V. समेकित लाभ-हानि खाते में शेष</b>		<b>V. Balance in Consolidated Profit and Loss Account</b>	<b>0</b>
जोड़ ( I से V)		<b>TOTAL ( I TO V)</b>	<b>318,571,975</b>
<b>अनुसूची - 2ए : अल्पसंख्यक हित</b>		<b>SCHEDULE - 2A : MINORITIES INTEREST</b>	
उस तारीख को अल्पसंख्यक हित जब मूल कंपनी - सहायक कंपनी संबंध अस्तित्व में आए परवर्ती वृद्धि/(कमी) तुलन-पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक हित		Minority interest at the date on which the parent-sub subsidiary relationship came into existence	535,631
		Subsequent increase / (decrease)	1,143,711
		Minority interest on the date of Balance sheet	1,679,342
<b>अनुसूची - 3 : जमाराशियां</b>		<b>SCHEDULE - 3 : DEPOSITS</b>	
<b>ए I. माँग जमाराशियाँ :</b>		<b>A. I. Demand Deposits :</b>	
i) बैंकों से		i) From Banks	4,863,357
ii) अन्य से		ii) From Others	211,973,205
जोड़ (I)		TOTAL (I)	216,836,562
<b>II. बचत बैंक जमाराशियाँ</b>		<b>II. Savings Bank Deposits</b>	972,555,343
<b>III. मीयादी जमाराशियाँ:</b>		<b>III. Term Deposits :</b>	
i) बैंकों से		i) From Banks	615,401,495
ii) अन्य से		ii) From Others	3,540,029,577
जोड़ (III)		TOTAL (III)	4,155,431,072
कुल ए (I से III)		<b>TOTAL A (I to III)</b>	<b>5,344,822,977</b>
<b>बी i) भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ</b>		<b>B. i) Deposits of branches in India</b>	<b>3,979,601,160</b>
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियाँ		ii) Deposits of branches outside India	1,365,221,817
जोड़ (बी)		<b>TOTAL (B)</b>	<b>5,344,822,977</b>

समेकित तुलनपत्र की अनुसूचियां

**SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET**

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	यथा As at 31-03-2015 ₹	यथा As at 31-03-2014 ₹
<b>अनुसूची - 4 : उधार</b>	<b>SCHEDULE - 4 : BORROWINGS</b>	
<b>I. भारत में उधार:</b>	<b>I. Borrowings in India :</b>	
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	20,816,844	46,865,583
ii) अन्य बैंक		
क. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	6,821,000	5,262,000
ख. अपर टियर II पूँजी	680,000	695,000
ग. प्रतिभूतिरहित गैर-परिवर्तनीय मोचनीय बंधपत्र	510,000	1,153,000
(टियर II पूँजी के लिए गौण ऋण)		
घ. अन्य	19,945,712	17,676,334
जोड़ (ii)	27,956,712	24,786,334
iii) अन्य संस्थाएं और एजेन्सी		
क. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	34,979,000	11,538,000
ख. अपर टियर II पूँजी	41,640,000	41,625,000
ग. प्रतिभूतिरहित गैर-परिवर्तनीय मोचनीय बंधपत्र	23,990,000	31,847,000
(टियर II पूँजी के लिए गौण ऋण)		
घ. अन्य	53,822,916	69,773,146
जोड़ (iii)	154,431,916	154,783,146
जोड़ (I)	203,205,472	226,435,063
<b>II. भारत के बाहर से उधार</b>	<b>II. Borrowings outside India</b>	
क. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	5,323,366	5,097,701
ख. अपर टियर II पूँजी	14,929,566	14,375,360
घ. अन्य	177,528,463	238,366,979
जोड़ (II)	197,781,395	257,840,040
जोड़ (I एवं II)	400,986,867	484,275,103
ऊपर सम्मिलित प्रतिभूति उधार	40,306,953	0
<b>अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान</b>	<b>SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS</b>	
I. देय बिल	11,145,751	11,006,971
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	-	-
III. उपचित आय	26,863,101	18,548,535
IV. आस्थगित कर देयता	6,689,896	15,865,734
V. अन्य	135,431,030	156,321,623
जोड़	180,129,778	201,742,863
<b>अनुसूची - 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष</b>	<b>SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA</b>	
I. हाथ में नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित)	22,890,450	20,258,778
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष:	<b>II. Balances with Reserve Bank of India :</b>	
i) चालू खातों में	251,085,533	172,491,807
ii) अन्य खातों में	1,007,829	127,989
जोड़ (II)	252,093,362	172,619,796
जोड़ (I एवं II)	274,983,812	192,878,574

समेकित तुलनपत्र की अनुसूचियां

**SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET**

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

	यथा As at 31-03-2015 ₹	यथा As at 31-03-2014 ₹
<b>अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि</b>	<b>SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS &amp; MONEY AT CALL &amp; SHORT NOTICE</b>	
<b>I. भारत में प्राप्य</b>	<b>I. In India :</b>	
i) बैंकों में शेष		
क) चालू खातों में	<b>4,004,110</b>	4,997,247
ख) अन्य जमा राशि खातों में	<b>90,423,874</b>	97,463,608
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
क) बैंकों में	<b>0</b>	0
ख) अन्य संस्थाओं में	<b>0</b>	0
जोड़ (ख)	<b>94,427,984</b>	102,460,855
<b>II. भारत के बाहर :</b>	<b>II. Outside India :</b>	
i) चालू खातों में	<b>6,518,868</b>	11,439,378
ii) अन्य जमा राशि खातों में	<b>255,184,854</b>	309,778,802
iii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	<b>138,273,648</b>	1,045,442
जोड़ ( I एवं II )	<b>399,977,370</b>	322,263,622
	<b>494,405,354</b>	424,724,477
<b>अनुसूची - 8 : निवेश</b>	<b>SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS</b>	
<b>I. भारत में निवेश:</b>	<b>I. Investments in India :</b>	
i) सरकारी प्रतिभूति	<b>1,026,975,648</b>	971,577,541
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	<b>1,754,177</b>	1,442,743
iii) शेयर	<b>20,920,514</b>	16,489,577
iv) डिबेंचर एवं बंधपत्र	<b>79,926,612</b>	86,494,578
v) सहायक कंपनियों में निवेश	<b>12,158,099</b>	9,582,334
vi) अन्य	<b>40,588,604</b>	25,871,842
जोड़ ( I )	<b>1,182,323,654</b>	1,111,458,615
<b>II. भारत के बाहर निवेश:</b>	<b>II. Investments outside India :</b>	
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	<b>37,092,824</b>	36,936,613
ii) डिबेंचर एवं बंधपत्र	<b>0</b>	0
iii) सहायक कंपनियों में निवेश	<b>1,111,340</b>	553,181
iv) अन्य	<b>11,427,473</b>	15,949,024
जोड़ ( I )	<b>49,631,637</b>	53,438,818
जोड़ ( I एवं II )	<b>1,231,955,291</b>	1,164,897,433
<b>III. भारत में निवेश:</b>	<b>III. Investments in India :</b>	
i) निवेश का सकल मूल्य	<b>1,187,148,886</b>	1,117,629,018
ii) अवमूल्यन हेतु संकलित प्रावधान	<b>4,825,232</b>	6,170,403
iii) निवल निवेश	<b>1,182,323,654</b>	1,111,458,615
<b>IV. भारत के बाहर निवेश:</b>	<b>IV. Investments outside India :</b>	
i) निवेश का सकल मूल्य	<b>55,490,488</b>	58,254,185
ii) अवमूल्यन हेतु संकलित प्रावधान	<b>5,858,851</b>	4,815,367
iii) निवल निवेश	<b>49,631,637</b>	53,438,818
कुल ( III एवं IV )	<b>1,231,955,291</b>	1,164,897,433

समेकित तुलनपत्र की अनुसूचियां

**SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET**

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2015 ₹	यथा As at 31-03-2014 ₹
<b>अनुसूची - 9 : अग्रिम</b>	<b>SCHEDULE - 9 : ADVANCES</b>		
<b>ए.</b> i) क्रीत बिल और बट्टाकृत बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	593,438,553	592,489,765
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	1,666,710,513	1,632,906,390
iii) मीयादी ऋणी	iii) Term Loans	1,783,744,455	1,501,318,449
<b>कुल (ए)</b>	<b>TOTAL (A)</b>	<b>4,043,893,521</b>	<b>3,726,714,604</b>
<b>बी. अग्रिमों के ब्योरे</b>	<b>B. Particulars of Advances :</b>		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों के निमित्त अग्रिम शामिल है)	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	2,864,633,463	2,514,104,130
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	576,630,755	549,217,036
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	602,629,303	663,393,438
<b>जोड़ (बी)</b>	<b>TOTAL (B)</b>	<b>4,043,893,521</b>	<b>3,726,714,604</b>
<b>सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण :</b>	<b>C. Sectoral Classification of Advances :</b>		
<b>I. भारत में अग्रिम</b>	<b>I. Advances in India</b>		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	850,784,313	773,955,592
घटाएं: अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (निवल)	Less: Inter-Bank Participation Certificates (Net)	0	0
निवल	Net	850,784,313	773,955,592
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	498,881,325	472,909,900
iii) बैंक	iii) Banks	6,588,802	934,951
iv) अन्य	iv) Others	1,452,580,083	1,348,362,550
<b>जोड़ सी (I)</b>	<b>TOTAL (I)</b>	<b>2,808,834,523</b>	<b>2,596,162,993</b>
<b>II. भारत के बाहर अग्रिम :</b>	<b>II. Advances outside India :</b>		
i) बैंकों से देय	i) Due from Banks	289,330,084	341,257,630
ii) अन्यो से देय	ii) Due from others		
क) क्रीत बिल और बट्टाकृत बिल	a) Bills Purchased and Discounted	208,696,036	186,242,008
ख) समूहनकृत ऋण	b) Syndicated Loans	97,961,129	186,925,377
ग) अन्य	c) Others	639,071,749	416,126,596
<b>जोड़ (II)</b>	<b>TOTAL (II)</b>	<b>1,235,058,998</b>	<b>1,130,551,611</b>
<b>जोड़ (I एवं II)</b>	<b>TOTAL (I &amp; II)</b>	<b>4,043,893,521</b>	<b>3,726,714,604</b>
<b>अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां</b>	<b>SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS</b>		
<b>I. परिसर :</b>	<b>I. PREMISES :</b>		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	13,754,972	11,851,868
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions /Adjustments during the year	1,269,003	1,934,944
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	47,765	7,958
उप-जोड़	Sub-total	14,976,210	13,778,854
पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किए गए पुनर्मूल्यन के कारण इस तारीख तक जोड़	Addition to date on account of revaluation credited to revaluation reserve	47,212,385	47,212,385
घटाएं : इस तारीख को मूल्यहास (पुनर्मूल्यांकन के कारण ₹ 11660921 सहित पिछले वर्ष में ₹ 9790568)	Less : Depreciation to date (including ₹ 11660921 on account of revaluation - Previous year ₹ 9790568 )	15,522,764	13,188,830
<b>जोड़ (I)</b>	<b>TOTAL (I)</b>	<b>46,665,831</b>	<b>47,802,409</b>
<b>II. अन्य अचल आस्तियां : (फर्निचर एवं फिक्स्चर सम्मिलित हैं)</b>	<b>II. OTHER FIXED ASSETS : (including Furniture and Fixtures)</b>		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	21,731,354	18,477,911
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions /Adjustments during the year	16,280,641	3,922,068
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	11,605,262	646,982
उप-जोड़	Sub-total	26,406,733	21,752,997
घटाएं: इस तारीख को मूल्यहास	Less: Depreciation to date	15,054,172	12,779,962
<b>जोड़ (II)</b>	<b>TOTAL (II)</b>	<b>11,352,561</b>	<b>8,973,035</b>
<b>III. निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य</b>	<b>III. CAPITAL WORK IN PROGRESS</b>	1,126,464	1,426,426
<b>जोड़ (I से III)</b>	<b>TOTAL (I to III)</b>	<b>59,144,856</b>	<b>58,201,870</b>

समेकित तुलनपत्र की अनुसूचियां

**SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET**

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2015 ₹	यथा As at 31-03-2014 ₹
<b>अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां</b>	<b>SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS</b>		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	I. Inter Office Adjustment (Net)	3,005,556	18,914,782
II. उपचित ब्याज	II Interest Accrued	25,430,573	26,323,005
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटे गए कर (निवल)	III Tax paid in advance/tax deducted at source (Net)	53,289,730	52,053,463
IV. लेखन सामग्री और स्टैम्प	IV Stationery and Stamps	31,072	38,965
V. आस्थगित कर आस्तियां	V Deferred Tax Assets	1,344,739	1,322,230
VI. अन्य	VI Others	65,362,911	115,476,633
जोड़	<b>TOTAL</b>	<b>148,464,581</b>	<b>214,129,078</b>
<b>अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं</b>	<b>SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES</b>		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	11,593,142	10,449,068
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	II. Liability for partly paid Investments	1,451,123	1,951,442
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	711,469,012	1,432,582,715
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां:	IV. Guarantees given on behalf of Constituents :		
ए) भारत में	a) In India	200,028,550	183,713,523
बी) भारत के बाहर	b) Outside India	111,271,166	230,842,318
V. स्वीकार, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व	V. Acceptances, endorsements and other obligations	390,126,642	306,637,066
VI. ब्याज दर स्वैप	VI. Interest Rate Swaps	288,018,476	294,505,775
VII. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप में देनदार है	VII. Other items for which the Bank is contingently liable	34,961,779	67,582,540
जोड़	<b>TOTAL</b>	<b>1,748,919,890</b>	<b>2,528,264,448</b>
<b>अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज एवं लाभांश</b>	<b>SCHEDULE - 13 : INTEREST AND DIVIDENDS EARNED</b>		
I. अग्रिमों/बिल पर ब्याज/बट्टा	I. Interest/Discount on advances/bills	318,781,822	272,983,241
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments	94,237,520	84,244,097
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के शेषों पर ब्याज	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	21,743,359	20,191,123
IV. अन्य	IV. Others	2,086,020	3,833,408
जोड़	<b>TOTAL</b>	<b>436,848,721</b>	<b>381,251,869</b>

समेकित तुलनपत्र की अनुसूचियां

**SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET**

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		31-03-2015 को समाप्त वर्ष हेतु For the Year ended 31-03-2015 ₹	31-03-2014 को समाप्त वर्ष हेतु For the Year ended 31-03-2014 ₹
<b>अनुसूची - 14 : अन्य आय</b>	<b>SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME</b>		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	I. Commission, exchange and brokerage	16,213,736	14,378,087
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ घटाएं : निवेशों के विक्रय पर नुकसान	II. Profit on sale of Investments Less : Loss on sale of investment.	9,348,056	7,971,327
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ घटाएं : अचल आस्तियों के विक्रय पर नुकसान	III. Profit on sale of land, buildings and other assets Less : Loss on sale of fixed assets	249	529
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ - निवल घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर नुकसान	IV. Profit on exchange transactions - net Less : Loss on exchange transaction	6,942,251	7,202,048
V. सहायक कंपनियों/कंपनियों और/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	V. Income Earned by way of dividend etc. on subsidiaries/ companies and /or/ joint ventures	472,174	448,838
VI. विविध आय जोड़	VI. Miscellaneous Income <b>TOTAL</b>	9,804,289 <b>42,780,755</b>	13,189,156 <b>43,189,985</b>
<b>अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज</b>	<b>SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED</b>		
I. जमा राशियों पर ब्याज	I. Interest on Deposits	290,498,821	238,635,138
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	16,194,079	18,391,014
III. गौण ऋणों, आईआरएस इत्यादि पर ब्याज जोड़	III. Interest on Subordinated Debts, IRS etc. <b>TOTAL</b>	15,507,650 <b>322,200,549</b>	14,671,593 <b>271,697,745</b>
<b>अनुसूची - 16 : परिचालनगत व्यय</b>	<b>SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES</b>		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees	50,312,966	40,365,873
II. किराया, कर एवं बिजली	II. Rent, Taxes and Lighting	6,139,011	5,497,307
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	III. Printing and Stationery	784,165	720,752
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	IV. Advertisement and Publicity	1,109,425	871,587
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास (पुनर्मूल्यन आरक्षितियों पर निवल मूल्यहास)	V. Depreciation on Bank's property (Net of Depreciation on Revaluation Reserve)	2,910,815	2,339,004
VI. निदेशकों के भत्ते और व्यय	VI. Directors' fees, allowances and expenses	23,311	29,012
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय)	VII. Auditors' fees and expenses ( Including Branch Auditors' Fees & Expenses )	524,911	543,319
VIII. विधि प्रभार	VIII. Law Charges	311,793	278,595
IX. डाक व्यय, तार, टेलिफोन आदि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	882,407	797,063
X. मरम्मत एवं रखरखाव	X. Repairs and Maintenance	644,726	643,686
XI. बीमा	XI. Insurance	3,282,484	3,181,663
XII. अन्य खर्च जोड़	XII. Other Expenditure <b>TOTAL</b>	15,008,023 <b>81,934,037</b>	12,977,864 <b>68,245,725</b>
<b>अनुसूची - 16 ए : सहयोगी कंपनी में उपाजन/ हानि का अंश</b>	<b>SCHEDULE - 16 A : SHARE OF EARNINGS / LOSSES IN ASSOCIATES</b>		
I. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	I. Regional Rural Banks (RRBs)	2,025,808	2,104,615
II. अन्य जोड़	II. Others <b>TOTAL</b>	638,849 <b>2,664,657</b>	450,215 <b>2,554,830</b>

## अनुसूची 17:

## महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

## 1. लेखांकन पद्धति

संलग्न समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) प्रचलित विचार धारा का पालन करते हुए, परम्परागत लागत आधार पर तथा भारत में सामान्यतः अपनाए जाने वाले लेखा सिद्धांतों (जीएपी) पर तैयार किए गए हैं, जो लागू सांविधिक उपबंधों के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक, बीमा नियामक और विकास प्राधिकारी (आईआरडीए), कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) और निर्णय के अनुरूप हैं। विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबंधों तथा लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन किया है, सिवाय उनके जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट किया गया है।

वित्तीय विवरण को तैयार करने में यह आवश्यक होता है कि वित्तीय विवरण की तिथि को रिपोर्ट किए गये आस्ति तथा देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि और रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट किए गये आय और व्ययों के सुविचारित अनुमानों तथा धारणाओं को प्रबंधन पूरा करे। प्रबंधन यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में उपयोग किए गये अनुमान यथोचित तथा ठीक हैं।

## 2. समेकन का आधार

समूह के समेकित वित्तीय विवरण निम्न आधार पर तैयार किए गए हैं:

1. बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक) एवं उसकी अनुषंगियों के वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखागत मानक (एएस) 21 समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार तैयार किए जाते हैं। ऐसा पंक्ति दर पंक्ति आधार पर किया जाता है और उनके साथ ऐसी मदें जैसे आस्तियां, देयताएं, आय और व्यय जोड़ दी जाती हैं और अन्तर ग्रूप संव्यवहारों, शेष राशि बिना वसूले गये लाभ/हानि को उसमें से निकाल दिया जाता है और इसके साथ-साथ ऐसे आवश्यक समायोजन भी किए जाते हैं, जो लेखागत नीति के अनुरूप उन्हें बनाने के लिए आवश्यक हों। किन्तु ऐसा ओवरसीज अनुषंगियों/सहायक कंपनियों के मामले को छोड़कर है, जहां वित्तीय विवरण पत्र स्थानीय विनियामक अपेक्षाओं/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के आधार पर तैयार किए जाते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में ऐसे समायोजनों के परिणामों को शामिल भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनका उस पर बहुत असर पड़ने की संभावना नहीं है। अनुषंगियों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किए गए हैं जो मूल बैंक की रिपोर्टिंग तारीख है अर्थात् 31 मार्च, 2015।
2. अनुषंगियों में निवेश की मूल लागत और अनुषंगियों में इक्विटी के मूल हिस्से के बीच के अंतर को साख/आरक्षित पूंजी के रूप में मान्यता दी जाती है यदि कोई साख है तो इसकी मान्यता प्राप्त होने पर तुरंत बट्टे खाते डाल दी जाती है।
3. समेकित वित्तीय विवरण पत्र में अल्पसंख्यक हित अनुषंगियों की निवल इक्विटी में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के शेयर के रूप में है।
4. सहायक कम्पनियों में निवेश का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 23, समेकित वित्तीय विवरण पत्रों में सहायक कम्पनियों में निवेश का लेखांकन के अनुसार इक्विटी तरीके के तहत किया गया है।
5. संयुक्त उद्यम में निवेशों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 27, संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग में विहित किए गए अनुसार समानुपात आधार पर समेकित है।

## SCHEDULE 17:

## SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

## 1) ACCOUNTING CONVENTION:

The accompanying consolidated financial statements (CFS) have been prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), Companies Act 1956, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and accounting practices prevailing in India. In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

## 2) BASIS OF CONSOLIDATION:

Consolidated financial statements of the group have been prepared on the basis of:

1. The financial statements of Bank of India (the Parent bank) and its subsidiaries in accordance with Accounting Standard (AS) 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group transactions, balances, unrealised profit/loss and making necessary adjustments wherever required to conform to uniform accounting policies except in case of overseas subsidiaries/associates, where, the financial statements are prepared based on local regulatory requirements/ International Financial Reporting Standards (IFRS). Impact of such adjustments not being material is not given in Consolidated Financial Statements. The financial statements of the subsidiaries are drawn upto the same reporting date as that of Parent bank i.e. 31st March 2015.
2. The difference between cost to the parent bank of its investment in the subsidiaries and Parent bank's share in the equity of the subsidiaries is recognised as goodwill/capital reserve. Goodwill, if any, is written off immediately on its recognition.
3. Minority interest in the Consolidated Financial Statement consists of the share of the minority shareholders in the net equity of the subsidiaries.
4. Accounting for Investment in Associate companies is done under Equity method in accordance with Accounting Standard (AS) 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by ICAI.
5. Accounting for Investments in Joint Venture are consolidated on "Proportionate basis" as prescribed in Accounting Standard (AS) 27, "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by ICAI.



### 3. राजस्व निर्धारण

#### 3.1 बैंकिंग कंपनी

- (क) सामान्यतः आय/व्यय का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। विदेशी कार्यालयों के संबंध में उस संबंधित देश के स्थानीय कानून के अनुसार आय निर्धारित की जाएगी।
- (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सिवाय अनुत्पादक आस्तियों पर ब्याज के जिसकी वसूली होने पर निर्धारण किया जाता है, समय अनुपात के आधार पर ब्याज आय का निर्धारण किया जाता है।
- (ग) बैंक गारंटी और साख पत्र जारी करने पर कमीशन का उपचय बीजी/एलसी के कार्यकाल पर होता है।
- (घ) अन्य सभी कमीशन और विनिमय, ब्रोकरेज, शुल्क तथा अन्य प्रभारों के वसूली पर आय के रूप में निर्धारण किया जाता है।
- (ङ) परिपक्वता तक धारित श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अलावा) उसके अंकित मूल्य पर प्राप्त छूट पर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :
1. ब्याज देने वाले प्रतिभूतियों पर केवल बिक्री/रीडेम्पशन के समय ही इसका निर्धारण किया जाता है।
  2. जीरो-कूपन प्रतिभूतियों पर निरंतर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति के शेष परिपक्वता काल पर इसका लेखांकन किया जाता है।
- (च) निवेशों की बिक्री से हुए लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में मान्यता दी जाती है। तथापि परिपक्वता तक धारित श्रेणी के तहत निवेशों की बिक्री में लाभ की स्थिति में करों के निवल और सांविधिक राजस्व में अंतरण के लिए आवश्यक राशि के समान राशि को पूंजी राजस्व खाते में विनियोजित किया जाता है।
- (छ) लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश का निर्धारण किया जाता है।
- (ज) मूल्यांकन आदेश पास करने के वर्ष में आयकर- रिफंड पर ब्याज का निर्धारण किया जाता है।
- (झ) एनपीए खातों से की गई वसूली का विनियोजन पहले उधारकर्ता के खाते में डेबिट किए गए अप्रप्त ब्याज/आय, किए गए व्यय/आउट ऑफ पॉकेट व्यय उसके बाद बकाया मूलधन और अंत में अप्रभारित ब्याज में विनियोजित की जाती है।

#### 3.2 गैर-बैंकिंग कंपनी :

##### बीमा :

##### क) प्रीमियम आय :

प्रीमियम (सेवा कर का निवल) जब देय हो तब आय के रूप में पहचानी जाती हैं। संबद्ध कारोबार के लिए सहायक इकाइयां निर्मित की जाती हैं तब प्रीमियम की पहचान की जाती है। व्यपगत पालिसियों को प्रीमियम आय के रूप में पहचाना जाता है, जब इस प्रकार की पालिसियाँ पुनः प्रारंभ हो जाती हैं। टॉप-अप प्रीमियमों को एकल प्रीमियम के रूप में जाना जाता है। और सहायक इकाइयों के सृजन पर आय के रूप में माने जाते हैं।

##### ख) संबद्ध निधियों से आय :

संबद्ध निधियों से आय वह है जिसमें पॉलिसी प्रशासनिक प्रभार, नीति प्रशासकीय प्रभार, मृत्यु दर प्रभार, निधि प्रबंधन प्रभार आदि सम्मिलित हों जिसे जारी नीतियों के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार वसूल किया जाता है और वसूली होने पर उनकी पहचान की जाती है।

##### ग) पुनर्बीमा प्रीमियम :

पुनः बीमाकर्ता के साथ संगत संधिपत्रों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रीमियम आय की पहचान के समय सतान्तरित पुनर्बीमा प्रीमियम का लेखाकरण होता है।

### 3) REVENUE RECOGNITION:

#### 3.1 Banking entities:

- (a) Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, income is recognised as per local laws of host country.
- (b) Interest income is recognised on time proportion basis except (i) interest on Non-performing Assets, which is recognised on realisation, in terms of the RBI guidelines.
- (c) Commission on issue of Bank Guarantee and Letter of Credit is accrued over the tenure of BG/LC.
- (d) All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation.
- (e) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:
1. On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.
  2. On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.
- (f) Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss account. However, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount, net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves, is appropriated to 'Capital Reserve Account'.
- (g) Dividend is recognised when the right to receive the dividend is established.
- (h) Interest on Income-tax refund is recognised in the year of passing of assessment order.
- (i) The recoveries made from NPA accounts are appropriated first towards unrealised interest/income debited to borrowers accounts, expenditure/out of pocket expenses incurred, then principal dues and lastly towards uncharged interest.

#### 3.2 Non Banking entities:

##### Insurance:

##### a) Premium Income:

Premium for non-linked business is recognised as income when due.

Premium for linked business is recognised when the associates units are created Premium is recognised net of service tax

Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated

Top up premium is considered as single premium and recognised as income when associated units are created.

##### b) Income from linked funds:

Income from linked funds which includes fund management charges, policy administrative charges, mortality charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policy and recognised when recovered.

##### c) Reinsurance Premium:

Reinsurance Premium ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the terms and conditions of the relevant treaties with the reinsurers. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

**घ) प्रदत्त लाभ (दावों सहित) :**

प्रदत्त लाभ में पॉलिसी लाभ तथा दावा समझौता लागत, यदि कोई हो, जुड़ा है।

पॉलिसीधारक से सूचना की प्राप्ति पर मृत्यु, संशोधन तथा अभ्यर्पण दावे लेखाकृत किए जाते हैं। जब सहयोगी इकाइयां निरस्त हो जाती हैं तब संबंधित योजनाओं में पॉलिसी संबद्ध आहरण तथा सुपुर्दगी का लेखाकरण किया जाता है।

देय होने पर उत्तरजीविता लाभ दावे तथा परिपक्वता दावे लेखाकृत किए जाते हैं।

जिस अवधि में दावों का निपटारा किया जाता है, उसी में दावों पर पुनर्बीमा वसूलियों का लेखांकन किया जाता है।

**ङ) अधिग्रहण लागत :**

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो मुख्य रूप से बीमा करार के अधिग्रहण से संबंधित होती है और उनके अनुरूप अलग-अलग होती है तथा जिस अवधि में उपचित होती है खर्च की जाती है।

प्रथम वर्ष प्रदत्त कमीशन हेतु भविष्य में यदि कोई कर लगाकर वसूली होती है, तो जिस वर्ष में वह वसूल किया जाता है उसी वर्ष में उसका लेखांकन किया जाता है।

**च) जीवन बीमा हेतु देयताएं :**

प्रभावी जीवन बीमा पॉलिसियों तथा वह पॉलिसी जिनका प्रीमियम बंद हो चुका है किंतु देयताएं हैं, हेतु बीमांकिक देयताओं का निर्धारण, भारतीय सनदी बीमांकिकी संस्थान के नियमों तथा आईआरडीए विनियम बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं, स्वीकृत बीमांकिकी व्यवहार्य के अनुसरण में अप्राम बीमा आरक्षित प्रणाली समूह कारोबार के मामले में सकल प्रीमियम प्रणाली का उपयोग करते हुए नियुक्त बीमांकिकी द्वारा, किया जाता है।

संबद्ध देयताओं में पॉलिसी के निधि मूल्य दर्शाते हुए इकाई देयता और बीमा दावा इत्यादि के लिए गैर इकाई देयता शामिल है। यह नियुक्त बीमांकिकी द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है।

**गैर – बैंकिंग गतिविधियां – म्यूचुअल फंड**

निवेश प्रबंधन करार के अनुसरण में म्यूचुअल फंड की योजना से परिचालन प्रबंधन फीस से राजस्व का लेखांकन उपचित आधार पर किया जाएगा और ये बीओआई अक्सा म्यूचुअल फंड की योजनाओं द्वारा निवल आस्ति मूल्य के रूप में किए गए रिकॉर्ड पर निर्भरशील है। अन्य आय: ब्याज आय का रिकॉर्ड उपचित आधार पर किया जाता है। निवेश की बिक्री पर लाभ अथवा हानि की मान्यता व्यापार की तारीख को पी एंड एल खाते में दी जाती है और प्रत्येक प्रतिभूति के लिए भारत औसत आधार पर निर्धारण किया जाता है।

**d) Benefits paid (including claims):**

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any.

Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Under linked business, surrender also included amount payable on lapsed policies which are accounted for on expiry of lock in period, which is the period after which, policy cannot be revived. Surrenders and terminations are accounted at gross of charges.

Survival, maturity and annuity benefit claims are accounted for when due.

Reinsurance recoveries on claims are accounted for in the period in which claims are settled.

**e) Acquisition Costs**

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

Claw back in future, if any, for the first year commission paid, is accounted for in the year in which it is recovered.

**f) Liability for life policies:**

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method and in case of group business unearned premium reserve method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act, 1938, IRDA regulations and the stipulations of Institute of Actuaries of India.

Linked liabilities comprise unit liability representing the fund value of policies and non-unit liability for meeting insurance claims etc. This is based on an actuarial valuation carried out by the Appointed Actuary.

**Non-Banking Activities – Mutual Fund**

**Revenue from Operations** Management fees from the scheme of mutual fund are accounted on an accrual basis in accordance with the investment management agreement and are dependent on the net asset value as recorded by the schemes of BOI AXA Mutual fund.

**Other Income:** Interest income is recorded on accrual basis. Profit or loss on sale of investment is recognised in the P & L Account on the trade date and determined on weighted average basis for individual security.

**4. अग्रिम :**

- (क) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसरण में अग्रिम को उत्पादक और अनुत्पादक अग्रिमों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- (ख) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को आगे अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- (ग) घरेलू शाखाओं के संबंध में एनपीए से संबंधित प्रावधान बैंक की नीति के अनुसार विशेषकर एनपीए का त्वरित प्रावधानीकरण के अनुसार किया गया है जिसका दर निम्नानुसार है :

**4) ADVANCES :**

- (a) Advances are classified into “Performing” and “Non-Performing Advances” (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.
- (b) NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.
- (c) In respect of domestic branches, Provisions in respect of NPAs is made as per policy of the bank particularly in accelerated provisioning for NPAs which is at the rate given as under:

एनपीए वर्ग	Category of NPAs	निवल बकाया अग्रिम का % % of net outstanding advance
अवमानक आस्ति *	Sub Standard:*	
क) एकसपोज़र, जो आरंभ से गैर जमानती है	a) Exposures, which are unsecured ab initio	25%
ख) अन्य	b) Others	15%
संदिग्ध :	Doubtful:	
क) जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में ही रहा)	a) Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category)	
- एक वर्ष तक	- Upto one year	25%
- एक वर्ष से तीन वर्ष तक	- One year to three years	60%
- तीन वर्ष से अधिक	- More than three years	100%
ख) गैर जमानती हिस्सा	b) Unsecured portion	100%
हानि	Loss	100%

\* बकाया अग्रिम पर

\* On the outstanding advance

- (घ) विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान संबंधित विदेशी देश में लागू विनियामक आवश्यकताओं अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगी इनमें से जो भी कड़े हो।
- (ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार निवल अग्रिम के परिकलन हेतु कुल अग्रिमों में से अनुत्पादक आस्तियां, अवसूलीकृत ब्याज, इसीजीसी दावा निपटान इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाए जाते हैं।
- (च) पुनर्निधारित/पुनःसंरचित खातों के संबंध में विद्यमान मूल्य स्थिति में आकलित ब्याज पुनर्संरचित अग्रिम के मूल्य में हास के परित्याग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। निवल अग्रिम के परिकलन हेतु इस प्रावधान को घटाया जाता है।
- (छ) आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेच देने के मामले में यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो अतिरिक्त राशि को रखा जाता है और एससी/एआरसी को अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री में होनेवाली कमी/हानि की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाता है। यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से नीचे है (अर्थात रखे गए प्रावधान से कम बकाया) तो कमी को लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि अतिरिक्त राशि उपलब्ध है तो ऐसी कमी को उसमें खपाया जाएगा। 26.02.2014 को अथवा उसके बाद एनपीए की बिक्री से उत्पन्न किसी भी कमी को यदि अतिरिक्त राशि में खपाया नहीं जाता है तो उसे दो वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किया जाएगा।
- एनपीए की बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाएगा जब आस्ति का निवल बही मूल्य प्राप्त नकदी (केवल प्रारंभिक प्रतिफल द्वारा/अथवा एसआरएस/पीटीसी का रीडम्पशन) से अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी के उस हद तक सीमित होगी।
- (ज) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनःसंरचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों का प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखाओं के मामलों में मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, संबंधित विदेशी देशों में लागू विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगी इनमें से जो भी कड़े हों।
- (झ) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल निधिक देश के एक्सपोज़र के लिए श्रेणीबद्ध स्केल पर प्रावधान किया जाता है।

#### 5. अस्थायी प्रावधान :

बैंक में अस्थायी प्रावधान का सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित की जाने वाली अस्थायी प्रावधान की प्रमात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग नीति में निर्धारित केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है।

#### 6. डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवाइड पॉइंट :

क्रेडिट/डेबिट कार्डों पर रिवाइड पॉइंट के लिए प्रावधान प्रत्येक श्रेणी में संचित बकाया पॉइंट के आधार पर किया जाता है।

#### 7. निवेश :

निवेशों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिपक्वता तक धारित, कारोबार के लिए धारित और बिक्री हेतु धारित श्रेणियों में किया गया है। भारत में किए गए निवेशों के प्रकटन के उद्देश्य से इन्हें आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार छह वर्गों के तहत वर्गीकृत किया जाता है जैसे सरकारी प्रतिभूतियां, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, शेयर, डिबेंचर और बांड, अनुषंगियों और सहायक कंपनियों और अन्य में निवेश। भारत के बाहर निवेशों के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार इन्हें चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित), विदेश में अनुषंगियों/संयुक्त उद्यम और अन्य निवेश।

- (d) In respect of foreign branches, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.
- (e) Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims settled, etc., are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.
- (f) In respect of Rescheduled/Restructured advances, provision is made for the diminution in the fair value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.
- (g) In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any such shortfall arising due to sale of NPA on or after 26/02/2014 will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.
- Excess provision arising out of sale of NPA's are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/ or redemption of SRS/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.
- (h) Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines. In respect of foreign branches provision for Standard Assets is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.
- (i) Provision for net funded country exposures is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

#### 5) FLOATING PROVISION:

The bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes.

#### 6) Debit/Credit Card Reward Points:

Provision for Reward Points on Debit/Credit cards is made based on the accumulated outstanding points in each category.

#### 7) INVESTMENTS:

- A. Transactions in Government Securities are recognised on Settlement Date and all other investments are recognised on trade date.
- B. Investments are categorised under 'Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. For the purpose of disclosure of investments in India, these are classified, in accordance with RBI guidelines & Banking Regulation Act 1949, under six classification viz. Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures and Bonds, Subsidiaries and Associates and Others. In respect of investments outside India, these are classified, in accordance with RBI guidelines, under three categories viz. Government Securities (including local authorities), Subsidiaries/Joint Ventures abroad and Other Investments.

**(क) वर्गीकरण का आधार**

निवेश का वर्गीकरण उसके अर्जन के समय किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहार का निर्धारण समझौते की तारीख पर और अन्य निवेशों का निर्धारण कारोबार की तारीख को किया जाता है।

**i. परिपक्वता पर धारित**

इसमें ऐसे निवेश हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है। अनुबंधित, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में किए गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

**ii. कारोबार के लिए धारित**

इसमें ऐसे निवेश हैं जिन्हें अल्प मियादी मूल्य/ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ लेते हुए कारोबार के इरादे से अर्जन किया जाता है। खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर इसका कारोबार किया जाता है।

**iii. बिक्री के लिए उपलब्ध**

ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण परिपक्वता तक धारित अथवा 'कारोबार के लिए धारित' रूप में नहीं किया है, उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

**ख) निवेश का अधिग्रहण लागत**

- ईक्यूटी निवेश के अर्जन के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूतियों का संव्यवहार कर इत्यादि लागत में शामिल है।
- ब्रोकरेज, कमीशन, ऋण निवेश पर भुगतान/प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को आय/व्यय के रूप में माना गया है और इसे लागत/बिक्री पर विचार करते समय शामिल नहीं किया जाता।
- निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन को लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।
- निवेश की लागत भारत औसत लागत उपाय द्वारा निर्धारित की जाती है।

**ग) मूल्यांकन का तरीका**

भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और विदेशी शाखाओं में धारित निवेशों का संबंधित विदेशी देश में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार मूल्य के कम पर अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

ट्रेजरी बिल और वाणिज्यिक कागजातों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

**i) परिपक्वता तक धारित :**

- इस श्रेणी के तहत निवेशों को उनके अर्जन लागत, परिशोधन के निवल, यदि कोई हो, पर लिया गया है। अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत, यदि कोई हो, को सतत अर्जन प्रणाली का उपयोग कर परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है। प्रीमियम का इस प्रकार परिशोधन आय में निवेश पर ब्याज शीर्ष के तहत समायोजित की जाती है।
- अनुबंधित, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों (भारत और विदेश दोनों में) में निवेश को परंपरागत लागत में मूल्यांकित किया जाता है सिवाय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश के जिन्हें रखाव लागत पर (अर्थात बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया जाता है। अस्थायी को छोड़कर प्रत्येक निवेश के लिए अलग अलग ह्रास (diminutions) के लिए प्रावधान किया जाता है।

**(a) Basis of categorisation**

Categorisation of an investment is done at the time of its acquisition.

**i) Held to Maturity**

These comprise investments that the Bank intends to hold till maturity. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

**ii) Held for Trading**

This comprise investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. These are intended to be traded within 90 days from the date of purchase.

**iii) Available for Sale**

This comprise investments which do not fall under in "Held to Maturity" or "Held for Trading" classification.

**(b) Acquisition Cost of Investment**

- Brokerage, commission, securities transaction tax etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.
- Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt investments is treated as income/expense and is excluded from cost/sale consideration.
- Brokerage and Commission received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.
- Cost of investments is determined at weighted average cost method.

**(c) Method of valuation**

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Treasury Bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

**i) Held to Maturity**

- Investments included in this category are carried at their acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortised over the remaining period to maturity using constant yield method. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".
- Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investments in Regional Rural Banks, which are valued at carrying cost (i.e. book value). A provision is made for diminution, other than temporary, for each investment individually.

ii) कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध :

1. इस श्रेणी के तहत निवेशों का मूल्यांकन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य अथवा उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में प्रत्येक वर्गीकरण में केवल निवल मूल्यहास लगाया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं लिया जाता है। मूल्यहास के लिए प्रावधान पर मार्किंग टू मार्केट के पश्चात एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।
2. कारोबार के लिए धारित और बिक्री के लिए उपलब्ध प्रवर्ग में कोट किए गए निवेश के मूल्यांकन हेतु बाजार दर/स्टॉक एक्सचेंज भाव/भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई)/निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेश के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं है उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है

सरकारी/प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर्स	अद्यतन तुलन पत्र (18 महीनों से अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी रु. 1
अधिमान्य शेयर्स	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
पीएसयू बांड्स	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
म्यूचुअल फंड के यूनिट	अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर
उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ)	18 महीनों से पुरानी नहीं ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी। यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो रु.1 प्रति वीसीएफ
प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषणा के अनुसार एनएवी पर

घ) प्रवर्गों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरण

प्रवर्गों के मध्य किसी प्रतिभूति के अंतरण का अंतरण दिवस पर अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य इनमें से जो भी कम है के रूप में लेखा किया जाए। ऐसे अंतरण पर मूल्य-हास, यदि है तो पूर्ण प्रावधान किया गया है।

ङ) गैर निष्पादित निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन

1. निवेशों को निष्पादित और गैर-निष्पादित में वर्गीकृत किया जाता है जो घरेलू कार्यालयों के मामले में आरबीआई और विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामक द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित है।
2. गैर-निष्पादित निवेश के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्य-हास हेतु प्रावधान किया जाता है।

च. रेपो/रिवर्स रेपो

रेपो/रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन संपार्श्विक उधार और उधार लेने के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि सामान्य सीधी बिक्री खरीद संव्यवहार के मामले में प्रतिभूतियों का अंतरण किया जाता है और ऐसी प्रतिभूतियां रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग से रिफ्लेक्ट होती हैं। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है। लागत तथा राजस्व का लेखांकन जैसा भी मामला हो ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। रेपो खाते में शेष को उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया और रिवर्स रेपो खाते में शेष को बैंक में शेष, मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ii) Held for Trading / Available for Sale

1. Investments under these categories are individually valued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines and only the net depreciation in each classification for each category is provided for and net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.
2. For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used. Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

Government Securities	on Yield to Maturity basis
Other Approved Securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	At book value as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise ₹ 1 per company.
Preference Shares	on Yield to Maturity basis
PSU Bonds	on Yield to Maturity basis
Units of Mutual Funds	At the latest repurchase price/NAV declared by the Fund in respect of each scheme
Venture Capital Funds (VCF)	Declared NAV or break up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at ₹1/- per VCF.
Security Receipts	At NAV as declared by Securitisation Companies

(d) Transfer of Securities between Categories

The transfer of securities between categories is carried out at the least of acquisition cost / book value /market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

(e) Non performing Investments (NPIs) and valuation thereof

1. Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices.
2. In respect of non performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

(f) Repo / Reverse Repo

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice.

### 8) व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

वर्तमान में बैंक ब्याज दर एवं करेंसी व्युत्पन्न का कार्य देखता है। बैंक द्वारा किया जाने वाला ब्याज दर व्युत्पन्न रुपया ब्याज दर स्वेप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वेप, अग्रणी दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर है। बैंक द्वारा किया जा रहा मुद्रा व्युत्पन्न विकल्प, करन्सी स्वेप तथा करन्सी फ्यूचर है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, व्युत्पन्न को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है:

- क) हैज/नॉन हैज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग से रिकार्ड किए जाते हैं।
- ख) हैजिंग व्युत्पन्न पर आय/व्यय उपचय आधार पर लेखांकित होती है।
- ग) ट्रेडिंग व्युत्पन्न स्थानों को बाजार को चिन्हित (एमटीएम) किया जाता है और परिणामतः हानि, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि में बताया जाता है। लाभ, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
- घ) ट्रेडिंग स्वेप के निरस्तीकरण से लाभ/हानियों को निरस्तीकरण तिथि में आय/व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है। स्वेप के निरस्तीकरण पर किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वेप की शेष अनुबंधित कम अवधि अथवा पदनामित आस्तियाँ/देयताओं की बकाया अवधि से संबद्ध किया जाता है।
- ङ) विकल्प संविदा के परिपक्वता काल पर विकल्प शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

### 9. अचल आस्तियां :

- क. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामलों के अतिरिक्त जिन्हें पुनर्मूल्यन रकम पर ही बताया जाता है, अचल आस्तियों को परंपरागत लागत में बताया गया है। पुनर्मूल्यांकन से वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित में जमा किया जाता गया है।
- ख. लागत में खरीद की लागत तथा आस्ति के उपयोग के पहले जगह की तैयारी संस्थापना लागत, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसे किए गए सभी व्यय शामिल है। उपयोग किए जा रहे आस्तियों पर किए गए उत्तरवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाएगा जब ऐसे आस्तियों से अथवा उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है।
- ग. परिसर की लागत में स्वयं की एवं पट्टाधारी भूमि की लागत दोनों शामिल हैं।

### 10. अचल आस्तियों पर मूल्यहास :

- क. आस्तियों पर मूल्यहास (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को मिलाकर) बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर मूल्यहासित बही मूल्य पर प्रभारित किया गया है, कम्प्यूटरों को छोड़कर। कम्प्यूटरों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से सीधे रेखा पद्धति से मूल्यहास लगाया जाता है।
- ख. इसमें परिवर्धन का पूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया जाता है तथा इसमें आस्ति के उपयोग करने की तारीख को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जबकि किसी आस्ति की खरीद/निपटान के वर्ष में मूल्यहास हेतु प्रावधान नहीं किया जाता है।
- ग. आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यहास को पुनर्मूल्यन आरक्षित के निमित्त समायोजित किया जाता है।
- घ. जहाँ भूमि और भवन की लागत अलग-अलग नहीं की जा सकती है, संपूर्ण लागत पर मूल्यहास का प्रावधान, भवन पर लागू दर पर किया जाता है।
- ङ. पट्टाधारित भूमि पर प्रदत्त प्रीमियम, पट्टे की अवधि हेतु परिशोधित की जाती है।

### 8) Derivative

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

- (a) The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.
- (b) Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.
- (c) Trading derivative positions are marked to market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss Account. Profit, if any, is ignored.
- (d) Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure. Any gain/ loss on termination of swap is deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.
- (e) Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

### 9) FIXED ASSETS:

- (a) Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued, which is stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.
- (b) Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees etc. incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- (c) Cost of premises includes cost of land, both freehold and leasehold.

### 10) DEPRECIATION ON FIXED ASSETS:

- (a) Depreciation on assets is charged on the Written Down Value at the rates determined by the Bank, except in respect of computers where it is calculated on the Straight Line Method, at the rates prescribed by RBI.
- (b) In respect of additions, depreciation is provided for the full year, irrespective of the date on which the assets were put to use whereas, depreciation is not provided in the year of sale/ disposal of an asset.
- (c) Depreciation on the revalued portion of assets is adjusted against the Revaluation Reserve.
- (d) Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.
- (e) Premium paid on leasehold land is amortised over the period of lease.

च. घरेलू परिचालन के संबंध में आस्तियों पर मूल्य ह्रास के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

f) Depreciation on assets in respect of domestic operations are provided as under:

क्र.सं.	विवरण	Sr.No.	Particulars	मूल्यह्रास की दर Rate of Depreciation
1	परिसर	1.	Premises	5.00%
2	अन्य अचल आस्तियां	2.	Other Fixed Assets	
क)	फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	a)	Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipments	10.00%
ख)	एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	b)	Air-conditioning plants, etc. and business machines.	15.00%
ग)	मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	c)	Motor cars, Vans & Motor cycles	20.00%
घ)	कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अंगभूत भाग है।	d)	Computers and Computer Software forming integral part of hardware.	33.33%
ङ)	कम्प्यूटर साफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अंगभूत भाग नहीं है।	e)	Computer Software, not forming integral part of hardware	100.00%

छ. भारत के बाहर अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान विनियामक की आवश्यकताओं/अथवा संबंधित देशों/उद्यम में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार किया गया है।

g) Depreciation on fixed assets outside India is provided based on the estimated useful life determined by each centre.

#### 11. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार :

विदेशी मुद्रा वाले संव्यवहारों का लेखांकन, लेखामानक (एएस)11 “विदेशी विनिमय दरों में प्रभावी परिवर्तन” के अनुरूप किया गया है।

#### 11) TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, “The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates”.

#### क) समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:

#### a) Translation in respect of Integral Foreign operations:

भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालन के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under:

- विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को रिपोर्टिंग मुद्रा में आरंभिक मान्यता पर रिकार्ड किया जाता है जो भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा सूचित साप्ताहिक औसत क्लोजिंग दर पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाया जाता है।
- विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें फेडाई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती है।
- विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदें जो परम्परागत लागत के अनुसार की जाती है उसे संव्यवहार की तारीख में विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट की जाती हैं।
- विदेशी मुद्रा में रखे गए आकस्मिक देयताओं को फेडाई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती है।
- बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का निर्धारित परिपक्वता के लिए फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामतः लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।
- बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा। उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित की जाएगी।
- मौद्रिक मदों के निपटान में आरंभ में रिकार्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुई।
- मुद्रा वायदा बाजार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसी प्राप्ति/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

- Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the daily closing rate as displayed on the Reuter’s page.
- Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India(FEDAI) closing spot rates.
- Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.
- Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.
- Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.
- Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate as advised by FEDAI. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.
- Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.
- Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the Profit and Loss account.

**ख) समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:**

विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:

- आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर आंका/स्पष्ट किया जाता है।
- आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा सूचित तिमाही औसतन क्लोजिंग दर पर स्पष्ट किया जाता है।
- सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग खाते विदेशी मुद्रा स्पष्टीकरण रिजर्व में संचित किया जाता है।
- विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में आंका जाता है।

**12. कर्मचारी लाभ :****i. अल्पावधि कर्मचारी लाभ :**

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की अनडिस्काउन्टेड रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है इसे कर्मचारी द्वारा दिए जा रहे सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

**ii. नियोजन के पश्चात लाभ :****क. परिनिश्चित लाभ योजना****क) उपदान (ग्रेच्युटी)**

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दी जाती है, यह राशि प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय 15 दिनों के बेसिक वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम 1972 अथवा बीओआई (कर्मचारी) उपदान विनियम में निर्धारित अधिकतम राशि में जो भी अधिक हो के अधीन है। पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर वेस्टिंग होता है। बैंक निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन ट्रस्ट द्वारा किया जाता है जो वार्षिक रूप में एक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है।

**ख) पेंशन**

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियत के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है। नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई (कर्मचारी) पेंशन विनियमन के अनुसार बैंक पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है जो वार्षिक रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के तहत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

**b) Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:**

Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

- Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.
- Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.
- All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign branches.
- The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

**12) EMPLOYEE BENEFITS:****i. Short Term Employee Benefit:**

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

**ii. Post Employment Benefit:****A. Defined Benefit Plan****a) Gratuity**

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act 1972 or BOI (Employee) Gratuity Regulation whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.

**b) Pension**

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of BOI (Employees) Pension regulations. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out annually and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.



**ख. परिनिश्चित अंशदान योजना :****क. भविष्य निधि**

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक के भविष्य निधि योजना के तहत लाभ पाने का हक है। बैंक एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10% के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करती है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

**ख. पेंशन**

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में परिनिश्चित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी परिनिश्चित दर पर मासिक अंशदान करता है। ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को अंतरित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे परिनिश्चित अंशदान तक सीमित है।

**iii. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ**

- क. छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिनिश्चित लाभ दायित्व है, एएस 15 कर्मचारी लाभ के अनुरूप बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।
- ख. अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन एवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, आकस्मिक लाभ इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व है जो एएस 15 कर्मचारी लाभ के अनुरूप बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।
- ग. विदेशी शाखाओं, कार्यालयों एवं सहायक कंपनियों के मामलों में प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के संबंध में लाभों की गणना संबंधित देशों में विद्यमान कानून के आधार पर की जाती है।

**13. प्रति शेयर अर्जन :**

- क. एएस 20 अर्जन प्रति शेयर के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारत औसत संख्या द्वारा निवल से भाग कर गणना की जाती है।
- ख. प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया तरल संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लेकर गणना की जाती है।

**14. आय पर कर :**

- क. एएस-22 आय पर करों के लिए लेखांकन के अनुरूप आयकर में वर्ष के दौरान चालू कर प्रावधान और आस्तियों या देयताओं पर आस्थगित कर में निवल परिवर्तन शामिल है। चालू करों का निर्धारण लेखांकन मानक 22 के प्रावधान और विदेशी कार्यालय के करों का लेखा लेते हुए भारत में लागू कर कानूनों पर किया जाता है जो संबंधित अधिकार क्षेत्र के कर कानूनों पर आधारित है। आस्थगित कर समायोजन में अवधि के दौरान आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन शामिल है।

**B. Defined Contribution Plan:****a. Provident Fund**

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

**b. Pension**

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

**iii. Other Long term Employee Benefit:**

- a) Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.
- b) Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.
- c) In respect of overseas branches, offices and subsidiaries, the benefits in respect of employees other than those on deputation are accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

**13) EARNINGS PER SHARE:**

- a) Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.
- b) Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

**14) TAXES ON INCOME:**

- a) Income Tax comprises the current tax provision and net change in deferred tax assets or liabilities during the year, in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income". Current taxes are determined in accordance with the provisions of Accounting Standard 22 and tax laws prevailing in India after taking into account taxes of foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdiction. Deferred tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the period.

- ख. आय तथा व्यय की मदें जो एक समय आती हैं और जो परवर्ती एक या अधिक वर्षों में रिवर्सल की जा सकती हैं के संबंध में आस्थगित कर के लिए विवेकपूर्ण विचार करने के अध्वधीन मान्यता है।
- ग. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का मापन तुलनपत्र की तिथि पर या बाद में लागू किए गए कर दरों और कर कानूनों पर किया जाता है।
- घ. आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में मान्यता दी जाती है और पुनर्मूल्यांकन किया जाता है जो वसूली को समुचित रूप से निश्चित माने जाने हेतु प्रबंधन की राय पर आधारित है। आस्थगित कर आस्तियों को आगे लाए गए अनावशोषित मूल्यहास और कर हानियों पर केवल तभी मान्यता दी जाती है जब यह पूर्णतः निश्चित हो कि आस्थगित कर आस्तियों की भविष्य में होने वाले लाभ से वसूली हो सकती है।

#### 15. आस्तियों का हास

स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर हासित हानि यदि कोई हो को एस 28 आस्तियों का हास के अनुरूप लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि पुनर्मूल्यित आस्ति पर हासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता उस हद तक है जहां तक एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम हासित हानि से अधिक न हो।

#### 16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां :

एस 29 “प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां” के अनुसार बैंक प्रावधानों को तभी मान्यता देता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो और यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों का बहिर्गमनों की दायित्वों को निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप आय निर्धारण की बात आ सकती है जबकि वह कभी भी वसूल नहीं हो पाती।

#### 17. शेयर जारी करने हेतु व्यय :

जिस वर्ष में शेयर जारी की जाती है, शेयर जारी करने के व्यय को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

- b) Deferred Tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent years.
- c) Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.
- d) Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether realisation is considered reasonably certain. Deferred tax assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future profits.

#### 15) IMPAIRMENT OF ASSETS:

“Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 “Impairment of Assets”. However, an impairment loss on revalued assets is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.”

#### 16) PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per AS 29 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

#### 17) SHARE ISSUE EXPENSES:

Share issue expenses are charged to the Profit and Loss Account in the year of issue of shares.

**अनुसूची 18**

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो सभी आंकड़े ₹ करोड़ों में हैं कोष्ठक में दिए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं

**समेकित वित्तीय विवरणपत्रों के भाग रूप नोट्स**

1. अनुषंगियों (सब्सिडीरिज) के विवरण निम्नानुसार हैं जिनके वित्तीय विवरणपत्र बैंक (मूल बैंक) के एकल वित्तीय विवरण पत्र के साथ समेकित हैं :

अनुषंगियों का नाम	शामिल (इन्काॉर्पोरेशन) देश	यथा 31.03.2015 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2014 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
<b>स्वदेशी अनुषंगियां :</b>			
क) बीओआई शेयरहोल्डिंग लि.	भारत	51%	51%
ख) बीओआई अक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि.	भारत	51%	51%
ग) बीओआई अक्सा ट्रस्टी सर्विसेज़ प्रा.लि.	भारत	51%	51%
घ) बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि.	भारत	100%	लागू नहीं
<b>विदेशी अनुषंगियां:</b>			
क) पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके	इंडोनेशिया	76%	76%
ख) बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लिमिटेड	तंजानिया	100%	100%
ग) बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैन्ड) लिमिटेड	न्यूजीलैन्ड	100%	100%
घ) बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लिमिटेड	युगांडा	100%	100%
ड.) बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना) लिमिटेड	बोत्सवाना	100%	100%

2. समेकित विवरण पत्रों में विचार की गयी सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमियों के विवरण इस प्रकार है:

(i) सहयोगी कंपनियां :

सहयोगियों के नाम	शामिल देश	यथा 31.03.2015 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2014 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-			
i) झारखण्ड ग्रामीण बैंक	भारत	35%	35%
ii) नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक	भारत	35%	35%
iii) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	भारत	35%	35%
iv) आर्यवत ग्रामीण बैंक	भारत	35%	35%
ख) इंडो जाम्बिया बैंक लि.	जाम्बिया	20%	20%
ग) एसटीसीआई फैनन्स लिमिटेड	भारत	29.96%	29.96%
घ) एसआरईसी (इंडिया) लि.	भारत	26.02%	26.02%

(ii) संयुक्त उद्यम:

संयुक्त उद्यमों के नाम	शामिल देश	यथा 31.03.2015 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2014 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनिजन दाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि.	भारत	48%	48%

**SCHEDULE 18**

All figures are in ₹ Crores unless specifically stated Figures in Brackets relate to previous year

**Notes Forming Part Of Consolidated Financial Statements**

1. Particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of Bank of India (the Parent Bank) are as under:

Names of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2015	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2014
<b>Domestic Subsidiaries:</b>			
a) BOI Shareholding Ltd.	India	51%	51%
b) BOI AXA Investment Managers Pvt Ltd.	India	51%	51%
c) BOI AXA Trustee Services Pvt Ltd.	India	51%	51%
d) BOI Merchant Bankers Ltd	India	100%	NA
<b>Overseas Subsidiaries:</b>			
a) PT Bank of India Indonesia Tbk	Indonesia	76%	76%
b) Bank of India (Tanzania) Ltd.	Tanzania	100%	100%
c) Bank of India (New Zealand) Ltd.	New Zealand	100%	100%
d) Bank of India (Uganda) Ltd.	Uganda	100%	100%
e) Bank of India (Botswana) Ltd.	Botswana	100%	100%

2. Particulars of associates and joint venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

(i) Associates:

Names of Associates	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2015	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2014
a) Regional Rural Banks-			
i) Jharkhand Gramin Bank	India	35%	35%
ii) Narmada Jhabua Gramin Bank	India	35%	35%
iii) Vidharba Konkan Gramin Bank	India	35%	35%
iv) Gramin Bank of Aryavart	India	35%	35%
b) Indo Zambia Bank Limited	Zambia	20%	20%
c) STCI Finance Ltd.	India	29.96%	29.96%
d) ASREC (India) Ltd.	India	26.02%	26.02%

(ii) Joint Venture:

Names of Joint Venture	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2015	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2014
Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited	India	48%	48%

3. इन अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमियों एवं सहयोगियों के विवरणपत्र जो समेकन में इस्तेमाल किए जाते हैं मूल बैंक की यथा रिपोर्टिंग तारीख अर्थात् 31 मार्च, 2014 तक बनाए गए हैं, सिवाय एक सहायक कंपनी इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड (आईजेडबीएल) के। आईजेडबीएल के वित्तीय विवरण 31 दिसंबर, 2013 तक तैयार किए गए थे और 31 मार्च 2014 को समाप्त तिमाही के लिए कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार रिपोर्ट नहीं किए गए थे।
4. स्वदेशी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमियों/सहयोगियों के मामले में, मूल बैंक और अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमियों/सहयोगियों द्वारा अपनायी गयी भिन्न-भिन्न लेखांकन पॉलिसियों के कारण उत्पन्न लेखागत समायोजन अनुषंगियों/संयुक्त उद्यम/सहयोगियों द्वारा मुहैया कराए गए डाटा के आधार पर किए गए हैं।
5. समेकित वित्तीय विवरण पत्र निम्न के आधार पर तैयार किए गए हैं :
  - i) पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके के यथा 31.03.2015 के वित्तीय विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्वतंत्र समीक्षकर्ता द्वारा समीक्षित हैं और शामिल देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।
  - ii) बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) के यथा 31.03.2015 के विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्वतंत्र समीक्षक द्वारा समीक्षित हैं। बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) के यथा 31.12.2014 के विवरण पत्र शामिल के देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुसार लेखा परीक्षित हैं।
  - iii) बैंक ऑफ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. के यथा 31.03.2015 के वित्तीय विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्वतंत्र समीक्षक द्वारा समीक्षित हैं।
  - iv) बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि. के यथा 31.03.2015 के विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।
  - v) बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. के यथा 31.03.2015 के विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।
  - vi) बीओआई शेयरहोल्डिंग लि., बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि., बीओआई एक्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्रा.लि., बीओआई ट्रस्टी सर्विसीज़ प्रा.लि., स्टार यूनिथन दार्-ईची लाइफ इश्योरंस कंपनी लि., एस्टीसीआई फाइनेंस लि., झारखंड ग्रामीण बैंक के 31.03.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए और इंडो ज़ाम्बिया बैंक लि., के 31.12.2014 को समाप्त 9 महीनों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्र हैं।
  - vii) एसआरईसी (इंडिया) लि., विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक और आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के 31.03.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उनके प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्र हैं।
6. वर्ष के दौरान सेबी (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2009 के विनियमन 76(1) के अनुरूप मूल बैंक ने अधिमानी आधार पर अंकित मूल्य रु.10/- प्रति शेयर के 2,26,45,502 (4,63,60,686) इक्विटी शेयर रु.283.50 (रु.215.70) प्रति शेयर की कीमत पर जारी किए। इस संबंध में मूल बैंक को कुल रु.642 (रु.1000) करोड़ की राशि प्राप्त हुई।
7. क) वर्ष के दौरान मूल बैंक ने अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है और संदिग्ध श्रेणी (प्रतिभूतीकृत अंश) के रूप में वर्गीकृत एनपीए के संबंध में निवल अतिदेय अग्रिम का प्रावधानीकरण 50% (त्वरित प्रावधान) से 25% (न्यूनतम प्रावधान) किया है। अगर पहले की लेखांकन नीति का पालन किया गया होता तो, वर्ष के लिए एनपीए हेतु प्रावधान रु.811 करोड़ अधिक होता और परिणामस्वरूप वर्ष के लिए निवल लाभ (कर का निवल) रु.535.34 करोड़ कम होता।
  - ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं.डीबीएस:सीओ:एसएसएम:(बीओआई)14657:13.37.001:2014-15 दिनांक 20 मई, 2015 के आधार पर, मूल बैंक ने कतिपय एनपीए के संबंध में रु.709.31 करोड़ के प्रावधान को आस्थगित किया है और जून 2015 से आरंभित 3 तिमाही की अवधि के लिए ऋणशोधित किए जाने वाले कुछ एनपीए की बिक्री से रु.403.21 करोड़ की हानि को आस्थगित किया है। यदि बैंक को यह छूट नहीं दी गई होती, तो वर्ष के लिए एनपीए का प्रावधान रु.1112.52 करोड़ अधिक होता जिससे वर्ष के निवल लाभ (कल का निवल) में रु.734.37 करोड़ की कमी होती।
3. The financial statements of the subsidiaries, joint ventures and associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of the Parent Bank i.e. 31st March 2015 except for an associate IndoZambia Bank Limited (IZBL). IZBL's financial statements were prepared up to 31st December 2014 and reported no significant transaction for the quarter ended 31st March 2015.
4. In case of Domestic subsidiaries/joint venture/associates, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by Parent Bank and subsidiaries/joint venture/associates have been carried out on the basis of data provided by subsidiaries/joint venture/associates.
5. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of :
  - (i) Financial statements of PT Bank of India Indonesia Tbk as on 31.03.2015 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.
  - (ii) Financial statements of Bank of India (Tanzania) Ltd. as on 31.03.2015 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer. The Financial Statements as at 31.12.2014 of Bank of India (Tanzania) Ltd. has been audited as per the local requirements of the country of incorporation.
  - (iii) Financial statements of Bank of India (New Zealand) Ltd. as on 31.03.2015 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer.
  - (iv) Financial statements of Bank of India (Uganda) Ltd. as on 31.03.2015 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.
  - (v) Financial statements of Bank of India (Botswana) Ltd. as on 31.03.2015 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.
  - (vi) Audited financial statements of BOI Shareholding Ltd., BOI Merchant Bankers Ltd., BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd., BOI AXA Trustee Services Pvt. Ltd., Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd., STCI Finance Ltd., Jharkhand Gramin Bank for the financial year ended 31.03.2015 and Indo Zambia Bank Ltd. for the nine months ended 31.12.2014.
  - (vii) Unaudited financial statements of ASREC (India) Ltd., Vidharbha Konkan Gramin Bank, Narmada Jhabua Gramin Bank and Gramin Bank of Aryavart for the financial year ended 31.03.2015 certified by their management.
6. During the year, the Parent Bank has issued 2,26,45,502 (4,63,60,686) Equity Shares of ₹10/- each at a price of ₹ 283.50 (₹ 215.70) per share, aggregating ₹ 642 (₹1000) Crores on preferential basis in accordance with the regulation 76(1) of SEBI (Issue of Capital and disclosure requirements) Regulations, 2009.
7. A) During the year, the Parent Bank has changed its accounting policy of provisioning in respect of NPAs classified as doubtful category (Secured Portion) up to one year from 50% (accelerated provision) to 25% (minimum provision) of net outstanding advances. Had the earlier accounting policy been followed, the provision for NPAs for the year would have been higher by ₹ 811 crores with consequential decrease in Net Profit for the year (net of tax) by ₹ 535.34 crores.
  - B) Pursuant to Reserve Bank of India Letter No. DBS:CO:SSM:(BOI) 14657:13.37.001:2014-15 dated 20th May, 2015, the Parent bank has deferred provision of ₹ 709.31 Crores in respect of certain NPAs and loss of ₹ 403.21 Crores on sale of certain NPAs to be amortized over a period of 3 quarters commencing

ग) भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र क्रमांक डीबीआर:बी पी:17252:21.04.048:2014-15 दिनांक 13 मई, 2015 के अनु-सरण में, 26 फरवरी, 2014 और 31 मार्च, 2015 के बीच एआरसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों की बिक्री, जिस तिमाही में आस्ति बेची गई उस तिमाही से 8 तिमाहियों की अवधि के दौरान, आई कमी का बैंक ने ऋणशोधन किया है। तदनुसार, बैंक ने वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में ₹.112.66 करोड़ प्रभारित किए और शेष राशि ₹.478.91 करोड़ भविष्य में लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किए जाने हेतु अग्रेषित की जा रही है।

8. अनुषंगी बही खातों के मूल बैंक के संतुलन के बारे में एवं विदेशी शाखाओं एवं नोस्ट्रो खातों और उच्चत, संदेय ड्राफ्टों, समाशोधन अन्तरों, इत्यादि के साथ शेषराशियों की पुष्टि /समाधान का कार्य सतत आधार पर प्रगति पर है। उपरोक्त का लम्बित अंतिम समाशोधन/समायोजन, विदेशी शाखाओं सहित, खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण होने की सम्भावना नहीं है।

मूल बैंक के आंतर कार्यालय समायोजनों के बारे में ऋण एवं जमा बकाया प्रविष्टियों को प्रारम्भिक मिलान 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण कर लिया गया है। अवशिष्ट प्रविष्टियों के समाधान का कार्य प्रगति पर है। प्रविष्टियों का लम्बित अंतिम निर्बाधन/समायोजन, प्रबंधन की राय में, खातों पर समग्र प्रभाव महत्वपूर्ण होने की सम्भावना नहीं है।

9. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणपत्र के बारे में निम्नलिखित सूचना दी जा रही है:

क) पूंजी:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (CET1) (%)		
	बासेल-II	लागू नहीं	लागू नहीं
	बासेल -III	7.59%	6.99%
ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)		
	बासेल -II	8.71%	7.89%
	बासेल -III	8.63%	7.42%
iii)	टियर II पूंजी अनुपात (%)		
	बासेल -II	3.24%	3.26%
	बासेल -III	2.59%	2.79%
iv)	कुल पूंजी अनुपात (CRR) (%)		
	बासेल II	11.95%	11.15%
	बासेल -III	11.22%	10.21%
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	64.43%	66.70%
vi)	वर्ष के दौरान प्राप्त इक्विटी पूंजी राशि	642.00	1000.00
vii)	वर्ष के दौरान टियर-I पूंजी बढ़ा हुआ (₹ करोड़ में) अर्थात एटी -1	2500.00	0.00
viii)	वर्ष के दौरान प्राप्त टियर-II राशि बढ़ा हुआ (₹ करोड़ में) अर्थात डेट कैपिटल इंस्ट्रुमेंट	0.00	1500.00

from June 2015. Had this dispensation been not given to the bank, the provision for NPAs for the year would have been higher by ₹ 1112.52 Crores with consequential decrease in Net Profit for the year (net of tax) by ₹ 734.37 Crores.

C) Pursuant to Reserve Bank of India Letter No. DBR:BP:17252:21.04.048:2014-15 dated 13th May, 2015, the bank has amortized the shortfall arising out of sale of financial assets to ARCs, sold between 26th February, 2014 and 31st March, 2015, over a period of 8 quarters from the quarter in which the asset was sold. Consequently, the bank has charged ₹ 112.66 Crores to Profit & Loss Account for the year and the balance amount of ₹ 478.91 Crores is being carried forward to be charged to Profit & Loss Account of future periods

8. In respect of the Parent Bank Balancing of Subsidiary Ledger Accounts confirmation/reconciliation of balances with foreign branches, NOSTRO Accounts, Suspense, Drafts Payable, Clearing Difference, etc. is in progress on an on-going basis. Pending final clearance/adjustment of the above, the overall impact, if any, on the financial statements, in the opinion of the management, is not likely to be significant.

As regards Inter office adjustments of the Parent Bank, initial matching of debit and credit outstanding entries has been completed upto 31st March 2015. Reconciliation of residual entries is in progress. Pending final clearance/adjustment of the entries, the overall impact, if any, on the financial statements, in the opinion of the management, is not likely to be significant.

9. The following information is disclosed in respect of consolidated financial statements in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India:

a) Capital:

(₹ In crore)

	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
i)	Common Equity Tier 1 capital ratio (CET1) (%)		
	Basel- II	NA	NA
	Basel- III	7.59%	6.99%
ii)	Tier I Capital ratio (%)		
	Basel- II	8.71%	7.89%
	Basel- III	8.63%	7.42%
iii)	Tier II Capital ratio (%)		
	Basel- II	3.24%	3.26%
	Basel- III	2.59%	2.79%
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)		
	Basel- II	11.95%	11.15%
	Basel- III	11.22%	10.21%
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India	64.43%	66.70%
vi)	Amount of Equity Capital raised (in ₹ Crores)	642.00	1000.00
vii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised (in ₹ Crores); i.e. AT-1	2500.00	0.00
viii)	Amount of Tier-II capital raised; (in ₹ Crores) i.e. Debt Capital Instruments	0.00	1500.00

**ख) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:**

(₹ करोड़ में)

मर्दे	2014-15	2013-14
एनपीए के लिए प्रावधान	5231.64	3974.26
निवेशों के मूल्य में हास	(50.40)	72.55
कारधान के लिए प्रावधान (आस्थागत कर सहित)	103.42	834.49
मानक आस्तियों पर प्रावधान	409.22	423.42
अन्य प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों सहित)	107.28	412.47
कुल	5801.16	5717.19

**ग) फ्लोटिंग प्रावधानों के ब्यौरे (काउन्टर साइक्लिकल प्रावधानीकरण बफर (मूल बैंक)**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
प्रारम्भिक शेष	364.43	543.92
वर्ष के दौरान परिवर्धन	100.00	0.00
वर्ष के दौरान कटौती	232.21	179.49
अंतिम शेष	232.22	364.43

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.बी.सी.79/21.04.048/2014-15 दिनांक 30 मार्च, 2015 के अनुसार, एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान तैयार करने के लिए यथा 31 दिसम्बर, 2014 बैंकों द्वारा धारित फ्लोटिंग प्रावधानों के 50% का उपयोग करने की बैंकों को अनुमति है। बैंक ने एनपीए का विनिर्दिष्ट प्रावधान करने के लिए यथा 31 दिसम्बर, 2014 बैंक द्वारा धारित ₹.464.43 करोड़ में से ₹.232.22 करोड़ का उपयोग किया।

**घ) आय कर**

- मूल बैंक के संबंध में आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत ऋण के रूप में अभिस्वीकृत न किए गए बैंक के विभिन्न दावों में ₹.961.37 करोड़ (₹.857.58 करोड़) की विवादित आय कर/ ब्याज कर देयता शामिल है जिसके लिए ऐसे विवादों पर विगत निर्धारणों के लिए विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। ऐसे विवादित देयों के विभिन्न भुगतान/समायोजन अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के तहत शामिल हैं।
- वर्ष के लिए आय कर हेतु प्रावधान कतिपय विवादित मसलों पर विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर समुचित विचार करने के पश्चात हो गए है।
- वर्ष के दौरान, मूल बैंक ने आयकर प्राधिकरण के आदेशों के आधार पर ₹.483.55 करोड़ के विगत वर्षों के कराधान के लिए प्रावधानको राइट बैक कर दिया है।

**ग) सहायक संस्थाओं के संबंध में मूल बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित और लेखा परीक्षकों द्वारा आश्वसित)**

वर्ष 2011-12 के दौरान मूल बैंक ने अपनी पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी, बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. के बारे में, उसकी वित्तीय वचनबद्धताओं, यदि कोई होती हैं, को पूरा करने के लिए गवर्नर, बैंक ऑफ बोत्स्वाना को एक वचनबंध जारी किया है।

वर्ष 2010-11 के दौरान मूल बैंक ने अपने पूर्ण स्वामित्व अनुषंगी बीओआई (न्यूज़ीलैण्ड) लि. के लिए रॉयल बैंक ऑफ न्यूज़ीलैण्ड के पक्ष में पेरन्टल गारंटी जारी की है कि यदि बकाया देय होती है तो वे वित्तीय दायित्वों को पूरा करेंगे।

अलबत्ता यथा 31.03.2015 को उक्त वचनबद्धताओं पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं आया है।

**b) Provisions and Contingencies:**

(₹ in crore)

Items	2014-15	2013-14
Provision for NPA	5231.64	3974.26
Depreciation in Value of Investments	(50.40)	72.55
Provision for Taxation (including deferred tax)	103.42	834.49
Provision on Standard Assets	409.22	423.42
Other Provisions (including floating provisions)	107.28	412.47
<b>Total</b>	<b>5801.16</b>	<b>5717.19</b>

**c) Floating Provisions (Countercyclical Provisioning Buffer) (Parent Bank)**

(₹ in crore)

Particulars	2014-15	2013-14
<b>Opening Balance</b>	<b>364.43</b>	543.92
Additions during the year	100.00	0.00
Reductions during the year	232.21	179.49
Closing Balance	232.22	364.43

In terms of Reserve Bank of India Circular No.DBR.No.BP. BC.79/21.04.048/2014-15 dated 30th March, 2015, Banks were allowed to utilise 50% of the floating provision held by them as on 31st December, 2014 for making specific provision for NPAs. The Bank has utilised ₹ 232.22 Crores out of ₹ 464.43 Crores held as on 31st December, 2014 for making specific provision for NPAs.

**d) Income-Tax**

- Claims against the Parent Bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax / interest tax liabilities of ₹ 961.37 crores (₹ 857.58 Crores) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions for past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).
- Provision for income tax for the year is arrived at after due consideration of the various judicial decisions on certain disputed issues.
- During the year, the Parent Bank has written back Provision for Taxation pertaining to earlier years of ₹ 483.55 crores based on orders of Income Tax Authorities.

**e) Letter of comfort issued by the Parent Bank in respect of subsidiaries (As compiled by Management and relied upon by the Auditors)**

During the year 2011-2012, the Parent Bank has issued an undertaking to the Governor, Bank of Botswana in respect of its wholly owned subsidiary, Bank of India (Botswana) Ltd. to meet its financial commitments if they fall due.

During the year 2010-11, the Parent Bank issued parental guarantee in favour of Royal of New Zealand, for its wholly owned subsidiary, BOI (New Zealand) Ltd. to meet financial obligations, if they fall due.

As on 31.03.2015 no financial obligations have arisen on the above commitments.

10 भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) के अनुरूप किए गए प्रकटन.

Disclosures in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):

(क) लेखांकन मानक 15 कर्मचारी लाभ (मूल बैंक)

A) Accounting Standard 15 – “Employee Benefits” (Parent Bank)

(₹ करोड़ में / Amount in ₹ crore)

क्र. Sr. No.	विवरण Particular	2014-2015		2013-2014		
		ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	
(i)	प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक पूर्वानुमान : वर्तमान छूट दर आयोजन आस्तियों पर प्रतिफल दर वर्तमान वर्तमान वेतन वृद्धि वर्तमान ह्रास दर	<b>Principal actuarial assumptions used :</b>				
		Discount Rate	7.96%	7.95%	9.32%	9.27%
		Rate of Return on Plan Assets	8.38%	8.61%	9.18%	8.42%
		Salary Escalation Current	5.50%	5.50%	6.00%	6.00%
		Attrition Rate Current	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
(ii)	लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शानेवाली तालिका अवधि के प्रारंभ में देयता ब्याज लागत वर्तमान सेवा लागत प्रदत्त लाभ दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि वर्ष के अंत में देयता	<b>Table showing change in benefit obligation :</b>				
		Liability at the beginning of the period	1402.55	8038.24	1505.38	7404.65
		Interest Cost	101.37	610.73	129.47	658.35
		Current Service Cost	73.03	890.30	705.70	804.95
		Benefit Paid	(258.17)	(712.15)	(232.45)	(605.48)
		Actuarial (gain)/loss on Obligation	(7.79)	592.91	(705.56)	(224.22)
		Liability at the end of the year	1311	9420.03	1402.55	8038.24
(iii)	प्लान एसेट्स के उचित मूल्य की तालिका: अवधि प्रारंभ में प्लान एसेट्स का प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल अंशदान प्रदत्त लाभ प्लान एसेट्स पर बीमांकित लाभ/(हानि) वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य मानने योग्य कुल बीमांकित लाभ/(हानि)	<b>Table of Fair value of Plan Assets:</b>				
		Fair Value of Plan Assets at the beginning of the period	1316.51	7261.20	1333.79	6504.83
		Expected return on Plan Assets	110.32	625.18	122.44	547.71
		Contributions	77.25	1554.61	110.00	743.92
		Benefit Paid	(258.17)	(712.15)	(232.45)	(605.48)
		Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	19.27	312.64	(17.27)	70.22
		Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1265.18	9041.48	1316.51	7261.20
		<b>Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised</b>	<b>(27.05)</b>	<b>280.27</b>	<b>688.29</b>	<b>294.44</b>
(iv)	संक्रमणकालीन देयता की मान्यता : प्रारंभ में संक्रमणकालीन देयता वर्ष के दौरान निर्धारित संक्रमणकालीन देयता अंत में संक्रमणकालीन देयता	<b>Recognition of Transitional Liability :</b>				
		Transitional Liability at start	85.79	442.42	171.59	884.86
		Transition Liability recognised during the year	85.79	442.42	85.80	442.44
		<b>Transition Liability at end</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85.79</b>	<b>442.42</b>
(v)	प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल : प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल प्लान एसेट्स पर बीमांकित लाभ/(हानि) प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल	<b>Actual return on Plan Assets :</b>				
		Expected Return on Plan Assets	110.32	625.18	122.44	547.71
		Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	19.27	312.64	(17.27)	70.22
		<b>Actual return on Plan Assets</b>	<b>129.59</b>	<b>937.82</b>	<b>105.17</b>	<b>617.93</b>
(vi)	तुलन पत्र में मान्य राशि : अवधि के अंत में देयता वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य अंतर अमान्य परिवर्तन देयता तुलन पत्र में मान्य राशि	<b>Amount recognised in the Balance Sheet :</b>				
		Liability at the end of the period	1311.00	9420.03	1402.55	8038.24
		Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1265.18	9041.48	1316.51	7261.19
		Difference	(45.82)	(378.55)	(86.04)	(777.05)
		Unrecognised Transition Liability	0.00	0.00	85.79	442.42
		<b>Amount Recognised in the Balance Sheet</b>	<b>(45.82)</b>	<b>(378.55)</b>	<b>(0.25)</b>	<b>(334.63)</b>
(vii)	आय विवरण-पत्र में मान्य व्यय : वर्तमान सेवा लागत ब्याज लागत प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल विगत वर्षों से संबंधित मान्य लागत मान्य परिवर्तन देयता बीमांकित (लाभ) या हानि लाभ एवं हानि में मान्य व्यय	<b>Expenses recognised in the Income Statement :</b>				
		Current Service Cost	73.03	890.30	705.70	804.95
		Interest Cost	101.37	610.73	129.47	658.35
		Expected Return on Plan Assets	110.32	625.19	(122.44)	(547.71)
		Expenses recognized relating to prior Years	0.00	0.00	0.00	0.00
		Recognition of Transition Liability	85.79	442.42	85.80	442.44
		Actuarial (Gain) or Loss	(27.05)	(280.27)	(688.29)	(294.44)
		<b>Expense Recognised in P &amp; L</b>	<b>122.82</b>	<b>1598.53</b>	<b>110.25</b>	<b>1063.59</b>
(viii)	तुलन पत्र समाधान : प्रारंभिक निवल देयता: (तुलन पत्र में मान्य की गई विगत अवधि की निवल राशि) उपर्युक्त अनुसार व्यय नियोक्ता का अंशदान तुलन पत्र में मान्य राशि	<b>Balance Sheet Reconciliation :</b>				
		Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet)	0.25	334.63	0.00	14.96
		Expenses as above	122.82	1598.53	110.25	1063.59
		Employer's Contribution	77.25	1554.61	110.00	(743.92)
		<b>Amount Recognised in Balance Sheet</b>	<b>45.82</b>	<b>378.55</b>	<b>0.25</b>	<b>334.63</b>
(ix)	आस्तियों का प्रवर्ग : भारत सरकार की आस्तियां कापरेट बॉन्ड्स राज्य सरकार अन्य कुल	<b>Category of Assets :</b>				
		Government of India Assets	126.48	1234.6	153.55	568.12
		Corporate Bonds	681.65	4277.90	712.96	4091.60
		State Government	415.24	3180.33	413.98	2499.07
		Other	41.81	348.64	36.02	102.4
		<b>Total</b>	<b>1265.18</b>	<b>9041.47</b>	<b>1316.51</b>	<b>7261.19</b>
(x)	अनुभव समायोजन : प्लान देयता पर (लाभ)/हानि प्लान एसेट पर (हानि)/लाभ	<b>Experience Adjustment :</b>				
		<b>On Plan Liability (Gain)/Loss</b>	(7.79)	592.91	(705.56)	(224.22)
		<b>On Plan Asset (Loss)/Gain</b>	19.27	312.65	(17.27)	70.22

**अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:**

विवरण	31.03.2015 को देयता	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान
छुट्टी का नकदीकरण	577.49	39.45
छुट्टी-यात्रा रियायत	52.26	3.77
पुनः वेतनसंशोधन लाभ	6.79	0.46
माइलस्टोन पुरस्कार	2.91	0.87

\* अन्य दीर्घावधि लाभ के लिए बिमाकिक पूर्वानुमान ग्रेच्युटी के लिए उपयुक्त लाभों के समान ही है।

क) बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान को व्यय के रूप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी निधि जो एक परिनिश्चित अंशदान योजना है, के लिए ₹.54.96 करोड़ (₹.38.23 करोड़) का अंशदान दिया है।

ख) आरबीआई परित्रन. डीबीओडी.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी 2011 के अनुरूप :

उन मौजूदा कर्मचारियों के लिए, जिन्होंने ऐक्चुएरीअल बेसिस पर पहले परिकलित की गयी पेंशन के लिए विकल्प नहीं दिया था, पेंशन विकल्प को फिर से खोलने के कारण ₹.2212.15 करोड़ की अतिरिक्त देयता (31.03.2011 से शुरू करके 5 वर्षों में संक्रामित की जानेवाली) के निमित्त समानुपात आधार पर वर्ष के दौरान ₹.442.44 करोड़ की राशि लाभ-हानि खाते में प्रभारित की गयी है।

राशि ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के भुगतान में ग्रेच्युटी सीमाओं की वृद्धि के कारण (31.03.2011 से शुरू करके 5 वर्षों में संक्रामित की जानेवाली) ₹.428.96 करोड़ की अतिरिक्त देयता के निमित्त समानुपात आधार पर तिमहाही के दौरान ₹.85.79 करोड़ की लाभ-हानि खाते में प्रभारित की गयी है।

ग) ऐक्चुएरी द्वारा बैंक को यह सूचित किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के प्रोफाइल को देखते हुए बैंक कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ के परिकलन हेतु ऐक्चुएरी द्वारा प्रयुक्त वर्तमान मोरटैलिटी टेबल पर्याप्त है।

बीओआई ग्रुप ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुस्प एएस 17 के अनुपालन में कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र और भौतिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है।

**(बी) लेखांकन मानक 17 - खण्ड रिपोर्ट करना**  
भाग क: कारोबार खण्ड

कारोबार खण्ड	Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		कुल Total	
		2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
राजस्व	Revenue	12921.95	11725.45	21934.90	20015.28	13057.57	10347.02	47914.42	42087.75
गैर-आबंटित राजस्व	Unallocated Revenue							172.28	424.59
अंतर खंड राजस्व	Inter Segment Revenue							123.75	68.16
कुल राजस्व	Total Revenue							47962.95	42444.18
परिणाम	Results	1776.43	1882.88	750.07	1270.32	191.23	985.76	2717.73	4138.96
गैर-आबंटित व्यय	Unallocated Expenses							(601.40)	(317.70)
परिचालन लाभ	Operating profit							2116.33	3821.26
आयकर	Income Tax							103.42	834.49
असाधारण लाभ/हानि	Extraordinary profit/loss							0.00	0.00
निवल लाभ	Net Profit							2012.91	2986.78
अन्य जानकारी :	Other Information:								
खंड आस्तियां	Segment Assets	187902.71	171,372.11	317373.16	296,639.52	102949.21	97440.13	608225.08	561,451.76
गैरआबंटित आस्तियां	Unallocated Assets							17059.66	16702.85
कुल आस्तिया	Total Assets							625284.74	578,154.60
खंड देयताएं	Segment Liabilities	180549.59	164,590.94	304581.81	280858.89	99138.12	93602.23	584269.52	539,052.06
गैर आबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities							8492.38	8,328.81
कुल देयताएं	Total Liabilities							592761.90	547,380.87

नोट : गैर बैंकिंग अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों से संबंधित सूचना को अनाबंटित खंड के अंतर्गत शामिल किया गया है।

Note: Information in respect of Non Banking subsidiaries/joint venture has been included under unallocated segment.

**Other long term employee benefits**

Particulars	Liability as on 31.03.2015	Provisions made during the year
Leave Encashment	577.49	39.45
Leave Travel Concession	52.26	3.77
Resettlement Benefits	6.79	0.46
Milestone Awards	2.91	0.87

\* The actuarial assumptions for other long term benefits are same which are used for Gratuity.

a. The Parent Bank has recognised contribution to employees' Provident Fund as an expense. During the year, the bank has contributed ₹ 54.96 Crores (₹38.23 Crores) towards such fund which is a defined contribution plan.

b. In accordance with the RBI circular no. DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 9<sup>th</sup> February 2011:

- ₹ 442.42 Crores for the Year has been charged to the Profit & Loss Account on proportionate basis towards additional liability of ₹ 2212.15 Crores (being amortised over 5 years beginning from 31st March, 2011) on account of reopening of pension option for existing employees who had not opted for pension earlier calculated on actuarial basis. There remains no amount to be amortised in future periods.

- ₹ 85.79 Crores for the Year has been charged to the Profit & Loss Account on proportionate basis towards additional liability of ₹ 428.96 Crores (being amortised over 5 years beginning from 31st March 2011) on account of the enhancement of gratuity limits in Payment of Gratuity Act, 1972. There remains no amount to be amortised in future periods.

c. The Bank has been advised by the Actuary that the present mortality table being used by the Actuary to determine retirement benefits of Bank's employees' is appropriate considering the profile of employees' of the Public Sector Banks.

**(B) AS 17 "Segment Reporting"**

**Part A: Business Segment**



भाग ख : भौगोलिक खण्ड

Part B: Geographical Segment

(राशि रु. करोड़ में/₹ in crore)

भौगोलिक खण्ड	Geographical Segments	स्वदेशी Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
		2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
विवरण	Particulars						
राजस्व	Revenue	42682.31	37859.62	5280.64	4584.56	47962.95	42444.18
आस्तियां	Assets	458875.86	427879.02	166408.88	150275.58	625284.74	578154.60

बैंक ने लेखांकन मानक (एएस) 17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप कारोबारी खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को गौण खंड के रूप में मान्यता दी है।

i) प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड

क) कोषागार परिचालन : खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन में लेनदेन।

ख) थोक बैंकिंग : थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

ग) खुदरा बैंकिंग : खुदरा बैंकिंग में वह निवेश सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हैं :

- एक्सपोजर : अधिकतम कुल एक्सपोजर ₹5 करोड़ तक।
- कुल वार्षिक टर्नओवर ₹50 करोड़ से कम अर्थात मौजूदा कम्पनियों के मामले में विगत 3 वर्षों का औसत टर्नओवर और नई कम्पनियों के लिए पूर्वानुमानित टर्नओवर है।

घ) अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमाराशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

ङ) लागत का विनियोजन

- विशेष खण्ड को सीधे प्रदान किए गए व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।
- विशेष खण्ड को सीधे न प्रदान किए गए व्ययों को कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

ii) गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड

क) स्वदेशी परिचालन

ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

(सी) लेखांकन मानक 18 संव्यवहारों से संबंधित पक्षकार : (जैसा प्रबंधन द्वारा समेकित किया गया तथा लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया)

i) संबंधित पक्षकारों की सूची :

(क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक : श्रीमती वी.आर. अय्यर  
कार्यपालक निदेशक गण : श्री बी.पी. शर्मा  
श्री अरुण श्रीवास्तव (05.08.2013 से)  
श्री आर. कोटिस्वरन (05.08.2013 से 31.12.2014 तक)  
श्री आर. पी. मराठे (10.03.2015 से)

(ख) अनुषंगियाँ :

- बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड
- बीओआई एक्सए इनवेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लि.
- बीओआई एक्सए ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लि.
- बीओआई मर्चेंट बैंकर्स
- बैंक ऑफ इंडिया (तंज़ानिया) लि.
- पीटी बैंक ऑफ इंडोनेशिया टीबीके

The BOI group has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with AS17.

i) Primary Segment: Business Segments

a) Treasury Operations: 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.

b) Wholesale Banking: Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.

c) Retail Banking : Retail Banking includes exposures which fulfill following two criteria:

- Exposure – The maximum aggregate exposure up to ₹ 5 Crore
- The total annual turnover is less than ₹ 50 crore i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

d) Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

e) Allocation of Costs

-Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment

-Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees / business managed.

ii) Secondary Segment: Geographical Segments

a) Domestic Operations

b) International Operations

(C) AS 18 "Related Party Transactions": (As compiled by Management and relied upon by the Auditors)

i) List of Related Parties:

(a) Key Managerial Personnel :

- Chairperson &  
Managing Director: Smt. V. R. Iyer  
Executive Directors: Shri. B. P. Sharma  
Shri Arun Shrivastava (w.e.f. 05.08.2013)  
Shri R. Koteeswaran (w.e.f. 05.08.2013 to 31.12.2014)  
Shri R. P. Marathe (w.e.f.10.03.2015)

(b) Subsidiaries :

- BOI Shareholding Limited
- BOI AXA Investment Managers Private Ltd
- BOI AXA Trustee Services Private Limited
- BOI Merchant Bankers Ltd (w.e.f. from 31.10.2014)
- Bank of India (Tanzania) Ltd.
- PT Bank of India Indonesia Tbk

- vii) बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि.
- viii) बैंक ऑफ इंडिया (युगान्डा) लि.
- ix) बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.

**(ग) सहायक कंपनियां :**

- i. एसटीसीओई फाइनेंस लिमिटेड
- ii. एएसआरईसी (इंडिया) लि.
- iii. इंडो-ज़ाम्बिया बैंक लि.
- iv. बैंक द्वारा प्रायोजित 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  - क) आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  - ख) झारखण्ड ग्रामीण बैंक
  - ग) नर्मदा ज़ाबुआ ग्रामीण बैंक
  - घ) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक

**(घ) संयुक्त उद्यम**

- (i) स्टार यूनिनन दार्ई ईची जीवन बीमा कंपनी लि.

- (vii) Bank of India (New Zealand) Limited.
- (viii) Bank of India (Uganda) Ltd.
- (ix) Bank of India (Botswana) Ltd.

**(c) Associates :**

- (i) STCI Finance Limited.
- (ii) ASREC (India) Ltd.
- (iii) Indo-Zambia Bank Ltd.
- (iv) 4 Regional Rural Banks sponsored by the Bank
  - (a) Gramin Bank of Aryavart
  - (b) Jharkhand Gramin Bank
  - (c) Narmada Jhabua Gramin Bank
  - (d) Vidharbha Konkan Gramin Bank

**(d) Joint Venture :**

- (i) Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd.

**II) क) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित एवं लेखापरीक्षकों द्वारा आश्वस्त)**

(रु. करोड़ में)

**II) a) Transactions with Related Parties (As compiled by Management and relied upon by the Auditors)**

क्र. सं. Sr. No.	मदें/ संबंधित पक्ष	Items/Related Party	सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम Associates/Joint Ventures		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार Relatives of Key Management Personnel		कुल Total	
			2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
वर्ष 2014-15 के दौरान संव्यवहार		<b>Transactions during the year 2014-15</b>								
1	प्राप्त ब्याज	Interest received	23.66	11.79	-	-	-	-	23.66	11.79
2	प्रदत्त ब्याज	Interest Paid	2.7	3.87	0.03	0.02	0.01	0.01	2.74	3.9
3	लाभांश	Dividend	9.11	9.11	-	-	-	-	9.11	9.11
4	अन्य आय	Other Income	73.73	60.48	-	-	-	-	73.73	60.48
5	सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों की बिक्री	Sale of Govt. Securities / Treasury Bills	279.19	572.92	-	-	-	-	279.19	572.92
6	सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों की खरीद	Purchase of Govt. Securities / Treasury Bills	1110.34	1815.12					1110.34	1815.12
7	कार्पोरेट बांड और अन्य मुद्रा बाजार उपकरणों की खरीद	Purchase of Corporate bonds and other money market instruments	10.37	23.54	-	-	-	-	10.37	23.54
8	जमा	Deposits	7.55	20.74	-	-	-	-	7.55	20.74
9	परिपक्व जमा	Matured Deposits	28.97	17.75	-	-	-	-	28.97	17.75
10	प्रदान किए गए ऋण	Loans Provided	1948.68	2594.25	-	-	-	-	1948.68	2594.25
11	चुकाए गए ऋण	Loans Repaid	1938.07	2232.95	-	-	-	-	1938.07	2232.95
12	एनपीए की बिक्री	Sale of NPA	7.51	-	-	-	-	-	7.51	-
यथा 31 मार्च, 2015 को बकाया		<b>Outstanding as on 31st March 2015</b>								
देनदारियाँ		Payables								
13	जमा	Deposits	85.19	54.90	0.41	0.27	0.15	0.18	85.75	55.35
14	ऋण	Loans	495.92	485.30	-	-	-	-	495.92	485.30
15	अन्य देयताएं	Other Liabilities	1.84	0.69	-	-	-	-	1.84	0.69
प्राप्तियाँ		Receivables		-	-	-	-	-	-	-
अन्य आस्तियाँ		Other Assets	7.98	5.17	-	-	-	-	7.98	5.17

ख) मुख्य प्रबंधन कार्मिक: प्रदत्तश पारिश्रमिक ( ₹ में)

b) Key Management Personnel: Remuneration paid (in ₹)

नाम	पदनाम	Name	Designation	2014-15	2013-14
श्रीमती वी.आर. अय्यर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	Smt. V. R. Iyer	Chairperson & Managing Director	26,01,414	21,82,440
श्री बि. पी. शर्मा	कार्यपालक निदेशक	Shri B. P. Sharma	Executive Director	21,50,109	19,73,716
श्री अरुण श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	Shri Arun Shrivastava	Executive Director	19,55,812	10,02,071
श्री रविन्द्र मराठे	कार्यपालक निदेशक	Shri Ravindra Marathe	Executive Director	1,13,939	NA
श्री आर.कोटीश्वरन	पूर्व-कार्यपालक निदेशक	Shri R. Koteeswaran	Ex-Executive Director	15,40,052	9,98,465

सहायक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संव्यवहार राज्य नियंत्रित होने के कारण एएस-18 के पैरा 9 की दृष्टि में प्रकटन नहीं किए गए हैं जोकि आईसीएआई द्वारा संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए जारी किए हैं जिसमें इन पार्टियों के दूसरे पक्षकारों के साथ, जो भी राज्य नियंत्रित है, संव्यवहारों को प्रकटन न करने की छूट है।

The transactions with the subsidiaries and regional rural banks, being state controlled, have not been disclosed in view of Para 9 of AS-18 on Related party disclosure issued by the ICAI exempting state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

(डी) लेखांकन मानक 19 पट्टा वित्त पोषण (मूल बैंक)

(D) AS 19 "Lease Financing" (Parent Bank)

- (i) पट्टा वित्तपोषण और इसके घटकों में बैंक के निवेश की संविदागत परिपक्वताएं जो अग्रिमों में शामिल की गई हैं का उल्लेख नीचे किया गया है:

- (i) The contractual maturities of the Parent Bank's investment in lease financing and its components, which are included in advances, are set out below:

(Amount in ₹ crore)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
क)	सकल निवेश	Gross Investments	0.22	0.22
ख)	प्राप्य पट्टा भुगतान	Lease payment receivables		
	(i) 1 वर्ष से अधिक नहीं	(i) not later than 1 year	0.02	0.00
	(ii) 1 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से अधिक नहीं	(ii) later than 1 year but not later than 5 years	0.00	0.00
	(iii) 5 वर्ष से अधिक	(iii) later than 5 years	0.20	0.22
	<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>
ग)	अनर्जित वित्त आय	Unearned finance income	0.00	0.00
घ)	निवल निवेशक	<b>Net investments [ a - c ]</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>

(ई) लेखांकन मानक 20 प्रति शेयर अर्जन

(E) AS 20 "Earnings per share"

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	Particulars	2014-2015	2013-2014
1.	आधारभूत और तनुकृत *	Basic and Diluted * (₹)	31.30	48.96

आधारभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.:

क्र. सं.	विवरण	Particulars	2014-15	2013-14
(क)	इक्विटी शेयाधारकों को प्रदान करने योग्य वर्ष के लिए निवल लाभ (₹करोड़) (ए)	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (₹ in crore) (A)	2012.91	2986.78
(ख)	इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (₹करोड़)(बी)	Weighted Average Number of Equity shares (crore) (B)	64.31	61.00
(ग)	मूलभूत प्रति शेयर आय (ए/बी) (₹)	Basic & Diluted Earnings per Share (A/B) (₹)	31.30	48.96
(घ)	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	Nominal Value per Equity Share (₹)	10.00	10.00

\* आधारभूत एवं तनुकृत ई.पी.एस. समान ही है क्योंकि मंदा संभाव्य इक्विटी शेयर नहीं है।

\*Basic and Diluted E.P.S. are same as there are no dilutive potential equity shares.

**(एफ) लेखांकन मानक 22 आय पर करों के लिए लेखांकन**

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

**(F) AS22 “Accounting for Taxes on Income”:**

The Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

क्र. सं.	विवरण	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
	<b>आस्थगित कर आस्तियां</b>	<b>Deferred Tax Assets</b>		
i)	प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	On account of timing difference towards provisions	1291.98	1301.60
ii)	अन्य	Others	130.22	126.94
	<b>कुल आस्थगित कर आस्तियां</b>	<b>Total Deferred Tax Assets</b>	<b>1422.20</b>	<b>1428.54</b>
	<b>आस्थगित कर देयता</b>	<b>Deferred Tax Liabilities</b>		
i)	स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास के कारण	On account of depreciation on fixed assets	81.20	44.72
ii)	निवेश पर मूल्यहास के कारण	On account of depreciation on investment	345.83	1514.92
iii)	प्रोदभूत ब्याज जो देय नहीं हैं के कारण	On account of interest accrued but not due	772.63	765.70
iv)	आय कर अधिनियम 1961 की कटौती यू/एस 36(01)(viii) के कारण	On account of deduction u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act 1961	750.99	550.64 *
v)	अन्य	Others	5.55	6.73
	<b>कुल आस्थगित कर देयताएं</b>	<b>Total Deferred Tax Liabilities</b>	<b>1956.20</b>	<b>2882.71</b>
	<b>निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)</b>	<b>Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)</b>	<b>(533.99)</b>	<b>(1454.17)</b>

**(जी) लेखांकन मानक 27 संयुक्त उद्यमों में निवेश की वित्तीय रिपोर्टिंग:**

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में समूह के निवेश से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की कुल राशि:

**(G) AS 27 “Financial Reporting of Interests in Joint Ventures”:**

Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group’s interest in jointly controlled entities:

(राशि ₹ करोड़ में ₹ in crore)

विवरण	Particulars	31.03.2015	31.03.2014
<b>देयताएं</b>	<b>Liabilities</b>		
पूंजी एवं आरक्षितियां	Capital & Reserves	0.00	0.00
जमा राशियां	Deposits	0.00	0.00
उधार	Borrowings	0.00	0.00
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	2635.25	2243.16
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>2635.25</b>	<b>2243.16</b>
<b>आस्तियां</b>	<b>Assets</b>		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियां	Cash and Balances with Reserve Bank of India	1.35	1.13
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	Balances with Banks and Money at call and short notice	22.07	32.16
निवेश	Investments	2461.20	1986.31
अग्रिम	Advances	3.51	1.41
अचल आस्तियां	Fixed Assets	3.15	7.00
अन्य आस्तियां	Other Assets	143.97	215.16
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>2635.25</b>	<b>2243.16</b>
<b>पूंजीगत बाध्यताएं</b>	<b>Capital Commitments</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>अन्य आकस्मिक देयताएं</b>	<b>Other Contingent Liabilities</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>आय</b>	<b>Income</b>		
अर्जित ब्याज	Interest Earned	5.08	8.62
अन्य आय	Other Income	2.80	0.00
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>7.88</b>	<b>8.62</b>
<b>व्यय</b>	<b>Expenditure</b>		
व्यय किया गया ब्याज	Interest Expended	0.00	0.00
परिचालन व्यय	Operating Expenses	3.94	33.07
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions & Contingencies	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>3.94</b>	<b>33.07</b>
<b>लाभ / (हानि)</b>	<b>Profit / (Loss)</b>	<b>3.94</b>	<b>(24.45)</b>

(एच) लेखांकन मानक 29 : प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां (मूल बैंक) :

क. देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार चढ़ाव (अन्य के प्रावधानों को निकाल कर)

(H) AS29“ Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”: (Parent Bank)

A. Movement of Provisions for liabilities (excluding provision for others)

विवरण	Particulars	विधिक मामले/आकस्मिकताएं (राशि ₹ करोड़ में ₹ in crore) Legal cases/contingencies	
		2014-15	2013-14
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	26.95	26.94
वर्ष के दौरान प्रावधान	Provided during the year	1.25	0.01
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	Amounts used during the year	-	-
अंतिम शेष	Closing Balance	28.20	26.95
बहिर्गमन का समय/अनिश्चितताएं	Timing of outflow/uncertainties	समझौते / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन Outflow on settlement / Crystallization	समझौते/ क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन Outflow on settlement / Crystallization

**ख. आकस्मिक देयताएं**

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता करने/ न्यायालय के बाहर समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तों, विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग जैसा भी मामला हो पर क्रमशः निर्भर करता है। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

11. मूल बैंक तथा अनुषंगियों के अलग वित्तीय विवरण पत्र में प्रकटन की गई अतिरिक्त सूचना जिनका समेकित वित्तीय विवरणों के सत्य तथा निष्पक्ष छवि पर कोई असर नहीं है और ऐसे मद जो महत्वपूर्ण नहीं हैं उनसे संबंधित सूचना का समेकित वित्तीय विवरण में प्रकटन नहीं किया गया है।
12. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है, वहां विगत वर्ष के आंकड़ों को, फिर से समूहित/व्यवस्थित किया गया है।

**B. Contingent Liabilities**

Such liabilities are dependent upon the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

11. Additional information disclosed in the separate financial statements of the Parent bank and the subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material, have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements.
12. Previous year's figures have been regrouped/rearranged, wherever considered necessary.

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

## REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITORS

प्रति,  
बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल  
समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

- हमने बैंक ऑफ इंडिया के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण (मूल बैंक) और अनुषंगियों और संयुक्त उद्यम, इसके बाद जिसे संयुक्त रूप से 'बीओआई ग्रुप' कहा गया है और समेकित विवरण के साथ 31 मार्च, 2015 के समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ हानि खाता और समाप्त हुए वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना की लेखा परीक्षा की है। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित पर आधारित है-
  - हमारे द्वारा लेखा परीक्षित मूल बैंक के वित्तीय विवरण,
  - अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित चार स्वदेशी अनुषंगी, एक स्वदेशी संयुक्त उद्यम, दो स्वदेशी सहायक कंपनियाँ, एक विदेशी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण, और
  - पांच विदेशी अनुषंगियों के वित्तीय विवरण, जो प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हैं, जिनकी अन्य लेखा-परीक्षकों ने समीक्षा की है, और
  - चार स्वदेशी सहायक कंपनियों के अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण

## समेकित वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

- इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व मूल बैंक के प्रबंधन का है, ये समेकित वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन और आम तौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बीओआई ग्रुप के समेकित नकदी प्रवाह का सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। इसमें डिजाइन, कार्यान्वयन और वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुति के लिए संबंधित रख-रखाव शामिल हैं, जो सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि से हुआ हो।

## लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

- हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नीति पर आवश्यकताओं का पालन करें और वित्तीय विवरण पत्र तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त हैं, इसके बारे में समुचित एश्योरेंस प्राप्त करने के लिए योजना बनायें और उसका निष्पादन करें।
- लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। चुनी गई प्रक्रिया लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरण के तात्विक अशुद्ध कथनों के मूल्यांकन का जोखिम शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखा परीक्षक ने बीओआई समूह के समेकित वित्तीय विवरण के तैयार करने और प्रस्तुति में आंतरिक नियंत्रण संबद्धता का ध्यान रखा है, जो लेखा परीक्षा के डिजाइन के लिए सही और उचित परिदृश्यक प्रस्तुत करता है और जो इन परिस्थितियों में उचित है। लेखा परीक्षा में उपयोग की गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गये लेखा अनुमानों का मूल्यांकन और साथ ही समेकित वित्तीय विवरण की संपूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन शामिल है।
- हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गये लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारी लेखा राय को उचित आधार प्रदान करते हैं।

## अभिमत

- हमारी राय और अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गये स्पष्टीकरण और अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों के विचार के आधार पर, यथा नीचे दिए गये, समेकित वित्तीय विवरण आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गये लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं।
  - समेकित तुलन-पत्र के संबंध में 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार बीओआई ग्रुप के कार्यों की स्थिति,
  - उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लाभ का समेकित लाभ और हानि खाते की स्थिति और

To

The Board of Directors of Bank of India  
Report on the Consolidated Financial Statements

- We have audited the accompanying consolidated financial statements of Bank of India ("the Parent Bank") and its subsidiaries, associates and joint ventures collectively hereinafter referred to as "BoI Group" and the consolidated financial statements comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2015, the Consolidated Statement of Profit and Loss and Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended together with a summary of significant accounting policies and other explanatory information. The consolidated financial statements are based on –
  - Financial statements of the Parent Bank audited by us;
  - Financial statements of four domestic subsidiaries, one domestic joint venture, two domestic associates and one overseas associate audited by other auditors; and
  - Financial statements of five overseas subsidiaries prepared by the Management and reviewed by other auditors specifically for consolidation purpose; and
  - Unaudited financial statements of four domestic associates.

## Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

- Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of BoI Group in accordance with accounting principles generally accepted in India; this includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

## Auditor's Responsibility

- Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.
- An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the BOI Group's preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.
- We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

## Opinion

- In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors on the financial statements of the subsidiaries as noted below, the consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India;
  - in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the BoI Group as at 31st March 2015;

ग) उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण की स्थिति

b) in the case of the Consolidated Statement of Profit and Loss, of the profit for the year ended on that date; and  
c) in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

**इस मामले का प्रभाव –**

7. हम निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :
- क) वित्तीय विवरणों की टिप्पणी नं.7 (क), एक वर्ष तक अवमानक (प्रतिभूतीकृत) के रूप में वर्गीकृत एनपीए के संबंध में प्रावधानीकरण करने हेतु लेखांकन नीति में परिवर्तन से संबंधित है जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए एनपीए हेतु ₹ 811.00 करोड़ का कम प्रावधान रहा और परिणामस्वरूप वर्ष के लिए निवल लाभ (कर का निवल) में ₹ 535.34 करोड़ की वृद्धि हुई।
- ख) टिप्पणी क्र.9(ग) वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत ₹ 232.22 करोड़ के फ्लोटिंग प्रावधान के उपयोग से संबंधित है।
- ग) टिप्पणी क्र.7(ख) कतिपय एनपीए और उनकी बिक्री से हुई हानि के संबंध में किए गए प्रावधान के आस्थगन से संबंधित है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रावधान में ₹ 709.31 करोड़ और परिचालन लागत में ₹ 403.21 करोड़ की कमी आई और जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष के लिए निवल लाभ (कर का निवल) में ₹ 734.37 करोड़ की वृद्धि हुई।
- घ) टिप्पणी क्र.7(ग) एआरसी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री से हुई हानि के आस्थगन से संबंधित है जिसके परिणाम स्वरूप परिचालन लागत में ₹ 478.91 करोड़ की कमी हुई और वर्ष के लिए निवल लाभ (कर का निवल) में ₹ 316.13 करोड़ की वृद्धि हुई।

**Emphasis of Matter**

7. We draw attention to:
- a. Note no. 7(A) to the financial statements relating to change in the accounting policy for provisioning in respect of NPAs classified as Doubtful category (Secured portion) – up to one year resulting in decrease in the provision for NPAs for the year by ₹ 811.00 Crores with consequential increase in Net profit for the year (net of tax) by ₹ 535.34 Crores.
- b. Note No. 9(c) regarding utilisation of Floating Provision of ₹ 232.22 Crores during the year as permitted by RBI
- c. Note No. 7(B) regarding the deferment of provision in respect of certain NPAs and loss on sale of certain NPAs resulting in decrease in the provision by ₹ 709.31 Crores and decrease in operating expenses by ₹ 403.21 Crores with consequential increase in Net Profit for the year (net of tax) by ₹ 734.37 Crores.
- d. Note No. 7(C) regarding the deferment of the loss on sale of financial assets to ARCs resulting in decrease in operating expenses by ₹ 478.91 Crores with consequential increase in Net Profit for the year (net of tax) by ₹ 316.13 Crores.

**अन्य मामले**

8. हमने निम्न के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की थी।
- क) वे अनुषंगियों जिनके वित्तीय विवरण यथा 31 मार्च, 2015 को कुल आस्तियाँ (निवल) ₹ 3864.88 करोड़, उसी वर्ष को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 353.48 करोड़ और निवल नकदी बाढ़ प्रवाह की राशि ₹ 225.18 करोड़ दर्शाती है,
- ख) वे संयुक्त उद्यम जिनका वित्तीय विवरण यथा 31 मार्च, 2015 को कुल आस्तियाँ (निवल) ₹ 5915.56 करोड़, उसी वर्ष को समाप्त कुल राजस्व ₹ 1998.86 करोड़ तथा निवल बाढ़ प्रवाह ₹ 20.55 करोड़ दर्शाती हैं।
- ग) उसी समाप्त वर्ष के लिए सहायक कंपनियों मूल बैंक के निवल लाभ का हिस्सा स्वरूप ₹ 266.47 करोड़ दर्शाती हैं।
- इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्टें हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई हैं और हमारी राय केवल अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।
9. हम चार सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर निर्भर हैं, जैसा कि हमें मूल बैंक के प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसके आधार पर ₹ 200.24 करोड़ के लाभ के हिस्से का समेकन में विचार किया गया है।
10. उपर्युक्त पैराग्राफ 7 और 8 में बताये गये मामलों के संबंध में हमारी राय शर्त – मुक्त नहीं है।

**Other Matters**

8. We did not audit the financial statements of –
- a) Subsidiaries, whose financial statements reflect total assets (net) of ₹ 3864.88 crores as at 31<sup>st</sup> March 2015, total revenues of ₹ 353.48 crores and net cash inflows amounting to ₹ 225.18 crores for the year then ended;
- b) Joint Ventures, whose financial statements reflect total assets (net) of ₹ 5915.56 crores as at 31<sup>st</sup> March 2015, total revenues of ₹ 1998.86 crores and net cash outflows amounting to ₹ 20.55 crores for the year then ended; and
- c) Associates reflecting share of net profit of the Parent Bank of ₹ 266.47 crores for the year then ended.
- These financial statements have been audited / reviewed by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management, and our opinion is based solely on the reports of the other auditors.
9. We have also relied on the un-audited financial statements of four associates as made available to us by the management of the Parent Bank based on which share of profit of Rs 200.24 crores have been considered in the consolidation.
10. Our opinion is not qualified in respect of the matters stated in paragraphs 7 and 8 above.

मेसर्स इसाक एंड सुरेश  
M/s. Isaac & Suresh  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 001150एस) (FRN 001150S)  
के विजय मोहन वलियतन K. Vijaya Mohan Valiathan  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 028648 M. No. 028648  
मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय M/s. J. P. Kapur & Uberai  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 000593एन) (FRN 000593N)  
दीपक मेनन Deepak Menon  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 084225 M. No. 084225

मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कंपनी  
M/s. M. M. Nissim and Co.  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 107122डब्ल्यू) (FRN 107122W)  
संजय खेमानी Sanjay Khemani  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 044577 M. No. 044577  
मेसर्स ग्रोवर लल्ला एंड मेहता M/s. Grover, Lalla & Mehta  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 002830एन) (FRN 002830N)  
अशोक ग्रोवर Ashok Grover  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 081784 M. No. 081784

मेसर्स डी. सिंह एंड कंपनी  
M/s. D. Singh & Co.  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 001351एन) (FRN 001351N)  
सिमरन सिंह Simran Singh  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 098641 M. No. 098641  
मेसर्स बी रतन एंड एसोशिएट्स M/s. B. Rattan & Associates  
सनदी लेखाकार Chartered Accountants  
(एफआरएन 011798एन) (FRN 011798N)  
रकेश कुमार Rakesh Kumar  
भागीदार Partner  
एम. क्र. 095399 M. No. 095399

दिनांक : 28 मई, 2015 / Date : 28<sup>th</sup> May, 2015

## बासेल III (स्तंभ3)– प्रकटन(समेकित) मार्च 2015

तालिका डीएफ – 1

अनुप्रयोग का कार्यक्षेत्र

समूह में शीर्ष बैंक का नाम जिस पर यह संरचना लागू होती है : बैंक ऑफ़ इंडिया

## i. गुणात्मक प्रकटन

अ. ऐसे समूह संस्थानों की सूची जो समेकन में शामिल हैं

संस्था इकाई का नाम/निगमन देश	क्या इकाई/संस्था लेखा समेकन के दायरे में समाहित है (हां/नहीं)	समेकन की विधि समझाएं	क्या इकाई समेकन के नियामक दायरे के तहत शामिल है हाँ/नहीं	समेकन की विधि समझाएं	समेकन की विधि में अंतर के कारण दें	केवल एक के समेकन के दायरे के अंतर्गत समेकित है तो कारण दें
बैंक ऑफ़ इंडिया न्यूजीलैंड लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ इंडिया (तनज़ानिया) लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया स्वदेशी टीबीके इंडोनेशिया	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई शेयर होल्डिंग लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई एक्स इन्वेस्टमेन्ट मैनेजरर्स प्रा.लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई एक्स ट्रस्टी सर्विसेस प्रा. लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
स्टार यूनिजन दार्-ईची लाईफ इन्श्यूरन्स कं. लि.	हाँ	संयुक्त उद्यम	नहीं	संयुक्त उद्यम	नहीं	पूँजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए पूँजी से काटा गया
एसटीसीआई फायनान्स लि.	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
एसआरआईसी (इंडिया) लि.	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
इंडो-जांबिया बैंक लि.	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी सह आर्यवर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी एसएच झारखंड ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी एसएच नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं

ख) लेखांकन तथा नियामक समेकन गुंजाईश दोनों के तहत समेकन में शामिल न किए जाने वाले समूह संस्थाओं की सूची-

ऐसी कोई भी समूह संस्था नहीं है जो लेखांकन और नियामक, दोनों के तहत समेकन में शामिल न हुआ हो।



(ii) मात्रात्मक प्रकटन:

(ग) ऐसे समूह संस्थाओं की सूची जो समेकन में शामिल हैं

(इकाई : सीएम/ एमएन)

संस्था का नाम/शामिल देश	संस्था की मुख्य गतिविधि	कुल बैलेंस शीट इक्विटी (कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में दिए अनुसार) (इक्विटी+रिजर्व)	कुल बैलेंस शीट आस्तियां (कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में दिए अनुसार)
बैंक ऑफ इंडिया न्यूजिलैंड लि.	बैंकिंग	2,416.6	3,848.2
बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि.	बैंकिंग	564.7	1,661.8
बैंक ऑफ इंडिया (तनज़ानिया) लि.	बैंकिंग	555.8	3,837.7
बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.	बैंकिंग	267.1	1,317.5
पीटी बैंक ऑफ इंडिया स्वदेशी टीबीके इंडोनेशिया	बैंकिंग	5,179.0	25,842.6
बीओआई शेयर होल्डिंग लि.	समाशोधन व शेयर बाजार का निपटान	258.1	277.1
बैंक ऑफ इंडिया एक्सा इन्वेस्टमेन्ट मैनेजरर्स प्रा.लि.	आस्ति प्रबंधन	595.6	658.6
बैंक ऑफ इंडिया एक्सा ट्रस्टी सर्विसेस प्रा. लि.	ट्रस्टीशिप सेवाएं	0.4	0.7
बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि.	मर्चेंट बैंकिंग	101.3	102.2
स्टार यूनिनन दार्ई-ची लाईफ इन्श्यूरन्स कं. लि.	जीवन बीमा	2,439.9	57,395.5
एसटीसीआई फायनान्स लि.		12,252.3	85,349.2
एसआरईसी (इंडिया) लि.	आस्ति वसूली कंपनी	1,303.8	1,928.5
इंडो झांबिया बैंक लि.	बैंकिंग	5,602.8	22,869.8
आरआरबी विदर्भ कोंकन ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	2,048.0	43,515.0
आरआरबी एसएच आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	12,733.5	1,54,418.5
आरआरबी एसएच झारखंड ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	1,606.5	28,527.3
आरआरबी एसएच नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	5,030.7	59,839.8

घ. विनियामक समेकन में शामिल नहीं की गई अनुषंगियों में पूंजीगत भिन्नताओं की कुल राशि, अर्थात जिनकी कटौती की जाती है:

अनुषंगियों में पूंजीगत भिन्नता नहीं है।

ङ. बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हित की समग्र राशि (उदाहरणार्थ चालू बही मूल्य) जिन्हें जोखिम आधार पर मापा जाता है:

बीमा कंपनियों के नाम/ निगमन देश	कंपनी की प्रमुख गतिविधियां	कुल बैलेंस शीट इक्विटी (कानूनी संस्था के लेखांकन बैलेंस शीट में कहे अनुसार)	कुल इक्विटी में बैंक की हिस्सेदारी का % /मतदान का अनुपात	पद्धति बनाम कटौति पद्धति प्रयोग करने पर नियामक पूंजी पर परिणामात्मक प्रभाव दर्शाएं
स्टार यूनिनन दार्ई-ची लाईफ इश्योरेंस कंपनी लि.	लाईफ इश्योरेंस	250	48%	300 करोड़ (रिस्क वेट)

च. बैंकिंग समूह के भीतर धन का हस्तांतरण या पूंजीगत नियंत्रक पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिशासित है।

तालिका डीएफ-2

पूँजीगत पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटन

क. वर्तमान तथा भावी कार्य-कलापो के समर्थन में अपनी पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन के लिए बैंक के दृष्टिकोण की संक्षेप में विवेचना।

1. बैंक ऑफ इंडिया

अपने 'जोखिम भारत आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर)' को समुचित बनाए रखने हेतु बैंक समय-समय पर अपनी पूँजीगत आवश्यकताओं का नियमित मूल्यांकन करता है। भविष्य में कारोबार वृद्धि, पूँजीगत आवश्यकताएं, नीति दिशा-निर्देश, मेक्रो आर्थिक परिदृश्य एवं जोखिम क्षमता, आदि का ध्यान रखने हेतु पूँजीगत योजना की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। सभी जोखिमों को व्यापक रूप से देखने हेतु बैंक ने आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) विकसित की है।

2. पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

विदेशी मुद्रा व्यापार चलाने के लिए, स्थानीय विनियमन का संदर्भ लें; बैंक का टियर-1 कम-से-कम IDR 1 ट्रिलियन होना चाहिए।

3. बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी) और बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि. (अनुषंगी)

पर्यवेक्षण उद्देश्य हेतु बैंक ऑफ तंजानिया (बीओटी) और बैंक ऑफ युगांडा (बीओयू) द्वारा कार्यान्वित अनुसार, बासेल समिति द्वारा विकसित दिशानिर्देशों पर आधारित तकनीक का प्रयोग करते हुए, बैंक प्रबंधन द्वारा पूँजी पर्याप्तता तथा नियामक पूँजी के प्रयोग की नियमित निगरानी की जाती है। आवश्यक सूचना तामाही आधार पर बीओटी स्थानीय विनियामक के पास दायर की जाती है।

बैंक की विनियामक पूँजी, जो इसके प्रबंधन द्वारा प्रबंधित है, वह दो टियर में विभाजित है :

टियर 1 पूँजी : - शेयर पूँजी, प्रतिधारित आय तथा प्रतिधारित आय के विनियोजन द्वारा निर्मित आरक्षितियां। टियर-1 पूँजी के परिकलन में पूर्वदत्त व्यय एवं आस्थागत प्रभार काट लिए जाते हैं।

टियर 2 पूँजी : - अर्हक गौण ऋण पूँजी, समेकित क्षतिभत्ता तथा बिक्री हेतु उपलब्ध इक्विटी लिखतों के उचित मूल्यांकन पर अप्राप्त उगाही।

4. बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगी)

पर्यवेक्षण उद्देश्य हेतु रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड (आरबीएनजेड) के दिशानिर्देशों पर आधारित नियोजित तकनीक पर पूँजी पर्याप्तता तथा नियामक पूँजी के प्रयोग की निगरानी प्रतिदिन बैंक के प्रबंधन द्वारा की जाती है। आवश्यक सूचना का प्रकटन तामाही आधार पर सामान्य प्रकटन विवरण द्वारा किया जाता है। बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रबंधित नियामक पूँजी में केवल टियर 1 पूँजी शामिल है।

टियर 1 पूँजी : शेयर पूँजी, प्रतिधारित आय तथा प्रतिधारित आय के विनियोजन द्वारा निर्मित आरक्षितियां।

5. बैंक ऑफ इंडिया (बोटस्वाना) लि.

बैंक की नियामक पूँजी, जो इसके प्रबंधन द्वारा प्रबंधित है, वह दो टियर में विभाजित है :

टियर 1 पूँजी : शेयर पूँजी, प्रतिधारित आय तथा प्रतिधारित आय के विनियोजन द्वारा निर्मित आरक्षितियां (अनुषंगी के लिए अब हानि)।

टियर 2 पूँजी : अर्हक गौण ऋण पूँजी, समेकित क्षतिभत्ता अर्थात मानक आस्तियों पर प्रावधान तथा बिक्री हेतु उपलब्ध इक्विटी लिखतों के उचित मूल्यांकन पर अप्राप्त उगाही।

	राशि मिलियन रुपयों में
(बी) ऋण जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता :	292,963.32
➤ मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	
➤ प्रतिभूतीकरण जोखिम	
(सी) बाजार जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता :	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण ;	16,009.28
➤ ब्याज दर जोखिम	7,782.91
➤ विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण को शामिल कर)	7,939.50
➤ इक्विटी जोखिम	286.88
(डी) परिचालन जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता : मूल संकेतक दृष्टिकोण मानकीकृत दृष्टिकोण (यदि लागू हो)	21,157.32
(ई) कॉमन इक्विटी टियर 1, तथा कुल और टियर 1 पूँजी अनुपात :	
शीर्ष समेकित समूह के लिए; तथा	
महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगी के लिए (किस प्रकार रुपरेखा प्रयुक्त की गई है, उसकी निर्भरता पर (स्टैण्ड अलोन या उप-समेकित)	
➤ कॉमन इक्विटी टियर 1 पूँजी (सीईटी 1)	7.59%
➤ टियर 1 पूँजी (टी 1)	8.63%
➤ कुल पूँजी अनुपात	11.22%

तालिका डीएफ-3

ऋण जोखिम : सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

क) ऋण जोखिम सहित सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता जिसमें सम्मिलित है:

➤ पिछले देय तथा अपसामान्य की परिभाषा (लेखांकन प्रयोजन हेतु)

1. बैंक ऑफ इंडिया

बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों का अनुपालन करता है, जिसका सारांश निम्नलिखित है:

1.1 अनर्जक आस्तियाँ

एक पट्टा आस्ति सहित एक आस्ति जब बैंक के लिए आय जनित नहीं करती है तब वह अनर्जक हो जाती है।

अनर्जक आस्ति (एनपीए) एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जिसमें :

- मीयादी ऋण के संबंध 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए मूलधन का ब्याज और/या किस्त अतिदेय रहता है।
- एक ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के सम्बन्ध में, नीचे दर्शाए गए अनुसार "अनियमित" हुआ खाता।
- क्रय तथा बट्टागत बिल के मामले में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहने वाले बिल।
- अल्पावधि फसलों हेतु दो फसली मौसमों के लिए, अतिदेय रहने वाले मूलधन की किस्त अथवा ब्याज।
- दीर्घावधि फसलों हेतु एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहने वाले मूलधन की किस्त अथवा उसपर ब्याज।
- दिनांक 1 फरवरी, 2006 के प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देशों के अनुसरण

में किसी प्रतिभूतिकरण लेन देन चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है तो।

- बैंक किसी भी खाते को एनपीए तभी वर्गीकृत करेगा जब ब्याज तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह से सेवित न होगा।
- बुनियादी/गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण, यदि उसे पुनः संरचित नहीं किया जाता और “मानक आस्ति” के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार (90 दिन का अतिदेय होने पर) वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने से पहले किसी भी समय एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- किसी बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुनः संरचित नहीं किया जाता और “मानक आस्ति” के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से दो वर्ष के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने में असफल रहता है तो उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- किसी गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुनः संरचित नहीं किया जाता और “मानक आस्ति” के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से छः माह के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने में असफल रहता है तो उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

### 1.2 “अनियमित” स्थिति

एक खाता तब “अनियमित” माना जाता है जब स्वीकृति सीमा/आहरण शक्ति से ज्यादा बकाया लगातार बना रहे। उन मामलों में जहाँ प्रधान परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृति सीमा/आहरण शक्ति से कम है किन्तु तुलन पत्र की तिथि तक 90 दिनों तक लगातार कोई जमा नहीं है या उस अवधि के दौरान ब्याज नामें करने की राशि न हो तो, इन खातों को “अनियमित” खाता माना जाता है।

### 1.3 “अतिदेय”

किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई राशि तब “अतिदेय” होती है जब बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

### 1.4 अनर्जक निवेश

प्रतिभूतियों के मामले में, जहाँ ब्याज/मूलधन बकाया है तथा बैंक प्रतिभूतियों पर आय नहीं पाता है तथा निवेशमूल्य में मूल्यहास हेतु यथोचित प्रावधान करता है। एक अनर्जक निवेश (एनपीआई) एक अनर्जक अग्रिम (एनपीए) की तरह है जहाँ:

- ब्याज/किस्त (परिपक्वता आगम सहित) देय है तथा 90 दिनों से अधिक तक अदत्त है।
- अधिमानी शेयरों के यथोचित परिवर्तनों सहित जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है।
- इक्विटी शेयरों के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुरूप नवीनतम तुलन पत्र के अनुपलब्धता पर किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य रु. 1 प्रति कंपनी है तो ऐसे इक्विटी शेयर अनर्जक निवेश माने जाएंगे।
- निर्गमकर्ता द्वारा यदि कोई ऋण सुविधा प्राप्त की जाती है जो बैंक की बही में अनर्जक अग्रिम है तब इस निर्गमकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश को अनर्जक अग्रिम माना जाएगा तथा विलोमत।

- डिबेन्चर/बॉड में निवेश, जिसे अग्रिम प्रकृति का समझा जाए वह निवेशों पर लागू अनर्जक अग्रिम के अध्यधीन है।

### 2.0 पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

ऋण गुणवत्ता का अभिनिर्धारण कारोबार की संभावना, ऋणी का कार्यनिष्पादन और चुकौती क्षमता जैसे तथ्यों के आधार पर किया जाता है। यह प्रत्येक अभिनिर्धारण तथ्य और घटकों तथा संबंधित ऋणी की विशिष्टताओं से संबद्ध अभिनिर्धारण तथ्यों के आधार पर किया जाता है। तदनुसार आस्तियों को चालू, विशेष उल्लेख, अवमानक, संदिग्ध और हानि प्रवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है।

“आस्तियाँ” अर्जक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों में वर्गीकृत की जाती हैं। अर्जक आस्तियाँ, राजस्व अर्जित करने के लिए किसी बैंक द्वारा निधियों का प्रावधान है। “अनर्जक आस्तियाँ” बैंक की अर्जक आस्तियों के अलावा है जिसमें हानि की संभावना है।

कोई आस्ति अनर्जक तब होती है जब वह बैंक के लिए राजस्व उत्पन्न करना बंद कर देती है। अनर्जक आस्ति ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ मूलधन और/या ब्याज 90 दिन से अधिक के लिए बकाया है।

गत देय : किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय राशि गतदेय होती है यदि उसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को नहीं किया जाता है।

1 जनवरी, 2010 को पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके ने नई लेखांकन नीति पीएसएके 50 तथा 55 के कार्यान्वयन को आरम्भ किया जो अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक आईएस 32 तथा 39 के समान है जिसके अनुसार वित्तीय आस्तियों को उचित मूल्य पर प्रस्तुत किया गया। अब हम बैंक के कोर बैंकिंग में समेकित पीएसएके परिकलन में प्रगति दर्शा रहे हैं जो प्रौद्योगिकी उन्नतीकरण के हमारे कारोबारी योजना के समान है।

मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा समीक्षित बकाया ऋण और अग्रिम निम्नानुसार वर्गीकृत किए जाएंगे:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-180	अवमानक	10%
181-270	संदिग्ध	50%
271 और ज्यादा	हानि	100%

### 3.0 बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि. एवं बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगियाँ)

अगर कोई ग्राहक या किसी वित्तीय लिखत का प्रतिपक्षी अपनी संविदागत दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पाता है तो ऋण जोखिम होता है जो बैंक के लिए वित्तीय हानि का जोखिम होता है और वह प्रमुख रूप से ग्राहकों एवं अन्य बैंकों को बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों एवं अग्रिमों तथा नामे प्रतिभूतियों में निवेश के कारण होता है।

निदेशक मंडल ने अपनी ऋण समिति को ऋण जोखिम की चूक के लिए जिम्मेदारी प्रत्यायोजित की है। ऋण समिति को रिपोर्ट करने वाला ऋण विभाग बैंक के ऋण के जोखिम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, इसमें निम्नलिखित शामिल है:-

- संपाधिक आवश्यकताओं को कवर करते हुए ऋण नीतियों का प्रतिपादन, ऋण निर्धारण, जोखिम ग्रेडिंग तथा रिपोर्टिंग, प्रलेखी तथा विधिक प्रक्रियाएं, विनियामक तथा सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन।
- ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए प्राधिकृत करने का ढाँचा स्थापित करना। बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऋण नीति द्वारा ऋण सीमाएँ शामिल होती हैं।
- ऋण जोखिम की समीक्षा एवं अभिनिर्धारण।

iv. प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम का संकेन्द्रण, भौगोलिक एवं औद्योगिक (ऋणों एवं अग्रिमों के लिए) प्रतिबंधक करना।

**3.1 गत देय एवं अनर्जक की परिभाषा (लेखांकन उद्देश्य के लिए)**

ओवरड्राफ्ट एवं अन्य ऋण सुविधा बिना विशिष्ट नियत तारीखों के गत देय माने जाएंगे यदि

- ग्राहक की उधार सीमा से अधिक हो जाए।
- ग्राहक की उधार सीमा समाप्त हो जाए।
- गणना किए गए ब्याज और अवधि के लिए नियत ब्याज को पूरा करने के लिए जमा राशियों का अपर्याप्त होना।
- बिल अनादृत कर दिए गए हों।
- बिल या खाते का भुगतान नियत तारीख पर न किया गया हो।
- ऋण जिनकी चुकौती किस्तों में की जानी होती है, समूचे रूप से गतदेय माने जाते हैं, यदि कोई भी किस्त जो देय हो चुकी है और तीस दिन या ज्यादा अवधि के लिए भुगतान नहीं की गई हो।
- बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर निम्नानुसार वर्गीकृत की जानी चाहिए:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-180	अवमानक	10%
181-270	संदिग्ध	50%
271 और अधिक	हानि	100%

**4.0 बैंक ऑफ इंडिया युगांडा -**

मात्रात्मक दृष्टिकोण में समीक्षित बकाया ऋण और अग्रिमों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाएगा।

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-179	अवमानक	20%
180-365	संदिग्ध	50%
365 और अधिक	हानि	100%

**5.0 बैंक ऑफ इंडिया (बोस्तवाना) लि.**

मात्रात्मक दृष्टिकोण में समीक्षित बकाया ऋण और अग्रिमों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाएगा :-

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
1 वर्ष	अवमानक	10%
1 वर्ष से आगे और 2 वर्ष से कम	संदिग्ध	20% + 100% से कमी
2 वर्ष से अधिक व 4 वर्ष तक	संदिग्ध	30% + 100% से कमी
4 वर्ष से अधिक	संदिग्ध	100%
271 और अधिक	हानि	100%

**ख) बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा**

**क. बैंक ऑफ इंडिया**

- एक बैंक के पोर्टफोलियों में, एक ग्राहक अथवा प्रतिपक्ष का उधार, व्यापार समझौता और अन्य वित्तीय लेन-देन के प्रतिबद्धता को पूर्ण करने की अक्षमता या अनिच्छा से अथवा ऋण नीति में वास्तविक या महसूस किए गए हास से पोर्टफोलियों के बढ़ते मूल्य की एकमुश्त चूक से हानि उत्पन्न होती है।
- इन कमियों के विरुद्ध बैंक के दीर्घावधि वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक

दृढ़ जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। ऋण जोखिम प्रबंधन में पहचान, मापन, निगरानी तथा ऋण जोखिम नियंत्रण सम्मिलित है।

- ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में सामान्य स्तर पर बैंक ने विभिन्न प्रकार के ऋण जोखिम की पहचान की है। उत्पाद/प्रक्रियाओं के स्तर पर अधिक कणिकामय पहचान होती है। नए उत्पादों/प्रक्रियाओं को आरम्भ करने से पहले विभिन्न जोखिमों का आकलन किया जाता है, जिसे जोखिम दृष्टिकोण से जोखिम रहित किया जाता है।
- ऋण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क में तीन विशिष्ट खण्डों को इसकी नीति में समाहित किया गया है जो है- नीति एवं कार्यनीति, संस्थागत ढांचा और परिचालन/प्रणाली।

**i) नीति और कार्यनीति**

बैंक संतुलित जोखिम दर्शन को अपनाता रहा है, जिससे कठिन समय में भी बैंक अपने संतुलन को बनाए रहा। यद्यपि नए तथा अनछुए क्षेत्रों के संबंध में बैंक की एक खुली नीति रही है तथा नए अवसरों को बैंक ने हमेशा पहचाना है। इस दर्शन के महत्वपूर्ण पक्षों को परिपत्रों में दर्शाया गया है तथा आवधिक तौर पर अनुदेश पुस्तिका रूप में विधिबद्ध किया गया है। लाभप्रदता, सामना किए जानेवाले विभिन्न जोखिमों के स्तर, पूँजी स्तर, बाजार परिदृश्य तथा प्रतियोगिता को दृष्टिगत रखते हुए बैंक के कारोबारी उद्देश्यों और कार्यनीतियों का निर्णय लिया जाता है। बैंक की सोच हमेशा आस्ति गुणवत्ता तथा अर्जन पर रहती है अतएव वह विवेकपूर्ण ढंग से जोखिम नियंत्रण सहित लाभप्रदता वृद्धि का मेल करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति तथा सार्थक ऋण जोखिम संबंधी नीति जैसे ऋण नीति तथा ऋण अनुप्रवर्तन नीति का अनुमोदन होता है तथा आवधिक तौर पर निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाती है। ऋण नीति अपने में विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित करती है जैसे ग्राहक, विपणन, उधार के क्षेत्रवार अभिगम, ऋण सुपुर्दगी, ऋण महत्व, ऋण अवधि, ऋण अर्जन, ऋण निर्धारण (जोखिम स्वीकार मानदंड सहित), मूल्य, ऋण मूल्यांकन, ऋण निर्धारण, ऋण जोखिम मानदंड, उद्योग मानदंड, संपार्श्विक और मार्जिन, रिशतों की समीक्षा, प्रत्यायोजन कर योजना सांविधिक तथा अन्य नियंत्रण तथा प्रलेखीकरण अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों हेतु ऋण नीति है और प्रत्येक केन्द्र की अपनी क्रेडिट नीति है जो मुख्य नीति से मेल खाती है। ऋण मामले में शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए एक अलग नीति है। इसके अतिरिक्त ऋण जोखिम की पहचान तथा निगरानी ऋण अनुप्रवर्तन नीति के अंतर्गत की जाती है। पुनर्गठन नीति, बैंक जोखिम नीति, देश जोखिम नीति तथा ऋण लेखापरीक्षा नीति भी तैयार है। निवेश समिति द्वारा अनुमोदन के बाद तथा निवेश नीति में दिए गए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश अनुबंधित होता है।

**ii) संस्थागत ढांचा**

ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य हेतु बैंक के संस्थागत ढांचे में शीर्ष स्तर पर निदेशक मंडल है जो जोखिम प्रबंधन पर व्यापक दृष्टिकोण रखता है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर कॉम) जो कि बोर्ड की उप-समिति है तथा जिसके अध्यक्ष बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं और इसके सदस्य के रूप में ऋण, बाजार और परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति के प्रमुख हैं जो ऋण जोखिम सहित समेकित जोखिम प्रबंधन की नीति और कार्यनीति निधारित करते हैं। परिचालनात्मक स्तर पर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) ऋण जोखिम का दायित्व संभालते हैं। इसके मुख्य कार्यों में बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन, बृहत आधार पर बैंक के ऋण जोखिम की निगरानी, ऋण प्रत्यायोजन, बृहत ऋण जोखिम पर विवेकपूर्ण सीमा, पोर्टफोलियों प्रबंधन आदि सहित ऋण मामलों से संबंधित सभी नीतियों का बोर्ड से अनुमोदन हेतु अनुशंसा है।

जोखिम प्रबंधन विभाग महाप्रबंधक पद के मुख्य जोखिम अधिकारी के देखरेख में कार्यरत है जो जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर बृहद आधार पर ऋण जोखिम का मापन, नियंत्रण तथा प्रबंधन करता है तथा बोर्ड/आर कॉम/सीआरएमसी द्वारा तय जोखिम मानदंडों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करता है। महाप्रबंधक के अंतर्गत कार्यरत ऋण निगरानी विभाग ऋण पोर्टफोलियों का अनुप्रवर्तन करता है, समस्याओं की पहचान है तथा कमियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋण लेखापरीक्षा कार्य द्वारा ऋण समीक्षा/ऋण लेखापरीक्षा की जाती है।

### iii) परिचालन/प्रणाली/प्रक्रिया

बैंक सक्रिय ऋण जोखिम प्रबंधन पहल करता है, जैसे ऋण प्रदान करने के लिए निरंतर एक मानकता, तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली मदों सहित सभी ऋण जोखिमों का अनुरक्षण तथा प्रलेखीकरण, आवधिक व्यक्तिगत बाध्यताधारी समीक्षा, आवधिक निरीक्षण तथा संपार्श्विक प्रबंधन प्रणाली।

ऋण जोखिम सीमा में उद्योग द्वारा बाध्यताधारी सीमा व संकेन्द्रण सीमा, ग्राहकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन हेतु प्रणाली व प्रक्रिया हेतु निगरानी तथा सीमा में बकाया नियंत्रण सम्मिलित है। ऋण विस्तार हेतु जांच तथा अधिशेष है यथा ऋण स्वीकृति से ऋण जोखिम प्रबंधन को अलग करना, सीआरएमसी द्वारा जोखिम दृष्टिकोण से नए उत्पादों तथा प्रणाली का पुनरीक्षण, बहु ऋण अनुमोदक, जोखिम निर्धारण करने की प्रणाली, ग्राहक के जोखिम ग्रेंडिंग पर आधारित कीमत सुविधाओं की प्रणाली, जोखिम दृष्टिकोण से ऋण प्रस्तावों के पुनरीक्षण हेतु ऋण जोखिम मूल्यांकन समिति, ऋण प्रक्रिया लेखापरीक्षा, स्वीकृति पूर्व संवितरण पूर्व समीक्षा तथा स्वीकृति पूर्व समीक्षा प्रणाली तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षा व जोखिम समीक्षा कार्य निवेशों हेतु प्रस्ताव ऋण जोखिम विश्लेषण, विस्तृत मूल्यांकन तथा क्रम निर्धारण के अध्यक्षीन है। प्रवेश स्तर के मामले में, न्यूनतम क्रमनिर्धारण/गुणवत्ता मानक, उद्योग, परिपक्वता, अवधि, निर्गम अनुसार मामले निवेशों हेतु विनिर्धारित किए गए हैं जिससे कि तरलता के जोखिम तथा संकेन्द्रण के विपरीत प्रभाव को कम कर सकता है। अन्य बैंकों पर सकल जोखिम पर केन्द्रीयकृत परिदृश्य प्रदान करने हेतु एक उचित फ्रेमवर्क तथा अर्धवार्षिक समीक्षा की गई है। देश के जोखिम का अनुप्रवर्तन अर्धवार्षिक आधार पर होता है।

जोखिम आस्तियों के विविधतापूर्ण पोर्टफोलियों का अनुरक्षण किया जाता है तथा पोर्टफोलियों के नियमित विश्लेषण करने की एक प्रणाली है जिससे कि जोखिम संकेन्द्रण के जोखिम नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। अनर्जक अग्रिमों के संबंध में एक संतुलित नीति प्रक्रियागत है। ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली के आरम्भ सहित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) उन्नतिशील किया गया है जिससे कि बैंक की क्षमताएं बढ़ेगी तथा तुलन पत्र में न आनेवाली अनिवाली सभी गतिविधियों के ऋण जोखिम का बैंक प्रबंधन करेगा।

### IV. ऋण जोखिम प्रबंधन/न्यूनीकरण हेतु निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया जाता है -

#### • ऋण अनुमोदित करनेवाला अधिकारी-अधिकारों का प्रत्यायोजन

बैंक में बहु स्तरीय जोखिम आधारित अनुमोदित प्रणाली वाली सुस्पष्ट प्रत्यायोजन अधिकार की योजना है जिसकी आवधिक समीक्षा की जाती है और कारोबार के वातावरण की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए जब एवं जैसा आवश्यक होता है, उसे संशोधित किया जाता है। अधिकारियों का प्रत्यायोजन उधारकर्ताओं के रेटिंग के साथ लिंक की हुई है जहां बेहतर रेटवाले ग्राहकों को उच्चतर सीमा की मंजूरी देने का अधिकार है। वित्त

मंत्रालय के अनुसार अधिकारों के प्रत्यायोजन के लिए विभिन्न प्रशासनिक स्तरों में मंजूरी प्राधिकार के साथ गाइडलाइन्स ऋण समिति बनाई गई है। वर्तमान में, महाप्रबंधक के प्रत्यायोजन अधिकार के परे आने वाले सभी ऋण प्रस्तावों में गोचर जोखिमों का ऑफ साइट मूल्यांकन किया जाए। महाप्रबंधक, जोखिम प्रबंधन विभाग( समिति का सदस्य है जिनके पास मात्रा या लाभ का लक्ष्य नहीं है। प्राप्त अनुभवों के आधार पर, महाप्रबंधक के प्रत्यायोजन अधिकारों तक के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए प्रधान कार्यालय स्तर पर एक और समिति बनाई गई है। जेडएलसीसी और एनबीजीएलसीसी में प्रस्ताव अनुमोदन के लिए आंचलिक कार्यालय में भी ऐसी समिति बनाई गई है।

#### • विवेकपूर्ण सीमाएँ

विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं के लिए ऋण/निवेश के विविध पहलुओं जैसे एकल/समूह उधारकर्ता सीमाओं के संबंध में उपयुक्त विवेकपूर्ण सीमाएँ हैं।

#### • जोखिम श्रेणी निर्धारण/मूल्य निर्धारण

काऊन्टर पार्टी के विभिन्न जोखिम घटकों के लिए एकल बिन्दु इन्डीकेटर तथा क्रेडिट तथा मूल्य निर्धारण में सहायता हेतु बैंक ने विभिन्न खण्डों में श्रेणी निर्धारण माडल आरंभ किया है।

#### • ऋण लेखा परीक्षा/ऋण समीक्षा व्यवस्था (एलआरएम)

ऋण लेखा परीक्षा/ऋण समीक्षा व्यवस्था ऋण बही की गुणवत्ता के लगातार मूल्यांकन करने और ऋण प्रबंध में गुणात्मक सुधार लाने हेतु एक प्रभावी साधन है।

#### v. विश्लेषण के माध्यम से संविभाग प्रबंधन

विभिन्न ऋण पोर्टफोलियों एवं निवेशों की समग्र संरचना और गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक उपयुक्त प्रणाली होना भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से शुरुआत के लिए बैंक ने एक सरल पोर्टफोलियों निगरानी फ्रेमवर्क प्रारंभ किया है। आगे चलकर बैंक और अधिक परिष्कृत पोर्टफोलियों प्रबंधन माडल तैयार करेगा। ₹ 10 लाख और इससे अधिक वाले खातों में रेटिंग माइग्रेशन छःमाही किया जा रहा है और बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट साफ्टवेयर (सीआरएमएस) चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। बैंक एडवांस एप्रोच को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा है।

#### vi जोखिम मापांकन

वर्तमान में ऋण जोखिम का निर्धारण जोखिम श्रेणी निर्धारण व्यक्तिशः स्तर पर करने और पोर्टफोलियो स्तर पर आस्तियों के भारांक एवं जोखिम भारांको के आधार पर रखी गई पूँजी के माध्यम से किया जाता है। 31 मार्च 2008 से प्रभावी नवीन पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल II) के अन्तर्गत बैंक ने मानक दृष्टिकोण को अपना लिया है।

#### vii जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली

सभी ऋण संबंधी नीतियाँ अनुमोदन के लिए उचित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले सीआरएमसी (जो ऋण जोखिम के लिए परिचालन स्तर की समिति है) द्वारा अनुमत की जाती है। उचित निगरानी करने के लिए विभिन्न ऋण संबंधी सूचनाएँ सीआरएमसी को प्रस्तुत की जाती है।

#### viii जोखिम समीक्षा

लेखापरीक्षा-ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली एवं साधन भी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा के अध्यक्षीन हैं।

**ख. पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)**

पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी) ने संपूर्ण जोखिम प्रबंधन को स्वीकृत लक्षित, समन्वित और सतत बनाने की आशा से जोखिम जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) तथा जोखिम प्रबंधन इकाई (आरएमयू) स्थापित की है जो परिचालन इकाई और आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई ("आंतरिक लेखा परीक्षा") से स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त आरएमसी और आरएमयू के कार्यों के कार्यान्वयन के प्रभाव की निगरानी के लिए बैंक ने जोखिम निगरानी समिति बनाई है जो सीधे बोर्ड ऑफ कमीशनर्स को उत्तरदायी है।

बैंक ऑफ इंडोनेशिया के अनुसार बैंक ने 8 (आठ) प्रकार के जोखिमों को संभाला है। ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, अनुपालन जोखिम, विधि जोखिम, जोखिम के साथ संभाव्य जोखिम वाली गतिविधियाँ जो बैंक की कारोबार निरन्तरता को खंडित करती है। जोखिम प्रकार का आकलन किसी भी कार्यात्मक गतिविधि (निहित जोखिम) और जोखिम नियंत्रण प्रणाली में निहित जोखिमों का संयोजन है।

बैंक नए ऋणों का अनुमोदन करने में चयनात्मक बरने में चयनात्मक है और नियामक द्वारा आवश्यक ऋण के प्रावधान से अधिक बनाए रखता है। संपार्श्विक आधारित उधार में, संपार्श्विक के मूल्य पर हेयरकट लगाई जाती है। बैंक को जोखिम अधिकारी निदेशक अनुपालन को रिपोर्ट करता है। जोखिम प्रबंधन इकाई (आरएमयू) ऋण अनुमोदन प्रक्रिया की देखभाल/निगरानी रखते हैं।

**ग. बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि. एवं बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगियाँ), बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि. और बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.**

मासिक आधार पर ब्याज लगाया जाना, मानक आस्तियों में संभाव्य ऋण चूक या व्यतिक्रम से निपटने का एक उपयोगी साधन बन गया है। आस्ति की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु बैंक ने निम्नलिखित नीति अपनाई है जिस पर शाखाओं को तुरंत अमल करना चाहिए और :-

- उधारकर्ता के साथ सक्रिय अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से अतिदेय या कम से कम संकटपूर्ण राशि को वसूल करना।
- अस्थायी बेमेल रोकड़ प्रवाह के मामलों में खातों में परिचालन को बनाए रखना।
- अपेक्षित नकदी प्रवाह के अनुसार चुकौती मीयाद को पुनर्निर्धारित करना।
- पुनर्चना नीति में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार नकदी प्रवाह में यदि कोई अंतर हो तो अपेक्षित नकदी प्रवाह को दृष्टिगत रखते हुए देय राशि की पुनर्चना की जाए।

एनपीए होने से पहले खातों में बैंक द्वारा उपरोक्त में एक या अधिक कार्रवाई की गई है।

विशेषकर उल्लिखित खाते/एनपीए खातों के अनुवर्तन हेतु उपाय

एनपीए की निगरानी/निवारण हेतु सामान्यतः बैंक में उपलब्ध विभिन्न उपाय नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं :-

- एनपीए होने से पहले खाता (विशेष रूप से उल्लिखित खाता)
  - आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वीकृत अवधि के अनुपालन हेतु सघन निगरानी।
  - जहाँ भी अनियमितताएँ पाई गई है वहाँ तत्परता से अनुस्मारकों का भेजा जाना।
  - एनपीए प्रवर्ग में खाते का न जाना सुनिश्चित करने हेतु तुरंत अतिदेयों की वसूली करना।
  - वित्तीय डाटा के विश्लेषण के साथ इकाई का आवधिक निरीक्षण एवं आस्ति प्रर्भा

ड. खातों को एनपीए होने से पहले प्राप्य राशियों को पुनर्संचित करना, अधिस्थगन अवधि, ब्याज

निधि एवं किश्तों के आस्थगन की वृद्धि सहित सुधारात्मक कार्रवाई।

ख) एनपीए होने के बाद खाता बैंक की प्राप्य राशियों की वसूली हेतु निम्न उपाय किए जाने चाहिए। एनपीए के समाधान हेतु निम्नलिखित उपायों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए :-

- बकाया को कम करने हेतु अर्थ सुलभ प्रतिभूतियों (टीडीआर, शेयर, मार्जिन राशि आदि) एवं गिरवी वस्तुओं का विनियोजन
- उधारकर्ताओं के सहयोग से अन्य प्रतिभूतियों का निपटान
- समझौता वार्ता के माध्यम से प्राप्य राशियों का समझौता निपटान
- अग्रिम को रीकॉल करना
- अदालत में मुकदमा दाखिल - डिब्री निष्पादन
- अंत में, प्राप्य राशियों की वसूली हेतु सभी उपाय करने के पश्चात, हम शेष प्राप्य राशियों को बड़े खाते डाल सकते हैं। एनपीए के समाधान हेतु इन सभी उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। एनपीए के समाधान हेतु इन सभी उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

**मात्रात्मक प्रकटन**

ए. कुल सकल ऋण जोखिम निम्नानुसार है:

(₹ मिलियन में )

प्रवर्ग	राशि
निधि आधारित	4,213,867.62
गैर-निधि आधारित *	867,109.08

\* व्युत्पन्न के समतुल्य क्रेडिट छोड़कर

बी. जोखिम का भौगोलिक वितरण:

	स्वदेशी	विदेशी
निधि आधारित	2,961,912.55	1,251,955.06
गैर-निधि आधारित	654,506.62	212,602.45

सी. उद्योगवार जोखिम का वितरण निम्नलिखित है :

(₹. करोड़ में)

उद्योग का नाम	निधि आधारित बकाया राशि	गैर निधि आधारित बकाया राशि
बकाया राशि		
कोयला	2,331.03	21,835.57
खदान	36,324.82	-
लौह एवं इस्पात	133,815.59	6,255.49
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	37,361.27	9,427.62
सभी इंजीनियरिंग	17,048.27	2,559.43
जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	2,457.58	2,540.67
विद्युत	210,114.75	-

उद्योग का नाम	निधि आधारित बकाया राशि	गैर निधि आधारित बकाया राशि
सूती वस्त्र उद्योग	47,444.11	5,117.70
जूट वस्त्र उद्योग	1,143.54	1,395.31
अन्य वस्त्र उद्योग	56,859.90	8,177.62
चीनी	35,523.61	1,450.80
चाय	833.18	35.16
खाद्य प्रसंस्करण	55,899.91	6,115.40
वनस्पति तेल एवं वनस्पति	11,343.00	15,951.06
तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	10,271.16	549.53
पेपर एवं पेपर उत्पाद	14,810.90	1,263.32
रबर एवं रबर उत्पाद	25,947.59	14,526.41
केमिकल, ड्राई, पेंट्स आदि	56,576.08	19,979.59
जिसमें से फर्टिलाइजर्स	9,515.80	1,448.21
जिसमें से पेट्रोकेमिकल्स	14,078.91	8,071.17
जिसमें से ड्रूज और फार्मास्युटिकल्स	19,269.12	4,757.75
सीमेंट	15,091.78	769.96
चर्म एवं चर्म उत्पाद	5,141.32	714.99
रत्न एवं आभूषण	93,941.95	15,257.20
निर्माण	33,684.68	15,708.64
पेट्रोलियम	35,407.37	15,115.84
ऑटोमोबाइल्स, ट्रक सहित	25,409.71	12,415.10
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	-	-
आधारभूत संरचना*	486,677.27	105,218.86
जिसमें से पावर	332,815.14	53,348.23
जिसमें से दूरसंचार	9,056.81	486.18
जिसमें से सड़क और पत्तन	106,312.23	28,349.16
अन्य उद्योग	84,564.53	164,860.47
शेष अन्य अग्रिम (सकल अग्रिमों सहित तुलन के लिए)	2,890,415.05	422,408.05
कुल	4,213,867.61	867,109.08

\* संरचनात्मक क्षेत्र का ऋण-जोखिम 11.55% है जो कुल निधि आधारित अग्रिमों का 5% से ज्यादा है।

\* संरचनात्मक का बिजली (पावर) 19.01% है जो कुल गैर निधि आधारित बकाया का 5% से ज्यादा है।

डी. आस्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता पैटर्न	अग्रिम*	निवेश(सकल)	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ *
अगले दिन	323,307.33	1,857.67	31,911.96
2 - 7 दिन	76,690.80	3,077.64	54,806.32
8 -14 दिन	59,847.26	911.37	39,844.40

15 - 28 दिन	107,925.93	7,977.67	73,401.20
29 दिन - 3 माह	995,256.79	28,160.57	309,743.20
3 माह - 6 माह	505,285.45	17,643.29	213,540.71
6 माह - 1 वर्ष	430,976.60	15,794.42	204,791.85
1 वर्ष - 3 वर्ष	598,772.66	201,578.88	227,550.09
3 वर्ष - 5 वर्ष	433,172.96	247,410.02	156,570.65
5 वर्ष	681,756.18	691,537.63	59,508.96
कुल...	4,212,991.96	1,215,949.16	1,371,669.34

\* आँकड़े निवल आधार पर दर्शाए गए हैं।

ई. सकल एनपीए इस प्रकार हैं -

प्रवर्ग	(₹ मिलियन में)
अवमानक	91,206.33
संदिग्ध-1	65,503.90
संदिग्ध - 2	48,277.60
संदिग्ध - 3	7,877.52
हानि	9,273.43
कुल...	222,138.78

एफ. निवल एनपीए की राशि ₹ 1,35,292.36 मिलियन है।

जी. एनपीए अनुपात निम्नानुसार है :

- सकल अग्रिमों पर सकल एनपीए : 5.39%
- निवल अग्रिमों पर निवल एनपीए : 3.36%

एच. सकल एनपीए का उतार चढ़ाव निम्नप्रकार है : (₹ मिलियन में)

	(₹ मिलियन में)
i) वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	118,200.07
ii) वर्ष के दौरान किया गया परिवर्धन	166,823.61
iii) वर्ष के दौरान की गई कटौती	62,885.20
iv) वर्षान्त में इतिशेष (i+ii-iii)	222,138.48

आई. एनपीए हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव निम्नानुसार है :

i) वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष (फ्लोटिंग प्रावधान को छोड़कर)	35,697.97
ii) वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	63,382.31
iii) अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन/बढ़े खाते में डालना	24,619.99
iv) वर्षान्त में इतिशेष (i+ii-iii)	74,460.29

जे. अनर्जक आस्ति निवेश की राशि ₹ 9,746.10 मिलियन है।

के. अनर्जक आस्ति निवेश हेतु किए गए प्रावधान की राशि ₹ 7,174.90 मिलियन है।

एल. निवेशों पर मूल्यहास हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव निम्न प्रकार है :

(₹ मिलियन में)

i) वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	9,628.80
ii) वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	2,269.70
iii) अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन/बढ़े खाते में डालना	1,449.50
iv) एक्सचेंज अंतर	(206.00)
v) वर्षान्त में इतिशेष (i+ii-iii)	10,655.00

## तालिका डीएफ-4

## ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

## गुणात्मक प्रकटीकरण

क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभागों के लिए

किसी भी परिवर्तन हेतु कारणों सहित, उपयोग की गई ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों का नाम

- ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेन्सी का उपयोग किया गया है; एवं
- बैंकिंग बही में लोक निर्गम श्रेणी निर्धारण का तुलनीय आस्तियों में अंतरण हेतु प्रयुक्त की गई प्रक्रिया का वर्णन।

## ए: बैंक ऑफ इंडिया

- 1 बैंक ने सीआरएआर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए निम्नलिखित ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों की सामान्य श्रेणी निर्धारण के उपयोग किए जाने हेतु अनुमोदन किया है। स्वदेशी दावों के लिए सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग्स, ब्रीकवर्क, एसएमईआरए एवं सीएआर तथा अनिवासी कार्पोरेट्स, विदेशी बैंकों एवं विदेशी प्रभुसत्ता पर दावों के लिए एस एंड पी, फिच एवं मूडी। एसएमई श्रेणी निर्धारण का उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।
2. इन सभी एजेन्सियों के श्रेणी निर्धारण का उपयोग, बासेल-III के अंतर्गत सीआरएआर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोणान्तर्गत, श्रेणीकरण के अधीन समस्त ऋण जोखिमों के जोखिम भार प्रयोजनार्थ किया जा रहा है। बैंकिंग बही में तुलनीय आस्तियों पर सार्वजनिक निर्गम श्रेणी निर्धारण अंतरण हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया आरबीआई की नियामक आवश्यकताओं के अनुसार है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई लोक श्रेणी निर्धारण इस प्रयोजनार्थ उपयोग की गई है। श्रेणी निर्धारण जो केवल संबद्ध श्रेणी निर्धारण एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार प्रभावी है एवं पूर्व 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार पुनरीक्षित की गई है, का उपयोग किया जाता है। विशेष दूरे पक्ष पर समस्त ऋण जोखिमों के लिए बैंक द्वारा श्रेणी निर्धारण के लिए केवल एक ही एजेन्सी का प्रयोग किया जाता है, यद्यपि इस अपवाद सहित कि जहाँ केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा ऋण जोखिमों का एक से अधिक बार श्रेणी निर्धारण किया जाता है।
3. जोखिम भार प्रयोजनार्थ पात्रता के लिए, यह सुनिश्चित किया जाता है कि, बाह्य ऋण निर्धारण पर विचार किया जाता है एवं बैंक द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण ऋण राशि के संबंध में ऋण जोखिम को प्रतिबिंबित करें। एक ही पार्टी के दूसरे पक्ष को किसी अन्य ऋण जोखिम के लिए विशिष्ट श्रेणी निर्धारण एक निर्गमकर्ता या निर्गम को विस्तारित करते समय, यह ऋण जोखिम एक्सपोजर की संपूर्ण राशि के लिए विस्तारित की जाती है, अर्थात् दोनों मूल राशि एवं ब्याज हेतु। एक कार्पोरेट समूह के अंतर्गत एक कंपनी के बाह्य निर्धारण का उपयोग जोखिम भार हेतु उसी समूह की अन्य कंपनियों के लिए नहीं होता है।
4. उन आस्तियों के लिए जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष से कम या एक वर्ष के बराबर होती है, अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का उपयोग किया जाता है, जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण प्रयोग की जाती है। नकद उधार एक्सपोजर के लिए दीर्घ अवधि श्रेणी निर्धारण ली जाती है।

5. जहाँ एक जारीकर्ता की बाह्य दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण सहित दीर्घावधि एक्सपोजर है जो 150% जोखिम भारिता का समर्थन करता है, तथा उसी काउन्टरपार्टी के सभी अमूल्यांकित दावे चाहे वह अल्पावधि की हो अथवा दीर्घावधि की हो, भी 150% जोखिम भारिता वहन करती है, सिवाय उसके जहाँ ऋण जोखिम घटाव तकनीक इन दावों के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्पावधि श्रेणी निर्धारण के मामले भी एकसमान होंगे।
6. दीर्घावधि एक्सपोजर हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भारिता का सीधा आकलन अनुमोदित रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण समनुदेशित किया जाता है। इसके विपरीत, प्रतिपक्ष का अमूल्यांकित अल्पावधि दावा उसके प्रतिपक्ष के मूल्यांकित अल्पावधि दावों पर लागू जोखिम भारिता से कम से कम एक स्तर ज्यादा जोखिम भारिता वहन करता है। बैंकों तथा निगमों के विरुद्ध मूल्यांकित सुविधा से उत्पन्न दावों हेतु जोखिम भारिता निर्गम विशिष्ट अल्पावधि मूल्यांकन जनित है जो अमूल्यांकित दीर्घावधि दावों हेतु जोखिम भारिता का समर्थन नहीं करता है।
7. यदि योग्य ऋण निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दो निर्धारण दिए जाते हैं जो विभिन्न ऋण भारिता दर्शा रहा है तो वहाँ उच्च जोखिम भारिता लागू होगा। यदि योग्य ऋण निर्धारण एजेन्सियों द्वारा तीन या उससे अधिक मूल्यांकन विभिन्न जोखिम भारिता दर्शा रहे हैं तब दो न्यूनतम जोखिम भारिता का परवर्ती मूल्यांकन संदर्भित किया जाता है तथा उन दोनों जोखिम भारिताओं में से उच्च जोखिम भारिता लागू होता है यथा द्वितीय न्यूनतम जोखिम भारिता।
8. निवेश दावे का आर डब्ल्यू चयनित ऋण निर्धारण एजेन्सी द्वारा विशिष्ट श्रेणी निर्धारण पर आधारित होता है, जहाँ एक विशिष्ट निर्धारित निर्गम में दावा एक निवेश नहीं होता है:
  - i) विशिष्ट उधार (जहाँ जोखिम भार में श्रेणी निर्धारण का आकलन, जो अमूल्यांकित दावे पर लागू से कम हो) पर लागू श्रेणी निर्धारण बैंक के केवल अनिर्धारित दावे पर लागू होती है। यदि यह दावा समरूप श्रेणी अथवा सभी दृष्टि से विशेष दर आधारित उधार से वरीय हो एवं जहाँ दर आधारित दावा लघु अवधि दायित्व होता है, को छोड़कर अनिर्धारित दावे की परिपक्वता, दर आधारित दावे की परिपक्वता के बाद न आती हो।
  - ii) यदि निर्गमकर्ता अथवा एकल निर्गम की श्रेणी निर्धारित की गई हो, जो गैर निर्धारित दावों पर लागू की जाती है, के जोखिम भार के बराबर हो अथवा उच्चतर हो, वही दूसरे पक्ष पर गैर निर्धारित दावे, वही जोखिम भार का निर्धारण किया जाता है, जैसा कि दर आधारित एक्सपोजर में लागू होता है, यदि सभी दृष्टि से यह दावा दर आधारित ऋण जोखिम से समरूप या कनिष्ठ श्रेणी का हो।

## बी: पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

देश में मौजूदा मानदंडों के अनुसार कोई भी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा क्रेडिट रेटिंग किया जाना अपेक्षित नहीं है।

## सी: बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि. बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि तथा बैंक ऑफ इंडिया (बोतस्वाना) लि.

देश में मौजूदा मानदंडों के अनुसार कोई भी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा क्रेडिट रेटिंग किया जाना अपेक्षित नहीं है। देश में कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी परिचालन /कार्यरत नहीं है।



मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रत्येक संविभाग के ऋण जोखिम आरडब्लूए का परिकलन हेतु क्रेडिट निर्धारण एजेन्सी का उपयोग केवल सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों और बैंक के प्राव्य पर लागू होती है।

**डी : बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुपंगी)**

आवश्यकतानुसार तिमाही के आधार पर सामान्य प्रकटीकरण विवरणी द्वारा ऋण जोखिम का प्रकटीकरण किया जाता है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम के कम होने के पश्चात एक्सपोजर की राशि के लिए बैंक की बकाया राशि (दर आधारित एवं गैर दर आधारित) निम्नलिखित तीन बृहत जोखिम क्षेत्रों एवं जिनकी कटौती की जाती है उन क्षेत्रों; का मात्रात्मक प्रकटीकरण किया जाता है।	
बैंक का (मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन) बीओआई सोलो का कुल ऋण (बाजार से संबद्ध तुलन पत्र मदों को छोड़कर) जोखिम के अंतर्गत वर्गीकृत प्रमुख जोखिम क्षेत्र निम्नानुसार है:-	
100% से कम जोखिम भार	₹ 4,754,403.969
100% जोखिम भार	₹ 1,614,353.45
100% से अधिक जोखिम भार	₹ 594,881.93
कटौती	

तालिका डीएफ-5

**ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन**

**गुणात्मक प्रकटन**

(क) ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकताओं में यह शामिल है:

क) ऑन एंड ऑफ बैलेन्स शीट नेटिंग के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ और बैंक द्वारा इका किस हद तक प्रयोग किया जाता है उसका संकेत ;

- संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन हेतु नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ;
- बैंक द्वारा लिए गए संपार्श्विक के प्रमुख प्रकारों का विवरण;
- गारंटी कर्ता काउंटर पार्टी के प्रमुख प्रकार और उनकी ऋण पात्रता; एवं
- लिए गए न्यूनीकरण के भीतर (बाजार अथवा ऋण) जोखिम केंद्रीकरण के बारे में सूचना

**क: बैंक ऑफ इंडिया**

1. ऋण जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन का एक अनुकूल साधन है, जो अच्छे एवं बुरे दोनों समय में राजस्व हानि से कंपनी का रक्षण करता है। बैंक उसके दैनिक परिचालनों में आने वाले ऋण जोखिम के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न पद्धति और तकनीक अपनाता है। ऐसी प्रक्रिया को ऋण जोखिम न्यूनीकरण का नाम दिया गया है और ऋण जोखिम न्यूनीकरण के कुछ तकनीक को पर्यवेक्षकों द्वारा मूल्य, मुद्रा असंतुलन और परिपक्वता असंतुलन के लिए समायोजन के पश्चात पूंजी प्रभार कटौती करने हेतु उपयोग करने की अनुमति दी गई है। नयी पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल II) के अंतर्गत पहचाने गए विभिन्न ऋण जोखिम प्रशासक (सीआरएम) निम्नानुसार है:

- (1) संपार्श्विकृत संव्यवहार
- (2) ऑन - बैलन्स शीट नेटिंग
- (3) गारंटियाँ

**2. पात्र वित्तीय संपार्श्विक**

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी संपार्श्विकों को ऋण जोखिम प्रशासक के रूप में स्वीकारा नहीं गया है। निम्नलिखित वित्तीय संपार्श्विक को स्वीकार किया गया है:

- नकदी एवं जमाराशियाँ विदेशी मुद्रा की जमाराशियों सहित
- स्वर्ण : 99.99% शुद्धता वाले बेंचमार्क सहित
- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
- किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
- जीवन बीमा पॉलिसियाँ
- ऋण प्रतिभूतियाँ - श्रेणीकृत शर्तों के अध्यक्षीन
- ऋण प्रतिभूतियाँ-गैर श्रेणीकृत, बैंकों द्वारा जारी, शर्तों के अध्यक्षीन
- म्यूचुअल फंडों की यूनिट शर्तों के अध्यक्षीन

संपार्श्विक संव्यवहारों के लिए पूंजी सहायता उपलब्ध करने हेतु कतिपय अतिरिक्त मानदंड हैं, जिनका संपार्श्विक के प्रबंधन पर प्रत्यक्ष वहन है और संपार्श्विक प्रबंधन के दौरान इस पहलू का ध्यान रखा जाता है।

**3. तुलन पत्र नेटिंग पर**

ऑन बैलेंस शीट नेटिंग को ऋणों/अग्रिमों (एक्सपोजर के रूप में माने गए) और जमाराशियों (संपार्श्विक के रूप में) तक सीमित रखा जाए, जहाँ पर दस्तावेजों के सबूतों के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार सहित बैंक का कानूनी प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्था है और जिसका नेट आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

**4. गारंटियाँ**

जहाँ प्रत्यक्ष, निर्धारित, अविकल्पी और बिना शर्त गारंटियाँ हो, बैंक पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने हेतु ऐसे ऋण संरक्षण को मान सकता है। पात्र गारंटीदाताओं/काउंटर गारंटीदाताओं की श्रेणी में ये शामिल हैं:

- शासक, शासकीय संस्था (बीआईएस, आइएमएफ, यूरोपियन सेन्ट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ-साथ कतिपय विनिर्दिष्ट एमडीबी, ईसीजीसी और सीजीटीएसएमई), बैंक और काउंटर पार्टी से अन्य निम्न जोखिम भार सहित बैंक और प्राथमिक व्यापारी;
- ए अथवा उससे बेहतर श्रेणी की अन्य संस्थाएँ

5. बैंक की सुपरिभाषित संपार्श्विक प्रबंधन नीति है जो संपार्श्विक के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित फ्रेमवर्क प्रदान करती है। यह उधार में अंतर्निहित ऋण जोखिम के न्यूनीकरण का प्रमुख घटक है। बैंक मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। मूर्त प्रतिभूतियाँ या तो भौतिक स्वरूप की होती है अथवा अन्य सामग्री प्रारूप में जैसे कि नकद मार्जिन, बैंक के पास जमाराशियाँ, स्वर्ण अथवा अन्य मूल्यवान धातु, शेयर्स, एनएससी/केवीपी/जीवन बीमा पॉलिसियाँ। अमूर्त प्रतिभूतियाँ हैं - बैंक गारंटियाँ/साख पत्र, बही ऋण, आश्रवासन पत्र, नकारात्मक पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र, अपंजीकृत प्रभार इत्यादि। उधार दिए गए धन हेतु प्रतिभूति प्राप्त करने के सामान्य तरीके हैं - बंधक, गिरवी, दृष्टिबंधक और पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र। बैंक द्वारा ऋण एक्सपोजर से सृजित की गई संपत्ति पर प्रथम प्रभार/अथवा समरूप आधार पर सामान्य नियम के अनुसार बैंक का प्रभार दर्ज किया जाए।

बैंक गारंटियाँ/साख पत्र, बही ऋण, आश्रवासन पत्र, नकारात्मक पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र, अपंजीकृत प्रभार इत्यादि। उधार दिए गए धन हेतु प्रतिभूति प्राप्त करने के सामान्य तरीके हैं - बंधक, गिरवी, दृष्टिबंधक और पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र। बैंक ऋण एक्सपोजर से सृजित की गई संपत्ति पर प्रथम प्रभार/अथवा समरूप आधार पर सामान्य नियम के अनुसार बैंक का प्रभार दर्ज किया जाए।

सामान्यतः जब भी लागू हो/अनुमत होने पर गारंटी का आग्रह किया जाए गारंटीकर्ता के प्रमुख प्रकार हैं:-

- i) केंद्र/राज्य सरकार और डीआईसीजीसी, सीजीटीएमएसई और ईसीजीसी जैसी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एजेन्सियाँ
- ii) कारपोरेट्स के प्रोमोटर/प्रमुख स्वामी
- iii) व्यक्तियों के मामले में रिश्तेदारों की व्यक्तिगत गारंटी

**6. संपार्श्विक प्रबंधन के विभिन्न पहलू इस प्रकार हैं**

संपार्श्विक को स्वीकार करने हेतु न्यूनतम शर्तें: संपार्श्विक को वैध और प्रवर्तनीय बनाने के लिए बैंक यह सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक के रूप में स्वीकार की गई आस्तियाँ बिक्री योग्य, कानूनी प्रवर्तनीय और आवश्यकता पड़ने पर उसको नियंत्रण में लिये जा सकने योग्य है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आस्ति का बाजार मूल्य सहज निर्धारण योग्य हो अथवा उसे उचित रूप से स्थापित और सत्यापित किया जा सके। आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य से संपार्श्विक के रूप में स्वीकार्य आस्तियों के प्रकार और प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली इन प्रत्येक आस्तियों के मूल्य अनुपात के अधिकतम ऋण की सूची बैंक के पास है। संपार्श्विक लेते समय बैंक सांविधिक बाध्यताओं का भी ध्यान रखता है।

**क) संपार्श्विक की वैधता**

**i) प्रवर्तनीयता;**

बैंक सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक के समर्थन में ऋण दस्तावेजीकरण सभी संबंधित क्षेत्राधिकारों में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय हो और उधारकर्ता की बाध्यताओं को विमुक्ति हेतु निर्बाध रूप से संपार्श्विक को लागू करने हेतु बैंक को अधिकार देता हो।

**ii) हक और स्वामित्व;**

बैंक हमेशा संपार्श्विक के रूप में आस्ति को स्वीकार करने से पूर्व उसके अस्तित्व तथा स्वामित्व का सत्यापन करता है और सुनिश्चित करता है कि किसी अन्य पक्ष का कथित संपार्श्विक पर कोई पूर्व दावा नहीं है। ऋण सुविधा के ड्रॉ डाउन से पूर्व ही बैंक संपार्श्विक के नियंत्रण को सुरक्षित करता है। ऋण जोखिम के प्रबंधन के सरलीकरण के लिए शीर्ष प्रबंधन को संपार्श्विक पर सूचना आवधिक रूप से दी जाती है। संपार्श्विक पर प्रभार तत्परता से, जहाँ भी लागू है, संबंधित प्राधिकारियों के पास पंजीकृत किए जाते हैं।

**ख) मूल्य अनुपात से ऋण;**

बैंक ने प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार की जाने वाली प्रमुख आस्तियों के लिए अधिकतम लोन टू वैल्यू अनुपात (मार्जिन) निर्धारित किया है। ऐसे अनुपात आस्ति के संबंधित जोखिम के आनुपातिक होते हैं और संपार्श्विक की वसूली के समय होनेवाली संभाव्य हानि के विरुद्ध पर्याप्त बफर प्रदान करते हैं।

**ग) मूल्यांकन;**

बैंक के एक्सपोजर हेतु स्वीकार की गई संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए बैंक की बोर्ड अनुमोदित नीति है जिसमें मूल्यांकन का आधार, मूल्यांकक की अर्हता और पूनर्मूल्यांकन की बारंबारता बैंक में अनुपालन हेतु निर्धारित की गई है।

**घ) संपार्श्विक को सुरक्षित रखना तथा उसमें पहुँच का नियंत्रण;**

संपार्श्विक के स्वीकारने, निगरानी अथवा सुरक्षित अभिरक्षा के अनुमोदन का प्राधिकार और उत्तरदायित्व संबंधित व्यक्तियों और विभागों को दिया गया है।

**ङ) संपार्श्विक का प्रतिस्थापन/अतिरिक्त संपार्श्विक :**

अतिरिक्त संपार्श्विक के अनुरोध की कार्यविधि का स्पष्ट दस्तावेजीकरण किया गया है।

**च) बीमा;**

सभी पात्र संपार्श्विक, जिन्हे विशेष रूप से छूट दी गई है उन्हें छोड़कर, संबंधित जोखिम हेतु बीमा द्वारा संरक्षित हैं और इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

**छ) संपार्श्विक की बिक्री;**

संपार्श्विक के समय पर परिसमापन के लिए बैंक की सुस्पष्ट और सख्त कार्यविधि है।

**ख: पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)**

संपार्श्विक मूल्यांकन हेतु पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके की नीति एवं कार्यविधि है जो बैंक ऑफ इंडोनेशिया विनियमन और बंधक ऋण हेतु राष्ट्रीय विवेक पर आधारित है। यदि संपार्श्विक का मूल्य रु.2.79 करोड़ से अधिक है तो संपार्श्विक का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाता है। संपार्श्विक के स्वरूप पर आधारित परिसमापन मूल्य की गणना की जाती है। संपार्श्विक मूल्य की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है। भूमि एवं भवन के रूप में प्रमुख रूप से संपार्श्विक स्वीकार किया जाता है। सामान्यता व्यक्तिगत एवं अन्य पक्ष गारंटी नहीं ली जाती। केंद्रीकरण हेतु उधार देने की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित की जाती है। बैंक को संपार्श्विक अथवा ऋण जोखिम शामकों की प्रमुख जोखिम की चिंता नहीं है।

**ग: बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि. और बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैण्ड) लि. (अनुषंगी)**

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों; अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टिप्रबंधक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर आदि संपार्श्विक प्राप्त किया जाता है। नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उधारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर सीमा निम्नानुसार है।

संपार्श्विक स्थिति		सीमा (कोर पूँजी के % के रूप में)
1)	संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	
क)	उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% (पूर्णतः प्रतिभूत)	25
ख)	संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	10
ग)	अप्रतिभूत	5

**ग. बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा)लि. (अनुषंगी)**

**गुणात्मक प्रगटन**

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों; अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टिप्रबंधक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर आदि संपार्श्विक प्राप्त किया जाता है। नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उधारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर निम्नानुसार है।

संपार्श्विक स्थिति		सीमा (कोर पूँजी के % के रूप में)
1)	संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	
क)	उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% (पूर्णतः प्रतिभूत)	25
ख)	संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	25
ग)	अप्रतिभूत	25

**ड. बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.**

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों, अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टिबंधक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर आदि संपार्श्विक प्राप्त किया जाता है। नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उदारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर निम्नानुसार हैं:-

संपार्श्विक स्थिति		सीमा (कोर पूंजी के % के रूप में)
1)	संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	
क)	उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% (पूर्णतः प्रतिभूत)	30
ख)	संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	30
ग)	अप्रतिभूत	30

मात्रात्मक प्रकटन :

(क)	पृथक रूप से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्सपोजर (जहां लागू के बाद ऑन ओर ऑफ बैलेन्स शीट नेटिंग ) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर की गई है : मार्जिन (हेयर कट) लागू करने के बाद। (बीओआई सोलो)	₹ 4,57,486.40 मि
(ख)	पृथक रूप से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्सपोजर (जहां लागू के बाद ऑन ओर ऑफ बैलेन्स शीट नेटिंग ) जो गारंटी/क्रेडिट व्युत्पन्न (जब कभी आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई है)द्वारा कवर की गई है। (बीओआई सोलो)	₹ 2,06,479.18 मि

तालिका डीएफ-6

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

**गुणात्मक प्रकटन**

**ए :** बैंक ऑफ इंडिया यथा 31.03.2015 बैंक का कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं था।

**बी :** पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी); बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि. और बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैण्ड) लि. (अनुषंगियों); बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा)लि.और बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.

लागू नहीं

यथा 31.03.2015 बैंक का कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं था।

तालिका डीएफ-7

**बाजार जोखिम**

**लेन-देन बही में बाजार जोखिम**

**गुणात्मक प्रकटन :**

(क) मानक दृष्टिकोण को कवर करते हुए पोर्टफोलियों को शामिल करते हुए बाजार जोखिम हेतु सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता

**ए: बैंक ऑफ इंडिया**

लेन-देन बही में बैंक निवेशों के "लेन-देन हेतु धारित" (एचएफटी) एवं "बिक्री हेतु उपलब्ध" (एएफएस) पोर्टफोलियों को धारित करता है। शेष आस्तियों-

अर्थात परिपक्वता हेतु धारित पोर्टफोलियों और अग्रिमों के अंतर्गत निवेशों को बैंकिंग बही के रूप में माना जाता है। नीचे बाजार जोखिम प्रबंधन प्रयोजन एवं नीतियों का संक्षिप्त ब्योरा दिया गया है।

**(i) कार्यनीतियाँ एवं प्रक्रियाएं :**

बाजार जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम एवं इक्विटी कीमत जोखिम की निगरानी की जाती है। बैंक वर्तमान में जिन्स (कमाडिटी) में लेन-देन नहीं कर रहा है।

**ए. चलनिधि जोखिम**

चलनिधि जोखिम की निगरानी के लिए गैप विश्लेषण का पाक्षिक आधार पर अनुपालन किया जाता है। संचयी गैप से संचयी आउटप्लो का प्रतिशत निकालने के लिए प्रूडेंसियल सीमा का उपयोग किया जाता है- 28 दिनों तक के अल्पावधि बकेट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अध्वधीन निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार उधार के लिए प्रूडेंसियल सीमाएं हैं -दैनिक एवं औसत कॉल उधार, आंतर बैंक देयताएं, खरीदी गयी नीधियां आदि के लिए काम करती। ऊँचे मूल्य की एकमुश्त जमाराशियों की निगरानी साप्ताहिक आधार पर की जाती है। अल्पावधि डायनामिक चलनिधि विवरण चलनिधि स्थिति का आकलन करने के लिए पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है जो व्यवसाय वृद्धि को ध्यान में रखकर चलती है। एक आकस्मिक निधि योजना तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गयी है। योजना का तिमाही आधार पर परीक्षण किया जाता है। चलनिधि संकट के समय और आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए यदि बाजार से निधि उठाई जानी हो तो बैंक की संभावित हानि का आकलन करने के लिए तिमाही आधार पर स्ट्रेस परीक्षण भी किया जाता है।

**बी. ब्याज दर जोखिम**

पिछले 12 माह के दौरान एवं अगले वित्तीय वर्ष तक बैंक की निवल ब्याज आय पर प्रभाव का आकलन करने के लिए गैप विश्लेषण उपयोग में लिया जाता है। बैंक अवधि गैप विश्लेषण का भी उपयोग करता है। देयताओं की अवधि के लिए प्रूडेंसियल सीमाएं नियत की गयी हैं। बैंक के निवेश पोर्टफोलियों की अवधि आधार पर निगरानी की जाती है।

एसएलआर एवं गैर एसएलआर (घरेलू) प्रूडेंसियल सीमाओं के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए वीएआर पद्धति अपनायी जाती है। वीएआर के लिए प्रूडेंसियल सीमा यह नियत की गयी है एवं दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है एवं उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट की जा रही है। दिनांकित प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश सामान्यतया हैज किए जाते हैं एवं ब्याज दर जोखिम निम्नतम है। विदेशी मुद्रा विनिमय में भी वीएआर सीमा नियत की गई है।

स्ट्रेस टेस्टिंग में इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का आकलन 200 बेसिस पाईट द्वारा बाजार दर में परिवर्तन का साँक लगाकर किया जाता है।

**सी. विदेशी विनिमय जोखिम**

बैंक ने यूएसडी के साथ अन्य मुद्राओं में एग्रीगेट गैप लिमिट नियत की है। बैंक के विभिन्न मुद्राओं में विदेशी विनिमय एक्सपोजर के लिए अधिकतम डेलाइट एवं ओवरनाइट एक्सपोजर नियत किया है। हमने अवधि वार इंडिविजुअल करेंसी वाइस गैप लिमिट भी नियत किया है इसके अलावा, नुकसान रोक सीमा, लाभ सीमा लेना एवं एकल व्यवहार सीमाएं डीलरों के फोरेक्स परिचालनों पर निगरानी रखने के लिए बनायी गयी हैं।

नेट ओपन पोजीशन हेतु प्रूडेंसियल सीमा नियत करके डेरिवेटिव संव्यवहार की निगरानी की जाती है और बकाया डेरिवेटिव पर पीवी 01 का केप रखा जाता है।

**डी. इक्विटी कीमत जोखिम**

बैंक की घरेलू निवेश नीति के इक्विटी डीलरों के लिए नुकसान रोक सीमाएं नियत की हैं। कोषागार की दैनिक सीमा, अधिकतम निवेश सीमा, इक्विटी संविभाग (ट्रेडिंग) के लिए धारण अवधि के संव्यवहारों की उच्चतम प्रबंधन को दैनिक आधार पर रिपोर्टिंग की जाती है।

**(ii) बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का ढाँचा एवं संगठन:**

जोखिम प्रबंधन बोर्ड संचालित कार्य है जिसे तीन स्तरों पर सपोर्ट किया जाता है: देखभाल करने एवं निर्देश जारी करने के लिए बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, जहाँ कहीं आवश्यक हो/जोखिम प्रबंधन नीतियां आदि अनुमोदित करने के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) जो नीति विषयों पर विचार करती है एवं एएलएम कक्ष के साथ जमीनी स्तर पर सपोर्ट प्रदान करती है। आस्ति देयता प्रबंधन समितियां विदेशी केन्द्रों में भी परिचालन में हैं।

**(iii) जोखिम रिपोर्टिंग का स्कोप एवं प्रकृति और/अथवा मापांकन प्रणाली**

स्वदेशी कारोबार के संबंध में बाजार जोखिम का प्रबंधन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है - जैसे कि मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाना-दैनिक आधार पर लेन-देन बही में निवेशों का अवधि विश्लेषण-दैनिक आधार पर वीएआर लेन-देन बही निवेश इक्विटी पोर्टफोलियों को छोड़कर-तिमाही आधार पर तरलता जोखिम/बाजार जोखिम के लिए स्ट्रेस परीक्षण करना, स्वदेशी तुलन पत्र का अवधि विश्लेषण और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर तिमाही आधार पर प्रभाव पर समीक्षा की जाती है और एएलसीओ द्वारा कार्पोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। एएलसीओ द्वारा मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की संवेदना की जाती है।

बाजार उधार लेन-देन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप तरलता जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न प्रूडेंसिएल उपाय किए गए हैं। मासिक आधार पर ढांचागत तरलता विवरण तैयार की जाती है और पाक्षिक आधार पर अल्पावधि डायनमिक तरलता विवरण तैयार की जाती है और उच्च प्रबंधन एएलसीओ को रिपोर्ट की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों की ढांचागत तरलता कार्पोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर की जा रही है।

स्ट्रेस परीक्षण एवं इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का परिणाम एएलसीओ को रिपोर्ट किया जाता है। लेन-देन बही स्थिति अवधि एवं वीएआर दैनिक आधार पर उच्चतम प्रबंधन को रिपोर्ट किया जाता है।

**(iv) हैजिंग/अथवा जोखिम कम करने के लिए नीतियां :**

आस्ति देयता प्रबंधन एवं बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित विस्तृत नीतियों का कार्यान्वयन हो रहा है जो बाजार जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न रणनीतियों एवं प्रक्रियाओं पर विस्तार से प्रकाश डालती है।

**बी: पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी )**

वाणिज्यिक बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता से संबंधित बैंक इंडोनेशिया के विनियमन के अनुसार, पूंजी पर्याप्तता अनुपात ( सीएआर) के परिकलन हेतु बाज़ार जोखिम के मापन के लिए अनिवार्य श्रेणी में बैंक शामिल नहीं है। यह इसलिए है कि बैंक विदेशी विनियम बैंक है जिसके ट्रेडिंग बुक में प्रतिभूतियों और/अथवा डेरिवेटिव संव्यवहार के रूप में वित्तीय लिखत आईडीआर 20 बिलियन (यूएसडी 1.7 मिलियन अनुमानित) से कम की रकम है।

सी: बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी) बीओआई (न्यूजीलैंड लि. (अनुषंगी), बीओआई (युगांडा) लि. और बीओआई (बोत्स्वाना) लि.

क) बाज़ार जोखिम के सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता जिसमें मानकीकृत दृष्टिकोण के संविधान भी शामिल है।

i. बाजार जोखिम: ब्याज दर, मुद्रा तथा इक्विटी उत्पाद में खुली स्थिति से बाजार जोखिम उत्पन्न होती है। बोर्ड सीमा निर्धारित करता है तथा जो स्वीकार की जा सकती है, नियमित अंतराल पर उसकी समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त दैनिक आधार पर एक्सपोजर की निगरानी की जाती है।

ii. तरलता जोखिम: ओवरनाइट जमा से नकदी संसाधन, चालू खाते, परिपक्व जमा राशियां, ऋण आहरण और गारंटियों से उपलब्ध नकद स्रोतों से दैनिक मांग के लिए तथा मार्जिन और अन्य नकद समझौतों पर मांग से बैंक को नकद आरक्षित रखना पड़ता है। ऐसे मांग की पूर्ति करने के लिए परिपक्व निधि के उपलब्ध अंश के आधार पर बोर्ड ने उनके अनुभव परसीमा निर्धारित की है और अंतर बैंक तथा अन्य उधार सुविधा के न्यूनतम स्तर पर जो मांग की अपेक्षित आहरण को कवर कर सके।

iii. ब्याज दर जोखिम- बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति तथा नकदी प्रवाह पर प्रचलित बाजार ब्याज दर में उतर चढ़ाव के परिणाम के साथ जुड़ी विभिन्न जोखिमों को उठाना पड़ता है। बैंक को जमा राशि ऋण तथा बाजार प्रवृत्ति के परिवर्तन के अनुरूप दरों को परिवर्तित करने का विवेकाधिकार है। यह उपाय ब्याज दर जोखिम को बैंक एक्सपोजर न्यूनतम रखते है।

iv. मुद्रा जोखिम : बैंक को विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव की जोखिम उठानी पड़ती है। बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में केवल जितनी आवश्यक मुद्रा की खरीदी तथा बिक्री के आधार तक शामिल रहती है। बैंक विदेशी मुद्रा वायदा बाजार में शामिल नहीं होता है और इस प्रकार जोखिम सीमित हो जाती है।

**मात्रात्मक प्रकटन**

(₹ मिलियन में)

• ब्याजदर जोखिम	7,782.91
• इक्विटी स्थिति जोखिम एवं	7,939.50
• विदेशी विनियम जोखिम	286.88

**तालिका डीएफ-8**

**परिचालनात्मक जोखिम**

**गुणात्मक प्रकटन**

साधारण गुणात्मक प्रकटन अपेक्षा के अतिरिक्त जिसके लिए बैंक अर्हता प्राप्त है उस परिचालन जोखिम पूंजी निर्धारण हेतु बैंक का (के) प्रस्ताव।

**ए: बैंक ऑफ इंडिया**

बैंक जोखिम प्रबंधन की सर्वोत्कृष्ट प्रक्रिया अपनाता है। बैंक कारोबार की विभिन्न पद्धतियों के तहत समस्त आर्थिक उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के परिचालन जोखिम का सतत निर्धारण और अभिनिर्धारण करता है। समस्त नये उत्पाद, गतिविधियाँ और प्रणालियाँ पहले नया उत्पाद समूह और फिर परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (सीओआरएम) के माध्यम से कार्यान्वित होती है। सभी नीतियां बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति ( आर.काम) द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद ही बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है मुख्य जोखिम अधिकारी, आरकॉम के निर्देशों को कार्यान्वित करते है और दिन-प्रतिदिन के परिचालन गत जोखिम प्रबंधन की देखभाल करते है।

जोखिम प्रबंधन विभाग, कारोबार परिचालन जोखिम प्रबंधकों (बीओआरएम) तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधक विशेषज्ञ (ओआरएमएस) के नज़दीकी सहयोग से कार्य करता है। बीओआरएम तथा ओआरएमएस की समिति परिचालनगत जोखिम प्रबंधन प्रभाग को आवधिक आधार पर जोखिम और नियंत्रण निर्धारण करना, हानि की रिपोर्टिंग करना तथा की रिस्क इंडिकेटर्स (केआरआई) में सहायता करता है।

अर्धवार्षिक आधार पर लॉस डेटा विश्लेषण के रूप में जोखिम रिपोर्टिंग की जाती है जिससे उच्च जोखिम प्रवणता वाले उत्पाद और कारोबार लाइन का निर्धारण किया जा सके और न्यूनीकरण उपाय अपनाए जा सके। शाखा स्तर के केआरआई को आंचलिक कार्यालय के जरिए और बैंक स्तर के केआरआई को निरीक्षण और लेखा परीक्षा विभाग, प्रधान कार्यालय द्वारा वार्षिक आधार पर ट्रैक किया जाता है।

बैसिक इंडिकेटर दृष्टिकोण द्वारा ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज की गणना की जाती है। वर्तमान में बैंक ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज के परिकलन के लिए उन्नत मापन के प्रयास अपना रहा है।

#### बी: पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (सहायक कंपनी)

कार्यों का पृथक्करण, प्रशिक्षण, स्पष्ट रूप से निर्धारित कार्यवाहियाँ, इत्यादि जैसे परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक ने श्रेष्ठ प्रक्रिया अपनाई है।

परिचालन जोखिम के प्रबंधन में, नितियों और कार्यविधियों के नियंत्रण और रूटिन पर्यवेक्षण के संदर्भ में प्रत्येक इकाई जिम्मेदार है। अपरिहार्य परिस्थितियों से बचने प्रणाली के लिए उत्पाद का विकास, प्रणाली, मानव संसाधन और “अपने ग्राहक को जानिए” से संबंधित क्षेत्र शामिल है।

परिचालन जोखिम को कम करने के लिए बैंक ने संव्यवहार प्रोसेसिंग में नियंत्रण कार्य को बढ़ा दिया है जिसमें संव्यवहार के समय के अंदर पूरा करना, लागू मानकों के अनुवाद लेखांकन पद्धति का समायोजन, ठीक ढग से रिकार्ड का अनुसरण, आस्ति तथा डेटा के लिए सुरक्षित एक्सेस क्रियान्वित करने हेतु कार्य विधि सुनिश्चित करना है। आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई का कार्य जो परिचालन गतिविधियों की नियमित जांच करती है। आवश्यक सुधार में मूल्य जोड़ रही है। बैंक परिचालन जोखिम के परिकलन के लिए बैसिक इंडिकेटर एप्रोच इन रिस्क वेटेड एसेट्स (एटीएमआर) का प्रयोग कर रही है।

बैंक में एक आंतरिक नियंत्रण इकाई भी है जो सुनिश्चित करता है कि सभी कारोबार इकाई बैंक की प्रक्रिया का और साथ ही स्थानीय सरकार के विनियमों का भी अनुपालन करते हैं।

#### सी: बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि. और बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैण्ड) लि. तथा बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि. (अनुषंगी) और बीओआई (बोत्स्वाना) लि.

परिचालनात्मक जोखिम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हानि का जोखिम है जो विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती है जो बैंक की प्रक्रिया, कार्मिक, प्रौद्योगिकी और आधार संरचना से संबद्ध है और क्रेडिट, बाजार, तरलता जोखिम छोड़कर बाह्य कारक जैसे विधिक और विनियामक जरूरतों और कारपोरेट व्यवहार के आम स्वीकृत मानकों से उत्पन्न होते हैं। परिचालनात्मक जोखिम बैंक की सभी गतिविधियों से उत्पन्न होती है।

वित्तीय हानि एवं कुल लागत प्रभावशीलता सहित बैंक की प्रतिष्ठा धूमिल होने से बचाव को संतुलित करने और नियंत्रण कार्रवाई जो पहल एवं रचनात्मकता को प्रतिवंचित करती है, से बचाव के लिए परिचालनात्मक जोखिम का प्रबंध करना बैंक का उद्देश्य है।

परिचालनात्मक जोखिम का ध्यान रखने के लिए प्रबंधन विकास एवं कार्यान्वयन हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व प्रत्येक शाखा स्तर पर वरिष्ठ प्रबंधन हेतु निर्धारित किया गया है। परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन हेतु कुल मानकों के विकास

उत्तरदायित्व में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायक हैं :-

- संव्यवहार के स्वतंत्र प्राधिकार सहित कार्य के उचित पृथक्करण की आवश्यकता;
- संव्यवहार के समाधान एवं निगरानी की आवश्यकता;
- नियामक एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं सहित अनुपालन;
- नियंत्रण एवं प्रक्रिया का प्रलेखीकरण;
- महसूस किए गए परिचालनात्मक जोखिमों के निर्धारण की आवश्यकता तथा पहचान किए गए जोखिमों का ध्यान रखने के लिए नियंत्रण एवं प्रक्रिया की पर्याप्तता;
- परिचालनात्मक हानि की रिपोर्टिंग एवं प्रस्तावित निवारणात्मक कार्रवाई की आवश्यकता;
- आकस्मिकता योजना का विकास;
- प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास;

#### तालिका डीएफ 9

#### बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

#### गुणात्मक प्रकटन

(क) साधारण गुणात्मक प्रकटन अपेक्षा में आईआरआरबीबी और प्रमुख धारणाओं के ऋण भुगतान और अ-परिपक्व जमा का परिचालन संबंधी धारणाओं का स्वरूप तथा आईआरआरबीबी मापांकन की फ्रिक्सेसि शामिल है।

#### ए: बैंक ऑफ इंडिया

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम की आम तौर पर तिमाही आधार पर गणना की जाती है। बैंकिंग बही में परिपक्वता हेतु धारित (एचटीएम) संविभाग में धारण किए सभी अग्रिम और निवेश सम्मिलित है।

कार्यनीति और प्रणालियाँ/संरचना और संगठन/जोखिम रिपोर्टिंग संबंधी व्याप्ति और स्वरूप/नितियों आदि वही है जो टेबल डीएफ-7 के तहत रिपोर्ट की गई है। आईआरआरबीबी मेजरमेंट की प्रणाली और प्रमुख धारणाएँ निम्नानुसार हैं; अग्रिमों तथा जमा राशियों, जो बैंक का 100% कारोबार कवर करती है, की शेष परिपक्वता पर नेटवर्क की शाखाओं से प्राप्त मासिक सूचना के आधार पर विभिन्न समय बकेट के साथ ब्याज दर संवेदनशील और विभिन्न आस्तियों व देयताओं की शेष परिपक्वता का ध्यान में लेते हुए संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाता है। प्रत्येक आस्ति एवं देयता की अवधि, प्रत्येक टाईम बकेट के मध्यबिंदु को परिपक्वता दिनांक के रूप में एवं औसत प्राप्ति को कूपन के रूप में तथा भुनाई प्रयोजन के लिए बाजार दर को लेकर परिचालित की जाती है। निवेशों के लिए, वास्तविक अवधि ली जाती है, जैसा कि डाटा संपूर्ण ब्योरों सहित उपलब्ध रहता है। निवेशों के संबंध में इस प्रयोग के लिए एएफएस एवं एचएफटी संविभागों को अलग रखा जाता है, जैसा कि बैंकिंग बही में आई आर आर पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

उक्त के उपयोग से, प्रत्येक बकेट के लिए देयताओं और आस्तियों की आशोधित अवधि परिकलित की जाती है और ब्याज दर में 1% से परिवर्तन के लिए उनके मूल्य पर प्रभाव माना जाता है। उसमें जोड़कर निवल स्थिति परिकलित की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि है या अन्यथा

#### धारणाएँ:

- i. समस्त टाईम बकेट और समस्त आस्तियों के लिए ब्याज दर सभी समान रूप से चालित होता है।

- ii. मांग जमा राशियों-बचत तथा चालू के संदर्भ में इसे भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसरण में स्ट्रेस परीक्षण पर विभाजित किया जाता है।
- iii. आम तौर पर, बैंक आईआरआरबीबी की गणना करते समय कूपन दर/भुनाई दर का चयन/परिपक्वता तारीख के रूप में प्रत्येक टाईम बकेट के मध्यबिंदु, को लेना आदि सहित रिज़र्व बैंक के तनाव परीक्षा संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करता है।
- iv. बीपीएलआर अग्रिमों/बेस रेट के पुनर्मूल्य निर्धारण को उसे 6 माह के बकेट में लिया गया है।

**बी: पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी) तथा बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि., बीओआई (न्यूज़िलैंड) लि. (अनुषंगी) तथा बीओआई (युगांडा) लि.**

बैंक अपनी वित्तीय स्थिति एवं नकदी प्रवाह पर बाजार ब्याज दरों के वर्तमान स्तरों में अस्थिरता के प्रभाव सहित शामिल विभिन्न जोखिमों से युक्त है। बाजार प्रवृत्ति में परिवर्तन के साथ-साथ बैंक को जमा राशियों, ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज दर में संशोधन करने का विवेकाधिकार है। इन उपायों के कारण बैंक के ब्याज दर जोखिम का क्षेत्र कम होता है।

**मात्रात्मक प्रकटन**

आईआरआरबीबी मापने के लिए प्रबंधन की प्रणाली के अनुसार उध्वमुखी और अधोमुखी रेट शॉक के लिए उपार्जन और आर्थिक मूल्य (अथवा प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संबद्ध उपाय) में वृद्धि (ह्रास), मुद्रा द्वारा खंडित (जहां कुल पण्यावर्त के 5% से अधिक पण्यावर्त होता है)

**बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम ( बीओआई सोलो)**

	कुल	जिसमें से, यूएसडी में (जहाँ कारोबार कुल कारोबार के 5% से अधिक है)
1. जोखिम पर अर्जन (एनएनआई )		
1 वर्ष के लिए 0.50% परिवर्तन	2567.41	-112.47
2. जोखिम पर इंक्रीटी का आर्थिक मूल्य		
200 बेसिक पॉइंट शॉक	7617.10	773.79
% ता के रूप में इंक्रीटी मूल्य में कमी	2.87%	2.92%

**तलिका डीएफ 10**

**प्रतिपक्षी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटन**

क) बैंक तुलन पत्र की मदों के साथ प्रतिपक्षी कारोबार के उद्देश्य से हैजिंग के लिए व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करता है। व्युत्पन्न परिचालन के जोखिम प्रबंधन के शीर्ष में वरिष्ठ कार्यपालक रहते हैं जो उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट करते हैं, यह लाइन कार्यों से स्वतंत्र है। ट्रेडिंग की स्थिति दैनंदिन आधार पर बाज़ार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है (मार्केड टू मार्केट)जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा व्युत्पन्न नीति बनाई जाती है जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम को आंकना शामिल है।

तुलन पत्र प्रबंधन के लिए हैज संव्यवहार किया जाता है जोखिमों के सही रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए उचित प्रणाली है। हैजिंग की नीति और उसकी निगरानी

की प्रक्रिया भी उसी प्रकार से है। हैज तथा गैर-हैज संव्यवहारों को रिकार्ड करने के लिए लेखांकन नीति है जिसमें आय, प्रीमियम और छूट का निर्धारण शामिल है। बकाया संविदा, प्रावधानीकरण, संमार्थिक और जोखिम न्यूनीकरण का मूल्यांकन किया जा रहा है। कंस्ट्रैट एक्सपोजर मेथोडोलॉजी (सीईएम) के अनुरूप क्रेडिट समतुल्य अथवा परिकल्पित की गई है। संभाव्य एक्सपोजर का परिकल्पन क्रेडिट कनवर्ज़न फैक्टर के साथ कल्पित मूलधन को गुणा करके किया जाता है। प्रतिस्थापन लागत सकारात्मक बाजार मूल्य है। चालू एक्सपोजर प्रतिस्थापन लागत के समान है। क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी संभाव्य एक्सपोजर और चालू एक्सपोजर का जोड़ है।

**गुणात्मक प्रकटन**

ख) संविदाओं का सकल सकारात्मक उचित मूल्य, लाभ की निवल राशि, चालू ऋण एक्सपोजर की निवल राशि, धारित संमार्थिक (प्रकार सहित यथा नकदी, सरकारी प्रतिभूतियां आदि) और निवल व्युत्पन्न ऋण एक्सपोजर । इसमें चूक वाले एक्सपोजर के लिए उपाय की रिपोर्ट अथवा सीईएम के तहत एक्सपोजर राशि भी है। ऋण व्युत्पन्न हैज की कल्पित शून्य और ऋण एक्सपोजर के प्रभार द्वारा चालू ऋण एक्सपोजर का वितरण।

ग) ऋण व्युत्पन्न संव्यवहार जो सीसीआर (कल्पित मूल्य) में एक्सपोजर सृजित करती है, संस्था के अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो के साथ प्रयोग किए गए क्रेडिट व्युत्पन्न उत्पादों के वितरण सहित उसकी मध्यवर्ती गतिविधियों के बीच पृथक किया जाता है, जिसे आगे प्रत्येक उत्पाद समूह के मध्य खरीदे और बेचे गए संरक्षण में विखंडित किया जाता है।

	(₹ मिलियन में)
कल्पित मूलधन रकम	807,279.56
संभाव्य एक्सपोजर	18,022.74
प्रतिस्थापन लागत	10,019.97
चालू एक्सपोजर	10,019.97
क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी	28,042.71
आरडब्ल्यूए	12,422.36
पूँजी प्रभार	1,118.01

मदें	कल्पित रकम	चालू ऋण एक्सपोजर	क्रेडिट समतुल्य
	(मिलियन में)	(मिलियन में)	(मिलियन में)
मुद्रा विकल्प	188.88	53.42	72.31
क्रॉस सीसीवाई ब्याज दर स्वैप	3949.06	269.57	617.70
वायदा दर करार	-	-	-
ब्याज दर भविष्य	-	-	-
ऋण चूक स्वैप	-	-	-
एकल सीसीवाई ब्याज दर स्वैप	177886.14	5922.79	8077.64
कुल	182024.08	6245.78	8767.65

तालिका डीएफ – 11

पूंजी का विन्यास

“₹ मिलियन में”

	बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट जिनका प्रयोग विनियामक समायोजन में परिवर्तन के दौरान किया जाएगा (अर्थात 1 अप्रैल 2014 से 31 दिसम्बर 2017 तक )		बासेल III के पूर्व व्यवहार के अधीन राशि	संदर्भ सं
	<b>सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत तथा आरक्षित</b>			
1	प्रत्यक्ष जारी विशेषक सामान्य शेयर पूंजी के साथ संबंधित अतिरिक्त स्टॉक (शेयर प्रीमियम )	69515.49		
2	प्रतिधारित उपार्जन	0.00		
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षितियां )	208,269.66		
4	सीईटी 1 से फेस आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर- संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू )	0		
	सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी लगाना जिसकी देखरेख 1 जनवरी 2018 तक की जाएगी			
5	अनुषंगियों द्वारा जारी और थर्ड पार्टियों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत रकम)	1679.34		
6	<b>विनियामक समायोजन के पहले सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी</b>	279464.49		
	<b>सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन</b>			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन			
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल )			
9	बंधक सर्विसिंग अधिकारों को छोड़कर अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)			
10	आस्थगित कर आस्तियां	268.95		
11	नकदी प्रवाह हैज आरक्षित			
12	अपेक्षित हानि के प्रावधान में कमी			
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ			
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानियां			
15	परिनिश्चित- लाभ पेंशन फंड निवल आस्तियां			
16	अपने शेयरों में निवेश ( रिपोर्ट की गई तुलन-पत्र में यदि पहले ही प्रदत्त पूंजी समायोजित न किया गया हो)			
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक क्रॉस-धारिता	679.28		
18	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है (10% श्रेसहोल्ड से अधिक राशि)			
19	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन (10% श्रेसहोल्ड से अधिक राशि)			
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (10% श्रेसहोल्ड से अधिक राशि)			
21	अस्थायी अंतरों से उभरे आस्थगित कर आस्तियां (10% श्रेसहोल्ड से अधिक राशि, कर देयता से संबंधित का समायोजन)			
22	15% श्रेसहोल्ड से अधिक राशि			
23	जिसमें से: वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश			
24	जिसमें से : बंधक सर्विसिंग अधिकार			
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरों से उभरे आस्थगित कर आस्तियां			
26	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन ((26ए+26बी+26सी+26डी)	0		
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों के इक्विटी पूंजी में निवेश	0		
26बी	जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों के इक्विटी पूंजी में निवेश	0		
26सी	जिसमें से: बहुलांश स्वामित्व वित्तीय संस्थाएं जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है के इक्विटी पूंजी में कमी	0		
26डी	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0		
	पूर्व बासेल III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में सामान्य इक्विटी टियर 1 पर लगाएं गए विनियामक समायोजन।			
	जिसमें से: [समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें]			

	बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट जिनका प्रयोग विनियामक समायोजन में परिवर्तन के दौरान किया जाएगा (अर्थात 1 अप्रैल 2014 से 31 दिसम्बर 2017 तक )		बासेल III के पूर्व व्यवहार के अधीन राशि	संदर्भ सं
	उदाहरण के लिए: एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर अप्राप्त हानियों को फिल्टर किया जाना (भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई संबंध नहीं)			
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें			
	जिसमें से : समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें			
27	कटौतियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टियर 1 पर लगाए गए विनियामक समायोजन			
28	<b>सामान्य इक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन</b>		948.23	
29	<b>सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)</b>		278516.26	
	<b>अतिरिक्त इक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखतें</b>			
30	प्रत्यक्ष जारी सापेक्ष अतिरिक्त टियर 1 लिखतें के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+32)		25000.00	
31	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी ऋण लिखत)			
32	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी ऋण लिखत)			
33	अतिरिक्त टियर 1 से फेज़ आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें		15486.35	
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखतें (और सीईटी 1 लिखत जो रो 5 में शामिल नहीं) (ग्रुप एटी 1 में अनुमत रकम)			
35	जिसमें से: अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें जो फेज़ आउट के अधीन है।			
36	<b>विनियामक समायोजन के पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी</b>		40486.35	
	<b>अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन</b>			
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश			
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस धारिता		1405.96	
39	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)			
40	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय स्थिति को घटाकर )		0	
41	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)			
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश			
41बी	बैंक में समेकित न किए गए बहुलांश स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी। पूर्व-बासेल III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में अतिरिक्त टियर 1 पर लगाए गए विनियामक समायोजन			
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें यथा डीटीएँ		1075.80	
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें वर्तमान समायोजन जो टियर 1 से 50% पर कटौती की जाती है)			
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें			
42	कटौतियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 में लगाए गए विनियामक समायोजन			
43	<b>अतिरिक्त टियर 1 पूंजी पर कुल विनियामक समायोजन</b>		2481.76	
44	<b>अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)</b>		38004.59	
44ए	<b>पूंजी पर्याप्तता के लिए माना गया अतिरिक्त टियर 1 पूंजी</b>		38004.59	
45	<b>टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44ए)</b>		316520.85	
	<b>टियर 2 पूंजी: लिखते एवं प्रावधान</b>			
46	प्रत्यक्ष जारी पात्र टियर 2 लिखतों के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष		15,000.00	
47	टियर 2 से फेज़ आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखत		40474.70	
48	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्ष द्वारा धारित (ग्रुप टियर 2 में अनुमत राशि) टियर 2 लिखते (और रो 5 अथवा 34 में शामिल न किए गए सीईटी 1 और एटी 1 लिखतें)			



	बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट जिनका प्रयोग विनियामक समायोजन में परिवर्तन के दौरान किया जाएगा (अर्थात 1 अप्रैल 2014 से 31 दिसम्बर 2017 तक )		बासेल III के पूर्व व्यवहार के अधीन राशि	संदर्भ सं
49	जिसमें से: फेज़ आउट के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें			
50	प्रावधान	40588.13		
51	<b>विनियामक समायोजन के पहले टियर 2 पूंजी</b>	96062.83		
	टियर 2 पूंजी: विनियामक समायोजन			
52	अपने टियर 2 लिखतों में निवेश			
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-धारिता	1047.96		
54	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है(10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)			
55	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय की स्थिति को घटाकर )	0		
56	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	11,339.07		
56ए	जिसमें से: असमेकित अनुषंगियों के टियर 2 पूंजी में निवेश			
56बी	जिसमें से: बैंक में समेकित न किए गए बहुलांश स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में कमी।			
	पूर्व बासेल खखख व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में टियर 2 पर लगाए गए विनियामक समायोजन	11399.07		
	जिसमें से: [समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें यथा वर्तमान समायोजन जो 50% पर टियर 2 से कटौती की जा रही है]			
	<b>जिसमें से: सिमायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें</b>			
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	1047.96		
58	टियर 2 पूंजी (टी 2)	95014.87		
58ए	पूंजी पर्याप्तता के लिए माना गया टियर 2 पूंजी	95014.87		
58बी	एक्सेस अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जिसे टियर 2 पूंजी माना जाता है।	0		
58सी	पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58ए+ 58बी)	95014.87		
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58सी)	411535.72		
	पूर्व बासेल III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में जोखिम भारत आस्तियां			
	जिसमें से: सिमायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें			
	<b>जिसमें से:</b>			
60	कुल जोखिम भारत आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)			
60ए	जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारत आस्तियां			
60बी	जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारत आस्तियां			
60सी	जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारत आस्तियां			
	<b>पूंजी अनुपात</b>			
61	सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में )			
62	टियर 1 (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)			
63	कुल पूंजी ( जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में )			

	बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट जिनका प्रयोग विनियामक समायोजन में परिवर्तन के दौरान किया जाएगा (अर्थात 1 अप्रैल 2014 से 31 दिसम्बर 2017 तक )		बासेल III के पूर्व व्यवहार के अधीन राशि	संदर्भ सं
64	संस्था निर्दिष्ट बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता के साथ पूंजी संतुलन और प्रतिचक्रिय बफर आवश्यकता, जोखिम धारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)			
65	जिसमें से: पूंजी संतुलन बफर आवश्यकता			
66	जिसमें से: बैंक निर्दिष्ट प्रतिचक्रिय बफर आवश्यकता			
67	जिसमें से: जी-एसआईबी बफर आवश्यकता			
68	बफर को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम धारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)			
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासेल III से भिन्न है)			
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न है )		5.00%	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न है)		6.50%	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न है)		9.00%	
	कटौती के लिए थ्रेसहोल्ड से कम रकम (जोखिम भारिता के पहले)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश			
73	वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश			
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता से घटाकर)			
75	अस्थायी अंतरो से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता से घटाकर)			
	टियर 2 में प्रावधान को शामिल करने पर लागू सीमा			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने के पहले)		40588.13	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधान शामिल करने की सीमा			
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर-2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने के पहले)			
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधान शामिल करने के लिए सीमा			
	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखत (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)			
80	फेज़ आउट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान सीमा			
81	सीमा के कारण सीईटी 1 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)			
82	फेज़ आउट व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों पर चालू सीमा		15486.35	
83	सीमा के कारण एटी 1 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)		0.00	
84	फेज़ आउट व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों पर चालू सीमा		40474.70	
85	सीमा के कारण टी 2 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)		0.00	

तालिका डीएफ-12

पूंजी की संरचना- समाधान संबंधी आवश्यकताएं

(₹ मिलियन में)

चरण -1

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलनपत्र
		यथा रिपोर्टिंग तारीख	यथा रिपोर्टिंग तारीख
ए	पूंजी एवं देयताएं		
i	प्रदत्त पूंजी	6,656.48	6,656.48
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	318,571.98	318,677.77
	अल्प संख्यक हित	1,679.34	1,679.34
	कुल पूंजी	326,907.79	327,013.59
ii	जमाराशियां	5,344,822.98	5,345,020.43
	जिसमें से : बैंकों से जमाराशियां	620,264.85	620,264.85
	जिसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां	4,724,558.12	4,724,755.58
	जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृ. उल्लेख करें)	-	-
iii	उधार	400,986.87	400,986.87
	जिसमें से : आरबीआई से	20,816.84	20,816.84
	जिसमें से : बैंकों से	19,945.71	19,945.71
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेन्सियों से	53,822.92	53,822.92
	जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें)	177,528.46	177,528.46
	जिसमें से : पूंजी लिखत	128,872.93	128,872.93
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	180,129.78	153,777.28
	कुल	6,252,847.41	6,226,798.17
बी	आस्तियां		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	274983.81	274,970.28
	बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	494405.35	494,382.12
ii	निवेश:	1231955.29	1,207,343.29
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	1064068.47	1,057,042.04
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	1754.18	11.65
	जिसमें से : शेयर	20920.51	12,188.41
	जिसमें से : डिबेंचर एवं बाँड	79926.61	77,181.99
	जिसमें से : अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियां	13269.44	14,469.44
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक कागज़ात, म्यूचुअल फण्ड इत्यादि)	52016.08	46,449.77
iii	ऋण एवं अग्रिम	4043893.52	4,043,858.44
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	295918.89	295,918.89
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	3747974.64	3747939.56
iv	अचल आस्तियां	59144.86	59,113.37
v	अन्य आस्तियां	148464.58	147,130.67
	जिसमें से : सद्दाव एवं अमूर्त आस्तियां	-	-
	जिसमें से : आस्थगित कर देयता	1344.74	1,344.74
vi	समेकन पर सद्दाव	-	-
vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	-	-
	कुल आस्तियां	6252847.42	6226798.17

चरण 2

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलन पत्र
		यथा रिपोर्टिंग तारीख	यथा रिपोर्टिंग तारीख
i	पूंजी एवं देयताएं		
	प्रदत्त पूंजी	6,656.48	6,656.48
	जिसमें से : सीईटी 1 हेतु पात्र राशि		
	जिसमें से : एटी 1 हेतु पात्र राशि		
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	318,571.98	318,677.77
	अल्प संख्यक हित	1,679.34	1,679.34
	कुल पूंजी	326,907.79	327,013.59
ii	जमाराशियां	5,344,822.98	5,345,020.43
	जिसमें से : बैंकों से जमाराशियां	620,264.85	620,264.85
	जिसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां	4,724,558.12	4,724,755.58
	जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें)	-	-
iii	उधार	400,986.87	400,986.87
	जिसमें से : आरबीआई से	20,816.84	20,816.84
	जिसमें से : बैंकों से	19,945.71	19,945.71
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेन्सियों से	53,822.92	53,822.92
	जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें)	177,528.46	177,528.46
	जिसमें से : पूंजी लिखत	128,872.93	128,872.93
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	180,129.78	153,777.28
	जिसमें से : सद्भाव से संबंधित डीटीएल		0.00
	जिसमें से : अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल		0.00
	<b>कुल</b>	<b>6,252,847.41</b>	<b>6,226,798.17</b>
बी	आस्तियां		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष	274983.81	274970.28
	बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	494405.35	494382.12
ii	निवेश:	1231955.29	1207343.29
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	1064068.47	1057042.04
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	1754.18	11.65
	जिसमें से : शेयर	20920.51	12188.41
	जिसमेंसे : डिबेंचर एवं बांड	79926.61	77181.99
	जिसमें से : अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियां	13269.44	14469.44
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक कागज़ात, म्यूचुअल फण्ड इत्यादि)	52016.08	46449.77
iii	ऋण एवं अग्रिम	4043893.52	4043858.44
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	295918.89	295918.89
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	3747974.64	3747939.56
iv	अचल आस्तियां	59144.86	59113.37
v	अन्य आस्तियां	148464.58	147130.67
	जिसमें से:सद्भाव एवं अमूर्त आस्तियां		
	जिसमें से :		
	सद्भाव		
	(अन्य अमूर्तियाँ (एमएसआरएस को छोड़कर)		
	आस्थिगत कर देयता	1344.74	1344.74
vi	समेकन पर सद्भाव		
vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष		
	<b>कुल आस्तियां</b>	<b>6252847.42</b>	<b>6226798.17</b>

चरण 3

	आम इक्विटी टियर 1 पूंजी :लिखत एवं आरक्षितियां		
		बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया विनियामक पूंजी का अंश	चरण 2 से विनियामक के समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलन पत्र के संदर्भ संख्या/पत्रों पर आधारित स्रोत
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी किए गए पात्र आम शेयर (और गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा साथ में संबंधित स्टॉक अधिशेष	69515.49	ई
2	प्रतिधारित अर्जन	0.00	
3	संचित अन्य समेकित आय (एवं अन्य आरक्षितियां)	208,269.66	
4	सीईटी 1 से फेस आउट की शर्त के अध्वधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी	0	
5	अनुबंधितों द्वारा जारी एवं थर्ड पार्टियों द्वारा धारित आम शेयर पूंजी(ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत राशि)	1679.34	
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व आम इक्विटी टियर 1 पूंजी	279464.49	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	सद्भाव (संबंधित कर देयता का निवल)		ए-सी

तालिका डीएफ-13

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया
2	यूनीक आईडेन्टिफायर(जैसे- निजी प्लेसमेंट के हेतुसीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग आईडेन्टिफायर )	INE084A09126	INE084A09134	INE084A09142	INE084A09167	INE084A09191	INE084A09225	INE084A08052
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम
	विनियामक व्यवहार							
4	संक्रामणकालीन बासेल खखख नियम	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1
5	संक्रामणकाल- उपरांत बासेल खखख नियम	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1
6	सोलो/ग्रुप/ग्रुप एवं सोलो में पात्र	सोलो और ग्रुप	सोलो और ग्रुप	सोलो और ग्रुप	सोलो और ग्रुप	सोलो और ग्रुप	सोलो और ग्रुप	सोलो और ग्रुप
7	लिखत प्रभार	सर्वकालिक ऋण	सर्वकालिक ऋण	सर्वकालिक ऋण लिखत	सर्वकालिक ऋण लिखत	सर्वकालिक ऋण लिखत	सर्वकालिक ऋण लिखत	सर्वकालिक ऋण लिखत
8	विनियात्कम पूंजी में मान्य की गई राशि (रु. मिलियन में , यथा सबसे हाल की रिपोर्टिंग तारीख)	2,800	700	1,085	2,800	2,275	2,100	2,500
9	लिखत का सममूल्य ( रु.मिलियन)	4,000	1,000	1,550	4,000	3,250	3,000	2,500
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार
11	जारी किए जाने की मूल तारीख	27.07.2007	27.09.2007	11.10.2007	10.02.2009	09.12.2009	09.09.2010	08.08.2014
12	दिनांकित या सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक
13	मूल परिपक्वता तारीख	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक
14	के पहले इश्यूअर कॉल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
15	मूल कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन	कॉल ऑपशन की तारीख	कॉल ऑपशन की तारीख	कॉल ऑपशन की तारीख	कॉल ऑपशन की तारीख	कॉल ऑपशन की तारीख	कॉल ऑपशन की तारीख	कॉल ऑपशन की तारीख 24
16	तदुपरांत की कॉल तारीखें, अगर लागू हों	वर्षगांठ पर 27.7.2017 के बाद	वर्षगांठ पर 29.9.2017 के बाद	वर्षगांठ पर 11.10.2017के बाद	वर्षगांठ पर 11.10.2017के बाद	09.12.2019 के बाद	27.7.2017 के बाद	08.08.2024 के बाद
	कॉल विकल्प तारीख	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश / कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर

18	कूपन दर और कोई संबंधित इन्डेक्स	कॉलसेपहले 10.55% कॉल के प्रयोग न होने पर 11.05% 10.55% 10	कॉल से पहले 10.45% कॉल के प्रयोग न होने पर 10.95%	कॉल से पहले 10.40% कॉल के प्रयोग न होने पर 10.90%	कॉल से पहले 8.90% कॉल के प्रयोग न होने पर 9.40%	कॉल से पहले 9.00% कॉल के प्रयोग न होने पर 9.50%	कॉल से पहले 9.05% कॉल के प्रयोग न होने पर 9.55%	प्र.व.11%
19	डिविडेन्ड स्टॉपर की उपलब्धता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
20	पूर्णतः विवेकपूर्ण, आंशिकरूप से विवेकपूर्ण या अनिवार्य	आंशिक रूप से विवेकाधीन	आंशिक रूप से विवेकाधीन	आंशिक रूप से विवेकाधीन	आंशिक रूप से विवेकाधीन	आंशिक रूप से विवेकाधीन	आंशिक रूप से विवेकाधीन	पूर्ण रूप से विवेकाधीन
21	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य किसी प्रोत्साहन की उपलब्धता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	अगर परिवर्तनीय हो तो, कन्वर्ज़न ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	अगर परिवर्तनीय हो तो, पूर्णतः या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	अगर परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	अगर परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन अनिवार्य है या वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	अगर परिवर्तनीय हो तो, किसी प्रकार के लिखत में परिवर्तन किसर जाएगा उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	अगर परिवर्तनीय हो तो, जिस लिखत में परिवर्तित होगा उसके जारीकर्ता का उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशेषता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
31	अगर राइट डाउन हो तो, राइट डाउन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पीओएनवी ट्रिगर
32	अगर राइट डाउन हो तो, पूर्णतः है या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई भी
33	अगर राइट डाउन हो तो, वह स्थायी है या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	स्थायी
34	अगर राइट डाउन हो तो, राइट अप तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	पोजीशन इन सबऑर्डिनेशन हाइरार्कि ( लिखत के प्रकार का तत्काल उल्लेख करें)	सर्वकालिक ऋण	सर्वकालिक ऋण	सर्वकालिक ऋण लिखत	सर्वकालिक ऋण लिखत	सर्वकालिक ऋण लिखत	सर्वकालिक ऋण लिखत	सर्वकालिक ऋण लिखत
36	गैर-अनुपालित पारगमन विशेषता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
37	अगर हाँ, तो कृपया गैर-कम्प्लायंट विशेषताओं का उल्लेख करें	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता	लागू नहीं

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया
2	यूनीक आईडेंटिफायर(जैसे- निजी प्लेसमेंट के हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग आईडेंटिफायर )	INE084A01016	INE084A09084	INE084A09100
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम
	विनियामक व्यवहार			
4	संक्रामणकालीन बासेल III नियम	आम इक्विटी	टियर 2	टियर 2
5	संक्रामणकाल- उपरांत बासेल खखख नियम	आम इक्विटी		
6	सोलो/ग्रूप/ग्रूप एवं सोलो में पात्र	सोलो और ग्रूप	सोलो और ग्रूप	सोलो और ग्रूप
7	लिखत प्रभार	आम शेयर	लोअर टियर 2 लिखत	लोअर टियर 2 लिखत
8	विनियामक पूंजी में मान्य की गई राशि (रु. मिलियन में , यथा सबसे हाल की रिपोर्टिंग तारीख)	6649	शून्य	400

9	लिखत का सममूल्य ( रु.मिलियन)	लागू नहीं	7,500	2,000
10	लेखांकन वर्गीकरण	इकिटी शेयर	उधार	उधार
11	जारी किए जाने की मूल तारीख	विभिन्न	16/09/2005	20/03/2006
12	दिनांकित या सर्वकालिक	सर्वकालिक	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	लागू नहीं	16/04/2015	20/06/2016
14	पर्यवेक्षी अनुमोदन के पहले इश्यूअर कॉल	नहीं	नहीं	नहीं
15	मूल कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
16	तदुपरांत की कॉल तारीखें, अगर लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन /डिविडेंड	लाभांश	कूपन	कूपन
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश /कूपन	लागू नहीं	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित इन्डेक्स	लागू नहीं	7.50%	8.00%
19	डिविडेंड स्टॉपर की उपलब्धता	लागू नहीं	हाँ	हाँ
20	पूर्णतः विवेकपूर्ण, आंशिकरूप से विवेकपूर्ण या अनिवार्य	लागू नहीं	अनिवार्य	अनिवार्य
21	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य किसी प्रोत्साहन की उपलब्धता	नहीं	नहीं	नहीं
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर संचयी	संचयी	संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	लागू नहीं	गैर -परिवर्तनीय	गैर- परिवर्तनीय
24	अगर परिवर्तनीय हो तो, कन्वर्जन ट्रिगर्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	अगर परिवर्तनीय हो तो, पूर्णतः या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	अगर परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	अगर परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन अनिवार्य है या वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	अगर परिवर्तनीय हो तो, किसी प्रकार के लिखत में परिवर्तन किसर जाएगा उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	अगर परिवर्तनीय हो तो, जिस लिखत में परिवर्तित होगा उसके जारीकर्ता का उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशेषता	नहीं	नहीं	नहीं
31	अगर राइट डाउन हो तो, राइट डाउन ट्रिगर्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	अगर राइट डाउन हो तो, पूर्णतः है या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	अगर राइट डाउन हो तो, वह स्थायी है या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	अगर राइट डाउन हो तो, राइट अप तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	पोजीशियन इन सबऑर्डिनेशन हाइरार्कि ( लिखत से तुरंत वरिष्ठ लिखत के प्रकार का उल्लेख करें।	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता और लेनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता और लेनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता और लेनदार
36	गैर-अनुपालित पारगमन विशेषता	नहीं	हाँ	हाँ
37	अगर हाँ, तो कृपया गैर-कम्प्लायंट खूबियों का उल्लेख करें	लागू नहीं	कोई हानि समावेश नहीं	कोई हानि समावेश नहीं

1	जारीकर्ता	बीओआई	बीओआई	बीओआई	बीओआई	बीओआई	बीओआई
2	विशिष्ट अभिज्ञापक(उदा. निजी स्थापन के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा ब्लूमबर्ग अभिज्ञापक)	INE084A09118	INE084A09159	INE084A09175	INE084A09183	INE084A09209	INE084A09217
3	लिखत का शासी विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि
	नियामक संसाधन						
4	परिवर्ती पूर्ण बेसल खखख नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	परिवर्ती पूर्ण बेसल खखख नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल/समूह/समूह और एकल पात्र	एकल और समूह	एकल और समूह	एकल और समूह	एकल और समूह	एकल और समूह	एकल और समूह
7	लिखत प्रकार	अपर टियर 2 पूंची लिखत	अपर टियर 2 पूंची लिखत	अपर टियर 2 पूंची लिखत	अपर टियर 2 पूंची लिखत	अपर टियर 2 पूंची लिखत	अपर टियर 2 पूंची लिखत
8	नियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि में रु मिलीयन में)	5,124	3,500	3,500	3,500	7,000	7,000
9	सममूल्य के लिखत	7,320	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000
10	वर्गीकृत लेखांकन	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	31/07/2006	16/10/2008	28/07/2009	28/08/2009	20/01/2010	11/06/2010
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	परिपक्वता की मूल तिथि	31/07/2021	16/10/2023	28/07/2024	28/08/2024	20/01/2025	10/06/2025
14	पर्यवेक्षकीय पूर्व अनुमोदन के अध्यक्षीन जारीकर्ता बोली	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

15	वैकल्पिक बोली तिथि आकस्मिक बोली तिथी तथा प्रतिदान राशि	31/07/2016	16/10/2018	28/07/2019	28/08/2019	20/01/2020	11/06/2020
16	यदि लागू हो तो, अनुवर्ती बोली तिथि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूची	9.35%	11.15%	8.45%	8.50%	8.54%	8.48%
19	लाभांश रोधक की स्थिति	हां	हां	हां	हां	हां	हां
20	पूर्ण विवेकाधीन आंशिक विवेकाधीन अथवा अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	संरचना की स्थिति अथवा अन्य प्रोत्साहन मोचन	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	संचयी	संचयी	संचयी	संचयी	संचयी	संचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतया या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, लिखत जारीकर्ता को स्पष्ट करें जिसमें यह परिवर्त होगा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	विशिष्टताओं को लिखें	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि लिख रहे हैं तो, कारण लिखें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि लिखना है तो पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि लिखना है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी लिखना है तो लेखन प्रणाली का वर्णन-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	ऋणमुक्ति में अधीनस्थ तारतम्यता की स्थिति (लिखत प्रकार को तत्काल बरिष्ठ को स्पष्ट करें)	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार
36	गैर-अनुपालित पारगमन विशिष्टताएं	हां	हां	हां	हां	हां	हां
37	यदि हां तो गैर-अनुवर्ती विशिष्टताओं को स्पष्ट करें	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया
2	विशिष्ट अभिज्ञापक(उदा.निजी स्थापन के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा ब्लूमबर्ग अभिज्ञापक)	INE084A08037	INE084A08045
3	लिखत का शासी विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि
	नियामक प्रबंध		
4	परिवर्ती पूर्ण बेसल नियम	टियर 2	टियर 2
5	परिवर्ती पूर्ण बेसल नियम	पात्रता	पात्रता
6	एकल/समूह/समूह और एकल पात्र	सोलो व ग्रुप	सोलो व ग्रुप
7	लिखत प्रकार	टियर2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत
8	नियामक पूंजी में स्वीकृत राशि( अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि में रू. मिलीयन में)	10,000	5,000
9	सममूल्य के लिखत	10,000	5,000
10	वर्गीकृत लेखांकन	ऋण	ऋण
11	जारी करने की मूल तिथि	25/09/2013	30/09/2013
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	परिपक्वता की मूल तिथि	25/09/2023	30/09/2023
14	पर्यवेक्षकीय पूर्व अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता बोली	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक बोली तिथि आकस्मिक बोली तिथी तथा प्रतिदान राशि	लागू नहीं	लागू नहीं
16	यादि लागू हो तो, अनुवर्ती बोली तिथि	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर



18	कूपन दर और कोई संबंधित सूची	9.80%	9.80%
19	लाभांश रोधक की स्थिति	हाँ	हाँ
20	पूर्ण विवेकाधीन आंशिक विवेकाधीन अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधीन	पूर्ण विवेकाधीन
21	संरचना की स्थिति अथवा अन्य प्रोत्साहन मोचन	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	असंचयी	असंचयी
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतया या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, लिखत जारीकर्ता को स्पष्ट करें जिसमें यह परिवर्तन होगा	लागू नहीं	लागू नहीं
30	विशिष्टताओं को लिखें	हाँ	हाँ
31	यदि लिख रहे हैं तो ,कारण लिखें	आरबीआई द्वारा निर्णय लिया गया	आरबीआई द्वारा निर्णय लिया गया
32	यदि लिखना है तो पूर्ण या आंशिक	आरबीआई द्वारा निर्णय लिया गया	आरबीआई द्वारा निर्णय लिया गया
33	यदि लिखना है तो स्थायी या अस्थायी	आरबीआई द्वारा निर्णय लिया गया	आरबीआई द्वारा निर्णय लिया गया
34	यदि अस्थायी लिखना है तो लेखन प्रणाली का वर्णन	लागू नहीं	लागू नहीं
35	ऋणमुक्ति में अधीनस्थ तारतम्यता की स्थिति (लिखत प्रकार को तत्काल वरिष्ठता से स्पष्ट करें)	बैंक के अन्य सभी लेनदार और देनदार बेसल III	बैंक के अन्य सभी लेनदार और देनदार बेसल III
36	गैर-अनुवर्ती परिवर्तन विशिष्टताएं	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं
37	यदि हां तो गैर -अनुवर्ती विशिष्टताओं को स्पष्ट करें	कोई हानि समावेशन की खूबी नहीं	कोई हानि समावेशन की खूबी नहीं

**तालिका डीएफ-14**

विनियामक पूंजी लिखतों के सम्पूर्ण निबंधन एवं शर्तें <http://www.bankofindia.co.in/english/BaselIII Disclosure.aspx> में उपलब्ध हैं।

## Basel III (Pillar 3) - Disclosures (Consolidated) March 2015

## Table DF - 1

## Scope of application

## Name of the top bank in the group to which the Framework applies- BANK OF INDIA

## i. Qualitative Disclosures

## a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity/Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the Method of consolidation	Whether the Entity is included under regulatory scope of consolidation yes / no)	Explain the Method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Bank of India New Zealand LTD	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India(Uganda) LTD	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India(Tanzania) LTD	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India (Botswana) LTD	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
PT Bank of India Swadeshi TBK Indonesia	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Shareholding LTD	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Axa Investment Managers PVT LTD	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Axa Trustee Services PVT LTD	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Merchant Bankers Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company LTD	Yes	Joint Venture	No	Joint Venture	NA	Deducted from capital for capital adequacy purposes
STCI Finance LTD	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
ASREC (India) LTD	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
Indo Zambia Bank LTD	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB Vidharbha Konkan Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB SH Aryavart Kshetriya Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB SH Jharkhand Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB SH Narmada Jhabua Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA

## b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no group entities that are not considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

## (ii) Quantitative Disclosures:

## (c) List of group entities considered for consolidation

(₹ Mn)

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)(Equity+Reserve)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Bank of India Newzealand LTD	Banking	2,416.6	3,848.2
Bank of India(Uganda) LTD	Banking	564.7	1,661.8
Bank of India(Tanzania) LTD	Banking	555.8	3,837.7
Bank of India (Botswana) LTD	Banking	267.1	1,317.5
PT Bank of India Swadeshi TBK Indonesia	Banking	5,179.0	25,842.6
BOI Shareholding LTD	Clearing & Settlement of Stock Exchange	258.1	277.1
BOI Axa Investment Managers PVT LTD	Assets Management	595.6	658.6
BOI Axa Trustee Services PVT LTD	Trusteeship Services	0.4	0.7
BOI Merchant Bankers Ltd	Merchant Banking services	101.3	102.2
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company LTD	Life Insurance	2,439.9	57,395.5
STCI Finance LTD		12,252.3	85,349.2
ASREC (India) LTD	Assets Recovery Company	1,303.8	1,928.5
Indo Zambia Bank LTD	Banking	5,602.8	22,869.8
RRB Vidharbha Konkan Gramin Bank	Banking	2,048.0	43,515.0
RRB SH Aryavart Kshetriya Gramin Bank	Banking	12,733.5	1,54,418.5
RRB SH Jharkhand Gramin Bank	Banking	1,606.5	28,527.3
RRB SH Narmada Jhabua Gramin Bank	Banking	5,030.7	59,839.8

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no capital deficiency in the subsidiaries.

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities /country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company LTD	Life Insurance	250	48%	300 Crore (Risk weight)

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group are as governed by RBI.

**Table DF-2**  
**Capital Adequacy**

**Qualitative disclosures**

a. A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.

**A. BANK OF INDIA**

The Bank carries out regular assessment of its Capital requirements from time to time to maintain a comfortable Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR). The capital plan is reviewed on an annual basis to take care of the future growth in business, capital requirements, policy guidelines, macro-economic scenarios, risk appetite etc. The Bank has also developed Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to comprehensively address all risks and maintain necessary additional capital.

**B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)**

Refer to the local regulation, in order to run foreign exchange business; Bank's Tier-1 should be minimum IDR 1 trillion.

**C. Bank of India (Tanzania) Ltd (Subsidiary) and Bank of India (Uganda) Ltd (subsidiary)**

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored regularly by the Bank's Management, employing techniques based on the guidelines developed by the Basel Committee, as implemented by the Bank of Tanzania (BOT) and Bank of Uganda (BOU), for supervision purposes. The required information is filed with the BOT local regulator on a quarterly basis.

The bank's regulatory capital as managed by its management is divided into two tiers:

Tier 1 capital: - Share capital, retained earnings and reserves created by appropriation of retained earnings. Prepaid expenses and deferred charges are deducted in arriving at Tier 1 Capital.

Tier 2 capital: - Qualifying subordinate loan capital, collective impairment allowances and unrealized gains arising on the fair valuation of equity instruments held as available for sale.

**D. Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiary)**

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored regularly by the Bank's Management, employing techniques based on the guidelines of the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), for supervision purposes. The required information is disclosed in General Disclosure Statement on quarterly basis. The bank's regulatory capital as managed by its management solely consists of Tier 1 Capital.

Tier 1 capital: - Share capital, retained earnings and reserves created by appropriation of retained earnings.

**E. Bank of India (Botswana) Ltd**

The bank's regulatory capital as managed by its management is divided into two tiers:

Tier 1 Capital:- Share capital, retained earnings and reserves (now loss for the subsidiary) created by appropriation of retained earnings. Prepaid expenses and deferred charges are deducted in arriving at Tier 1 Capital.

Tier 2 Capital:- Qualifying subordinate loan capital, collective impairment allowances i.e, provision on standard assets and unrealized gains arising on the fair valuation of equity instruments held as available for sale.

	Amount in ₹ Mn.
(b) Capital requirements for credit risk:	29,263.32
➤ Portfolios subject to standardised approach	
➤ Securitisation exposures	
(c) Capital requirements for market risk: Standardised duration approach;	16,009.28
➤ Interest rate risk	7,782.91
➤ Foreign exchange risk (including gold)	7,939.50
➤ Equity risk	286.88
(d) Capital requirements for operational risk: Basic Indicator Approach	
➤ The Standardised Approach (if applicable)	21,157.32
(e) Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios:	
For the top consolidated group; and	
For significant bank subsidiaries (stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied)	
➤ Common Equity Tier 1 Capital (CET 1)	7.59%
➤ Tier 1 Capital (T 1)	8.63%
➤ Total Capital Ratio	11.22%

**Table DF-3****Credit risk: General disclosures for all banks****Qualitative Disclosures**

a) **The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk, including:**

- **Definition of past due and impaired (for accounting purposes)**

**1. BANK OF INDIA**

The Bank follows Reserve Bank of India regulations, which are summed up below:

**1.1 Non-performing Assets**

An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank.

A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

- Interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- the account remains 'out of order' as indicated below, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.

- Bank should classify an account as NPA only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.
- A loan for infrastructure/non-infrastructure project will be classified as NPA during any time before commencement of commercial operations as per record of recovery (90 days overdue) unless it is restructured and becomes eligible for classification as “Standard Asset”
- A loan for an infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within two years from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as “Standard Asset”
- A loan for a non-infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within twelve months from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as “Standard Asset”.

### 1.2. ‘Out of Order’ status

An account is treated as ‘out of order’ if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as ‘out of order’.

### 1.3 Overdue

Any amount due to the bank under any credit facility is ‘overdue’ if it is not paid on the due date fixed by the bank.

### 1.4 Non Performing Investments

In respect of securities, where interest/ principal is in arrears, the Bank does not reckon income on the securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:

- Interest/ installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re.1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.
- Any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer is treated as NPI and vice versa.
- The investments in debentures / bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are subjected to NPI norms as applicable to investments.

## 2. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

The Credit Quality is assessed based on the factors such as business prospects, performance of the debtor and repayment capacity. It is undertaken depending upon the materiality and significance of each assessment factor and components and the relevance of the assessment factors and components to the characteristics of the debtor concerned. Accordingly, the assets are classified into current, special mention, sub-standard, doubtful and loss category.

“Assets” are classified into Earning Assets and Non-earning Assets. Earning Assets are provision of funds by a bank to earn revenues. “Non-Earning Assets” are assets of the Bank other than Earning Assets with potential for Loss.

An asset becomes non-performing when it ceases to generate revenue for the bank. A non-performing asset is a loan or an advance where the arrears in principal and / or interest exceed 90 days.

Past due: Any amount due to the bank under any credit facility is “past due” if it is not paid on the due date fixed by the bank.

On 1st January 2010, PT Bank of India Indonesia Tbk started implementation of the New Accounting Policy i.e. PSAK 50 & 55 which is similar to the International Accounting Standards IAS 32 & 39 according to which the financial asset must be presented at the fair value. We are now in progress to integrate PSAK calculation into bank’s core banking, which is in line with our business plan that is up-gradation technology.

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach should be classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-180	Substandard	10%
181-270	Doubtful	50%
271 and More	Loss	100%

## 3. Bank of India (Tanzania) Ltd & Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries)

Credit risk is a risk of financial loss to the bank, if a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations and arises principally from the bank’s loans and advances to customers and other banks, and investment debt securities.

The Board of Directors has delegated responsibility for the oversight of credit risk to its Credit committee. The credit department of the bank, reporting to the Credit committee is responsible for management of the bank’s credit risk, including:-

- Formulating credit policies covering collateral requirements, credit assessment, risk grading and reporting, documentary and legal procedures, and compliance with regulatory and statutory requirements.
- Establishing the authorization structure for approval and renewal of credit facilities. The credit limits are governed by the Credit policy, as approved by the board.
- Reviewing and assessing credit risks.
- Limiting concentrations of exposure to counterparties, geographies and industries (for loans and advances).

### 3.1 Definitions of past due and impaired (for accounting purposes);

Overdrafts and other credit facilities without specific due dates shall be considered past due if

- Exceeds the customer’s borrowing limit.
- Customers borrowing limit is expired.
- Deposits are insufficient to cover the interest calculated and due for the period
- Bill has been dishonored
- Bill or account is not paid on due date
- Loans which are payable in installments are considered as past due in their entirety. If any of the installments have become due and unpaid for thirty days or more.
- Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach should be classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-180	Substandard	10%
181-270	Doubtful	50%
271 and More	Loss	100%

#### 4. Bank Of India Uganda

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach should be classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-179	Substandard	20%
180-365	Doubtful	50%
365 and more	Loss	100%

#### 5. Bank of India (Botswana) Ltd.

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach should be classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
1 year	Substandard	10%
1 year & above and < 2 years	Doubtful	20%+100% of shortfall
> 2 years to 4 years	Doubtful	30%+100% of shortfall
> 4 years	Doubtful	100%
271 and More	Loss	100%

#### b) Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy

##### A. BANK OF INDIA

- In a bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions or from reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality.
- Against this backdrop a robust risk management framework is necessary for the long-term financial health of a bank. Credit Risk Management encompasses identification, measurement, monitoring and control of the credit risk exposures.
- The Bank has identified various types of credit risk at a generic level in the Credit Risk Management policy. More granular identification is done at the product /process level. Various risks are looked into before introducing new products/processes, which are cleared from the risk angle
- The Credit Risk Management framework outlined in the policy is built on three distinct building blocks namely Policy & Strategy, Organizational Set up and Operations/Systems

##### i) Policy and Strategy

The Bank has been following a conservative risk philosophy, which has steered the bank through difficult times. However the Bank has an open policy regarding new and unexplored areas and new opportunities are not lost sight of. The important aspects of this philosophy are embodied in the circulars and are periodically codified in the form of Manual of Instructions.

The business objectives and the strategy of the Bank is decided taking into account the profit considerations, the level of various risks faced, level of capital, market scenario and competition. The Bank is always conscious of its asset quality and earnings and hence judiciously matches profit maximization with risk control.

The Credit Risk Management policy and significant credit risk related policies like Credit Policy, and Credit Monitoring Policy are approved and periodically reviewed by the Board of Directors. The Credit Policy covers various areas of credit like Clientele, Marketing, Segmented Approach to Lending, Credit Delivery, Credit

Thrust, Tenure of Credit, Credit Acquisition, Risk Rating (including risk acceptance criteria), Pricing, Credit appraisal, Assessment of Limits, Exposure Norms, Industry Norms, Collateral and Margins, Review of Relationship, Scheme of Delegation, Statutory and other Restrictions and Documentation. Credit Policy for International Operations is in place and each center has its own credit policy dovetailed to the main policy. The delegation of powers for credit matters is covered by a separate policy. In addition Credit Risk is tracked and monitored as per the Credit Monitoring Policy, Restructuring Policy, Write Off and Recovery Policy, Asset Classification and Provisioning Policy, Bank Exposure Policy, Country Risk policy and Credit Audit Policy are also in place. Investments are contracted as per the policy guidelines laid down in the Investment Policy and after clearance by the Investment Committee.

##### ii) Organizational Set up

The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex levels that have the overall oversight of management of risks. The Risk Management Committee of the Board (R. Com) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman & Managing Director and whose members also include heads of Credit, Market & Operational Risk Management Committees, devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk. At the operational level the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main functions includes implementation of credit risk management policy approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit matters including delegation of credit, prudential limits on large credit exposures, portfolio management, etc.

The Risk Management Department headed by the Chief Risk Officer of General Manager rank, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/R. Com/M. Com. The Credit Monitoring Department headed by a General Manager, monitors the quality of loan portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

##### iii) Operations/Systems/Processes

The Bank has proactive Credit Risk Management practices like consistent standards for the credit origination, maintenance and documentation for all credit exposures including off balance sheet items, periodic individual obligor reviews, periodic inspections and collateral management systems.

Credit risk limits including obligor limits and concentration limits by industry, systems and procedures for monitoring financial performance of customers and for controlling outstanding within limits are followed. Checks and balances are in place for extension of credit viz. separation of credit risk management from credit sanction, vetting of new products and systems from risk angle by the CRMC, multiple credit approvers, system of assigning risk rating, vetting of ratings, mechanism to price facilities depending on the risk grading of the customer, Credit Risk Evaluation committee for vetting credit proposals from risk angle, credit process audit, post sanction pre disbursement review and post sanction review systems and an independent audit and risk review function. Proposals for investments are subjected to credit risk analysis, detailed appraisal and rating. As a matter of entry level, minimum ratings/quality standards, industry, maturity, duration, issue-wise limits are stipulated for investments to mitigate the adverse impact of concentration and risk of liquidity. Investment exposure is taken into consideration while computing exposure to a customer/group. A suitable framework is in place to provide a centralized overview on

the aggregate exposure on other banks and half-yearly reviews are undertaken at a single point. The country exposures are monitored on half yearly basis.

A diversified portfolio of risk assets is maintained and a system to conduct regular analysis of the portfolio so as to ensure ongoing control of risk concentrations is in place. A conservative policy for provisioning in respect of non-performing advances is followed. Management Information System (MIS) is being upgraded with introduction of Credit Risk Management System, which would enhance the capabilities of the bank to manage and measure the credit risk inherent in all on- and off-balance sheet activities.

#### iv) The following tools are used for credit risk management/mitigation –

##### • Credit Approving Authority – Delegation of Powers

The Bank has a well-defined scheme of risk based delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment. The delegation of powers is linked to the rating of the borrower with powers for sanction of higher limits to better-rated customers. As per Ministry of Finance Guidelines Credit Committees with sanctioning authority have been formed at various administrative levels to exercise delegation of powers. At present, all credit proposals falling beyond the delegated authority of the General Manager are being routed through “The Risk Evaluation Committee” of General Managers, to bring in an element of independence and off site evaluation of risks perceived in credit proposals. The General Manager, Risk Management Department, who has no volume or profit targets, is a member of the Committee. Based on the experience gained, one more committee has been set up at Head office level to deal with proposal up to the delegated authority of General Manager. Such Committees have also been set-up at Zonal Office, for proposal to be approved at ZLCC and NBGLCC.

##### • Prudential Limits

Prudential limits on various aspects of credit/investment like Single/Group borrower limits for various types of borrowers are in place.

##### • Risk Rating/Pricing

The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.

##### • Credit Audit/Loan Review Mechanism (LRM)

Credit Audit/LRM is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration

#### v) Portfolio Management through analysis

It is also important to have in place a system for monitoring the overall composition and quality of various credit portfolios and investments. With this objective, to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model. Rating Migration of accounts with ₹ 10 lacs and above is being done on half yearly and submitted to Board. Credit Risk Management Software (CRMS) is being implemented phase-wise. Bank is getting prepared for adopting Advanced Approaches.

#### vi) Risk Measurement

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights. The Bank has migrated to the Standardized approach under the New Capital Adequacy Framework (Basel II), effective 31st March 2008.

#### vii) Risk Reporting System

All credit related policies are cleared by the CRMC (which is the operational level committee for credit risk) before submission to the appropriate authorities for approval. Various Credit Related reporting's submitted to CRMC to enable proper monitoring.

#### viii) Risk Review

Audit –Credit Risk Management Systems procedures and Tools are also subjected to internal audit for ensuring effectiveness.

#### B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

PT Bank of India Indonesia Tbk has established a Risk Management Committee (RMC) and the Risk Management Unit (RMU) which is independent of the Operational Unit and the Internal Audit Unit (“Internal Audit”) in the hope of overall risk management can be integrated, targeted, coordinated and sustainable. Furthermore, to monitor the effectiveness of implementation of tasks RMC and RMU, the Bank established a Risk Monitoring Committee which is directly responsible to the Board of Commissioners.

The Bank has managed 8 (eight) types of risk according to Bank of Indonesia which are credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputation risk and strategic risk. Banks also create risk profiles which can broadly map the activity that has risks as well as potential risks that disrupt the Bank business continuity. Assessment of risk type is a combination of the risks inherent in any functional activity (inherent risk) and risk control systems.

The Bank is selective in approving new credits and maintains higher loan provisions than that required by the Regulator. In collateral based lending, hair cut is applied to the value of collateral. The Risk Manager of the bank reports to the Director Compliance. Risk Management Unit (RMU) supervises/ has oversight of the credit approval process.

#### C. Bank of India (Tanzania) Ltd , Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries), Bank of India (Uganda) Ltd and Bank of India (Botswana) Ltd

Monthly interest application has become a useful tool to tackle potential delinquencies or defaults in standard accounts. To retain the asset quality, the Bank has adopted the following policy, Branches should promptly act and:-

- i. Recover the overdues or at least the critical amount through active follow up with borrowers;
- ii. Put the accounts under holding on operations in case of temporary cash flow mismatches;
- iii. Reschedule the repayment terms as per expected cash flows;
- iv. Restructure the dues in keeping with the expected cash flows and gaps in cash flows, if any as per guidelines given in the restructuring policy.

Any one or more of the above actions are taken by the Bank before the account becomes NPA.

Measures for follow up of Especially Mentioned Accounts / NPA Accounts

The various means of monitoring / resolving NPAs generally available to the Banks are listed below:-

#### I. Before the account becoming NPA (Especially Mentioned A/c)

- a. Close monitoring for compliance of sanction terms to maintain asset quality.
- b. Reminders to be sent promptly whenever irregularities are observed.
- c. To recover overdues quickly to ensure account does not slip to NPA category
- d. Periodic inspection of the unit and charged assets along with analysis of financial data.

- e. To restructure the dues before accounts become NPAs. Remedial action includes enhancement of moratorium period, funding of interest, and deferment of installments.

**II. After the account becoming NPA – following measure to be initiated for recovering Bank’s dues. The following means have to be effectively pursued for resolution of NPAs.**

- Appropriation of liquid securities (TDR, shares, margin money etc.) and pledged goods, to reduce outstanding
- Disposal of other securities, with the co-operation of borrowers.
- Compromise settlement of dues through negotiation
- Re-calling the advance
- Filing suit in Court– Execution of decree
- Lastly, after all the chances of recovery of dues are exhausted, we may resort to writing off of the balance dues. All these means have to be effectively pursued for resolution of NPAs.

**Quantitative Disclosures:-**

**a. The total gross credit exposures**

(₹ in Mn.)

Category	Amount
Fund Based	4,213,867.62
Non Fund Based*	867,109.08

\* Excluding Credit Equivalent of Derivatives

**b. The geographic distribution of exposure is:**

(₹ in Mn.)

	Domestic	Overseas
Fund Based	2,961,912.55	1,251,955.06
Non Fund Based	654,506.62	212,602.45

**c. Industry type distribution of exposure (Fund Based & Non Fund Based) is as under:**

Industry Name	Fund Based (Outstanding) ₹ in Mn	Non Fund Based (Outstanding) ₹ in Mn
Coal	2,331.03	21,835.57
Mining	36,324.82	-
Iron & Steel	133,815.59	6,255.49
Other Metal & Metal Products	37,361.27	9,427.62
All Engineering	17,048.27	2,559.43
Of which Electronics	2,457.58	2,540.67
Electricity	210,114.75	-
Cotton Textiles	47,444.11	5,117.70
Jute Textiles	1,143.54	1,395.31
Other Textiles	56,859.90	8,177.62
Sugar	35,523.61	1,450.80
Tea	833.18	35.16
Food Processing	55,899.91	6,115.40
Vegetable Oil & Vanaspati	11,343.00	15,951.06
Tobacco & Tobacco Products	10,271.16	549.53
Paper & Paper Products	14,810.90	1,263.32
Rubber & Rubber Products	25,947.59	14,526.41
Chemical, Dyes, Paints etc.	56,576.08	19,979.59
Of which Fertilisers	9,515.80	1,448.21
Of which Petro-chemicals	14,078.91	8,071.17
Of which Drugs & Pharmaceuticals	19,269.12	4,757.75
Cement	15,091.78	769.96
Leather & Leather Products	5,141.32	714.99
Gems & Jewellery	93,941.95	15,257.20

Construction	33,684.68	15,708.64
Petroleum	35,407.37	15,115.84
Automobiles including Trucks	25,409.71	12,415.10
Computer Software	-	-
Infrastructure*	486,677.27	105,218.86
Of which Power	332,815.14	53,348.23
Of which Telecommunications	9,056.81	486.18
Of which Roads & Ports	106,312.23	28,349.16
Other Industries	84,564.53	164,860.47
Residuary Other Advances (to balance with Gross Advances)	2,890,415.05	422,408.05
<b>Total</b>	<b>4,213,867.61</b>	<b>867,109.08</b>

\* Exposure to Infrastructure Sector at 11.55 % exceeds 5% of total fund based advances

\* Exposure to Infrastructure at 19% exceeds 5% of total non-fund based outstanding.

**d. The residual contractual maturity break down of assets is:**

(₹ in Mn)

	Advances	Investments (gross)	Foreign Currency Assets
Next day	323,307.33	1,857.67	31,911.96
2 – 7 days	76,690.80	3,077.64	54,806.32
8 – 14 days	59,847.26	911.37	39,844.40
15 – 28 days	107,925.93	7,977.67	73,401.20
29 days – 3 months	995,256.79	28,160.57	309,743.20
>3 months – 6 months	505,285.45	17,643.29	213,540.71
> 6months – 1 year	430,976.60	15,794.42	204,791.85
>1 year – 3 years	598,772.66	201,578.88	227,550.09
> 3 years – 5 years	433,172.96	247,410.02	156,570.65
> 5 years	681,756.18	691,537.63	59,508.96
<b>Total</b>	<b>4,212,991.96</b>	<b>1,215,949.16</b>	<b>1,371,669.34</b>

\*Figures are shown on net basis

- e. The gross NPAs are:

Category	(₹ in Mn)
Sub Standard	91,206.33
Doubtful – 1	65,503.90
Doubtful – 2	48,277.60
Doubtful – 3	7,877.52
Loss	9,273.43
<b>TOTAL</b>	<b>222,138.78</b>

- f. The amount of net NPAs is ₹ 1,35,292.36 Mn.

- g. The NPA ratios are as under:

- Gross NPAs to Gross Advances: 5.39%
- Net NPAs to Net Advances: 3.36%

- h. The movement of gross NPA is as under:

(₹ in Mn)

i) Opening balance at the beginning of the year	118,200.07
ii) Additions during the year	166,823.61
iii) Reductions during the year	62,885.20
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	222,138.48

- k. The movement of provision for NPAs is as under:

(₹ in Mn)

i) Opening balance at the beginning of the year	35,697.97
ii) Provisions made during the year	63,382.31
iii) Write-off/write-back of excess provisions	24,619.99
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	74,460.29



- j. The amount of non-performing investment is ₹ 9,746.10 Mn.
- k. The amount of provision held for non-performing investment is ₹ 7,174.90 Mn.
- l. The movement of provisions for depreciation on investments is as under.

(₹ in Mn)

i) Opening balance at the beginning of the year	9,628.80
ii) Provisions made during the year	2,269.70
iii) Write-off/write-back of excess provisions	1,449.50
iv) Exchange Difference	(206.00)
v) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii-iv)	10,655.00

**Table DF-4**

**Credit risk: disclosures for portfolios subject to the standardised approach Qualitative Disclosure**

**Qualitative Disclosure**

- a) For portfolios under the standardized approach:
  - Names of Credit Rating agencies used, plus reasons for any changes
  - Types of exposure for which each agency is used; and
  - A description of the process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book;

**A: BANK OF INDIA**

1. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, INDIA RATINGS, BRICKWORK, SMERA, and CARE for domestic claims and S&P, FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns. SME ratings are not being used, as they are not approved by RBI.
2. The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II/III  
 The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.  
 For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.
3. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it. Even while extending an issuer or an issue specific rating to any other exposure on the same counterparty it is extended to the entire amount of credit risk exposure i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.
4. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.
5. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty whether short-term or long-

- term, also receive a 150% risk weight, except in cases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.
  - 6. The long-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardized Approach for long-term exposures. On the contrary, the unrated short-term claim on counter-party attracts a risk weight of at least one level higher than the risk weight applicable to the rated short-term claim on that counter-party. Issue-specific short-term ratings are used to derive risk weights for claims arising from the rated facility against banks and a corporate's short-term rating is not used to support a risk weight for an unrated long-term claim.
  - 7. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.
  - 8. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:
    - i. the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks pari passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.
    - ii. if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks pari passu or junior to the rated exposure in all respects.
- B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)**  
 As per prevailing norms in the Country credit rating is not required to be done by any external credit rating agency.
- C. Bank of India (Tanzania) Ltd, Bank of India (Uganda) Ltd and Bank of India (Botswana) Ltd.**  
 As per prevailing norms in the Country credit rating is not required to be done by any external credit rating agency. There is no credit rating agency operating/working in the Country.
- D Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary)**  
 Credit risk is disclosed through General Disclosure Statement on quarterly basis as per the requirements.

**Quantitative Disclosures**

(₹ in Mn)

For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted;	
The total credit exposure of BOI Solo of the bank (subject to standardized approach), are classified under major risk buckets are as under: -	
Below 100 % risk weight:	₹ 4,754,403.969
100 % risk weight:	₹ 1,614,353.45
More than 100 % risk weight:	₹ 594,881.93
Deducted	NIL

Table DF-5

### Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches

#### Qualitative Disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:

**a) Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting;**

- policies and processes for collateral valuation and management;
- a description of the main types of collateral taken by the bank;
- the main types of guarantor counterparty and their credit worthiness; and
- information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken

#### A. BANK OF INDIA

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to protect entity's earnings from loss both in good and bad times. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Such a process is termed as credit risk mitigation and some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. The Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) are as follows:

- (1) Collateralized transactions
- (2) On-balance-sheet-netting
- (3) Guarantees

#### 2. Eligible financial collateral:

All collaterals are not recognized as credit risk mitigants under the Standardized Approach. The following are the financial collaterals recognized.

- i. Cash and Deposits including deposits in foreign currency.
- ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.
- iii. Securities issued by Central and State Governments
- iv. Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates
- v. Life insurance policies
- vi. Debt securities -Rated subject to conditions.
- vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions
- viii. Units of mutual funds subject to conditions

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

#### 3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

#### 4. Guarantees

Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors/ counter guarantors includes:

- ix. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as certain

specified MDBs, ECGC and CGTSME), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;

x. Other entities rated AA or better.

5. The Bank has a well-defined Collateral Management policy, which provides the controlling framework to ensure collateral is used optimally. This is a key component in mitigating the credit risks inherent in lending. The Bank accepts both tangible and intangible securities. Tangible Securities are either in physical form or such other material form like cash margin, Deposits with Banks, Gold or such other precious metals, Shares NSC/KVP/Life Insurance Policies. The intangible securities are –Bank Guarantees / Letters of Credit, book debts, Letter of Comfort, Letter of Negative Lien, Unregistered Charge etc. The common ways for obtaining security for moneys lent are Mortgage, Pledge, Hypothecation and lien. The assets created out of the bank's credit exposure are as a general rule charged to the bank by way of first charge on pari-passu basis. Guarantees are normally insisted upon whenever available/permissible

The main type guarantors are: -

- i. Central/State Government and Central Government sponsored agencies like DICGC, CGTMSE, ECGC and CRGFT.
- ii. Promoters/Major owners of corporates.
- iii. Individual Guarantees of relatives in case of individuals

#### 6. The various aspects of collateral management are -

Minimum conditions for the acceptance of collateral: For collateral to be valid and enforceable the bank ensures that the assets accepted as collateral are marketable, legally enforceable and can be taken control of if necessary. It is also ensured that the market value of the asset is readily determinable or can be reasonably established and verified. For internal control purposes, the bank has a list of types of assets acceptable as collateral and the maximum loan to value ratio for each of these assets taken as primary security. The bank also takes into account statutory restriction while taking collaterals.

#### a) Validity of collateral;

##### i) Enforceability

Bank ensures that credit documentation supporting the collateral, is legally enforceable in all relevant jurisdictions and empowers the Bank to apply the collateral freely to discharge the borrower's obligations.

##### ii) Title and ownership

Bank always verifies the existence and ownership of the assets being received as collateral before acceptance and ensures that there is no prior claim by any other party on the said collateral. Bank secures its control of the collateral prior to the drawdown of credit facilities. Information on collaterals is provided to Top Management periodically to facilitate management of credit risk. Charges on collaterals are promptly registered with the relevant authorities wherever applicable.

#### b) Loan-to-value ratios

Bank has specified the maximum loan-to-value ratio (margin) for major types of asset to be accepted as primary security. Such ratios are commensurate with the relative risk of the assets and should be able to provide an adequate buffer against potential losses in realizing the collateral

#### c) Valuation

Bank has a Board approved policy in place for valuation of properties accepted for bank's exposures, where Basis of valuation, Qualification of Valuer and Frequency of revaluation are laid down for compliance across the bank.

**d) Safe keeping of collateral and control to their access**

Authority and responsibility has been delegated to relevant individuals and departments for approving the acceptance, monitoring or safe custody of collaterals

**e) Additional / Replacement of collateral;**

Procedures for requesting additional collateral are clearly documented

**f) Insurance;**

All eligible collaterals except those specially exempted are covered by insurance for relevant risks and detailed guidelines for the same are in place

**g) Sale of collateral;**

The Bank has clear and robust procedure for the timely liquidation of collateral.

**B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)**

PT Bank of India Indonesia Tbk has policy and processes for collateral valuation, based on Bank of Indonesia Regulation and national discretions for mortgage loan. Independent appraisal of the collateral is made if the sanction limit of the loan is above ₹ 2.79 Crores. Liquidation value is calculated based on type of collateral. Collateral value is reviewed every year. The main type of collateral taken is Land & Buildings. Generally personal or third party guarantee is not taken. Sectoral caps in lending are in place to take care of concentrations. The Bank has no major risk concentrations of collaterals or credit risk mitigants.

**C. Bank of India (Tanzania) Ltd and Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries)**

The collaterals are obtained in the form of Bank's own Term Deposit receipts, Legal Mortgage over Immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, Pledge of shares etc. As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/group are as detailed under

Collateral position	limit (as % of core capital)
1) Secured by collateral the value of which is at least	25
a) 125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	10
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	5
c) Unsecured	

**D. Bank of India (Uganda) Ltd.**

**Qualitative disclosures**

The collaterals are obtained in the form of Bank's own term deposit receipts, Legal mortgage over immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/ group as per detailed under.

Collateral position	limit (as % of core capital)
1) Secured by collateral the value of which is at least	25
a) 125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	25
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% of the credit accommodation secured by it (partly secured)	25
c) Unsecured	

**E. Bank of India (Botswana) Ltd.**

The collaterals are obtained in the form of Bank's own Term Deposit receipts, Legal Mortgage over Immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, Pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/group are as detailed under

Collateral position	limit (as % of unimpaired capital)
1) Secured by collateral, the value of which is at least	
a) 125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	30
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	30
c) Unsecured	30

**Quantitative Disclosures**

(a) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral: after the application of haircuts. (BOI Solo)	₹ 4,57,486.40 Mn
(b) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI). (BOI Solo)	₹ 206,479.18 Mn

**Table DF 6**

**Securitisation Exposures :- Disclosure for Standardised Approach**

**Qualitative Disclosures**

**A: BANK OF INDIA**

The Bank has no Securitization Exposure as on 31.03.2015

**B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary); Bank of India (Tanzania) Ltd; Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries); Bank of India (Uganda) Ltd. & Bank of India (Botswana) Ltd.**

The Bank has no Securitization Exposure as on 31.03.2015

**Quantitative Disclosures :- Not Applicable**

**Table DF - 7 :- Market Risk**

**Market Risk in Trading Book**

**Qualitative Disclosures**

(a) The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardized approach.

**A. Bank Of India**

In Trading book the Bank holds "Held for Trading"(HFT) and "Available for Sale" (AFS) portfolios of investments. The rest of the assets—i.e. Investments under Held to Maturity portfolio and advances—are treated as Banking Book. Given below is brief description of the Market Risk Management objectives and policies.

**(i) Strategies and Processes**

Under Market Risk Management Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Foreign Exchange Risk, and Equity Price risk are monitored. Bank is not currently trading in commodities.

**a. Liquidity Risk**

Gap analysis is followed for monitoring Liquidity risk on a fortnightly basis. Prudential limit-for percentage of cumulative gap

to cumulative outflow-based on Reserve Bank of India guidelines for the short-term buckets up-to 28 days is monitored. Besides, prudential limits are in place for market borrowing– Daily and average call borrowing–Inter Bank Liabilities, Purchased funds etc.

High value bulk deposits are monitored on a weekly basis. Short-term dynamic liquidity statement is prepared on a fortnightly basis to assess the liquidity position, which takes in to account the business growth. A contingency funding plan is in place to meet the emergencies. The plan is tested on a quarterly basis. Stress Testing is also done on a quarterly basis to assess possible loss to Bank if there is any liquidity crisis and if funds are to be raised from the market to meet the contingencies.

#### b. Interest Rate Risk

Gap analysis is used to assess the impact on the Net Interest Income of the bank for the next 12 months and till the next financial year. The Bank also uses duration gap analysis. Prudential limits have been fixed for duration of liabilities. Bank's investments portfolio is monitored on basis of duration analysis.

VaR methodology is followed for dated securities under SLR and Non-SLR (Domestic) Prudential limits for VaR have been fixed and daily monitoring is being done and reported to Top Management. Foreign investments in dated securities are normally hedged and the interest rate risk is minimal. VaR limits are also fixed for Foreign Exchange position.

Stress Testing is done to assess the impact on Economic Value of Equity by infusing a shock of change in market rate by 200 basis points.

#### c. Foreign Exchange Risk

The Bank has fixed Aggregate Gap Limit in USD as well as in other currencies, Maximum Aggregate daylight and overnight exposure limits for foreign exchange exposure in various currencies. We have also fixed period-wise Individual Currency-wise Gap Limits. Stop loss limits, take profit limit and single deal limits are in place for monitoring the forex operations of the dealers.

Derivative transactions are monitored by fixing prudential limit for net open position and a cap for PV01 on the outstanding derivatives.

#### d. Equity Price Risk

The bank's domestic investment policy has fixed stop loss limits for equity dealers. Daily Limits to Treasury, Maximum Investment Limit, Holding Period for Equity Portfolio (Trading). Daily reporting is done to Top Management on the transactions.

#### (ii) Structure and Organization of Market Risk Management function:

Risk Management is a Board driven function supported by three levels-.Risk Management Committee of the Board for overseeing and issuing directions, wherever necessary/approving Risk Management Policies etc. ,Asset Liability Management Committee(ALCO) who consider policy issues and with ALM Cell providing support at the ground level. Asset Liability Management Committees are operational at foreign centers also.

#### (iii) Scope and nature of risk reporting and/ or measurement systems:

In respect of domestic business the guide lines stipulated by RBI for managing Market Risk is followed such as–Preparation of Interest Rate Sensitivity statement on a monthly basis–Duration analysis of investments in the Trading book on a daily basis–VaR calculation of trading book investments on a daily basis excepting the equity portfolio–conducting stress test for liquidity risk/market risk on a quarterly basis.–Duration analysis of global balance sheet and impact on the Economic Value of Equity on a monthly basis. Interest Rate sensitivity is reviewed on a monthly basis by ALCO.

Various prudential measures have been put in respect to market borrowing and lending in conformity with RBI guidelines for monitoring liquidity risk. Structural Liquidity statement is prepared on daily basis and Short Term Dynamic Liquidity statement on a fortnightly basis and reported to Top Management / ALCO. Structural liquidity of international operations is being done on a quarterly basis at the corporate level.

The results of the Quarterly study on Stress-Testing and Impact on Economic Value of Equity is reported to ALCO. Trading book position–Duration and VaR is reported daily to Top Management.

#### (iv) Policies for Hedging and / or Mitigating Risk

Detailed policies are operational for Asset Liability Management and Market Risk Management, which deal in detail the various strategies and processes for monitoring Market Risk.

#### B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

In accordance with Regulation of Bank Indonesia regarding Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Bank, Bank is not included in the mandatory category for measuring the market risk in the calculation of the value of capital adequacy ratio (CAR). This is due to Bank is a foreign exchange Bank with financial instrument position in the form of securities and/or derivative transaction in the form of a Trading Book with amount below IDR 20 billion (USD 1.7 Million approximately).

#### C. Bank of India (Tanzania) Ltd (Subsidiary), Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiary), Bank of India (Uganda) Ltd & Bank of India (Botswana) Ltd.

(a) The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardized approach.

- i. Market risk: Market risk arises from open positions in interest rate, currency and equity products. The board sets limits and reviews it at regular interval on the risk that may be accepted. Further the exposure is monitored on daily basis.
- ii. Liquidity risk: The bank is exposed to daily calls on its available cash resources from overnight deposits, current accounts, maturing deposits, loans drawn and guarantees, from margin and other calls on cash settlement. The board has set limit based on their experience of the minimum proportion of maturing funds available to meet such calls and on the minimum level of inter-bank and other borrowing facility that should be in place to cover withdrawals at unexpected levels of demand.
- iii. Interest rate risk: The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.
- iv. Currency risk: The bank is exposed to the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rate. The bank is involved in foreign currency market only to the extent of buying and selling to the extent of required currency. The bank is not involved in foreign currency forward contracts and thus the risk is limited.

#### Quantitative Disclosure

(₹ in Mn)

The capital requirements for	
Interest rate risk	7,782.91
Equity position risk	7,939.50
Foreign exchange risk	286.88

### Table DF – 8 Operational Risk

#### Qualitative disclosures

In addition to the general qualitative disclosure requirement, the approach(es) for operational risk capital assessment for which the bank qualifies.

#### A BANK OF INDIA

The Bank adopts best practices in Risk Management. The Bank assesses and identifies operational risks inherent in all the material products, processes and systems under different Business Lines on an ongoing basis. All new products, activities and systems are being first routed through the New Product Group and then through Committee on Operational Risk Management (CORM). All policies are approved by the Board only after clearance by the Risk Management Committee of the Board (R Com). The Chief Risk Officer implements the directives of R.Com and oversees day-to-day Operational Risk Management functions.

Risk Management function works in close coordination with the committee of Business Operational Risk Managers (BORM) and Operational Risk Management Specialists (ORMS). The committee of BORM and ORMS assists the Operational Risk Management Division in undertaking the Risk and Control Self-Assessments (RCSA), reporting Losses and Key Risk Indicators (KRIs) on a periodical basis.

Risk reporting in the form of Loss Data Analysis is done on half yearly basis to assess the high-risk prone product and business lines and mitigation measures are adopted. Branch levels KRIs and Bank Level KRIs are tracked on a quarterly basis. RCSA exercise is undertaken for all the Bank's products and processes on an annual basis.

Operational Risk Capital Charge is calculated through Basic Indicator Approach. At present, the Bank is in the process of moving towards Advanced Measurement Approaches for computation of Operational Risk Capital Charge. The Bank has already applied to RBI for migration to The Standardised Approach (TSA) for calculation of Operational Risk Capital Charge.

#### B PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

Bank adopts best practices in operational risk management, like segregation of duties, trainings, clear laid down procedures etc.

In managing operational risk, each unit is responsible for the risks in its daily operations by referring to policies and procedures, control and routine supervision. Managing operational risks also include areas related to product development, system, human resources and "know your customer" principles to prevent unavoidable circumstances.

To minimize the operational risk, the bank has increased the control function in the transaction processing which conducted among others by implementing the procedures to ensure timely completion of the transaction, adjustment the accounting method to the applied standards, maintain records in orderly, secure access to the asset and data. Function of the Internal Audit Unit who conducts regular checks to the operational activities is also adding value to the improvement needed. Bank use Basic Indicator Approach in Risk Weighted Assets (ATMR) calculation for Operational Risk.

Bank also has Internal Control unit which has job to ensure all business unit comply to bank procedure and local government regulation as well.

#### C Bank of India (Tanzania) Ltd , Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries), Bank of India (Uganda) Ltd.& Bank of India (Botswana) Ltd.

Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a variety of causes associated with the bank's processes, personnel,

technology and infrastructure, and from external factors other than credit, market, liquidity risks such as those arising from legal and regulatory requirements and generally accepted standards of corporate behavior. Operational risk arises from all the bank's activities.

The bank's objective is to manage the operational risk so as to balance the avoidance of financial losses and damage to the bank's reputation with overall cost effectiveness and to avoid control procedures that restrict initiate and creativity.

The primary responsibility for the development and implementation of controls to address operational risk is assigned to the senior management at each branch level. The responsibility is supported by the development of overall standards for management of operational risks in the following areas:-

- Requirements for appropriate segregation of duties, including the independent authorization of transactions;
- Requirements for the reconciliation and monitoring of transactions;
- Compliance with regulatory and other legal requirements;
- Documentation of controls and procedures;
- Requirements for the periodic assessment of operational risks faced, and the adequacy of controls and procedures to address the risks identified;
- Requirements for the reporting of operational losses and proposed remedial action;
- Development of contingency plans;
- Training and professional development;
- Ethical and business standards;
- Risk mitigation, including insurance where this is effective

#### Table DF -9

#### Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

#### Qualitative Disclosures

- (a) The general qualitative disclosure requirement, including the nature of IRRBB and key assumptions, including assumptions regarding loan prepayments and behavior of non-maturity deposits, and frequency of IRRBB measurement.

#### A. BANK OF INDIA

Interest Rate Risk in banking book is calculated generally on a quarterly basis. Banking book includes all advances and investments held in Held to Maturity (HTM) portfolio.

The strategies & processes /structure & organization / scope and nature of risk reporting/ policies etc are the same as reported under Table DF -7.

The methodology and key assumptions made in the IRRBB measurement are as follows

Based on monthly information from data centre on the residual maturity of the advances and the deposits covering around 100% of bank's business, Interest Rate Sensitivity statement is prepared with various time buckets, having regard to the rate sensitivity as well as residual maturity of different assets and liabilities.

The duration for each asset and liability is arrived at taking the midpoint of each time bucket as the maturity date and the average yield as coupon and taking the market rate for discounting purpose. For investments, the actual duration is taken, as data is available with full particulars. In respect of investments, the AFS and HFT portfolios are excluded for this exercise as the focus is on IRR in the Banking Book.

Using the above, Modified duration of liabilities and assets for each

bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 1% is reckoned. By adding up, the net position is arrived at to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.

#### Assumptions:

- The interest rate moves uniformly across all time buckets and for all assets.
- In respect of demand deposits – savings and current – the same are distributed as per the RBI guidelines on stress testing.
- Generally the bank follows RBI guidelines on stress testing while calculating the IRRBB including selection of coupon rate / discount rate / taking midpoint of each time bucket as the maturity date etc.
- Re-pricing of Base Rate/BPLR linked advances has been taken in the 3 to 6 months bucket.

#### B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary), Bank of India (Tanzania) Ltd, Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries) and Bank of India Uganda Ltd

The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.

#### Quantitative Disclosures

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5 per cent of the total turnover)

#### INTEREST RATE RISK IN BANKING BOOK(BOI SOLO)

	Total	Of which in USD (where turnover is more than 5% of total turnover)
1. Earnings At Risk (NII)		
At 0.50% change for 1 year	2567.41	-112.47
2. Economic Value of Equity at Risk		
200 basis point shock	7617.10	773.79
Drop in equity value in %age terms	2.87%	2.92%

Table –DF 10

#### General disclosure for exposures related to Counterparty Credit Risk

- The bank uses derivatives products for hedging its own balance sheet items as well as for trading purposes. The risk management of derivative operation is headed by a senior executive, who reports to top management, independent of the line functions. Trading positions are marked to market on daily basis.

The derivative policy is framed by the Risk Management Department, which includes measurement of credit risk and market risk.

The hedge transactions are undertaken for balance sheet management. Proper system for reporting and monitoring of risks is in place.

Policy for hedging and processes for monitoring the same is in place.

Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions are in place, which includes recognition of income, premiums and discounts. Valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and risk mitigation are being done.

Credit equivalent or EAD has been computed in accordance with the Current exposure methodology (CEM). Potential exposure is computed by multiplying Credit conversion factor to Notional principal. Replacement cost is the positive market value. Current exposure is the same as the replacement cost. Credit equivalent or EAD is the sum of potential exposure and current exposure.

#### Quantitative Disclosure

- Gross positive fair value of contracts, netting benefits, netted current credit exposure, collateral held (including type, e.g. cash, government securities, etc.), and net derivatives credit exposure. Also report measures for exposure at default, or exposure amount, under CEM. The notional value of credit derivative hedges, and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure
- Credit derivative transactions that create exposures to CCR (notional value), segregated between use for the institution's own credit portfolio, as well as in its intermediation activities, including the distribution of the credit derivatives products used, broken down

(₹ in Mn)

	(Amount in Million)
Notional Principal Amount	807,279.56
Potential Exposure	18,022.74
Replacement Cost	10,019.97
Current Exposure	10,019.97
Credit Equivalent or EAD	28,042.71
RWA	12,422.36
Capital Charge	1,118.01

(₹ in Mn)

Item	Notional Amount (In Million)	Current Credit Exposure (In Million)	Credit equivalent (In Million)
Currency Option	188.88	53.42	72.31
Cross CCY Interest Rate Swaps	3949.06	269.57	617.70
Forward rate agreements			
Interest rate future			
Credit default swaps			
Single CCY interest Rate Swaps	177886.14	5922.79	8077.64
Total	182024.08	6245.78	8767.65

Table DF -11  
Composition of Capital

₹ In Millions

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1,2013 to December 31,2017)		Eligible Amount	Amounts subject to pre Basel III Treatment	Ref No
<b>Common Equity Tier 1 Capital : Instruments and Reserves)</b>				
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	69515.49		
2	Retained earnings	0.00		
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	208,269.66		
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0		
<b>Public sector capital injections grandfathered until January 1, 2018</b>				
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	1679.34		
6	<b>Common Equity Tier1 capital before regulatory adjustments</b>	<b>279464.49</b>		
<b>Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments</b>				
7	Prudential valuation adjustments			
8	Goodwill (net of related tax liability)			
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)			
10	Deferred tax assets	268.95		
11	Cash-flow hedge reserve			
12	Shortfall of provisions to expected losses			
13	Securitisation gain on sale			
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities			
15	Defined-benefit pension fund net assets			
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)			
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	679.28		
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)			
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold) <sup>3</sup>			
20	Mortgage servicing rights <sup>4</sup> (amount above 10% threshold)			
21	Deferred tax assets arising from temporary differences <sup>5</sup>			
22	(amount above 10% threshold, net of related tax liability)			
23	Amount exceeding the 15% threshold <sup>6</sup>			
24	of which: significant investments in the common stock of financial entities			
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences			
26	National specific regulatory adjustments <sup>7</sup>			
	(26a+26b+26c+26d)	0		
26a	of which:Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	0		
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries <sup>8</sup>	0		
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank <sup>9</sup>	0		
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			
	For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions			
28	<b>Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1</b>	<b>948.23</b>		
29	<b>Common Equity Tier 1 capital (CET1)</b>	<b>278516.26</b>		

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1,2013 to December 31,2017)		Eligible Amount	Amounts subject to pre Basel III Treatment	Ref No
<b>Additional Tier 1 capital: instruments</b>				
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	25000.00		
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)			
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)			
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	15486.35		
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)			
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out			
36	<b>Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments</b>	40486.35		
<b>Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments</b>				
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments			
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	1405.96		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)			
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions) <sup>10</sup>	0		
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)			
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries			
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank			
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]	1075.80		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%]			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions			
43	<b>Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital</b>	2481.76		
44	<b>Additional Tier 1 capital (AT1)</b>	38004.59		
44a	Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy <sup>11</sup>	38004.59		
45	<b>Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)</b>	316520.85		
<b>Tier 2 capital: instruments and provisions</b>				
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	15000.00		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	40474.70		
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)			
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out			
50	Provisions <sup>12</sup>	40,588.13		
51	<b>Tier 2 capital before regulatory adjustments</b>	96062.83		
<b>Tier 2 capital: regulatory adjustments</b>				
52	Investments in own Tier 2 instruments			
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	1047.96		
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)			
55	Significant investments <sup>13</sup> in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)			
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries			
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank			



Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1,2013 to December 31,2017)		Eligible Amount	Amounts subject to pre Basel III Treatment	Ref No
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			
57	<b>Total regulatory adjustments to Tier 2 capital</b>	1047.96		
58	<b>Tier 2 capital (T2)</b>	95014.87		
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy <sup>14</sup>	95014.87		
58b	<b>Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital</b>	0		
58c	<b>Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a+58b)</b>	95014.87		
59	<b>Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)</b>	411535.72		
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre <b>Basel III Treatment</b>			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			
	of which: ...			
60	<b>Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)</b>			
60a	of which: total credit risk weighted assets			
60b	of which: total market risk weighted assets			
60c	of which: total operational risk weighted assets			
	<b>Capital ratios</b>			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)			
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)			
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)			
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)			
65	of which: capital conservation buffer requirement			
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement			
67	of which: G-SIB buffer requirement			
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)			
	<b>National minima (if different from Basel III)</b>			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.00%		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	6.50%		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%		
	<b>Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)</b>			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities			
73	Significant investments in the common stock of financial entities			
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)			
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)			
	<b>Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2</b>			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	40588.13		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach			
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)			
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach			
	<b>Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)</b>			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements			
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)			
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	15486.35		
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	40474.70		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00		

Table DF-12  
Composition of Capital- Reconciliation Requirements

(₹ in million)

## Step -1

		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date	As on reporting date
<b>A</b>	<b>Capital and Liabilities</b>		
i	Paid-up Capital	6,656.48	6,656.48
	Reserves & Surplus	318,571.98	318,677.77
	Minority Interest	1,679.34	1,679.34
	Total Capital	326,907.79	327,013.59
ii	Deposits	5,344,822.98	5,345,020.43
	of which: Deposits from banks	620,264.85	620,264.85
	of which: Customer deposits	4,724,558.12	4,724,755.58
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	-
iii	Borrowings	400,986.87	400,986.87
	of which: From RBI	20,816.84	20,816.84
	of which: From banks	19,945.71	19,945.71
	of which: From other institutions & agencies	53,822.92	53,822.92
	of which: Others (pl. specify)	177,528.46	177,528.46
	of which: Capital instruments	128,872.93	128,872.93
iv	Other liabilities & provisions	180,129.78	153,777.28
	<b>Total</b>	<b>6,252,847.41</b>	<b>6,226,798.17</b>
<b>B</b>	<b>Assets</b>		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	274983.81	274,970.28
	Balance with banks and money at call and short notice	494405.35	494,382.12
ii	Investments:	1231955.29	1,207,343.29
	of which: Government securities	1064068.47	1,057,042.04
	of which : Other approved securities	1754.18	11.65
	of which: Shares	20920.51	12,188.41
	of which: Debentures & Bonds	79926.61	77,181.99
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	13269.44	14,469.44
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	52016.08	46,449.77
iii	Loans and advances	4043893.52	4,043,858.44
	of which: Loans and advances to banks	295918.89	295,918.89
	of which: Loans and advances to customers	3747974.64	3747939.56
iv	Fixed assets	59144.86	59,113.37
v	Other assets	148464.58	147,130.67
	of which: Goodwill and intangible assets	-	-
	of which: Deferred tax assets	1344.74	1,344.74
vi	Goodwill on consolidation	-	-
vii	Debit balance in Profit & Loss account	-	-
	<b>Total Assets</b>	<b>6252847.42</b>	<b>6226798.17</b>

## Step 2

		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date	As on reporting date
<b>A</b>	<b>Capital &amp; Liabilities</b>		
i	Paid-up Capital	6,656.48	6,656.48
	of which: Amount eligible for CET1		
	of which: Amount eligible for AT1		
	Reserves & Surplus	318,571.98	318,677.77
	Minority Interest	1,679.34	1,679.34
	Total Capital	326,907.79	327,013.59
ii	Deposits	5,344,822.98	5,345,020.43
	of which: Deposits from banks	620,264.85	620,264.85
	of which: Customer deposits	4,724,558.12	4,724,755.58
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	-
iii	Borrowings	400,986.87	400,986.87
	of which: From RBI	20,816.84	20,816.84
	of which: From banks	19,945.71	19,945.71
	of which: From other institutions & agencies	53,822.92	53,822.92
	of which: Others (pl. specify)	177,528.46	177,528.46
	of which: Capital instruments	128,872.93	128,872.93
iv	Other liabilities & provisions	180,129.78	153,777.28
	of which: DTLs related to goodwill		0.00
	of which: DTLs related to intangible assets		0.00
	Total	6,252,847.41	6,226,798.17
<b>B</b>	<b>Assets</b>		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	274983.81	274970.28
	Balance with banks and money at call and short notice	494405.35	494382.12
ii	Investments	1231955.29	1207343.29
	of which: Government securities	1064068.47	1057042.04
	of which: Other approved securities	1754.18	11.65
	of which: Shares	20920.51	12188.41
	of which: Debentures & Bonds	79926.61	77181.99
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	13269.44	14469.44
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	52016.08	46449.77
iii	Loans and advances	4043893.52	4043858.44
	of which: Loans and advances to banks	295918.89	295918.89
	of which: Loans and advances to customers	3747974.64	3747939.56
iv	Fixed assets	59144.86	59113.37
v	Other assets	148464.58	147130.67
	of which: Goodwill and intangible assets		
	Out of which:		
	Goodwill		
	(Other intangibles (excluding MSRs)		
	Deferred tax assets	1344.74	1344.74
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	<b>Total Assets</b>	<b>6252847.42</b>	<b>6226798.17</b>

## Step 3

## Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers/letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	69515.49	e
2	Retained earnings	0.00	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	208,269.66	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	1679.34	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	279464.49	
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		a-c

Table DF-13

## Main Features of Regulatory Capital Instruments

1	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A09126	INE084A09134	INE084A09142	INE084A09167	INE084A09191	INE084A09225	INE084A08052
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	<i>Regulatory treatment</i>							
4	Transitional Basel III rules	AT 1	AT 1	AT 1	AT 1	AT 1	AT 1	AT 1
5	Post-transitional Basel III rules	AT 1	AT 1	AT 1	AT 1	AT 1	AT 1	AT 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	2,800	700	1,085	2,800	2,275	2,100	25000
9	Par value of instrument (Rs. in million, as of most recent reporting date)	4,000	1,000	1,550	4,000	3,250	3,000	25000
10	Accounting classification	Borrowing	Borrowing	Borrowing	Borrowing	Borrowing	Borrowing	Borrowing
11	Original date of issuance	27.07.2007	27.09.2007	11.10.2007	10.02.2009	09.12.2009	09.09.2010	08.08.2014
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Call Option Date	Call Option Date	Call Option Date	Call Option Date	Call Option Date	Call Option Date	Call Option Date
16	Subsequent call dates, if applicable	On Anniversary Date after 27.07.2017	On Anniversary Date after 27.09.2017	On Anniversary Date after 11.10.2017	On Anniversary Date after 11.10.2017	after 09.12.2019	after 27.07.2017	after 08.08.2024
	<i>Call Option Date</i>	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/ coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed

18	Coupon rate and any related index	Before Call 10.55% if call not exercised 11.05%	Before Call 10.45% if call not exercised 10.95%	Before Call 10.40% if call not exercised 10.90%	Before Call 8.90% if call not exercised 9.40%	Before Call 9.00% if call not exercised 9.50%	Before Call 9.05% if call not exercised 9.55%	11% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Full Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible	Non Convertible	Non Convertible	Non Convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No	No	No	No	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PONV Trigger
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Any
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	NA

1	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A01016	INE084A09084	INE084A09100
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
<i>Regulatory treatment</i>				
4	Transitional Basel III rules	Common Equity	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity		
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Common Shares	Lower Tier 2 Instruments	Lower Tier 2 Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	6649	NIL	400
9	Par value of instrument (Rs. Mn)	NA	7,500	2,000
10	Accounting classification	Equity Share	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	Various	16/09/2005	20/03/2006
12	Perpetual or dated	Perpetual	Dated	Dated
13	Original maturity date	NA	16/04/2015	20/06/2016
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	NA	NA

16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA
	<i>Coupons / dividends</i>	Dividend	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	NA	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	NA	7.50%	8.00%
19	Existence of a dividend stopper	NA	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	NA	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative	Cumulative	Cumulative
23	Convertible or non-convertible	NA	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30	Write-down feature	NO	No	No
31	If write-down, w rite-down trigger(s)	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	No	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	NA	No Loss Absorption	No Loss Absorption

1	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A09118	INE084A09159	INE084A09175	INE084A09183	INE084A09209	INE084A09217
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	<i>Regulatory treatment</i>						
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	5,124	3,500	3,500	3,500	7,000	7,000
9	Par value of instrument (Rs. Mn)	7,320	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	31/07/2006	16/10/2008	28/07/2009	28/08/2009	20/01/2010	11/06/2010
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	31/07/2021	16/10/2023	28/07/2024	28/08/2024	20/01/2025	10/06/2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	31/07/2016	16/10/2018	28/07/2019	28/08/2019	20/01/2020	11/06/2020
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.35%	11.15%	8.45%	8.50%	8.54%	8.48%

19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature

1	Issuer	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A08037	INE084A08045
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
	<i>Regulatory treatment</i>		
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	10,000	5,000
9	Par value of instrument (Rs. Mn)	10,000	5,000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	25/09/2013	30/09/2013
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	25/09/2023	30/09/2023
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.80%	9.80%
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No

22	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA
30	Write-down feature	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	Decided by RBI	Decided by RBI
32	If write-down, full or partial	Decided by RBI	Decided by RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Decided by RBI	Decided by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Basel III	Basel III
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature

Table DF 14

Full terms and Condition of Regulatory Capital Instruments are available at <http://www.bankofindia.co.in/english/BaselIIIDisclosure.aspx>



बैंक ऑफ इंडिया  
Bank of India

प्रधान कार्यालय- स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई -400 051.

HEAD OFFICE- STAR HOUSE, BANDRA KURLA COMPLEX, MUMBAI-400 051

## सूचना

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की उन्नीसवीं वार्षिक आम बैठक **सोमवार, 20 जुलाई 2015 को अपराह्न 11.00 बजे** बैंक ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 में निम्नलिखित कारोबार करने के लिए की जाएगी:

## मद संख्या 1

“यथा 31 मार्च 2015 के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता, लेखा में कवर की गई अवधि हेतु बैंक के कार्य तथा गतिविधियों पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और तुलन पत्र तथा लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा अंगीकार करना।”

## मद संख्या 2

“31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इकिटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना।”

## मद संख्या 3

एक विशेष संकल्प के रूप में, विचार करने और यदि उपयुक्त माना गया तो निम्नलिखित संकल्प को आशोधनों के साथ अथवा उसके बिना पारित करने हेतु:

“यह संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एंड मिटिंग्स) विनियमन, 2007 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदनों, सम्मतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यक्षीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यक्षीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की जाए और सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियमन, 2009 (आईसीडीआर विनियमन)/ दिशानिर्देश एवं समय-समय पर आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित अधिसूचना/परिपत्रों और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत स्पष्टीकरणों एवं अन्य संबन्धित प्राधिकरणों द्वारा विहित विनियमों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों के अधीन जहां बैंक के इकिटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके द्वारा बैंक के निदेशक बोर्ड को दी जाती है (इसके पश्चात इसे “बोर्ड” कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) भारत अथवा विदेश में प्रस्ताव दस्तावेज़/विवरण पत्र अथवा ऐसे अन्य दस्तावेज़ के द्वारा ऑफर, इश्यू और आर्बटिंट (संस्था के आर्बटन पर आरक्षण के लिए प्रावधान और/अथवा निर्गम के ऐसे भाग के प्रतिस्पर्धात्मक आधार और उस समय लागू कानून द्वारा अनुमत ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी भी शामिल)

क) लागू प्रीमियम पर ₹ 10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के 26 करोड़ तक के इकिटी शेयर के साथ मौजूदा पैड-अप इकिटी शेयर पूंजी जो बैंक के ₹ 3000 करोड़ के कुल प्राधिकृत पूंजी के अंदर होगा, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ए) के अनुसार बैंक की प्राधिकृत पूंजी की सीमा है अथवा भविष्य में अधिनियम बनने वाले किसी संशोधन (यदि हो) के अनुसार वर्धित प्राधिकृत पूंजी, इस प्रकार से कि केन्द्रीय सरकार की हर समय पैड-अप इकिटी पूंजी की कम से कम 51% धारिता रहेगी चाहे वह बाज़ार मूल्य में छूट अथवा प्रीमियम पर हो।

ख) आरबीआई द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप स्थायी ऋण लिखतों को सक्सक्राइब करने के लिए ऑफर अथवा आमंत्रण देना, इसमें अपरिवर्तनीय डिबेंचर शामिल लेकिन गौण डिबेंचर, बांड, स्थायी संचयी अधिमाम्य शेयरों तक सीमित नहीं और/अथवा अन्य ऋण प्रतिभूतियों /अधिमाम्य शेयरों आदि, निजी प्लेसमेंट या पब्लिक इश्यू के आधार पर, आरबीआई अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा

## NOTICE

NOTICE is hereby given that the Nineteenth Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of India will be held on **Monday, July 20, 2015 at 11.00 A.M.** at Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051 to transact the following business:

## Item No. 1

“To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March 2015, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31<sup>st</sup> March 2015, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors’ Report on the Balance Sheet and Accounts”

## Item No. 2

“To declare Dividend on Equity Shares for the Financial Year ended 31<sup>st</sup> March 2015.”

## Item No. 3

**To consider and if thought fit, to pass, with or without modification, the following resolution as a Special Resolution:**

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad

a) Upto 26 Crore equity shares of the face value of ₹ 10 each for cash at such premium which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of ₹ 3000 crore of the bank, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price,

b) for making offer(s) or invitation(s) to subscribe to perpetual debt instruments in accordance with the guidelines framed by RBI, Non-Convertible Debentures including but not limited to Subordinated Debentures, bonds, Perpetual Non Cumulative Preference Shares and / or other debt securities/ Preference Shares, etc., on a private placement

चिन्हित और वर्गीकृत टियर। अथवा टियर II। पूंजी के लिए वर्गीकृत की जा सकने वाली एक अथवा अधिक शेयर का हिस्सा जो ₹ 6000 करोड़ रकम के अधिक न हो, इस विशेष संकल्प को पारित करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान हो।

एक अथवा अधिक शेयर के हिस्सों में, एक अथवा अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई), निजी अथवा पब्लिक कंपनियों, निवेश संस्थाएं, सोसाइटी, न्यास, अनुसंधान संस्थाएं, कालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल बॉय (क्यूआईबी) जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूचुअल निधि, वेन्चर पूंजी निधि, विदेशी वेन्चर पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन निधि, विकास वित्तीय संस्थाएं अथवा अन्य इकाई, प्राधिकारी अथवा कोई अन्य वर्ग के निवेशक जो बैंक के इक्विटी/अधिमानि शेयर /प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत है, यह मौजूदा विनियम /दिशानिर्देशों अथवा उपर्युक्त में से कोई संयोजन जो बैंक के द्वारा उचित समझी जाए शामिल है।

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन कालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी), सार्वजनिक निर्गम, राइट्स इश्यू, निजी प्लेसमेंट के माध्यम से होगा या ऐसे अन्य निर्गम जिनका प्रावधान लागू नियमों द्वारा किया गया हो, ओवर-अल्लोटमेंट विकल्प के साथ या उसके बिना और यह कि ऐसा प्रस्ताव निर्गम, प्लेसमेंट और आबंटन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूंजी तथा प्रकटन आवश्यकताओं का निर्गम) विनियमन, 2009 (आईसीडीआर विनियमन) और आरबीआई, सेबी एवं यथा लागू किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य सभी दिशानिर्देश और ऐसे समय अथवा समयों पर ऐसे तरीके से और ऐसे निबंधन और शर्तों जैसा बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक पर उचित माने जाएं।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपरोक्त निर्गम के संबंध में बोर्ड को ऐसे मूल्य अथवा आईसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसका निर्धारण इस प्रकार और जहां आवश्यक होगा अग्रणी प्रबंधकों और/या हामीदारों और/या अन्य सलाहकारों की सलाह से किया जाएगा और/या ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से आईसीडीआर विनियमनों की शर्तों, अन्य विनियमन और किसी या सभी लागू कानून, नियमों, विनियमनों एवं दिशानिर्देशों और/अथवा यह निर्णय लेने का अधिकारी होगा कि प्रस्तावित निवेशक बैंक के वर्तमान शेयरधारक है या नहीं।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी आशोधन को स्वीकार करें जैसा अपेक्षित हो या जीओआई/आरबीआई/सेबी/स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या जहां निर्गमित होने वाली ऋण प्रतिभूतियां सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित हैं अथवा ऐसे प्राधिकारियों द्वारा बोर्ड द्वारा सहमतनुसार उनके निर्गम, आबंटन और सूचीकरण को उनके अनुमोदन, सहमति और मंजूरी प्रदान करते वक्त अधिरोपित किया गया हो।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि एनआरआई, एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को उपर्युक्त प्रतिभूतियों के निर्गम एवं आबंटन आरबीआई के अनुमोदन के अधीन यथा लागू विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत परतु अधिनियम और यथा लागू अन्य विनियमकों द्वारा निर्धारित समग्र सीमाओं के अंदर होगा।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि निर्गमित किए जाने वाले कथित नए शेयर, बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007 यथा संशोधित के अध्यक्षीन होंगे और लाभांश यदि कोई हो, सहित बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ समरूपी श्रेणी में होंगे जो इस घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड के अधिकार है और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी अग्रणी प्रबंधक, बैंकर, हामीदार, डिपॉजिटरी, और उपर्युक्त प्रतिभूतियां ऑफर करने से संबंधित सभी एजेन्सियों के साथ अभी ऐसी व्यवस्थाओं का निष्पादन करें और सभी ऐसी संस्थाओं एवं एजेन्सियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति करें और ऐसी एजेन्सियों के साथ सभी ऐसी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को निष्पादित करें।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड, अग्रणी प्रबंधक, अंडर राइट, सलाहकार और अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों की सलाह से अब और एतद्वारा इश्यू (ओं) के प्रकार और शर्त निर्धारण के लिए प्राधिकृत है जिसमें शेयर आबंटित करने के लिए निवेशकों के वर्ग, प्रत्येक भाग में आबंटित होने वाले शेयरों/अधिमानि शेयरों/डेट प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम, अगर कोई सहित) अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम/परिवर्तन/वारंटों के निष्पादन/प्रतिभूतियों के मोचन, ब्याज दर, मोचन अवधि, इक्विटी शेयरों/अधिमानि शेयरों की संख्या या प्रतिभूतियों के परिचर्तन या मोचन या रद्दीकरण पर अन्य प्रतिभूतियों, मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम/परिवर्तन पर प्रीमियम या बड़ा ब्याज

or public issue basis, in one or more tranches which may classify for TIER I or TIER II Capital as identified and classified by RBI or such other authority for an amount not exceeding ₹ 6000 Crore, during the period of one year from the date of passing of this Special Resolution.

in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”) like Foreign Institutional Investors (“FIIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank”.

“RESOLVED FURTHER THAT, such issue, offer or allotment shall be by way of qualified institutional placement (QIP), public issue, rights issue, private placement or such other issue which may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (“ICDR Regulations”) and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT, in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations, determined in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT, the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or where the Debt Securities to be issued are proposed to be listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT, the issue and allotment of aforesaid Securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and other regulators as applicable.”

“RESOLVED FURTHER THAT, the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 as amended and shall rank in all respects pari-passu with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT, the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of aforesaid Securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the aforesaid Securities are to be allotted, their number to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares /preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/


दर, परिवर्तन अवधि रिकॉर्ड तारीख या बही बंदी के निर्धारण और संबंधित या प्रासंगिक मामले, भारत और / अथवा विदेश में एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जाना शामिल है, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक में उचित समझे।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि ऐसे उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से यदि कोई अभिदत नहीं है तो बोर्ड द्वारा जैसा उचित समझा जाए और विधि द्वारा अनुमतानुसार बोर्ड के पूर्ण विवेक पर उसे निपटाया जा सकता है।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड, अब और इसके द्वारा ऐसे सभी व्यावहारों, कार्यों, मामलों और बातों के लिए प्राधिकृत है जो उसके संपूर्ण विवेकाधिकार में उचित, सही और वांछनीय समझे जाए और शेयर/प्रतिभूति के निर्गम से संबंधित उठे किसी प्रश्न, असुविधा अथवा संदेह को निपटाने और आगे भी ऐसे सभी व्यवहारों, कार्यों, मामलों और बातों को करने, जैसा भी आवश्यक, वांछनीय अथवा उचित हो, सभी दस्तावेज और लेखन को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने, जैसा कि सम्पूर्ण विवेकाधिकारी में उचित, सही अथवा वांछनीय हो जिसमें शेयरधारकों से आगे अनुमोदन अथवा सहमति लेने की आवश्यकता न हो अथवा इसके लिए अधिकृत हो और इस प्रयोजन हेतु शेयरधारकों ने संकल्प के प्राधिकार से स्पष्ट रूप से इसके लिए अपना अनुमोदन दिया हो।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को इसके द्वारा प्रदत्त सभी या किसी अधिकारी को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा कार्यपालक निदेशक/(कों) को प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।”

बोर्ड के आदेशानुसार



(बि. पी. शर्मा)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान: मुंबई

दिनांक: 18/06/2015

By order of the Board



(B.P.Sharma)

Managing Director & CEO

Place: Mumbai

Date: 18/06/2015

Notes.

टिप्पणियां :

#### 1. परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने तथा मतदान के हकदार शेयरधारक अपने स्थान पर भाग लेने तथा मतदान हेतु एक परोक्षी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित फार्म उसमें निर्धारित स्थान पर वार्षिक आम बैठक के कम से कम 4 (चार) दिन पूर्व अर्थात् सोमवार दिनांक 13 जुलाई, 2015 को या उससे पहले बैंक के कारोबार की समय समाप्त होने से पहले अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

#### 2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऐसी कंपनी या अन्य किसी निकाय-कंपनी जो बैंक की शेयरधारक है, का विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि है, द्वारा आम बैठक के तारीख से 4 (चार) दिन पहले, अर्थात् सोमवार दिनांक 13 जुलाई, 2015 को या उससे पहले बैंक के कारोबार के समय के समाप्त होने से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में, जिस बैठक में उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा उक्त संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि यदि प्रस्तुत नहीं की जाती है तो उसे बैठक में उपस्थित रहने का, मत देने का अधिकार नहीं होगा।

#### 3. लेखाबंदी

शेयरधारकों का रजिस्टर, एवं बैंक का शेयर अंतरण रजिस्टर वार्षिक आम बैठक और लाभांश का आकलन करने के उद्देश्य से मंगलवार 14 जुलाई, 2015 से सोमवार 20 जुलाई, 2015 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा।

#### 4. पते में परिवर्तन

जिन शेयरधारकों के पास शेयर डिमेट स्वरूप में हैं उन्हें अपने पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसकी सूचना उनसे संबंधित सहभागी निक्षेपागार को देनी चाहिए। जिनके पास शेयर प्रत्यक्ष रूप में हैं, उन्हें अपने पते में परिवर्तन की सूचना बैंक के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर देनी चाहिए:

मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा. लि.

यूनिट: बैंक ऑफ इंडिया,

13, ए बी, संहिता वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स,

साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज लेन,

अंधेरी कुर्ला रोड, साकीनाका, अंधेरी पूर्व,

मुंबई - 400 072.

फोन- 022-67720300/67720400

फैक्स- 022-28591568

ई मेल : boi@shareproservices.com

conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT, such of the aforesaid Securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT, the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & CEO or to the Executive Director(s) to give effect to the aforesaid Resolutions.”

#### 1. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON HIS/HER BEHALF. The Proxy form, in order to be effective, must be received at the place specified in the Proxy form not later than 4(four) days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the close of banking hours on Monday, the 13<sup>th</sup> July 2015.

#### 2. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than 4 (four) days before the Annual General Meeting on or before the close of banking hours on Monday, the 13<sup>th</sup> July 2015.

#### 3. BOOK CLOSURE

The Register of the Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Tuesday, July 14<sup>th</sup>, 2015 to Monday, July 20<sup>th</sup>, 2015 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the entitlement of dividend.

#### 4. CHANGE OF ADDRESS

Shareholders holding shares in dematerialized form should communicate the change of address, if any, to their Depository Participant. Shareholders who hold shares in physical form should communicate the change of address to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address

M/s. Sharepro Services (India) Pvt. Ltd.,

Unit: Bank of India

13 AB Samhita Warehousing Complex

Off. Andheri Kurla Road

Sakinaka Telephone Exchange Lane

Sakinaka, Andheri East

Mumbai 400 072

Tel : 22- 67720300 / 67720400

Fax : 22 - 28591568

E mail: boi@shareproservices.com

## 5. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/परोक्षियों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र सुपुर्द कर दें। शेयरधारक के परोक्षी/प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र में 'परोक्षी' अथवा 'प्रतिनिधि' में से वह जिस रूप में उपस्थित हो रहे हों उसका उल्लेख कर देना चाहिए।

## 6. अदावाकृत लाभांश यदि कोई हो

वे शेयरधारक जिन्होंने अपने लाभांश वारंट अभी तक नहीं भुनाए हैं / उन्हें पहले की अवधि के कोई वारंट अभी तक नहीं मिले हैं तो उनसे अनुरोध है कि वे वारंट की अनुलिपि जारी करने के लिए अंतरण एजेंट से संपर्क करें। बैंककारी कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी के अनुसार लाभांश की सात वर्ष तक अदत्त राशि या अदावाकृत राशि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) में अंतरित करनी होती है।

## 7. संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट

जो शेयरधारक संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट चाहते हैं वे हमारी वेबसाइट [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा [boi@shareproservice.com](mailto:boi@shareproservice.com) पर ई-मेल कर सकते हैं अथवा कंपनी सचिव, बैंक ऑफ इंडिया, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, मुंबई-400 051 को पत्र लिख सकते हैं।

## 8. ई-वोटिंग

सूचना में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने हेतु बैंक के शेयरधारकों के लिए बैंक ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से ई-वोटिंग प्रक्रिया का आयोजन करने के लिए बैंक ने मे. इजी लॉज, मुंबई के अंकुर कुमार, अधिवक्ता (बार काउन्सिल पंजीकरण सं. एमएएच/5718/2011) को परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। कट ऑफ डेट में बैंक के शेयर प्रत्यक्ष अथवा डीमैट रूप में धारण करने वाले शेयर धारक अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से डाल सकते हैं।

## 9. ई-वोटिंग अनुदेश

- शेयरधारक / लाभार्थी मालिक (इलेक्ट्रॉनिक शेयरहोल्डिंग के मामले में) इस प्रयोजन हेतु नियत तारीख यथा 13 जुलाई 2015 (कट-ऑफ तारीख) को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के आनुपातिक आधार पर होगा बशर्त कि बैंक का कोई शेयरधारक, केन्द्रीय सरकार को छोड़कर, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा धारित किसी शेयरों के संबंध में वोटिंग अधिकारों के प्रयोग के लिए पात्र है।
- यथा कट-ऑफ तारीख अर्थात् 13 जुलाई, 2015 को एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में रिकार्ड किया गया है अथवा निक्षेपागार द्वारा रखे गए लाभार्थी मालिक के रजिस्टर में है, वही केवल ई-वोटिंग/मतदान की सुविधा का लाभ उठा सकता है। कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना प्रेषित होने के बाद बैंक का सदस्य बनता है और यथा कट ऑफ तारीख अर्थात् 13 जुलाई 2015 को शेयर धारित करता है, निम्नानुसार तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है:  
रिमोट वोटिंग बंद होने से पर्याप्त समय पहले शेयरधारिता के प्रमाणीकृत प्रमाणसहित को [headoffice.share@bankofindia.co.in](mailto:headoffice.share@bankofindia.co.in) या डाक द्वारा या [boi@shareproservices.com](mailto:boi@shareproservices.com) को लिखना।
- ई वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक ने नेशनल सिक्क्युरिटीज़ डिपाजटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं प्राप्त की है।
- संयुक्त धारकों के मामले में, लॉग-इन आईडी/यूजर आई डी तथा पासवर्ड शेयरों के प्रथम धारक को प्रेषित की जाए तदनुसार एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवाओं के द्वारा वोट डालनेवाले शेयरधारकों के रूप में सभी संयुक्त धारकों की ओर से प्रथम धारक को वोट यूजर आई डी तथा पासवर्ड भेजा जाए। प्रथम धारक अर्थात् शेयरों का धारक, जिसका नाम शेयरों के प्रथम नाम के रूप में पंजीकृत है।
- वोटिंग अवधि **शुक्रवार, 17 जुलाई, 2015 को सुबह 10.00 बजे शुरू होगी और रविवार, 19 जुलाई, 2015 को समाप्त होगी।** एनएसडीएल द्वारा उसी दिन शाम 05.00 बजे ई-वोटिंग मोड्यूल को डिसेबल भी कर दिया जाएगा।
- यदि आप ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से ही पंजीकृत हैं तो आप वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

## 5. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry pass is annexed to this Report. Shareholders/ Proxy holders/ representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the Attendance slip- cum-Entry pass at the venue. Proxy/ Representative of a shareholder should state on the Attendance slip-cum-Entry pass "Proxy" or "Representative" as the case may be.

## 6. UNCLAIMED DIVIDEND IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received for previous periods if any are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for issue of duplicate. As per the Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 125 of the Companies Act, 2013.

## 7. Full Annual Report

Shareholders desirous to have a full Annual Report can download it from our website [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) or send email to [boi@shareproservices.com](mailto:boi@shareproservices.com) or letter to the Company Secretary, Bank of India, C-5, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051

## 8. E-Voting

The Bank is pleased to provide e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. **The Bank has appointed Ankur Kumar, Advocate (Bar Council Registration No. MAH/5718/ 2011) of M/s. Ezy Laws, Mumbai as the Scrutinizer for conducting the e-voting process** in a fair and transparent manner. E-voting is optional. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

## 9. E-voting Instructions

- The voting rights of Shareholders/ beneficial owner (in case of electronic shareholding) shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on 13th July 2015 (Cut-off Date) fixed for the purpose. subject to the condition that no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
- A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. July 13, 2015 only shall be entitled to avail the facility of e-voting /poll.  
Any person who becomes a member of the Bank after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. July 13, 2015, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned below:  
By writing a mail to the [headoffice.share@bankofindia.co.in](mailto:headoffice.share@bankofindia.co.in) or by post with authenticated proof of shareholding or write to [boi@shareproservices.com](mailto:boi@shareproservices.com) sufficiently before the closing of the remote voting.
- The Bank has engaged the services of National Securities Depositories Limited ("NSDL") as the Agency to provide e-voting facility.
- In case of Joint holders, login ID/User Id and password details shall be sent to the first holder of the shares. Accordingly, the vote using user ID and Password sent to first holder is recognized on behalf of all the joint holders as the shareholder who casts the vote through the e-voting services of NSDL, is doing so on behalf of all joint holders. First holder shall mean the holder of shares, whose name is first registered against the shares held.
- The voting period will commence at 10.00 a.m. on Friday 17<sup>th</sup> July, 2015 and will end at 5.00 p.m. on Sunday, 19<sup>th</sup> July, 2015. The e-voting module shall also be disabled by NSDL at 5.00 p.m. on the same day.
- If you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

- vii) आरंभिक पासवर्ड इस संसूचना के अंत में प्रदान किया गया है।
- viii) निम्नलिखित URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> टाइप करके इंटरनेट ब्राउजर शुरू करें।
- ix) शेयरहोल्डर-लॉगइन पर क्लिक करें।
- x) यूजर आईडी और उपरोक्त स्टेप (i) में नोट किए गए आरंभिक पासवर्ड को पासवर्ड में डालें। लॉगइन पर क्लिक करें।
- xi) पासवर्ड चेंज मेन्यू दिखाई देगा। अपनी पसंद के पासवर्ड से पासवर्ड को बदल दें जो न्यूनतम 8 डिजिट / कैरेक्टर अथवा उनका मिश्रण होगा। नए पासवर्ड को नोट करें। यह सिफारिश की जाती है कि किसी भी व्यक्ति को अपना पासवर्ड न बताएं और पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए पूरी सावधानी बरतें।
- xii) ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा। ई-वोटिंग पर क्लिक करें। वोटिंग साइकल को सक्रिय करें।
- xiii) 101942 के EVEN का चयन करें।
- xiv) अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि कास्ट वोट पेज खुलेगा।
- xv) उचित विकल्प का चयन करते हुए अपना वोट डालें और सबमिट पर क्लिक करें तथा प्राम्प्ट किए जाने पर “कन्फर्म” करें।
- xvi) पुष्टिकरण होने पर ‘vote cast successfully’ का संदेश दिखेगा।
- xvii) एक बार संकल्प पर वोट डालने के बाद आपको वोट में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।
- xviii) कॉर्पोरेट निकाय सहित संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तिगत, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) के विधिवत प्रधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति का संकल्प, जिस बैठक में पारित किया गया है उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यापित सही प्रतिलिपि के साथ जो वोट देने के लिए प्राधिकृत हैं, ऐसे विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अनुमोदित नमूना हस्ताक्षर सहित स्कैन प्रति (यह फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में संलग्न हो सकती है), स्कूटिनाइजर को ई-मेल के जरिए [evotingezylaws.com](mailto:evotingezylaws.com) / [ankur.srivastava@ezylaws.com](mailto:ankur.srivastava@ezylaws.com) भेजी जाए, जिसकी प्रति [nsdl.com](mailto:nsdl.com) को भेजी जाए। फाइल का नाम इस फॉर्मेट में दिया जाए कॉर्पोरेट निकाय का नाम\_ **EVEN** 101942, ऊपर उल्लेखित स्कैन प्रतियां ई-वोटिंग करने से पहले अथवा करने के तत्काल बाद ई-मेल के जरिए भेजी जानी चाहिए। तथापि यदि ये स्कूटिनाइजर / एनएसडीएल के पास ई-वोटिंग बंद होने से पहले नहीं पहुंचता है तो किया गया ई-वोटिंग कम्प्यूटर द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- xix) एक से अधिक फोलियो/डीमैट खाते रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे। तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के अनुसार, भारत सरकार के अतिरिक्त किसी भी अन्य शेयरधारक को बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।
- XX) यह सलाह दी जाती है कि आप अपने पासवर्ड की जानकारी किसी को न दें और उसे बिलकुल गोपनीय रखें।
- XXi) ई-वोटिंग के परिणामों की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी और उसकी सूचना स्टॉक -एक्सचेंजों को भी दी जाएगी।
- XXii) ई वोटिंग करने वाले सदस्य बैठक में भाग ले सकते हैं तथा पुनः वोट डालने के पात्र नहीं होंगे एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि शेयरधारकों को ई-वोटिंग करना अनिवार्य नहीं है तथा एक शेयरधारक अपने विवेकानुसार यह सुविधा प्राप्त कर सकता है जो उक्त वर्णित अनुदेशों के अनुपालन के अध्वधीन है।
- XXiii) अगर कोई सवाल हों, तो आप शेयरधारकों के लिए ‘अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न’ (एफएक्यू) और [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) से 'Downloads' भाग में शेयरधारकों के लिए उपलब्ध ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं।
- XXiv) आप फोलियो के यूजर प्रोफाइल ब्यौरे में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी भी अपडेट कर सकते हैं जिसका प्रयोग भविष्य में संसूचना भेजने के लिए किया जा सकता है।
- vii) Initial password is provided as below at the bottom of this communication.
- viii) Launch internet browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/>
- ix) Click on Shareholder - Login.
- x) Insert user ID and password as initial password noted in step (i) above. Click Login.
- xi) Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Note new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- xii) Home page of e-Voting opens. Click on e-Voting: Active Voting Cycles.
- xiii) Select “EVEN” of 101942.
- xiv) Now you are ready for e-Voting as Cast Vote page opens.
- xv) Cast your vote by selecting appropriate option and click on “Submit” and also “Confirm” when prompted.
- xvi) Upon confirmation, the message “Vote cast successfully” will be displayed.
- xvii) Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- xviii) Institutional shareholders including body corporates (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (this file be as an attachment in PDF Format) of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to [evoting@ezylaws.com](mailto:evoting@ezylaws.com) / [ankur.srivastava@ezylaws.com](mailto:ankur.srivastava@ezylaws.com) with a copy marked to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). The file should be named in the format of “the body corporate Name-----EVEN 101942”. The scanned copies are to be sent as mentioned above by e-mail, before or immediately after casting the e-voting. However, in case the same do not reach scrutinizer/NSDL before closure of e-voting, the e-voting so exercised will be rejected in computer system.
- xix) Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account. However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.
- xx) It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- xxi) The results of e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.
- xxii) The members who have cast their vote by e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again. It is hereby clarified that it is not mandatory for a shareholder to vote using the e-voting facility, and a shareholder may avail of the facility at his/her/it discretion, subject to compliance with the instructions prescribed above.
- xxiii) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).
- xxiv) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

## 10. सभा में मतदान

कार्यसूची मद पर चर्चा के पश्चात, बैठक के अध्यक्ष, सभी मदों के संबंध में मतदान का आदेश देंगे। इस प्रयोजन हेतु नियुक्त किए जाने वाले जांचकर्ताओं के पर्यवेक्षण में मतदान होगा। मतदान के पश्चात अध्यक्ष बैठक की समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। मतदान

## 10. Poll at the Meeting

After the agenda item has been discussed, the Chairman of the Meeting will order Poll in respect of all the items. Poll will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose. After conclusion of the

के परिणाम के साथ संकलित ई-वोटिंग के परिणामों की घोषणा बैंक अपने वेबसाइट पर करेगा और उसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को देगा।

वोट के आवश्यक संख्या की पुष्टि के अध्यक्षीन, यह संकल्प जुलाई 20, 2015 की बैठक में पारित माना जाएगा।

**मद संख्या 3 के लिए व्याख्यात्मक विवरणपत्र**

- ए) बैंक, बैंकिंग व्यवसाय एवं इससे संबंधित गतिविधियों का कारोबार करता है। वर्तमान में, बैंक की अधिकृत पूंजी, ₹ 3000 करोड़ है। यथा दिनांक 31 मार्च, 2015 को बैंक की पैड अप इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 664.91 करोड़ है।
- बी) वर्तमान में हमारे बैंक में भारत सरकार की शेयर धारिता ₹ 428.36 करोड़ है, जो बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी का 64.43 % है। 31 मार्च, 2015 को पूंजीगत निधि से जोखिम भारत आस्तियां निम्नानुसार हैं:

विवरण	राशि (₹ करोड़ों में)	बेसल-III के तहत पूंजीगत निधि से जोखिम भारत आस्तियों का %
जोखिम भारत आस्तियां	3,63,523	
साधारण इक्विटी पूंजी	26,091	7.17
अतिरिक्त टियर- I	3,618	1.00
टियर-I पूंजी	29,709	8.17
टियर -II पूंजी	9,289	2.56
कुल पूंजी	38,998	10.73

- सी) मार्च 2015 के दौरान प्रति शेयर ₹ 273.50 के प्रीमियम पर ₹ 10/- प्रत्येक के 2,26,45,502 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए गए (इनमें से एलआईसी को 2,00,00,000 इक्विटी शेयर और द न्यू इंडिया एश्युरेंस कं. लि को 26,45,502 इक्विटी शेयर।)
- डी) बैंक विगत कई वर्षों से औसत वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ रहा है। लम्बी अवधि के संसाधनों एवं बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित सामान्य उधार के प्रयोजनों के लिए करोबार बढ़ाने हेतु निधियों की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, बैंक क्वॉलिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट / फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर / इक्विटी शेयरों की निजी प्लेसमेंट, टियर-1 बॉन्ड्स, टियर-2 बॉन्ड्स, सेबी (पूँजी एवं प्रकटन आवश्यकताओं का निर्गम) विनियमन, 2009 एवं अब तक यथा संशोधित तथा इस संबंध में सेबी / आरबीआई के विनियमनों/ दिशानिर्देशों के अनुरूप अधिमानी शेयरों द्वारा निधियां जुटाने का प्रस्ताव रखता है।

**ई) प्रस्तावित अधिमानी इश्यू के उद्देश्य :**


पूँजी पर्याप्तता से संबंधित बासेल (II एवं III) अपेक्षाओं के अनुपालन के उद्देश्य से, पूंजी जुटाने की सतत आवश्यकता रहती है। इस प्रकार अर्जित पूंजी का प्रयोग, बैंकों की पूंजी पर्याप्तता बढ़ाने और बैंक की सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

इस पूंजी पर्याप्तता को आंतरिक जनरेशन एवं इस विषय पर आरबीआई और सेबी के दिशानिर्देशों के अनुपालन अंतर्गत इक्विटी एवं बासेल III समर्थित ऋण लिखतों/ अधिमानी शेयरों को जारी कर के पूरा किया जा सकता है।

एफ) उपरोक्त कारणों से, संलग्न नोटिस की मद संख्या-3 में उक्त संकल्प को प्रवृत्त बनाने के लिए अनुमोदन किया जाता है कि इश्यू के शर्तों को अंतिम रूप देने हेतु बोर्ड को पर्याप्त अनुकूलता एवं अधिकार प्रदान करें।

निदेशक मंडल शेयर धारकों के अनुमोदन हेतु संलग्न नोटिस की मद सं. 3 में उल्लिखित विशेष संकल्प की सिफारिश करते हैं।

कोई भी निदेशक / बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्यात्मक / उनके रिश्तेदार, (बैंक में उनकी शेयर धारिता के अलावा) किसी भी प्रकार से वित्तीय रूप से या अन्यथा, कथित संकल्प से सम्बद्ध या हितबद्ध नहीं हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार  
  
 (बि. पी. शर्मा)  
 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान: मुंबई  
 दिनांक: 18/06/2015

Poll, the Chairperson may declare the meeting as closed. The Results of the Poll aggregated with the results of e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

Subject to receipt of requisite number of votes, the Resolutions shall be deemed to be passed on the date of the Meeting, i.e. July 20, 2015.

**Explanatory Statement for item No. 3**

- a) The Bank is in the business of the banking and related activities. Presently, the Authorized Capital of the Bank is ₹ 3000 Crore. The Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on 31<sup>st</sup> March 2015 was ₹ 664.91 Crore.
- b) Presently, the shareholding of Government of India in our Bank is ₹ 428.36 Crore which constitute 64.43% of total paid up capital of the Bank. The capital funds to Risk Weighted Assets as on 31<sup>st</sup> March 2015 is as under:

Particulars	Amount ₹ In Crores	% of capital funds to risk weighted assets under Basel-III
Risk Weighted Assets	3,63,523	
Common Equity Capital	26,091	7.17
Additional Tier-I	3,618	1.00
Tier-I Capital	29,709	8.17
Tier-II Capital	9,289	2.56
Total Capital	38,998	10.73

- c) Preferential Allotment of equity by issue of 2,26,45,502 Crore Equity Shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 273.50 per share was made during March 2015 (of which 2,00,00,000 Equity Shares to LIC and 26,45,502 Equity Shares to The New India Assurance Co.Ltd).
- d) The Bank is growing at steady pace for last many years. In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources and for general lending purpose as may be decided by the Board, the Bank proposes to raise funds by way of Qualified Institutions placement/ Follow on public offer / Private placement of Equity Shares, Tier-I Bonds, Tier-II Bonds, Preference Shares in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009 and as amended upto date and other applicable Regulations / Guidelines of SEBI/RBI in this regard.

**e) Object of the Proposed Issue:**

With a view to comply with Basel (II & III) requirements relating to capital adequacy, there is an ever increasing need to raise capital. The capital raised would utilize to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

This capital requirement can be met by a combination of internal generation, issuance of equity and BASEL III compliant debt instruments/ preference shares subject to RBI and SEBI guidelines on the subject.

- f) For reasons aforesaid, the enabling resolution as set out in item No. 3 of the accompanying notice is therefore recommended to provide adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue(s).

The Board of Directors recommends the Special Resolution set out at Item No.3 of the accompanying Notice for approval of the shareholders.

None of the Directors / Key Managerial Personnel of the Bank / their relatives are, in any way concerned or interested, financially or otherwise, (except their shareholding in the bank) in the said resolution.

By order of the Board

  
 (B.P.Sharma)  
 Managing Director & CEO

Place: Mumbai  
 Date: 18.06.2015

बैंक ऑफ इंडिया  
BANK OF INDIA

BOI



प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

## परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा जाए)

फोलियो क्र. \_\_\_\_\_  
(यदि डीमेट न किया गया हो)

डीपी आईडी नं. \_\_\_\_\_

ग्राहक आई डी नं. \_\_\_\_\_

(यदि डीमेट किया गया हो)

मैं/हम \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_

जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_ बैंक ऑफ इंडिया का/के शेयरधारक हूँ/हैं और मैं/हम एतद्वारा

श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_

को या वह न होने पर श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_

जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_ को मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से दिनांक 20 जुलाई, 2015 को आयोजित बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में और संबंधित बैठक के स्थगन की स्थिति में मतदान के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

2015, माह \_\_\_\_\_ की \_\_\_\_\_ तारीख को हस्ताक्षरित।

परोक्षी के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_

पता: \_\_\_\_\_

रसीदी  
टिकट

प्रथम /एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

### परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

- कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह,
  - एकमात्र शेयरधारक व्यक्ति के मामले में शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी।
  - संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हों।
  - निगमित निकाय के मामले में लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अधिकारी या अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी।
- परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए किन्तु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उनके अंगूठे का निशान वहां लगा है तो वह निशान न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित (अटेस्टेड) होना चाहिए।
- कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगा जब तक उस पर विधिवत रसीदी टिकट न लगा हो और उसे निम्नलिखित पते पर वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले जमा नहीं कराया गया हो। उसके साथ उस पॉवर ऑफ अटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस पावर ऑफ अटर्नी की प्रति या अन्य प्राधिकार जिसे नोटरी अथवा न्यायाधीश ने सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित किया हो, को बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो। बैंक ऑफ इंडिया, निवेशक संपर्क विभाग, प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, 8 वीं मंजिल, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051.
- बैंक के पास जमा की गयी परोक्षी की लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।
- विकल्प में दो व्यक्तियों के पक्ष में प्रदत्त परोक्षी की लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
- परोक्षी की लिखत को निष्पादित करने वाले शेयरधारक वार्षिक आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
- किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो।



Head Office: Star House, C-5, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051.

## PROXY FORM

(To be filled by the shareholders)

Folio No. \_\_\_\_\_  
(if not dematerialized)

DP ID \_\_\_\_\_

Client ID \_\_\_\_\_  
(if dematerialized)

I / We, \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ in the district of \_\_\_\_\_ in the state of \_\_\_\_\_ being a shareholder/ shareholders of Bank of India, hereby appoint Shri/Smt \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ in the District of \_\_\_\_\_ in the state of \_\_\_\_\_ or failing him/her, Shri/Smt. \_\_\_\_\_ Resident of \_\_\_\_\_ in the state of \_\_\_\_\_ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Meeting of the Shareholders of Bank of India to be held on the July 20<sup>th</sup>, 2015 and at any adjournment thereof.

Signed this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 2015.

Name : \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Revenue  
Stamp

\_\_\_\_\_  
Signature of first named/sole shareholder

### INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
  - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her attorney, duly authorised in writing.
  - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
  - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of India.
- No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the **Bank at Bank of India, Investor Relations Department Head Office - Star House, 8th Floor, C-5, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.**
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or employee of the Bank.



बैंक ऑफ इंडिया  
BANK OF INDIA

BOI

उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश-पत्र-सह-मतदान पेपर पास  
वार्षिक आम बैठक

दिनांक : सोमवार, 20 जुलाई, 2015, सुबह 11.00 बजे

प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS  
ANNUAL GENERAL MEETINGDate : Monday, 20<sup>th</sup> July 2015, 11.00 A.M.

At the Bank's Auditorium, Bank of India, C 5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Mumbai, 400 051

## उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश के समय जमा करने हेतु)

## ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry)

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) (सदस्य/परोक्षी/एआर) NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	फोलियो क्र. ग्राहक आईडी नं. डीपी आईडी नं. FOLIO No./DPID No./CLIENT ID No.	शेयरों की संख्या No. of Shares

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर  
Signature of Shareholder/Proxy/Representative present

## प्रवेश पत्र

(पूरी बैठक के दौरान अपने पास रखा जाए)

## ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

वार्षिक आम बैठक दिनांक : सोमवार, 20 जुलाई, 2015, सुबह 11.00 बजे

ANNUAL GENERAL MEETING Date: Monday, 20<sup>th</sup> July 2015, 11.00 A.M.

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) (सदस्य/परोक्षी/एआर) NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	फोलियो क्र. ग्राहक आईडी नं. डीपी आईडी नं. FOLIO No./DPID No./CLIENT ID No.	शेयरों की संख्या No. of Shares





## हमारा दृष्टिकोण

“कंपनियों, मध्यम श्रेणी व्यापारियों और दूरदाराज के छोटे आम ग्राहकों का मनपसंद बैंक बनना, छोटे व्यापारियों, ग्रामीण बाजारों और सामान्य बाजार को लागत प्रभावी विकासमान बैंकिंग प्रदान”।

## हमारा लक्ष्य

“सर्वश्रेष्ठ और व्यावहारिक बैंकिंग भूमंडलीय बाजारों में प्रदान करने के लिए एक विकास बैंक की भूमिका निभाते हुए लागत प्रभावी और दायित्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करना और ऐसा करते हुए हमारे पूंजी निवेशकों की अपेक्षाओं को पूरा करना”।

## हमारी गुणवत्ता नीति

हम, बैंक ऑफ़ इंडिया को पसंदीदा बैंक बनाने हेतु अपने ग्राहकों और सरंक्षकों को, **उत्कृष्ट, व्यवहार्य, नवोन्मेषी, अत्याधुनिक** बैंकिंग सेवाएं तत्परता और शालीनता से प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं।

## महत्वपूर्ण सूचना

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 के संपूर्ण पाठ के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया की वेबसाइट [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) देखें।

बैंक की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने के इच्छुक शेयरधारक [boi@shareproservices.com](mailto:boi@shareproservices.com) में ई मेल भेजकर अथवा कंपनी सचिव, निवेशक संपर्क विभाग, बैंक ऑफ़ इंडिया, सी-5, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, मुम्बई - 400 051 को पत्र लिखकर इस हेतु अनुरोध कर सकते हैं।

शेयरधारकों से यह भी अनुरोध है कि यदि उन्होंने अपना ई मेल पता हमें उपलब्ध न करवाया हो तो, ई मेल के जरिए जल्द नोटिस, सूचना आदि प्राप्त करने के लिए अपना ई मेल आई डी हमें सूचित करें।

## Our Vision

"To become the bank of choice for corporates, medium businesses and upmarket retail customers and to provide cost effective developmental banking for small business, mass market and rural markets".

## Our Mission

"To provide superior, proactive banking services to niche markets globally, while providing cost-effective, responsive services to others in our role as a development bank, and in so doing, meet the requirements of our stakeholders".

## Our Quality Policy

We, at Bank of India, are committed to become the Bank of Choice by providing SUPERIOR, PROACTIVE, INNOVATIVE STATE OF THE ART Banking Services with an attitude of Care and Concern for the Customers and Patrons.

## IMPORTANT NOTICE

Shareholders are requested to visit Bank of India's website [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) to get the full version of Annual Report 2014-15.

Shareholders desirous of having a copy of Bank's Annual report may order for it by sending email to [boi@Shareproservices.com](mailto:boi@Shareproservices.com) or letter to 'The Company Secretary' Investor Relations Department, Bank of India C-5, G-Block, Bandra Kurla complex, Mumbai - 400 051.

Shareholders are also requested to inform us with their email ids, if not already sent to us, to receive notices, information etc quickly through emails.

# BOI Aasaan

easy banking on mobile, 24 x 7

QUICK, SECURE & TIME SAVING

## The new face of banking services, quite Aasaan

BALANCE ENQUIRY



INCOME-TAX STATUS



HOME / CAR LOAN



LOAN AGAINST PROPERTY




- For Balance Enquiry give a missed call to 09015135135/09266135135
- For Income-Tax status on your mobile anytime anywhere, download myitreturn.com/app
- For details on Home/Car Loan SMS <HOME> or <CAR> to 9223009988
- For details on Loan against property SMS <LAP> to 9223009988

Call Toll Free No.

**1800 103 1906/1800 220 229**

visit: [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in)

Follow us on 

बैंक ऑफ़ इंडिया 

रिशतों की जमापूँजी

प्रधान कार्यालय

स्टार हाउस, सी-5, 'जी' ब्लॉक,  
बान्द्रा-कुर्ला संकुल, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

फोन नं. : 66684444

ई-मेल : [headoffice.share@bankofindia.co.in](mailto:headoffice.share@bankofindia.co.in)

वेबसाइट : [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in)



HEAD OFFICE

Star House, C-5, 'G' Block,  
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),  
Mumbai - 400 051. Phone : 66684444

E-mail : [headoffice.share@bankofindia.co.in](mailto:headoffice.share@bankofindia.co.in)

Website : [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in)